बच्चों और बड़ों को
ज़िन्दगी के आदाब व उसूल सिखाने वाली किताब
अदाबे
सुन्नत
लेखक
अ़ल्लामा अ़ालम फ़क़्री
पब्लिशरः
फारूकिया बुक डिपो
422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली

पहले इसे पढ़ें
सुन्नत की अहमियत

इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं जो फसाद के वक्त मेरी सुन्नत मजबूत थामे उसे 100 शहीदों का सवाब मिले।.
(इब्ने माजा)

अल्लाह के रसूल (ﷺ) का इरशादे मुबारक है के "जिस ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की (यानी उसपर अमल किया), तो उसने मुझ से मोहब्बत की और जिस ने मुझ से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा।"
(तिरमिजी 2678)

हिकायत - हजरते सय्यदुना इब्राहीम बिन अहम रजिअल्लाहोअंहु फरमाते हैं मैं ने एक जनाजा उठाया तो कहा अल्लाह मेरे लिये मौत में बरकत दे। तो चारपाई से किसी कहने वाले ने कहा और मौत के बाद भी येह सुन कर मुझ पर कुछ रोब तारी हो गया, मय्यित को दफ्न कर देने के बाद मैं कब्र के करीब बैठा गौरो फिक्र में मश्गूल था कि अचानक एक खूब सूरत चेहरे, सुथरे लिबास और खुश्बूओं में बसी शख्सिय्यत से बर आमद हुई उस ने कहा ऐ इब्राहीम ! मैं ने लब्बैक कहा और उस से पूछा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए ! तुम कौन हो ? उस ने कहा मैं वोही हूं जिस ने तुम्हें चारपाई से कहा था कि मौत के बाद भी मैं ने पूछा आखिर तुम हो कौन? उस ने कहा मैं सुन्नते नबवी हूं, जो मुझे अपनाता है मैं उस की दुन्या में मुहाफिज व निगहबान होती हूं, कुछ में उस के लिये नूर और गुमगुसार होती हूं और बरोजे कियामत उसे जन्नत में ले जाने वाली हूं
(शर्हुस्सुदूर, बाब 31)

बच्चों और बड़ों को ज़िन्दगी के
आदाब व उसूल सिखाने वाली किताब

आदाबे सुन्नत

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की प्यारी-प्यारी सुन्नतें यानी खाने, सोने, चलने, बैठने, उठने ग़र्ज़ ये कि ज़िन्दगी के हर पहलू पर अ़मल करने के आदाब और सुन्नत तरीक़ा, जिसकी पैरवी करने से ज़िन्दगी का हर लम्हा सवाब का हक़दार बन जाता है

लेखक
अ़ल्लामा आ़लम फ़क़री

अनुवादक
मौलाना मुहम्मद अहमद नईमी
रिसर्च स्कॉलर हमदर्द यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली

पब्लिशर:
फ़ारूक़िया बुक डिपो
422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली
फोन: 011-23266053, 23267199

नाम किताब : आदाबे सुन्नत
लेखक : अल्लामा आलम फक़री
अनुवादक : मौलाना मुहम्मद अहमद नईमी
प्रूफ रीडिंग : मुहम्मद तलहा सहसवानी
कम्पोज़िंग : फारूक़िया कमप्यूटर, दिल्ली
सफ्हात : 448
पब्लिशर : फारूक़िया बुक डिपो, दिल्ली
सन इशाअत : जनवरी 2016 ई०

Aadaab -e- Sunnat

Allamah Aalam Faqri

पता:
फारूक़िया बुक डिपो
422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली
फोन: 011-23266053, 23267199
E-mail:
farooqiabookdepot@gmail.com

Contact:
FAROOQIA BOOK DEPOT
422 Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6
Phone:011-23266053, 23267199
E-mail:
farooqiabookdepot@gmail.com

ज़रूरी इल्तेमास

क़ारेईन इकराम! हम ने अपनी बिसात के मुताबिक़ इस किताब के मतन की तसही मे पूरी कोशिश की है, फिर भी आप इस मे कोई भी गलती पाऐं तो इदारे को आगाह-ज़रूर करें ताकि वह दुरुस्त कर दी जाए। इदारा आप का बेहद शुक्र गुज़ार होगा।

फ़ेहरिस्त (विषय सूची)

सुन्नत

मुहब्बत का तक़ाज़ा यह है कि महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हर सुन्नत को मुहब्बत से अपनाया जाए। उनकी एक-एक अदा पर दिल फ़िदा किया जाये। जान कुरबान की जाये। अ़क़ीदत के फूल सुन्नत की पैरवी की सूरत में न्यौछावर किये जायें। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चलते थे, उसी तरह चला जाये जिस तरह आप सलाम कहते थे, उसी तरह सलाम कहा जाये। जिस तरह आप मुसाफ़ह करते थे, उसी तरह मुसाफ़ह किया जाये। जिस तरह आप गले मिलते थे, उसी तरह गले मिला जाये जिस तरह आप खाना तनावुल फ़रमाते थे, उसी तरह खाना खाया जाये। जिस तरह आप पीते थे, उसी तरह पिया जाये। जिस तरह आप सोते थे, उसी तरह सोया जाये। जैसा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कपड़ा पहनते थे, वैसा ही कपड़ा पहना जाये। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र में जाते और फिर वापस तशरीफ़ लाते, वैसा ही सफ़र पसन्द किया जाये और वापस आया जाये। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते, उसी तरह नमाज़ पढ़ी जाये। रुकूअ़, सुजूद, क़याम, क़अ़दा आपकी पैरवी में किया जाये। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर रात को सज्दे में रोते थे, उसी तरह रोया जाये। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों के हक़ अदा किये, उसी तरह लोगों के हुक़ूक़ अदा किये जायें। गर्ज़ ये कि ज़िन्दगी की हर चीज़ को उसी तरह अपनाना चाहिये जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनाया, इस तरह हमारा खाना-पीना, सोना, उठना-बैठना, चलना -फिरना, सफ़र करना, रोज़ी कमाना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, तेल और कंघी करना, गर्ज़ ये कि हर काम जो भी सुन्नत की पैरवी के तरीक़े पर करेंगे वह नेकी बन जायेगा। पेट हमने अपनी गर्ज़ के लिये भरा पानी अपने जिस्म की सलामती के लिये पिया, आराम अपने सुख के लिये किया।, कपड़ा अपने जिस्म को ढाँकने के लिये पहना, जूता अपने पाँव की हिफ़ाज़त के लिये इस्तेमाल किया, किसी की मेहमान नवाज़ी अपने तअ़ल्लुक़ात और दोस्ती की बुनियाद पर की मगर अल्लाह के हुज़ूर में वह नेकियाँ बन गई क्योंकि सिर्फ़ इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में कीं। इसलिये मेरे दोस्त याद रख कि जो काम भी हुज़ूर

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नक़्शे क़दम पर चलते हुए करेंगे वह अल्लाह के यहाँ क़ुबूल होगा। और रोज़े क़यामत उसका बहुत अज्र मिलेगा।

सुन्नत की पैरवी

लफ़्ज़ सुन्नत लुग़त (शब्द-कोष) के ऐतबार से सूरत, सीरत और तरीक़े के मअ़ना में इस्तेमाल होता है। मगर सुन्नत अस्ल में उस तरीक़े और उस सीरत का नाम हैं जो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा के लिये इख़्तियार किया इसलिये इस्तिलाहन यानी इल्म वालों की जुबान में सुन्नत का लफ़्ज़ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तमाम अक़वाल (फ़रमान) अफ़आ़ल (कर्म-कार्य) और तक़रीरात (वह काम जिस पर नबी ख़ामोश रहे)पर बोला जाता है। इससे मालूम हुआ कि सुन्नत तीन क़िस्म की है। पहली क़िस्म 'सुन्नत क़ौली' (कथनी)है जिसका माख़ज़ (स्रोत) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अक़वाल यानी अहादीस शरीफ़ हैं। दूसरी 'सुन्नत फ़ेअ़ली' (करनी)है जिसका माख़ज़ आपके अफ़आ़ल (काम) हैं, जो रिवायात की सूरत में है। सुन्नत की तीसरी क़िस्म 'तक़रीरी' है यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया या उस काम की ख़बर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप ने उस पर कुछ न फ़रमाया तो ऐसा काम जायज़ हो गया अगर रज़ामंदी का इज़हार फ़रमाया तो भी वह सुन्नत हो गया। सुन्नत पर अ़मल करने के सिलसिले में इताअ़त और फ़रमांबरदारी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों लफ़्ज़ों के मअ़ना में थोड़ा सा फ़र्क़ है। मगर मक़सद एक ही है। इत्तिबाअ़ का मतलब किसी के पीछे-पीछे चलना है मगर इस्तिलाहन (परिभाषिक तौर पर)फ़रमाबर्दारी के लिये इस्तेमाल होता है। चुनांचे इत्तिबाए (पैरवी)सुन्नत का ये मतलब हुआ कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अक़वाल (फ़रमान) पर इस तरह अ़मल करें जिस तरह कि इन अक़वाल का तक़ाज़ा है और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अफ़आ़ल (धर्म कार्य) को इस तरह अदा करें जिस तरह हुज़ूर ने अदा फ़रमाए हैं। अगर हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादात पर उस तरह अ़मल न करें जैसा कि उनका तक़ाज़ा है या उनके आमाल (काम)को उस तरह न करें जिस

तरह उन्होंने किया तो ये इत्तिबाए़ सुन्नत न होगी।

इताअ़ते रसूल का मतलब , रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने सर झुकाना है यानी आपके हर हुक्म की पैरवी की जाये जिस तरह पैरवी करने का हक़ है लिहाज़ा इताअ़त व इत्तिबाऐ़ रसूल एक तरह के लफ़्ज़ हैं और इन दोनों का मक़सद भी यही है कि तमाम कामों व चीज़ों में सरवरे कायनात की फ़रमाबर्दारी की जाये। यानी जिस तरह हुज़ूर नमाज़ पढ़ते थे ऐसे ही नमाज़ पढ़ी जाये, जिस तरह आप खाना खाते, उसी तरह खाना खाया जाये। जिस तरह हुज़ूर पानी पीते थे वैसे ही पानी पिया जाये। गोया कि ज़िन्दगी के हर हिस्से हर चीज़ में नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े व सुन्नत पर अ़मल किया जाये।

इन्सान अशरफुल मख़्लूक़ात है इसके कामों को शरीअ़त का पाबंद किया गया है। इसलिये मुनासिब है कि जो काम किया जाये सुन्नत के मुताबिक़ किया जाये। हज़रत शेख़ अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर जब ईमान लाना वाजिब है तो फिर आपकी इताअ़त व इत्तिबाअ़ और फ़रमांबरदारी भी ज़रूरी हो गई और अकसर इताअ़त का लफ़्ज़ फ़राइज़, वाजिबात, इबादात, और अम्र व नही पर बोला जाता है और इत्तिबाअ़ व इक़्तिदा का लफ़्ज़ सुन्नते आदाब और सीरते नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर बोला जाता है। इत्तिबाए़ सुन्नत से दीन व दुनिया की बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। दिल को सुकून मिलता है रूह में ताज़गी पैदा होती है। ईमान में मज़बूती आती है, राज़ व नियाज़ की राहें खुलती हैं, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है, दरजात में बुलंदी होती है, नेकियों में इज़ाफ़ा होता है। ज़ाते हक़ की कुरबत हासिल होती है, इत्तिबाए़ सुन्नत से इश्क़े रसूल में भी इज़ाफ़ा होता है। इसलिये मालूम हुआ कि इत्तिबाअ़ व पैरवी में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिहाज़ा हर शख़्स को दिल व जान से इत्तिबाए़ रसूल की कोशिश में रहना चाहिये।

याद रहे कि इत्तिबाअ़ व फ़रमांबरदारी तीन तरह यानी ख़ौफ़ ,लालच , और मुहब्बत की वजह से की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इताअ़त किसी शख़्स या किसी हुकूमत या किसी माली व जानी नुक़सान के डर से की जाती है तो वह इताअ़त नहीं होती बल्कि मुनाफ़िक़त

(कपटाचार)होती है। ऐसे ही वह इताअ़त जो किसी माली फ़ायदे या दुनियावी बेहतरी के लालच में की जाती है वह इताअ़त भी इताअ़त की अस्ल रूह से ख़ाली है क्योंकि इताअ़त की अस्ल रूह़ तो मुहब्बत है और मुहब्बत से जो काम किया जाता है अल्लाह उसे क़ुबूल करता है। मुहब्बत की इताअ़त में सिर्फ़ ख़ुदा की रज़ा पेशे नज़र होती है। इसलिये इसका बहुत बुलन्द दर्जा है इसलिये इत्तिबाए़ सुन्नत में हमेशा मुहब्बत को सामने रखना चाहिये।

विलायत और इत्तिबाए़ सुन्नत दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं क्योंकि हर वली को सुन्नते रसूल पर अ़मल पैरा होकर ही विलायत मिलती है। हज़रत जुनैद बग़दादी ने फ़रमाया है कि इल्मे तसव्वुफ़ का सुन्नते रसूल से गहरा तअ़ल्लुक़ है। ऐसे ही अबू उ़समान सईद बिन उ़समान-अल ह़ीरी ने फ़रमाया कि जिसने सुन्नते रसूल को अपने ऊपर क़ौलन-फ़ेअ़लन (बोलने व करने में)जारी कर लिया तो उसकी ज़बान से ह़िकमत (अ़क़्लमंदी)की बात निकली और जिसने अपने ऊपर ख़्वाहिशाते नफ़्स को कहने और करने में ह़ाकिम बना लिया तो उसकी ज़ुबान से बिदअ़त की बात निकली।

अबू यज़ीद बुसतामी का कहना है कि एक बार उन्होंने मूसा बिन ईसा और तैफ़ूर बुसतामी से कहा कि हमारे साथ चलो कि उस ज़ाहिद बुज़ुर्ग से मुलाक़ात करें जो खुद को वली कहलवाता है। ये ज़ाहिद अपनी रियाज़त व इबादत की वजह से बड़ा मशहूर था और तैफ़ूर ने आपको इसका नाम व नसब सब कुछ बता दिया था। मूसा बिन ईसा कहते हैं कि हम उससे मिलने गए तो वह ज़ाहिद घर से निकल कर मस्जिद की तरफ़ जा रहा था और जब मस्जिद में दाख़िल हुआ तो क़िब्ले की जानिब थूक दिया ये देखकर हज़रत अबू यज़ीद बुसतामी ने कहा आओ वापस चलें क्योंकि जिस शख़्स का सुन्नत व आदाबे रसूल पर अ़मल नहीं वह अल्लाह का वली कैसे बन सकता है।

ज़ुन्नून मिस्री से पूछा गया कि आप ने अल्लाह को कैसे पहचाना? जवाब दिया कि मैं ने अल्लाह को अल्लाह ही के ज़रिये पहचाना और अल्लाह के सिवा तमाम बाक़ी चीज़ों को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़रिये पहचाना।

इत्तिबाए सुन्नत से अल्लाह के वली अपनी विलायत की हिफ़ाज़त करते हैं क्योंकि यही वह कसौटी है जिससे वलीयुल्लाह पहचाना जाता है।

सहाबए किराम, उम्मत के इमाम और बुज़ुर्गाने दीन ने क़ुरआन के साथ सुन्नत की पैरवी को अपने लिये ज़रूरी समझा। सुन्नत से लापरवाही और सुन्नत का इन्कार उस तरीक़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एहले ईमान को छोड़ गये थे। सहाबए किराम का तरीक़ा यह था कि उन्हें हर मौक़े पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की तलाश रहती थी। जलीलुलक़द्र सहाबा ने जिस मज़बूती के साथ इत्तिबाए सुन्नत पर अ़मल किया उसके चन्द वाक़ेआ़त हस्ब ज़ैल हैं-

इत्तिबाए (पैरवीए) सुन्नत और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त होने का मर्तबा हासिल है आपने ज़िन्दगी के अक्सर दिन व रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सोहबत में गुज़ारे गर्ज़ेकि सफ़र व घर, महफ़िल व तन्हाई, जंग व समझौता और बहुत से अहम वाक़ेआ़त में आप हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रहे। किताब व सुन्नत के तमाम हुक्मों का जारी होना आपके सामने हुआ आप पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हर पहलू उज्जवल दिन की तरह रौशन था इसलिये आप ने अपनी ज़िन्दगी के हर पहलू को सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम में रंग लिया था। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इबादत की आप ने भी उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इत्तिबाअ़ में हर वह इबादत की जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया। तक़रीबन सोने बैठने, खाने-पीने, चलने-फिरने, कलाम करने में, गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की छोटी से छोटी सुन्नत पर भी अ़मल किया।

(1) एक बार आपके एक गुलाम ने खाने की कोई चीज़ लाकर पेश की आप ने उसे खा लिया खाने के बाद आपके ज़हन में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं इससे पूछूँ कि तुम ये चीज़ कहाँ से लाए थे? आख़िर आप ने

गुलाम से सवाल किया कि तुम्हें ये खाने की चीज़ कहाँ से हासिल हुई? उसने कहा कि मैंने ज़मान-ए-जाहिलियत में एक शख़्स की फ़ाल खोली थी लेकिन मैं फ़ाल खोलना नहीं जानता था और आज उससे मुलाक़ात हुई तो उसने उसके बदले में मुझे ये चीज़ दे दी। हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने मुँह में उँगली डालकर जो कुछ खाया था सब कुछ उगल दिया और फ़रमाया कि जिस हराम चीज़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया वो अबू बक्र के पेट में नहीं जा सकती क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी हर अ़मल (काम) में मेरे लिये ज़रूरी है।

(2) हज़रत राफ़ेअ़ त्वाई का बयान है कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िद्मत में अ़र्ज़ की कि आप मुझे कोई नसीहत फ़रमाएँ, तो फ़रमाया: कि ख़ुदा तुम पर रहमत और बरकत नाज़िल फ़रमाए, नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, हज करो, यहाँ तक कि हुज़ुर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अ़मल करो।

(3) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इन्तिक़ाल के बाद मुसलमानों के पहले हाकिम व सरदार बने। तो उन्होंने अपने पहले ही ख़ुत्बे में (धर्म प्रवचन) फ़रमाया था: **"अतीऊ़नी मा अतअ़तुल्ला ह व रसूलहू फ़ इन अ़सैतुल्ला ह व रसूलहू फ़ला ता अ़ त ली अ़लैकुम"** "मेरी पैरवी करो जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नाफ़रमानी करूँ तो मेरी कोई पैरवी तुम पर नहीं।"

(4) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह मअ़मूल था कि जब आपके सामने कोई मामला पेश आता तो वो पहले उसका हुक्म किताबुल्लाह क़ुरान और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ही में तलाश करते थे। किसी मामले में वो इज्तेहाद यानी अ़क़्ल से उसी वक़्त काम लेते जब किताबुल्लाह क़ुरान और सुन्नते रसूल में कोई हुक्म न पाते।

एक औरत अपने पोते की मीरास का मुतालबा करती है जिसकी माँ मर चुकी थी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि किताबुल्लाह में कोई हुक्म नहीं जिसकी रोशनी से तुझे हक़ पहुँचता हो और

सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रोशनी में तेरा हक़ कोई मुझे मालूम नहीं। इसलिये (इस वक़्त) वापस जा ताकि मैं लोगों से पूछ सकूँ, उसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा और मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने खड़े होकर गवाही दी कि उनकी मौजूदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दादी को छठा (यानी माँ वाला हिस्सा) दिलवाया है। उसके बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में उस औ़रत को छठा हिस्सा दिलवाया। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने इन्तिक़ाल से सिर्फ़ चन्द घण्टे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुबारक कफ़न में कितने कपड़े थे और आपका इन्तिकाल किस दिन हुआ? इस सवाल की वजह यह थी कि आपकी यह दिली तमन्ना थी कि ज़िन्दगी के हर पल में तो मैंने अपने तमाम मामलात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की पूरे तौर पर पैरवी की है, इन्तिक़ाल के बाद और इन्तिक़ाल के दिन भी मुझे आपकी पैरवी नसीब हो जाये। (बुख़ारी)

इत्तिबाए सुन्नत और हज़रत उ़मर फ़ारूक़

हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के कामों और मामलात का सबसे रौशन सफ़हा पैरवी-ए-सुन्नत था। वो खाने-पीने, पहनने, उठने-बैठने और रहन-सहन यहाँ तक कि हर चीज़ में प्यारे रसूल की सुन्नत और तरीक़े को पेशे नज़र रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़िन्दगी हमेशा फ़क्र व फ़ाक़े से गुज़ारी थी इसलिये हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रूम व ईरान की बादशाहत मिलने के बाद भी फ़क्र (ग़रीबी) व फ़ाक़ा की ज़िन्दगी का साथ न छोड़ा। एक बार हज़रत हफ़स्वा ने कहा कि अब ख़ुदा ने ख़ुशहाली अ़ता फ़रमाई है इसलिये आपको नर्म लिबास और अच्छी गिज़ा से परहेज़ न करना चाहिये। हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा लख़्ते जिगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सख़्ती और तंगहाली को भूल गयीं ख़ुदा की क़सम मैं अपने आक़ा के नक़्शे क़दम पर चलूँगा कि आख़िरत की

कामयाबी और ख़ुशहाली नसीब हो। इसके बाद देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तंगी व ग़रीबी का ज़िक्र करते रहे यहाँ तक कि हज़रत हफ़स्वा बेताब होकर रोने लगीं।

एक बार यज़ीद बिन अबी सूफ़ियान के साथ खाने में शामिल हुए थोड़ा खाने के बाद दस्तरख़्वान पर जब लज़ीज़ उम्दा खाने लाये गए तो हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हाथ खींच लिया और कहा: क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए क़ुदरत में उ़मर की जान है अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े से हट जाओगे तो ख़ुदा तुमको सीधे रास्ते से अलग कर देगा।

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर का बयान है कि मैंने हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को देखा कि वो हज्रे असवद को बोसा देते थे और फ़रमाते थे: कि अगर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं हरगिज़ बोसा न देता।

मजूस (आग के पुजारी) का मुल्क इस्लामी क़ब्ज़े में शामिल हुआ तो हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सोचा कि मजूस से जिज़िया (टेक्स) लिया जाये या न लिया जाये। क़ुरआन मजीद में सिर्फ़ एहले किताब से जिज़िया (टेक्स) लेने का ज़िक्र है और क़ुरआन की ज़बान में एहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई हैं। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन ओ़फ़ ने इस बात की गवाही दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्र में मजूस से जिज़्या लिया है इस गवाही के बाद हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को उनसे जिज़्या लेने में कोई ख़तरा नहीं हुआ।

हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़ाज़ी शुरैह के नाम अपने एक ख़त में लिखा था कि अगर कोई मामला ऐसा सामने आए जिसके बारे में अल्लाह की किताब में कोई हुक्म न हो तो उसका फ़ैसला उस हुक्म के मुताबिक़ करें जो उन्हें उसके बारे में सुन्नते रसूल में मिलता हो और अगर कोई ऐसा मामला हो कि उसमें किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल दोनों ख़ामोश हैं तो फिर वो उस क़ानून की पैरवी करें जिस पर इजमाअ़ (बुज़ुर्गाने दीन का इत्तेफ़ाक़) हो चुका हो। और अगर उसके बारे में कोई इजमाई (सामूहिक) फ़ैसला भी न हुआ हो तो फिर इज्तिहाद (अ़क़्ल) से काम लेने का हक़ है या फिर इन्तिज़ार करें कि इस मामले में कोई इज्तिमाई

फ़ैसला हो जाए हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उनहें यह भी लिखा कि मेरे नज़दीक इन्तिज़ार करना ज़्यादा बेहतर है।

उनकी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जो काम जिस तरह करते देखा उसी तरह वो भी अ़मल पैरा हों एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुल हुलैफ़ा में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी थी हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब उस तरफ़ से गुज़रते तो उस जगह दो रकअ़त नमाज़ अदा कर लेते थे। एक शख़्स ने पूछा यह नमाज़ कैसी है? आपने फ़रमाया 'मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यहाँ नमाज़ पढ़ते देखा था' यह कोशिश सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद (सीमित)न थी बल्कि वो चाहते थे कि हर शख़्स का दिल पैरवी-ए-सुन्नत के जज़्बे से आबाद हो जाए। एक बार वो जुमे का ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक शख़्स मस्जिद में आया हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ठीक ख़ुत्बे की हालत में उसकी तरफ़ देखा और कहा आने का यह क्या वक़्त है? उन्होंने कहा : कि बाज़ार से आ रहा था कि अज़ान सुनी वुज़ू करके फ़ौरन हाज़िर हुआ। हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया: वुज़ू पर क्यों बस किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (जुमे को ग़ुस्ल का हुक्म दिया करते थे।)

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत है कि हज़रत उ़मर इब्ने ख़त्ताब (किसी सफ़र से) मदीना शरीफ़ तशरीफ़ लाए तो खड़े होकर ख़ुत्बा दिया। अल्लाह की तअ़रीफ़ और उसकी ह़म्द के बाद फ़रमाया ऐ लोगो! तुम्हारे लिये फ़र्ज़ मुक़र्रर कर दिये गये हैं और तुम एक खुले रास्ते पर छोड़ दिये गये हो ख़बरदार लोगों को इस रास्ते से दाएँ और बाएँ न भटकाना।

इत्तिबाए सुन्नत और हज़रत उ़समान

हज़रत उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने किरदार और सीरत के ऐतबार से बे मिस्ल ख़ूबियों के मालिक थे आपकी रग-रग में इश्क़े मुस्तफ़ा और पैरवी-ए-सुन्नत का जज़्बा मौजें मार रहा था। आप पैदाइशी ईमानदार और हक़ बोलने वाले थे। अल्लाह तआ़ला ने उन्हें बे पनाह कमालात अ़ता फ़रमाए। सबसे बड़ी ख़ूबी ये थी कि आप हर वक़्त ख़ौफ़े इलाही से डरते रहते थे कि कहीं कोई अ़मल व काम अल्लाह तआ़ला की

रज़ा के ख़िलाफ़ न हो जाये। आप अकसर ख़ौफ़े ख़ुदा के तहत रोते मौत,क़ब्र, और आख़िरत का ख़्याल हमेशा दामनगीर रहता और तसव्वुरे आख़िरत में अकसर वक़्त आप की आँखों से बे इख़्तियार आँसू निकल आते। आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़ाते आ़ली और आपके हर काम से बेपनाह मुहब्बत थी आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एहतेराम व अदब इस हद तक पसन्द था कि जिस हाथ से आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैअ़त की थी उसे नापाकी से क़रीब न होने दिया।

जनाब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से इस मुहब्बत व प्यार का लाज़िमी नतीजा यह था कि अपने हर बात व काम यहाँ तक कि हर चीज़ और इत्तिफ़ाक़ी बातों में भी महबूब आक़ा की पैरवी को पेशे नज़र रखते थे। एक बार वुज़ू करके मुस्कुराए लोगों ने इस बे मौक़े मुस्कुराने की वजह पूछी, फ़रमाया मैंने एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी तरह वुज़ू करके हँसते हुए देखा था।

एक बार सामने से जनाज़ा गुज़रा तो खड़े हो गये और फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। एक बार मस्जिद के दूसरे दरवाज़े पर बैठ कर बकरी का पट्ठा मंगवाया और खाया और बिना ताज़ा वुज़ू किये हुए नमाज़ को खड़े हो गये फिर फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी इसी जगह बैठ कर खाया था और इसी तरह किया था।

हज के मौक़े पर आप और एक सहाबी तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ में उन्होंने रुकने यमानी का भी बोसा लिया। हज़रत उ़समान ग़नी ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ कर उसका इस्तिलाम (हाथ या मुँह से हजरे असवद चूमना) कराना चाहा। हज़रत उ़समान ग़नी ने कहा ये क्या करते हो? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ नहीं किया? उन्होंने कहा हां , क्या तुमने आपको इसका इस्तिलाम करते देखा है? उसने जवाब दिया नहीं, फ़रमाया फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी मुनासिब नहीं? उन्होंने जवाब दिया बेशक।

हज़रत उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने तमाम उ़म्र हुज़ूर सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम की छोटी से छोटी सुन्नत पर भी अ़मल किया और दूसरों को भी हमेशा पैरवी-ए-सुन्नत की दावत दी क्योंकि हर मुसलमान के नज़दीक निजात व कामयाबी का तन्हा ज़रिया पैरवी-ए-सुन्नत ही है। आप जब ख़लीफ़ा (मुसलमानों के हाकिम)बने तो लोगों से बैअ़त (वादा)लेने के बाद आपने ऐलान किया कि जब तक मैं किताबुल्लाह और सुन्नते मुस्तफ़ा पर चलता रहूँ तो उस वक़्त तक मेरी पैरवी करना। अगर पैरवी-ए-सुन्नत की राह से ज़रा भी हटूँ तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की राह बता देना।

हज़रत उ़तबा से मरवी है कि उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जब लोगों से बैअ़त ले ली तो फिर खुत्बा (मज़हबी पैग़ाम) दिया और फ़रमाया: 'अम्मा बअ़द' बेशक मैंने ये बोझ उठा लिया और कुबूल कर लिया और बेशक मैं पैरवी करने वाला हूँ और नई बात पैदा करने वाला नहीं। सुन लो! तुम्हारे लिये मेरे ऊपर अल्लाह पाक की किताब के बाद और नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद तीन बातें हैं।

1. उन लोगों की पैरवी करना जो मुझसे पहले थे उन बातों में जिन पर तुम्हारा इत्तिफ़ाक़ हो गया और तुमने एक तरीक़ा जारी कर दिया है।

2. और उस जमाअ़त में से एहले ख़ैर (नेक लोगों)के उस तरीक़े पर अ़मल करना है जिसके लिये कोई तरीक़ा तुम ने मुक़र्रर नहीं किया।

3. और तुमसे मेरे लिये रुकना है मगर उस मामले में जिसको तुम वाजिब कर लो।

और बेशक दुनिया ख़ुशहाल है, लोगों की तरफ़ माइल है और बहुत से लोग दुनिया की तरफ़ माइल हुए हैं, तुम दुनिया की तरफ़ माइल न होना न उस पर भरोसा करना, ये भरोसे की चीज़ नहीं और तुम्हें मालूम होना चाहिये कि दुनिया छोड़ने वाली नहीं मगर ये कि कोई खुद से उसे छोड़ दे।

इत्तिबाए सुन्नत और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु

हज़रत अ़ली इश्क़े रसूल और पैरवी-ए-सुन्नत में बेमिसाल थे आप सब्र व क़नाअ़त (खुदा पर भरोसा), जुहद व तक़वा व परहेज़गारी, इबादत व रियाज़त में बे मिस्ल व लाजवाब थे। आपकी दरियादिली और

बहादुरी मशहूर ज़माना है। आपने सायए नुबुव्वत में तरबियत पाई। छोटी उम्र में इस्लाम कुबूल करके कुफ़्फ़ार और मुशरिकीन की बे पनाह मुख़ालेफ़त बरदाश्त की। इस्लाम की तरक़्क़ी के इब्तिदाई दौर में मुसलमानों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में हर क़िस्म की मुश्किलात बरदाश्त कीं। बे पनाह मुसीबतें और दु:ख उठाए, गर्ज़ ये कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु बचपन से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के विसाल तक आपकी सरपरस्ती ही में रहे। इसके अ़लावा आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दामादी का भी शर्फ़ हासिल हुआ। इस्लाम के तमाम अह्कामात की तकमील आपकी ज़िन्दगी ही में हुई। आफ़ताबे रिसालत की गोद में दिन रात बसर करने की वजह से आप पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़िन्दगी का हर गोशा बिल्कुल ज़ाहिर था। हुज़ूर के तमाम मअ़मूलात व काम आपके सामने ही थे इसलिये आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से वह फ़ैज़ हासिल हुआ कि आप सुन्नते रसूल का चलता फिरता नमूना हैं। आपका खाना-पीना, सोना , उठना-बैठना, ज़रीअ़ए रिज़्क़, घरेलु ज़िन्दगी, रियाज़त व इ़बादत, सब्र व ज़ब्त, शुक्र व एहसान, ग़र्ज़ यह कि ज़िन्दगी का हर काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नक़्शे क़दम पर ही था। यहाँ तक कि आपकी सीरते तैय्यबा से ये बात रौशन दिन की तरह ज़ाहिर होती है कि आपने ज़िन्दगी के हर पल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हर सुन्नत की पैरवी की और दूसरों को पैरवी-ए-सुन्नत का सबक़ दिया।

अ़ब्दुल्लाह बिन अबू राफ़ेअ़ का बयान है कि ईद के दिन मैं आप की ख़िदमते बरकत में हाज़िर हुआ। आप ने मेरे सामने एक चमड़े का थैला रख दिया। मैंने उसको खोला तो उसमें जौ की रोटियाँ थीं बस आप उसे खाने लगे हज़रत अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि ऐ अमीरुलमोमिनीन! ईद के दिन जौ की रोटियाँ ?तो इस पर हज़रत अ़ली ने फ़रमाया: जौ की रोटी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पसन्द फ़रमाया तो मैं उसे क्यों न पसन्द करूँ।

अगर किसी को पैरवी-ए-सुन्नत के सिलसिले में कोई मसअला या दिक़्क़त पेश आती तो वह भी आपसे दरयाफ़्त करता। एक बार हज के मौक़े पर हज़रत उ़समान के सामने किसी ने शिकार का गोश्त पकाकर पेश

किया, लोगों ने एहराम की हालत में इस के खाने के जाइज़ और नाजाइज़ होने में इख़्तिलाफ़ किया। हज़रत उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हु इसके जायज़ होने के क़ाइल थे इसलिये उन्होंने कहा कि हालते एहराम में ख़ुद शिकार करके खाना मना है। लेकिन जब किसी दूसरे ग़ैर एहराम वाले ने शिकार किया हो तो उसके खाने में कुछ हरज नहीं। दूसरों ने इससे इख़्तिलाफ़ किया कि ऐसा करना सुन्नत नहीं। चुनान्चे हज़रत उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिन लोगों को ये वाक़ेआ़ याद हो वह गवाही दें कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जबकि आप एहराम की हालत में थे तो एक गोरखा का शिकार करके उसका गोश्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में पेश किया गया तो इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि हम लोग तो एहराम की हालत में हैं ये उनको खिला दो जो हालते एहराम में नहीं हैं। हाज़िरीन में से 12 आदमियों ने इस वाक़ेए की गवाही दी तो इस पर हालते एहराम में शिकार के गोश्त को न खाया गया।

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु जिस तरह ख़ुद सुन्नत पर अ़मल करते थे उसी तरह आपने दूसरों को सुन्नत की पैरवी करने का सबक़ दिया। आप जब ख़लीफ़ा (मुसलमानों के हाकिम)बने तो आप ने जब क़ैस बिन सअ़द को मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा तो उसे ताकीद फ़रमाई कि मेरा ये पैग़ाम एहले मिस्र के जलसे में पढ़कर सुना देना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमेशा अ़मल करना और जब तक तुम किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामे रहोगे तो अल्लाह तुम्हारा मददगार रहेगा। और जैसे ही पैरवी-ए-सुन्नत से मुँह मोड़ोगे तो ज़िल्लत की घाटियों में गिर जाओगे।

हक़ीक़त तो ये है कि जिस तरह रिसालत व नुबुव्वत पर ईमान के बग़ैर सिर्फ़ तौहीद यानी एक ख़ुदा को तसलीम कर लेने से ईमान हासिल नहीं होता इसी तरह पैरवी-ए-सुन्नत के बग़ैर सिर्फ़ क़ुरआन पाक से रहनुमाई हासिल नहीं हो सकती।

एक मौक़े पर हज़रत अ़ली ने फ़रमाया ये ख़ैर नहीं कि तेरा माल और औलाद ज़्यादा हो जाये लेकिन ख़ैर की बात ये है कि तेरा इल्म ज़्यादा हो और तेरी बुर्दबारी (सब्र)ज़्यादा हो। और लोग तेरे ऊपर अल्लाह की इबादत करने से फ़ख़्र करें फिर अगर तूने इबादत अच्छी तरह की हो तो

अल्लाह की तारीफ़ कर और तूने कुछ कमी की हो तो इस्तिग़फ़ार यानी तौबा कर और दुनिया में सिवाए दो आदमियों के और किसी के लिये भलाई नहीं। एक वह आदमी जिसने कोई गुनाह किया और उसके बाद तौबा करके उसका ख़ात्मा कर लिया। या वह आदमी है जो भलाइयों की तरफ़ पहल करता है और परहेज़गारी के साथ कोई अ़मल थोड़ा नहीं और वह चीज़ कैसे छोटी हो सकती है जो क़ुबूल की जाये।

उ़क़बा बिन अबू सहबा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब इब्ने मुल्जिम ने हज़रत अ़ली को ज़ख़्मी किया तो आपके पास हज़रत ह़सन रोते हुए आए । हज़रत अ़ली ने पूछा ऐ मेरे बेटे! तुझे किस चीज़ ने रुलाया? हज़रत ह़सन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया मुझे क्या हुआ कि मैं न रोऊँ हालांकि आप आख़िरत के पहले दिन में और दुनिया के आख़िरी दिन में हैं तो हज़रत अ़ली ने फ़रमाया ऐ मेरे बेटे! चार बातों को याद कर ले और ये चार और हैं जो तुझे नुक़सान न पहुँचायेंगी जब तक कि तू इन पर अ़मल करता रहेगा। हज़रत ह़सन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने दरयाफ़्त किया ऐ अब्बा जान! वह क्या हैं? हज़रत अ़ली ने फ़रमाया तमाम दौलत में से ज़्यादा बे परवाह करने वाली दौलत अ़क़्ल है। और सबमें बड़ी मुह़ताजी ह़िमाक़त व बेवक़ूफ़ी है और सबसे ज़्यादा वहशत व नफ़रत की चीज़ ख़ुदबीनी तकब्बुर है और सबसे बड़े करम की चीज़ अच्छे अख़्लाक़ हैं।

हज़रत हसन कहते हैं मैंने कहा अब्बा जान! ये चार हुई वह दूसरी चार भी बता दीजिये हज़रत अ़ली ने फ़रमाया! अपने आप को अह़मक़ व नादान की दोस्ती से बचाना। वह तेरे साथ फ़ायदे का इरादा करेगा और तुझे नुक़सान पहुँचा देगा। और तू अपने आप को झूठों की दोस्ती से बचाना। झूठा ग़ैर लोगों को तुझसे क़रीब कर देगा और क़रीब लोगों को तुझसे दूर कर देगा। और अपने आप को कन्जूस की दोस्ती से बचाना इसलिये कि कन्जूस तुझसे उस चीज़ को दूर करेगा जिसका तू ज़्यादा मुह़ताज है। और अपने आप को फ़ासिक़ व फ़ाजिर की सोह़बत व दोस्ती से बचाना इसलिये कि वह तुझे मामूली चीज़ के बदले बेच खाएगा।

मुख़्तसर यह कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ज़िन्दगी के हर पहलू से पैरवी व इत्तिबाए सुन्नत की रौशन मिसालें बिखरती हैं।

दीगर सहाब-ए किराम और इत्तिबाए़ सुन्नत

एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का गुज़र एक ऐसी क़ौम पर हुआ जिसके सामने खाने के लिये भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिये बुलाया तो आपने ये कह कर खाने से इन्कार कर दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और कभी जौ की रोटी पेट भर कर न खाई। मैं भला इन लज़ीज़ और उ़म्दा खानों को खाना क्यों कर गवारा कर सकता हूँ। (मिश्कात)

बयान है कि हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान का परनाला बारिश में आने जाने वाले नमाज़ियों के ऊपर गिरा करता था। अमीरुलमोमिनीन हज़रत फ़ारूके आ़ज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया। हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके पास आए और कहा ख़ुदा की क़सम! इस परनाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर अपने मुक़द्दस हाथों से लगाया था। यह सुनकर अमीरुलमोमिनीन ने फ़रमाया कि ऐ अ़ब्बास! इसका इ़ल्म न था अब मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप मेरी गर्दन पर सवार होकर उस परनाले को उसी जगह लगा दीजिये चुनान्चे ऐसा ही किया गया (वफ़ा उल वफ़ा)

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से पूछा गया कि एक शख़्स ने ये नज़र व मन्नत की है कि वो हमेशा रोज़ा रखेगा, इत्तिफ़ाक़ से उसके बाद ही ईद क़ुरबाँ या ईद रमज़ान आ गई क्या वो इन दिनों में भी रोज़ा रखे? उन्होंने फ़रमाया नहीं, और ये आयत तिलावत की:

"लक़द का न लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह" यानी:- बेशक रसूले पाक की ज़िन्दगी तुम्हारी ज़िन्दगी के लिये नमूना है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ईद क़ुरबाँ या ईद रमज़ाँ में न ख़ुद रोज़ा रखते थे न रोज़ा रखना पसन्द फ़रमाते थे।(बुख़ारी)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द जुमेअ़रात के दिन खड़े होते और फ़रमाते वो दो बातें हैं आ़दत और कलाम फिर अफ़ज़ल या यूँ कहा ज़्यादा सच्चा कलाम, कलामुल्लाह यानी क़ुरआन है। और अच्छी आ़दत, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत है और तमाम कामों से

बदतर उनमें से बिदअतें हैं। सनु लो! और हर नया तरीक़ा बुरी आदत है। सुन लो! तुम्हें दीन के आने की मुद्दत लम्बी न दिखाई दे इसलिये कि तुम्हारे दिल सख़्त (कठोर) हो जायेंगे। तुम्हें उम्मीदें खेल में न डालें इसलिये कि जो चीज़ आने वाली है क़रीब है। और सुन लो! जो चीज़ न आने वाली है वो क़रीब है।

एक बार का वाक़ेआ है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा मस्जिदे नबवी में मुअ़तकिफ़ (ऐतिकाफ़ की हालत में) थे कि उनके पास एक आदमी ने आकर सलाम कहा और बैठ गया हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा कैसे आये? तुम्हारे चेहरे पर ग़म के असरात हैं बताओ क्या बात है? उसने कहा जी हाँ! मुझ पर फलां आदमी का कुछ कर्ज़ा है फिर उसने रसूले पाक के रौज़े की तरफ़ इशारा करके कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़सम है कि मैं इसकी अदायगी की ताक़त नहीं रखता हूँ। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिये कुछ करूँ? उसने कहा हां! हज़रते इब्ने अ़ब्बास ने जूते पहने और मस्जिदे नबवी से बाहर निकल पड़े। इस आदमी ने कहा कि क्या आप भूल गये हैं कि आप ऐतिकाफ़ में हैं? हज़रते इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया कि नहीं, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की मदद के लिये चल पड़े और उसका दुख: दूर करने की कोशिश करे उसके लिये ये बात दस साल के नफ़्ली ऐतिकाफ़ से बेहतर है। हुज़ूर की सुन्नत पर अ़मल करने की ग़र्ज़ से मैं आपके साथ चल पड़ा क्यों कि हुज़ूर बज़ाते ख़ुद मुसलमानों की मदद के लिये हर वक़्त तैयार रहते थे इसलिये आज मैं भी हुज़ूर की इस सुन्नत की पैरवी में आपके साथ मस्जिद से निकल आया आख़िरकार हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने इस शख़्स की मदद फ़रमाई और इस क़र्ज़दार के क़र्ज़ा उतरने की तदबीर (सूरत) पैदा हुई। (तिबरानी)

हज़रब उबई इब्ने कअ़ब ने फ़रमाया तुम हुज़ूर की सुन्नत और रास्ते को पकड़ लो इसलिये कि बात ये है कि जो बंदा रूए ज़मीन पर आपके रास्ते और सुन्नत पर है और वो अल्लाह का ज़िक्र करे और अल्लाह के डर से उसकी आँखों से आँसू बह जायें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह उसे सज़ा दे। और जो बंदा रूए ज़मीन पर आपके रास्ते और

सुन्नत पर है और वो अल्लाह का ज़िक्र अपने दिल में करे और उसके बदन के रोंगटे अल्लाह के डर से खड़े हो जायें उसके लिये भी उसी जैसा सवाब है। उसकी मिसाल सूखे पेड़ जैसी है जिसके पत्ते सूख गये हों। फिर ये पेड़ भी उस मोमिन की तरह है जब उसे तेज़ हवा लगती है तो उससे उसके पत्ते झड़ते हैं इसी तरह अल्लाह तआ़ला मौमिन की ख़ताओं व गुनाहों को माफ़ करेगा जैसा कि इस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और अल्लाह के रास्ते और सुन्नत में बीच का रास्ता बेहतर है। अल्लाह के रास्ते और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोशिश करने से। तो तुम ग़ौर कर लो कि तुम्हारा अ़मल अगर इन्तिहाई कोशिश के साथ हो रहा है या दरमियानी तरीक़े पर तो अंबिया-ए किराम और उनकी सुन्नतों के मुताबिक़ होना चाहिये।

एक शख़्स ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास के पास आकर अ़र्ज़ की कि आप फ़रमाइये कि लोगों को जो ये किशमिश का नबीज़ (जूस)आप पिलाते हैं, क्या ये सुन्नत है जिसकी पैरवी करते हो या दूध और शहद की ब निसबत इसको अपने लिये आसान समझते हो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने जवाब दिया कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे वालिद गिरामी के पास तशरीफ़ लाये और आपने आकर पानी तलब किया तो मेरे वालिद हज़रत अ़ब्बास ने नबीज़ के चन्द प्याले मंगवाए और उनमें से एक प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में पेश किया आपने वह पी लिया और इसके बाद फ़रमाया कि तुम ने ये बहुत अच्छा किया इसी तरह किया करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया कि हम लोगों को ये बात पसन्द नहीं कि हमारे लिये शहद और दूध की सबील (प्याऊ)लगाई जाये जो हमारे मुक़ाबले में हो। हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ये कहने की कि इसी तरह किया करो, की पैरवी में सबील (प्याऊ)जारी रखेंगे।

अनस बिन सीरीन का क़ौल है कि एक बार मैं हज़रत इब्ने उ़मर के साथ अ़रफ़ात में था जब वहाँ से चलने का वक़्त आया तो मैं भी उनके साथ ही चल दिया। वह इमाम साहब के क़रीब आए और उनके साथ ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ पढ़ी उसके बाद ठहरे रहे। मैं और मेरे साथी भी उनके साथ ही रहे। जब इमाम साहब वहाँ से चल दिये तो हम भी उनके साथ ही चल पड़े यहाँ तक कि हम सब एक तंग रास्ते पर पहुँचे जो दो पहाड़ों के बीच था। हज़रत इब्ने उ़मर ने अपना ऊँट वहाँ बैठाया और हमने भी अपना ऊँट

बैठा दिया। हमारा ख़्याल था कि इब्ने उ़मर नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहे हैं मगर उनके ग़ुलाम ने जो इनकी ऊँटनी को पकड़े हुए था बताया कि आप नमाज़ का इरादा नहीं कर रहे हैं बल्कि बात ये है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब इस मक़ाम पर पहुँचे तो आपने यहाँ क़ज़ाए ह़ाजत (पाख़ाना-पेशाब) की थी इसलिये इन्हें भी ये बात पसन्द है कि यहाँ क़ज़ाए ह़ाजत करें। (तरग़ीब)

बज़ाज़ की एक रिवायत में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर जब मदीने से मक्का शरीफ़ जाते तो रास्ते में एक दरख़्त (पेड़) के नीचे थोड़ी देर ठहरते और उसके नीचे क़ैलूला (दोपहर में आराम) फ़रमाते। एक मर्तबा साथियों ने दरयाफ़्त किया कि आप यहाँ ही ठहरते हैं? तो इस पर आपने फ़रमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आपने यहाँ आराम फ़रमाया था इसलिये मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर अ़मल करने के लिये यहाँ क़ैलूला करता हूँ।

मुजाहिद की रिवायत में है कि हम इब्ने उ़मर के साथ किसी सफ़र में थे जब वो एक मक़ाम से गुज़रे तो वहाँ से ज़रा सा हटा गए, हज़रत इब्ने उ़मर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक मर्तबा ऐसे ही करते देखा था लिहाज़ा मैंने आपकी सुन्नत को पूरा करने के लिये ऐसा किया है।

(तरग़ीब)

हज़रत नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उ़मर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेहद पैरवी करते थे। जिस मुक़ाम पर आप ने नमाज़ पढ़ी होती वहीं नमाज़ पढ़ते यहाँ तक कि हुज़ूर एक पेड़ के नीचे तशरीफ़ फ़रमा हुए थे तो इब्ने उ़मर उस पेड़ की बड़ी ह़िफ़ाज़त किया करते थे और उसे पानी दिया करते थे कि वह ख़ुश्क न हो जाये।

(कन्ज़ुल उम्माल)

बुज़ुर्गाने दीन और इत्तिबा-ए-सुन्नत

सह़ाब-ए किराम के बाद दूसरे बुज़ुर्गाने दीन और अइम्म-ए-दीन ने भी सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दीन में वही मक़ाम दिया है जो सह़ाब-ए किराम ने दिया था।

1. हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़:- हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ एक शख़्स को अपने ख़त में लिखते हैं :

(मैं तुझको वसीयत करता हूँ अल्लाह का डर रखने की और उसके हुक्म पर चलने और उसके नबी की सुन्नत की पैरवी की और जो बातें एहले बिदअ़त ने निकाली हैं उन्हें दूर करने की। एहले बिदअ़त ने ये बातें उस वक़्त निकाली हैं जब कि सुन्नत का चलन अ़मल में आ चुका था। ये लोग सुन्नत को पीछे डाल कर उसकी पैरवी से लापरवाह हो गये। तुझ पर सुन्नत की पैरवी लाज़िम है क्योंकि यही चीज़ तुझे बहुक्मे ख़ुदा गुमराहों से बचाने वाली है।) (अबू दाऊद)

हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के इन अल्फ़ाज़ से साफ़ ज़ाहिर है कि इनके नज़दीक मोमिन के लिये सुन्नत की पैरवी लाज़िम और ज़रूरी है और यही वह महफ़ूज़ रास्ता है जिसके ज़रिये आदमी अपने को हर तरह के फ़ितनों और गुमराहियों से महफ़ूज़ रख सकता है। वह ख़ुद भी सुन्नत के पाबन्द थे और दूसरों को भी सुन्नत की पैरवी की नसीहत करते थे।

हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के ज़माने में एक गुलाम बेचा गया बाद में उसमें कोई ऐब साबित हुआ तो ख़रीदार ने उसकी वापसी का दावा कर दिया। गुलाम के ज़रिये जो आमदनी उस दरमियान हुई थी उसके बारे में झगड़ा पैदा हुआ कि वह किस को मिलेगी। हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की राए थी कि आमदनी की रक़म बेचने वाले को दी जाये लेकिन जब उन तक हज़रत आ़यशा की रिवायत पहुँची कि हुज़ूर का फ़ैसला ये है कि आमदनी ख़रीदार को मिलनी चाहिये क्योंकि उस बीच में अगर गुलाम ख़त्म हो जाता तो नुक़सान ख़रीदार ही का होता इसलिये जिसका नुक़सान होता है फ़ायदा उसी को मिलना चाहिये। इसके बाद हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ सुन्नत पर पैरवी की ग़रज़ से अपनी राए से पीछे हट गए।

2. हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा:- इमाम अबू हनीफ़ा फ़रमाते हैं कि मुझे जब कोई हुक्म किताबुल्लाह में मिल जाता है तो मैं उसी को थाम लेता हूँ। जब उसमें नहीं मिलता तो सुन्नते रसूलुल्लाह और आपकी उन चीज़ों को लेता हूँ जो मोतबर लोगों के यहाँ मोतबर लोगों के वास्ते से मशहूर हैं। फिर जब न ख़ुदा की किताब में हुक्म मिलता है और न

रसूलुल्लाह की सुन्नत में तो मैं सहाबए रसूल (यानी उनके इत्तेफ़ाक़) की पैरवी करता हूँ और उनके इख़्तिलाफ़ की सूरत में जिस सहाबी का क़ौल चाहता हूँ क़ुबूल करता हूँ और जिस का चाहता हूँ छोड़ देता हूँ लेकिन उन सबके बयान से बाहर जाकर किसी का क़ौल व बयान पसन्द नहीं करता। रहे दूसरे लोग तो जैसे उन्होंने इज्तिहाद (अ़क़्ल से काम लेना) किया मैं भी इज्तिहाद करता हूँ।

एक दिन किसी ने अबू ह़नीफ़ा से कहा कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म की ख़िलाफ़ वरज़ी करते हैं, इमाम अबू ह़नीफ़ा ने इसके जवाब में कहा:

(ख़ुदा उस पर लानत करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुख़ालेफ़त करता है। आप ही की वजह से ख़ुदा ने हमें इज़्ज़त अ़ता की और आप ही के सबब हम ने निजात हासिल की है।)

3. हज़रत अबू यज़ीद बुसतामी:- अबू यज़ीद बुसतामी अ़लैहिर्रह़मा फ़रमाते हैं मैंने इरादा किया कि अल्लाह से खाने की तरफ़ मुहब्बत और औरतों की जानिब ख़्वाहिश को ख़त्म करने का सवाल करूँ मगर ये सोच कर ख़ामोश रहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा न किया तो मैं क्यों ख़िलाफ़े सुन्नत करूँ। लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल की बात पूरी कर दी।और अब ये ह़ालत है कि औ़रत सामने आए तो इतनी परवा भी नहीं करता कि ये दीवार है या औ़रत।

4. इत्तिबाए सुन्नत में हज़रब अबू बक्र शिबली का वाक़ेआ़:- अबू तैय्यब अह़मद बिन मक़ातिल अ़की बग़दादी अ़लैहिर्रह़मा कहते हैं कि हज़रत शिबली की वफ़ात के रोज़ में जाफ़र ख़ुल्दी के यहाँ बैठा था कि बग़दाद दैनूरी आ गये जो शिबली अ़लैहिर्रह़मा के ख़ादिम थे और उनकी वफ़ात के वक़्त पास मौजूद थे। उनसे जाफ़र ख़ुल्दी अ़लैहिर्रह़मा ने पूछा आपने शिबली की मौत के वक़्त क्या देखा? बग़दादी ने कहा, जब उनकी जुबान बंद हो गयी और माथे पर पसीना आ गया तो इशारे से मुझे वुज़ू कराने को कहा , मैंने वुज़ू करा दिया मगर दाढ़ी का ख़िलाल भूल गया उस पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर मेरी ऊँगलियाँ अपनी दाढ़ी में दख़िल करके ख़िलाल किया। ये सुनकर जाफ़र रो पड़े और कहने लगे कि ऐसे शख़्स का क्या कहना जिससे जाँकनी के आ़लम में जबकि ज़बान बंद थी और

पेशानी पसीने से तर फिर भी वुज़ू में खि़लाल तक न छूटा।

हज़रत इमाम अह्‌मद बिन हम्बलः- हज़रत इमाम अह्‌मद बिन हम्बल पैरवीए सुन्नत में बहुत ही ज़्यादा पाबन्द थे। वह हर काम करते हुए इस बात का ख़्याल रखते कि जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते रहे तो उसे ज़रूर करें। और हर उस काम को बिल्कुल न करते जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नहीं किया। इस मामले में उनकी शिद्दत यहाँ तक पहुँची हुई थी क जब वह पछना लगवाते तो हज्जाम को एक दीनार देते इसलिये कि वो इस अ़मल पर ये बात अपने ज़हन में रखते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब पछना लगवाया तो उन्होंने अबू तैय्यबा हज्जाम को एक दीनार अ़ता फ़रमाया था। ग़र्ज़ ये कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की छोटी से छोटी सुन्नत पर अ़मल कर जाते।

सुन्नत पर अ़मल करने की बदौलत जन्नत मिल गई

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक सुन्नत ज़रूरत मंदों की ज़रूरत पूरी करना है। एक शख़्स ने एक ज़रूरत मंद औ़रत की मदद की। अल्लाह तआ़ला ने उसे हुज़ूर की इस सुन्नत पर अ़मल करने की बदौलत जन्नत दे दी। इसका वाक़ेआ़ दर अस्ल यूँ है कि समरकंद में एक बेवा सैय्यदज़ादी रहती थी उसके चन्द बच्चे थे। हालात से मजबूर होकर अपने भूखे बच्चों को साथ लेकर एक मालदार शख़्स के पास पहुँची और उससे सवाल किया कि मैं सैय्यदज़ादी हूँ मेरे बच्चे भूखे हैं इनको खाना खिलाओ। वह रईस आदमी जो दौलत के नशे में चूर और नाम से मुसलमान था कहने लगा तुम अगर वाक़ई सैय्यदज़ादी हो तो कोई दलील पेश करो। सैय्यदज़ादी बोली मैं एक ग़रीब बेवा हूँ ज़बान पर ऐ़तबार करो कि सैय्यदज़ादी हूँ, और दलील क्या पेश करूँ, वह बोला मैं ज़बानी जमा ख़र्च का क़ाइल नहीं अगर कोई दलील है तो पेश करो वरना जाओ। वह सैय्यदज़ादी दिल रंजीदा होकर अपने बच्चों को लेकर रंजीदा रंजीदा वापस चली आई। फिर हिम्मत करके वह एक मजूसी रईस के पास पहुँची और अपना क़िस्सा बयान किया। वह मजूसी बोला, मुहतरमा! अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूँ मगर तुम्हारे सैय्यद होने की तअ़ज़ीम व क़द्र करता हूँ आओ और मेरे यहाँ ही क़याम करो मैं तुम्हारी रोटी और कपड़े का ज़िम्मेदार हूँ। ये कहा और उसे अपने यहाँ ठहराकर उसे और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उनकी बड़ी ख़िद्मत की।

रात हुई तो वह नादान मुसलमान रईस सोया तो उसने ख़्वाब में हुज़ूर सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा जो एक बहुत बड़े नूरानी महल के पास तशरीफ़ फ़रमा थे। उस रईस ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ये नूरानी महल किसके लिये है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के लिये। वह बोला हुज़ूर! मैं भी तो मुसलमान हूँ ये मुझे अ़ता फ़रमा दीजिये। हुज़ूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तू मुसलमान है तो अपने इस्लाम की कोई दलील पेश कर। वह रईस यह सुनकर घबरा गया सरकार ने इसके बाद उससे फ़रमाया "मेरी दुख़यारी बेटी हालात से मजबूर होकर तेरे पास आये तो तू उससे सैय्यद होने की दलील तलब करे और खुद बग़ैर दलील पेश किये इस महल में चला जाये, ना मुम्किन है। ये सुनकर उसकी आँख खुल गई और बड़ा रोया, फिर उस सैय्यदज़ादी की तलाश में निकला तो उसे पता चला कि वो फलां मजूसी के घर रहती है। चुनान्चे उस मजूसी के पास पहुँचा और कहा कि एक हज़ार रूपया ले लो और वह सैय्यदज़ादी मेरे सुपुर्द कर दो। मजूसी बोला क्या मैं वो नूरानी महल एक हज़ार रूपया पर बेच दूँ? ना मुम्किन है। सुन लो सरकारे रिसालत, मालिके जन्नत, क़ासिमे नेअ़मत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जो तुम्हें ख़्वाब में आकर उस महल से दूर कर गये हैं वह मेरे ख़्वाब में तशरीफ़ लाकर और कल्मा पढ़ा कर मुझे उस महल में दाख़िल फ़रमा गये हैं। अल्हम्दु लिल्लाह! अब में बीवी बच्चों समैत मुसलमान हो चुका हूँ और मुझे सरकार ख़ुशख़बरी दे गये हैं कि तू एहल व अ़याल (बीवी बच्चों) समैत जन्नती है। (नुज़हतुल मजालिस)

हिकायत:- हज़रत जुनैद बग़दादी अल्लाह के जलीलुक़द्र औलिया में से थे। एक बार का ज़िक्र है कि एक शख़्स आपके यहाँ तक़रीबन दो महीने रहा। आख़िरकार एक दिन जब वह आपसे रुख़सत होने लगा तो हसबे आ़दत हज़रत जुनैद बग़दादी उसे रुख़सत करने के लिये बनफ़्से नफ़ीस उसके कमरे में तशरीफ़ लाये और हर चन्द कि मेहमान बार- बार मना कर रहा था, सामान बाँधने और उसकी सवारी के लिये चारा-पानी का इन्तिज़ाम करने में उसकी मदद फ़रमाने लगे मेहमान हैरान था कि आख़िर ये लोग किस मिज़ाज और किस तबीअ़त के लोग है। सैय्यदुत्ताइफ़ा कहते जाते हैं। पूरब व पश्चिम में उनकी शौहरत है। लाखों

इन्सान उनके मुरीद व अक़ीदतमंद हैं कि आँख व भौं के मामूली से इशारे पर अपनी क़ीमती से क़ीमती चीज़ लुटा दें। और ये ख़ाकसारी और इन्किसारी के ऐसे नमूना कि मेरे जैसे मामूली इन्सान की हाजत बरारी और ख़िद्मत गुज़ारी को ज़रीअ़ए फ़ख़्र और फ़र्ज़ अव्वलीन तसव्वुर कर रहे हैं। सामान तैयार हो गया और सवारी भी अब वक़्ते रुख़्सत आ पहुँचा मुसाफ़ह और मुआनक़ा की बारी आई तो हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाहि अ़लैह ने मेहमान से पूछा कि आप इतने दिन यहाँ रहे लेकिन आपने कुछ नहीं बताया कि आप किस ग़र्ज़ से यहाँ आये थे और अब क्यों वापस जा रहे हैं? हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अ़लहि का ये सवाल सुनकर मेहमान बहुत सटपटा गया कि अगर हक़ीक़त बता दें तो अंदेशा था कि जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाहि अ़लैह रंजीदा व ग़मनाक होंगे और न बताए तो हक़ बात का छुपाना होगा जो एहले हक़ के नज़दीक जाइज़ नहीं है। गहरी सोच में पड़ गया उसकी दिली कैफ़ियत को भाँप कर हज़रत जुनैद बग़दादी ने फ़रमाया: मेरे अ़ज़ीज़ घबराने या शरमाने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ तुम्हें कहना हो साफ़ साफ़ कहो हम लोग जिस तबक़े से तअ़ल्लुक़ रखते हैं किसी ऐसी वैसी बात का बुरा नहीं मानते। हज़रत जुनैद बग़दादी के हिम्मत दिलाने से रुख़्सत होने वाले मेहमान में किसी क़द्र जुरअत पैदा हुई और शरमाते-शरमाते वह कहने लगा हज़रत गुस्ताख़ी माफ़ मैं दूर दराज़ इलाक़े का रहने वाला हूँ दर असल में ये सुनकर आया था कि आप बड़े साहिबे करामत व विलायत बुज़ुर्ग हैं मगर मैं अफ़सोस के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि इतने दिन में आपके पास रहा लेकिन मैंने न तो कोई करामत देखी न विलायत इसलिये न उम्मीद होकर अब वापस जा रहा हूँ, जुनैद बग़दादी मुस्कुराए और फ़रमाया मेरे दोस्त! एक बात बताओ तुम इतने दिन मेरे साथ रहे इतने दिनों में तुमने मेरा कोई अ़मल अल्लाह तआ़ला के हुक्म और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ देखा है, मेहमान ने कमाल सादगी से जवाब दिया हज़रत! ये तो आप ठीक फ़रमा रहे हैं ऐसी कोई चीज़ तो मैंने नहीं देखी है हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अ़लैहि ने फ़रमया: भाई! यही मेरी विलायत और यही मेरी करामत है। मेरे मसलक की रूह, और आख़िरी मक़सद और सब कुछ यही है कि बंदे का कोई क़दम मौला के हुक्म के ख़िलाफ़ न उठे और ज़िन्दगी का हर लम्हा उसकी याद में बसर हो जाये। हवा में उड़ना और पानी पर चलना कोई इतनी बड़ी करामत नहीं बल्कि

अस्ल करामत और विलायत तो यही है कि कोई अ़मल सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ न हो। सुन्नत ही अस्ल मज़बूत रास्ता है जिस पर इन्सान चल कर राहे निजात हासिल करता है।

सलाम

इस्लाम की सबसे बुनियादी अख़्लाक़ी तअ़लीम मुलाक़ात के वक़्त सलाम कहना है। ये सलामती अमन और ख़ुशी का पैग़ाम है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुलाक़ात के वक़्त देता है। इसलिये अपने माँ-बाप, औलाद, अ़ज़ीज़ व रिश्तेदार और दीगर मुसलमान भाइयों को मिलते वक़्त सलाम कहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से भाईचारे और मुहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। इन्सान की पैदाइश के वक़्त सबसे पहले यही अदब सिखाया गया था। मुलाक़ात के वक़्त सलाम कहने की हिदायत अल्लाह तआ़ला ने यूँ फ़रमाई।

तर्जमाः- और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे सलामुन अ़लैकुम कहा करो। ख़ुदा ने अपनी ज़ात (पाक) पर रहमत को लाज़िम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर इस के बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाये तो वह बख़्शने वाला मेहरबान है।

(क़ुरआन सूरए अनआ़म 54)

एहले ईमान को सलाम कहना ज़रूरी है बल्कि सलाम कहने से मुसलमानी का इज़्हार होता है। क़ुरआन मजीद में एक और मुक़ाम पर अल्लाह तआ़ला ने सलाम कहने की नसीहत यूँ फ़रमाई हैः-

तर्जमाः-और जब तुमको कोई दुआ़ दे तो (जवाब में) उससे बेहतर (कल्मे)से (उसे) दुआ़ दो या उन्हीं लफ़्ज़ों से दुआ़ दो। बेशक ख़ुदा हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। (क़ुरआन सूरए निसा 86)

तहिय्यत से मुराद दुआ़ देना, सलामती की दुआ़ करना है और इस दुआ का जवाब देना भी ज़रूरी है यानी सलाम के जवाब में वापसी सलाम कहना लाज़मी है। क़ुरआन इरशाद फ़रमाता है किः-

तर्जमाः- और जब घरों में जाया करो तो अपने (घर वालों) को सलाम किया करो ये ख़ुदा की तरफ़ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इस तरह ख़ुदा अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है ताकि तुम समझो। (सूरए नूर 61)

इन तमाम आयात का यही मक़सद है कि जब दूसरे के साथ

मुलाक़ात हो तो उस वक़्त जो कल्मा मुँह से निकले व अमन और सलामती का पैग़ाम हो तो उस पर सलाम का तरीक़ा शुरु किया गया है।

सलाम करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब किसी मुसलमान भाई से मुलाक़ात हो तो ख़ुशदिली से उसे अस्सलामु अ़लैकुम कहें और जवाब में दूसरा मुसलमान वअ़लैकुम अस्सलाम कहे।हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि आप जब किसी से मिलते तो उसे अस्सलामु अ़लैकुम कहते और अगर कोई आपको सलाम कहता तो आप जवाब में व अ़लैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबारकातुहू फ़रमाते। अस्सलामु अ़लैकुम का मतलब ये है कि आप अल्लाह तआ़ला की सलामती और पनाह में आ जायें। यानी हर दुख दर्द , रंज व ग़म, फ़िक्र परेशानी और तमाम आफ़तों व मुसीबतों से बचे रहो। लफ़्ज़ सलाम अल्लाह तआ़ला के नामों में से है।

जिसके मअ़ना अमन सलामती देने वाले के हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम मुलाक़ात के वक़्त एक दूसरे की सलामती की दुआ़ करते हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद आप के सहाबा और उनके बादआज तक आने वाले बुज़ुर्गाने दीन और उ़लमा ने अपने-अपने हलक़-ए-असर व इख़्तियार में सलाम करने का अ़मली तौर पर तरबियत व सबक़ देने का तरीक़ा जारी रखा है लिहाज़ा वालिदैन को चाहिये कि अपनी औलाद को सबसे पहले सलाम कहने की तरबियत दें।

अस्सलामु अ़लैकुम कहने और इसका जवाब देने के बारे में शरीअ़त के हुक्म व उसूल और अख़्लाक़ी आदाब हस्बे ज़ैल हैं:-

1. जानकार और ना जानकार को सलाम कहना:- हर जानकार और ना जानकार को सलाम कहना चाहिये। क्योंकि इससे आपस में मुहब्बत व ख़ुलूस, ख़ैर ख़्वाही और वफ़ादारी के जज़्बात पैदा होत हैं। बड़े शहरों के बअ़ज़ बाज़ारों में आने जाने वालों का बे पनाह हुजूम होता है। वहाँ हर एक को सलाम तो नहीं कहा जा सकता, तो वहाँ जिससे ख़रीद व फ़रोख़्त करनी हो उसे ज़रूर सलाम कहें। आ़म रास्ते पर अगर कोई चलता हुआ मिल जाये तो उसे सलाम कहना चाहिये क्यों कि हर वाक़िफ़ और ना वाक़िफ़ जानकार और ना जानकार को सलाम कहना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़ : (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि एक शख़्स ने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा इस्लाम की कौन सी आ़दत बेहतर है। आपने फ़रमाया खाना खिलाना और जानकार ना जानकार को सलाम करना।) (बुख़ारी शरीफ़)

2. आपस में सलाम कहने को तरक़्क़ी दो :- मुसलमान का फ़र्ज़ है कि सलाम को रिवाज दे और ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करने की आ़दत डाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तुम्हें ऐसी तदबीर बताता हूँ कि जिसको इख़्तियार करने से तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मुहब्बत बढ़ जायेगी लिहाज़ा आपस में कसरत से एक दूसरे को सलाम करने की आ़दत बना लो। (मुस्लिम शरीफ़)

इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ दूसरों को सलाम कहने की हिदायत देनी चाहिये।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लहु अ़न्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है तुम जब तक मोमिन न बन जाओगे जन्नत में दाख़िल न होगे और तुम मोमिन न होगे जब तक आपस में मुहब्बत न करोगे और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊँ कि जब तुम उसको अ़मल में लाओ तो तुम आपस में मुहब्बत करने लगो। तुम आपस में सलाम को तरक़्क़ी दो। (मुसिलम शरीफ़)

हदीस शरीफ़ : एक और हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ख़ुदा की इबादत करे, दूसरों को खाना खिलाए, और सलाम को फैलाए तो वह शख़्स अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाख़िल होगा। (अल अदबुल-मुफ़रद)

3. सलाम कहना मुसलमान का हक़ अदा करना है:- सलाम एक तरह का दूसरे मुसलमान भाइयों का हक़ है और उसे हक़ समझ कर अदा करने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिये सलाम कहने में ख़ुश दिली से काम लेते हुए दूसरे मुसलमानों को सलाम कहना चाहिये और सलाम कहने में तकब्बुर और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिये। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रवायत है कि सबसे बड़ा

कंजूस वो है जो सलाम करने में कंजूसी करे।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अ़ली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है मुसलमान के मुसलमान पर भलाई के छः हुकूक़ हैं। जब कोई मुसलमान मिले तो उसको सलाम करना, कोई मुसलमान दावत दे तो उसको कुबूल करना, किसी मुसलमान को छींक आये तो उसका जवाब देना, कोई मुसलमान बीमार हो तो उसकी मिजाज़पुर्सी करना, कोई मुसलमान मर जाये तो उसके जनाज़े के साथ जाना, और हर मुसलमान के लिये उस चीज़ को पसन्द करना जिसको ख़ुद अपने लिय पसन्द करता है (जामेअ़ तिर्मिज़ी)।

4 गुफ़्तगू से पहले सलाम कहना:- अच्छे अख़्लाक़ का तक़ाज़ा है कि गुफ़्तगू के शुरु करने से पहले बात करने वाले से सलाम कहें। बअ़ज़ लोगों की आ़दत होती है कि कहीं रास्ता पूछना हो या किसी चीज़ का भाव पूछना हो तो सलाम किये बग़ैर ही अपना मक़सद ज़ाहिर कर देत हैं। ऐसा करना इस्लामी आदाब-ए-गुफ़्तगू के ख़िलाफ़ है इसलिये अपनी आ़दत बना लो कि जब भी किसी छोटे या बड़े से कोई चीज़ पूछनी हो या किसी दुकानदार से कोई मालूमात या किसी चीज़ का भाव पूछना हो तो पहले उसे **अस्सलामु अ़लैकुम** कहें इसके बाद अदब के साथ बातचीत करके मक़सद बयान करें।

हदीस शरीफ़ : हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया गुफ़्तगू से पहले सलाम होना चाहिये। (तिर्मिज़ी)

5. ख़त के शुरु में सलाम लिखना:- ख़त लिखते वक़्त हमेशा शुरु में अस्सलामु अ़लैकुम लिखें क्यों कि ये अ़मल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। सलाम के अ़लावा शुरु में कोई बात लिखना अच्छा नहीं। ऐसे ही आप किसी दोस्त या अ़ज़ीज़ को ख़त लिख रहे हैं और कोई दूसरा आप से कहे कि मेरा भी सलाम लिख दो तो उसका सलाम लिख देना चाहिये।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का कहना है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया ऐ आ़यशा! जिबरईल अ़लैहिस्सलाम तुझे सलाम कह रहे हैं, मैंने कहा **व अ़लैकुम अस्सलाम**

वरहमतुल्लाहि वबा रकातुहू। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू अ़ला हज़रमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आ़मिल (गवर्नर) थे जब वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़त लिखते तो अपनी जानिब से शुरु करते। ये ख़त है अ़ला हज़रमी की तरफ़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नाम। अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि वबा रकातुहू। (अबू दाऊद)

ख़त में जो सलाम लिखा होता है उसका जवाब देना वाजिब है लिहाज़ा जब किसी के पास ख़त आये तो ख़त में लिखे हुए सलाम के जवाब में व अ़लैकुम अस्सलाम कहें और अगर उसी वक़्त उसी ख़त का जवाब दिया तो फिर उसमें फ़ौरन व अ़लैकुम अस्सलाम लिख दें।

6 सलाम के जवाब का पूरा तरीक़ा:- जब कोई अस्सलामु अ़लैकुम कहे तो उसके जवाब में सिर्फ़ व अ़लैकुम अस्सलाम पर बस करेंगे तो कम नेकियों का अज्र मिलेगा इसलिये ये रास्ते में जाती नेकियाँ हैं इनसे महरूम नहीं रहना चाहिये। अकसर बुज़ुर्गाने दीन और सूफ़िया का ये तर्ज़े अ़मल है कि जब कोई उन्हें अस्सलामु अ़लैकुम कहता है तो वह जवाब में व अ़लैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबारकातुहू भी कहते हैं इसलिये हर शख़्स को इस पर अ़मल करना चाहिये।

हदीस शरीफ़ : हज़रत इ़मर इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं एक शख़्स नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ और कहा अस्सलामु अ़लैकुम आपने उसके सलाम का जवाब दिया और वह बैठ गया तो आपने फ़रमाया इसकी दस नेकियाँ लिखी गयीं। फिर एक और शख़्स आया उसने कहा अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाह, आपने उसके सलाम का जवाब दिया और वह भी बैठ गया, आपने फ़रमाया इसकी बीस नेकियाँ लिखी गयीं, फिर एक और शख़्स आया उसने कहा अस्सलामु अ़लैकुम वरहमतुल्लाहि व ब रकातुहू, आपने उसके सलाम का जवाब दिया और वह भी बैठ गया आपने फ़रमाया इसकी तीस नेकियाँ लिखी गयीं। (तिर्मिज़ी)

7. कौन, किसे सलाम कहे?:- इस्लाम में अख़्लाक़ी लिहाज़ से सलाम करने का ज़ाबता ये हे कि हर छोटा बड़े को सलाम कहे। जो

पैदल हो वो बैठे को सलाम करे। और जो सवारी पर हो वो पैदल और बैठे हुए को सलाम करे और कम आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें। औलाद अपने वालिदैन को सलाम करे। शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे। मुक़तदी अपने इमाम को सलाम करने में पहल करे। क़ौम का रहनुमा अपनी क़ौम को पहले सलाम करे।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया छोटा बड़े को सलाम करे और चलने वाला बैठे हुए को, और कम आदमी ज़्यादा आदमियों को। (बुख़ारी) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सवार पैदल चलने वाले को सलाम करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े आदमी बहुत से आदमियों को सलाम करें। (बुख़ारी, मुसिलम)

8. छोटे बच्चों को सलाम:- सलाम करने का एक ज़ाबता तो यह है कि छोटे बच्चे बड़ों को सलाम करें। इसके अ़लावा अगर बच्चे कहीं बैठे हों तो बड़ा भी उन्हें सलाम कह दे क्यों कि इसमें कोई हरज नहीं बल्कि इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाती है और ये बच्चों को सलाम करने का तरीक़ा सिखाने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर स्कूल की जमाअ़त में बच्चे बैठे हों या किसी क्लास में बच्चे बैठे पढ़ रहे हों तो कोई बड़ा आ जाए तो उसे चाहिये कि उस बच्चों की जमाअ़त को सलाम कह दे। ऐसे ही बच्चे घर में हों तो कोई बड़ा आदमी बाप या भाई माँ वग़ैरा बाहर से आयें तो बच्चों को सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं इस तरह बच्चे सलाम करने का तरीक़ा सीख जायेंगे।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लड़कों की एक जमाअ़त के पास से गुज़रे तो आपने उन्हें सलामकिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

9. औरत और मर्द का आपस में सलाम कहना:- औरतें मर्दों को सलाम कह सकती हैं बशर्ते कि जानने वाले हों। ऐसे ही मर्द भी औरत को सलाम कहे क्यों कि इससे इस्लामी हमदर्दी का इज़्हार होता है। हज़रत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब से रिवायत है कि मैं नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गई उस वक़्त हुज़ूर ग़ुस्ल फ़रमा रहे

थे, मैंने उन्हें सलाम किया फ़रमाया कौन है? मैने कहा उम्मे हानी। फ़रमाया मरहबा। (अल-अदबुल-मुफ़रद)

हदीस शरीफ़ : हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो उस वक़्त मैं अपनी हम उम्र औ़रतों के साथ बैठी हुई थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फ़रमाया कि नेमत देने वालों की नाशुक्री से बचो। मैं औ़रतों में से आपसे सवाल करने के मामले में बेबाक थी मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह! नेमत देने वालों की नाशुक्री क्या? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुममे से किसी का अपने माँ बाप के पास बे शोहरी का ज़माना तवील (लंबा)हो जाता हो उसके बाद अल्लाह तआ़ला उसको शोहर दे देता है फिर अल्लाह उसे बेटा भी अ़ता कर देता है फिर भी वो गुस्से में आती है तो कहती है ख़ुदा की क़सम! मैंने तुझसे कुछ भलाई नहीं पाई। (अल-अदबुल-मुफ़रद)

हदीस शरीफ़ : हज़रते असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा कहती है हम कुछ औ़रतें बैठी थीं कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हम पर गुज़र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया। (इब्ने माजा)

बअ़ज़ फ़ुक़हाए किराम का कहना है औ़रतों को सलाम करने का तअ़ल्लुक़ सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ही था लेकिन आ़म सूरते हाल में अजनबी जवान मर्द को जवान औ़रत का स्लाम कहना दुरुस्त नहीं।

10. सलाम में पहल करना:- सलाम करने में हमेशा पहल (शुरुआ़त) करने की कोशिश करनी चाहियो क्यों कि सलाम में पहल (शुरुआ़त) करना अल्लाह को बहुत पसन्द है। पहल करने में हिकमत व राज़ ये है कि इन्सानी नफ़्स में आ़जिज़ी पैदा होती है इस हुक्म से यह मसअला भी ज़ाहिर होता है कि अगर किसी शख़्स से कोई नाराज़गी हो जाये तो उन दोनों में भी बेहतर और अच्छा शख़्स वो होगा जो दिल से नाराज़गी को ख़त्म करके सलाम करने में पहल करेगा। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है कि किसी मुसलमान के लिये ये बात जाइज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा

क़तए तअ़ल्लुक़ यानी बोल चाल बन्द किये रहे कि जब जब दोनों मिलें तो एक आँखें चुराले और दूसरा दूसरी तरफ़ आँखें चुराले। उनमें वो बेहतर है कि जो सलाम में पहल करे। अक्सर बुज़ुर्गाने दीन और औलिया का ये तर्ज़े अ़मल (मअ़मूल) रहा है कि वो हमेशा सलाम करने में पहल करते।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू अ़मामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह से नज़दीक वो शख़्स है जो पहले सलाम करे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

11. घर वालों को सलाम करना चाहिये:- अपने घर में दाख़िल होकर घर वालों को सलाम कहना चाहिये क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है आप जब भी घर में दाख़िल होते तो सबसे पहले सलाम करते। इसी तरह जब किसी और के घर भी दाख़िल हों तो घर में दाख़िल होते हुए सलाम कहें। अगर पहले कहें तो ज़्यादा बेहतर है। सलाम हमेशा ज़रा ऊँची आवाज़ से कहें ताकि जिसे सलाम कहा गया है वो सुन ले।

हज़रत अबू अमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन अश्ख़ास (तीन लोगों)का ज़िम्मेदार अल्लाह तआ़ला बन जाता है। अगर वो ज़िन्दा रहें तो अल्लाह तआ़ला उनके लिये काफ़ी है और अगर मर जायें तो सीधे जन्नत में जायेंगे उनमें पहला वो है जो हमेशा सलाम कहकर घर में दाख़िल होता हो। दूसरा वो है जो पाँचों वक़्त मस्जिद की तरफ़ जाता हो। तीसरा वो है जो जिहाद (इस्लाम के लिये जंग) के वक़्त जिहाद में शामिल हो जाता हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल (बयान)है कि जब अपने अहल व अयाल (परिवार) के पास आओ तो उनको सलाम करो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्ला हु अ़न्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेटा जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो। इससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकत नाज़िल होगी।) (तिर्मिज़ी)

12. वापस आकर सलाम कहना:- आपकी किसी मक़ाम या किसी महफ़िल में बैठे हो और थोड़ी देर के लिये वहाँ से उठकर किसी काम के लिये जायें तो जब दोबारा वापस आएं तो फिर दोबारा सलाम कहें।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुममें से जब कोई शख़्स किसी महफ़िल में पहुँचे तो सलाम करे और अगर बैठने की ज़रूरत हो तो बैठ जाये और फिर जब चलने लगे तो दोबारा सलाम करे। इसलिये कि पहली मर्तबा का सलाम करना दूसरा सलाम करने से बेहतर नहीं है।

(तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया! जब तुम में से कोई अपने भाई से मिले तो चाहिये कि उसे सलाम करे फिर अगर दोनों के बीच कोई पेड़ या दीवार या पत्थर आ जाए और फिर मिलना हो तो फिर सलाम करना चाहिये। (अबू दाऊद)

13. यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न करें:- ईसाई और यहूदी कभी इस्लाम की भलाई नहीं चाहता इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न करो। क्यों कि अल्लाह तआला ने कुरआने पाक में यहूदियों की शैतानियत को साफ़ तौर पर बयान फ़रमा दिया है कि वो लोग हक़ के दुशमन , बद-दीन, ज़ालिम, ख़बीसुन नफ़्स (शैतान की पैरवी) करने वाली क़ौम है। क्योंकि अल्लाह तआला ने उन पर बे पनाह इनआमात किये मगर उन्होंने ना शुक्री और बद किरदारी का सबूत दिया। यही वो क़ौम है जिसने ख़ुदा के भेजे हुए बरगुज़ीदह व महान पैगम्बरों को क़त्ल तक कर डाला, इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम करने से मना फ़रमाया है।

हज़रत अबू बसरा अल-ग़िफ़ारी से रवायत (बयान)है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं कल सुबह यहूदियों के पास जाऊँगा तो तुम लोग जो मेरे साथ होगे तुम उन्हें पहले सलाम न करना अगर वो लोग तुम्हें सलाम कहें तो उसका जवाब दे देना।

(अल-अदबुल मुफ़रद)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यहूदी और ईसाई को सलाम करने में पहल न करो। और जब तुमको रास्ते में कोई

यहूदी या ईसाई मिले तो उसके रास्ते को इतना तंग कर दो कि वो अकेला व तन्हा होकर गुज़र जाने पर मजबूर हो जाये।" (मुस्लिम)

14. मुख़ालिफ़ मज़हब के लोगों को सलाम करना:- जब किसी मजलिस में मुख़ालिफ़ मज़हब के पैरोकार हों (कई मज़हब के मानने वाले) यानी यहूदी ईसाई वग़ैरा और उनमें मुसलमान भी हों तो उन्हें सलाम कहना चाहिये। इसकी वजह ये है कि उस मजलिस में मुसलमानों को बरतरी (महानता) देते हुए उन सबको सलाम कहा जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के पास से गुज़रे जिसमें 'मुसलमान, मुश्रिक, बुत परस्त, यहूदी सब मिले जुले थे तो आपने उनको सलाम किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

15. ग़ैर मुस्लिम के सलाम के जवाब का तरीक़ा:- ग़ैर मुस्लिमों को सलाम नहीं करना चाहिये अलबत्ता एहले किताब यहूदी व ईसाई में से अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब दिया जा सकता है मगर जवाब सिर्फ़ अलैकुम कहे। बअ़ज़ फुक़हाए इस्लाम का कहना है कि ग़ैर मुस्लिम को किसी सख़्त ज़रूरत या मजबूरी के पेशे नज़र सलाम करने में कोई हरज नहीं मगर ग़ैर मुस्लिम की तअ़ज़ीम व सम्मान करने की ग़र्ज़ से सलाम करना हरगिज़ जाइज़ नहीं।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब यहूदी व ईसाई में से कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम जवाब में केवल 'व अलैकुम' कहो।

(बुख़ारी)

16. ज़मान-ए-जाहिलियत के सलाम की मुमानिअत:- जमान-ए-जाहिलियत में अरब के लोग जिस तरह सलाम किया करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फ़रमाया दिया।

हदीस शरीफ़: हज़रत इमरान बिन हुसीन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम जाहिलियत के ज़माने में ये कहा करते थे , अल्लाह तेरी आँखों को ठंडा करे और तू सुबह के वक़्त नेअ़मतों में दाख़िल रहे। जब इस्लाम आया तो हमको उससे मना कर दिया गया। (अबू दाऊद)

17. सलाम के लिये ग़ैर मुस्लिमों का तरीक़ा इख़्तियार करने की मुमानिअ़त:– ग़ैर मुस्लिम क़ौमों में भी मुलाक़ात के वक़्त सलाम का कोई न कोई तरीक़ा है जैसे कि ईसाई, और यहूदी सुबहख़ैर और शब्बाख़ैर वग़ैरा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे तरीक़े इख़्तियार करना इस्लाम में मना है। इसके अ़लावा मुसलमानों में कुछ लोग कई नए अल्फ़ाज़ बज़ाते ख़ुद अस्लामु अ़लैकुम की जगह इस्तेमाल करने के लिये बना लेते हैं जैसे कि आदाब अ़र्ज़ वग़ैरा। अगरचे ये अल्फ़ाज़ मअ़ना के लिहाज़ से बुरे नहीं हैं मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इसके अ़लावा कुछ लोग तसलीमात अ़र्ज़ कह देते हैं इस को सलाम ही कहा जाता है क्यों कि ये सलाम ही के मअ़ना में है। कुछ लोग सलाम कहते हैं इसको भी सलाम ही कहा जायेगा लेकिन ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। सलाम सलाम के बजाए अस्सलामु अ़लैकुम और व अलैकुम अस्सलाम कहना ठीक है।

उँगली या हथेली से इशारा करके सलाम करना मना है क्यों कि ये तरीक़ा यहूदी व ईसाई क़ौम का था। कुछ मुसलमान भाई सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं बल्कि कुछ सिर्फ़ आँखों से इशारा करते हैं इस तरह जवाब तो हो जाता है मगर मुँह से जवाब देना बेहतर और वाजिब है।

हदीस शरीफ़ : हज़रत उ़मर बिन शुएब रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'वह हमारी जमाअ़त में से नहीं जिसने दूसरी क़ौमों की मुशाबेहत या नक़ल की, यहूदी व ईसाई के साथ मुशाबेहत इख़्तियार न करो कि यहूदियों का सलाम उँगलियों के इशारे से होता है और ईसाई का सलाम हथेलियों के इशारे से होता है।'

(तिर्मिज़ी)

18. किसी के सलाम भेजने पर जवाब का सुन्नत तरीक़ा:– अगर कोई शख़्स किसी और आदमी के ज़रिये सलाम कहलवा भेजे तो उसका जवाब दें और उसका सुन्नत तरीक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक़ ये है।

हदीस शरीफ़: ग़ालिब कहते हैं कि हम हसन बसरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के दरवाज़े पर बैठे हुए थे कि एक शख़्स आया और कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया उनसे मेरे दादा ने कहा कि मेरे वालिद

ने मुझे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में भेजा और कहा कि आप की ख़िद्मत में हाज़िर होना और मेरा सलाम अ़र्ज़ करना। चुनांचे मैं ख़िदमते बा बरकत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया मेरे वालिद आपको सलाम कहते कहते हैं। आपने फ़रमाया अ़लैका व अ़ला अबीकस्सलाम (तुम पर और तुम्हारे वालिद पर सलाम हो) (अबू दाऊद)

19. मजलिस में सलाम करने का आदाब व तरीक़ा :- किसी मजलिस या जमाअ़त को सलाम करते वक़्त सबको एक बार अस्सलामु अ़लैकुम कह दें। ख़ास तरीक़े से किसी का नाम लेकर सलाम न करें। और उस मजलिस से चन्द ने जवाब दे दिया तो सबकी तरफ़ से जवाब हो जायेगा। ऐसे ही अगर एक जमाअ़त आई और उसमें से चन्द हज़रात ने सलाम कह दिया तो सब की तरफ़ से सलाम हो जायेगा। मगर अफ़ज़ल ये है कि सब ही सलाम करें। यूँही अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनहगार हुए और अगर एक शख़्स मजलिस में आया और उसने सलाम किया तो एहले मजलिस पर जवाब देना वाजिब है और दोबारा फिर सलाम किया तो जवाब देना वाजिब नहीं। मजलिस में आकर किसी ने अस्सलामु अ़लैक कहा यानी सीग़-ए-वाहिद (एकवचन)बोला और किसी एक शख़्स ने जवाब दे दिया तो जवाब हो गया। ख़ास उसको जवाब देना वाजिब नहीं जिस की तरफ़ उसने इशारा किया है। हां अगर उसने किसी शख़्स का नाम लेकर सलाम किया कि फ़लां साहब! अस्सलामु अ़लैकुम, तो ख़ास उस शख़्स को जवाब देना होगा दूसरे का जवाब उसके जवाब के क़ाइम मक़ाम (बदल)नहीं होगा।

एहले मजलिस पर सलाम किया उनमें से किसी नाबालिग़ अ़क़्लमंद ने जवाब दे दिया तो ये जवाब काफ़ी है और बुढ़िया ने जवाब दिया ये जवाब भी हो गया। जवान औ़रत या पागल या ना समझ बच्चे ने जवाब दिया ये काफ़ी नहीं है।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि फ़रमाया , जमाअ़त कहीं से गुज़री और उसमें से एक ने सलाम कर लिया ये काफ़ी है और जो लोग बैठे हैं उनमें से एक ने जवाब दे दिया ये काफ़ी है यानी सब पर जवाब देना ज़रूरी नहीं। (बैहक़ी)

20. सलाम करने में परहेज़ की सूरतें:- इन सूरतों में सलाम

करने से परहेज़ करें:- (1) जब हाज़िरीने मस्जिद तिलावते कुरआन व तस्बीह व दुरूद में मशगूल हैं या इन्तिज़ारे नमाज़ में बैठे हैं तो सलाम न करे कि ये सलाम का वक़्त नहीं इसी वास्ते मुफ़्तियाने किराम ये फ़रमाते हैं कि उनको इख़्तियार हे कि जवाब दें या न दें। हां अगर कोई शख़्स मस्जिद में इसलिये बैठा है कि लोग उसके पास मुलाक़ात को आएं तो आने वाले सलाम करें।

(2) जब कोई शख़्स तिलावत में मशगूल है या पढ़ने-पढ़ाने या इल्मी गुफ़्तगू या सबक़ की तकरार (याद) में है तो उसको सलाम न करे इसी तरह अज़ान व तकबीर व ख़ुत्बा जुमा व ईद की नमाज़ के वक़्त सलाम न करें। सब लोग इल्मी गुफ़्तगू कर रहे हों या एक शख़्स बोल रहा है बाक़ी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे। मसलन आ़लिम नसीहत कर रहा है या दीनी मसअले पर तक़रीर कर रहा है औ र हाज़िरीन सुन रहे हैं आने वाला शख़्स चुपके से आकर बैठ जाए सलाम न करे।

(3) जब आ़लिमे दीन तअ़लीमे इल्मे दीन में मसरूफ़ है, तालिबे इल्म आया तो सलाम न करे और सलाम किया तो उस पर जवाब देना वाजिब नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगरचे वह पढ़ा न रहा हो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं क्योंकि ये इस की मुलाक़ात को नहीं आया है कि उसके लिये सलाम करना मसनून हो बल्कि पढ़ने के लिये आया है जिस तरह क़ाज़ी के पास जो लोग मजालिस मं जाते हैं वो मिलने को नहीं जाते बल्कि अपने मुक़दमे के लिये जाते हैं।

(4) जो शख़्स ज़िक्र में मशग़ूल हो उसके पास कोई शख़्स आया तो सलाम न करे और किया तो ज़िक्र करने वाले पर जवाब देना वाजिब नहीं।

(5) जब कोई क़ज़ाए हाजत (पेशाब-पाख़ाना)के लिये बैठा हो या हम्माम या गुस्ल खाने में नंगा नहा रहा हो उसको सलाम न किया जाये और उस पर जवाब देना वाजिब नहीं। पेशाब के बाद ढेला लेकर इस्तिंजा सुखाने के लिये टहलते हैं ये भी उसी हुक्म में है कि पेशाब कर रहा है।

ऊपर ज़िक्र की गई सूरतों के अ़लावा नीचे बयान की गई सूरतों में सलाम बिल्कुल न करें बल्कि दिल से उनकी मज़म्मत करे:-

जो शख़्स खुल्लम खुल्ला हराम काम करता हो उसे सलाम न करे। किसी के पड़ोस में बदकार रहते हैं मगर उनसे ये अगर सख़्ती बरतता है तो वह उसको ज़्यादा परेशान करेंगे और अगर नर्मी करता है उनसे सलाम कलाम जारी रखता है तो वो तकलीफ़ पहुँचाने से बाज़ रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर मेल जोल रखने में इसको इजाज़त है।

जो शख़्स शतरंज खेल रहे हों उनको सलाम किया जाये या न किया जाये। जो ड़ुलमा सलाम करने को जाइज़ फ़रमाते हैं वो कहते हैं कि सलाम इस मक़सद से करे कि इतनी देर तक कि वो जवाब देंगे, खेल से बाज़ रहेंगे ये सलाम उनको गुनाह से बचाने के लिये है अगरचे इतनी देर तक ही सही। जो फ़रमाते हैं कि सलाम करना जाइज़ नहीं उनका मक़सद तंबीह व नसीहत है कि इसमें उनकी ज़िल्लत व अपमान है।

मुसाफ़ह

मुसाफ़ेह का मतलब सच्चे दिल और मुहब्बत से हाथ मिलाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुसाफ़ह फ़रमाते और आप के सहाबा भी आपस में मिलते तो मुसाफ़ह करते इसलिये मुसाफ़ह नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसन्दीदा सुन्नत है कि जब मुसलमान भाई आपस में मिलें या जुदा हों तो वह हाथ मिलाएं। मुसाफ़ेह का सुन्नत तरीक़ा ये है कि मुसाफ़ह दोनों हाथों से किया जाये। अपना दायाँ हाथ दूसरे के दाएं हाथ से हथेलियों की जानिब से मिलाएं। फिर खुद अपना बायाँ हाथ दूसरे के दाएं हाथ पर रख दें जैसे आप पहले मिला चुके हैं ऐसे ही दूसरा अपना बायाँ हाथ आपके दाएं हाथ पर रख दे। इस तरह दायाँ दाएं से मिल गया और बायाँ बाएं से मिल गया आपका और दूसरे का एक एक हाथ बीच में आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाफ़ेह के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जब उनसे मुसाफ़ह किया तो हुज़ूर का हाथ उनके हाथों में था यानी हर एक का एक हाथ दूसरे के दोनों हाथों के बीच होगा। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि हाथ मिलाते वक़्त दूसरे के अंगूठे को थोड़ा सा दबाएं क्योंकि अंगूठे के साथ एक रग होती है जिसे पकड़ने से मुहब्बत पैदा होती है। मुसाफ़ेह के फ़ज़ाइल और आदाब मुन्दर्जाज़ैल हैं:-

1. मुसाफ़ह सलाम का हिस्सा है:- मुसाफ़ह दर अस्ल सलाम करने का ही हिस्सा है क्योंकि इससे अस्सलामु अलैकुम कहने यानी सलाम करने की तकमील (पूर्ती)होती है और मुसाफ़ेह से मुहब्बत और खुशी का इज़हार होता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मरीज़ की पूरी मिजाज़ पुर्सी ये है कि तुम अपना हाथ मरीज़ की पेशानी या हाथ पर रख कर उससे उसका हाल पूछो और तुम्हारा आपस में सलाम करना मुसाफ़ेह से मुकम्मल होता है। (तिर्मिज़ी)

2. मर्द मर्द से औरत औरत से मुसाफ़ह करे:- मुसाफ़ेह का बुनियादी इस्लामी तरीक़ा ये है कि मर्द दूसरे मर्द से हाथ मिलाए और

औ़रत दूसरी औ़रत से हाथ मिलाए। मुसाफ़ेह़ के लिये मर्द को किसी औ़रत से हाथ मिलाना जाइज़ नहीं, ऐसे ही औ़रत को मर्द से मुसाफ़ह़ नहीं करना चाहिये क्योंकि मर्द और औ़रत का आपस में मुसाफ़ह़ ख़िलाफ़े शरीअ़त है।

एक बार का वाक़ेआ़ है कि एक यूनीवर्सिटी की एक तालिबा (छात्रा) ने एक तालिब इ़ल्म से हाथ मिलाया एक साह़ब देख रहे थे जिनके दिल में इस्लाम की मुह़ब्बत और एह्तेराम था उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाकर समझाया कि बेटी! औ़रत का मर्द के साथ मुसाफ़ह़ करना ख़िलाफ़े शरीअ़त है उस लड़की के दिल में वो बात उतर गई इसके बाद उसने इस आ़दत को छोड़ दिया।

मर्द और औ़रत के मुसाफ़ेह़ की रस्म दर अस्ल ग़ैर मुस्लिमों और यहूदियों व ईसाइयों की है कि उस मुआ़शरे व समाज में औ़रत और मर्द के मुसाफ़ेह़ को कोई बुराई तसव्वुर नहीं किया जाता मगर इस्लामी नुक़्त-ए-नज़र (दृष्टिकोण) से इससे बुराई जन्म लेने के आसार पैदा होते हैं यानी जब कोई मर्द किसी औ़रत का हाथ अपने हाथ में लेगा तो उसके दिल में शैतानी ख़्यालात पैदा हो सकते हैं इसलिये इस्लाम ने मर्द और औ़रत के मुसाफ़ेह़ को मना फ़रमाया है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं मैंने एक शख़्स को नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त करते सुना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम में से कोई जब अपने भाई या दोस्त से मिले तो क्या झुक जाए? आपने फ़रमाया 'नहीं' उसने अ़र्ज़ किया तो क्या लिपट जाये और बोसा ले, आपने फ़रमाया नहीं. उसने अ़र्ज़ किया, क्या उसका हाथ थाम ले और मुसाफ़ह़ करे, आपने फ़रमाया 'हाँ'

(तिर्मिज़ी)

इस ह़दीस में मुसाफ़ेह़ की इजाज़त सिर्फ़ मुसलमान भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्तों को दी गयी है कि जिसका मतलब यह हुआ कि मर्द सिर्फ़ मर्द से मुसाफ़ह़ कर सकता है यानी वह मुख़ालिफ़ जिन्स (अलग लिंग) से मुसाफ़ह़ नहीं कर सकता।

3. मुसाफ़ेह़ का रिवाज कब शुरु हुआ:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ला चुके थे कि एक मर्तबा

चन्द यमन के लोग मदीने में आए वो मुसाफ़ह करते थे उनकी ये आ़दत हुज़ूर को पसन्द आई। क्योंकि उनके इस काम से मुहब्बत के आसार ज़ाहिर होते थे चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उस रोज़ से मुसाफ़ह करने की ताकीद फ़रमादी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं जब यमन वाले आये तो नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे पास एहले यमन आये हैं और वही सबसे पहले अपने साथ मुसाफ़ह लाए हैं। (अबू दाऊद)

4. हर मुलाक़ात के बाद मुसाफ़ेह का सुबूत:- जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार मुसाफ़ह करना बेहतर है पाँचों नमाज़ों के बाद नमाज़े ईद, नमाज़ जुमा के बाद मस्जिद से रुख़सत होते वक़्त इमाम और दीगर मुक़तदियों से मुसाफ़ह कर लेने में कोई हरज नहीं क्यों कि ऐसा करने से नेकियों में इज़ाफ़ा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में मुसाफ़ेह का आ़म रिवाज था।

हदीस शरीफ़: हज़रत क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं मैंने अनस से पूछा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबियों में मुसाफ़ेह का रिवाज था उन्होंने कहा हां! (बुख़ारी)

5. मुसाफ़ेह से गुनाहों की बख़्शिश:- मुसाफ़ह करने से दिल पाक साफ़ हो जाता है और गुनाह माफ़ हो जाते हैं इसलिये अगर दिल में किसी के ख़िलाफ़ थोड़ा सा भी मैल हो तो मुसाफ़ह करते वक़्त निकाल देना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफ़ह करें तो उन दोनों के जुदा होन से पहले उनको बख़्श दिया जाता है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिल कर मुसाफ़ह करता है तो उनके गुनाह इस तरह माफ़ हो जाते हैं जिस तरह आंधी में पेड़ के सूखे पत्ते गिर जाते हैं। अगरचे वह गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों न हों।

(3) मुआनक़ह (गले मिलना)

मुआनक़े का मतलब गले लगकर मिलना है इसे बग़लगीर होना भी कहा जाता है। मुआनक़ह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये मुहब्बत के इज़हार की निशानी है क्यों कि अकसर अक़लमन्दों का कहना है कि हाथ से हाथ और सीने से सीना मिल जाने से दिल मिल जाता है जिससे एक दूसरे के लिये भाई-चारा पैदा होता है इसलिये सलाम और मुसाफ़ेह के साथ मुआनक़ह भी ठीक है। लेकिन मुआनक़ह हर मुलाक़ात के बाद नहीं बल्कि ख़ास मौक़ों की मुलाक़ातों के बाद करना बरकत का ज़रिया है जैसे नमाज़े जुमा की मुलाक़ात के बाद या ईद के बाद और ख़ास कर जब भी कोई सफ़र से आये तो फिर ज़रूर मुआनक़ह करना चाहिये। ऐसे ही जब कोई हाजी सफ़र पर रवाना हो रहा हो या हज करके वापस आया हो तो उससे मुआनक़ह करना ज़रीअ़ए ख़ैरोबरकत है।

मुआनक़े का सुन्नत तरीक़ा:- मुआनक़े का सुन्नत तरीक़ा ये है कि अपने गले और चेहरे को दूसरे के गले की दाएं जानिब लगाइये और अपनी छाती को उसकी छाती के साथ लगाएं और हाथ आपस में एक दूसरे की पीठ पर रखें और थोड़ा सा दबाएं। फिर चेहरे को हटाकर बाएं जानिब लगाएं। जिस तरह पहले लगाया था और पीठ पर भी पहले की तरह हाथ रखें और सीना दबाएं। फिर उस तरफ़ से अपने गले को हटाकर दाएं जानिब दोबारा लगायें यानी इस तरह तीन मर्तबा गले के साथ गला और छाती के साथ छाती लगाएं और मुआनक़े के वक़्त दुरूद शरीफ़ पढ़ें और ज़िक्रे इलाही करें। बअ़ज़ उ़लमा-ए किराम का कहना है कि सिर्फ़ एक तरफ़ गले लगाने से भी सुन्नत अदा हो जाती है।

मुआनक़े के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादात हसबे ज़ैल हैं:-

1. इज़हारे मुहब्बत का बेहतरीन ज़रिया:- मुआनक़ा इज़हारे मुहब्बत का बेहतरीन ज़रिया है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को बहुत मुहब्बत से गले लगाया और बोसा दिया। इससे मालूम हुआ कि मुआनक़े के वक़्त बोसा लेना भी सुन्नत है।

हदीस शरीफ़:- हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं ज़ैद बिन हारिस मदीना आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात के लिये हाज़िर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मेरे घर में तशरीफ़ फ़रमा थे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ तहबंद बांधे बरहना (नंगे) जिस्म चादर को खींचते हुए बाहर तशरीफ़ ले गए। क़सम है ख़ुदा की मैंने कभी उससे पहले और उसके बाद आपको बरहना नहीं देखा। आपने जोशे मुहब्बत से ज़ैद को गले लगा लिया और बोसा दिया।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

2. सफ़र से आने के बाद मुआनक़ह:- सफ़र से आने के बाद मुआनक़ह करना दर असल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसलिये सफ़र से आने के बाद बाप, भाई, अज़ीज़ व रिश्तेदार, दोस्त, उस्ताद वग़ैरा से मुलाक़ात के वक़्त मुआनक़ह करना चाहिये। और अगर किसी का शेख़े तरीक़त यानी पीर हो तो सफ़र से वापसी के बाद उनकी ख़िद्मत में हाज़िर होकर मुआनक़ेह की नेकी से मालामाल होना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से सरज़मीने हब्शा से वापस आने के वाक़िए में रिवायत है उन्होंने फ़रमाया कि हम निकले यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में आ पहुँचे तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले आपने मुझसे मुआनक़ह किया फिर फ़रमाया मुझे नहीं मालूम कि फ़तह (विजय) ख़ैबर की ख़ुशी ज़्यादा है या जाफ़र के आने की। और ये फ़तह (विजय) ख़ैबर के वक़्त का वाक़िआ है। (शरहुस्सुन्नह)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैंने किसी से एक हदीस सुनी तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस सहाबी से मुलाक़ात करूँ। चुनान्चे इस शौक़ से मैंने एक ऊँट ख़रीदा और शाम की तरफ़ चल पड़ा। जहाँ वह सहाबी रहते थे आख़िर जब शाम पहुँचा तो पता चला कि जिनकी रिवायत की गई हदीस मुझ तक पहुँची है वह सहाबी अब्दुल्लाह बिन अनीस हैं। चुनान्चे मैं उनके मकान पर गया, दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें एक पैग़ाम पहुँचाने वाले ने मेरे आने की ख़बर दी। आख़िर वह मुलाक़ात के लिये बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मिलते ही मुझ से

मुआनक़ह किया और फ़रमाया कि आप सफ़र से आए हैं।हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र से आने वालों के साथ मुआनक़ह किया करते थे इसलिये मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पर अ़मल किया है इसके बाद उन्होंने वह ह़दीस बयान फ़रमाई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। (अल-अदबुल मुफ़रद)

3. अल्लाह वालों से मुआनक़ह:- नेक, सालिहीन, मुत्तक़ी, परहेज़गार औलिया अल्लाह से गले मिलना नेकबख़्ती की दलील है और इस मुआनक़े में अल्लाह वाले जब किसी को अपने गले लगाते हैं तो उसके हक़ में दुआ़ फ़रमाते हैं जो इन्सानी क़िस्मत जाग उठने का सबब बन सकती है। अकसर ऐसे वाकेआ़त मशहूर हैं कि अल्लाह वालों ने गले से लगाया और दिल ज़िन्दा कर दिया। इसका सुबूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उस ह़दीस से मिलता है जिसमें आपने ह़ज़रत अबूज़र को गले लगाया जो उनकी ख़ुशबख़्ती का सबब बना लिहाज़ा ख़ास मौक़ों पर अल्लाह के बंदों से गले मिलने की कोशिश करनी चाहिये ताकि उनकी बरकत और दुआ़ ह़ासिल हो।

ह़दीस शरीफ़: अय्यूब बिन बशीर ने अ़नज़ा के एक आदमी से रिवायत की कि उसने कहा मैंने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि मुलाक़ात के वक़्त क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आप हज़रात से मुसाफ़ह़ किया करते थे? फ़रमाया कि मैं कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से नहीं मिला जबकि आपने मुसाफ़ह़ न किया हो और एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया तो अपने घर मैं नहीं था। जब वापस आया और मुझे बताया गया तो मैं हाज़िरे बारगाह हो गया उस वक़्त आप तख़्त पर जलवा फ़रमा थे तो आपने मुझे गले लगा लिया ये कितना करम है–ये कितना करम है।

(अबू दाऊद)

4. ह़ज से वापसी पर मुसाफ़ह़ व मुआनक़ह:- जो शख़्स ह़ज करके वापस आए उससे मुलाक़ात के लिये जाना ज़रीअ़ए सवाब है मुलाक़ात पर उससे मुसाफ़ह़ करें फिर मुआनक़ह करें इस तरह सच्ची मुह़ब्बत का इज़हार होगा।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा रिवायत

करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम्हारी किसी ह़ाजी से मुलाक़ात हो तो उसको सलाम करो उससे मुसाफ़ह़ करो, और अपने लिये उसके घर में दाख़िल होने से पहले बख़्शिश की दुआ़ के लिये कहो क्यों कि वह बख़्शा हुआ है। (अह़मद)

5. ईद के मौक़े पर मुआ़नक़ह करना सुन्नत है:- ईद के मौक़े पर नमाज़े ईद के बाद मुआ़नक़ह करना भी अच्छा है क्यों कि ये भी इज़हारे ख़ुशी का एक ज़रिया है क्यों कि ये त्यौहार मुसलमानों के लिये ख़ुशी का दिन होता है। इसलिये इस दिन मुआ़नक़ह करने में कोई ह़रज नहीं। मुआ़नक़ह ,ख़ौफ़, फ़ितना, और जिस्मानी हवस के ख़तरे से पाक होना चाहिये।

बोसा

किसी चीज़ को मुँह से चूमने को बोसा कहते हैं। अ़रबों में ये पुराना रिवाज था कि वह मुलाक़ात के वक़्त एक दूसरे को बोसा देते थे जिसका मक़सद इज़्हारे मुहब्बत था। इस्लाम में ये रिवाज़ वैसे ही क़ायम रहा क्योंकि ये एक अच्छी रसम थी जिससे मुआ़शरे और समाज में आपस की मुहब्बत और तअ़ल्लुक़ात को बढ़ावा मिलता था। यही वजह है अ़रबों में ये रिवाज आज तक चला आ रहा है, कि वो मुलाक़ात के वक़्त मुआ़नक़ह करते हुए या सलाम कहने के बाद गले माथे या रुख़सार पर बोसा देते हैं। चुनान्चे इस्लाम ने इस रसम को वैसे ही बरक़रार रहने दिया। बोसा सिर्फ़ सच्ची मुहब्बत और शफ़क़त व प्यार के इज़्हार के तहत दिया जाये इससे दिलों मे मुहब्बत और दूसरों की चाहत में इज़ाफ़ा होगा। नफ़सानी ख़्वाहिश व जिस्मानी हवस के तहत सिवाए अपनी बीवी के किसी और को बोसा देने से गुनाह होगा। इससे मालूम हुआ कि आ़म बोसा की सूरत को नफ़सनी जज़्बात (काम वासना) से पाक रखना ज़रूरी है। इस्लामी नुक़्त-ए-नज़र व ख़्याल से बोसे की चन्द सूरतें है जो हस्बे ज़ैल हैं:-

1. बोस-ए-रहमत:- बड़े लोग बच्चों को प्यार की वजह से जो बोसा देते हैं वह बोस-ए-रहमत है। वालिदैन का अपनी औलाद को चूमना ख़्वाह वह बड़े हों या छोटे बोस-ए-रहमत है क्यों कि औलाद और बच्चों को मुहब्बत की वजह से चूमना जाइज़ है। इसका सुबूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुन्दर्जा ज़ैल हदीसे पाक हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मदीना मुनव्वरा में आने पर मैं पहली बार हज़रत अबू बक्र के साथ अन्दर दाख़िल हुआ तो उनकी साहबज़ादी हज़रते आ़यशा लेटी हुई थीं जिन्हें बुख़ार चढ़ा हुआ था हज़रत अबू बक्र उनके पास गए और फ़रमाया नन्हीं बेटी! क्या हाल है? और उनके रुख़सार (गाल) पर बोसा दिया। (अबू दाऊद)

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक बच्चे को लाया गया तो आपने उसे बोसा दिया और फ़रमाया ये कंजूस और बुज़दिल बनाने वाले हैं क्यों कि ये अल्लाह तआ़ला की ख़ुशबूदार फ़सल से हैं।

(शरहु-सुन्नह)

औलाद एक मीठा मेवा है जिसमें रह कर इन्सान एक ऐसी ख़ुशी महसूस करता है जिससे दिल बाग़ बाग़ हो जाता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे रेहान कहा है रेहान एक तरह का ख़ुशबूदार फूल है। औलाद बिला शुबह अपने माँ-बाप और एहले ख़ानदान की नज़र में फूल का दर्जा रखती है इसलिये जिस तरह फूल की ख़ुशबू से ख़ुशी हासिल होती है ऐसे ही बच्चों को देखकर ख़ुशी महसूस होती है और उन्हें बोसा देकर तबीअ़त की ख़ुशी में और इज़ाफ़ा होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बच्चों को चूमने की तअ़लीम दी है।

2. औलाद का अपने माँ-बाप को बोसा देनाः- औलाद भी अपने माँ-बाप को मुहब्बत और शफ़क़त के सबब चूम सकती है लेकिन वालिदैन के हाथ को बोसा देना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी हज़रते फ़ातिमा अकसर हुज़ूर के हाथ को पकड़ कर बोसा देती थीं।

हदीस शरीफ़ः हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया मैंने हालत, आ़दत और सूरत में, एक और रिवायत में है कि बोलने और गुफ़्तगू करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ फ़ातिमा से बढ़कर मुशाबेहत रखने वाला किसी को नहीं देखा। जब वह आपकी ख़िद्मत में हाज़िर होतीं तो आप उनके लिये खड़े हो जाते और उनका हाथ पकड़ते उसे बोसा देते और अपने बैठने की जगह पर बैठाते। जब आप उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो वह आपके लिये खड़ी हो जातीं आपका हाथ मुबारक पकड़कर उसे बोसा देतीं और आपको अपने बैठने की जगह पर बैठातीं (अबू दाऊद)

3. बोस-ए-ताज़ीमी :- सलाम, मुसाफ़ह और मुआ़नक़ह करते हुए किसी के माथे पर बोसा दे देना भी जाइज़ है मगर ऐसे बोसे में ख़्यालात पाकीज़ा होना ज़रूरी हैं। अगर बोस-ए-तहिय्यत (ताज़ीमी) की आड़ में नफ़सानी ख़्वाहिशात (काम वासना)उभर आने का अंदेशा हो तो फिर बोसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिये।

हदीस शरीफ़ः हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस जब मदीना मुनव्वरा में आए तो

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर में थे उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उनकी तरफ़ नंगे पैर और कपड़े घसीटते हुए खड़े हुए। ख़ुदा की क़सम मैंने इससे पहले या इसके बाद आपको इस तरह खुले बदन नहीं देखा आपने उनसे मुआ़नक़ह किया और उन्हें बोसा दिया। (तिर्मिज़ी)

4. बोस-ए-मुहब्बतः- मुहब्बत में किसी शख़्स को एहतेरामन (सम्मान के साथ) चूम लेना जाइज़ है और दुरुस्त है इसलिये उस्ताद, शैख़े तरीक़त, पीर या किसी अल्लाह के बंदे के हाथों को बोसा देना नेकबख़्ती है मगर इस सूरत में रियाकारी से बचना भी ज़रूरी है।

हदीस शरीफ़ः हज़रत ज़राअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है जो अ़ब्दुलक़ैस के वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल)में थे उन्होंने फ़रमाया कि जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो जल्दी-जल्दी अपनी सवारियों से उतरने लगे और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथों और पैरों को बोसे दिये।(अबू दाऊद)

5. हजरे असवद का बोसाः हजरे असवद को बोसा देना जाइज़ है। तवाफ़ में उसे चूमना सुन्नत है क्यों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे तवाफ़ में बोसा दिया।

हदीस शरीफ़ः हज़रत जुबैर बिन अ़रबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से हजरे असवद को बोसा देने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप हजरे असवद का इस्तिलाम (हाथ या मुँह से पत्थर चूमना) करते और उसे बोसा देते थे।

(बुख़ारी)

6. कुरआन मजीद को चूमनाः- कुरआने पाक को बोसा देना भी जाइज़ है क्योंकि सहाब-ए किराम के अ़मल से ये बात साबित है। हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कुरआन मजीद को रोज़ाना बोसा देते और फ़रमाते कि ये अ़हद (सच्चा वादा) है और किताब है। ऐसे ही हज़रते उ़समान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु कुरआन पाक को बोसा देते और अपनी आँखों से लगा लेते। इससे मालूम हुआ कि किसी मुक़द्दस (पाक) चीज़ को चूम लेने में कोई हरज नहीं।

7. बोस-ए-नफ़सानी मुहब्बतः- अपनी बीवी को तनहाई में चूम लेना भी शरअ़न जाइज़ है इसके अ़लावा किसी ग़ैर औ़रत के जिस्म को ग़लब-ए-नफ़सानी ख़्वाहिशात (जिस्मानी हवस) के साथ छूना गुनाह हैं।

आदाब-ए- गुफ़्तगू

बात-चीत की ताक़त अल्लाह तआ़ला की अनमोल नेअ़मत है जो अल्लाह तआ़ला ने हर इन्सान को अ़ता कर रखी है। अपने मक़सद और ज़रूरत को ज़ाहिर करने के लिये हर शख़्स को बात चीत से तक़रीबन हर वक़्त वास्ता रहता है। गुफ़्तगू इन्सानी शख़्सियत का आइना है जिससे इन्सानी मर्तबे और शख़्सी हैसियत का इज़्हार होता है। किसी शख़्स की गुफ़्तगू जितनी बेहतर हो उतना ही वह अ़क़्लमंद तसव्वुर किया जाता है। चुनान्चे इस्लाम में गुफ़्तगू के चन्द आदाब मुक़र्रर किये गये हैं जिनकी रौशनी में गुफ़्तगू करना इन्सानी इ़ज़्ज़त में बढ़ोतरी का सबब बनता है। बोलने वाला तहज़ीबदार और ख़ुश अख़्लाक़ तसव्वुर किया जाता है इसलिये अच्छा मुसलमान वह है जिसकी गुफ़्तगू बा मक़सद और बे नुक़सान हो जो ज़रूरत के तहत बोले क्योंकि ज़रूरत के बग़ैर बोलना नुक़सान देह है। दरमियानी लहजे से गुफ़्तगू करे। न ज़्यादा ऊँची और न ज़्यादा नीची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अन्दाज़े गुफ़्तगू बहुत ही प्यारा था आपकी गुफ़्तगू में संतुलन था अल्फ़ाज़ सादा आ़म समझ वाले और साफ़ होते जिन्हें सुनने वाला आसानी से समझ जाता। बअ़ज़ वक़्त किसी बात को दोहरा भी देते ताकि कोई बात समझे बग़ैर न रह जाए। इस्लामी शरीअ़त की रू से आदाबे गुफ़्तगू इस तरह हैं:-

1. सच्ची और बेहतरीन बात करना:- गुफ़्तगू का पहला अदब ये है कि जो बात की जाए वो सच्ची हो क्योंकि इस्लाम का सबसे बुनियादी और पहला सबक़ यही है कि ज़बान से जो कुछ बोला जाए सच बोला जाए। सच्ची बात हमेशा अच्छी और बा मअ़ना होती है हुज़ूर बज़ाते ख़ुद हमेशा सच्ची बात ही कहा करते थे और इसी बात की नसीहत अपनी उम्मत को भी फ़रमाई है कि वह हमेशा सच्चाई को अपनाएं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- तुम पर सच्चाई लाज़िम है क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ़ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ़ ले जाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच्चाई की तलाश में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सिद्दीक़ (सच्चा) लिख लिया जाता है और झूठ से परहेज़ करो

क्योंकि झूठ बुराई की तरफ़ ले जाता है और बुराई जहन्नम में ले जाती है। आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआला के नज़दीक कज़्ज़ाब (झूठा) लिख लिया जाता है। (मुस्लिम शरीफ़)

2. नर्म लहजे से बात करें:- गुफ़्तगू का दूसरा अदब ये है कि गुफ़्तगू करते हुए नर्म लहजा इख़्तियार करें क्योंकि नर्म बात में हमदर्दी के जज़्बात होते हैं जिससे गुफ़्तगू बा असर हो जाती है। बात सुनने वाला नर्म गुफ़्तगू करने वाले को पसन्द करता है और जो कुछ कह रहा हो उसे ग़ौर से सुनता है।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने जब हुक्म दिया कि फ़िरऔ़न के पास जाओ और उसे हक़ की दअ़वत दो तो उनहें नसीहत फ़रमाई कि उससे नर्म लहजे में बात करना क्योंकि नर्म लहजा इन्सानी अ़क़्लमन्दी और इ़ज़्ज़त व वक़ार की भी निशानी है ताकि उस पर तुम्हारी गुफ़्तगू का असर अच्छा साबित हो।

क़ुरआन शरीफ़: आप दोनों फ़िरऔ़न के पास जाओ बेशक उसने सरकशी की है फिर उससे नर्म लहजे से बात करना ताकि वह नसीहत पकड़े और अल्लाह से डरे (पारा16 सूरह 'ताहा' 44,45)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद इन्तिहाई नर्म दिल और मुलायम तबीअ़त वाले थे और आप हमेशा नर्म लहजे में गुफ़्तगू फ़रमाते और यही तालीम आपने मुसलमानों को दी कि जब भी बात-चीत करें तो नर्म लहजे इख़्तियार करें। चिल्ला-चिल्ला कर ज़ोर-ज़ोर से बातें करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। छोटों के साथ जब बात-चीत करें तो प्यार भरे अन्दाज़ इख़्तियार करें और जब बड़ों के साथ गुफ़्तगू करें तो बा अदब तरीक़ा रखें। इंशा अल्लाह दोनों के नज़दीक इ़ज़्ज़त वाले रहेंगे।

3. आ़म और आसान बात करना सुन्नत है:- बात आ़म समझ वाली करनी चाहिये ताकि हर कोई समझ जाए बअ़ज़ लोग आ़म महफ़िलों में या दोस्तों की मजलिस में अपनी क़ाबलियत और ज़ाती बरतरी (महानता) के इज़्हार के लिये ऐसे अल्फ़ाज़ में बात करते हैं कि जो आ़म हज़रात की समझ से दूर हों ताकि उनकी शख़्सियत नुमायां हो। इस्लाम ने ऐसे तकल्लुफ़ व परेशानी में पड़ने के बजाए सादगी इख़्तियार करने पर ज़ोर दिया है इसलिये अच्छा इन्सान वही है जो बात आ़म व आसान करे

क्योंकि ऐसा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात बड़ी आ़म फ़हम होती और हर सुनने वाला उसे आसानी से समझ लेता। (अबू दाऊद)

ऐसे ही एक और ह़दीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कोई बात फ़रमते तो उसको तीन मर्तबा दोहरा देते ताकि सुनने वाले की समझ में आ जाए।

(बुख़ारी शरीफ़)

कु़रआन शरीफ़: मोमिनों! ख़ुदा से डरा करो और बात सीधी कहा करो वह तुम्हारे सब आ़माल दुरुस्त कर देगा और जो शख़्स ख़ुदा और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा।

(पारा 22 सूरह अह़ज़ाब, आयत 70,71)

4. अच्छी बात की नसीह़त:- गुफ़्तगू का एक अदब ये है कि हमेशा बात अच्छी करें क्योंकि अच्छी बात करना चुप रहने से अफ़ज़ल है और चुप रहना बे मक़सद बात करने से बेहतर है इसलिये अगर कोई बुरी बातें करता हो तो उसे अच्छी बातों की तालीम देनी चाहिये क्यों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा अच्छी बात कहने का सबक़ दिया है चुनान्चे उस्तादों और माँ-बाप को चाहिये कि बच्चों को अच्छी बात करने की तालीम दें। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अच्छी बात सद्क़ा है। (बख़ारी शरीफ़)

एक और ह़दीस में हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि:- जन्नत में बालाख़ाने (दो मन्ज़िल मकान)हैं जिनके बाहर के ह़िस्से अन्दर से और अन्दर के ह़िस्से बाहर से नज़र आते हैं। एक आ़राबी (देहाती)ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! ये किनके लिये होंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जवाब दिया ये उन लोगों के लिये होंगे जो हमेशा अच्छी गुफ़्तगू करते हैं। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

5. ज़रूरत के मुताबिक़ बात करें:- बात-चीत ज़रूरत के

मुताबिक़ करनी चाहिये क्योंकि ज़रूरत के बग़ैर हर जगह बातें करते रहने से एक तो दिमाग़ी ताक़त कम होती है और दूसरे इन्सानी मर्तबा ज़ख़्मी होता है। इसलिये जिन हज़रात को बिना ज़रूरत बातें करने की आ़दत हो उन्हें चाहिये कि इस आ़दत को छोड़ दें क्योंकि बातूनी शख़्स को इस्लामी मुआ़शरे व समाज में ज़िल्लत व अपमान की निगाह से देखा जाता है। इसलिये जब भी गुफ़्तगू करें तो किसी काम की गुफ़्तगू करें। एक आ़लिमे दीन का क़ौल है कि बात हमेशा सलीक़े और वक़ार से करें जल्दी और तेज़ी से न करें उससे आदमी की अहमियत जाती रहती है।

जाहिल लोगों से गुफ़्तगू करने का मौक़ा मिले तो बस काम की बात करके अपना मक़सद बयान कर दें बातों में उलझने और बहस में पड़ने से बचें क्यों कि बातों में उलझने से झगड़ा होने का ख़तरा होता है ऐसे ही दो आदमी बात कर रहे हों तो इजाज़त के बग़ैर उनमें दख़ल अन्दाज़ी न करें और न कभी किसी बोलने वाले की बात काटने की कोशिश करें। अगर बात करने की ज़रूरत महसूस हो तो फिर माफ़ी के साथ दूसरों की गुफ़्तगू में दख़ल दें।

6. मज़ाक़ की गुफ़्तगू से बचने की कोशिश करें:- उ़म्दा क़िस्म की हँसी और मज़ाक़ की इस्लाम में अगरचे थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है मगर सख़्त क़िस्म के मज़ाक़ की मुमानिअ़त है क्यों कि मज़ाक़ की बातों में अकसर एक दूसरे पर ज़्यादती की बातें हो जाती हैं जो लड़ाई झगड़े का सबब बनती हैं इसलिये मज़ाक़िया गुफ़्तगू से मना फ़रमाया गया है।

हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ का क़ौल है कि आपस में ठट्ठा मज़ाक़ मत करो क्योंकि मज़ाक़ दिलों में नफ़रत पैदा करता है जिससे बुरे इरादों की सोच पैदा हो जाती है। ऐसे ही हज़रत उ़मर का भी एक क़ौल है कि जो शख़्स किसी से मज़ाक़ करता है वह उसकी नज़र से गिर जाता है।

(कीमियाए सआ़दत)

7. गुफ़्तगू में रज़ाए इलाही को पेशे नज़र रखें:- बात चीत और गुफ़्तगू का एक अदब ये भी है कि बात करते हुए रज़ाए इलाही को पेशे नज़र रखें क्योंकि जिस गुफ़्तगू में अल्लाह की रज़ा शामिल हो वो सरासर नेकी है जिसका बे पनाह अज्र मिलेगा इसलिये गुफ़्तगू करते हुए ये बात पेशे नज़र रखें कि जो बात करें उसे अल्लाह की ख़ातिर करें क्यों कि इसी

में निजात और कामयाबी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- बंदा अल्लाह तआला की रज़ामंदी का कोई लफ़्ज़ कह देता है जिसको उसने अहमियत नहीं दी होती लेकिन उसके सबब अल्लाह तआला उसका दर्जा बुलन्द कर देता है और बंदा अल्लाह तआला की नाराज़गी का एक लफ़्ज़ कह देता है जिसकी उसे परवा नहीं होती लेकिन वह उसे जहन्नम में ले जाता है। (बुख़ारी शरीफ़)

8. मुख़्तसर गुफ़्तगू करना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ़्तगू मुख़्तसर करने की तालीम दी है इसलिये मुख़्तसर गुफ़्तगू करना सुन्नत है क्योंकि मुख़्तसर गुफ़्तगू से मक़सद फ़ौरन साफ़ हो जाता है और बातें सुनने वाले की तबीअत पर बोझ महसूस नहीं होता। लम्बी बात चीत से बसा अवक़ात वक़्त ख़राब होता है और सुनने वाला अपनी तबीअत पर परेशानी महसूस करता है जो अच्छे अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ है इसलिये हमेशा बात-चीत करते हुए इख़्तिसार (संक्षेप)को पेशे नज़र करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अमर बिन अलआस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक रोज़ एक आदमी खड़ा हुआ और बहुत सी बातें बनाई हज़रत अमर ने फ़रमाया कि अगर ये दरमियानी अन्दाज़ इख़्तियार करता तो इसके लिये बेहतर होता क्यों कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि मुझे मुनासिब नज़र आया या मुझे हुक्म दिया गया है कि मुख़्तसर गुफ़्तगू किया करें क्योंकि मुख़्तसर कलाम ही बेहतर है। (अबू दाऊद)

9. दिल दुखाने वाली गुफ़्तगू की मुमानिअत:- बात चीत करते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि किसी को दुख: पहुँचाने वाली बात न कहें क्योंकि किसी का दिल दुखाने से अल्लाह तआला नाराज़ होता है इसलिये दुख: देने वाली बातों से बचना चाहिये। बअज़ लोगों की आदत होती है कि वह बात चीत करते हुए लअन तअन करते हैं जिसे सुन्ने वाला अपनी बे इ़ज़्ज़ती ख़्याल करता है और इस तरह उसको दिली तकलीफ़ होती है इसलिये अख़्लाक़ी नुक़त-ए-नज़र से लअन

तअ़न करने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बदतमीज़ और बे ग़ैरत नहीं होता।" (तिर्मिज़ी)

ऐसे ही अपनी गुफ़्तगू को झूठ से पाकीज़ा रखना चाहिये न ही रियाकारी और कपट वाली बात करनी चाहिये क्यों कि निफ़ाक़ (कपटाचार) आ़म तौर से नफ़रत का सबब बनता है इसलिये ऐसी गुफ़्तगू का क्या फ़ायदा जो आपस में जोड़ने की बजाए जुदा करने का सबब पैदा करे। बुहतान और इलज़ाम वाली गुफ़्तगू से भी बचें। ऐसे ही अगर किसी मुक़ाम पर ना मुनासिब गुफ़्तगू हो रही हो ता उससे भी परहेज़ करें। अलबत्ता हर ऐसी बात कहने से बचें जो बुराई को जन्म देती हो। इसकी तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाब-ए किराम को हस्बज़ैल तरीक़े से दी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सअ़ल्बा ख़ुशनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'तुम में से क़यामत में मेरा सबसे प्यारा और मुझसे ज़्यादा क़रीब वह होगा जिसका अख़्लाक़ अच्छा हो। और मेरा ना पसन्दीदह और मुझसे बहुत दूर वो होगा जिसका अख़्लाक़ बुरा हो यानी बहुत बोलने वाले मुँह फट और गप्पें हांकने वाले' (बेहक़ी)।

10. फ़ुज़ूल बात चीत की मुमानिअ़त:- फ़ुज़ूल बातें इन्तिहाई नुक़सान देह होती हैं क्यों कि इनसे गुनाहों में इज़ाफ़ा होता रहता है मगर इन्सान को यही गुमान होता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया मगर फ़ुज़ूल बातों की बिना पर इसका आ़माल नामा गुनाहों से भर जाता है।

फ़ुज़ूल बात वह है जिससे दुनिया और आख़िरत का कोई फ़ायदा न हो बल्कि दुनिया व आख़िरत का नुक़सान हो। फ़ुज़ूल और बेहूदह बातों से बचने के लिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है कि:-

आयत: बेशक एहले ईमान के लिये कामयाबी है। जो नमाज़ में आ़जिज़ी व बन्दगी करते हैं और जो बेहूदह बातों से मुँह मोढ़ लेते हैं।

जो बातें बज़ाहिर न नफ़अ़, न नुक़सान वाली नज़र आती हैं

हक़ीक़त में वह नुक़सान ही की तरफ़ ले जाने वाली होती हैं क्योंकि जितनी देर कोई बे फ़ायदा बातों में मसरूफ़ रहेगा इतना ही उसका वक़्त बरबाद होगा इस तरह वक़्त का बरबाद होना नुक़सान ही की दलील है। याद रहे कि जब फ़ुज़ूल गुफ़्तगू शुरु हो जाती है तो फिर बढ़ते-बढ़ते बुरी बातें होने लगती हैं यहाँ तक कि बेहयाई और ग़ीबत की बातों तक नौबत पहुँच जाती है। इसलिये फ़ुज़ूल बातों में सरासर नुक़सान ही है।

फ़ुज़ूल बातों की बजाए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ माइल रहना चाहिये क्योंकि बेहतरी इसी में है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने चार वजहों की बिना पर फ़ुज़ूल बातों से बचने की तालीम दी है।

पहली बात उन्होंने ये बयान फ़रमाई है कि फ़ुज़ूल बात किरामन कातिबीन को लिखनी पड़ती है इसलिये इन्सान को फ़रिश्तों से शर्म व हया करते हुए सोचना चाहिये कि इन्हें फ़ुज़ूल लिखने की तक़लीफ़ न दे।

दूसरी वजह ये है कि ये बात अच्छी नहीं कि बेकार और बेहूदह बातों से भरा हुआ आ़मालनामा अपने रब के हुज़ूर पेश हो। इसलिये फ़ुज़ूल बातों से दूर ही रहना अच्छा है।

तीसरी वजह ये है कि बंदे को क़यामत के रोज़ कहा जायेगा कि अपना आ़मालनामा तमाम लोगों का ख़ुद पढ़ कर सुनाए। उस वक़्त हश्र की ख़ौफ़नाक सख़्तियाँ उसके सामने होंगी। इन्सान प्यास की तकलीफ़ से मर रहा होगा, जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, भूख से कमर टूट रही होगी, जन्नत में दाख़िल होने से रोक दिया जायेगा और हर क़िस्म की राहत उस पर बंद कर दी गयी होगी। ऐसे हालात में अपने ऐसे आ़मालनामे को पढ़ना जो फ़ुज़ूल और बेहूदह गुफ़्तगू से पुर हो। किस क़दर तकलीफ़ दे चीज़ होगी इसलिये चाहिये कि ज़बान से सिवाए अच्छी बात के कुछ न निकाले।

चौथी वजह ये है कि बंदे को फ़ुज़ूल और ग़ैर ज़रूरी बातों पर मलामत की जायेगी और शर्म दिलाई जाएगी और बंदे के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और अल्लाह तआ़ला के सामने शर्म व नदामत की वजह से इन्सान पानी-पानी हो जाएगा। (मिन्हाजुल आ़बिदीन)

11. लतीफ़े व चुटकुले बाज़ी की मुमानिअ़त:- इस्लाम में लतीफ़े व चुटकुले बाज़ी की बातें करना मना हैं क्यों कि इनमें बेजा तारीफ़ और झूठ शामिल होता है। बैहक़ी की एक रिवायत में है कि हुज़ूर

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो बंदा महज़ इसलिये बात करता है कि लोगों को हंसाए तो इस बिना पर दोज़ख़ की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के बीच के फ़ासले से ज़्यादा है और ज़बान की वजह से जितनी लग़ज़िश व ख़ता होती है वह उससे कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लग़ज़िश व ख़ता होती है। इससे मालूम हुआ कि लतीफ़े बाज़ी मुफ़्त के गुनाह हैं जो इन्सान अपने ज़िम्मे ख़्वाह मख़्वाह ले लेता है जिनका कोई फ़ायदा नहीं इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लतीफ़े बाज़ी से मना फ़रमाया है।

12. गन्दी बातों से ज़बान की हिफ़ाज़त करना सुन्नत है:- अपनी ज़बान को गंदी और बेहयाई की बातों से बचाना सुन्नत है इसलिये ज़बान की हिफ़ाज़त हर एक के लिये ज़रूरी है। इसकी हिफ़ाज़त से अच्छे असरात निकलते हैं। अगर इसकी हिफ़ाज़त न की जाए और उसे ग़लत बातों के लिये इस्तेमाल किया जाए तो इससे फ़ितना फ़साद पैदा होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसकी हिफ़ाज़त की बहुत नसीहत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुझे उसकी ज़मानत दे जो दोनों जबड़ों के दरमियान है और उसकी ज़मानत दे जो दोनों टाँगों के दरमियान है, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत है कि एक शख़्स रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और उसने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझे कुछ वसीयत कीजिये तो आपने फ़रमाया कि ख़ुदा से डरते रहो, इसी में तमाम नेकियाँ छिपी हैं। और उसके रास्ते में जिहाद (कोशिश)करते रहो। यही मुसलमानों की रहबानियत (परहेज़गारी) है कि अल्लाह का ज़िक्र और कु़रआन पाक की तिलावत करते रहें। इससे तुम्हारे लिये आसमानों से नूर आएगा। और अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचाओ सिर्फ़ नेकी और अच्छी बातें कहो। इससे शैतान पर सवार रहोगे। (तिबरानी)

कुछ लोगों की आ़दत होती है कि वह लज़्ज़ते नफ़्स व हवस के

लिये गंदी बातें करते रहते हैं जिससे गुनाहे बे लज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता रहता है और इन्सान ख़्वाह मख़्वाह दिन ब दिन गुनहगार हो जाता है। ये सरासर नादानी और बेवक़ूफ़ी है। इसलिये अपनी ज़बान को गंदी बातों से महफ़ूज़ रखने की हर मुम्किन कोशिश करनी चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी ताकीद यूँ फ़रमाई हैः-

हदीस शरीफ़ः हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि निजात किस चीज़ में है? फ़रमाया कि अपनी ज़बान को क़ब्ज़े में रखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये काफ़ी है। और अपनी ख़ताओं पर रोया करो। (अहमद, तिर्मिज़ी)

ज़बान की अच्छाई या बुराई का नतीजा जिस्म के तमाम हिस्सों पर असर अन्दाज़ होता है अगर कोई ज़बान से किसी को गाली दे और वो गाली निकालने वाले को पीटे तो इस तरह जो क़ुसूर ज़बान ने किया उसका ख़मियाज़ा नतीजा जिस्म के दूसरे अंगों को उठाना पड़ा।

हदीस शरीफ़ः हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मरफ़ूअ़न फ़रमाया कि जब आदमी के लिये सुबह होती है तो तमाम आ़ज़ा (जिस्म के हिस्से) ज़बान की ख़ुशामद करते और कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरना क्यों कि हम तेरे साथ हैं अगर तू सीधी रहे तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गयी तो हम भी टेढ़े हो जायेंगे। (तिर्मिज़ी)

इमाम ग़ज़ाली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एक इरशाद नक़्ल फ़रमाया हैः कि क़यामत में हिसाब के दिन के बाद जब बअ़ज़ लोगों को दोज़ख़ में ले जाया जायेगा तो उनके मुँह से ऐसी सख़्त बदबू निकलकर दोज़ख़ में फैलेगी कि ख़ुद एहले दोज़ख़ चीख़ उठेंगे और पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? तब उन्हें बताया जायेगा कि ये वो बदबख़्त हैं कि जो फ़हश कलामी (गंदी बात-चीत) से काम लेते थे और ऐसी जगह पर जाने के लिये बड़े बेताब रहते थे जहाँ बद कलामी और फ़हश गोई (बदतमीज़ी) हुआ करती थी। (कीमिया-ए-सआ़दत)

ग़र्ज़ ये कि ज़बान की हिफ़ाज़त हर हाल में मुसलमान के लिये ज़रूरी है क्यों कि जो शख़्स इसे बचा लेगा वही जन्नती है।

खाने के आदाब

खाना यानी गिज़ा अल्लाह तआ़ला की अनमोल नेअ़मतों में से है क्यों कि इससे इन्सानी ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त है। इसलिये इसके बग़ैर चारह नहीं लिहाज़ा इसे अदब व एहतराम से इस्तेमाल में लाना इन्सानी फ़र्ज़ है जो शख़्स खाने की क़द्र करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमा देता है गिज़ा तो हर सूरत में खानी है अगर उसे इस नियत से खाया जाये कि उसके खाने से जिस्मानी ताक़त हासिल होगी , तंदरुस्ती बहाल रहेगी, जिससे इन्सान बख़ूबी अल्लाह की इबादत सर अंजाम दे सकेगा तो उस वक़्त इन्सान का खाना भी इबादत बन जाएगा।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने इसी बात को यूँ बयान फ़रमाया है कि राहे इबादत भी ख़ुद इबादत का एक हिस्सा है और सामान-ए सफ़र भी सफ़र ही कहलाता है। और हर वो चीज़ जिसका तअ़ल्लुक़ दीन के रास्ते से हो, यानी दीन को जिस चीज़ की हाजत हो वो बजाए ख़ुद दीन का एक हिस्सा है और ज़ाहिर है कि दीन खाने की हाजत से वे नियाज़ नहीं। क्योंकि राहे दीन पर चलने वालों का असल मक़सद दीदारे इलाही हासिल करना है और उसका बीज इल्मो अ़मल है। और इल्मो अ़मल की अदाएगी जिस्म की सलामती के बग़ैर मुम्किन नहीं और जिस्म की सलामती खाने पीने के बग़ैर मुम्किन नहीं। पस खाना पीना राहे दीन की ज़रूरत में शामिल है (यानी खाएगा तो जिस्म सलामत रहेगा। जिस्म सलामत होगा तो इल्मो अ़मल मुम्किन हो सकेगा और यही राहे दीन है। और राहे दीन ख़ुद दीन है) पस मालूम हुआ कि खाना-पीना हर तरह दीन से है और इसी लिये हक़ तआ़ला ने फ़रमाया है कि "अच्छी चीज़ें खाओ और नेक अ़मल (यानी इबादत) करो।" गोया आ़माले स्वालेह, नेक अ़मल और खाना खाने का ज़िक्र इकट्ठा कर दिया गया है। पस जो शख़्स खाना इस इरादे से खाता है कि उसे इल्मो अ़मल की ताक़त और राहे आख़िरत पर चलने के लिये ताक़त हासिल हो जाए उसका खाना भी इबादत ही है और इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैं कि :- मोमिन को हर चीज़ पर सवाब ही सवाब मिलता है यहाँ तक कि उसका अपने मुँह में या अपने बाल बच्चों के मुँह में निवाला डालना भी सवाब में शामिल है और इस इरशाद से मुराद ये है कि मोमिन का मक़सद ही हर चीज़ से राहे आख़िरत पर चलना होता है और राहे दीन पर चलनेकी ख़ातिर खाना खाने

की निशानी ये है कि (इस नियत से खाने वाला) हरीस होकर नहीं खाता और हलाल खाता है और बक़द्रे हाजत खाता है। (कीमिया-ए-सआदत)

खाने का सुन्नत तरीक़ा:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह खाना खाते थे वो खाने का सुन्नत तरीक़ा है लिहाज़ा हमें चाहिये कि जब हम खाना खाएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ खाएं। इस तरह खाना भी खा लिया जायेगा और मुफ़्त में सवाब भी मिल जायेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक़ खाना खाने से पहले अपने दानों हाथ धोएं अगर बा वुज़ू हों तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ धोते वक़्त कुल्ली भी कर लें तो बेहतर है फिर खाने के लिये बैठ जायें चटाई पर बैठें तो ज़्यादा मुनासिब है अगर सालन आपके सामने डालकर रखा हो तो ठीक है वरना सालन डालें फिर दाएं हाथ से रोटी का निवाला तोड़ें और सालन से लगाकर बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ते हुए मुँह में डालें, लुक़मा (निवाला)खूब चबाकर खाएं, खाना शुरु करने से पहले अगर पानी पीना चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लें क्यों कि खाने के शुरु में पानी पीना बेहतर है। लुक़मा छोटा लें तो अच्छा है अगर दरमियानी हो ता ज़्यादा बेहतर है। सालन किनारे से खाना शुरु करें।

अगर एक बर्तन में दो-तीन आदमी मिलकर खा रहे हों तो अपने सामने से खाएं, दूसरे के सामने से सालन नहीं उठाना चाहिये। खाना मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिये न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम। खाने में जल्दी न करो, खाना नमकीन से शुरु करें फिर मीठी चीज़ खाएं फिर आख़िर में नमकीन चीज़ पर खाना खाना ख़त्म करें। खाने में तीन ऊँगलियाँ इस्तेमाल करें, रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ें दस्तरख़्वान पर अगर रोटी के टुकड़े गिरे हों तो उन्हें उठाकर खालें, बर्तन को साफ़ करें यानी बर्तन में सालन न रहने दें। खाना ख़त्म करने पर ऊँगलियो का चाट लें पहले दरमियानी उँगली चाटें फिर पहली, आख़िर में अंगूठा, खाने के बाद दाँतों से बची हुई खुराक को किसी चीज़ के साथ निकालें यानी दाँतों का ख़िलाल करें फिर हाथ धोएं और हाथों को सर और चेहरे पर फेर लें। अगर पानी रह जाए तो फिर तौलिये से खुश्क कर लें, खाने से फ़ारिग़ होने के बाद सुन्नत दुआओं में से कोई दुआ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने पेट भर कर खाना खिलाया।

खाने के आदाब और सुन्नतें हस्बज़ैल है:-

1. हाथ धोना:- अल्लाह के बंदों का कहना है कि खाने से पहले वुज़ू करना चाहिये अगर ऐसा न कर सके तो हाथ और मुँह धो ले और अगर ये भी न कर सके तो हाथ ज़रूर धो ले। और हाथ धोए बग़ैर खाना कभी न खाए क्यों कि हाथ धोना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खाने से पहले वुज़ू कर लेते। अगर वुज़ू न करते तो हाथ धोते मगर कपड़े से खुश्क न करते। इसका फ़ायदा ये है कि हाथ पोंछने से हाथों के साथ कुछ न कुछ तौलिये का गूदा या रूआँ वग़ैरा लग जायेगा जो खाना खाते वक़्त अन्दर जायेगा। इसलिये खाना खाने से पहले हाथ धोकर तौलिये से पोंछना सुन्नत नहीं है।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया है कि : खाना खाने से पहले हाथ और मुँह को धोना चाहिये क्यों कि खाना जब सामाने आख़िरत की नियत से खाऐं तो ये ख़ास इबादत में शुमार होगा लिहाज़ा उसका सवाब होगा। जैसा कि नमाज़ से पहले वुज़ू करने का होता है और फिर इससे हाथ और मुँह की सफ़ाई भी हो जाती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि : मैंने तौरैत में पढ़ा कि खाने की बरकत का ज़रिया उसके बाद हाथ धोना है। मैंने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि :- खाने की बरकत का ज़रिया उससे पहले और उसके बाद हाथों के धोने में है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

इब्ने माजा की हदीस में हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो कोइ ये पसन्द करे कि अल्लाह तबारक व तआ़ला उसके घर में ख़ैर व बरकत ज़्यादा करे उसे चाहिये कि जब खाना हाज़िर किया जाये तब भी और जब खाना उठाया जाये तब भी वुज़ू करे यानी (हाथ धोए और कुल्ली करे) । (इब्ने माजा)

एक बुज़ुर्ग अपने अ़क़ीदतमंदों को तअ़लीम फ़रमाया करते थे कि खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोया करो क्यों कि खाने से पहले हाथ धोने से अल्लाह तआ़ल ग़रीबी दूर कर देता है और खाने के बाद हाथ धोने से अ़क़्ल में इज़ाफ़ा कर देता है। बूढ़ों से पहले जवानों को हाथ धोने चाहियें।

2. खाना दस्तरख़्वान पर खाना चाहिये:- खाना दस्तरख़्वान पर रख कर खाना चाहिये। कुछ लोग खाने को मेज़ पर रखते हैं और उसे खाने के लिये कुर्सी पर बैठते हैं ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। सूफ़िया और बुज़ुर्गाने दीन जो पैरवी-ए-सुन्नत पर सख़्ती से पाबंद होते हैं वो हमेशा दस्तरख़्वान ही पर खाना रखकर तनावुल फ़रमाते हैं।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया कि खाना दस्तरख़्वान पर रखा जाए न कि ख़्वान (सीनी या तबाक़) पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसा ही करते रहे हैं और ये इसलिये कि दस्तरख़्वान सफ़र की याद दिलाता है और दुनियावी सफ़र आख़िरंत के सफ़र की याद दिलाता है। और आ़जेज़ी के भी नज़दीक तर है। वैसे अगर ख़्वान पर भी खाया जाये तो जाइज़ है क्योंकि इसकी मुमानिअ़त नहीं की गयी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बुज़ुर्गाने दीन की यही आ़दत रही है कि दस्तरख़्वान पर खाते थे और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे ही खाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तमाम उ़म्र न तो मेज़ पर रखकर खाया और न ही मैदा की रोटी खाई। हुज़ूर ने सादगी पसन्द फ़रमाई और फ़क़्र (ग़रीबी) इख़्तियार फ़रमाया। (तिर्मिज़ी)

हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने लिखा है कि सूफ़िया का एक मअ़मूल ये भी है कि वह दस्तरख़्वान पर खाना खाते हैं इस तरह खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने न तो तख़्त पर खाना खाया और न सीनी में। इस पर दरयाफ़्त किया गया कि फिर किस चीज़ पर तनावुल फ़रमाते थे? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जवाब दिया दस्तरख़्वान पर।

(अ़वारिफ़ुल मआ़रिफ़)

3. खाना बैठ कर खाना चाहिये:- खाना बैठ कर खाना चाहिये, खड़े होकर खाना इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है। रास्ते और बाज़ार में खाना मकरूह है। खाने के लिये अच्छे अन्दाज़ से बैठना चाहिये। खाते वक़्त बैठने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि दायाँ घुटना खड़ा करें और बाएं पाँव

पर बैठ जाएं और जिस्म का वज़न उसी पर डाल लें किसी चीज़ से टेक लगाकर खाना अच्छा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकसर इसी तरह बैठकर खाते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ कर खजूरें खाते देखा है। (मुस्लिम शरीफ़)

शेख़ अबू तालिब मक्की का कहना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खाना आता तो आप उसे ज़मीन पर रखकर बैठ कर तनावुल फ़रमाते। और फ़रमाते मैं सहारा लगाकर खाने वाला नहीं, दाई टाँग खड़ी कर लेते और बाएं पाँव की पीठ पर बैठते। यही खाने का सुन्नत तरीक़ा है अरबों में यही रिवाज है। (क़ुव्वतुल क़ुलूब)

4. खाते वक़्त टेक लगाने की मुमानिअत:- खाते वक़्त टेक लगाना ख़िलाफ़े सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाते वक़्त टेक लगाने से मना फ़रमाया है। टेक लगाकर या लेटकर खाने से ग़िज़ा अच्छी तरह बा आसानी मेअ़दे में पहुँच नहीं पाती और सेहत के लिये नुक़सान दह साबित होती है लिहाज़ा इस हकीमी, डॉक्टरी नुक़सान को सामने रखते हुए टेक लगाकर या लेटकर खाना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू जुहैफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया में टेक लगाकर खाना नहीं खाता।(बुख़ारी शरीफ़)

5. जूते उतारने का हुक्म:- जब खाना खाने के लिये बैठा जाये तो उस वक़्त जूता उतार देना चाहिये क्योंकि दस्तरख़्वान पर जूते समैत बैठना ख़िलाफ़े सुन्नत है। अकसर बुज़ुर्गाने दीन का ये मअमूल रहा है कि खाने से पहले ज़मीन पर चटाई बिछाते, जूते उतारकर क़िब्ला रुख़ होकर सुन्नत के मुताबिक़ बैठ कर खाना तनावुल फ़रमाते। जूते उतारकर खाने से अल्लाह से क़ुरबत व नज़दीकी को नज़र में रखना मुराद है और जूते उतारकर खाने से सुकून हासिल आता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- जब खाना

सामने रख दिया जाये तो अपने जूते उतार लिया करो क्योंकि ये तुम्हारे पैरों के लिये आराम बख़्श है। (मिश्कात शरीफ़)

6. नेक नियती से खाना:- इस नियत से खाए कि खाना इबादत के लिये खा रहा हूँ न कि शहवत व हवस और ख़्वाहिश के सुकून के लिये। इब्राहीम बिन शीबान कहते हैं कि अस्सी 80 बरस होने को आए कि मैंने कोई चीज़ ख़्वाहिश की ख़ातिर नहीं खाई और इस नियत के सही होने की दलील ये है कि इरादा ही थोड़ा खाने का हो क्योंकि ज़्यादा खाना इबादते इलाही से दूर रखता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि पसन्दीदह बात यही है कि कमर सीधी रखने के लिये चन्द लुक़्मों पर ख़ुराक पूरी कर ली जाए और अगर इस पर बस न हो सके तो एक तिहाई हिस्सा पेट का खाने से पुर कर ले और बाक़ी में से एक तिहाई पानी के लिये और एक तिहाई सांस (यानी हवा) के लिये रहने दे।

7. जो हाज़िर हो वह खाए:- जो कुछ हाज़िर हो खा लिया जाए और उसी पर बस की जाए और उ़मदह लज़ीज़ खानों के तकल्लुफ़ में न पड़े। कि खाने से मोमिन का मक़सद इबादत के लिये ताक़त हासिल करना है न कि उ़म्दा व तरह-तरह के खाने तलाश करना। और रोटी का एहतराम भी दाख़िले सुन्नत है कि आदमी का ख़मीर (गोश्त) इसी से है। और रोटी का इन्तिहाई एहतराम ये है कि उसे (यानी रोटी को) सालन वग़ैरह के इन्तिज़ार में न रखें बल्कि उसे नमाज़ के इन्तिज़ार में भी न रखना चाहिये। (यानी रोटी सामने आए तो सालन ख़्वाह मयस्सर न ही हो या नमाज़ का वक़्त ख़्वाह बिल्कुल क़रीब हो लेकिन रोटी को इन्तिज़ार में न रखें अगरचे रूखी हो) और जैसे ही रोटी हाज़िर की जाए तो पहले उसे खाएं और फिर नमाज़ पढ़ें।

8. शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना:- खाने के लिये जब बैठें तो सबसे पहले जब खाना शुरु करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें क्योंकि मुँह में निवाला डालते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना सबके इत्तिफ़ाक़ के साथ सुन्नत है। बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़नी चाहिये ताकि दूसरों को भी याद आ जाए। अगर शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जायें तो जब याद आये उस वक़्त पढ़ लें।

मेरे मुर्शिद फ़रमाया करते थे कि जब खाना खाओ तो हर लुक़्मे पर

बिस्मिल्लाह पढ़ा करो क्यों कि अल्लाह के बंदों का यही तरीक़ा है। लिहाज़ा उस रोज़ से मैंने इस पर अ़मल करना शुरु कर दिया। एक सूफ़ी का क़ौल है कि पहले लुक़्मे पर सिर्फ़ बिस्मिल्लाह कहो। दूसरे पर बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम कहो और तीसरे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इस तरह ग़िज़ा ज़्यादा नफ़अ़ बख़्श हो जाती है।

हदीस शरीफ़ः हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम में से कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े अगर शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो कहे (बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आख़िरहू) अव्वल व आख़िर अल्लाह ही के नाम से है। (अबूदाऊद, तिर्मिज़ी)

ज़ादुलमआ़द में है कि जो शख़्स बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना शुरु कर देता तो आप उसका हाथ पकड़ लेते और फ़रमाते कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। फिर खाने की तरफ़ हाथ बढ़ाओ। एक और रिवायत में है कि जिस नेअ़मत के अव्वल बिस्मिल्लाह और आख़िर में अल्हम्दु लिल्लाह हो। उस नेअ़मत के बारे में क़यामत में सवाल न होगा।

हदीस शरीफ़ः हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि जब कोई शख़्स घर में दाख़िल होते वक़्त और खाना खाते वक़्त अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र कर रहा हो तो शैतान अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ न तो तुम्हारे लिये रात गुज़ारने की जगह है और न ही खाना है और जब कोई दाख़िल होते वक़्त अल्लाह तआ़ला को याद न करे तो शैतान कहता है कि तुमने रात गुज़ारने का ठिकाना पा लिया। और अगर खाना खाते वक़्त अल्लाह तआ़ला का नाम न ले तो शैतान कहता है तुमने ठिकाना भी हासिल कर लिया और तुम्हें खाना भी मिल गया। (मुस्लिम शरीफ़)

उ़मर बिन अबी सलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए आपके पास खाना रखा हुआ था आपने फ़रमाया बेटा! क़रीब हो जाओ और बिस्मिल्लाह कह कर अपने दाहिने हाथ से खाना शुरु करो। (शमाइले तिर्मिज़ी)

एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

हज़रते अली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि ऐ अ़ली! जब खाना शुरु करो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और जब ख़त्म करो तो अल्हम्दु लिल्लाह कहा करो।

हदीस शरीफ़: हज़रते उमइया बिन मख़्शी सहाबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा थे। और एक आदमी खाना खा रहा था उसने बिस्मिल्लाह न पढ़ी यहाँ तक कि एक लुक़मा (निवाला) बाक़ी रह गया। उसे मुँह की तरफ़ ले जाने लगा तो कहा **बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आख़िरहू** नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े फिर फ़रमाया : शैतान इसके साथ खाता रहा। जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उसने जो कुछ पेट में था सबकी क़ै कर दी। (नसई शरीफ़)

एक रिवायत में है कि एक मर्तबा एक शख़्स ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि या हज़रत! कल मैंने खाना खाया था उस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी मगर मुझे पेट का दर्द हुआ। तो इस पर उन्होंने फ़रमाया कि क्या तुमने कई तरह की नेअ़मतें खाई थीं या एक ही चीज़ खाई थी उसने जवाब दिया या हज़रत! मैंने कई तरह की चीज़ें खाई थीं। तो आपने फ़रमाया क्या तुमने हर एक चीज़ खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। उसने कहा नहीं सिर्फ़ एक ही मर्तबा शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। तो इस पर हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि अगर तू हर तरह की चीज़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ता तो फिर तुझे दर्द न होता।

9. दाएं हाथ से खाएं:- खाना हमेशा दाएं (सीधे) हाथ से खाना चाहिये। इस्लाम ने अच्छे काम करने के लिये दायां हाथ ख़ास किया है और नापाक कामों के लिये बाएं (उल्टे)हाथ को मुक़र्रर फ़रमाया है। इस तरह सफ़ाई का उसूल बेहतर तरीक़े से जारी किया गया है। दाएं हाथ से खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत भी है क्यों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा खाने के लिये दायां हाथ इस्तेमाल किया। इसलिये अपने बच्चों को हमेशा बचपन ही से दाएं हाथ से खाने की नसीहत करनी चाहिये। ताकि उन्हें दाएं हाथ से खाने की आ़दत पड़ जाये।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब

तुममें से कोई खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब तुममें से कोई पिये तो दाएं हाथ से पिये।(मुस्लिम शरीफ़)

इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक़ दायाँ हाथ बाएं हाथ से बेहतर है इसलिये हर अच्छा काम करने के लिये दायां हाथ इस्तेमाल में लाना चाहिये।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत उ़मर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाएं हाथ से और अपने सामने से खाओ। (बुख़ारी शरीफ़)

एक मर्तबा एक अल्लाह के बंदे के पास चन्द आदमी बैठे हुए थे कि खाने का वक़्त आया और उनके सामने खाना लाया गया तो महफ़िल में से एक आदमी ने पूछा कि सरकार! दस्तरख़्वान के क्या आदाब हैं? तो उन बुज़ुर्गों ने तालीम फ़रमाई कि खाने का पहला अदब ये है कि बैठ कर खाओ, दूसरा ये कि हाथ धोकर खाओ, तीसरा ये कि शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ो, चौथा ये कि दाएं हाथ से खाओ, पाँचवां ये कि जो ख़ुराक से रेज़े गिरें उन्हें चुनकर खालो और आख़िर में जब खाना ख़त्म कर लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो।

10. नमकीन खाने से शुरु करना:- खाना खाने के आदाब में से है कि खाने की शुरुआ़त नमक (नमकीन चीज़) से किया जाए और नमक ही पर खाना ख़त्म किया जाए। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया: ऐ अ़ली! अपने खाने की शुरुआ़त नमक से करो और नमक ही पर उसको ख़त्म करो। क्योंकि नमक 70 बीमारियों के लिये शिफ़ा है। उन बीमारियों में पागलपन,कोढ़, सफ़ेद दाग़, पेट दर्द और दाढ़ का दर्द भी शामिल है।

हज़रब इब्ने अ़ब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन लुक़मे नमकीन खाने से पहले और तीन लुक़मे खाने के बाद औलादे आदम को 72 बलाओं से महफ़ूज़ करता है, इनमें पागलपन, कोढ़ और सफ़ेद दाग़ भी है। इसलिये खाने के शुरु और आख़िर में नमकीन चीज़ खाना सुन्नत है।

हज़रत अ़ली ने एक बार एक शख़्स को नसीहत फ़रमाई कि खाना

नमकीन से शुरु करो क्यों कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और एक अच्छा तिर्याक (ज़हर दूर करने की दवा) है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे सालनों का सरदार नमक है ।(इब्ने माजा)

11. गर्म खाने को ठंडा करके खाएं:- गर्म खाने को ठंडा करके खाना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गर्म-गर्म खाना जिससे मुँह में जलन पैदा हो, खाने से मना फ़रमाया है। लिहाज़ा गर्म खाने को फूँकें मारने के बजाए सब्र करना चाहिये ताकि खाना ठंडा हो जाए।

हज़रत अ़ली का क़ौल है कि खाना अगर गर्म हो तो उसे इतनी देर तक रहने दो कि वो ठंडा हो जाये क्योंकि बरकत ठंडे खाने में है गर्म खाने में नहीं।

12. मुनासिब लुक़्मा लेना:- खाना खाते वक़्त लुक़्मा (निवाला) मुनासिब लेना चाहिये लुक़्मे को अच्छी तरह चबाएं और जब अच्छी तरह लुक़्मा मुँह में घुल जाए तो उस वक़्त निगल लें उसके बाद फिर दूसरा लुक़्मा डालें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दते शरीफ़ा थी कि आप छोटा लुक़्मा मुँह में डालते और उसे अच्छी तरह चबाते और उसके बाद पेट में दाख़िल करते। इस तरह एक तो खाना अच्छी तरह खाया जाता है और दूसरे खाने वक़्त हर तरह आसानी रहती है और परेशानी महसूस नहीं होती। पूरी रोटी को दोनों हाथों से तोड़ना चाहिये जब तक टूटी हुई रोटी ख़त्म न कर लें दूसरी पूरी रोटी को न तोड़ें। ज़्यादा रोटियों से एक ही वक़्त में लुक़्मे तोड़ने से बक़ाया रोटी ज़ाया (बरबाद) होने का खतरा होगा। इसलिये अच्छा अदब यही है कि पहले जिस रोटी से निवाले तोड़ने शुरु किये हैं उसे ख़त्म कर लें। ऐसे ही जब तक पहला लुक़्मा खा न लिया जाये दूसरा लुक़्मा मुँह में न डालें। और न ही लुक़्मा डालते वक़्त सारा मुँह खोलें, हर लुक़्मे के शुरु में बिस्मिल्लाह कहें ये सूफ़िया-ए किराम का मसलक व नेक तरीक़ा है।

13. खाने में ऐ़ब निकालने की मुमानिअ़त:- खाने में ऐ़ब नहीं निकालना चाहिये क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐ़ब

निकालने से मना फ़रमाया है। ऐसा करने में ये मसलेहत पोशीदह है कि जब कोई खाने में ऐब निकालेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जिसने खाना तैयार किया है उसकी दर असल कमी और कोताही ज़ाहिर होगी तो इस तरह पकाने वालों के दिल में खाने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत और कीना पैदा होगा कि एक तो घर वालों ने खाना पकाकर दिया और दूसरे उनकी ऐब जोई हुई इस तरह घर का निज़ाम बेहतर होने की बजाए बिगड़ेगा। इसलिये अगर खाना बद मज़ा हो तो दिल चाहे तो खालें वरना उसे छोड़ दें। मगर उसे बुरा न कहें और न ही पकाने वाले को बुरा भला कहें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी–ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला ख़्वाहिश होती तो तनावुल फ़रमाते, ना पसन्द करते तो छोड़ देते। (बुख़ारी शरीफ़)

14. अपने सामने से खाना:– दस्तरख़्वान पर जब दूसरे लोग भी खा रहे हों तो उस वक़्त चाहिये कि अपने सामने से खाया जाये दूसरों के आगे से खाने पीने का सामान अपनी तरफ़ खींच–खींच कर खाना ख़िलाफ़े अदब है अलबत्ता अगर फल वग़ैरा किसी महफ़िल में इधर–उधर पड़े हों तो उन्हें हासिल करके खाना दुरुस्त है। जब कुछ आदमी एक बर्तन में मिलकर खा रहे हों तो उस वक़्त जो सालन आपके सामने है उससे खाएं। ऐसे ही जब बड़े बर्तन में कोई चीज़ पड़ी हो जो सबके लिये हो तो उसके ऊपर से न लें बल्कि एक किनारे की तरफ़ से ज़रूरत के मुताबिक़ डालें।

हदीस शरीफ़: हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं मैं नबी–ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और अभी बच्चा था मेरा हाथ पूरे प्याले में घूमता। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:– बेटा! बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुखारी शरीफ़)

15 . तीन उँगलियों से खाने की नसीहत:– तीन उँगलियों से खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें मस्लेहत ये है कि खाने में वक़्त कम लगेगा और पूरे हाथ को सालन नहीं लगेगा। देखने में इस तरह खाना खाते हुए इन्सान बाअदब मालूम होगा। लिहाज़ा

खाने के लिये अंगूठा, सबाबा यानी पहली उँगली और दरमियानी उँगली इस्तेमाल करनी चाहिये। अगर चौथी उँगली भी मिलाएं तो हरज नहीं। अलबत्ता पाँचों उँगलियों से खाने से गै़र तहज़ीब ज़ाहिर होती है। एक उँगली और सिर्फ़ अंगूठे से खाने से मना किया गया है क्यों कि इस तरह तकब्बुर ज़ाहिर होता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैंने नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा आप तीन उँगलियों से खाते और फ़ारिग़ होने पर इन्हें चाट लेते।

(मुस्लिम शरीफ़)

16. सालन को किनारे से खाऐं: खाना बर्तन के किनारों से खाना चाहिये दरमियान से न खाएं इस तरह जो सालन बच जायेगा वह सफ़ाई की हालत ही में रहेगा। इस तरह बर्तन भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। इसके अ़लावा बीच में खाने से इन्सानी हि़र्स और लालच ज़्यादा बेदार होगा इसलिये हुज़ूर ने बर्तन के बीच से खाने को मना फ़रमाया। ऐसे ही रोटी को भी किनारे ही से खाना शुरु करें बीच से न खाएं। रोटी को छुरी से काटना नहीं चाहिये। बर्तन या कोई चीज़ जो खाने की न हो उसे रोटी पर रखना नहीं चाहिये ऐसे ही अपने हाथों को रोटी से न पोंछें।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बरकत खाने के दरमियान में उतरती है पस किनारों से खाओ और दरमियान से न खाओ।(अबू दाऊद)

इस हदीस से मालूम हुआ कि बर्तन के एक तरफ़ से खाना शुरु करना चाहिये क्यों कि इस तरह करने से बरकत नाज़िल होती है इसलियेअपने सामने से खाना चाहिये।

17. गिरी हुई रोटी या ख़ुराक का हुक्म:- खाना खाते वक़्त दस्तरख़्वान पर रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े ख़ुद ब ख़ुद गिरकर फैल जाते हैं, खाना ख़त्म करते वक़्त उन्हें चुनकर खालें अगर ऐसा नहीं तो उन्हें इकट्ठा करके कहीं रख दें। जहाँ से मुर्ग़ी या कोई और परिन्दह वग़ैरा खा ले। रास्ते पर फैंकने से परहेज़ करना चाहिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि जो शख़्स रोटी के टुकड़ों को चुने तो उस शख़्स की

रोज़ी में इज़ाफ़ा हो जायेगा। उसके बच्चे सही सलामत और बे ऐब होंगे इससे मालूम हुआ कि ग़िज़ा की क़द्र करनी चाहिये ताकि अल्लाह तआ़ला अपनी नेअ़मतें अ़ता करने में और बढ़ोतरी करे।

ऐसे ही खाना खाते वक़्त अगर कोई रोटी का लुक़मा या निवाला हाथ से दस्तरख़्वान पर गिर जाये तो उसे उठाकर साफ़ करके खा लेना चाहिये अगर वो ज़्यादा गर्द या मिट्टी वग़ैरा में हो जाये और खाने में घबराहट आए तो फिर न खाएं। गिरे हुए निवाले को उठाकर साफ़ करके खा लेने का हुक्म इसलिये है ताकि ख़ुराक बरबाद न हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसकी नसीहत यूँ फ़रमाई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :- जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो चाहिये कि उसे उठा ले और जो गर्द व ग़ुबार लगी हो साफ़ करके खा ले और शैतान के लिये न छोड़े। उँगलियाँ चाटने से पहले रूमाल से साफ़ न करे क्योंकि वह नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। (मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में यूँ है कि रोटी के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाओ क्योंकि ये हूरों के महर हैं।(हदाइकुल अख़्यार)

18. दूसरों को खिलाने का हुक्म: हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अख़्लाक़ी तौर पर इस बात की तालीम दी है कि जब तुम खाने लगो तो तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा शख़्स हो तो उसे अपने खाने में शामिल कर लो क्यों कि जो खाना तुम्हारे सामने खाने के लिये लाया गया है तो वह दूसरों के लिये भी किफ़ायत कर जायेगा। यानी अगर एक आदमी खाने लगा है तो उसके खाने में एक और आदमी शामिल हो गया तो वही खाना दोनों के लिये काफ़ी हो जायेगा। ऐसे ही दो का खाना चार के लिये काफ़ी होगा। इसका मक़सद ये है कि खाते वक़्त अगर कोई मौजूद हो तो उसे खाने पर बुला लेना चाहिये ताकि वह भूखा न रह जाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि:- एक का खाना दो के लिये काफ़ी होता है और दो का खाना चार के लिये काफ़ी होता है, और चार का खाना आठ के लिये काफ़ी होता है। (मुस्लिम शरीफ़)

19. मिलकर खाने का हुक्म: – खाने में बहुत से लोगों का मिलकर खाना बेहतर है औलिया-ए किराम का ये आ़म मअ़मूल रहा है कि वह अपने पास आने वालों के साथ मिलकर खाते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा खाना वह है जिसकी तरफ़ बहुत से हाथ बढ़ाए जाएं क्योंकि मिल जुल कर खाने से हमदर्दी व मुहब्बत पैदा होती है और बरकत भी बढ़ती है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत वहशी बिन ह़रब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं सहाब-ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! हम खाना खाते हैं लेकिन हम सैराब नहीं होते आपने फ़रमाया शायद तुम अलग-अलग खाते हो, अ़र्ज़ किया जी हाँ! फ़रमाया:- मिलकर खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिये इसमें बरकत पैदा की जायेगी। (अबू दाऊद) *

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि दोस्तों और दीनी भाइयों के साथ मिल जुल कर खाना बहुत बेहतर है। इसके मुतअ़ल्लिक़ हज़रत इमाम ग़ज़ाली रह़मतुल्लाहि अ़लैहि ने लिखा है कि किसी दोस्त को खाने की दावत देना बहुत सा सद्क़ा देने से भी ज़्यादा नेकी का काम है। ह़दीस में है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका बंदे से ह़िसाब नहीं लिया जायेगा। सह़री के खाने का, इफ़तार के खाने का, और जो कुछ दोस्तों के साथ खाया गया हो।

हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं कि अगर दोस्तों और भाइयों के साथ दस्तरख़्वान पर बैठो तो जल्दी मत करो (यानी उठने की) बल्कि उसे मोहलत दो क्यों कि इस मिक़्दारे वक़्त को तमाम उ़म्र में शुमार नहीं किया जायेगा यानी इसका ह़िसाब नहीं होगा।

हज़रत ख़्वाजा ह़सन बसरी रह़मतुल्लाहि अ़लैहि कहते हैं कि आदमी जो कुछ खाता है या अपने माँ-बाप को खिलाता है उसका ह़िसाब होगा मगर जो खाना दोस्तों के आगे रखे वह ह़िसाब से जुदा है। और बुज़ुर्गों में से एक की आ़दत थी कि जब भाइयों और दोस्तों के सामने दस्तरख़्वान बिछाते तो उसे तरह-तरह के खानों से भर देते। (बहुत ज़्यादा खाना उस पर रख देते) और कहते कि ह़दीस शरीफ़ में आया है कि जो खाना दोस्तों के खाए हुए खाने से बच रहे उसका ह़िसाब नहीं और मैं चाहता हूँ कि वही खाओ जो दोस्तों के सामने से हाथ आए। और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु

अन्हु कहते हैं कि एक साअ् (लगभग 4 किलो 82 ग्राम) खाना दोस्तों के आगे रखना मेरे नज़दीक एक गुलाम को आज़ाद करने की निस्बत ज़्यादा पसन्दीदह है।

एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा कि ऐ आदम के बेटे! मैं भूखा था और तूने मुझे खाना न दिया और आदमी कहेगा ऐ ख़ुदा! तू कैसे भूखा हो सकता था कि तू सारे आ़लम का ख़ुदावंद है और फिर खाने की तुझे ज़रूरत भी तो नहीं। हक़ तआ़ला जवाब देगा कि तेरा भाई भूखा था (और तू ने उसे खाना न दिया) अगर तू उसे खाना देता तो गोया मुझे दिया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई को खाने या पीने के लिये कुछ देता है जिससे कि वह सैराब हो जाये तो अल्लाह तआ़ला उससे दोज़ख़ की सात खाइयाँ दूर कर देगा। और एक ख़न्दक़ (खाई) का फ़ासला दूसरी ख़न्दक़ से पाँच सौ साल की मुसाफ़त (दूरी) के बाद तय होता है। (कीमियाए सआ़दत)

20. उँगलिया और बर्तन चाटना:- खाना ख़त्म करने पर बर्तन को उँगली से साफ़ करके उँगली को चाट लेना चाहिये अगर दूसरी उँगलियों पर भी सालन लगा हो तो उन्हें भी चाट ले। अगर खाना ख़त्म करने पर बचा हुआ सालन ज़्यादा हो तो उसे अच्छे तरीक़े से रख लेना चाहिये और अगर उसे गिराना ही हो तो ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से जानवर या परिन्दे वगैरा खा जाएं। हज़रत नुबैसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो खाने के बाद बर्तन को चाट ले बर्तन उसके हक़ में दुआ़ करता है कि अल्लाह तआ़ला तुझे दोज़ख़ की आग से बचाए जिस तरह तूने मुझे शैतान से निजात दी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उँगलियाँ और प्याला चाटने का हुक्म फ़रमाया। और फ़रमाया तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। (मुस्लिम शरीफ़)

21. खाने से फ़ारिग़ होने पर हाथ धोना:- खाने से फ़ारिग़ होने पर अपने दोनों हाथों को धोना चाहिये और धोकर तौलिये से ख़ुश्क कर

लेना चाहिये। हाथ धोते वक़्त अपने दाँतों से बची हुई ग़िज़ा को निकाल दें। अगर कोई रेज़ा या ग़िज़ा ज़बान से लगी हो तो उसे निगलने में कोई हरज नहीं हाथों को धोते वक़्त साबुन वग़ैरा लगाएं ताकि चिकनाई अच्छी तरह से उतर जाए। किसी बुज़ुर्ग आदमी के हाथ धुलाने में सवाब है इसलिये अगर कोई आ़लिमे दीन या शेख़े तरीक़त (पीर) बूढ़े हों तो उनके हाथ धुलाएं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- जो रात गुज़ारे और उसके हाथ में चिकनाई लगी हुई हो जिसे धोया न हो उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अपने आप ही को मलामत करे।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

22. मजलिस या महफ़िल में खाने का अदब:- मजलिस के साथ खाने बैठें तो इस बात का ख़्याल रखें कि जब तक खाना सबके सामने न पहुँच जाए तो उस वक़्त तक शुरु न करे और जब तक कि मीरे महफ़िल या शेख़े तरीक़त (पीर) शुरु न करे क्योंकि महफ़िल में बुज़ुर्ग के होते हुए पहले ख़ुद ही खाना शुरु कर देना अच्छा नहीं। सहाब-ए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पहले तनावुल करना शुरु न करते।

हदीस शरीफ़: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं जब हम नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ खाने में शरीक होते तो आपसे पहले हाथ न डालते और शुरु न करते। एक बार हम एक खाने में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हमराह थे इतने में एक लड़की आ गई गोया कि उसे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है वह अपना हाथ खाने में डालना ही चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर एक देहाती आया गोया कि उसे धकेला जा रहा है आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। फिर फ़रमाया कि शैतान उस खाने को अपने लिये हलाल कर देता है जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए। वह उस लड़की को लाया ताकि उसके ज़रिये अपने लिये खाना हलाल करे तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उस देहाती को लाया ताकि उसके ज़रिये खाना हलाल करे। बेशक (उस शैतान) का हाथ इन दोनों के हाथों के हमराह मेरे हाथ में है, फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना तनावुल फ़रमाया। (मुस्लिम)

इस हदीस से मालूम हुआ कि मिलकर खाने के भी चन्द आदाब हैं जो सब मजलिस वालों के लिये यकसाँ हैं इनके मुतअ़ल्लिक़ हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया है कि वह सात हैं जो हसबे ज़ैल हैं।

(1) खाने में उस वक़्त तक हाथ न डाले जब तक कोई ऐसा शख़्स पहल न कर डाले (जिसको पहल का हक़ पहुँचता है) यानी जो उम्र में या इल्म व मर्तबे में या परहेज़गारी में या किसी भी दूसरी वजह से उससे बेहतर हो और वह खुद ही दूसरों से बेहतर हो तो दूसरों को इन्तिज़ार में रखने की ज़रूरत नहीं (यानी फिर बिला तकलीफ़ खुद ही शुरुआ़त कर दे।)

(2) (खाते वक़्त) खामोश न रहे कि ये आ़दत ग़ैर अ़रब वालों की है फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि बेहूदह गोई में पड़ जाए बल्कि उ़मदह व बेहतर क़िस्म की पाकीज़ा बातें मसलन नेक लोगों की कोई हिकायत बयान कर सकता है या हिकमत व अ़क़लमन्दी की कोई बात सुनाना चाहिये।

(3) अपने हम कासा का यानी हम निवाला व हम प्याला जिसके साथ वह खाने में बराहे रास्त शरीक है उसका ख़ास तौर पर ख़्याल रखे यानी किसी सूरत में भी उससे ज़्यादा न खाए कि जब खाना इकट्ठा हो तो ऐसा करना हराम है बल्कि चाहिये कि ये ईसार (कुरबानी) से काम ले। और जो चीज़ सारे खाने में उ़मदह तरीन हो वह उसके आगे रखे। और साथी अगर धीरे-धीरे खा रहा हो तो उससे इसरार करे कि बिला तकल्लुफ़ खाए (क्योंकि मुम्किन है कि वह झेंप रहा हो) लेकिन तीन बार से ज़्यादा न कहे क्योंकि बहुत ज़्यादा कहना भी ख़्वाम ख़्वाह का तकल्लुफ़ और ज़्यादती है और क़सम तो उसे हरगिज़ न दे क्योंकि खाना बहर हाल सौगंध और क़सम से कम तर है।

(4) ये ख़्याल रहे कि उसके साथी को ये कहने की ज़रूरत न पड़े (खाइये ना) यानी वह यह कहने पर मजबूर न हो जाए कि (भाई खाइये ना) खाते क्यों नहीं हो? वग़ैरा। बल्कि उसके साथ पूरी मवाफ़िक़त (साथ)करते हुए जो कुछ वह खा रहा हो उसके साथ-साथ खाता जाए और अपनी आ़दत (मामूल) से थोड़ा खाने की ज़रूरत नहीं होती कि इसे रिया (दिखावा)कहते हैं। और तन्हा भी खाए तो आदाब का ख़्याल रखे जैसे कि लोगों के सामने रखता है ताकि जब वाक़ई लोगों के साथ खाना पड़े तो बा अदब होकर खा सके और अगर साथी की ख़ातिर कुरबानी की नियत से कम खाए तो बड़ी पसन्दीदह बात है और अगर ज़्यादा खाने से दूसरों को

खुशी हासिल होती हो तो उनकी ख़ातिर ऐसा करना भी अच्छी बात है।

इब्ने मुबारक ने एक बार दरवेशों (फ़क़ीरों)को खजूरें खाने की दावत दी और कहा कि "जो ज़्यादा खाएगा उसको हर ज़ाइद दाने के बदले में एक दिरहम दूँगा" और खाने के बाद गुठलियाँ शुमार कीं और जिसकी सबसे ज़्यादा निकलीं उसे हर ज़ाइद गुठली के बदले एक दीनार दिया गया।

(5) निगाह सामने रखे और दूसरों के लुक़्मों को न देखता रहे और अगर लोग उसे एहतराम व मर्तबे की नज़र से देखते हैं (और उसके साथ खाना अपने लिये ज़रीअ़ए इज़्ज़त तसव्वुर करते हैं) तो चाहिये कि दूसरों से पहले खाने से हाथ खींच ले। और ये कम खाने वाला है तो चाहिये कि इब्तिदा में हाथ ज़रा खींचे रखे (और थोड़ा-थोड़ा खाता रहे) ताकि आख़िर में ख़ूब बे तकल्लुफ़ी से खा पी सके और अगर ऐसा न कर सके तो अपनी तरफ़ से जो उ़ज़्र हो पेश कर दे ताकि दूसरों को शर्मिंदा न होना पड़े (कि वह ख़त्म भी कर चुका और हम हैं कि खाए जा रहे हैं।)

(6) ऐसी कोई हरकत न करे जिससे दूसरों की तबीअ़त में कराहत (ना पसन्दीदगी)और नफ़रत पैदा हो मसलन हाथों को बर्तन में न छटकता रहे और मुँह को बर्तन के ऊपर इस क़दर न झुकाए कि जो खाया पिया मुँह से गिर पड़े वह सीधा उस बर्तन में जा गिरे और अगर कोई चीज़ मुँह से गिर जाए तो मुँह दूसरी तरफ़ फेर ले। (ताकि देखने वालों को कराहत न महसूस हो) और रोग़न आलूदह (तेल में सने)लुक़्मे को सिरके में न डालें और दाँतों से काटे हुए लुक़्मे को बर्तन में न डालें कि लोगों को इससे ख़्वाम ख़्वाह नफ़रत होगी और न ही ऐसी चीज़ों के बारे में गुफ़्तगू करे जो नापसन्दीदा और बेज़ार करने वाली हैं।

(7) जब तश्त(लगन या चलमची वग़ैरा) में हाथ धोए तो मुँह का पानी लोगों के सामने ही उसमें न डालता जाए और ख़्याल रखे कि अपने से ज़्यादा मर्तबे वाले शख़्स को अहमियत देना चाहिये यानी पहले उसे हाथ धोने दे और अगर कोई दूसरा अज़राहे अदब व एहतराम उसको आगे करता है तो उसे क़ुबूल कर ले और तश्त को दाएं तरफ़ से हरकत में लाए यानी जो अगला शख़्स दाएं हाथ खड़ा हो उसकी तरफ़ कर दे। और तमाम हाथों का धोवन एक ही जगह पड़ने दें और बाहर (यानी एक-एक आदमी के हाथ धुलाकर हर बार) पानी को फैंकते न जाएं (हाँ तश्त तो इकट्ठा ही

फैंक दें) कि ग़ैर अ़रब वालों की आ़दत थी , और सबसे बेहतर तो यही है कि सब के सब एक साथ तश्त में हाथ धो लिया करें कि ये आ़जिज़ी के भी नज़दीक तर है और अगर पानी मुँह से बाहर फेंकना हो यानी कुल्ली करना मनज़ूर हो तो पानी तश्त में बहुत आहिस्तगी से गिराए ताकि उसके छींटे न किसी दूसरे पर गिरें और न फ़र्श पर पड़ें और हाथ धुलाने वाला अगर खड़ा होकर हाथ धुलाए तो ज़्यादा अच्छा है ब निस्बत इसके कि बैठ कर धुलाए। (कीमिया-ए-सआ़दत)

23. भूख और झूठ को इकट्ठा न करो:- जब किसी शख़्स के सामने खाना पेश किया जाये और उसे भूख हो तो उसे खा लेना चाहिये उस वक़्त ये झूठ बोलना नहीं चाहिये कि मुझे ज़रूरत नहीं या मैं खाकर आया हूँ।

हदीस शरीफ़: हज़रत असमा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुज़ूर खाना पेश किया गया। आपने हमारे सामने रख दिया हम अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि हमें तो ख़्वाहिश नहीं है फ़रमाया कि भूख और झूठ को जमा न करो।

24. इकट्ठे खाने का एक अदब:- जब चन्द हज़रात मिलकर इकट्ठे खा रहे हों तो उस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता उनका साथ दें ताकि सारे आदमी खाने से फ़ारिग़ हो जाएं इसलिये खाने से पहले हाथ नहीं खींचना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- जब दस्तरख़्वान बिछा दिया जाए तो दस्तरख़्वान उठाने तक कोई आदमी खड़ा न हो और न अपना हाथ उठाए अगरचे पेट भर गया हो यहाँ तक कि सब फ़ारिग़ हो जाएं या उ़ज़्र बयान कर दे वरना उसका साथी शर्मसार होगा और अपना हाथ रोक लेगा और हो सकता है कि उसे अभी खाने की ज़रूरत हो।

(इब्ने माजा)

हदीस शरीफ़: हज़रत जाफ़र बिन मुहम्मद से रिवायत है कि उनके वालिद ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब लोगों के साथ खाना खाते तो उनसे आख़िर में खाना बन्द करते।

(बैहक़ी)

25. खाने की मसनून (सुन्नत) दुआएं:- खाते वक़्त और खाने के बाद शुक्र के तौर पर नीचे लिखी दुआओं का पढ़ना सुन्नत है इनमें से कोई एक दुआ पढ़ने से भी सुन्नत अदा हो जायेगी।

1. हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दस्तरख़्वान उठाते तो आप ये दुआ पढ़ते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ
وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

"अलहम्दु लिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबम्मुबारकन फ़ीहि ग़ै-र मुवद्दइंव वला मुस्तग़नन अ़न्हु रब्बना।"

तर्जमा: तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बरकत वाली ऐसी हम्द (तारीफ़) जो न छोड़ी जा सकती है और न उससे दूर रहा जा सकता है। (बुख़ारी शरीफ़-बाब 279 किताबुल अतइमा)

2. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब खाने से फ़ारिग़ होते तो ये दुआ फ़रमाते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत अ़मना व सक़ाना व ज अ़लना मिनल मुस्लिमीन"

तर्जमा: तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिये जिसने हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया, और हमें मुसलमान बनाया। (तिर्मिज़ी)

3. हज़रत अबी अमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप जब दस्तरख़्वान से खाना खाकर फ़ारिग़ होते तो ये दुआ पढ़ते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مَكْفُوْرٍ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी कफ़ाना व अरवाना ग़ै-र मक्फ़िय्यिंव वला मक्फ़ूर"

तर्जमा: तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है जिसने हमारी किफ़ायत की और हमें सैराब किया। ऐसी तारीफ़ नहीं जो ख़त्म हो जाए या जिसके बाद ना शुकरी की जाए। (बुख़ारी शरीफ़)

4. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब खा पी लेते तो ये पढ़ते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ وَ سَقٰی وَسَوَّغَهٗ وَجَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत अ़-म व सक़ा व सव्वग़हू व-ज अ़-ल लहू मख़्रजा"

तर्जमाः सब तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं जिसने हमें खिलाया-पिलाया और हलक़ से उतारा और उसके निकलने का रासता बनाया। (अबू दाऊद)

5. एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खाने के बाद ये दुआ़ माँगते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अतअ़मनी हाज़त्तआ़-म व र ज़ क़नीहि मिन ग़ैरि हौलिंम मिन्नी वला क़ुव्वतिन।

तर्जमाः तारीफ़ अल्लाह के लिये है जिसने मुझको ये खाना-खिलाया और मुझको ये रोज़ी नसीब की बग़ैर मेरी किसी ताक़त और क़ुव्वत के। (अबू दाऊद)

6. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बसर से रिवायत है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे वालिद के यहाँ मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ लाए उन्होंने आपकी ख़िद्मत की। जब आप उनसे रुख़सत हुए तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उनके लिये यूँ दुआ़ फ़रमाई।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِیْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

"अल्लाहुम-म बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़्तहुम वग़्फ़िरलहुम वरहमहुम"

तर्जमाः ऐ अल्लाह! इन्हें जो तूने रोज़ी दी इसमें बरकत फ़रमा इनको बख़्श दे और इन पर रहम फ़रमा (मुस्लिम)

☆☆☆

रसूले पाक ﷺ की ख़ुराक

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत मुबारका थी कि जिस क़िस्म का खाना मिल जाता था तनावुल फ़रमा लेते यानी वह तमाम खाने जो ख़ुदा ने हलाल किये हैं आपको उनसे परहेज़ न था अलबत्ता सादा क़िस्म के खाने को ज़्यादा पसन्द फ़रमाते और किसी ख़ास क़िस्म के खाने के लिये बन्दोबस्त न फ़रमाते आप ज़मीन पर बैठ कर ही खाना तनावुल फ़रमाते। आप बड़े मेहमान नवाज़ थे और अगर कोई मेहमान होता तो उसके साथ खाना तनावुल फ़रमाते । जब आप दूसरों के साथ मिलकर खाते तो उस वक़्त तक खाना शुरु न करते जब तक कि खाने की तमाम चीज़ें दस्तरख़्वान पर न पहुँच जातीं। आप सल्लल्ल हु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा आपका इतना एहतिराम करते कि जब तक आप खाना शुरु न करते कोई शुरु न करता आप गर्म गर्म खाना न खाते बल्कि ठंडा करके खाते। आप अकसर तीन उँगलियों से खाते और खाना ख़त्म करने पर उन्हें चाट लेते। खाना ख़त्म करने पर दुआ़ पढ़ते और फिर हाथ धोते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़िन्दगी में जो ख़ुराक इस्तेमाल फ़रमाई है उसमें गेहूँ के आटे की रोटी, जौ के आटे की रोटी, क़ाबिले ज़िक्र है। गोश्त में से आपने बकरे, दुम्बे, गाय, ऊँट, मुर्ग़ी, हुबारा, ख़रगोश और मछली इस्तेमाल फ़रमाई है। आपने मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल फ़रमाई है उनमें शहद क़ाबिले ज़िक्र है। फलों में आपको खजूर, तरबूज़, ख़रबूज़ह, अनार, बही, इंजीर, और अंगूर पसन्द थे। तरकारियों में कद्दू और चुक़न्दर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बहुत पसन्द फ़रमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घी, पनीर, दूध, मक्खन और दही भी इस्तेमाल फ़रमाया है। दूध की लस्सी, और सत्तू भी आपको बहुत पसन्द थे और ज़्यादातर आप गर्मियों में इन्हें इस्तेमाल में लाते। (सरीद) भी आपको बहुत पसन्द था। सिरका भी सरकार ने ख़ूब-ख़ूब इस्तेमाल किया है। तेलों में आपने ज़ैतून का तैल इस्तेमाल फ़रमाया है। अलमुख़्तसर खानों में से जो हलाल चीज़ मयस्सर आई आपने उसे इस्तेमाल फ़रमाया। जो चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फ़रमाई हैं उनकी तफ़सील हस्बे ज़ैल है:-

(1) गेहूँ और जौ की रोटी:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

की खुराक में रोटी का बहुत दख़ल है जैसा कि क़ुदरती तौर पर हर इन्सान इसे इस्तेमाल में लाता है। नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमऔर आपके घर वालों की गुज़र बसर इन्तिहाई सब्र व किफ़ायत के साथ होती थी। इसलिये खाने में अकसर सूखी रोटी भी इस्तेमाल में लाना पड़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़्यादा तर गेहूँ के मोटे आटे और जौ की रोटी खाई है। और मेदे की रोटी कभी न खाई और न ही रोटी को मेज़ पर रखकर तनावुल फ़रमाया। बल्कि ज़मीन पर किसी चीज़ पर रोटी रखकर खाते। हकीमी नुक़्त-ए-नज़र (डॉक्टरी नज़र)से रोटी जिस्म के लिये लाज़मी खुराक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गेहूँ के आटे को छाने बग़ैर इस्तेमाल करने को तालीम दी है क्योंकि इससे पेट पर गिरानी (परेशानी)महसूस नहीं होती। हमारे यहाँ मेदे की रोटी तन्नूरी रोटी या नान की सूरत में मिलती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे इस्तेमाल में लाने से परहेज़ फ़रमाया लेकिन मुम्किन ये है कि आप ने मेदे का नान इस्तेमाल न किया हो क्योंकि वह खुराक के लिहाज़ से भारी है। पेट में भारीपन पैदा करता है जो इबादत में ख़लल का सबब बनता है इसलिये आपने इसे पसन्द नहीं किया। आप रोटी सिर्फ़ इतनी मिक़दार में तनावुल फ़रमाया करते थे जिस क़दर सख़्त ज़रूरत होती है लज़्ज़ते ज़बान के लिये तनावुल न फ़रमाते।

हदीस शरीफ़: हज़रत मसरूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: मैं हज़रत आ़इशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिये खाना मंगवाया और फ़रमाया जब मैं पेट भर कर खाना खाती हूँ तो रो देती हूँ (हज़रत मसरूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं) मैंने पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने (हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा) ने फ़रमाया मैं उस हाल को याद करती हूँ जिसमें नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फ़रमाया।अल्लाह की क़सम आपने एक दिन में दो मर्तबा न रोटी सैर होकर खाई (तनावुल फ़रमाई) न गोश्त।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने विसाल (इन्तेक़ाल)मुबारक तक कभी दो दिन लगातार जौ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तमाम उम्र न तो मेज़ पर रख कर खाना खाया और न ही नान (मैदे की रोटी) खाया। (आँहज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सादगी पसन्द फ़रमाई और फ़क्र व ग़रीबी को खुद इख़्तियार फ़रमाया।)(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं: हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर वालों ने कभी दो दिन लगातार पेट भर कर जौ की रोटी भी नहीं खाई। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का विसाल (इन्तेक़ाल)हो गया। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत सुलैम बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: मैंने हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को कहते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एहले बैत (घर वालों)से जौ की रोटी भी नहीं बचा करती थी।(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आपके एहले बैत कई रातें लगातार भूखे गुज़ारते थे और शाम का खाना न पाते और आ़म तौर पर आपके यहाँ जौ की रोटी होती थी। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़ेद मेदे के रोटी खाई? हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने विसाल तक सफ़ेद मेदा नहीं देखा। (हज़रत सहल से) पूछा गया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़मान-ए-मुबारक में तुम्हारे पास छलनियाँ हुआ करती थीं? उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास छलनियाँ नहीं होती थीं। फिर पूछा गया तुम जौ के आटे को क्या करते थे? तो उन्होंने फ़रमाया हम उसे फूँकते, उससे जो उड़ना होता उड़ जाता फिर हम उसे पका लेते। (तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने न तो चौकी पर रख कर खाना खाया, न छोटी प्याली में खाया और न ही आपके लिये

चपाती पकाई गई। रिवायत करने वाले कहते हैं : मैंने हज़रत क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा तो फिर तुम खाना किस पर रखकर खाते थे तो उन्होंने फ़रमाया (इस चमड़े के) दस्तरख़्वान पर। (तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत यूसुफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूरें रखकर फ़रमाया ये इसका सालन है (और तनावुल फ़रमाई) (अबू दाऊद)

(2) चावल:- ग़िज़ा में रोटी के अ़लावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चावल भी खाया करते थे, चावल भी गेहूँ की तरह एक ग़िज़ाई जिन्स (अनाज) है जो ज़्यादातर हर जगह पैदा होता है चावलों में हुज़ूर को तहदेगी (खुरचन) ज़्यादा पसन्द थी, और तहदेगी चावलों की होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को "सुफ़्ल" पसन्द था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह रावी कहते हैं (सुफ़्ल से मुराद) हन्डिया का बचा हुआ है।

(3) बकरे का गोश्त:- हुज़ूर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गोश्त को पसन्द फ़रमाया है और ज़्यादातर मौक़ों पर इसे इस्तेमाल भी किया। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शोरबे वाला गोश्त और भुना हुआ गोश्त शौक़ से तनावुल फ़रमाया करते थे, इसलिये गोश्त का इस्तेमाल नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के गोश्त तनावुल फ़रमाने के मुतअ़ल्लिक़ चन्द हदीसें हस्ब ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़अ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में गोश्त के साथ रोटियाँ लाई गयीं जबकि आप मस्जिद में थे बस आपने तनावुल फ़रमाई और हमने भी आपके साथ खाई। फिर आपने खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई और हमने आपके साथ नमाज़ पढ़ी और हमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया कि कंकरियों से अपने हाथ पोंछ लिये। (इब्ने माजा)

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि एक बार हज़रत सैय्यदा फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की ख़िद्मते अक़्दस में

एक औरत ने दो चपातियाँ और थोड़ा सा पका हुआ गोश्त तोहफ़तन पेश किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने प्याले में रखकर किसी चीज़ से ढांप दिया। और ताजदारे अ़रब व अ़जम हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुज़ूर पैग़ाम भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने वह प्याला उठाकर देखा तो वह गोश्त और रोटी से लबालब भरा हुआ था। ये देख कर हज़रत सैय्यदतुन्निसां रज़ियल्लाहु अ़न्हा हैरान रह गयीं और समझ गयीं कि ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बरकत है।हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ फ़ातिमा! तुम्हारे पास ये कहाँ से आया तो उन्होंने अ़र्ज़ किया ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है बेशक अल्लाह तआ़ला जिसे चाहता है बे हिसाब रिज़्क़ अ़ता फ़रमाता है।

ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:- प्यारी बेटी: अल्लाह तआ़ला ने तुझे हज़रत मरयम अ़लैहिस्सलाम की तरह बनाया है उनकी भी यही कैफ़ियत थी कि जब कोई उनसे पूछता कि ये चीज़ कहाँ से आई तो वह यही जवाब देतीं।

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, हज़रत अ़ली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा , हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात (प्यारे नबी की बीवियों) ने वह गोश्त और रोटी सैर होकर तनावुल फ़रमाई। मगर प्याले में गोश्त (और रोटी) बदस्तूर मौजूद रहा। फिर सैय्यदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने वो खाना पड़ोसियों में तक़सीम फ़रमा दिया। अल्लाह तआ़ला ने इस खाने में ख़ैरे कसीर और बरकत अ़ता फ़रमादी। (ख़साइसे कुबरा)

हदीस शरीफ़: हज़रत अमर बिन उमइया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बकरी की दस्ती (हाथ का गोश्त)काटकर खाते देखा जो हाथ मुबारक में थी बस आपको नमाज़ के लिये बुलाया गया तो आपने उसे रख दिया और छुरी को भी जिसके साथ काट रहे थे फिर नमाज़ पढ़ाई, और ताज़ा वुज़ू नहीं किया।

(मिश्कात शरीफ़)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मते अकदस में कहीं से (बकरी का) गोश्त आया। उसमें से बाज़ू का गोश्त ख़िद्मते अक़दस में पेश किया

गया। क्यों कि बाज़ू का गोश्त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पसन्द भी था और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसको दाँतों से काट कर तनावुल फ़रमाया। (शमाइले तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू उ़बैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं, मैंने नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये हांडी पकाई आप बाज़ू पसन्द फ़रमाते मैंने आपको बाज़ू दिया फिर फ़रमाया मुझे और बाज़ू दो, मैंने दिया, फिर फ़रमाया मुझे और बाज़ू दो, मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! बकरी के कितने बाज़ू होते हैं? यानी दो ही बाज़ू होते हैं और वो मैंने आपको पेश कर दिये। तो आपने फ़रमाया:मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर तू ख़ामोश रहता तो जब तक मैं तुझे कहता रहता तू देता रहता।(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने (बकरी का) भुना हुआ पहलू पेश किया आपने उसे खाया और फिर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए और आपने वुज़ू नहीं फ़रमाया। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं मैंने नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है'बेशक पीठ का गोश्त बहुत अच्छा होता है'।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हमराह मस्जिद में भुना हुआ गोश्त खाया।(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बाज़ू (हाथ)का गोश्त ज़्यादा पसन्द नहीं था (उनके ख़्याल के मुताबिक़) लेकिन चूँकि आप कभी-कभी गोश्त पाते थे और बाज़ू जल्दी पक जाता है इसलिये आप उसकी तरफ़ जल्दी फ़रमाते। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और मैं आपके

हमराह था आप एक अन्सारी औ़रत के घर दाखि़ल हुए तो उसने आपके लिये बकरी ज़िबह की। आप ने उसमें से कुछ खाया, फिर वो आपकी खि़द्मत में खजूरों का एक थाल लेकर आई, तो आप ने उसमें से भी कुछ खाया और फिर जुहर (की नमाज़) के लिये वुज़ू फ़रमाया और नमाज़ पढ़ी। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो वो अन्सारी औ़रत आपकी खि़द्मत में बकरी का बकि़या गोश्त लाई आपने उसे खाया और (दोबारा) वुज़ू किये बग़ैर अ़स्र की नमाज़ पढ़ी। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़ः हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैंः मैं एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हमराह किसी का मेहमान हुआ। आपके सामने भुना हुआ पहलू पेश किया गया आपने छुरी लेकर उससे मेरे लिये काटना शुरु किया इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आकर नमाज़ के वक़्त की ख़बर दी तो आपने छुरी रख दी और फ़रमाया कि इसे क्या हुआ इसके दोनों हाथ ख़ाक आलूद हों (ये मुहब्बत भरा कलमा है बद दुआ़ नहीं) रावी कहते हैं मेरी मूँछें बढ़ी हुई थीं आपने फ़रमाया लाओ मैं मिसवाक रख कर काट दूँ या तुम खुद मिसवाक रख कर काट लो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(4) मुर्ग़ का गोश्तः हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुर्ग़ का गोश्त भी तनावुल फ़रमाया है। इसलिये देसी मुर्ग़ के गोश्त को भी तनावुल फ़रमाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुर्ग़ के गोश्त में गि़ज़ाइयत (आहार तत्व)की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, अ़क़्ल को बढ़ाता है , समझ और सूझ-बूझ को तेज़ करता है और दिमाग़ को चुस्त बनाता है। जिस्म के लिये ताक़तवर है। अक्सर बुजुर्गाने दीन ने इसे सुन्नत समझ कर इस्तेमाल फ़रमाया है। हज़रत सैय्यद अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी बानी (प्रवर्तक)सिलसिला क़ादरिया पैरवीए सुन्नत की ग़र्ज़ से ज़्यादातर मुर्ग़ का गोश्त तनावुल फ़रमाया करते थे।

हदीस शरीफ़ः हज़रत जुहदम जर्मी रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैंः हम हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास थे कि आपके पास मुर्ग़ का गोश्त लाया गया। हाज़िरीन में से एक आदमी दूर हट गया, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया तुझे क्या हुआ? उसने कहा मैंने इस (मुर्ग़) को गन्दी चीज खाते हुए देखा तो मैंने क़सम खाई कि इसे नहीं

खाऊँगा। इस पर आपने फ़रमाया कि क़रीब हो जाओ। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मुर्ग़ का गोश्त खाते हुए देखा है। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

याद रहे कि मुर्ग़ सिर्फ़ देसी (जिसकी परवरिश और पैदाइश कुदरती तरीक़े के मुताबिक़ होती है) इस्तेमाल करना चाहिये। विलायती मुर्ग़ जिसे बनावटी तरीक़े से परवान चढ़ाया जाता है उसे खाने से गुरेज़ करें, क्योंकि उसकी खुराक उ़मदा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो गोश्त तनावुल फ़रमाया है वो कुदरती मुर्ग़ का था।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मुर्ग़ का गोश्त खाते देखा। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) हुबारा का गोश्त:- हुबारा एक परिन्दा (पक्षी)होता है जो अ़रब देशों में पाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दौर में इसका गोश्त खाया जाता था। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी हुबारा का गोश्त खाया और ये हलाल परिन्दा है। हुबार के मअ़ना में उ़लमा-ए किराम में इख़्तिलाफ़ है। किसी ने हुबारा से मुराद तीतुर लिया है किसी ने बटेर, किसी ने चकोर, और किसी ने सुरख़ाब लिया है। इस परिन्दे का गोश्त हकीमी लिहाज़ से गर्म होता है और जिस्म के लिये हरारत बख़्श (गर्मी देने वाला)होता है। हकीमों का बयान है कि हुबारा का गोश्त बवासीर के लिये फ़ायदेमंद है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्राहीम बिन उ़मर अपने वालिद के वास्ते से अपने दादा हज़रत सफ़ीना (रज़ियल्लाहु अ़न्हुम) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हुबारा (चकोर) का गोश्त खाया। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(6) ख़रगोश का गोश्त:- ख़रगोश एक जानवर है जिसका गोश्त इस्लाम में हलाल है ख़रगोश दो तरह के होते हैं यानी जंगली और पालतू, दोनों का गोश्त शरीअ़ते इस्लामिया में खाना जाइज़ है क्यों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़रगोश का गोश्त खाने की तालीम दी है। इसका गोश्त उ़म्दा ज़ायके वाला होता है। मिज़ाज के लिहाज़ से गर्म ख़ुश्क होता है, ठंड वाली बीमारियों में फ़ायदेमन्द है। फ़ालिज, लक़वा,

इस्तिस्का (प्यास)और काली खाँसी के लिये मुफ़ीद है। अ़रब में ज़्यादातर जंगली ख़रगोश होते हैं इसलिये उनका शिकार भी जाइज़ है। ख़रगोश का गोश्त खाने के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादात हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि (मक्का मुकर्रमा से एक मील दूर) मक़ामे मरउज़्ज़हरान में मैंने एक ख़रगोश को दौड़ाया, फिर उसे पकड़ा और हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाह अ़न्हु के पास लेकर हाज़िर हुआ। आपने उसे ज़िबह फ़रमाया और उसकी रानें और सिरी मेरे ज़रिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मते अक़दस में पेश कर दीं जिन्हें आपने कुबूल फ़रमा लिया। (नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने दो ख़रगोश पकड़े। फिर उन्हें ज़िबह करने के लिये कुछ न पाया तो उन्हें पत्थर से ज़िबह किया। उसके बाद हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया आपने फ़रमाया इन्हें खाओ।(नसई शरीफ़)

(7) टिड्डी:- टिड्डी एक छोटा सा परिन्दा होता है जो ज़्यादातर फ़सलों पर ग़ोलों (झुण्ड)की सूरत में आता है और फ़सल खाता है। शरअ़न इस परिन्दे का गोश्त खाना जाइज़ है। नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में ये परिन्दा बहुत पाया जाता था इसलिये सहाबा इसका गोश्त खा लेते थे। हकीमी नुक़्त-ए-नज़र से इसके गोश्त का मिज़ाज गर्म ख़ुश्क है। गाढ़े ख़ून, सौदा, बलग़म और पित को साफ़ करता है। फेफड़ों के मर्ज़ में भी फ़ायदा करता है। हकीम इसे जुज़ाम (कोढ़) में भी इस्तेमाल करवाते हैं इसके लगातार इस्तेमाल से जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ऐसी सात जंगें कीं जिनमें हम आपके साथ टिड्डी खाते रहे। (मुस्लिम शरीफ़)

(8) मछली:- हुज़ूर नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मछली भी खाई है और उसे ज़िबह से भी जुदा क़रार दिया है इसलिये जूँही कोई मछली मयस्सर आये तो उसका खाना हलाल है। मछली का गोश्त जल्द हज़म होने वाला और ताक़तवर होता है। मछली

ताज़ा खानी चाहिये, बीमार और कमज़ोर हज़रात के लिये बहुत उ़मदा ग़िज़ा है। मर्ज़े सिल (टी0बी0) और ज़ियाबीतुस़ (शुगर) में फ़ायदेमंद है। मछली में प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसलिये ये गोश्त का बड़ा अच्छा बदल है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया समुद्र में कोई जानवर नहीं मगर इसको अल्लाह तआ़ला ने औलादे आदम के लिये ज़िबह़ फ़रमा दिया है। (दार क़ुतनी)

इस ह़दीस में ज़िबह़ शुदा जानवर से मुराद मछली है ताकि लोग इसे इस्तेमाल में लाएं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि, मैंने "जैश ख़ब्त" का जिहाद किया हम पर अबू उ़बैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु अमीर (सरदार) मुक़र्रर किये गये। हमको सख़्त भूख लगी हुयी थी। समुद्र ने एक मछली (किनारे पर) फेंकी, हमने ऐसी मछली कभी न देखी थी। उसको "अ़म्बर" कहा जाता था हम उसे आधे माह (15 दिन तक) तक खाते रहे। एक दिन हज़रत अबू उ़बैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उस मछली की एक हड्डी पकड़ी (और उसे ज़मीन पर रखा वो हड्डी इतनी बड़ी थी कि) ऊँट सवार उसके नीचे से गुज़र गया। जब हम वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हमने इस वाक़िए को अ़र्ज़ किया तो सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: खाओ वो रिज़्क़ है। जो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें अ़ता फ़रमाया है। अगर तुम्हारे पास उस मछली का गोश्त हो तो हमें भी खिलाओ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि हमने उस मछली का गोश्त बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम में पेश किया और ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे तनावुल फ़रमाया। (बुख़ारी शरीफ़)

(9) घी:- हुज़ूर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खानों में घी इस्तेमाल होता था जिसे आप तनावुल फ़रमाते थे। घी हमारी ख़ुराक का एक अहम हिस्सा है इसलिये घी का इस्तेमाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो घी इस्तेमाल फ़रमाया वो देसी घी था जो मक्खन को गरम करने से बन जाता है। घी जिस्म को ताक़त देता है और मोटा करता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से घी, पनीर, और नील गाय के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया हलाल वो है जो अल्लाह की किताब में हलाल है और हराम वो है जो अल्लाह की किताब में हराम है और जिससे ख़ामोशी फ़रमाई वो उन चीज़ों से है जिनसे माफ़ फ़रमाया है।

(इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घी इस्तेमाल करने के मुतअ़ल्लिक़ हज़रत उम्मे औस से रिवायत है कि मैंने घी गर्म करके एक बर्तन में भर लिया और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मते आलिया में तोहफ़तन पेश किया आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुबूल फ़रमा लिया और बर्तन में थोड़ा सा घी छोड़ कर फूँक मारी और बरकत की दुआ़ फ़रमा दी और (सहाबा से) फ़रमाया कि उम्मे औस का बर्तन वापस कर दो। सहाब-ए किराम ने बर्तन वापस कर दिया तो वो घी से भरा हुआ था। हज़रत उम्मे औस ने ख़्याल किया कि शायद हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घी कुबूल नहीं फ़रमाया। हज़रत उम्मे औस रोने के अन्दाज़ में बात करती हुई हाज़िर ख़िद्मत हुई और अ़र्ज़ करने लगीं "या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैंने घी इसलिये गर्म किया था कि आप तनावुल फ़रमा लेंगे" आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उम्मे औस की बात समझ गये और दुआ़ कुबूल हो गयी है और बर्तन घी से भर गया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उम्मे औस से कह दो कि हमने घी कुबूल फ़रमा लिया और तनावुल भी फ़रमा लिया है अब ख़ुद ये घी खाएं। उम्मे औस ने वह घी हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के विसाल मुबारक (इन्तेक़ाल) के बाद हज़रत अबू बक्र व उ़मर व उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ज़मान-ए-ख़िलाफ़त (हुकूमत) तक खाया और उस बर्तन से मुसलसल घी निकलता रहा। यहाँ तक कि हज़रत अ़ली मुरतज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हजरत अमीर मआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु का झगड़ा हुआ। (यानी उस वक़्त बरकत जाती रही और घी ख़त्म हो गया)

(अल-ख़साइसे कुबरा)

(10) मक्खन:- हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने मक्खन को भी पसन्द फ़रमाया और जब मयस्सर आया तनावुल फ़रमाया। मक्खन बेहतरीन ख़ुराक है ख़ास चीज़ है, मक्खन और घी के फ़ायदे तक़रीबन एक जैसे हैं। और जिस्मानी ताक़त और तन्दरुस्ती के लिये इसका इस्तेमाल अनमोल है।

हदीस शरीफ़: बुस्र के दोनों सलमी साहबज़ादों ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने मक्खन और खजूरें पेश कीं, क्योंकि आप मक्खन और खजूरें पसन्द फ़रमाते थे।

(11) पनीर:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पनीर भी इस्तेमाल फ़रमाया है इसलिये पनीर बतौरे सुन्नत इस्तेमाल में लाना बहुत बेहतर है, पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है इसमें चिकनाई वाले जुज़ (तत्व) बकसरत होते हैं। इसका हकीमी मिज़ाज सख़्त ठण्डा है। ये मेअ़दा, गुर्दा और आँतों के लिये बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़्यादातर मिठाइयों की सूरत में इस्तेमाल होता है इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीसें हस्ब ज़ैल हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तबूक के मक़ाम पर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में पनीर पेश किया गया। आप ने छुरी मंगवाई और उसे काटा।

(अबू दाऊद शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा आपने पनीर का टुकड़ा खाया और वुज़ू फ़रमाया सिर्फ़ हाथ धोने को भी वुज़ू कहा जाता है और वुज़ू नहीं फ़रमाया इसलिये या तो आपने सिर्फ़ हाथ मुबारक धोए या वैसे ही ताज़ा वुज़ू फ़रमाया फिर (दोबारा) देखा कि आपने बकरी के बाज़ू का कुछ गोश्त खाया। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(12) हरीरा :- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हरीरे कीभी तअ़रीफ़ की है हरीरे को तल्बीना भी कहा जाता है। हरीरा, घी, आटा, चीनी और दूध मिलाकर बनाया जाता है। हरीरा कमज़ोर आदमी के लिये फ़ायदेमंद है। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे बुख़ार

में इस्तेमाल करने के लिये पसन्द फ़रमाया है। हरीरे में अगर मेवे वग़ैरा शामिल कर लिये जाएं तो ये और भी फ़ायदेमंद हो जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुख़ार चढ़ जाता है तो हरीरे का हुक्म फ़रमाते जो बनाया जाता फिर उन्हें घूँट-घूँट पीने का हुक्म फ़रमाते और फ़रमाया करते ये ग़मगीन दिल में ताक़त पहुँचाता है और मरीज़ के दिल से तंगी (सख़्ती) दूर करता है जैसे तुम में से कोई पानी के साथ अपने चेहरे का मैल दूर करती है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(13) ज़ैतून का तेल:- ज़ैतून एक बा बरकत पेड़ है। अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में इसकी तअरीफ़ की है और क़सम भी खाई है इस पेड़ का तेल इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका तेल दो तरह का होता है मीठ और कड़वा। मीठे तेल को खाने में डाला जाता है और कड़वे तेल को चिराग़ वग़ैरा जलाने के काम में लाया जा सकता है। हकीमी तौर पर इस तेल के बहुत से फ़ायदे हैं इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसका इस्तेमाल फ़रमाते रहे हैं और इसके इस्तेमाल की तालीम भी दी है। हकीमों ने कहा है कि ज़ैतून सत्तर बीमारियों का इलाज है। इसका मिज़ाज गर्म तर है इसे बलग़मी और सर्दी के मर्ज़ों के लिये इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्लाह तआला ने अपनी हिकमत से इसमें शिफ़ा रखी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत उबैदुल्लाह बिन तै अपनी दादी हज़रत सलमा से रिवायत करते हैं कि बेशक हज़रत इमाम हसन हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुम इनके पास आए और कहा हमारे लिये वह खाना तैयार करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसन्द था और आप उसे शौक़ से तनावुल फ़रमाते थे उन्होंने (हज़रत सलमा) ने फ़रमाया ऐ मेरे बेटे! आज तू वह खाना ख़ुशी से नहीं खाएगा, अर्ज़ किया क्यों नहीं (यानी ज़रूर खायेंगे) आप हमारे लिये वह खाना पकाइये। इस पर हज़रत सलमा ने थोड़े से जौ लेकर उनको पीसा और हाँडी में डाल दिया। फिर उसमें कुछ ज़ैतून का तेल डाला और कुछ काली मिर्च मसाले कूटकर उसमें डाले।और फिर यह खाना उनके क़रीब करते हुए फ़रमाया ये वह खाना है जिसको आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम पसन्द फ़रमाते और ख़ुशी से खाते थे।

अ़रबों में ये रिवाज था कि खाने में ज़ैतून का तेल डालते जिससे सालन उ़म्दा ज़ाइक़ा और लज़ीज़ हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जो सालन इस्तेमाल फ़रमाया करते थे उसमें ज़ैतून का तेल होता था।

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़ैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो क्योंकि वह मुबारक दरख़्त से निकलता है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़ैतून का तेल खाने के अ़लावा मालिश के लिये भी फ़ायदेमन्द है। जिस शख़्स के पुट्ठे कमज़ोर हो गए हों या उसे सर्दी लग गई हो या फ़ालिज हो गया हो तो उसे ज़ैतून के तेल की मालिश करनी चाहिये इंशा अल्लाह बेपनाह फ़ायदा होगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू उसैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़ैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो क्योंकि वह एक मुबारक पेड़ से निकलता है।

ज़ैतून का चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल का हुक्म भी दिया है इसलिये इस तेल को इस्तेमाल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है लिहाज़ा जब ये तेल मयस्सर आए हुज़ूर की इस सुन्नत पर अ़मल कर लेना चाहिये।

(14) कद्दूः- सब्ज़ियों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसन्द था इसलिये कद्दू की सब्ज़ी को इस्तेमाल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। डॉक्टरी नुक़्त-ए-नज़र से कद्दू के बहुत से फ़ायदे हैं कद्दू में अ़क़्ल के ज़्यादा होने और दिमाग़ के तवाज़ुन (सन्तुलन) के जौहर हैं, प्यास बुझाता है, बुख़ार की हालत में कद्दू के बड़े बड़े टुकड़े हाथों और पाँव की तलियों पर मलने से बुख़ार में कमी हो जाती है। अक्सर बुज़ुर्गाने दीन ने कद्दू को सुन्नत समझ कर इस्तेमाल किया। कद्दू के इस्तेमाल के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की हदीसें हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कद्दू पसन्द फ़रमाते थे

पस जब आपके लिये खाना लाया गया आप खाने के लिये बुलाए गए तो मैं तलाश करके कद्दू आपके सामने रखता था क्यों कि मुझे इल्म था कि आप इसे पसन्द करते हैं। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत हकीम बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़रमाया जब में नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो मैंने आपके पास कद्दू देखे जिन्हें आप काट रहे थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! ये क्या हैं? आपने फ़रमाया हम इसके ज़रिये खाना ज़्यादा करते हैं। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़रमाते हुए सुना है कि एक दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: मैं भी आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला गया। आपके सामने जौ की रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू और (नमक लगाकर) सुखाया हुआ गोश्त हाज़िर किया गया। (तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं मैंने नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप प्याले के किनारों से कद्दू तलाश कर रहे थे मैं उस दिन से लगातार कद्दू पसन्द करता हूँ। (तिर्मिज़ी)

(15) क़दीद:- क़दीद एक तरह का गोश्त होता है जिसके छोटे-छोटे टुकड़े करकेधूप में खुश्क कर लिया जाता है फिर ज़रूरत पर उसे पानी में भिगोकर पकाया जाता है। मिर्च मसाला इसमें खुश्क करते वक़्त डाल लिया जाता है यानी ये बड़ियों की तरह है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं।

हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ क़दीद तनावुल फ़रमा रहे थे कि एक बदज़ुबान औरत हाज़िरे ख़िद्मत हुई और अर्ज़ किया कि मुझे भी क़दीद इनायत फ़रमाइये।आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़दीद सामने रखा था उसमें से उसे भी अता फ़रमाया। उस औरत ने अर्ज़ किया किअपने मुँह से निकाल कर दीजिये,

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने मुँह से निकालकर उसे अ़ता फ़रमाया और वह खा गई। उस रोज़ के बाद कभी भी उसके मुँह से ग़लत और गन्दा कलाम सुनने में न आया। (ख़साइसे कुबरा हिस्सा अव्वल)

(16) सरीद:- रोटी को शोरबे में पकाना या गोश्त के शोरबे में तोड़ कर भिगोना ताकि अच्छी तरह गल जाए, सरीद कहलाता है। सरीद आपको बहुत पसन्द था इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सरीद को बड़ी चाहत से तनावुल फ़रमाते थे। सरीद इस्तेमाल करने के मुतअ़ल्लिक़ चन्द अहादीस हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तमाम खानों से रोटी का सरीद और हीस का सरीद सबसे ज़्यादा पसन्द था। (अबू दाऊद)

हीस का सरीद उस खाने को कहा जाता है जो छुवारे, घी और पनीर को मिलाकर तैयार किया जाता है अगर इसमें शोरबा मिलाना चाहें तो वह भी मिलाया जा सकता है। ऐसा सरीद बहुत लज़ीज़ होता है और ताक़त बख़्श होता है इसे खाने से जिस्म में ताक़त पैदा होती है और जिस्म तरो ताज़ा हो जाता है ऐसा सरीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बहुत पसन्द था।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में सरीद का एक प्याला पेश किया गया, फ़रमाया कि इसके इर्द गिर्द से खाओ और इसके दरमियान से न खाओ क्योंकि बरकत दरमियान में नाज़िल होती है।

सरीद चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बहुत पसन्द फ़रमाया है इसलिये इसे कभी कभी ज़रूर खाना चाहिये इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अ़मल हो जोएगा इस हदीस में ये नसीहत की गई है कि सालन को किनारों की तरफ़ से खाना शुरु करो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं रसूलुलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को दूसरी औ़रतों पर इस तरह फ़ज़ीलत है जिस तरह

सरीद को दूसरे खानों पर।

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सरीद की एहमियत के सबब इसे दूसरे खानों से बेहतर क़रार दिया है।

हज़रत अ़कराश बिन जुएब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे पास एक बड़ा प्याला लाया गया जिस में बहुत सा सरीद और बोटियाँ थीं। मेरा हाथ प्याले में हर जानिब पड़ता था (यानी मैं अपने आगे से नहीं खाता था बल्कि कभी कहीं से और कभी कहीं से) जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने आगे से तनावुल फ़रमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से मेरा दायाँ हाथ पकड़ा और फ़रमाया ऐ अ़कराश! एक जगह से खाओ क्योंकि ये एक क़िस्म का खाना है। फिर हमारे सामने एक तबाक़ लाया गया जिसमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म की खजूरें थीं , मैं अपने आगे से ही खाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबाक़ की अलग-अलग जगहों से तनावुल फ़रमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अ़कराश! अब जहाँ से तेरा जी चाहे खा क्योंकि ये खाना एक क़िस्म का नहीं है। फिर हमारे पास पानी लाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ धोए और अपने हाथों की तरी को अपने चेहरे बाज़ुओं और सिर पर मल लिया। और फ़रमाया ऐ अ़कराश! ये उस खाने का वुज़ू है जो आग से पकाया गया हो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हकीमी (डॉक्टरी) नुक़्त-ए-नज़र से सरीद एक जल्द हज़्म होने वाली ग़िज़ा है और इसे इस्तेमाल करने से इन्सान बल्ग़मी बीमारियों से महफ़ूज़ रहता है। इसके इस्तेमाल से गैस का मर्ज़ कम हो जाता है लिहाज़ा हकीमों ने इसे गाहे बगाहे इस्तेमाल करने की तालीम दी है।

(17) सिरका:- सिरका एक आ़म चीज़ है जो उस ज़माने में आसानी से मयस्सर था इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी कभी सिरके के साथ रोटी तनावुल फ़रमा लेते यानी उसे बतौर सालन इस्तेमाल में लाते। सिरके के बहुत से फ़ायदे हैं इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सिरके के इस्तेमाल की तालीम दी है। सिरका सफ़रा (पित) ख़त्म करने वाला है और बदन को फ़ायदा पहुँचाता है ग़िज़ा को हज़्म करता है और पेट के कीड़े मार देता है। सिरके को ग़िज़ा में सालन के तौर पर इस्तेमाल करना सुन्नते मुस्तफ़ा है। इसके फ़ायदेमंद होने के

मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ह़ादीसें ह़स्ब ज़ैल हैं:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रते आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं: बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेहतरीन सालन सिरका है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रह़मान अपनी रिवायत में कहते हैं' अच्छे सालन 'या अच्छा सालन''सिरका ''है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

इस ह़दीस में सिरके को एक सालन क़रार दिया गया है यानी जब सालन मयस्सर न हो तो सिरके से रोटी खा लें तो इससे सालन की कमी पूरी हो जाती है इससे मेअ़दे का काम तेज़ हो जाता है वह ग़िज़ाएं जो आसानी से हज़म नहीं होतीं, अगर उनके साथ सिरका शामिल कर लिया जाए तो हज़म हो जाती हैं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है? मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई कि सूखी रोटी और सिरके के सिवा कुछ नहीं है। फ़रमाया ले आओ, वह घर सालन से ख़ाली नहीं जिसमें सिरका हो। (तिर्मिज़ी)

इस ह़दीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताकीद फ़रमाई है कि घर में सिरका रखना चाहिये ताकि जब रोटी के साथ खाने के लिये कुछ न हो तो उसके साथ रोटी खा लें इस तरह सालन न होने का एहसास न होगा।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से सालन माँगा अ़र्ज़ किया कि नहीं है हमारे पास मगर सिरका पस वही मंगवाया और उसी के साथ खाने लगे। और फ़रमाते जाते सिरका अच्छा सालन है सिरका अच्छा सालन है। (मुस्लिम शरीफ़)

पुराने ज़माने में सिरका आ़म सिरके ही की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था जबकि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मुख़्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिल कर इसतेमाल होने लगा है। सिरके में अण्डा और ज़ैतून डाल कर ख़ूब हिलाने से चटनी बन जाती है जिसे लोग खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

सिरका बेहतरीन सालन है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सिरका गन्ने का रस , चुक़न्दर, जामुन, अंगूर,मुनक़्क़ा, मेवा, ताड़ी, गेहूँ जौ और दूसरे फलों से तैयार होता है। ये बुनियादी तौर पर किसी भी शकर या निशास्ते (गेहूँ के सत)में ख़मीर उठाने से पैदा हो जाता है। सिरका ठन्डक और गर्मी का एक हसीन जोड़ है। तबीअ़त में ख़ुशी पैदा करता है इसलिये इसका इस्तेमाल हर लिहाज़ से फ़ायदेमंद है।

(18) खजूरः- खजूर एक पेड़ का आ़म फल है जो अ़रब में ब-कसरत पाया जाता है ये फल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बकसरत इस्तेमाल फ़रमाया है और आपको बहुत पसन्द था। हुज़ूर अकसर इसे ग़िज़ा के तौर पर तनावुल फ़रमाते थे। ये मिज़ाज में गर्म तर है साफ़ ख़ून पैदा करती है । मेअ़दे और जिगर को मज़बूत करती है बदन को मोटा करती है लिहाज़ा खजूर का ग़िज़ा में ब कसरत इस्तेमाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपके सहाबा की आ़दत थी कि जब खजूर के फल का मौसम आता और नई खजूरें पेड़ों से उतारते तो पहला फल हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में तोहफ़े के तौर पर पेश करते आप ज़रूरत के मुताबिक़ तनावुल फ़रमा लेते और लाने वाले के हक़ में दुआ़ करते खजूरें इस्तेमाल में लाने के मुतअ़ल्लिक़ चन्द ह़दीसें हस्ब ज़ैल हैः-

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि जो सुबह के वक़्त सात (उजवा नामी) खजूरें खाए तो उस रोज़ उसे कोई ज़हर या जादू नुक़सान नहीं पहुँचायेगा। (मुस्लिम शरीफ़)

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि उकड़ूँ बैठे खजूरें खा रहे थे। दूसरी रिवायत में है कि उनमें से जल्दी-जल्दी खा रहे थे। (मुस्लिम शरीफ़)

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत इब्नेउ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिलाकर दो खजूरें खाने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि अपने साथियों से इजाज़त ह़ासिल करले।

(बुख़ारी)

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस घर वाले भूखे नहीं रह सकते जिनके पास खजूरें हों। दूसरी रिवायत में फ़रमाया ऐ आयशा! जिस घर में खजूरें नहीं हैं उस घर वाले भूखे हैं। ऐसा दो या तीन मर्तबा इरशाद फ़रमाया। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत समाक बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं मैंने हज़रत नोअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़रमाते सुना, क्या तुम लोग अपने खाने पीने की पसन्दीदा चीज़ें नहीं तनावुल करते? बेशक मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप के पास इतनी भी खुश्क खजूर नहीं थीं जिसे आप सैर होकर खाते।

हदीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास (कुछ दिन चढ़े) तशरीफ़ लाते और फ़रमाते क्या तेरे पास इस वक़्त का खाना है (आप फ़रमाती हैं) मैं अर्ज़ करती नहीं, तो आप फ़रमाते मैंने रोज़े की नियत कर ली। फिर एक दिन आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! हमें (कहीं से) तोहफ़ा आया है तो आपने फ़रमाया वह क्या है? मैंने अर्ज़ किया "खजूर का हलवा" आप ने फ़रमाया सुबह से रोज़ादार हूँ ,फिर हलवा तनावुल फ़रमाया।

(19) शहद:- शहद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसन्द था जब मयस्सर आता नोश फ़रमाते। शहद ग़िज़ा भी है और दवा भी है। शहद एक मक्खी से हासिल होता है और ये अल्लाह की हिकमत है कि वह फूलों का रस चूस कर एक छत्ते की सूरत में शहद जमा कर देती है और फिर उस छत्ते से शहद निकालकर इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में शहद की मक्खी की तअरीफ़ की है। सूरह नहल में है कि तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर वही की कि वह पहाड़ों और दरख़्तों की बुलन्दियों पर अपना घर बनाये। फिर वह हर क़िस्म के फलों से अपना रिज़्क़ हासिल करे और अपने रब के मुक़र्रर करदा रास्ते पर चले। उनके पेटों से मुख़्तालिफ़ रतूबतें (रस) निकलती हैं। जिनमें लोगों के लिये शिफ़ा रखी गयी है। ये ख़ुदा तआला की तरफ़ से निशानी है ताकि लोग इस पर ग़ौर करके फ़ायदा उठायें।

इससे मालूम हुआ कि शहद को अल्लाह तआला ने ख़ुसूसी फ़ायदों के साथ बनाया है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तेमाल किया और इसे खाने की नसीहत फ़रमाई।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद को पसन्द फ़रमाया करते थे। (बुख़ारी शरीफ़)

मदारिजुन्नबूवत में है कि आम तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सुबह में शहद में पानी मिलाकर नोश फ़रमाया करते थे। फिर जो कुछ वक़्त गुज़र जाता और भूख महसूस होने लगती तो जो मयस्सर आता खा लेते।

हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि मेरे पास शहद की एक कुप्पी थी। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस शहद को पसन्द फ़रमाते और उसमें से कुछ नोश फ़रमाया करते थे।

एक और हदीस में रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज़रत सौदा के पास जाकर शहद नोश फ़रमाया करते थे इन रिवायात से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को शहद बहुत पसन्द था इसलिये इसे ख़ूब इस्तेमाल किया इसलिये शहद को ज़रूरत के मुताबिक़ इस्तेमाल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। शहद में अल्लाह तआला ने शिफ़ा रखी है और इसका मिज़ाज गर्म ख़ुश्क है इसलिये ये बलग़मी बीमारियों और पेट के गैस वाले मर्ज़ों के लिये बहुत फ़ायदेमंद है खांसी के लिये ख़ास तौर से नफ़ा बख़्श है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक आदमी नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मेरे भाई का पेट चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसे शहद पिलाओ। उसने पिलाया फिर हाज़िरे बारगाह होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैंने उसे पिलाया लेकिन दस्त और ज़्यादा होने लगे तीन मर्तबा आपने यही फ़रमाया फिर चौथी मर्तबा आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ तो फ़रमाया कि उसे शहद पिलाओ। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैंने उसे पिलाया लेकिन उसे दस्त और ज़्यादा आने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि

अल्लाह तआ़ला ने सच फ़रमाया है और तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोलता है। उसने फिर पिलाया तो वह तंदरुस्त हो गया।(बुख़ारी शरीफ़)

जिसे बाई या गैस की वजह से दस्त आ रहे हों तो उसे पानी में शहद मिलाकर पिलाने से दस्त रुक जायेंगे इसके इस्तेमाल से पेट की गन्दगी भी निकल जाती है और तबीअ़त हलकी व पुर सुकून हो जाती है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: शिफ़ा तीन चीज़ों से है यानी पछने लगाने वाले के नश्तर (ज़ख़्म चीरने का हथियार) में, शहद के घूँट में, और आग के दाग़ में लेकिन में अपनी उम्मत को दाग़ने से मना करता हूँ। (बुख़ारी शरीफ़)

नई ह़कीमी तालीम की रू से शहद थोड़ा मुलायम करने वाला हवा या गैस दूर करने वाला और बदबू ख़त्म करने वाला है। जिस्म को ताक़त देता है दिल को मज़बूत करता है, फेफड़ों से बलग़म को ख़ारिज करता है, दमे के लिये बहुत फ़ायदेमंद है, लक़वा और फ़ालिज के लिये भी बहुत फ़ायदेमंद है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो शिफ़ाओं (इलाज) को अपने ऊपर लाज़िम कर लो यानी शहद और क़ुरआन मजीद को।(इब्ने माजा)

क़ुरआन मजीद रूह और जिस्म यानी दोनों की बीमारियों का आज़माया हुआ इलाज है और शहद सिर्फ़ जिस्मानी मर्ज़ की बेहतरीन ग़िज़ा है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो हर महीने में तीन दिन सुबह़ के वक़्त शहद चाट लिया करे उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं पहुँचेगी। (इब्ने माजा, बेहक़ी)

इस ह़दीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि जो शख़्स हर महीने तीन दिन सुबह़ के वक़्त शहद चाटने का मअ़मूल बना लेगा वह इंशा अल्लाह बहुत सी बीमारियों से मह़फ़ूज़ रहेगा। शहद के बहुत से फ़ायदे हैं इसलिये इसे रोज़मर्रा की ख़ुराक में इस्तेमाल में लाते रहें

इंशा अल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।

(20) ककड़ी का इस्तेमाल:- ककड़ी को पंजाबी में खीरा कहा जाता है ये हमारे यहाँ ख़ूब पैदा होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ककड़ी खजूरों के साथ मिलाकर खाई है इसलिये ककड़ी यानी खीरे का खाना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिये जब खीरा मयस्सर हो उसे इस्तेमाल में लाएं ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर अ़मल हो जाए, हमारे यहाँ खीरा ज़्यादातर सलाद में काटकर इस्तेमाल किया जाता है इसे कच्ची हालत ही में नमक और मिर्च लगाकर भी खाया जाता है। ये मिज़ाज के लिहाज़ से सर्द है इसलिये गर्मियों के मौसम में गर्मी को कम करने और जिगर को आराम पहुँचाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तर खजूरें ककड़ी के साथ खाते हुए देखा। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि: जब मेरी शादी के दिन क़रीब आ गए तो मेरी वालिदा के दिल में ख़्याल आया कि मेरा जिस्म अच्छा सेहतमंद हो जाए तो उन्होंने मुझे चन्द दिन तक ताज़ा खजूरों के साथ ककड़ियाँ खिलाना शुरु कीं जिन्हें मैं चन्द रोज़ तक खाती रही इस तरह मेरा जिस्म पहले से अच्छा हो गया।

हदीस शरीफ़: हज़रत रबीअ़ बिन्त मुअ़व्वज़ फ़रमाती हैं मुझे मेरे चचा मआ़ज़ बिन अ़फ़रा ने ताज़ा खजूरों का एक थाल देकर जिसके ऊपर रूऐं दार खीरे यानी ककड़ियाँ रखी हुई थीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में भेजा क्योंकि आपको ककड़ियाँ पसन्द थीं उस वक़्त आपके पास बहरीन से आए हुए बहुत से ज़ेवर रखे हुए थे उसमें से आपने कुछ मुझे दे दिये। हज़रत रबीअ़ बिन्त मुअ़व्वज़ कहती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में ताज़ा खजूरों के साथ ककड़ियाँ लाई तो आपने मुझे हाथ भर सोना दिया।(शमाइले तिर्मिज़ी शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर ककड़ियाँ मिलने पर तनावुल फ़रमाया करते थे इसलिये खीरे को सुन्नत समझकर खाना सवाब का काम है।

(21) **ख़रबूज़ा**:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़रबूज़ा भी इस्तेमाल किया है इसलिये ख़रबूज़ा खाना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। ख़रबूज़ा एक मशहूर फल है जो बेल के साथ लगता है। ये कब्ज़ दूर करने वाला और पेशाब लाने वाला है इसलिये पेट के मर्ज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका हकीमी मिज़ाज गर्म तर है। कुछ हकीमों ने ये भी कहा है कि इससे पेट के कीड़े मरते हैं और इसका इस्तेमाल नज़र के लिये फ़ायदेमंद है। ख़रबूज़े के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस ये है:-

हदीस शरीफ़:हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़रबूज़ा और तर खजूर खाने में जमा करते हुए देखा। (शमाइले तिर्मिज़ी शरीफ़)

(22) **तरबूज़**:- ये गर्म इलाक़ों का एक मशहूर फल है जो एक क़िस्म की बेल के साथ लगता है। इसका मिज़ाज सर्द तर है इसलिये गर्मी के मौसम में इसका खाना गर्मी की तेज़ी को कम करता है और दिल को सुकून पहुँचाता है यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे बड़े शौक़ से तनावुल फ़रमाया।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तरबूज़ को तर खजूरों के साथ खा लिया करते थे। इसकी गर्मी इसकी ठण्डक से तोड़ी जाती है और उसकी ठण्डक उसकी गर्मी से। (अबू दाऊद शरीफ़)

पुरानी अ़रबी में बित्तीख़ तरबूज़ को कहा जाता था मगर मौजूदा ज़माने में अ़रबों ने ख़रबूज़े को बित्तीख़ कहना शुरु कर दिया। लेकिन इस हदीस में मुहद्दिसीन ने बित्तीख़ से मुराद तरबूज़ ही लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तरबूज़ को खजूरों के साथ मिलाकर नोश फ़रमाते ताकि गर्म और सर्द मिज़ाज मिलकर बराबर हो जाएं।

(23) **इंजीर**:- इंजीर एक पेड़ का फल है ये फल बड़ा नाज़ुक होता है पकने के बाद पेड़ की शाख़ों से ख़ुद ब ख़ुद गिर जाता है इसे ख़ुश्क करने से महफ़ूज़ हो जाता है। ये फल बड़ा कार आमद है इसलिये अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन मजीद में इस की क़सम खाई है जिससे मालूम होता है कि ये एक बाबरकत और फ़ायदेमंद फल है जिसके इस्तेमाल में अल्लाह

तआ़ला ने चन्द मर्ज़ों की शिफ़ा भी रखी है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल की ताकीद फ़रमाई है।

हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में कहीं से इंजीर का भरा हुआ थाल आया आपने हमें फ़रमाया कि खाओ, हमने उसमें से कुछ खाया फिर इरशाद फ़रमाया अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वह फल है जो जन्नत का है। इसमें से खाओ क्योंकि ये बवासीर और जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद है।

(कन्ज़ुल उम्माल)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने दो तबाक़ इंजीर बारगाहे नबवी में पेश किये नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुद भी इंजीरें तनावुल फ़रमाई और सहाब-ए किराम से भी फ़रमाया कि खाओ। (नुज़हतुल मजालिस)

हज़रत कअ़ब से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तर और खुश्क यानी दोनों तरह की इंजीर खाया करो क्योंकि ये जिस्म में ताक़त पैदा करती हैं। बवासीर को ख़त्म करती हैं और बहुत सी बीमारियों में फ़ायदेमंद हैं।

(24) अंगूर व किशमिश:- नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अंगूर और मेवा भी तनावुल फ़रमाया है इसलिये अंगूर के मौसम में अंगूर खाना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। अंगूर एक बेल का फल है ताज़ा को अंगूर और खुश्क को किशमिश कहा जाता है ये मिज़ाज में गर्म तर है। जल्द हज़म वाला और ख़ून साफ़ करने वाला है ये जिस्म को मोटा करता है। जिस्म में ख़ून बढ़ाता है। जले हुए बलग़मी मर्ज़ों में फ़ायदेमंद है। इसे ज़्यादा मिक़दार में खाने से दस्त भी लग जाते हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु या किसी दूसरे सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत सअ़द बिन उबादह से अन्दर आने की इजाज़त माँगी। हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने व अ़लैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुनाई न दे यहाँ तक कि हुज़ूर

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा ने तीन बार सलाम किया और हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों बार जवाब दिया कि आप न सुनें। पस नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए और हज़रत सअद आपके पीछे हो लिये। अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मेरे माँ-बाप आप पर कुरबान! जितनी बार भी आपने सलाम किया मेरे इन कानों ने सुना और मैंने आपको जवाब दिया लेकिन ऐसा कि आप न सुनें ताकि आप ज़्यादा बार हम पर सलामती और बरकत भेजें। फिर घर में दाख़िल हुए और उन्होंने किशमिश पेश की। नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फ़रमाई। जब फ़ारिग हुए तो आपने फ़रमाया तुम्हारा खाना नेक बंदों ने खाया, फ़रिश्तों ने तुम्हारे लिये दुआए रहमत की और तुम्हारे पास रोज़ादारों ने इफ़तार किया।

(मिश्कात बाब ज़ियाफ़त)

एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह खाते हुए देखा कि एक खोशा लेकर मुँह से दाने तोड़ते और तिनके बाहर निकाल देते। (मदारिजुन्नुबुव्वत)

एक रिवायत में है कि ताइफ़ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीआ के बेटे उतबा और शेबा के बाग़ में गए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक अंगूर का गुच्छा प्लेट में रखकर पेश किया जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फ़रमा लिया। (मदारिजुन्नुबूवत, सीरत इब्ने हिशाम)

(25) पीलूः- पीलू एक मशहूर पेड़ का फ़ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी पसन्द फ़रमाया है काले रंग के पीलू अच्छे होते हैं। हकीमों के नज़दीक इस का मिज़ाज गर्म खुश्क है। वरम को दूर करता है, बलग़म को छाती से निकालता है, रियाह (हवा) को ख़ारिज करता है इसका फल पेशाब खुलकर लाता है, तबीअत में खुशी पैदा करता है इसकी जड़ की मिसवाक दाँतों को मज़बूत करती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मर्रज़्ज़हरान के मक़ाम पर थे। पीलू चुन रहे थे कि आपने फ़रमाया काले चुनो क्योंकि वह

ज़्यादा बेहतर होते हैं। अर्ज़ कि गई कि आपने बकरियाँ चराई हैं? फ़रमाया हां और कोई नबी नहीं हुआ मगर इसने बकरियाँ चराई हैं।(बुख़ारी शरीफ़)

(26) चुक़न्दर:- चुक़न्दर एक सब्ज़ी है जो शलजम की तरह होती है और ज़मीन में होती है। ज़ाइक़े में मीठी होती है और मिज़ाज में गर्म होती है। वरम या रियाह (हवा) को दूर करने में बड़ा बे नज़ीर है। गोश्त के साथ पकाने से बड़ा लज़ीज़ बनता है। हमारे यहाँ सलाद में चुक़न्दर इस्तेमाल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चुक़न्दर भी इस्तेमाल फ़रमाया है। बल्कि इसे जौ के साथ मिलाकर तनावुल फ़रमाया। इसलिये चुक़न्दर खाना भी नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे मुनज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और हज़रत अ़ली मुरतज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटके हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूरें खानी शुरु कर दीं। जब हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी खाने लगे तो आपने फ़रमाया ऐ अ़ली! तू ना खा क्योंकि तू अभी कमज़ोर है (यानी आपका मेअ़दा अभी उसे क़ुबूल नहीं करता) हज़रत उम्मे मुनज़र का बयान है कि फिर हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु बैठ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खाते रहे। रिवायत करने वाली कहती हैं कि फिर मैंने उनके लिये चुक़न्दर और जौ को मिलाया तो आपने फ़रमाया ऐ अ़ली! इससे खाइये क्योंकि तुम्हारे लिये बहुत मुनासिब है।

(27) खुम्बी:- ये ख़ुद बख़ुद उगने वाली घासों में से है। बरसात के मौसम में बाग़ों और नहरों के किनारों के साथ ख़ुद बख़ुद उग आती है। ये मिज़ाज के लिहाज़ से सर्द तर है। इसका सालन बड़ा लज़ीज़ होता है। ये तीन क़िस्म की होती है सफ़ेद, सुर्ख़, और काली। सिर्फ़ सफ़ेद खुम्बी खाने के काम आती है। बाक़ी दो के असरात ज़हरीले होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन अल्फ़ाज़ में इसकी तारीफ़ की है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया खुम्बी मन्न से है और इसके पानी में आँखों के लिये शिफ़ा है। उस मन्न से

है जो अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्लाम पर नाज़िल फ़रमाया था। (मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत सुहैब से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खुम्बी तुम्हारे फ़ायदे के लिये है ये मन्न से है और इसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है। (अबू नईम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा ने एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा ये खुम्बी ज़मीन का जोश है? इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खुम्बी मन्न से है। और इसका पानी आँखों की बीमारियों के लिये शिफ़ा है जबकि उजवह नामी खजूर जन्नत से है और ज़हरों का तिरयाक़ (तोड़)है। हज़रत अबू हुरैरा का कहना है कि मैंने इसके बाद पाँच या सात खुम्बियाँ लीं और उनका पानी निचोड़ कर एक शीशी में डाल लिया फिर मैंने ये पानी एक लौंडी की आँखों में डाला जिसकी आँखें खराब थीं वह इस पानी से शिफ़ा याब हो गयीं। (तिर्मिज़ी)

(28) मेथी:- ये तरकारी के तौर पर आ़म(Common)इस्तेमाल होती है। ये गर्म होती है इसलिये ठण्डे मुल्कों में इसे तरकारी के तौर पर आ़म इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे सुखा कर भी रख लिया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक़ दूसरे सालनों में डाल लिया जाता है। ये खांसी के लिये बहुत फ़ायदेमंद है इसके इस्तेमाल से जिस्म में से रियाह (हवा)ख़ारिज होती है। इसके फ़ायदे के पेशे नज़र हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल की भी इजाज़त दी है।

क़ासिम बिन अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क़ौल है कि मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़ायदों को समझ ले तो इसे सोने के बराबर वज़न के साथ खरीदने से भी इन्कार न करें।

पीने के आदाब

पानी या कोई और चीज़ पीने का सुन्नत और इस्लामी तरीक़ा ये है कि सबसे पहले बैठ जायें। फिर पीने वाली चीज़ के ग्लास या बर्तन को दाएं हाथ में पकड़ें फिर उसे मुँह के क़रीब लाकर बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ें। फिर बर्तन को मुँह लगाकर चुस्की से पीना शुरु कर दें। पीते वक़्त तीन मर्तबा बर्तन को अपने मुँह से हटाकर सांस लें और पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्हम्दु लिल्लाह कहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीक़े से पीते थे लिहाज़ा हमें भी पानी पीते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सुन्नत तरीक़े से पीना चाहिये क्योंकि इसका बेहद सवाब है। पीने के मुतअ़ल्लिक़ अहादीस शरीफ़ के मुताबिक़ आदाब हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) **दाएं हाथ से पीने का हुक्म:** शरीअ़त ने खाने-पीने के लिये दायाँ हाथ मुक़र्रर फ़रमाया है इसलिये हमेशा दाएं हाथ से बर्तन को पकड़ कर पीना चाहियें। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर बायाँ हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पानी पिये तो दाएं हाथ से पिये। क्योंकि बाएं हाथ से खाना-पीना शैतान का तरीक़ा है। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दाहिना हाथ मुबारक खाने-पीने और लिबास के लिये इस्तेमाल फ़रमाते और दूसरे कामों के लिये बायाँ हाथ इस्तेमाल करते। (अबू दाऊद शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि दाएं हाथ से खाए और दाएं हाथ से पिये और दाऐं हाथ से दे और और दाएं हाथ से ही ले। क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से लेता है और बाएं हाथ से देता है। (सुनन इब्ने माजा शरीफ़)

(2) **बैठ कर पीना:-** पानी बैठ कर पीना चाहिये। इस्लाम के शुरुआ़ती दौर में लोग चलते-फिरते खा लिया करते, और खड़े होकर पी

भी लिया करते थे मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैठ कर खाने पीने की नसीहत फ़रमाई और सहाबा को खड़े होकर पानी या कोई और पीने वाली चीज़ पीने से मना फ़रमा दिया क्योंकि बैठ कर पानी पीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है लिहाज़ा मजबूरी की हालत के अ़लावा पानी बैठ कर ही पीना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी–ए–अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया। हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं: मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा खाने से भी (मना फ़रमाया?) उन्होंने फ़रमाया ये बदतरीन या ज़्यादा शैतानी काम है। (मुस्लिम शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत मुबारक ये थी कि आप पानी या कोई और पीने वाली चीज़ बैठ कर ही नोश फ़रमाया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई शख़्स खड़े होकर न पिये और जो पी ले वो कै़ (उगल)कर ले।(मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक और रिवायत में बयान है कि उन्होंने देखा कि एक शख़्स खड़े होकर पानी पी रहा था तो उन्होंने कहा कि इस पानी को कै़ कर दे। उस शख़्स ने कहा किस लिये कै़ कर दूँ? हज़रत अबू हुरैरा ने फ़रमाया: क्या तुम्हें अच्छा मालूम होता है कि तुम्हारे साथ बिल्ली पानी पिये? उसने कहा अच्छा नहीं। तो फ़रमाया बिला शुबा जिसने तेरे साथ पानी पिया है वह बिल्ली से भी ज़्यादा बदतर है यानी शैतान। (मदारिजुन्नुबुव्वतत)

(3) पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना:– इस्लाम ने हमें सबसे पहला सबक़ यही दिया है कि जो काम भी करें उसके शुरु में अल्लाह का नाम लें क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के नाम से शुरु की जाएगी अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो जाती है इसलिये जब भी पानी या कोई और चीज़ पियें तो घूँट भरने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ें और पीने के बाद अल्हम्दु लिल्लाह कहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: ऊँट की तरह एक सांस में न पियो बल्कि दो या तीन सांसों में पियो और पीते वक़्त "बिस्मिल्लाह" पढ़ो और पीने के बाद "अल्हम्दु लिल्लाह" कहो। (तिर्मिज़ी)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत मुबारक थी कि जब पानी पीने लगते तो बिस्मिल्लाह कहते फिर पानी को कम से कम दो या तीन सांसों में पीते और आख़िर में अल्हम्दु लिल्लाह कहते और हर सांस पर बिस्मिल्लाह से शुरु करते और अल्हम्दु लिल्लाह पर ख़त्म करते। इस तरह दो या तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़ते।

(4) पीते वक़्त तीन बार सांस लेना:- पीते वक़्त तीन बार सांस लेना चाहिये यानी पानी तीन सांस में ठहर-ठहर कर पीना चाहिये इससे पानी ज़रूरत के मुताबिक़ पिया जाता है और पेट पर एकदम बोझ नहीं पड़ता। हकीमी हिसाब से एक दम पेट में पानी डाल लेना कभी-कभी नुक़सान दे साबित होता है। जब सांस लें तो ग्लास मुँह से हटाकर एक तरफ़ कर लें ताकि गन्दी सांस पानी को न लगे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पीते हुए तीन मर्तबा सांस लिया करते थे। ये ज़्यादा सैर करने वाला, ज़्यादा सेहत बख़्श और जल्द हज़्म होने वाला है। (मुस्लिम शरीफ़)

एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पानी चूस-चूस कर पियो और ग़ट-ग़ट करके न पियो। इसलिये मालूम हुआ कि पानी वाली टोंटी को मुँह के अन्दर न लें जैसा कि लोग कर लेते हैं क्योंकि चुस्की होंठों और लबों से होती है और चूस के पीने से पानी का हकीमी फ़ायदा बेहतर तरीक़े से हासिल होता है।

(5) फूँक मारने की मुमानिअ़त:- पीने की चीज़ में फूँक नहीं मारनी चाहिये। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूँक मारने से मना फ़रमाया है इसकी वजह यह है कि फूँक मारने से अन्दर की गन्दगी सांस के जरासीम (कीटाणु) पीने वाली चीज़

में मिल जाएंगे। क्योंकि जो सांस अन्दर से बाहर आती है वह जिस्म की गंदगी को बाहर लेकर आती है फूँक मारने से वही गन्दगी पानी या पीने वाली चीज़ में शामिल होकर दोबारा अन्दर चली जाएगी जो सेहत के लिये नुक़सान दे होगा। इसके फूँक मारने से मुँह की थूक वग़ैरा भी गिरने का अन्देशा होता है इसलिये पीने की चीज़ में फूँक मारना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ में फूँकने से मना फ़रमाया। एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! अगर बर्तन में तिनका वग़ैरा दिखाई दे, फ़रमाया उसे बहा दो, उसने अर्ज़ किया मैं एक सांस से सैराब नहीं होता, फ़रमाया फिर प्याला मुँह से दूर कर लिया करो। (रियाज़ुस्सालिहीन ब-हवाला तिर्मिज़ी)

(6) मश्कीज़े (छोटी मशक)से मुँह लगाने की मुमानिअत:- पानी पीने के लिये मश्कीज़े या बड़े बर्तन यानी घड़ा, डोल या जग वग़ैरा को मुँह से लगा लेना ख़िलाफ़े अदब है क्योंकि ऐसा करने से तमाम को मुँह लग जाएगा इसके अलावा ऐसा करने से ये बात मालूम नहीं रहेगी कि पानी कितना पिया है और ये पता भी नहीं चल सकता कि मश्कीज़े या घड़े में कोई नुक़सान दे चीज़ तो नहीं। इन वजहों की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्कीज़े को मुँह लगाकर पानी पीने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्क के मुँह से मुँह लगाकर पीने से मना फ़रमाया है। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया कि मश्कीज़े के मुँह से पानी पिया जाए। एक रिवायत में ये भी है इसका उलटाना ये है कि उसके मुँह को नीचे कर दिया जाए और उससे पिया जाए। (बुख़ारी शरीफ़)

(7) आबे ज़म ज़म खड़े होकर पीना:- आबे ज़म ज़म खड़े होकर पीना चाहिये क्यों कि इसका खड़े होकर पीना सुन्नत है लेकिन अगर कहीं बैठ कर पीना पड़ जाए तो इसमें कुछ हरज नहीं। मक्का में मस्जिद हराम के खुले आंगन में आबे ज़म ज़म कूलरों में पड़ा हुआ मिल जाता है

और जहाँ आदमी बैठा होता है वहाँ कूलर से डालकर बैठकर पी लिया जाए तो इसमे कोई ख़िलाफ़े अदब बात नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में आबे ज़म ज़म का एक डोल पेश किया गया तो आपने खड़े होकर नोश फ़रमाया। (मुस्लिम शरीफ़)

(8) सोने चाँदी के बर्तन में पीने की मुमानिअ़त:- सोने चाँदी के बर्तन क़ीमती होते हैं इसलिये इन्हें पीने में इस्तेमाल करने से अमीरी ज़ाहिर होगी जो ग़ुरूर और फ़ख़्र का सबब बनेगी इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने चाँदी के बर्तनों में खाने-पीने से मना फ़रमाया है ताकि किसी ग़रीब के दिल में एहसासे कमतरी पैदा न हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स सोने के बर्तन में पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग डालता है। (बुख़ारी शरीफ़)

(9) मजलिस में पीने की चीज़ तक़सीम करने का तरीक़ा:- वह महफ़िल जहाँ एक से ज़्यादा इन्सान हों तो उनमें पीने की चीज़ तक़सीम करने का तरीक़ा यह है कि दाएं तरफ़ से तक़सीम करना शुरु करें क्योंकि हुज़ूर ने हमें यहीं तालीम दी कि दाएं तरफ़ से शुरु करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में पानी पेश किया गया, आपने नोश फ़रमाया। आपकी दाहिनी तरफ़ एक लड़का और बाएं तरफ़ बुज़ुर्ग लोग थे आपने लड़के से पूछ क्या तुम इजाज़त देते हो कि पहले इनको दूँ, लड़के ने अ़र्ज़ किया नहीं अल्लाह की क़सम! मैं आपकी तरफ़ से मिलने वाले अपने हिस्से पर किसी को अहमियत नहीं दूँगा चुनान्चे आपने बर्तन उसके हाथ में रख दिया।

(बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़)

(10) पीने के बाद की दुआ:- पीने के बाद ये दुआ माँगना सुन्नत है लिहाज़ा पीने के बाद हर एक को ये दुआ पढ़नी चाहिये:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत अ़ मना व सक़ाना व ज अ़ लना मिनल मुस्लिमीन"

तर्जमाः उस खुदा का शुक्र है जिसने खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया।

(11) बर्तन के अन्दर सांस न लें:- पीने के आदाब में से एक अदब और सुन्नत यह भी है कि पानी पीते वक़्त बर्तन के अन्दर सांस न लें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दते शरीफ़ा थी कि आप पानी पीते वक़्त सांस बर्तन के बाहर लेते बल्कि बर्तन को अपने मुँह मुबारक के आगे से हटाकर ज़रा एक तरफ़ कर लेते क्योंकि जो सांस हम अन्दर से निकालते हैं वह गंदा होता है और उसमें जरासीम (कीटाणु) होते हैं इसलिये अगर बर्तन में सांस लेंगे तो वह पीने वाली चीज़ में शामिल हो जाएंगे इसलिये हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पीते वक़्त बर्तन के अन्दर सांस लेने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़ः हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और उसमें फूँक मारने से मना फ़रमाया।

(अबू दाऊद- इब्ने माजा शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत क़ताद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि : जब तुम में से कोई पानी पिये तो बर्तन में सांस न ले, और जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपनी शर्मगाहों को दाहिना हाथ न लगाए और अगर लगाना पड़े ता बायाँ हाथ लगाया जाए। (बुख़ारी शरीफ़)

(12) प्याले में पीना सुन्नत हैः- हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पानी पीने के लिये प्याला इस्तेमाल किया करते थे इसलिये प्याले में पीना सुन्नत है। आपके दौर में खाने-पीने में प्याले कसरत से इस्तेमाल किये जाते थे। हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का प्याला मोटी लकड़ी का बना हुआ था। हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये प्याला हज़रत अनस के पास था। हज़रत अबू बरदा से एक मर्तबा हज़रत अ़ब्दुस्सलाम ने कहा क्या मैं आपको उस

प्याले में पानी न पिलाऊँ जिसमें हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पिया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़सिम अह्वल का बयान है कि मैंने नबी-ए करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मुबारक प्याला हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास देखा जो फट गया था और चाँदी के तारों से गाँठा हुआ था। उनका बयान है कि वह प्याला बहुत उ़मदा, चौड़ा और बेहतरीन लकड़ी का था। उनका बयान है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने इस प्याले में बे शुमार मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पिलाया। उनका बयान है कि इब्ने सीरीन ने कहा कि इसके आस-पास लोहे का एक हल्क़ा था। पस हज़रत अनस का इरादा हुआ कि इसके गिर्द सोने या चाँदी का हल्क़ा लगवाएं तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनाया है उसको बदलने की ज़रा भी कोशिश न करो। चुनान्चे उन्होंने इरादा छोड़ दिया।

(बुख़ारी शरीफ़)

हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के प्याले के बारे में एक और हदीस ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुज़ूर एक अ़रबी औ़रत का ज़िक्र किया गया तो आपने हज़रत अबू उसैद साइ़दी को हुक्म दिया कि इसे बुला भेजो। पस उन्होंने उसकी तरफ़ पैग़ाम भेज दिया तो वो आई और बनी साएदह के एक घर में आ ठहरी। पस नबी-ए करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रवाना हुए और उसके पास जा पहुँचे। देखा तो वह औ़रत सर झुकाए बैठी है। जब नबी-ए करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसके साथ बात-चीत का सिलसिला शुरु किया तो उसने कहा मैं आपसे अल्लाह की पनाह पकड़ती हूँ, आपने फ़रमाया मेरी जानिब से तुम पनाह में हो। लोगों ने उस औ़रत से कहा क्या तू जानती है कि ये कौन हैं? औ़रत ने नहीं में जवाब दिया तो लोगों ने कहा कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे जो तुझे निकाह का पैग़ाम देने आए थे। औ़रत कहने लगी कि फिर तो मैं बड़ी बदबख़्त हूँ।

फिर नबी –ए करीम वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ तक कि अपने साथियों के साथ सक़ीफ़ा बनी साएदह में जलवा अफ़रोज़ हुए। फिर आपने फ़रमाया कि ऐ सहल! हमें पानी तो पिलाओ, हज़रत सहल फ़रमाते हैं कि मैं उनके लिये ये प्याला लाया और मैंने उसमें उन्हें पानी पिलाया। फिर हज़रत सहल वही प्याला हमारे लिये भी निकालकर लाए और हमने भी इससे पानी पिया। रिवायत करने वाले का बयान है कि बाद में वह प्याला हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ को दे दिया गया। (बुख़ारी शरीफ़)

(13) ग्लास में पीना भी सुन्नत है:– प्याले के अ़लावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पानी पीने के लिये ग्लास भी इस्तेमाल किया है इसलिये ग्लास का इस्तेमाल भी सुन्नत के मुताबिक़ है। उस ज़माने में ग्लास कम होते थे जब कि आज–कल ग्लास का इस्तेमाल आ़म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अस्कंदरिया के बादशाह ने एक शीशे का ग्लास तोहफ़े में भेजा था जिसमें हुज़ूर पीने वाली चीज़ें पिया करते थे।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक शीशे का ग्लास था जिसमें आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पानी पिया करते थे।

(इब्ने माजा)

हुज़ूर ﷺ के पीने की चीज़ें

पीने की चीज़ें ज़रूरियाते ज़िन्दगी से है क्योंकि सेहत और ज़िन्दगी की बक़ा और हिफ़ाज़त का ख़ास तअ़ल्लुक़ पीने की चीज़ों से है। ख़ुराक के साथ पानी भी लाज़िम चीज़ है जिसके बग़ैर ज़िन्दा रहना मुम्किन नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो पीने वाली चीज़ें अपनी ज़िन्दगी में इस्तेमाल कीं उनमें सादा पानी सरे फ़हरिस्त है। इसके अ़लावा दूध, शर्बत, लस्सी, और नबीज़ (जूस) भी इस्तेमाल फ़रमाई है। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में इन चीज़ों का इस्तेमाल सुन्नते नबवी पर अ़मल करना है। फिर इन चीज़ों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े से पीने से ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और सुन्नत का सवाब भी मिला जाता है। अहादीस के मुताबिक़ इन चीज़ों की तफ़सील हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) पानी:- हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़म तौर पर सादा पानी पसन्द फ़रमाते। अगर कभी ठंडा पानी मयस्सर आता तो उसे बड़े शौक़ से पीते। मदीना शरीफ़ में एक कुआँ सुक़्या था आप वहाँ से पानी मँगवाकर कभी-कभार पी लिया करते थे। इस कुएं का पानी ठंडा और मीठा होता था।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मीठा पानी सुक़्या से मँगवाया जाता था।कहा गया कि वह एक चश्मा (स्रोत) है जो मदीना मुनव्वरा से दो दिन की दूरी पर है। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस से एक मसअले की वज़ाहत होती है कि ठंडा पानी पीना फ़क़ीरी व परहेज़गारी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अच्छी नेअ़मत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एक अन्सारी ख़ादिम था जो आपके पीने के लिये पानी को पुराने मशकीज़े (मश्क)में भरकर खजूर की शाख़ से लटका छोड़ता। जब ठंडा हो जाता तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश करता।

हदीस शरीफ़: हज़रत कबशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लटके हुए मशकीज़े (मश्क) से खड़े होकर पानी नोश फ़रमाया। पस मैं खड़ी हुई और उसके मुँह को काट कर रख लिया।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा शरीफ़)

इस ह़दीस में ये बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक लटके हुए मशकीज़े से खड़े होकर पानी पिया। ये एक इत्तिफ़ाक़ था वरना हुज़ूर बैठ कर ही पानी पीते थे और बैठ कर ही पीने की नसीह़त फ़रमाई है। दूसरी बात ये है कि सह़ाबिया औ़रत ने उस मश्क के मुँह का किनारा काट कर अपने पास रख लिया। तो ये तबर्रुकन था और बरकत ह़ासिल करने की ख़ातिर। इससे ये बात बिल्कुल न समझें कि खड़े होकर पानी पीना दुरुस्त है। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फ़रमाया है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक प्याला लाया गया तो आपने उंसमें से नोश फ़रमाया और आपके दाईं जानिब तमाम लोगों से छोटा एक लड़का था और बाईं जानिब बुज़ुर्ग हज़रात। फ़रमाया कि ऐ लड़के! क्या तुम इजाज़त देते हो कि ये बुज़ुर्ग हज़रात को दे दूँ? वह अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आपके बचे हुए के सिलसिले में अपने ऊपर मैं किसी को अहमियत नहीं दूँगा। पस आपने उसी को अ़ता फ़रमा दिया।

(बुख़ारी शरीफ़)

मुहद्दिसीन (ह़दीस बयान करने वाले) का कहना है कि उस प्याले में दूध या पानी था जिसे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नोश फ़रमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सह़ाब-ए किराम में तशरीफ़ फ़रमा होते तो पहले उन्हें पिलाते। कभी-कभी सह़ाबा अ़र्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! काश आप पहले पी लेते। तो आप फ़रमाते कि क़ौम को पिलाने वाले का ह़क़ ये है कि वह ख़ुद आख़िर में पिये।

(अलवफ़ा)

(2) आबे ज़म ज़म:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आबे

ज़म ज़म बड़े शौक़ से नोश फ़रमाया करते थे। आबे ज़म ज़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया इसलिये आबे ज़म ज़म खड़े होकर पीना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में आबे ज़म ज़म का एक डोल पेश किया गया तो आपने खड़े होकर नोश फ़रमाया। (मुस्लिम शरीफ़)

शमाइले तिर्मिज़ी में यूँ रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आबे ज़म ज़म पिया जबकि हुज़ूर खड़े थे। बहर हाल आबे ज़म ज़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया है। ज़म ज़म उस कुऐं का नाम है जो कि हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की ऐड़ियाँ रगड़ने की जगह पर मौजज़ाना तौर पर ज़ाहिर हुआ था। ये कुआँ हरम शरीफ़ के अन्दर है।

(3) दूध:- हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूध को बहुत पसन्द फ़रमाया है। जब मयस्सर आया नोश फ़रमाया। आपने ज़िन्दगी में जो ख़ुराक इस्तेमाल फ़रमाई इसमें मुनासिब मिक़्दार में दूध शामिल है। इसलिये दूध का इस्तेमाल सुन्नत भी है और ज़रूरत भी है। दूध एक उ़म्दा और जल्द हज़्म होने वाली ग़िज़ा है। हकीम हज़रात इसे एक मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं क्योंकि इसमें ख़ुराक के तमाम अजज़ा (तत्व) शामिल हैं। मुख़्तलिफ़ जानवरों के दूध की ख़ासियत मुख़्तलिफ़ होती है। मगर ग़िज़ा के तौर पर ज़्यादा तर भैंस और गाय का दूध इस्तेमाल होता है। बकरी का दूध हकीमी फ़ायदों के लिहाज़ से ज़्यादा एहमियत का हक़दार है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने अपने इस प्याले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पीने की तमाम चीज़ें पिलाई हैं यानी शहद, नबीज़ (अर्क़) पानी और दूध।

(मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूध नोश फ़रमाया फिर कुल्ली करके कहा इसमें चिकनाई होती है। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल से रिवायत है कि अ़रफ़े (9 तारीख़)के दिन लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में ख़्याल आया कि आप रोज़े से हैं। पस मैंने एक बर्तन के अन्दर आपकी ख़िद्मत में दूध भेजा तो आपने नोश फ़रमा लिया। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत जाबिर से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया कि अन्सार से अबू ह़मीद नामी एक शख़्स नक़ी से आया और नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक बर्तन के अन्दर दूध लाकर पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसे ढाँका क्यों नहीं ख़्वाह एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर रख लेते। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई खाना खाए तो कहे'' ऐ अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे और इससे हमें बेहतर खिलाना''। जब दूध पिये तो कहे''ऐ अल्लाह हमें इसमें बरकत दे और इससे ज़्यादा देना''। क्योंकि जो चीज़ खाने और पीने दोनों की जगह काम करे ऐसी दूध के सिवा कोई नहीं।(तिर्मिज़ी अबू दाऊद शरीफ़)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा ख़ुदा की क़सम जिसके अ़लावा कोई इबादत के लायक़ नहीं, मुझमें भूख बरदाश्त करने की बड़ी सलाहियत थी। मैं भूख से पेट पर पत्थर बाँधा करता था। एक दिन रास्ते में बैठा हुआ था कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु गुज़रे। मैंने उनसे क़ुरआन शरीफ़ की आयते मुबारका पूछी। मैंने उनको इसलिये पूछा था कि वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे मगर वह न ले गए। फिर हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु गुज़रे मैंने उनसे भी आयते मुबारका पूछी ये भी इसलिये कि वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे मगर उन्होंने भी साथ न लिया। फिर हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे देखा तो मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे दिल और चेहरे की हालत जान गए और फ़रमाया मेरे साथ चलो। मैं साथ हो लिया यहाँ तक कि अपने घर तशरीफ़ ले गए, मैं भी इजाज़त लेकर अन्दर चला गया। वहाँ देखा कि एक प्याला दूध का रखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि दूध कहाँ से आया? घर वालों ने अ़र्ज़ किया कि फ़लाँ सहाबी

ने ख़िद्मते आ़लिया में तोह़फ़तन भेजा है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अबू हुरैरा! मैंने अ़र्ज़ किया "लब्बैक" या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़रमाया असह़ाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ । असह़ाबे सुफ़्फ़ा एहले इस्लाम के मेहमान थे। जब कोई सद्क़ा ख़िदमते आ़लिया में पेश किया जाता तो तमाम असह़ाबे सुफ़्फ़ा को इनायत फ़रमाते अगर तोह़फ़ा होता तो ख़ुद भी तनावुल फ़रमाते और असह़ाबे सुफ़्फ़ा को भी इनायत फ़रमाते। ग़र्ज़ ये कि मैं बुलाने के लिये चल दिया। मैं दिल में ख़्याल करता था कि इतने थोड़े से दूध से इतने ज़्यादा आदमियों का क्या बनेगा? अगर मुझे प्यास बुझाने को मिल जाता तो ठीक था। अब जब कि असह़ाबे सुफ़्फ़ा तशरीफ़ लाएंगे तो मुझे हुक्म होगा कि इनको पिलाओ। बहर ह़ाल हुक्म पर अ़मल करते हुए मैं असह़ाबे सुफ़्फ़ा को ले गया। सब आकर बैठ गए तो मुझे इरशाद हुआ, ऐ अबू हुरैरा! मैंने अ़र्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़रमाया कि ये दूध उठाओ और असह़ाबे सुफ़्फ़ा को पिलाओ। मैंने प्याला लिया और बारी-बारी हर आदमी को प्याला देता रहा जब वह दूध से अच्छी तरह सैर हो जाता तो प्याला मुझे वापस लौटा देता यहाँ तक कि तमाम असह़ाबे सुफ़्फ़ा सैर हो गए और मैं सैय्यदे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक पहुँचा। आपने वह प्याला लेकर अपने हाथ मुबारक पर रखा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ़ देखकर फ़रमाया ऐ अबू हुरैरा! मैंने अ़र्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फ़रमाने लगे ऐ अबू हुरैरा! अब मैं और तुम बाक़ी रह गए हैं, मैंने अ़र्ज़ किया आपने सच फ़रमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! फिर मुझे इरशाद हुआ कि बैठ जाओ और दूध पियो। मैंने दूध पिया और प्याला वापस करने लगा तो फ़रमाया और पियो मैंने और पिया आप मुझे फ़रमाते रहे कि और पियो और मैं पीता रहा। आख़िर कार मैंने अ़र्ज़ किया कि अब नहीं पी सकता मुझे उस ख़ुदा की क़सम कि जिसने आपको ह़क़ के साथ रसूल बनाकर भेजा है, अब कोई गुंजाइश नहीं। ये कहकर वह प्याला मैंने ख़िद्मते सरकार में पेश कर दिया। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वह प्याला मुझसे पकड़ा और अल्लाह तआ़ला की ह़म्द व तारीफ़ करने के बाद दूध नोश फ़रमा लिया। (बुख़ारी शरीफ़)

(4) सत्तूः- कच्चे जौ को भून कर जो आटा बना लिया जाता है

उसे सत्तू कहा जाता है। सत्तू, चीनी या शकर या शहद के शर्बत में मिलाकर इस्तेमाल किये जाते हैं। ये कसीरुलगिज़ा है यानी इसमें गिज़ा का काफ़ी हिस्सा मौजूद है। गर्म मौसम में सत्तू का शर्बत पीने से प्यास को राहत मिलती है। हकीमी तौर पर इसमें 'विटामिन सी' खूब होता है। ये जल्द हज़म होने वाले और ताक़तवर होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सत्तू को इस्तेमाल फ़रमाया है इसलिये सुन्नत समझकर सत्तू को इस्तेमाल में लाना सवाब है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा (से शादी) पर खजूर और सत्तू से वलीमा किया। (शमाइले तिर्मिज़ी)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा उन्होंने एक प्याला दिखाया और फ़रमाया कि इस प्याले में मैं हुज़ूर नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दूध, शहद, सत्तू, नबीज़ और ठंडा पानी पिलाया करता था। (अलवफ़ा)

(5) लस्सी:- लस्सी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बहुत पसन्द थी लिहाज़ा आप कभी-कभी लस्सी भी नोश फ़रमाया करते थे। दूध की लस्सी गर्मियों में तेज़ी दूर करने के लिये बहुत फ़ायेदमंद होती है। तेज़ धूप में प्यास के वक़्त लस्सी पीने से बहुत राहत और सुकून हासिल होता है। दूध की लस्सी एक आ़म चीज़ है लिहाज़ा मौजूद होने पर कभी-कभी लस्सी पी लेने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल कर लेना बहुत बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत हैं कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक अन्सारी के पास पहुँचे और आपके साथ आपके एक साथी थे आपने सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और वह बाग़ को पानी दे रहा था। नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तुम्हारे पास रात का बासी पानी हो तो बेहतर है वरना हम नाली से मुँह लगाकर पी लेंगे। अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि मेरे पास मशकीज़े में रात का बासी पानी है पस वह झोंपड़े की तरफ़ गया प्याले में पानी डाला फिर घर की पली हुई बकरी का दूध

इसमें दूहा फिर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नोश फ़रमा लिया। वह दोबारा लाया तो उस आदमी ने पी लिया जो आपके साथ था।

(बुख़ारी शरीफ़)

एक और ह़दीस में हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि ऐ अबू बक्र! तुम हिजरत (मक्के से मदीने की तरफ़ कूच करना) की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे वह वाक़ेआ़ मुझे सुनाओ। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि हम सारी रात चलते रहे, अगले दिन भी चलते रहे जब दोपहर का वक़्त हुआ और लोगों का आना-जाना ख़त्म हुआ तो हम एक लंबे पत्थर के साए में उतरे। मैंने अपने हाथों से जगह को बराबर किया यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सो गए और मैं निगरानी करने लगा। तो सामने एक चरवाहा आता हुआ दिखाई दिया, मैंने उससे कहा कि तेरी बकरियों में दूध है? उसने कहा हां, मैंने पूछा क्या दूहेगा? उसने कहा हां। फिर उसने एक बकरी पकड़ी और प्याले में दूध निकाला मेरे पास एक बर्तन था जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वुज़ू फ़रमाते और पानी और दूध नोश फ़रमाते थे। मैंने दूध उस बर्तन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये डाल लिया फिर मैं बारगाहे अक़दस में हाज़िर हुआ तो अभी तक आप सो रहे थे मैंने जगाना अच्छा नहीं समझा, फिर जब हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुद बेदार हुए तो मैंने ठंडा करने की ग़र्ज़ से उस दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आप इसे नोश फ़रमा लें चुनान्चे आपने नोश फ़रमाया यहाँ तक कि मैं ख़ुश हो गया। (मुस्लिम शरीफ)

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये एक घर में पाली हुई बकरी दूही गई। और उसमें उस कुएं का पानी मिलाया गया जो हज़रत अनस के घर में था पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में प्याला पेश किया गया आपने नोश फ़रमाया जबकि आपके बाईं जानिब हज़रत अबू बक्र और दाईं जानिब एक देहाती था। हज़रत उ़मर ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हज़रत अबू

बक्र को दे दीजिये पस आपने देहाती को अ़ता फ़रमा दिया जो आपके दाईं तरफ़ था। फिर फ़रमाया कि दाईं वाला हक़दार है। दूसरी रिवायत में है कि दाईं जानिब वाले ज़्यादा हक़दार हैं लिहाज़ा उनका ज़्यादा ख़्याल रखो।

(बुख़ारी शरीफ़)

(6) नबीज़:- नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जो चीज़ें पिया करते थे उनमें एक नक़ी और नबीज़ भी है। ये दोनों चीज़ें शर्बत की तरह है। इनमें से नक़ी को बनाने का तरीक़ा यह है कि अंगूर या खजूर को पानी में डालकर रख दिया जाता है और उसको जोश नहीं दिया जाता। इस तरह अंगूर या खजूरों की मिठास उस पानी में आ जाती है और एक उ़मदा क़िस्म का शर्बत बन जाता है ये शर्बत बहुत सुकून देने वाला होता है और जिस्म को सुकून पहुँचाता है। नबीज़ भी इसी तरह बनता है सिर्फ़ फ़र्क़ ये है कि नबीज़ बनाने के लिये अंगूर और खजूरों को पानी में भिगोकर कुछ अ़रसे के लिये छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें थोड़ी सी तेज़ी पैदा हो जाए मगर इतना ख़ुमार नहीं उठाया जाता जिससे नशा पैदा हो जाए क्योंकि जो नबीज़ नशा पैदा करने की ह़द तक हो उसका पीना ह़राम है। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस नबीज़ को हरगिज़ नहीं पीते थे जिस पर तीन दिन से ज़्यादा वक़्त गुज़र जाता था। नबीज़ जिस्म की ताक़त बढ़ाता है और आ़म सेह़त (स्वास्थय)की हिफ़ाज़त करता है। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो नबीज़ इस्तेमाल फ़रमाई उसके बारे में चन्द ह़दीसें ह़स्ब ज़ैल हैं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये मशकीज़े (मश्क) में नबीज़ बनाते तो उसे ऊपर की तरफ़ से बाँध देते और उसका मुँह था। सुबह़ को नबीज़ भिगोते तो शाम को आप नोश फ़रमा लेते और शाम को भिगोते तो उसे सुबह़ नोश फ़रमा लेते। (मुस्लिम शरीफ़)

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये रात के शुरु में नबीज़ भिगोया जाता तो उसे अगले रोज़ सुबह़ को नोश फ़रमा लेते या आने वाली रात में या उसके बाद दूसरी रात में या अगले रोज़ अ़स्र तक। अगर उसके बाद कुछ बचता तो ख़ादिम को पिला देते या हुक्म फ़रमाते तो

बहा दिया जाता। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये मशकीज़े में नबीज़ बनाया जाता और अगर मशकीज़ा न मिलता तो पत्थर के बड़े प्याले में आपके लिये नबीज़ बनाया जाता। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तोंबे, हरे लाखी बर्तन, तेल के बर्तन, जड़ के बर्तन से मना फ़रमाया है और हुक्म फ़रमाया कि चमड़े के मशकीज़ों में नबीज़ बनाया जाए।

(मुस्लिम शरीफ़)

(7) मीठी और ठंडी चीज़ें:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी और ठंडी पीने की चीज़ें बहुत पसन्द थीं। ख़्वाह वह मीठा पानी होता, या मीठा दूध होता, या शहद वग़ैरा का शर्बत होता। इससे मालूम हुआ कि ठंडा मीठा शर्बत हुज़ूर इस्तेमाल में लाया करते थे। लिहाज़ा तबीअत के मुताबिक़ ठंडी और मीठी चीज़ें पीना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: ज़ुहरी, उरवह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में मीठी और ठंडी ज़्यादा पसन्द थी।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

मेहमान नवाज़ी

मेहमान नवाज़ी उम्दा अख़्लाक़ का एक अहम हिस्सा है। इस्लामी अख़्लाक़ में इसकी बड़ी एहमियत है। अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा दर्जा है और इस ख़ूबी व गुण को बहुत पसन्द फ़रमाया है बल्कि इसे अपनी दोस्ती की एक निशानी क़रार दिया है कि मेरे दोस्त मेहमान नवाज़ होते हैं अल्लाह तआ़ला ने कुरआन मजीद में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का क़िस्सा बयान फ़रमाकर मेहमान नवाज़ी की तालीम दी है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ मेहमान भी अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद ही भेजे थे।

कुरआन शरीफ़ः- भला तुम्हारे पास इब्राहीम के इज़्ज़तदार मेहमानों की ख़बर पहुँची है जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी (जवाब में) सलाम कहा, (देखा तो) ऐसे लोग कि न जान न पहचान। तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए (और खाने के लिये) उनके आगे रख दिया, कहने लगे कि आप तनावुल क्यों नहीं करते? और दिल में उनसे ख़ौफ़ मालूम किया, उन्होंने कहा कि ख़ौफ़ न कीजिये और उनको एक अक़्लमंद लड़के की ख़ुशख़बरी भी सुनाई। (पारा 26 सूरह ज़ारियात, आयत 24-27)

ये मेहमान नवाज़ी का क़िस्सा इस तरह है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने क़रीबी फ़रिश्तों को इन्सानी शक्ल में बतौर मेहमान हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के पास भेजा। उन फ़रिश्तों ने आकर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को सलाम कहा। इस पर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्स्लाम ने सलाम का जवाब दिया आप ये समझे कि ये मेहमान हैं लिहाज़ा उनकी मेहमान नवाज़ी का इन्तिज़ाम करने में मसरूफ़ हो गए। मक़सद ये है कि पता चल जाए कि ये शख़्स जो मेरे पास बतौर मेहमान आया है तो फिर इसकी मेहमान नवाज़ी करना ज़रूरी है यही फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात के बाद आपके भतीजे हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम के पास भी गए उन्होंने भी उन्हें मेहमान समझा और उनकी बेहद इज़्ज़त व ताज़ीम फ़रमाई। बस्ती के लोगों ने इन मेहमान फ़रिश्तों के साथ भी अख़्लाक़ी गिरावट का मामला करना चाहा तो उस पर हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम ने लोगों को जवाब दिया कि ये तो मेरे मेहमान हैं लिहाज़ा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इनके साथ अच्छा सुलूक करो जैसा कि मैं कर रहा

हूँ इस बात को अल्लाह तआ़ला ने यूँ बयान फ़रमाया हैः-

कुरआन शरीफ़ः और शहर वाले (लूत के पास) ख़ुश ख़ुश (दौड़े आए) लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं (कहीं) इनके बारे में मुझे ज़लील न करना और ख़ुदा से डरो और मेरी बे इज़्ज़ती न कीजो।

(पारा 14, सूरह अल-हिज्र, आयत 67-69)

इस आयत से मालूम हुआ कि मेहमान के आराम व सुकून के साथ मेहमान की इ़ज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त करना भी मेज़बान के ज़िम्मे में है। इसलिये अगर कोई दूसरा शख़्स किसी मेहमान के साथ बुरा सुलूक करना चाहे तो मेज़बान को चाहिये कि मेहमान का बचाव करे। यही वजह है कि जब क़ौमे लूत ने मेहमान फ़रिश्तों के साथ तौहीन वाला बरताव करना चाहा तो लूत अ़लैहिस्सलाम ने क़ौम को कहा कि मेरे मेहमानों के साथ बदसुलूकी मत करो क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं।

मेहमान नवाज़ी की ख़ूबी अगरचे अ़रब वालों में इस्लाम से पहले भी मौजूद थी और अ़रब में मेहमान की हर लिहाज़ से ख़िद्मत करना अख़्लाक़ी फ़र्ज़ समझा जाता था मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस फ़र्ज़ की एहमियत को और बढ़ा दिया और अख़्लाक़ी नुक़्त-ए-नज़र से ये मुसलमानों के लिये ज़रूरी क़रार दिया कि वह मेहमान नवाज़ी में किसी क़िस्म की कसर उठा न रखें।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुद बड़े मेहमान नवाज़ थे। मेहमानों को ख़ुदा की रहमत समझते थे, कोई मेहमान आता तो उसकी मेज़बानी करते और मेहमान नवाज़ी में ख़ूब कोशिश के साथ ख़िद्मत करते। इसलिये मेहमान कीअपनी बिसात के मुताबिक़ ख़िद्मत करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मेहमान नवाज़ी की एहमियत के पेशे नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेहमान नवाज़ी को ईमाने कामिल का हिस्सा क़रार दिया है और फ़रमाया कि जो शख़्स ख़ुदा और क़यामत के दिन पर ईमान लाया है उसे चाहिये कि अपने पड़ोसी की इ़ज़्ज़त करे और जो शख़्स ख़ुदा और क़यामत के दिन पर ईमान लाया है उसे चाहिये कि मेहमान को इ़ज़्ज़त के साथ रखे।

मेहमान नवाज़ी में वह सारी बातें दाख़िल हैं जो किसी के आने की ख़ुशी में इ़ज़्ज़त व ताज़ीम आराम व राहत और सुकून व ख़ुशी के जज़्बात के लिये हों। एक शख़्स दूर से चलकर हमारे पास आता है हमारा फ़र्ज़ है

कि उसके लिये हर तरह का इन्तिज़ाम करें। मेहमान नवाज़ी की सुन्नत बातें अहादीस के मुताबिक़ हस्ब ज़ैल हैं।

(1) मेहमान की इज़्ज़त व एहतिराम करना:- ईमान का तक़ाज़ा है कि मेहमान की इज़्ज़त की जाए मेहमान के आने पर ख़ुशी और मुहब्बत का इज़हार किया जाए। खुले दिल के साथ मेहमान का इस्तिक़बाल किया जाए, तंग दिली और बे रुख़ी का इज़हार न किया जाए। इससे मालूम हुआ कि मेहमानों की इज़्ज़त करना ईमाने कामिल का हिस्सा है इसलिये मेहमानों की पूरी ख़िद्मत व इज़्ज़त न करना एहले ईमान का शेवा नहीं।

हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अपने मेहमानों का बहुत एहतिराम करते और जो शख़्स ये कहता कि हज़रत मैं आपसे मुलाक़ात के लिये आया हूँ तो आप ख़ादिमों से कहते कि इसकी ख़िद्मत करके अल्लाह की रहमत को लूट लो और हज़रत के ख़ादिम जो लंगर ख़ाने में खाने के लिये होता लाकर पेश कर देते।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह और आख़िरी दिन पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। जो अल्लाह और आख़िरी दिन पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। जो अल्लाह और आख़िरी दिन पर ईमान रखता है वह अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे एक रिवायत में पड़ोसी की जगह यह अलफ़ाज़ हैं कि जो अल्लाह और आख़िरी दिन पर ईमान रखता है वह रिश्ता जोड़े। (मुत्तफ़क़ अलैहि)

(2) मेहमान की ख़ैर ख़ैरियत दरयाफ़्त करना:- मेहमान से मुलाक़ात पर उससे सलाम दुआ करें और इसके बाद उसकी ख़ैरियत दरयाफ़्त करें। जहाँ से वह आया है वहाँ के हाल चाल पूछें अगर मेहमान क़रीबी रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों की ख़ैरियत पूछें उसके एहलो अयाल, भाई, बहिन और वालिदैन के बारे में मालूम करें कि उनका हाल कैसा था। फिर कारोबार या ज़रिय-ए रोटी रोज़ी के बारे में पूछें। इन तमाम बातों पर गुफ़्तगू करने से मेहमान आपको अपना हमदर्द समझेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि जब कोई आपकी ख़िद्मत में आता तो आप उसकी ख़ैर व आफ़ियत दरयाफ़्त फ़रमाते और इसके बाद

अपने घर में पैग़ाम भेजते जो घर में होता वह उस मेहमान की ख़िद्मत में पेश कर देते।

(3) मेहमान ठहराने का बेहतरीन इन्तिज़ाम करना:- मेहमान के आने पर उसे बुनियादी सहूलतें मुहइया करें। बैतुल ख़ला की अगर ज़रूरत हो तो जगह बताएं, उसके हाथ मुँह धोने का इन्तिज़ाम करें, अगर मेहमान ग़ुस्ल करना पसन्द करे तो उसके ग़ुस्ल का इन्तिज़ाम करना चाहिये। जिस कमरे में उसके ठहराने का इरादा हो उसे बता दें। खाने का वक़्त न भी हो तो फिर भी पूछें कि खाने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत हो तो फ़ौरन ख़ुराक का इन्तिज़ाम करें। अगर मेहमान थका हुआ हो और आराम करना चाहे तो आराम का मौक़ा दें। अगर वह बात-चीत करना चाहे तो उसके साथ बैठकर बातें करें ताकि वह तन्हाई और परेशानी महसूस न करे। मेहमान अगर घर में नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसके पास मुसल्ला लाकर रख दें। अगर मस्जिद में जाना चाहे तो उसे मस्जिद का रास्ता बता दें, अगर पहली मर्तबा साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क़िब्ले का रुख़ भी बता दें ताकि वह सही रुख़ की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ सके।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू शुरैह कअ़बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह और आख़िरी दिन पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इ़ज़्ज़त करे। एक दिन-रात पुर तकल्लुफ़ दावत है, तीन दिन मेहमान नवाज़ी है और जो इसके बाद हो वह सद्क़ा है और किसी के लिये जाइज़ नहीं कि दूसरे के पास इतना ठहरे कि वह तंग आ जाए।(मुत्तफ़क़ अ़लैहि)

(4) हैसियत के मुताबिक़ खाने का इन्तिज़ाम करना: मेहमान नवाज़ी में तकल्लुफ़ से परहेज़ करना चाहिये और सादा तरीक़े से अपनी हैसियत के मुताबिक़ इन्तिज़ाम करना चाहिये। तकल्लुफ़ का मतलब ये है कि मेहमान को अपनी हैसियत से बढ़कर ऐसा खाना खिलाए जो वह ख़ुद न खा सकता हो। एक बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि मुझे इसकी परवा नहीं कि मेरे पास कोई भाई भी आ जाए इसलिये कि मैं उसकी ख़ातिर तकल्लुफ़ नहीं करता जो मौजूद होता है वह पेश कर देता हूँ। और अगर मैं तकल्लुफ़ करूँ और जो हाज़िर न हो वह लाकर दूँ तो मैं उसके बार-बार आने से तंग आ जाऊँ और उसकी मेहमान नवाज़ी मुझे नागवार लगे। मैंने चूँकि तकल्लुफ़ का रास्ता इख़्तियार नहीं किया इसलिये उसकी मेहमान नवाज़ी मुझ पर

कोई बोझ नहीं, यही बात हदीस पाक में इस तरह बयान की गई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु या किसी दूसरे सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत सअ़द बिन उ़बादह से अन्दर आने की इजाज़त माँगी हज़रत सअ़द ने व अ़लैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कहा कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुनाई न दे यहाँ तक कि हुज़ूर ने तीन बार सलाम किया और हज़रत सअ़द ने तीनों बार जवाब दिया कि आप न सुनें। पस नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लौट गए और हज़रत सअ़द आपके पीछे हो लिये। अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरे माँ-बाप आप पर कु़रबान जितनी बार भी आपने सलाम किया मेरे इन कानों ने सुना और मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन ऐसा कि आप न सुनें ताकि आप ज़्यादा बार हम पर सलामती और बरकत भेजें फिर घर में दाखि़ल हुए और उन्होंने किशमिश पेश की। नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तनावुल फ़रमाई, जब फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया : तुम्हारा खाना नेक बंदों ने खाया, फ़रिश्तों ने तुम्हारे लिये दुआ़ए रहमत की और तुम्हारे पास रोज़ादारों ने रोज़ा इफ़तार किया। (शरहुस्सुन्ना)

(5) मेहमान अल्लाह की रहमत है:- मेहमान के खाने में खुशी का इज़हार करना चाहिये मेहमान नवाज़ी में खाना खिलाने में खि़द्मत करने में तंग दिली का सुबूत न दें। मेहमान ज़हमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत लेकर आता है और खै़र व बरकत का ज़रिया बनता है क्योंकि जिस घर में मेहमान को खाना खिलाया जाता है अल्लाह की रहमत वहाँ उमड़ आती है। क्योंकि जिस खुदा ने मेहमान को भेजा उसी ने उसका रिज़्क़ भी भेजा। वह आपके दस्तरख़्वान पर कुछ नहीं खाता बल्कि मेहमान अपनी कि़स्मत खुद लेकर आता है और मेहमान का आना इ़ज़्ज़त में इज़ाफ़े का ज़रिया बनता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस घर में खाना खिलाया जाए भलाई उसकी तरफ़ (ऊँट के) कोहान की तरफ़ जाने वाली छुरी से ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ती है। (इब्ने माजा)

(6) मेहमान से दुआ़ कराना सुन्नत है:- मेहमान से अपने हक़ में

ख़ैर व बरकत की दुआ़ कराना सुन्नत है। ख़ासकर जब कोई अल्लाह का नेक बंदा मेहमान हो तो उससे दुआ़ कराना बहुत ही बेहतर है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बसर कहते हैं कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे वालिद के यहाँ ठहरे हमने आपके सामने हरीसा पेश किया।आप ने थोड़ा सा तनावुल फ़रमाया फिर हमने खजूरें पेश कीं, आप खजूरे खाते थे और गुठलियाँ शहादत की ऊँगली और बीच की ऊँगली में पकड़ कर फेंकते जाते थे। फिर पीने के लिये कुछ पेश किया गया आपने नोश फ़रमाया और अपने दाईं तरफ़ बैठने वाले के आगे बढ़ा दिया। जब आप तशरीफ़ ले जाने लगे तो वालिद मुह्तरम ने आपकी सवारी की लगाम पकड़ी और गुज़ारिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे लिये दुआ़ फ़रमाएं, तो हुज़ूर ने दुआ़ फ़रमाई।

(7) मेहमान की फ़रमाइश का ख़्याल रखना:- खाना तैयार करने से पहले मेहमान से उसकी पसन्दीदा चीज़ के बारे में पूछ लेने में कोई हरज नहीं क्यों कि कुछ लोगों को ह़कीमी लिह़ाज़ से किसी न किसी चीज़ का परहेज़ होता है और आप पूछे बग़ैर ऐसी चीज़ को पकवा लें जो मेहमान न खाता हो, इससे परेशानी का सामना करना पड़े। मेहमान को भी चाहिये कि बे तकल्लुफ़ होकर जिस चीज़ को खाना हो मेज़बान को बता दे इस तरह दोनों लोगों की आसानी होगी।

एक ह़दीस में है कि जिसने अपने भाई की जाइज़ ख़्वाहिश को पूरा किया उसकी बख़्शिश हो गई। और जिसने अपने मुसलमान भाई को ख़ुश किया गोया उसने अल्लाह को ख़ुश किया। ह़ज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने अपने भाई को उसकी चाहत से लज़्ज़त याब किया तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये दस लाख नेकियाँ लिखेगा और उसके दस लाख गुनाह माफ़ कर दिये जाएंगे और उसके एक हज़ार दरजात बुलन्द करेगा, और अल्लाह तआ़ला उसे जन्नतुल फ़िरदौस, जन्नते अ़द्न, और जन्नते ख़ुल्द से खाने के लिये आख़िरत में अ़ता फ़रमाएगा।

(कुव्वतुल कुलूब)

(8) हाथ धुलाना और दस्तरख़्वान पर खाना लगाना:- मेहमान के लिये सुन्नत के मुताबिक़ दस्तरख़्वान बिछाएं, मेज़ वग़ैरा पर खिलाने का इन्तिज़ाम न करें, अगर चारपाई पर मेहमान बैठना चाहे तो

चारपाई के साथ मेज़ लगाकर उस पर खाना रख दें। बहर हाल जैसे आसानी हो वैसे ही करें। जब खाना दस्तरख़्वान पर लगाएं तो मेहमानों की तादाद को नज़र में रखें। बर्तन मेहमानों की तादाद से ज़्यादा रखें, हो सकता है कि खाने के दौरान कोई और आदमी आ जाए या किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ जाए, खाना लगाने से पहले मेहमान के हाथ धुलाएं अगर हाथ धोने का इन्तिज़ाम हो तो मेहमान को बता दें कि वह हाथ धो ले। अगर टोंटी का इन्तिज़ाम नहीं तो फिर ख़ुद लोटे में पानी लेकर मेहमान के हाथ धुलाएं और अपने हाथ भी धो लें।

हज़रत अनस बिन मालिक और साबित बनाई खाने पर जमा हुए। हज़रत साबित की तरफ़ तश्तरी बढ़ाई गई ताकि वह हाथ धो लें, वह रुक गए, हज़रत अनस ने फ़रमाया अगर तेरा भाई तेरी इ़ज़्ज़त करे तो उसकी इ़ज़्ज़त अफ़ज़ाई को क़ुबूल कर ले और रद्द न कर इसलिये कि वह रज़ाए इलाही के लिये इ़ज़्ज़त कर रहा है।

हारून रशीन ने अबू मआ़विया नाबीना को खिलाने पर बुलाया और तशतरी में उनके हाथों पर ख़ुद पानी डाला, जब फ़ारिग़ हुए तो पूछा कि ऐ अबू मआ़विया आप जानते हैं कि आपके हाथों पर किसने पानी डाला? फ़रमाया नहीं, कहा अमीरुल मोमिनीन ने। तो उन्हानें जवाब में अ़र्ज़ किया ऐ अमीरुल मोमिनीन! तूने इ़ल्म की इ़ज़्ज़त व ताज़ीम की अल्लाह तआ़ला तुझे इ़ज़्ज़त अ़ता फ़रमायेगा जैसे कि तूने इ़ल्म की इ़ज़्ज़त व ताज़ीम की।

(9) मेहमान नवाज़ी से मह़रूम रहने वाले मेहमान का ह़क़:- ऐसा शख़्स जो किसी मक़ाम पर जाए और वहाँ के लोग उसकी मेहमान नवाज़ी न करें या उसका मेज़बान उसके लिये ख़ातिर ख़्वाह इन्तिज़ाम न करे और खाने पीने से मह़रूम रहे और भूख बरदाश्त कर रहा हो तो उसे ह़क़ पहुँचता है कि वह मेज़बान की चीज़ों से ख़ुद उठाकर खाले क्योंकि जहाँ मेहमान को ह़क़ न मिले वह अपना ह़क़ ख़ुद ह़ासिल कर सकता है।

ह़दीस शरीफ़: रिवायत है कि हज़रत मिक़दाम बिन मअ़दीकर्ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना जो मुसलमान किसी क़ौम का मेहमान हो और सुबह तक मेहमानी से मह़रूम रहे तो हर मुसलमान पर उसका ह़क़ है यहाँ तक कि वह अपनी मेहमानी उसके माल और खेती से ह़ासिल करे। (दारमी, अबू

दाऊद) और उसी की एक रिवायत में है कि जो आदमी किसी क़ौम का मेहमान हो और वह उसकी मेहमानी न करे तो उसे अपनी मेहमानी के बराबर कर लेने का हक़ है।

(10) मेहमान के साथ मिलकर खाना:- मेहमान नवाज़ी का एक अदब ये भी है कि खाना मेहमान के साथ मिलकर खाएं। क्योंकि इससे मेहमान की दिल जोई होगी अगर मेहमान ज़्यादा हों और आप बज़ाते खुद मेज़बानी के फ़राइज़ अन्जाम दे रहे हों तो फिर बेशक खाना न खाएं बल्कि उनकी ख़िद्मत में ध्यान दें ताकि मेहमान नवाज़ी में कोई कमी न रह जाए। कुछ अमीर लोगों की आ़दत होती है कि अपने ग़रीब मेहमानों के साथ मिलकर खाना नहीं खाते क्योंकि ऐसा करना वह अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, ये ह़रकत बिल्कुल अच्छी नहीं है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मिलकर खाया करो,अलग-अलग न खाओ क्योंकि बरकत जमाअ़त के साथ है। (इब्ने माजा)

(11) बे मुरव्वत मेहमान के साथ अच्छे सुलूक की नसीह़त:- ऐसा मेहमान जिसने तुम्हारे साथ मेहमान नवाज़ी में बुरा सुलूक किया हो, जब वह मेहमान बनकर तुम्हारे पास आए तो उससे बदला न लें और न बदले में उसके साथ बुरा सुलूक करें बल्कि उसकी बे मुरव्वती का बदला अच्छे अख़्लाक़ और सुलूक की सूरत में दें और ऐसा करने से हो सकता है कि उसकी इस्लाह़ हो जाए।

ह़दीस शरीफ़: अबुल अह़वस जश्मी से रिवायत है कि उनके वालिद माजिद ने फ़रमाया मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! क्या इरशाद है जब कि एक आदमी के पास से गुज़रूँ, तो न वह मेरी मेहमानी करे और न दावत। फिर इसके बाद वह मेरे पास से गुज़रे तो क्या मैं उसकी मेहमानी करूँ या बदला लूँ? फ़रमाया कि उसकी मेहमानी करो। (तिर्मिज़ी)

(12) मेहमान को अपनी ज़ात पर बरतरी देना:- मेहमान नवाज़ी में मेहमान को अपनी ज़ात पर बरतरी देनी चाहिये। खाने पीने की चीज़ें अगर कम हों तो खुद सब्र करें और मेहमान को खिला दें और ऐसे

काम पर अल्लाह राज़ी होगा।

एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक शख़्स आया और बोला हुज़ूर! मैं भूख से बेताब हूँ आपने अपनी किसी बीवी के यहाँ कहलाया खाने के लिये जो कुछ मौजूद हो भेज दो। जवाब आया उस ख़ुदा की क़सम जिसने आपको पैगम्बर बनाकर भेजा है यहाँ तो पानी के सिवा और कुछ नहीं है। फिर आपने दूसरी बीवी के यहाँ कहला भेजा, वहाँ से भी यही जवाब आया यहाँ तक कि आपने एक एक करके सब बीवियों के यहाँ कहलवाया और सब के यहाँ से इसी तरह का जवाब आया अब आपने अपने सहाबियों की तरफ़ मुतवज्जेह हुए और फ़रमाया आज रात के लिये इस मेहमान को कौन क़ुबूल करता है। एक अन्सारी सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं क़ुबूल करता हूँ।

अन्सारी मेहमान को अपने घर ले गये और घर जाकर बीवी को बताया मेरे साथ ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं इनकी ख़ातिरदारी करो। बीवी ने कहा मेरे पास तो सिर्फ़ बच्चों के लाइक़ खाना है। सहाबी ने कहा बच्चों को किसी तरह बहलाकर सुला दो और जब मेहमान के सामने खाना रखो तो किसी बहाने से चिराग़ बुझा देना और खाने पर मेहमान के साथ बैठ जाना ताकि ये महसूस हो कि हम भी खाने में शरीक हैं।

इस तरह मेहमान ने तो पेट भरकर खाया और घर वालों ने सारी रात फ़ाक़े से गुज़ारी। जब ये सहाबी नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुए तो आपने देखते ही फ़रमाया तुम दोनों ने रात अपने मेहमान के साथ जो अच्छा सुलूक किया वह ख़ुदा को बहुत ही पसन्द आया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(13) मेहमान को अल्विदा करने का सुन्नत तरीक़ा:- मेहमान को जब अल्विदा करें तो सुन्नत तरीक़े से करें। अल्विदा का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब मेहमान घर से रवाना होने लगे तो उसके साथ बाहर दरवाज़े तक तशरीफ़ लाएं और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे रुख़सत करें। सूफ़िया का अल्विदा के सिलसिले में ये तरीक़ा रहा है कि वह मेहमान को अल्विदा कहते हुए कुछ सफ़र ख़र्च के लिये नक़दी भी देते थे अगर कोई मेहमान इस बात का मुस्तहिक़ हो तो उसके साथ इसी तरह करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सुन्नत ये है कि आदमी अपने मेहमान के साथ घर के दरवाज़े तक जाए।(इब्ने माजा शरीफ़)

(14) मेहमान के लिये पुर तकल्लुफ़ खाना तैयार कराना:- मेहमान के लिये पुर तकल्लुफ़ खाना पकवाना अच्छा है मगर इस सिलसिले में अपनी माली हैसियत से बढ़कर पाँव नहीं फैलाने चाहिये ताकि आइंदा वक़्त में परेशानी का सबब न बने इसके साथ ही एक अख़्लाक़ी अदब ये भी है कि खाना तैयार करवाने के बाद मेहमान अगर न खाए तो इसरार करना भी दुरुस्त है ताकि जिसके लिये खाना तैयार करवाया गया है वह खाले और उसे बार-बार कहें कि वह खाए, अगर वह न खाए तो फिर उस वक़्त खुद भी न खाएं। हस्ब ज़ैल रिवायत से यही बात साबित होती है:-

हदीस शरीफ़: औ़न बिन अबू हुजैफ़ा ने अपने वालिद माजिद हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा को भाई बना दिया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अबू दरदा से मुलाक़ात की और हज़रत उम्मे दरदा को कमज़ोर हाल में देखकर पूछा कि तुम्हारा कैसा हाल है ? उन्होंने जवाब दिया कि आपके भाई अबू दरदा को दुनिया से वास्ता ही नहीं रहा जब हज़रत अबू दरदा आ गए तो उनके लिये खाना तैयार किया गया और कहा कि खाइये क्योंकि मैं तो रोज़े से हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक़्त तक नहीं खाऊँगा जब तक आप मेरे साथ न खाएं। चुनान्चे उन्होंने भी खाया, जब रात हो गई तो हज़रत अबू दरदा क़याम (इबादत) करने लगे तो उन्होंने कहा कि सो जाइये। वह फिर क़याम करने लगे तो उन्होंने कहा कि सो जाइये जब आख़िरी रात हुई तो हज़रत सलमान ने कहा कि अब खड़े हो जाओ। चुनान्चे दोनों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर हज़रत सलमान ने उनसे कहा कि आपके रब का आप पर हक़ है और आपके नफ़्स (जान)का भी आप पर हक़ है और आपकी बीवी का भी आप पर हक़ है लिहाज़ा हर हक़ वाले का हक़ अदा कीजिये। जब वह नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुए तो आपके हुज़ूर इस बात का तज़किरा किया

नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सलमान ने सच कहा है। अबू हुजैफ़ा का लक़ब वहबुस्सवाई है जिन्हें वहबुल ख़ैर भी कहा जाता है। (बुख़ारी शरीफ़)

(15) मेहमान के सामने ग़ुस्से के इज़हार की मुमानिअ़त:- मेहमान की मौजूदगी में गुस्से का इज़हार नहीं करना चाहिये। क्योंकि इससे मेहमान के दिल में वसवसा पैदा हो सकता है कि कहीं इसे मेरा आना बुरा तो नहीं लगा जिस वजह से ये ग़ुस्से का इज़हार कर रहा है। इसलिये घर वालों से मेहमानों की मौजूदगी में बड़े अच्छे माहौल का सुबूत देना चाहिये। हस्ब ज़ैल वाक़िए से यही सबक़ हासिल होता है:-

हदीस शरीफ़:- अबू उ़समान ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की है कि हज़रत अबू बक्र अपने मेहमान या मेहमानों को लेकर तशरीफ़ लाए फिर शाम को नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में चले गए जब वापस तशरीफ़ लाए तो मेरी वालिदा माजिदा अ़र्ज़ गुज़ार हुई कि आज रात आपने मेहमान या मेहमानों के खाने में देर कर दी फ़रमाया कि क्या तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया? उन्होंने कहा कि हमने इसके या इनके सामने खाना रखा लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया। इस पर हज़रत अबू बक्र नाराज़ हुए और बुरा भला कहने लगे और न खाने की क़सम खाई। चुनान्चे मैं छुप गया तो आपने कहा ऐ जाहिल! पस वालिदा माजिदा ने भी क़सम खाई कि वह खाना नहीं खायेंगी जब तक ये न खाएं। मेहमान या मेहमानों ने भी क़सम खाई कि वह खाना नहीं खाएगा या नहीं खाएंगे जब तक ये न खाएं। हज़रत अबू बक्र ने कहा कि ये बात शैतान की तरफ़ से थी फिर उन्होंने खाना मँगवाया और खाया लिहाज़ा उन्होंने भी खाया। चुनान्चे ये जब लुक़मा उठाते तो उसके नीचे और बढ़ जाता पस उन्होंने फ़रमाया कि ऐ बनी फ़रास की बहिन! ये क्या है? उन्होंने कहा आँखों की ठण्डक की क़सम ये खाना तो उससे भी ज़्यादा है जिसको हम खाने बैठे थे। चुनान्चे सब ने खा लिया और फिर उसे नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में भेज दिया फिर बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी इससे तनावुल फ़रमाया। (बुख़ारी शरीफ़)

सोने के आदाब

नींद अल्लाह की नेअ़मतों में से एक नेअ़मत है, सोने से जिस्म को राहत मिलती है। कमज़ोरी और थकान दूर हो जाती है। नींद इन्सान को ताज़ा दम बनाती है। दिन भर की मेहनत और मशक़्क़त को राहत में बदल देती है। नींद के बारे में अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद फ़रमाया है कि:

क़ुरआन शरीफ़: और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिये पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक़्त ठहराया।

(पारा 19, सूरह फ़ुरक़ान आयत 47)

इस आयत में बताया है कि नींद को तुम्हारे लिये आराम बनाया है। एक और मक़ाम पर अल्लाह ने यही फ़रमाया है कि:

क़ुरआन शरीफ़: तुम्हारा रात और दिन में सोना इसी की निशानियों में से है ऐसे ही उसका फ़ज़्ल तलाश करना। जो लोग सुनते है उनके लिये इन (बातों) में बहुत सी निशानियाँ हैं। (पारा 21, सूरह रूम, आयत 23)

यहाँ भी अल्लाह तआ़ला ने पहले वाली बात का ज़िक्र फ़रमाया है कि रात या दिन के वक़्त सोना अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से है:

क़ुरआन शरीफ़: और नींद को तुम्हारे लिये आराम बनाया और रात को पर्दा मुक़र्रर किया और दिन को रिज़्क़ व रोज़ी (का वक़्त) क़रार दिया।

(पारा 30, सूरए नबा ,आयत 9 से11)

आ़म तौर पर इन आयतों से यही बात ज़ाहिर होती है कि रात अल्लाह तआ़ला ने आराम के लिये बनाई है ताकि लोग सो कर ताज़ा दम हो जाएं। नींद के बग़ैर चारा नहीं क्योंकि जब तक थके हुए जिस्म को सुकून हासिल न होगा वह इबादते इलाही सर अंजाम देने के क़ाबिल न होगा। मगर नींद के सिलसिले में शरीअ़त ने बीच की हद क़ायम की है कि ज़रूरत की हद तक सोएं ज़रूरत से ज़्यादा सोना ज़रिय-ए ग़फ़लत है।

हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है कि दिन रात के एक तिहाई हिस्से को सोने में गुज़ारना चाहिये ताकि जिस्म परेशानी और बेचैनी से महफ़ूज़ रहे। इन 1/3 यानी 8 घण्टों में जो सोने के लिये मुक़र्रर किये गए हैं। मुरीद को दो घण्टे दिन के वक़्त में मख़्सूस करना चाहिये, (दो घण्टे दिन में सोए) और छः घण्टे रात में। दिन और रात के इन घण्टों में मौसम गर्मी और मौसम सर्दी में रात के बड़े और मुख़्तसर होने के ऐ़तिबार से कमी और ज़्यादती भी की जा सकती है अगर मुरीद में उ़म्दा नियत और सच्ची तलब

मौजूद है तो इस मिक़दार यानी 1/3 को कम भी किया जा सकता है (सोने के लिये वक़्त को इससे भी कम किया जा सकता है) अगर आहिस्ता-आहिस्ता इस कमी की आ़दत डाली जाए तो इससे किसी नुक़सान का अन्देशा नहीं है। इस सूरत में वह बेदारी के भारी पन और नींद की कमी को वह अपनी रूहा़नियत और मुह़ब्बत के सबब बरदाश्त कर सकता है।

ये याद रखना चाहिये कि नींद की तबीअ़त व ख़ासियत ठन्डी व तर है इसलिये ये जिस्म और दिमाग़ के लिये फ़ायदेमंद है और गर्मी और ख़ुश्की को दफ़ा करके मिज़ाज को सुकून बख़्शती है पस अगर 1/3 (8 घन्टे) में भी कमी कर दी जाएगी तो उससे दिमाग़ को नुक़सान पहुँचेगा और जिस्मानी परेशानी इसका नतीजा होगा। हां अगर रूहा़नी और दिली मुह़ब्बत इसके क़ायम मक़ाम (बदल) बन जाएं तो फिर नुक़सान पहुँचने का अन्देशा नहीं रहेगा। इसलिये कि रूह़ और मुह़ब्बत का मिज़ाज सर्द व तर है जो नींद का मिज़ाज है। (पस ब ऐतिबार मिज़ाज ये इसका बदल हो सकते हैं). पस इस रूहा़नियत से रात की लम्बी मुद्दत घट सकती है जैसा कि मशहूर है कि रूहा़नियत की बदौलत रात की लम्बी घड़ियाँ घट कर रह जाती हैं। एक कहावत है कि वस्ल (मिलन) का एक साल आँख झपकने का लम्ह़ा है और हिज्र व जुदाई का एक पल एक साल के बराबर है। पस साहेबाने ह़ाल के लिये लम्बी रातें छोटी हो जाती हैं।

हज़रत अबू तालिब मक्की ने कहा है कि अगर मुरीद पसन्द करे तो रात का पहला तीसरा ह़िस्सा सो जाए और आधी रात तक इ़बादत करे और फिर आख़िरी ह़िस्से में कुछ आराम कर ले। इस तरह अपनी रात की तक़सीम कर ले कि कुछ ह़िस्सा आराम में गुज़ारे और कुछ ह़िस्सा यादे इलाही में मसरूफ़ रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने के चन्द आदाब बताए हैं जो ह़स्ब ज़ैल हैं।:-

(1) नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सोने का तरीक़ा:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सोना न ज़्यादा था और न ही बहुत कम बल्कि बीच का था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इ़शा की नमाज़ के बाद वुज़ू की ह़ालत ही में सोने के लिये अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते और बिस्तर मुबारक को झाड़ते इसके बाद जूते उतारकर बिस्तर मुबारक पर लेटते। और अल्लाह का ज़िक्र करते, क़ुरआन पाक की चन्द सूरतें पढ़ते, और फिर मह़वे ख़्वाब हो जाते। रात को पिछले पहर जागते तो उठकर वुज़ू फ़रमाते और नमाज़ तहज्जुद अदा करते। इसके

बाद अगर नींद आ जाती तो दोबारा सो जाते और अगर नींद न आती तो बेदार रहते। सुबह की अज़ान होती तो सुबह की तैयारी फ़रमाते। कभी-कभी यूँ भी होता कि तमाम रात बेदार रहते और इबादत में गुज़ारते। रमज़ानुल मुबारक में रात को अकसर शब बेदारी फ़रमाते। हुज़ूर का अकसर मामूल यही था कि न ज़्यादा सोते और न ज़्यादा जागते। इबादत का हक़ भी अदा करते और जिस्म का भी, यानी इसे आराम भी पहुँचाते। हुज़ूर के सोने का अन्दाज़ ये था कि आप चित न लेटते थे बल्कि दाएं रुख़सार (गाल) के नीचे हाथ रख कर चेहरा मुबारक एक तरफ़ करके पहलू (करवट) की जानिब आराम फ़रमाते, जब दिल चाहता करवट बदल लेते।

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दाएं पहलू पर आराम फ़रमा होते। फिर ये कलिमात पढ़ते:

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِیْ اِلَیْکَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِیْ اِلَیْکَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِیْ اِلَیْکَ
وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِیْ اِلَیْکَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَیْکَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ.
اٰمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَنَبِیِّکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ

"अल्लाहुम-म असलम्तु नफ़सी इलै-क ववज्जहतु वजही इलै-क व फ़व्वद्तु अमरी इलै-क वलजअतु ज़हरी इलै-क रग़बतंव व रहबतन इलै-क ला मल ज-अ वला मन ज-अ मिन-क इल्ला इलै-क आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल-त व नबिय्यिकल्लज़ी अरसल-त।"

तर्जमा: या अल्लाह! मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, अपना चेहरा तेरी तरफ़ मुतवज्जेह किया। अपना मुआमला तेरे सुपुर्द किया। शौक़ और ख़ौफ़ दोनों सूरतों में तेरा सहारा तेरे अज़ाब से तेरे दामने रहमत ही में पनाह मिल सकती है मैं तेरी उतारी हुई किताब और तेरे भेजे हुए रसूल पर ईमान लाया। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस से साबित होता है कि हुज़ूर दाएं पहलू पर नींद फ़रमाते और सोते वक़्त ऊपर बयान की गई दुआ पढ़ते। एक और रिवायत में आपके सोने के मुताल्लिक़ यूँ वज़ाहत होती है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक़्त उतरते तो दाहिनी करवट पर लेट जाते और जब सुबह के क़रीब उतरते तो अपनी कलाई को खड़ी रखते और सर मुबारक को अपनी हथेली पर

रख लेते। शरहुस्सुन्ना)

(2) सोने से पहले वुज़ू करना:- इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले नहीं सोना चाहिये। क्योंकि पहले सोने से इशा की नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी भी इशा की नमाज़ पढ़े बग़ैर इससे पहले न सोते और आप नसीहत फ़रमाते कि सोने से पहले अगर वुज़ू हो तो बेहतर है वरना वुज़ू कर लो। क्योंकि वुज़ू से इन्सान पाकी में आ जाएगा जिसके सबब सोने से पहले ज़िक्रे इलाही की तरफ़ चाहत पैदा होगी और पाकीज़गी की हालत में शैतान भी दूर रहेगा इसलिये हुज़ूर ने सोने से पहले वुज़ू को ज़रूरी क़रार दिया है। अकसर बुज़ुर्गाने दीन बा वुज़ू ही आराम फ़रमाते रहे हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया: अपने बिस्तर पर जाने का इरादा करो तो नमाज़ जैसा वुज़ू कर लो फिर दाएं पहलू पर लेट जाओ और आख़िर में ये कलिमात कहो ये वह कलिमात हैं जो ऊपर वाली हदीस में बयान हुए हैं। (बुख़ारी शरीफ़)

(4) चिराग़ बुझाने की नसीहत :- सोते वक़्त चिराग़ को बुझा देना चाहिये। पुराने वक़्तों में ज़्यादातर सरसों का तेल किसी बर्तन में डालकर चिराग़ बना लिया जाता था जो ऊपर से नंगा होता था जिससे आग लगने का ख़तरा होता था। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में वैसे ही चिराग़ थे तो आपने इन्हें सोते वक़्त बुझा देने की ताकीद फ़रमाई। बिजली के चिराग़ जो इससे बहुत ज़्यादा महफ़ूज़ हैं अगर उन्हें किसी बिना पर जलता रखने की ज़रूरत हो तो उन्हें जलता रखने में कोई हरज नहीं क्योंकि बअ़ज़ छोटे बच्चे अंधेरे में डरते हैं और सोते नहीं। या कोई बूढ़ा मरीज़ होता है तो उसकी मिज़ाजपुर्सी के लिये भी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है तो इस सूरत में चिराग़ जलता रखने में कोई मज़ाइक़ा नहीं। आ़म हालात में अगर बल्ब भी हों तो उन्हें भी सोते वक़्त बुझा लेना चाहिये ताकि ख़र्चे में फ़ुज़ूल ख़र्ची न हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमके फ़रमान पर अ़मल हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि एक चूहा बत्ती को घसीटता हुआ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने उसे चटाई पर डाल दिया। जिस

पर आप बैठे हुए थे और एक दिरहम के बराबर जगह जला दी। फ़रमाया कि जब तुम सोने लगो तो अपने चिराग़ों को बुझा दिया करो क्योंकि शैतान इन्हें ऐसे ही काम सुझाता है ताकि तुम्हें जला दें। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) जल्ती आग को बुझा दें:- सोते वक़्त जल्ती आग को बुझा देना चाहिये क्योंकि हो सकता है इससे किसी तरीक़े से नुक़सान पहुँच जाये इस लिये अंगीठी जला कर नहीं सोना चाहिये क्यों कि जल्ती आग खतरे से खाली नहीं है। इस लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नसीहृत फ़रमाई है कि सोते वक़्त जल्ती आग न रहने दें बल्कि उसे बुझा दें। बंद कमरों में आग जलने से जो गैस पैदा होती है वह सेहृत के लिये नुक़सान दे है बल्कि कभी कभी तो वह जान लेवा साबित होती है,मगर जहाँ ज़्यादा सर्दी हो और आग के बग़ैर कोई और चारा नहीं होतो इस सूरत में महफ़ूज़ तरीक़े से आग जलाकर सोने वाले कमरे को गर्म रखें।

हृदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं एक रात मदीना तैय्यबा में एक घर को आग लग गई। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इनका वाक़ेआ़ बताया गया। तो आपने फ़रमाया ये आग तुम्हारी दुश्मन है जब सोने लगो तो बुझा दिया करो। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हृदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बर्तनों को ढांप दिया करो, दरवाज़े बन्द कर दिया करो और चिरागों को बुझा दिया करो। क्योंकि बअ़ज़ वक़्त चूहा बत्ती खींच ले जाता है और घर वालों को जलाकर रख देता है। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) बिला चार दीवारी छत पर सोने की मुमानिअ़त:- ऐसा मकान जिसकी छत पर पर्दे के लिये चार दीवारी न हो उस पर सोने से परहेज़ करना चाहिये क्योंकि चार दीवारी न होने से एक तो पर्दा नहीं होता और दूसरे रात को जब कोई अचानक उठे तो उसके गिरने का खतरा होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खुली छतों पर सोने से मना फ़रमाया है।

हज़रत अ़ब्दुर्रहृमान ने अपने वालिद के वास्ते से ये हृदीस बयान फ़रमाई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो किसी ऐसे मकान की छत पर सो जाए कि उसकी चार दीवारी न हो तो मेरी

ज़िम्मेदारी से बाहर है। (अल-अदबुल मुफ़रद)

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फ़रमाया है जिसके ऊपर पर्दा (आड़) तामीर न किया गया हो।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(6) सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना:- सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ना चाहिये क्योंकि बिस्तर को झाड़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सोने से पहले बिस्तर को झाड़ा करते थे ताकि अगर कोई तकलीफ़ पहुँचाने वाला कीड़ा मकोड़ा हो तो वह बिस्तर से दूर हो जाए। अगर सोने से पहले ख़ुद बिस्तर को न झाड़ा बल्कि किसी और ने झाड़कर बिछा दिया हो तो वह भी दुरुस्त है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए तो चाहिये कि बिस्तर को अपने तेहबन्द के अंदरूनी कोने के साथ झाड़े क्योंकि वह नहीं जानता कि इसके बाद बिस्तर पर क्या चीज़ आई है। फिर कहे ऐ मेरे रब! मैंने तेरे नाम से अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरे नाम से ही उठाऊँगा अगर तू मेरी सांस को रोके तो इस पर रहम फ़रमा और अगर इसे छोड़ दे तो इसकी उस चीज़ के साथ हिफ़ाज़त फ़रमा जिसके साथ अपने नेक बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता है।

(बुख़ारी शरीफ़)

तेहबन्द के अंदरूनी कपड़े से मुराद कपड़े का वह हिस्सा है जो अन्दर की तरफ़ से बदन की तरफ़ लगा होता है। अन्दर के कोने से झाड़ने के लिये इसलिये फ़रमाया गया है कि बाहर के कोने से झाड़ने से ऊपर का कोना मैला हो जाएगा जिससे बदसूरती पैदा होगी लिहाज़ा इस राज़ के पेशे नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी कोने से झाड़ने की नसीहत फ़रमाई। अगर बिस्तर को किसी अलग कपड़े से झाड़ लिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। ऐसे ही अगर बिस्तर पर पड़ी हुई चादर को उठाकर झाड़कर दोबारा बिछा लिया जाए तो इससे भी झाड़ने का मक़सद हल हो जाएगा। ग़र्ज़ ये कि जिस तरह आसानी नज़र आती हो वैसे ही कर लें। बहर हाल बिस्तर झाड़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस पर अमल करना चाहिये।

(7) घर का दरवाज़ा बन्द करना:- सोने से पहले घर का दरवाज़ा बन्द कर लेना चाहिये अगर बाहर से आने वाले दरवाज़े ज़्यादा हों तो हर एक को अच्छी तरह चैक करें अगर कोई खुला हो तो उसे ज़रूर बंद कर लें। दरवाज़ा खुला रहने से चोर और ग़ैर लोगों के आने का ख़तरा होता है इसलिये दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शैतान के शर से महफ़ूज़ रहने के लिये सोने से पहले दरवाज़ों को बंद करने की नसीहत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: बर्तन ढांप दिया करो, मशकीज़े का मुँह बाँध दिया करो, दरवाज़े बंद कर दिया करो और चिराग़ बुझा दिया करो क्योंकि शैतान बंद मशकीज़े को नहीं खोलता न बंद दरवाज़े को खोलता है और न ही ढांपे हुए बर्तन को खोलता है। अगर तुम में से कोई लकड़ी के सिवा कोई चीज़ न पाए जिसको उस बर्तन पर रखे या सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेना मुम्किन हो तो ऐसा ही करे क्योंकि चूहा घर वालों पर इनके घर को जला देता है।

(मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि जब रात के वक़्त तुम कुत्ते के भौंकने या गधे के रेंकने की आवाज़ सुनो तो "अ ऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम" कहा करो क्योंकि वह उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देखते और जब चलने वाले पैर कम हो जाएं तो बाहर कम निकलो क्यों कि अल्लाह तआ़ला रात के वक़्त अपनी जिस मख़्लूक़ को चाहे फैला देता है और अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़े बंद कर लिया करो। क्योंकि बंद दरवाज़ों को शैतान नहीं खोलता और जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। और घड़े ढांक दिया करो, बर्तनों को उल्टे कर दिया करो, और मश्कों के मुँ बाँध दिया करो। (मिश्कात शरीफ़)

(8) सोने से पहले अल्लाह का ज़िक्र करना सुन्नत है:- सोते वक़्त किसी न किसी सूरत में अल्लाह का ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि ज़िक्रे इलाही से एक तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दूसरे अल्लाह के ज़िक्र से रात भर इन्सान अल्लाह की पनाह में आ जाता है और उस पर अल्लाह की रहमत रहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब

आदमी सोने के लिये अपने बिस्तर पर पहुँचता है तो उसी वक़्त एक फ़रिश्ता और शैतान उसके पास आ पहुँचते हैं, फ़रिश्ता उससे कहता है "अपने आ़माल (कर्म) का ख़ातिमा भलाई पर करो" और शैतान कहता है "अपने आ़माल का ख़ातिमा बुराई पर करो" फिर अगर वह आदमी खुदा का ज़िक्र करके सोया तो फ़रिश्ता रात भर उसकी हिफ़ाज़त करता है। (अल-अदबुल मुफ़र्रद)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स किसी जगह बैठा लेकिन अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र न किया, अल्लाह की तरफ़ से उस पर गुनाह है। और जो शख़्स किसी जगह लेटा और ज़िक्रे इलाही से ग़ाफ़िल रहा उसके लिये भी अल्लाह की तरफ़ से नुक़सान है।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(9) सोते वक़्त की दुआ़:- सोते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दुअ़ओं का पढ़ना मसनून है लिहाज़ा इन दुआ़ओं में कोई एक दुआ़ पढ़ना पैरवीए सुन्नत है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दते मुबारका थी कि रात को लेटते वक़्त दायाँ हाथ रुख़सार (गाल) मुबारक के नीचे रखते फिर फ़रमाते:-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا "अल्लाहुम-म बि इस्मि-क अमूतु व अह़्या"

तर्जमा: या अल्लाह ! मैं तेरे नाम के साथ मौत और ज़िन्दगी से बग़लगीर होता हूँ। और जागने पर फ़रमाते:-

وَ اِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"व इज़िस तक़ै-ज़ क़ा-ल अलह़म्दु लिल्लाहिल्लज़ी अह़्याना बअ़-द मा अमातना व इलैहिन्नुशूर"

तर्जमा: अल्लाह तआ़ला ही के लिये तारीफ़ है कि जिसने हमें मरने (सोने) के बाद ज़िन्दा (बेदार) किया और उसी की तरफ़ लौटना है।

(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो आप ये दुआ़ फ़रमाते:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كَفَانَا وَ اٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَا كَافِیَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِیَ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अतअ़मना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़ि-य लहू वला मुअवी"

तर्जमाः शुक्र व तारीफ़ ख़ुदा ही के लिये है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और जिसने हमारे कामों में भरपूर मदद फ़रमाई और जिसने हमें रहने बसने को ठिकाना बख़्शा, कितने ही लोग हैं जिनका न कोई हमदर्द मददगार है और न कोई ठिकाना देने वाला। (शमाइले तिर्मिज़ी)

(10) सोते वक़्त तीनों क़ुल पढ़नाः सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर या लेट कर क़ुरआन पाक का कुछ हिस्सा पढ़ना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोने से पहले अकसर तीनों क़ुल पढ़ा करते थे जिनके पढ़ने से इन्सान शैतानी शर से महफ़ूज़ हो जाता है इसलिये बिस्तर पर पहुँच कर तीनों क़ुल शरीफ़ की तिलावत करना सुन्नत है। अल्लाह हमें इस पर अ़मल की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपने दोनों हाथों को जमा करके सूरए इख़्लास, सूरए फ़लक़, और सूरए वन्नास पढ़ कर इनमें फूँकते फिर जिस क़द्र मुम्किन होता अपने जिस्मे अक़्दस पर फेरते। सरे अनवर चेहर-ए- अक़्दस और जिस्मे अतहर के सामने से शुरु फ़रमाते, तीन मर्तबा ये अ़मल दोहराते।

(बुख़ारी शरीफ़)

(11) रात में तहज्जुद के लिये उठने का सुन्नत तरीक़ा:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते तो हाजत व ज़रूरत से फ़ारिग़ होते फिर वुज़ू फ़रमाते और नमाज़े तहज्जुद अदा फ़रमाते, फिर सोना होता तो सो जाते वरना बेदार रहते और नमाज़े फ़ज्र अदा फ़रमाते। तहज्जुद के वक़्त आप जो दुआ़ पढ़ते उसके बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास की रिवायत हस्ब ज़ैल है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रात हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास गुज़ारी पस नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुए और जब अपनी हाजत से फ़ारिग़ हुए तो मुँह और हाथ धोए और सो गए। फिर खड़े हुए

मशकीज़े के पास आए उसका मुँह खोला और दरमियानी वुज़ू किया यानी थोड़ा या ज़्यादा पानी इस्तेमाल न फ़रमाया।पस आपने नमाज़ पढ़ी और मैं खड़ा हो गया मगर देर करके उठा। क्योंकि मुझे ये अच्छा महसूस न हुआ कि आप यह समझें कि मैं देख रहा था। पस मैंने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिये आपके बाईं जानिब खड़ा हो गया। चुनान्चे आपने मेरा कान पकड़ा और मुझे दाईं जानिब खड़ा कर लिया। आपने पूरी तेरह रकअ़ते पढ़ीं फिर लेटे और सो गए यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे और आप जब भी सोते तो ख़र्राटे लेते। फिर हज़रत बिलाल ने नमाज़ के लिये अज़ान पढ़ दी। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और वुज़ू न फ़रमाया और आप अपनी दुआ़ में कह रहे थे ''ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर पैदा कर दे और मेरी निगाह में नूर और मेरी सुन्ने में नूर, और मेरे दाएं नूर और मेरे बाएं नूर, और मेरे ऊपर नूर, और मेरे नीचे नूर, और मेरे आगे नूर , और मेरे पीछे नूर, और मुझे नूर बना दे। कुरैब का बयान है कि आपने सात चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया।मैं हज़रत अ़ब्बास की औलाद में से एक शख़्स से मिला तो उसने इनका ज़िक्र करके (अ़सबी व लहमी व दमी व शअ़री व बशरी) का ज़िक्र किया और दो चीज़ें और बयान कीं । (बुख़ारी शरीफ़)

(12) तहज्जुद के वक़्त की दुआ़:- तहज्जुद के वक़्त हस्ब ज़ैल दुआ़ पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात के वक़्त तहज्जुद पढ़ते तो कहते ''ऐ अल्लाह! सब तारीफ़ें तेरे लिये हैं , तू आसमान व ज़मीन का नूर है और जो कुछ इनमें है , और क़ाबिले तारीफ़ तू है, तू आसमान और ज़मीन का क़ायम (स्थिर) रखने वाला है और जो कुछ इनमें है। तारीफ़ें तेरे लिये ही हैं, तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है, तेरा दीदार यक़ीनी है, जन्नत यक़ीनी है, दोज़ख़ यक़ीनी है, क़यामत यक़ीनी है, सारे नबी सच्चे हैं, और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सच्चे हैं। ऐ अल्लाह! मैं तेरा फ़रमांबरदार हुआ और मैंने तुझ पर भरोसा किया, और तुझ पर ईमान लाया, और तेरी तरफ़ मैंने पेश किया। तेरी मदद के सहारे दुश्मनों से झगड़ा, और तेरे सुपुर्द मैंने अपना फ़ैसला किया पस जो मैंने पहले किया और आइंदा करूँगा उसे माफ़ फ़रमा दे और जो मैंने छुपाया और ज़ाहिर किया। तू ही सबसे पहले था, और तू ही सबके बाद है, नहीं कोई माबूद मगर तू है और तेरे सिवा कोई

इबादत के लाइक़ नहीं। " (बुख़ारी शरीफ़)

(13) रात के वक़्त अल्लाह की पुकारः- रात के पिछले पहर में जागकर अल्लाह की हस्ब तौफ़ीक़ इबादत करनी चाहिये उस वक़्त जो माँगोगे अल्लाह अ़ता फ़रमाएगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर रात को अल्लाह तबारक व तआ़ला आसमाने दुनिया की तरफ़ अपनी शान के मुताबिक़ जलवा फ़रमा होता है जबकि रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है। फ़रमाता है कौन है ? मुझसे दुआ़ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ़ क़ुबूल फ़रमाऊँ, कौन है मुझसे सवाल करने वाला ताकि मैं उसे अ़ता करूँ, कौन है मुझसे तौबा करने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। (बुख़ारी शरीफ़)

(14) पेट के बल सोने की मुमानिअ़तः- सोते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि पेट के बल यानी उल्टे होकर न सोएं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेट के बल लेटने से मना फ़रमाया है। पेट के बल लेटना अख़्लाक़ी तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ है और दूसरे ये कि शैतानी शर का ख़तरा होता है। तीसरे ये कि डॉक्टरी नुक़्त-ए-नज़र से पेट के बल लेटने से खाना अच्छी तरह हज़्म नहीं होता, चौथे ये के पेट के बल लेटने वाला बे तहज़ीब मालूम होता है, पाँचवें ये कि पेट के बल लेटने से बदन नंगा होने का डर होता है इसलिये उल्टा पेट के बल सोना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबी ज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मैं पेट के बल लेटा हुआ था, आपने पाँव मुबारक से ठोकर लगाई और फ़रमाया जुन्दुब ये जहन्नमियों का लेटना है। (इब्ने माजा)

इस हदीस में पेट के बल लेटने को जहन्नम के लेटने से बयान किया गया है इससे मालूम हुआ कि जहन्नमियों की तरह लेटना दुरुस्त नहीं। एक और हदीस में है कि पेट के बल लेटने को अल्लाह तआ़ला ने ना पसन्द फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी को पेट के बल लेटे हुए देखा तो फ़रमाया कि इस तरह लेटने को अल्लाह तआ़ला

पसन्द नहीं फ़रमाता। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(15) टाँग पर टाँग रखकर लेटने से बचने की नसीहत:- चित लेट कर टाँग पर टाँग रखने से सोने वाले के नंगा होने का डर होता है और इस तरह बदन का नंगा होना शर्म और बे इ़ज़्ज़ती का सबब बनता है वैसे भी टाँग पर टाँग चढ़ाने से फ़ख़्र और तकब्बुर के इज़हार का पहलू ज़ाहिर होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चित लेट कर पैर पर पैर रखने से मना फ़रमा दिया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि आदमी अपने एक पैर को उठाकर दूसरे पर रखे जबकि वह चित लेटा हुआ हो।

(मुस्लिम शरीफ़)

उन ही से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई चित न लेटा करे कि अपने एक पैर को दूसरे पर रख ले।

(16) मेहमान के लिये अलग बिस्तर रखना:- बसते घरों में अल्लाह की रहमत से मेहमान आते जाते हैं इसलिये इनके सोने के लिये अलग बिस्तर बनाकर रखना सुन्नत है। हैसियत के मुताबिक़ बिस्तर बनाएं मगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फ़ाल्तू बिस्तर न बनाएं कि पड़े-पड़े खराब हो जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसकी तालीम यूँ फ़रमाई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: आदमी का एक बिस्तर अपने लिये, दूसरा उसकी बीवी के लिये, तीसरा मेहमान के लिये, और चौथा शैतान के लिये होता है। (मुस्लिम शरीफ़)

इमाम नुव्वी ने इसकी यूँ वज़ाहत फ़रमाई है कि ज़रूरत के मुताबिक़ एक से ज़्यादा बनाना जाइज़ और दुरुस्त है मगर कसरत से तैयार करना दुनिया की रौनक़, फ़ख़्र और तकब्बुर के इज़हार का ज़रिया बनेगा। ये बात क़ाबिले मज़म्मत है जो दर असल शैतान की पैदा करदा होगी क्योंकि बुरी बातों के वसवसे शैतान ही डालता है इसलिये ज़रूरत से ज़्यादा सामान और बिस्तर बनाने से परहेज़ करें।

(17) सुन्नते क़ैलूला:- दिन के वक़्त थोड़ी देर के लिये सोने को क़ैलूला कहा जाता है इससे जिस्म की थकावट दूर हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़मतौर से दोपहर के खाने के बाद गर्मियों के मौसम में क़ैलूला फ़रमाते इसलिये दोपहर के खाने के बाद क़ैलूला करना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: अ़ब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा का बयान है कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब हिजरत करके क़ुबा में पहुँचे तो हज़रत उम्मे ह़राम बिन्त मल्हान के पास ठहरे जो आपको खाना खिलाया करतीं। ये हज़रत उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी मुहतरमा थीं। चुनान्चे एक रोज़ जब आप घर में दाख़िल हुए तो उन्होंने आपको खाना खिलाया और फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सो गए फिर आप हँसते हुए बेदार हुए। हज़रत उम्मे ह़राम का बयान है कि मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आपको किस चीज़ ने हँसाया? फ़रमाया मुझे मेरे कुछ उम्मती दिखाए गए जो इस समुद्र की सतह पर सवार होकर इस तरह राहे ख़ुदा में जिहाद कर रहे हैं जैसे बादशाह तख़्तों पर, या फ़रमाया कि तख़्त पर बादशाहों की तरह, ये इसहाक़ रावी को शक है। मैंने अ़र्ज़ की अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिये कि मुझे उनमें शामिल फ़रमा ले। चुनान्चे आपने दुआ़ की फिर अपना सर रखा और सो गए। फिर हँसते हुए बेदार हुए, मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आपको किस चीज़ ने हँसाया? फ़रमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के कुछ और लोग पेश किये गए जो राहे ख़ुदा में इस समुद्र की सतह पर ऐसे सवार हैं जैसे बादशाह तख़्तों पर या तख़्त पर बादशाहों की तरह। मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिये कि मुझे उनमें शामिल फ़रमा ले। फ़रमाया कि तुम पहले लोगों में से हो पस ये हज़रत मआ़विया के ज़माने में समुद्री जहाज़ पर सवार हुई जब समुद्र से बाहर आई तो अपनी सवारी से गिर कर अल्लाह को प्यारी हो गई। (बुख़ारी शरीफ़)

नमाज़े जुमा के बाद खाना खाकर क़ैलूला करना भी सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: अबू ह़ाज़िम का बयान है कि हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हमारा क़ैलूला करना और खाना खाना नमाज़ जुमा के बाद होता है। (बुख़ारी शरीफ़)

(18) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारकः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़्यादा आराम दे बिस्तर इस्तेमाल करने के क़ाइल न थे क्योंकि आराम दे बिस्तर ग़फ़लत का सबब बनता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चमड़े, टाट और बोरे का बिस्तर इस्तेमाल फ़रमाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में हज़रते आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिस्तर जिस पर सोया करते, चमड़े का था जिसमें खजूर का गूदा भरा हुआ था।

(मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत अ़ल्लामा यूसुफ़ नबहानी ने बयान फ़रमाया है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जिस बिस्तर मुबारक पर आराम फ़रमाते थे, चमड़े का था। जिसमें खजूर के पेड़ के रेशे कूट कर भरे हुए थे उसकी लम्बाई तक़रीबन दो गज़ थी और चौढ़ाई एक गज़ और एक हाथ थी, आप दुनियवी सामान से बिल्कुल अलग थे बावजूद ये कि अल्लाह तआ़ला ने आपको दुनिया के तमाम ख़ज़ानों की कुंजियाँ इनायत कर दी थीं मगर आपने कभी दुनिया की ख़्वाहिश नहीं की। हमेशा आख़िरत पर और उसकी नेअ़मत पर नज़र रखी और आख़िरत को पसन्द किया।

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की औलाद में से किसी ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिस्तर तक़रीबन इस तरह का था जो आपकी क़ब्र अनवर में रखा गया और आपके नमाज़ पढ़ने की जगह सरे मुबारक के पास होती थी। (अबू दाऊद शरीफ़)

हज़रत हफ़सा से किसी ने पूछा आपके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फ़रमाया: एक टाट था जिसको दोहरा करके हम नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे एक रोज़ मुझे ख़्याल आया कि अगर इसको चोहरा करके बिछा दिया जाए तो ज़रा ज़्यादा नर्म हो जाएगा चुनान्चे मैंने उसको चोहरा करके बिछा दिया। सुबह को आपने दरयाफ़्त फ़रमाया रात मेरे नीचे क्या चीज़ बिछाई थी? मैंने कहा वही टाट का बिस्तर था अलबत्ता मैंने रात में उसको चोहरा करके बिछा दिया था कि कुछ नर्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमाया: नहीं उसे दोहरा ही रहने दिया करो। रात बिस्तर की नर्मी तहज्जुद के लिये उठने में रुकावट बनी। (शमाइल तिर्मिज़ी)

हज़रत आ़यशा फ़रमाती हैं कि एक बार एक अन्सारी ख़ातून आई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का बिस्तर देखा, घर जाकर उस ख़ातून ने एक बिस्तर तैयार किया उसमें ऊन भरकर ख़ूब मुलायम बना दिया और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये भेजा। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए और वह नर्म बिस्तर रखा हुआ देखा तो फ़रमाया ये क्या है? मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़लां अन्सारी ख़ातून आई थीं और आपका बिस्तर देख गई थीं अब ये उन्होंने आपके लिये तैयार करके भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं इसको वापस कर दो। मुझे वह बिस्तर बहुत ही पसन्द था इसलिये वापस करने को जी नहीं चाह रहा था मगर नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इतना इसरार फ़रमाया कि मुझे वापस करना ही पड़ा। (शमाइले तिर्मिज़ी)

इसके बाद फ़रमाया ऐ आ़यशा! अगर मैं चाहता तो अल्लाह तआ़ला मेरे साथ सोने चाँदी के पहाड़ हाज़िर कर देता। मतलब ये कि मेरा बिस्तर मेरा तक़्वा और मेरी रियाज़त है। फ़क्र (फ़क़ीरी)व फ़ाक़ा न मिलने की वजह से नहीं बल्कि अपने रब की मुहब्बत में और उसकी रज़ा में मैंने इसे पसन्द किया है।

हज़रत इब्ने मसऊ़द से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे, चटाई पर लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द फ़रमाते हैं मैं ये देख कर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे रोते देखा तो फ़रमाया क्यों रो रहे हो? मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! ये क़ैसर व किसरा तो रेशम और मख़मल के गद्दों पर सोएं और आप बोरे पर। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ये रोने की बात नहीं है इनके लिये दुनिया है और हमारे लिये आख़िरत।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी किसी बिछौने और पलंग में ऐ़ब नहीं निकाला। सहाबा-ए किराम का कहना है कि अगर हमने आपके लिये बिस्तर बिछा दिया तो उस पर लेट गए और अगर न बिछाया तो ज़मीन पर ही लेट जाते थे।

इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने अपनी मुसनद में, इब्ने हब्बान ने अपनी सही में और बेहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत किया है कि एक बार हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु बारगाहे नबवी में हाज़िर हुए तो देखा कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक चटाई पर आराम फ़रमा थे और चटाई के निशानात पहलू (जिस्म) मुबारक पर पड़े हुए थे। हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर सिवाए तहबंद शरीफ़ के और कुछ न था और मकान मुबारक के एक कोने में एक साअ़ (लगभग 4 किलो)के क़रीब जौ पड़े थे और एक खाल दीवार पर लटकी थी ये देखकर हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की आँखों में आँसू आ गए।

इस पर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ ख़त्ताब के बेटे! तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? हज़रत उ़मर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया या नबीयल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) में क्यों न रोऊँ जब कि क़ैसर व किसरा (बादशाह) बाग़ों और नहरों में सोने के लिये तख़्तों पर रेशम के बिस्तरों पर आराम करें और आप अल्लाह तआ़ला के महबूब चटाई पर इस हाल में आराम फ़रमाएं। फ़रमाया ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि दुनिया इनके लिये हो और आख़िरत हमारे लिये। (मदारिजुन्नुबूवत)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चमड़े के गद्दे पर क़ैलूला फ़रमाया इसके मुतअ़ल्लिक़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये हज़रत उम्मे सलीम चमड़े का गद्दा बिछाया करतीं और आप उसी गद्दे पर क़ैलूला फ़रमा लिया करते थे। उनका बयान है कि जब नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सो जाते तो आपका मुबारक पसीना और बाल मुबारक जमा कर लेता और उन्हें एक शीशी में डालकर ख़ुश्बू में मिलाया करता। समामा का बयान है कि जब हज़रत अनस बिन मालिक की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने वसीयत फ़रमाई कि वह ख़ुश्बू उनके कफ़न को लगाई जाए। उनका बयान है कि वही ख़ुश्बू उनके कफ़न को लगाई गई। (बुख़ारी शरीफ़)

ख़्वाब

नींद की हालत में जो बात नज़र आती है उसे ख़्वाब कहा जाता है। ख़्वाब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे ख़्वाब अल्लाह की तरफ़ से होते हैं जिसे बशारत (ख़ुशख़बरी) कहा जाता है और बुरे ख़्वाब शैतान की तरफ़ से होते हैं जिनका मतलब डराना और अल्लाह के रास्ते से हटाना होता है। अच्छे ख़्वाब सच्चे होते हैं और उनकी तअ़बीर (स्वप्नफल) होकर सामने आती है और ख़्वाब ह़क़ीक़त बन जाता है। ऐसे ख़्वाबों को रूयाए स्वालेह़ा (नेक ख़्वाब) कहा जाता है। ऐसे ख़्वाब जो अल्लाह के नबियों और उसके वलियों को आते हैं और उनकी ह़क़ीक़त ये होती है कि अल्लाह तआ़ला नींद में अपने बंदों के दिल में अपनी तरफ़ से ख़बर डाल देता है जो सच्ची होती है और सच्चे ख़्वाबों ही के ज़रिये अल्लाह तआ़ला उन्हें नूरे मअ़रिफ़त (ख़ुदाई) अ़ता करता है। ख़्वाबों के ज़रिये से ही अल्लाह अपने बंदों पर बहुत से अन्दरूनी राज़ खोल देता है इसका मतलब ये हुआ कि सोने वाला अपने ख़्वाब में जिन बातों को देखता है और इ़ल्म ह़ासिल करता है वो ह़क़ीक़त में ज़ाहिर होने वाली चीज़ों की निशानी व इशारा है और यही निशानी व इशारा तअ़बीर (स्वप्नफल) की बुनियाद बनता है। कभी ये निशानी और इशारा इतना पोशीदा होता है कि उसे सिर्फ़ इ़ल्म वाले ही समझ पाते हैं और कभी इतना साफ़ होता है कि ख़्वाब देखने वाला और हर आ़म इन्सान इसे ख़ुद भी समझ जाता है।

इसके अ़लावा ख़्वाब की एक सूरत आ़म ज़हनी ख़्यालात होते हैं जो दिन भर में ज़हन पर छाए रहते हैं और ख़्वाब में भी वही नज़र आ जाते हैं मगर इनसे कुछ मक़सद ह़ासिल नहीं होता। ऐसे ख़्वाब न अच्छे होते हैं और न ही बुरे। ह़ासिल ये हुआ कि ख़्वाब तीन तरह के होते हैं। यानी एक रह़मानी, दूसरा शैतानी, और तीसरा हैजानी (जह़नी, ख़्याली)। इन तीनों की तफ़सील के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादाते गिरामी ह़स्बे ज़ैल हैं:-

(1) अच्छा और बुरा ख़्वाब:- जैसा कि पहले बयान किया है कि अच्छा ख़्वाब अल्लाह की तरफ़ से होता है अच्छे ख़्वाब की दलील ये है कि उसमें अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं औ उसकी तअ़बीर (स्वप्नफल) में अच्छाई होती है। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नसीह़त फ़रमाई है कि जब अच्छा ख़्वाब नज़र आए तो उसका ज़िक्र दूसरों से आ़म

न करे। अलबत्ता ऐसे शख़्स से कर सकता है जिसे वह पसन्द करता हो। इसके अ़लावा जब शैतानी ख़्वाब यानी ऐसी चीज़ जिसे ख़्वाब देखने वाला नापसन्द करता हो, नज़र आए तो उसका किसी से ज़िक्र न करे बल्कि अल्लाह से पनाह माँगे और दुआ़ करे कि अल्लाह शैतानी असरात और वसवसे को दूर कर दे और तीन मर्तबा खंकार दे तो इंशा अल्लाह शैतानी ख़्वाब के बुरे असरात से महफ़ूज रहेगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा ख़्वाब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से और परेशान ख़्वाब शैतान की तरफ़ से होता है। जब तुम में से कोई ऐसे चीज़ देखे जिसको पसन्द करता है तो उसका ज़िक्र न करे मगर जिस शख़्स को पसन्द करता हो, और जब ऐसे चीज़ देखे जिसको नापसन्द करता हो तो उसकी बुराई और शैतान की बुराई से अल्लाह की पनाह पकड़े। तीन मर्तबा थुतकारे और किसी से इसका ज़िक्र न करे तो वह कोई नुक़सान नहीं पहुँचाएगा।(बुख़ारी शरीफ़)

अल्लाह तआ़ला के रहम व करम को ख़्वाब में देखना एक अच्छे ख़्वाब की दलील है। ऐसे ही फ़रिश्तों को ख़्वाब में देखना, अंबिया-ए किराम की ज़्यारत करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़्यारत की खुश नसीबी हासिल होना, औलियाए किराम से ख़्वाब में मुलाक़ात करना, नेक उ़लमा को ख़्वाब में देखना या उनसे मुलाक़ात करना, कअ़बे में दाख़िल होना या कअ़बे की इमारत को देखना या ख़्वाब में हज करना, या अज़ान देना, या नमाज़ पढ़ना सब अच्छी ख़्वाबें हैं। ऐसे ही ख़्वाब में आसमान की तरफ़ बुलंद होना या जन्नत में दाख़िल होना अच्छी ख़्वाब होने की दलील है। तो मतलब ये निकला कि जो अच्छी चीज़ ख़्वाब में देखें वह ख़्वाब अच्छी कहलाएगी। इसके अ़लावा ख़्वाब में औरतों और मर्दों के जिस्म के अंग देखना, जानवरों के पेशाब, गोबर देखना, सांप, बिच्छू, कीड़े-मकोड़े देखना बुरे ख़्वाबों की दलील हैं और बुरे ख़्वाबों से बचने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये नसीहत फ़रमाई है कि बुरा ख़्वाब देखने पर तीन मर्तबा बाएं जानिब थूक देना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई ऐसा ख़्वाब देखे जिसको नापसन्द करता हो तो बाएं जानिब तीन

मर्तबा थूक दे और तीन मर्तबा शैतान से अल्लाह की पनाह ले। और उस करवट को बदल दे जिस पर लेटा हुआ था। (मिश्कात शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक ख़्वाब में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को देखा जो अच्छाई की निशानी थी, फिर उसी ख़्वाब में दज्जाल को देखा जिसका मतलब ये था कि ये बुरा शख़्स है लिहाज़ा अपनी उम्मत को उससे बचने की ख़बर दी। इस ख़्वाब की ह़दीस यूँ बयान हुई है:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुझे रात के वक़्त कअ़बतुल्लाह के पास ख़्वाब दिखाया गया, फिर मैंने एक गेहूँए रंग के आदमी को देखा जैसे तुम गेहूँए रंग के ख़ूबसूरत आदमी को देखते हो। उसके बड़े ख़ूबसूरत बाल थे, जैसे ख़ूबसूरत तुमने किसी आदमी के देखे हों, उसने कंघी की हुई थी और पानी टपक रहा था वह दो आदमियों का सहारा लिये हुए या दो आदमियों के कंधों का सहारा लिये हुए कअ़बे का तवाफ़ कर रहा था। फिर मैंने पूछा ये कौन है? कहा गया ये हज़रत मसीह़ इब्ने मरियम हैं, फिर मैंने एक घुंघराले बालों वाले आदमी को देखा जो दाहिनी आँख से काना था गोया वह फूला हुआ अंगूर था, मैंने सवाल किया कि ये कौन है? चुनान्चे कहा गया कि ये दज्जाल है।(बुख़ारी शरीफ़)

(2) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़्यारत:- ख़्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़्यारत करना बड़ी ख़ुश नसीबी की बात है और जो शख़्स ख़्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का दीदार करता है तो वह दीदार दर अस्ल आप ही का होता है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात की बज़ाते ख़ुद यूँ तस्दीक़ (पुष्टि) फ़रमाई है:-

हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने मुझे देखा उसने ह़क़ीक़त में मुझे देखा। (बुख़ारी शरीफ़)

यहाँ बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जिसने ख़्वाब में देखा तो दर ह़क़ीक़त उसने हुज़ूर ही को ख़्वाब में देखा क्योंकि इस बारे में शैतानी असरात का बिल्कुल दख़ल नहीं होता चुनान्चे उ़लमा-ए किराम ने इस चीज़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की

ख़ुसूसियात (विशेषता) में शुमार किया है और इसे ऐजाज़े नबवी क़रार दिया है।

कुछ लोगों का कहना है कि इस हदीस का तअ़ल्लुक़ उस शख़्स के ख़्वाब से है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उस मख़्सूस हुलिये में देखा जिससे आप वाबस्ता थे मगर कुछ ने इस बात में ज़रा और खुलेपन से काम लिया है और कहा है कि आपको उस सूरत में जो पूरी उ़म्र आपसे मुतअ़ल्लिक़ रही है। ख़्वाह जवानी की शक्लो सूरत में देखे ख़्वाह जवानी की उ़म्र ढलने के वक़्त और ख़्वाह आख़िरी उ़म्र की सूरत में देखे और कुछ हज़रात ने इस दायरे को और महदूद (सीमित) किया है और कहा है कि ख़्वाब में देखने में सिर्फ़ उस शक्लो सूरत का ऐतबार है जो आपकी आख़िरी उ़म्र यानी विसाल (इन्तेक़ाल) से पहले थी, जिसमें आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कहा जाता है कि इमाम इब्ने सीरीन के पास जब कोई शख़्स आकर ये बयान करता कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखा तो आप कहते कि बताओ तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को किस शक्लो सूरत और हुलिये में देखा है अगर वह शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हुलिया बयान न करता जो आपके साथ मख़्सूस है तो इब्ने सीरीन कहते भाग जाओ, तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़्वाब में नहीं देखा।

हज़रत इमाम नुव्वी का क़ौल है कि जिस शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखा उसने बहर सूरत आप ही को देखा ख़्वाह उसने उस मख़्सूस सूरत या हुलिये में देखा हो जो आपके बारे में ज़िक्र है या किसी और शक्लो सूरत में देखा क्योंकि शक्लो सूरत का अलग होना ज़ात के मुख़्तलिफ़ होने को ज़रूरी क़रार नहीं देता बल्कि ये बात याद रखो कि शक्लो सूरत में इख़्तिलाफ़ व फ़र्क़ का तअ़ल्लुक़ ख़्वाब देखने वाले के ईमान मुस्तहकम (मज़बूत) या ग़ैर मुस्तहकम से भी हो सकता है। यानी जिस शख़्स ने ख़्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अच्छी शक्लो सूरत में देखा ये उसके ईमाने कामिल और अ़क़ीदे के नेक होने की निशानी क़रार पाएगा, और जिस शख़्स ने इसके बर ख़िलाफ़ देखा ये उसके ईमान की कमज़ोरी और अ़क़ीदे में ख़राबी की निशानी क़रार पाएगा। जैसा कि अगर किसी शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बूढ़ा देखा और एक शख़्स ने जवान देखा, एक शख़्स ने ख़ुशी के आ़लम में देखा, एक ने ग़म के आ़लम में देखा, एक ने रोते हुए

देखा, एक ने मुस्कुराते हुए देखा, एक ने ना खुश देखा तो ये सारी निशानियाँ ख़्वाब देखने वाले के ईमानी हालात के फ़र्क़ व इख़्तेलाफ़ पर जारी होंगी कि जो शख़्स जिस दर्जे के ईमान का हक़दार होगा वह आपको उसी दर्जे की मिसाली सूरत में देखेगा। इस ऐतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखना गोया अपने हालाते ईमानी को पहचानने का एक मेअ़यार (कसौटी) है इसलिये ये चीज़ एहले तरीक़त के लिये एक फ़ायदेमंद ज़ाबते की हैसियत रखती है कि वह इसके ज़रिये अपने किरदार व अन्दर को पहचानकर उसकी इस्लाह करें।

हज़रत इमाम इब्ने सीरीन का कहना है कि जिसने ख़्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़्यारत की तो ये नेकी की बशारत है और उस शख़्स से नेक आ़माल जारी होंगे और अगर कोई नागवार बात देखी तो वह दुनिया में तंगी से दोचार होगा और जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खुश्क ज़मीन पर देखा तो उसकी तअ़बीर ये है कि वहाँ सब्ज़ा (हरियाली) आ जाएगा और अगर किसी शख़्स ने सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उस वक़्त ख़्वाब में देखा जब वह किसी तकलीफ़ या रंज व ग़म में मुब्तला थे तो उसके तमाम रंज व ग़म दूर हो जाएंगे और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपने घर के आँगन में देखा तो उसकी अल्लाह की तरफ़ से मदद होगी।

जिस शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को हज करते हुए देखा तो वह खुद हज की नेक बख़्ती पाएगा और जिसने देखा कि आप वअ़ज़ (नसीहत) फ़रमा रहे हैं तो आपकी उम्मत आपकी इताअ़त (फ़रमांबरदारी) करेगी, और जिसने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आइना देख रहे हैं तो इसकी तअ़बीर (मतलब) ये है कि आप उम्मत को अमानत अदा करने की नसीहत कर रहे हैं। जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कुछ खाते हुए देखा तो इसका मतलब ये है कि आप उम्मत को ज़कात अदा करने की तरफ़ तवज्जो दिला रहे हैं। और जिसको ख़्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों में से कोई कपड़ा या अपनी अंगूठी या तलवार या इसी क़िस्म की कोई चीज़ इनायत फ़रमाई तो इसकी तअ़बीर ये है कि इ़ज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा।

ज़्यारतुन्नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दीदार के सिलसिले में एक और चीज़ की वज़ाहत ये है कि जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने मुझे ख़्वाब में देखा उसने मुझे

ही देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिसने मुझे ख़्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। (मुस्लिम शरीफ़)

शैतान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख़्तियार करने से मजबूर है इसलिये वह ख़्वाब में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हरगिज़ नहीं बन सकता और न ही आपकी ज़ाते गिरामी पर झूठ लगा सकता है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हिदायत व हक़ का नमूना हैं जबकि शैतान लईन ज़लालत व गुमराही का आइना है और ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं इसलिये शैतान नबी के दीदार के सिलसिले में किसी को धोखा नहीं दे सकता।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत के सिलसिले में एक और हदीस ये है कि जिसने मुझे ख़्वाब में देखा तो अनक़रीब वह मुझे बेदारी में भी देख लेगा।

इस हदीस का तअल्लुक़ उन औलिया-ए किराम से है जो बहुत ही मर्तबे वाले होते हैं और अल्लाह जब चाहता है तो हालते बेदारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात का शर्फ़ अता फ़रमा देता है। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के इख़्तियार में है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने मुझे ख़्वाब में देखा तो अनक़रीब वह मुझे बेदारी में भी देख लेगा और शैतान मेरे जैसी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) अच्छे ख़्वाब ख़ुशख़बरियाँ हैं:- मुसलमान का अच्छा ख़्वाब बर हक़ है और इसकी तअबीर सच्ची होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अच्छे ख़्वाब ख़ुशख़बरियाँ हैं। ख़ुशख़बरियाँ अल्लाह तआला सिर्फ़ अपने ख़ास बंदों को देता है और ख़ुशख़बरियाँ नुबुव्वत के फ़ैज़ान से एक फ़ैज़ है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नुबुव्वत से बशारतों

(ख़ुशख़बरी) के सिवा कुछ भी बाक़ी नहीं रहा, लोग अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि बशारतें क्या हैं? फ़रमाया कि अच्छे ख़्वाब। (बुख़ारी शरीफ़) इमाम मालिक ने अ़ता बिन यसार से रिवायत करते हुए ये भी कहा जिसको कोई मुसलमान देखे या उसके लिये किसी को दिखाया जाए। (मिश्कात शरीफ़)

मुबश्शरात बशारत से बना है जिसके मअ़ना ख़ुशख़बरी हैं यानी अच्छे ख़्वाब ख़ुशख़बरी देते हैं जो ख़ुशी और ख़ुशनसीबी की दलील है। इसलिये अच्छे ख़्वाबों को मुबश्शरात कहा गया है। ख़ुशख़बरी हमेशा मुत्तक़ी और परहेज़गारों के लिये है यही वजह है कि अच्छे और सच्चे ख़्वाब जो हक़ीक़त में मुबश्शरात में से होते हैं, एहले तक़वा (परहेज़गार) और एहले तसव्वुफ़ (सूफ़ी हज़रात) को आते हैं क्योंकि सूफ़िया को बहुत सी चीज़ों की ख़ुशख़बरी अल्लाह तअ़ला बज़रिये ख़्वाब देता है जिनकी तअ़बीर बिल्कुल सच्ची होती है। बुज़ुर्गाने दीन जब झूठी ताक़तों के साथ जिहाद में मसरूफ़ होते हैं तो अल्लाह उन्हें ख़्वाब के ज़रिये कामयाब होने की ख़बर देता है जो बाद में हक़ीक़त बन जाती है। तो मालूम हुआ कि हर सच्ची बात जिसकी ख़बर ख़्वाब के ज़रिये मिले वह मुबश्शरात में से है।

(4) अच्छे ख़्वाब रूहानी नेअ़मत का हिस्सा हैं:- नुबुव्वत की ख़ुसूसियात (विशेषता) में से हर एक ख़ुसूसियत सच है कि नबी का हर हुक्म और पैग़ाम सच पर क़ायम होता है लिहाज़ा वह ख़्वाब जो सच्चा हो, उसे नुबुव्वत की ख़ूबियों में से क़रार दिया गया है। इसी बिना पर अच्छे ख़्वाब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नुबुव्वत का छियालिसवां हिस्सा क़रार दिया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अच्छा ख़्वाब नुबुव्वत के हिस्सों में छियालिसवां हिस्सा है।

जिस तरह अंबिया-ए किराम के ख़्वाब सच्चे होते हैं ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उम्मत का वह वली जो मक़ामे सिद्दीक़ियत पर फ़ाइज़ होगा उसका हर ख़्वाब सच्चा होगा क्योंकि मक़ामे सिद्दीक़ियत मिलता ही उस वली को है जिसकी हर बात सच्ची हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब ज़माना

क़रीब हो जाएगा तो मोमिन का ख़्वाब झूठा नहीं हुआ करेगा क्योंकि मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत का छियालिसवां हिस्सा है और जो नुबुव्वत का हिस्सा हो वह झूठा नहीं हो सकता। मुहम्मद बिन सीरीन ने फ़रमाया मैं कहता हूँ कि ख़्वाब तीन क़िस्म के हैं। एक दिली ख़्यालात, दूसरे शैतान के डरावे, और तीसरे अल्लाह की तरफ़ से बशारतें। जो तुम में से नापसन्दीदा चीज़ देखे तो वह किसी से बयान न करे और खड़े होकर नमाज़ पढ़नी चाहिये। रावी का बयान है कि वह ख़्वाब में तौक़ देखने को नापसन्द करते और बेड़ी को पसन्द फ़रमाते। कहा जाता है कि बेड़ी दीन में साबित क़दम होने की निशानी है। (मुस्लिम शरीफ़)

(5) नमाज़े सुबह के बाद तअ़बीर करना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मअ़मूल था कि नमाज़े फ़ज्र से फ़ारिग़ होने के बाद सहाब-ए किराम की तरफ़ मुँह करके जैठ जाते और फ़रमाते कि किसी ने ख़्वाब देखा है? अगर किसी सहाबी ने ख़्वाब देखा होता तो वह बयान करता तो हुज़ूर उसकी तअ़बीर (ख़ुलासा)फ़रमा देते। इससे मालूम हुआ कि नमाज़े फ़ज्र के बाद किसी ख़्वाब की तअ़बीर पूछना सुन्नत है और ऐसे ही जो तअ़बीर करने के लाइक़ हो उसके लिये तअ़बीर बताना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक ख़्वाब का मुफ़स्सल(सविस्तार)ज़िक्र हस्बे ज़ैल है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ लेते तो चेहर-ए अनवर हमारी जानिब करके फ़रमाते: तुम में से आज रात किसने ख़्वाब देखा है? रिवायत करने वाले का बयान है कि अगर किसी ने ख़्वाब देखा होता तो बयान कर देता और जो अल्लाह चाहता आप फ़रमाते। चुनान्चे एक रोज़ आपने हमसे फ़रमाया क्या तुम में से किसी ने ख़्वाब देखा है? हमने अ़र्ज़ की 'नहीं '। फ़रमाया कि आज रात मैंने दो शख़्स देखे कि मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पाक ज़मीन की तरफ़ ले गए वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा था जिसके हाथ में लोहे का ज़म्बूर (संड़ासी)था। जो उसके गाल में दाख़िल करके चीरता यहाँ तक कि गुद्दी तक पहुँच जाता, फिर दूसरे गाल में इसी तरह करता और पहला गाल दुरुस्त हो जाता, फिर दोबारा इसी तरह करता , मैंने कहा कि ये क्या है? कहा चलिये! हम चल दिये , यहाँ तक कि एक आदमी के पास

आए जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक आदमी पत्थर या चट्टान लेकर उसके सर पर खड़ा था जिसके साथ उसके सर को कुचलता , जब वह मारता तो पत्थर दूर चला जाता,वह उसे लेने के लिये जाता तो वापस न आता कि उसका सर पहले की तरह ठीक हो जाता, वह वापस आकर उसे मारता मैंने कहा कि ये क्या है? दोनों ने कहा कि चलिये हम आगे चले, यहाँ तक कि एक गढढे के पास पहुँचे जो तन्दूर की तरह था जो ऊपर से तंग और नीचे से फैला हुआ था उसके नीचे आग थी जब वह बुलन्द होती तो लोग भी ऊपर आ जाते और उससे निकलने के क़रीब हो जाते। जब वह नीचे जाती तो वह भी नीचे चले जाते और उसमें नंगे मर्द व औ़रत थे। मैंने कहा कि ये क्या है? दोनों ने कहा कि चलिये, हम चल दिये यहाँ तक कि एक ख़ून की नहर पर पहुँचे जिसके बीच में एक आदमी खड़ा था और नहर के किनारे एकआदमी उसके सामने पत्थर लेक र खड़ा था जब नहर वाला आगे बढ़ता और बाहर निकलने का इरादा करता तो ये आदमी उसके मुँह पर पत्थर मारता और उसी जगह वापस लौट जाता।जब भी वह निकलने के लिये आता तो ये उसके मुँह पर पत्थर मारकर वापस उसी जगह लौटा देता। मैंने कहा, ये क्या है? दोनों ने कहा चलिये हम चल दिये यहाँ तक कि एक सर सब्ज़ (हरे भरे) बाग़ में पहुँचे जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था उसकी जड़ में एक बूढ़ा और बच्चे थे और एक आदमी पेड़ के सामने आग जला रहा था। वो मुझे देख कर पेड़ पर चढ़ गए। और एक घर में ले गए जो पेड़ के दरमियान था। और इससे ख़ूबसूरत मैंने कोई घर नहीं देखा था उसमें बूढ़े, जवान, औ़रतें और बच्चे थे। फिर मुझे निकाल लाए और पेड़ पर ले चढ़े। फिर मुझे दूसरे घर में ले गए जो पहले से भी ख़ूबसूरत और अच्छा था उसमें बूढ़े और जवान थे मैंने दोनों से कहा कि आज रात तुमने मुझे फिराया है लिहाज़ा जो कुछ मैंने देखा है इसके बारे में मुझे बताओ। कहा हां, वो आदमी जिसका जबड़ा चीरा जाता था वो बहुत झूठा है। झूठी बातें बनाया करता और लोग उससे सुनकर दुनिया में फैलाते रहे। अब क़यामत तक उसके साथ यही होता रहेगा। जिसको आपने देखा कि उसका सर कुचला जाता है तो उस आदमी को अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन मजीद सिखाया लेकिन वो रात को सो जाता और दिन में उस पर अ़मल न करता। जो आपने मुलाहज़ा फ़रमाया उसके साथ क़यामत तक वही होता रहेगा। जिनको आपने तन्नूर में देखा वो ज़िनाकार (व्याभिचारी) था। जिसको आपने नहर में देखा वो सूद ख़ोर था। जिस

बूढ़े शख़्स को आपने पेड़ की जड़ में देखा वो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम थे और उनके गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की औलाद है। जो आग जला रहा था वो जहन्नम का इन्चार्ज फ़रिश्ता मालिक था। पहला घर जिसमें आप दाख़िल हुए आ़म मोमिनीन का है। ये दूसरा घर शहीदों का है। मैं ज़िबरईल हूँ और ये मीकाईल हैं। अपना सर उठाइये, मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर बादल जैसी चीज़ थी। एक और रिवायत में है कि तेह ब तेह सफ़ेद बादल, दोनों ने कहा कि आपकी मन्ज़िल यही है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ो ताकि मैं अपने मकान में दाख़िल हो जाऊँ। कहा कि अभी आपकी उ़म्र बाक़ी है जो पूरी नहीं की। जब उसे पूरी कर लेंगे तो इसी में जल्वा अफ़रोज़ (विराजमान) होंगे। (बुख़ारी शरीफ़)

(6) वरक़ा बिन नौफ़ल के बारे में एक ख़्वाब:- हज़रत वरक़ा बिन नौफ़ल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक ख़्वाब देखा जिसमें आपने उन्हें सफ़ेद लिबास में देखा। और फिर उसकी ये तअ़बीर फ़रमाई कि वो राहत व आराम में हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से वरक़ा के बारे में पूछा गया तो हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने आपकी ख़िद्मत में अ़र्ज़ किया उन्होंने आपकी तसदीक़ (पुष्टि) की थी। लेकिन आपके ज़ाहिर होने से पहले फ़ौत (ख़त्म) हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे वो ख़्वाब में दिखाए गए और उनके ऊपर सफ़ेद कपड़े थे । अगर वो जहन्नमी होते तो उनके ऊपर कोई और लिबास होता। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(7) झूठा ख़्वाब बनाने की मज़म्मत:- झूठ हर सूरत में झूठ ही है लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी तरफ़ से झूठा ख़्वाब बनाने की बहुत मज़म्मत फ़रमाई है। इसलिये मेरे दोस्त! झूठा ख़्वाब बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है,कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बड़ा बुहतान ये है कि आदमी किसी चीज़ को देखने का दावा करे और उसने देखी न हो। (बुख़ारी)

(8) सहरी के वक़्त का ख़्वाब ज़्यादातर सच्चा होता है:- रात का पिछला पहर चूँकि बहुत बा बरकत होता है। रहमते ख़ुदावंदी पूरे ज़ोर पर होती है इसलिये उस रहमत के वक़्त में देखा हुआ ख़्वाब सच्चा होता है। इसकी तसदीक़(पुष्टि)हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस ह़दीस से होती है:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सच्चा ख़्वाब सहरी के वक़्त का होता है। (तिर्मिज़ी, दारमी)

(9) ख़्वाब में गाय देखना:- ख़्वाब में गाय देखना अच्छे अन्जाम और ख़ुशहाली की निशानी है और अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिलने की निशानी है।

ह़दीस शरीफ़: हजरत अबू बरदा रजियल्लाहु अ़न्हु ने अपने वालिद माजिद हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और उनके ख़्याल में उन्होंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फ़रमाया मैंने ख़्वाब में देखा कि मक्का मुकर्रमा से ऐसी जगह की तरफ़ हिजरत (कूच) कर रहा हूँ जहाँ खजूर के पेड़ हैं। फिर मेरा ख़्याल इस तरफ़ गया कि वह यमामा या हिज्र है लेकिन वो तो मदीना है जिसको यसरब कहते थे चुनान्चे मैंने वहाँ गाय देखी और अल्लाह की भलाई। गाय तो वह मुसलमान हैं जो जंगे उहद में शहीद हुए और भलाई वह जो अल्लाह तआ़ला ने हमें अ़ता फ़रमाई और सच्चाई का बदला वह जो अल्लाह तआ़ला ने हमें जंगे बद्र के बाद अ़ता फ़रमाया। (बुख़ारी शरीफ़)

(10) ख़्वाब में बाल बिखरे वाली काली औ़रत देखना:- ख़्वाब में काली औ़रत देखना वबा (भयंकर बीमारी) की निशानी है।

ह़दीस शरीफ़: सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उस ख़्वाब के बारे में रिवायत की जो आपने मदीना तैय्यबा के बारे में देखा कि मैंने एक काली औ़रत देखी जिसके बाल बिखरे हुए थे वह मदीना मुनव्वरा से निकल कर महीआ़ जा ठहरी। पस मैंने उसकी ये तअ़बीर (मुराद) ली कि मदीना मुनव्वरा की वबा (बीमारी)महीआ़ की तरफ़ भेज दी गयी जिसको हुजफ़ा कहते हैं। (बुख़ारी शरीफ़)

(11) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का एक ख़्वाबः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उम्मत के बारे में ख़्वाब देखा जिसमें आपको उम्मत के मुख़्तलिफ़ लोगों की मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) हालतें दिखाई गयीं जिसकी तफ़सील यह हैः-

हदीस शरीफ़ः इसहाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबू तलहा ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मलहान के पास तशरीफ़ ले जाया करते थे और वह हज़रत उ़बादह बिन सामित के निकाह में थीं। पस एक रोज़ आप उनके पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने खाना खिलाया और वो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सर मुबारक को सहलाने लगीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नींद आ गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप हंस रहे थे उनका बयान है कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आपको किस चीज़ ने हंसाया? फ़रमाया कि मुझे मेरी उम्मत के कुछ लोग दिखाए गए जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं और उस समुद्र के सीने पर इस तरह सवार हैं जैसे बादशाह तख़्तों पर या बादशाहों की तरह जो तख़्तों पर हों, ये इसहाक़ रावी का शक है, उनका बयान हैं कि मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दुआ़ कीजिये कि अल्लाह तआ़ला मुझे उनमें शुमार फ़रमा ले। चुनान्चे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उनके लिये दुआ़ की और सर रखकर सो गए फिर जब बेदार हुए तो हंस रहे थे, मैंने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह! आपको किस चीज़ ने हंसाया? फ़रमाया कि मुझे मेरी उम्मत के कुछ लोग दिखाए गए जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं फिर उसी तरह फ़रमाया जैसे पहले फ़रमाया था उनका बयान है कि मैं अर्ज़ गुज़ार हुई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! दुआ़ कीजिए कि अल्लाह तआ़ला मुझे उनमें शुमार फ़रमा ले। फ़रमाया कि तुम पहले गिरोह में हो। पस ये हज़रत मआ़विया बिन अबू सूफ़ियान के ज़माने में समुद्री जहाज़ पर सवार हुई और जब समुद्र से बाहर निकलीं तो अपनी सवारी से गिरकर अल्लाह को प्यारी हो गयीं। (बुख़ारी शरीफ़)

(12) ख़्वाब में बहता हुआ चश्मा देखनाः- ख़्वाब में बेहता हुआ चश्मा (स्रोत) देखने से मुराद अ़मल का जारी रहना है।

हदीस शरीफ़: ख़ारिजा बिन ज़ैद साबित ने हज़रत उम्मुल अ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की है, कि जो उनकी औ़रतों में से एक औ़रत थीं और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बैअ़त (वफ़ादारी का वादा)की थी। हज़रत उ़समान बिन मज़ऊ़न रिहाइश के लिये कुरआ अन्दाज़ी में हमारे लिये निकले जबकि अन्सार ने मुहाजिरीन (प्रवासी)की रिहाइश के लिये कुरआ अन्दाज़ी की थी। वह बीमार पड़ गए और हमने मिज़ाजपुर्सी की लेकिन वह वफ़ात पा गए। तो हमने उनके कपड़ों का कफ़न दे दिया। चुनान्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा ऐ अबू साइब! आप पर अल्लाह तआ़ला की रहमत है, मैं आप पर गवाह हूँ कि अल्लाह तआ़ला ने आपको बुज़ुर्गी अ़ता फ़रमाई है, फ़रमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुई कि ख़ुदा की क़सम! मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं , फ़रमाया कि जहाँ तक उनकी बात है तो उन्होंने वफ़ात पाई और मैं उनके लिये अल्लाह तआ़ला से भलाई की उम्मीद रखता हूँ लेकिन ख़ुदा की क़सम मैं अपनी अ़क़्ल से नहीं जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। हज़रत उम्मुल अ़ला ने कहा कि ख़ुदा की क़सम इसके बाद में किसी की तारीफ़ नहीं करूँगी। वह फ़रमाती हैं कि मैंने हज़रत उ़समान के लिये ख़्वाब में देखा कि चश्मा (स्रोत) जारी है पस मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और इस बात का आपसे ज़िक्र किया तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि यह उनका अ़मल है जो उनके लिये जारी रहेगा। (बुख़ारी शरीफ़)

(13) ख़्वाब में कअ़बे का तवाफ़ करना:- ख़्वाब में कअ़बे का तवाफ़ करना हक़ीक़त में तवाफ़ करने की तरह है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को ख़ान-ए-कअ़बा का तवाफ़ करते हुए देखा वहाँ गेहूँ रंग, सीधे बालों वाला एक आदमी दो आदमियों के दरमियान था और उसके सर से पानी टपक रहा था मैंने कहा कि ये कौन हैं? जवाब दिया कि ये हज़रत इब्ने मरियम हैं। मैं वापस लौटने लगा तो एक सुर्ख़ रंग के भारी आदमी पर नज़र पड़ी जिसके बाल घुँघराले और वह दाहिनी आँख से

काना था जो पके हुए अंगूर की तरह थी मैंने कहा कि ये कौन है? जवाब दिया गया कि ये दज्जाल है जो तमाम लोगों में इब्ने क़तन के साथ ज़्यादा मुशाबहत (अनुरूपता) रखता है और इब्ने क़तन नामी आदमी बनी मुसतलक़ का था जो ख़ुज़ाआ़ की एक शाख़ है। (बुख़ारी शरीफ़)

(14) ख़्वाब में महल देखना:- ख़्वाब में महल देखने की तअ़बीर जन्नत में दाख़िल होने की ख़ुशख़बरी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सईद बिन मुसय्यिब का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपने फ़रमाया: मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा उसके अन्दर कोई औ़रत महल के एक जानिब वुज़ू कर रही थी। मैंने पूछा ये महल किसका है? कहा कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब का। चुनान्चे मुझे उनकी ग़ैरत याद आ गई और मैं वापस लौट आया। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि इस पर हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रोए और अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान क्या मैं आप पर ग़ैरत खाता। (बुख़ारी शरीफ़)

(15) ख़्वाब में क़मीस देखने की तअ़बीर (मतलब):- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़्वाब में क़मीस देखने को दीन क़रार दिया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू अमामा बिन सहल ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने देखा कि लोग मेरे सामने पेश किये जा रहे हैं और वह क़मीस पहने हुए हैं। कुछ की क़मीस तो सीने तक थी और कुछ की उससे नीची। जब उ़मर बिन ख़त्ताब मेरे पास से गुज़रे तो उनकी क़मीस घिसट रही थी। लोग अ़र्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह! आप इससे क्या मुराद लेते हैं? फ़रमाया कि दीन। (बुख़ारी शरीफ़)

(16) ख़्वाब में दूध देखना:- ख़्वाब में दूध से सैराब होने का मतलब इ़ल्म से सैराब होना है।

हदीस शरीफ़: हमज़ह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर का बयान है

कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं सोया हुआ था कि मेरे पास प्याले में दूध लाया गया फिर मैंने पिया यहाँ तक कि उसकी सैराबी मेरे नाख़ूनों से निकलने लगी फिर मैंने अपना बचा हुआ उ़मर बिन ख़त्ताब को दे दिया जो पास ही बैठे हुए थे वह अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आप इससे क्या मुराद लेते हैं? फ़रमाया कि इ़ल्म। (बुख़ारी शरीफ़)

(17) ख़्वाब में रेश्मी कपड़े देखनाः- ख़्वाब में किसी औ़रत को रेश्मी कपड़ों में देखने की तअ़बीर (मुराद) शादी होना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे तुम दो मर्तबा ख़्वाब में दिखाई गयीं, कहा गया कि क्या आप इनसे शादी करेंगे? पहली बार देखा कि फ़रिश्ते ने तुम्हें रेश्मी कपड़े में उठाया हुआ है, मैंने कहा कि मुँह खोल दो, उसने खोल दिया तो तुम थीं फिर मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है तो होकर रहेगा। फिर दूसरी मर्तबा मुझे तुम दिखाई गयीं तो फ़रिश्ते ने तुम्हें रेश्मी कपड़े में उठाया हुआ था, मैंने कहा कि मुँह खोल दो, उसने खोल दिया तो वो तुम थीं फिर मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ़ से है तो होकर रहेगा। (बुख़ारी शरीफ़)

(18) हाथ में कुंजियाँ देखनाः- ख़्वाब में कुंजियाँ मिलने से मुराद इक्तिदार व मर्तबा (अधिकार) मिलना है।

हदीस शरीफ़:- हज़रत सई़द बिन मुसय्यिब का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः मुझे जामे कलिमात के साथ भेजा गया है और जलाल व दबदबे के साथ मेरी मदद फ़रमाई गई है और मैं सोया हुआ था कि ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ मेरे पास लाई गयीं। मुहम्मद नामी किसी बुज़ुर्ग का क़ौल है कि मुझ तक ये बात पहुँची है कि जवामिउ़ल कलिम से मुराद ये है कि अल्लाह तआ़ला ने बहुत से उमूर (बयान व मसाइल) यानी लम्बे चौढ़े मज़ामीन (लेख-निबन्ध) जो पहले किताबों में समाए हुए थे और होते एक दो बातों के बारे में थे। वह आपके लिये जमा फ़रमा दिये थे। (बुख़ारी शरीफ़)

लिबास

लिबास कुदरत का बेहतरीन इनआ़म है जिससे इन्सान अपना जिस्म ढाँकता है और रौनक़ व श्रंगार भी करता है। जिस्म को ढाँकना इन्सानी फ़ितरत में शामिल है। क्योंकि मौसमी असरात से जिस्म को बचाने के लिये लिबास ही काम आता है। सर्दी-गर्मी और बारिश से बचने के लिये लिबास पहने बग़ैर गुज़ारा नहीं। इससे मालूम हुआ कि लिबास हर लिहाज़ से जिस्म के लिये ज़रूरी है इसलिये इस्लामी शरीअ़त में बदन का छुपाना ज़रूरी क़रार दिया गया है। कुरआने पाक में अल्लाह तआ़ला नें लिबास के बारे में हस्बे ज़ैल बातें बयान फ़रमाई हैं:-

तर्जमा कुरआन शरीफ़ : ऐ आदम की औलाद! (देखना कहीं) शैतान तुम्हें बहका न दे जिस तरह तुम्हारे माँ-बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिये ताकि उनके बदन उनको खोलकर दिखा दे। वह और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतान को उन्हीं लोगों का दोस्त व साथी बनाया है जो ईमान नहीं रखते हैं। (पारा 8, सूरएः आराफ़ आयत 27)

जिस्म छुपाना अल्लाह तआ़ला ने इन्सानी फ़ितरत (तबीअ़त) में अ़ता किया है। जब हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम और हज़रते हव्वा जन्नत में रहते थे तो उनके जिस्म पर लिबास था सोचने-समझने में ख़ता होने की बिना पर उनका वह लिबास उतर गया और उन्हें अपने नंगे बदन का फ़ौरन एहसास हुआ तो वह फ़ौरन पेड़ के पत्तों से अपने को छुपाने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि अपने जिस्म को छुपाने के लिये लिबास ज़रूरी है।

तर्जमा कुरआन शरीफ़ : पूछो तो कि जो ज़ीनत (श्रंगार) व आराइश (बनाव) और खाने-पीने की पाकीज़ा चीज़ें ख़ुदा ने अपने बंदों के लिये पैदा की हैं उनको हराम किसने क़रार किया है? कह दो कि ये चीज़ें दुनिया की ज़िन्दगी में ईमान वालों के लिये हैं और क़यामत के दिन ख़ास उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह ख़ुदा अपनी आयतें समझने वालों के लिये खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है। (पारा, 8 आ़राफ़ ,32)

लिबास जिस्म की ज़ीनत (रौनक़) है इसके इस्तेमाल से जिस्म के हुस्न में इज़ाफ़ा होता है इन्सान बा तहज़ीब और अच्छा मालूम होता है मगर जब लोगों ने लिबास की एहमियत और क़द्र को पीठ पीछे डालकर जिस्म के ज़्यादातर हिस्से को नंगा रखना शुरु कर दिया तो इस पर अल्लाह

तआला ने नसीहत फ़रमाई कि अपने जिस्म की ज़ीनत को क़ायम रखो और उसे अपने ऊपर ख़ुद ब ख़ुद हराम न कर लो। मक़सद ये था कि लिबास को सलीक़े से इस्तेमाल करो।

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: ऐ बनी आदम! हर नमाज़ के वक़्त अपने आप को सजाया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि ख़ुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। (पारा 8 सूरह आराफ़, 31)

इस्लाम से पहले अरबों ने हज के मौक़े पर ये दस्तूर बना लिया था कि जिस्म को नंगा रखकर तवाफ़ करते। अल्लाह तआला ने इस बात से मना फ़रमाया और ये ज़रूरी क़रार दिया कि जब तुम अल्लाह की इबादत के लिये आओ तो अपने जिस्म को लिबास से अच्छी तरह सजा करके आओ। यानी नमाज़ के लिये आओ तो साफ़ सुथरा लिबास पहन कर आओ। इसके पेशे नज़र मर्दों के लिये नाफ़ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा और शरीफ़ व आज़ाद औरतों के लिये सर के बालों से लेकर टख़्नों तक और गट्टों तक का हिस्सा सतर (जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना ज़रूरी है) क़रार दिया गया है। इसका ढाँकना हर हाल में ज़रूरी है।

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़ : ऐ औलादे आदम! हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारा सतर ढाँके और तुम्हारे बदन को ज़ीनत (शोभा)दे और जो परहेज़गारी का लिबास है वह सबसे अच्छा है ये ख़ुदा की निशानियाँ हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें। (पारा 8, सूरह आराफ़ ,26)

बेहतरीन लिबास परहेज़गारी है यानी तक़वा को बेहतरीन लिबास क़रार दिया गया है। मक़सद ये हुआ कि ऐसा लिबास पहनो जिसे पहन कर इन्सान तक़वा (परहेज़गारी)की राह इख़्तियार कर सके यानी लिबास की बनावट में सादगी होनी चाहिये। जिससे झूठी शानो शौकत का इज़हार न हो सके। लिबास ज़्यादा क़ीमती न हो ताकि फ़ुज़ूल ख़र्ची न हो। लिबास में शोख़ी न हो ताकि रिया (दिखावा)से महफ़ूज़ रहा जा सके। लिबास में नंगा पन न हो ताकि शर्म व हया क़ायम रह सके। लिबास की बनावट शरीअत के मुताबिक़ हो ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो सके। यानी किसी दूसरी क़ौम की तरह न हो । लिबास में शरीफ़ाना वक़ार व मर्तबा इस तरह का हो कि शैतान दूसरों की लअन तअन (फटकार) का निशाना न बना सके। गोया कि लिबास में वह तमाम ख़ुसूसियात (ख़ूबियाँ)हों जिनसे तक़वा इख़्तियार करने में आसानी रहे

और लिबास किसी लिहाज़ से भी रुकावट न बने। हर क़ौम का लिबास जुदा-जुदा है मगर मुसलमान का लिबास सबसे अलग है। क़ुरआन व हदीस की रू से लिबास पहनने के आदाब और सुन्नतें हस्बे ज़ैल हैं:

(1) कपड़ा सीधी तरफ़ से पहनना सुन्नत है:- कपड़ा सीधी तरफ़ से पहनना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब क़मीस या कुर्ता पहनते तो पहले दाएं आस्तीन में बाज़ू (हाथ) डालते फिर बाएं आस्तीन में बाज़ू डालते फिर क़मीस को अपने गले मुबारक में पहन लेते लिहाज़ा हर मुसलमान को चाहिये कि जब भी क़मीस, कुर्ता, शेरवानी, या कोट या बनियान पहने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इसी तरीक़े से पहने। ऐसे ही जब शलवार या पाजामा वग़ैरा डालें तो पहले दाएं पाएंचे में पैर डाले फिर बाएं पाएंचे में पैर डालें। क़मीस या शलवार उतारते वक़्त उल्टा यानी बाएं तरफ़ से उतारना शुरु करें फिर दाएं तरफ़ से उतारें। नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ था।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: लिबास पहनते वक़्त या वुज़ू करते वक़्त दाएं जानिब से शुरुआ़त करो।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(2) कपड़ा पहनने से पहले झाड़ना:- कपड़ा पहनने से पहले झाड़ना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप हमेशा जिस कपड़े को पहनते तो उसे पहले झाड़ लेते लिहाज़ा हमें कपड़ा इस्तेमाल करने से पहले उसे झाड़ लेना चाहिये। झाड़ने की मसलेहत और हिकमत ये है कि अगर इस में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ या मूज़ी (ख़तरनाक) जानवर होगा तो वह निकल जाएगा और कपड़े पहनने वाला आने वाली परेशानी से महफ़ूज़ रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने से पहले बिस्तर झाड़ने की नसीहत फ़रमाई है जिससे ये बात साबित होती है कि जो भी कपड़ा इस्तेमाल में लाया जाए उसे झाड़ लेना बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद मक़बुरी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम में से कोई अपने बिसतर पर जाने लगे तो

उसे चाहिये कि अपने बिसतर को अपनी (पैजामा, शलवार) के अगले ज़ाइद हिस्से से साफ़ करे। क्योंकि उसे क्या मालूम कि उसके बाद क्या चीज़ अन्दर आ गई। (बुख़ारी शरीफ़)

जूते पहनने से भी पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताकीद फ़रमाई है कि उन्हें पहले देख लिया जाए कि कहीं उसमें कोई तकलीफ़ दे चीज़ तो नहीं है। जिससे ये नतीजा निकलता है कि इस्तेमाल करने से पहले चीज़ को झाड़ लेना चाहिये।

एक बार का वाक़ेआ़ है कि एक मर्तबा नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक जंगल में अपने मोज़े पहन रहे थे पहला मोज़ा पहनने के बाद आपने दूसरा मोज़ा पहनने का इरादा फ़रमाया तो कौआ झपटा और वह मोज़ा उठाकर उड़ गया और काफ़ी ऊपर ले जाकर उसे छोड़ दिया। मोज़ा जब ऊँचाई से गिरा तो गिरने की चोट से उसमें एक सांप दूर जा पड़ा, ये देखकर आपने ख़ुदा का शुक्र अदा किया और इरशाद फ़रमाया "हर मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि जब मोज़ा पहनने का इरादा करे तो उसको झाड़ लिया करे।" (तिबरानी)

(3) शलवार या तहबंद टख़्नों के ऊपर रखना सुन्नत है:- शलवार या तहबंद को टख़्नों से ऊपर रखना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। इसकी मसलेहत और हिकमत तवाज़ोअ़ यानी आ़जिज़ी व इन्किसारी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुसलमान का तहबंद आधी पिन्डली तक होना चाहिये टख़्नों तक होने में भी कोई हरज नहीं। लेकिन टख़्नों से नीचे हो तो वह आग में होगा और जो शख़्स तकब्बुर से तहबंद नीचे घसीटेगा अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ नज़र (रहमत) नहीं फ़रमाएगा। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) शलवार या तहबंद को लटकाने की मुमानिअ़त:- शलवार या तहबंद को टख़्नों से ऊँचा रखना इसलिये ज़रूरी है कि इस्लाम से पहले अ़रबों में जो शख़्स अमीर और मग़रूर (घमण्डी) होता था वह अपने तहबंद को ज़मीन पर लटका कर चलता कि उसका ग़ुरूर और अमीरी ज़ाहिर हो यानी तहबंद लटकाना तकब्बुर और ग़ुरूर की निशानी

है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस ग़ुरूर व तकब्बुर को ख़त्म करने के लिये शलवार या तहबंद को लटकाने से मना कर दिया।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन उस शख़्स की तरफ़ नहीं देखेगा जो तकब्बुर से अपना तहबंद घसीटता है। (बुख़ारी शरीफ़)

इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा से यही रिवायत इस तरह है कि अबु हुरैरा फ़रमाते हैं कि एक क़ुरैशी नौजवान जिसके कपड़े ज़मीन से लग रहे थे ेरे पास से गुज़रा तो मैंने उससे कहा कि ऐ भतीजे! मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि जो अपना तहबंद तकब्बुर से नीचे लटकाएगा अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं उठाएगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु बी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन तीन क़िस्म के आदमियों से न कलाम (बात) फ़रमाएगा न उनकी तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। हज़रत अबू ज़र फ़रमाते हैं बी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह कलिमात अलफ़ाज़) तीन मर्तबा दोहराए। हज़रत अबू ज़र ने फ़रमाया वो लोग लील और नाकाम हुए या रसूलल्लाह! वो कौन लोग हैं? आपने रमाया तहबंद लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और झूठी क़सम के थ सौदा बेचने वाला। (मुस्लिम)

एक और हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत है कि उन्होंने एक शख़्स को देखा जो अपनी इज़ार जामा) घसीट रहा था उन्होंने पूछा कि तू किस क़बीले का है? उसने हा कि बनी लैस से हूँ। इब्ने उ़मर ने उसे पहचाना तो कहा कि मैंने अपने ों कानों से सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है : जो शख़्स तकब्बुर की बिना पर अपनी इज़ार लटकाएगा अल्लाह आ़ला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है ले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: तहबंद का

जो हिस्सा टख़्नों से नीचे है वह (जगह) जहन्नम में है। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि: कोई आदमी ज़मीन पर अपनी तहबंद को घसीटता हुआ जा रहा था कि धंसा दिया गया और क़यामत तक वह ज़मीन में धंसता ही जाएगा। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं एक शख़्स तहबंद लटकाए नमाज़ पढ़ रहा था रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया जाओ वुज़ू करो वह गया और वुज़ू करके हाज़िर हुआ आपने फ़रमाया जाओ फिर वुज़ू करो, एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या बात है आपने उसे वुज़ू करने का हुक्म दिया, फिर ख़ामोश हो गए आपने फ़रमाया वह तहबंद लटकाए नमाज़ पढ़ रहा था और बेशक अल्लाह तआ़ला तहबंद लटकाने वाले की नमाज़ क़ुबूल नहीं फ़रमाता। (अबू दाऊद शरीफ़)

(5) मर्दों के लिये रेशमी कपड़े की मुमानिअ़त:- मर्दों के लिये रेशमी लिबास पहनना मना है क्योंकि रेशम पहनने से रौनक़ व ज़ीनत का इज़हार होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मर्दों के लिये रेशम का इस्तेमाल मना फ़रमाया है अगर किसी ने अपने बच्चे को रेशम के कपड़े पहनाए तो उसका गुनाह बच्चे पर नहीं बल्कि पहनाने वाले पर होगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने दुनिया में रेशमी लिबास पहना वह आख़िरत में नहीं पहनेगा। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हदीस में इब्ने अबी लैला का बयान है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मदाइन में थे कि उन्होंने पानी माँगा, एक किसान चाँदी के बर्तन में पानी ले आया उन्होंने उसे फेंक दिया और फ़रमाया कि मैं इसे न फेंकता लेकिन मैंने उसे मना किया था मगर फिर भी यह बाज़ न आया हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि: सोने, चाँदी, रेशम और दीबाज काफ़िरों के लिये दुनिया में है। और तुम्हारे लिये यानी मुसलमानों के लिये आख़िरत में है। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैं ने नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा, आपने रेशमी

कपड़ा उठाकर दाहिने हाथ में रखा और बाएं हाथ में सोना रखा फिर फ़रमाया "ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।" (अबू दाऊद शरीफ़)

जब जिस्म पर बहुत ज़्यादा खुजली हो या कोई और तकलीफ़ हो कि आम कपड़ा तकलीफ़ दे तो उस सूरत में रेशमी कपड़ा पहनने में कोई हरज नहीं। क्योंकि हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन अ़वाम और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ को रेशम पहनने की इजाज़त दी थी क्योंकि वो दोनों सहाबा खुजली में गिरफ़्तार थे। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना, आपने फ़रमाया: रेशम वही शख़्स पहनता है जिसके लिये (आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं। (बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़)

औरतों के लिये रेशम पहनना जाइज है क्योंकि रेशमी कपड़ा मुलायम होता है उसके पहनने से औरत की ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा होता है इसलिये औरतों के लिये उसका इस्तेमाल ठीक है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रेशमी लिबास और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और औरतों के लिये हलाल किया गया।

एक और हदीस में हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में तोहफ़े के तौर पर एक रेशमी जोड़ा पेश किया गया आपने वो मुझे दे दिया जब मैंने वो पहना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराज़गी के असरात देखे फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये जोड़ा मैंने तुम्हारे पहनने के लिये नहीं भेजा मैंने तुम्हारे पास इसलिये भेजा था कि इसे फाड़कर औरतों के दुपट्टे बना लो। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस से भी मालूम हुआ कि औरतों के लिये रेशमी कपड़ा पहनना दुरुस्त है इसी लिये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि उसके दुपट्टे बना लो ताकि औरतें उसे सरों पर ले लें।

ऐसा कपड़ा जिसमें रेशम मिला हो तो उसके बारे में मुफ़्तियों का

क़ौल है कि अगर ताना रेशम का हो और बाना सूत का हो तो हर शख़्स के लिये जाइज़ है। मगर सूफ़िया-ए किराम ने उससे भी गुरेज़ किया है। अलबत्ता अ़मामे (पगड़ी) का किनारा, कुर्ते की आस्तीन, टोपी का किनारा रेशम वग़ैरा का बना हो और चार उँगल से ज़्यादा न हो तो कोई हरज नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास का बयान है कि इसमें कोई शक नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस कपड़े को पहनने से मना फ़रमाया है जो ख़ालिस रेशम का हो। इसलिये रेशम की गोट या बेल और वो कपड़ा जिसके ताने में रेशम हो उसके इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। (अबू दाऊद शरीफ़)

(6) नया कपड़ा पहनने का अदब:- नया लिबास पहनते वक़्त अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिये और उसका शुक्र अदा करना चाहिये लिहाज़ा नया कपड़ा पहनते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हस्बे ज़ैल दुआ़ओ में से कोई एक दुआ़ पढ़ें। कपड़ा पहनते वक़्त की दुआ़ एक तरह की अल्लाह से तौफ़ीक़ माँगने की इल्तिजा है कि ऐ अल्लाह तू मुझे तौफ़ीक़ दे कि जो लिबास तूने मुझे अ़ता किया है मैं उसे पहनकर तेरी इबादत करूँ और अपने अन्दर को उसी तरह पाक व साफ़ कर लूँ जिस तरह कि ये लिबास है और इससे मुझे सतर छुपाने की तौफ़ीक़ दे ताकि बे हयाई से अपने ज़ाहिर और अन्दर को बचाऊँ और शरीअ़त के दायरे में रहते हुए उसके ज़रिये अपने जिस्म की हिफ़ाज़त कर सकूँ और उसे शरई हद तक ज़ीनत व हुस्न का ज़रिया बना सकूँ इस लिबास को पहनकर मुझसे ग़ुरूर और तकब्बुर का इज़हार न हो और न उन शरई हदों को तोड़ूँ जो तूने मुक़र्रर की हैं गोया कि लिबास पहनते वक़्त दुआ़एं पढ़ना अल्लाह से सीधे रास्ते पर क़ायम रहने की तौफ़ीक़ तलब करना है।

(1) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा, अ़मामा या चादर पहनते तो इस तरह दुआ़ पढ़ते:-

اَللّٰھُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَمَا کَسَوْتَنِیْہِ اَسْاَلُکَ خَیْرَہٗ وَمَا صُنِعَ لَہٗ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّہٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَہٗ

"अल्लाहुम-म लकल हम्दु कमा कसौ तनिहि अस अलु-क ख़ैरहू

वमा मुनि-अ़ लहु व अऊ़ज़ु बि-क मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनि-अ़ लहु"
तर्जमा: ऐ अल्लाह! सब तारीफ़ें तेरे लिये हैं जैसे तूने मुझे ये पहनाया मैं तुझसे इसकी भलाई माँगता हूँ और इसकी भलाई जिसके के लिये बनाया गया। मैं इसकी बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ और इसकी बुराई से जिसके लिये बनाया गया।) (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद शरीफ़)

(2) हज़रत मआ़ज़ बिन अनस से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स कपड़ा पहने और ये दुआ़ पढ़े तो उसके पहले किये हुए तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे।

(अबू दाऊद शरीफ़)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ هٰذَا وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةٍ

"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व-र-ज़ क़नीहि मिन ग़ैरि हौलिम्मिन्नी वला क़ुव्वतिन"

तर्जमा: सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जिसने मुझे ये पहनाया और मेरी ताक़त व हिम्मत के बग़ैर अ़ता फ़रमाया।

(3) अबू मतर से रिवायत है कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने तीन दिरहम का कपड़ा ख़रीदा जब उसे पहना गया तो ये दुआ़ पढ़ी। इसके बाद वज़ाहत फ़रमाई कि इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَنِیْ مِنَ الرِّیَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِی النَّاسِ وَ اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी र-ज़-क़नी मिनर्रियाशि मा अ-त जम्मलु बिही फ़िन्नासि व उवारी बिही औ़रती।

तर्जमा: सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जिसने मुझे ज़ीनत (ख़ूबसूरती) का लिबास अ़ता फ़रमाया जिससे लोगों में ख़ूबसूरती हासिल करता हूँ और अपने सतर (बदन) को छुपाता हूँ।

(मुसनदे इमाम अहमद)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबी अमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नया कपड़ा पहना तो कहा: सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जिसने मुझे पहनाया जिससे मैं अपना सतर छुपाता हूँ और अपनी ज़िन्दगी में रौनक़ हासिल करता हूँ। फिर फ़रमाया

कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि जो नया कपड़ा पहने तो कहे:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ مَا اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِیْ حَيَاتِیْ

"अलह़म्दु लिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अ-त जम्मलु बिही फ़ी ह़याती" तर्जमाः- सब तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं जिसने मुझे लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सतर छुपाता हूँ और अपनी ज़िन्दगी में रौनक़ ह़ासिल करता हूँ।

फिर पुराने कपड़े को लेकर उसे ख़ैरात कर दे तो वह ज़िन्दगी और मौत के अन्दर अल्लाह की पनाह , अल्लाह की हिफ़ाज़त और अल्लाह के पर्दे में रहेगा। (अह़मद तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

(7) मशहूर लिबास की मज़म्मत :- कपड़े की कुछ क़िस्में मशहूर हो जाती हैं जो अपनी उ़मदगी और क़ीमत में शोहरत पा जाती हैं ऐसे कपड़े को शोहरत का ज़रिया समझकर या बहुत क़ीमती समझकर ख़रीद कर पहनना अच्छा नहीं जिसका मक़सद रिया (दिखावा) और ग़ुरूर के सिवा कुछ नहीं होता इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि शोहरत ह़ासिल करने के लिये लिबास न पहनो। यानी कुछ लोग अपने लिबास को चमकीला और भड़कीला बना लेते हैं जिसकी बिना पर दूसरे लोगों में मशहूर हो जायें। शरीअ़त की रू से ऐसा करना मना है। ऐसे ही अपनी शख़्सियत को नुमायाँ करने के लिये ऐसा लिबास पहनना ताकि सूफ़ी या शेख़े तरीक़त महसूस हो , दुरुस्त नहीं।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने दुनिया में शोहरत ह़ासिल करने के लिये लिबास पहना तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तआ़ला उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा।

(अह़मद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

एक और ह़दीस में ह़ज़रत अयास बिन सअ़लबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमायाः क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं कि बनाव श्रंगार को छोड़ देना ईमान से है।

(अबू दाऊद)

(8) जानदारों की तस्वीरों वाले लिबास की मुमानिअत:- ऐसा लिबास जिस पर जानदारों की तसवीरें बनी हों उसका इस्तेमाल मना है। लिहाज़ा कपड़ा बनाने वालों को इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिये कि वो कपड़े पर जानदारों की तसवीर के प्रिन्ट न लगाएं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तसावीर से मना फ़रमाया है। तसवीर अल्लाह तआ़ला से ज़हन हटाने का सबब बनते हैं। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मेरे घर में एक ऐसा कपड़ा था जिस पर चिड़ियों की तसवीरें बनी हुई थीं। जब कोई शख़्स अन्दर आता तो उस पर नज़र पड़ती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ऐ आ़यशा! इसे उल्टा कर दो क्योंकि जब मैं दाख़िल होता हूँ तो दुनिया याद आती है। और हमारे पास एक ऐसी चादर थी जिस पर (बेल बूटों के) नक़्शो निगार थे। हम उसको पहनते थे और हमने उसे काटा नहीं। (नसई शरीफ़)

मतलब ये हुआ कि आ़म बेल बूटे हों तो इसमें कोई हरज नहीं लेकिन किसी कपड़े पर अगर जानदारों की तसावीर हों या इन्सानों की तसावीर हों तो उसे बिल्कुल न पहनें क्योंकि उसका इस्तेमाल ख़िलाफ़े सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बाहर निकले और फिर अन्दर तशरीफ़ लाए। मैंने एक पर्दा लटकाया था जिस पर परों वाली तसवीरें बनी हुई थी। सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे मुलाहज़ा फ़रमाने के बाद हुक्म फ़रमाया इसे निकाल दें। (नसई शरीफ़)

जानवरों की तसवीर वाले कपड़े पहनने और इस्तेमाल करने वाले को आख़िरत में दर्द नाक अ़ज़ाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि क़यामत के रोज़ दोज़ख से एक गर्दन निकलेगी जिसकी दो आँखें देखने वाली होंगी, दो सुनने वाले कान होंगे और एक बोलने वाली ज़बान होगी। वो कहेगा मुझे तीन शख़्सों पर मुक़र्रर किया गया है। 1. हर उस शख़्स पर जो सरकश और ज़ालिम है। 2. हर उस शख़्स पर जो ख़ुदा के साथ दूसरों की इबादत करे। 3. और हर तस्वीरें बनाने वाले पर। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(9) ज़ेरे किफ़ालत लोगों का लिबास बनाना:- वो शख़्स जिसकी परवरिश कोई शख़्स करे तो लिबास बनाते वक़्त उसे इस बात का ख़्याल रखना चाहिये कि जिस तरह का लिबास वो अपने लिये बनाए उसी तरह का लिबास अपनी परवरिश में पलने वाले हज़रात के लिये बनाए। ऐसे ही अपने नौकरों और ख़ादिमों को अपनी हैसियत के मुताबिक़ अच्छा लिबास बनाकर दें।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:लौंडी और गुलाम तुम्हारे भाई हैं, खुदा ने उनको तुम्हारे क़ब्ज़े में दे रखा है। और तुम में से जिस किसी के क़ब्ज़े व बस में खुदा ने किसी को दे रखा है तो उसको चाहिये कि उसको वही खिलाए जो वो खुद खाता है और उसे वैसा ही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है और उस पर काम का उतना ही बोझ डाले जो उसकी हद से ज़्यादा न हो। और अगर वो उस काम को न कर पा रहा हो तो खुद उस काम में उसकी मदद करे। (बुख़ारी और मुस्लिम शरीफ़)

(10) कपड़े बनाने में फ़ुज़ूल ख़र्ची की मज़म्मत:- कपड़े बनाने और ख़रीदने में फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना ज़रूरी है क्योंकि फ़ुज़ूल ख़र्ची अल्लाह को पसन्द नहीं। कपड़ों के सिलसिले में फ़ुज़ूल ख़र्ची दो तरह की है। एक यह कि क़ीमती से क़ीमती कपड़ा ख़रीदने की लगन में रहना। और दूसरा यह कि ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बनाना। लिहाज़ा लिबास ख़रीदते वक़्त बीच का रास्ता इख़्तियार करना चाहिये। और न ही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कपड़े बनाना चाहिये।ज़रूरत के लिये चन्द कपड़ों के जोड़े बनाकर रखने में कोई हरज नहीं। रूपया पैसा होते हुए कन्जूसी करना भी दुरुस्त नहीं क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह की नेअ़मत का शुक्र अदा नहीं होगा। लिहाज़ा हैसियत के मुताबिक़ जब ज़रूरत हो तो कपड़े बनाने में रक़म ख़र्च करे। मैंने देखा है कुछ अमीर लोग शादी के मौक़ों पर सैंकड़ों की तादाद में जोड़े बना लेते हैं जिनसे सारी ज़िन्दगी अगर गुज़ारना चाहें तो गुज़र सकती है ऐसा करना ख़िलाफ़े शरीअ़त है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया: खाओ जो चाहो और पहनो जो चाहो, जबकि दो चीज़ें तुमसे दूर रहें यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची और शेख़ी। (बुख़ारी शरीफ़)

(11) ग़ैर क़ौम की मुशाबहत (रूप) इख़्तियार करने की मुमानिअ़तः- मुसलमानों के लिये शक्ल, लिबास और दूसरी चीज़ों में ग़ैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख़्तियार करना मना है क्योंकि मुसलमान की एक अपनी तहज़ीब (कल्चर) है जिसमें ज़िन्दगी के हर तरह के उसूल हैं और लिबास की ख़ास शक्ल व सूरत है। जिससे इन्सानी सतर (जिस्म) अच्छी तरह छुप जाता है। जो हर लिहाज़ से ग़ैर मुस्लिमों से बेहतर है लिहाज़ा इस बेहतर इस्लामी लिबास को छोड़कर ग़ैर मुस्लिमों का लिबास पहनना दुरुस्त नहीं बल्कि क़ाबिले मज़म्मत है। मिसाल के तौर पर टाई ईसाइयों की निशानी है और कुछ मुसलमान उसे बड़े शौक़ से पहनते हैं और फिर उस पर फ़ख़्र करते हैं तो ऐसे मुसलमान भाइयों को चाहिये कि वो टाई और ईसाइयों का दूसरा लिबास छोड़ दें और इस्लामी लिबास इख़्तियार करें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ग़ैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख़्तियार करने की मज़म्मत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़ः हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो जिस क़ौम की मशाबेहत इख़्तियार करे वो उनमें से है। (अहमद, अबूदाऊद)

(12) पुराने कपड़े के इस्तेमाल का हुक्मः- अमीर लोगों को चाहिये कि उनके कपड़े जब पुराने हो जाएं तो वो उन्हें ग़रीबों में ख़ैरात कर दें। दरमियानी और ग़रीब लोगों को चाहिये कि वो अपने पुराने लिबास को भी इस्तेमाल में रखें। और जब पहनने के क़ाबिल न रहें तो उसे छोड़ दें। पुराने और फटे हुए लिबास को पैवन्द लगाकर इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। एक बुज़ुर्ग ने एक बार एक पुराना बोसीदा कपड़ा पहन रखा था एक मिलने वाले ने हैरत से कहा कि हज़रत ये पुराना कपड़ा क्यों पहन रखा है? तो उन्होंने फ़रमाया अल्लाह जो मुझे अ़ता कर देता है ख़्वाह वो नया हो या पुराना मैं उसी पर गुज़ारा कर लेता हूँ।

हदीस शरीफ़ः हज़रत अबू अमामा अयास बिन सअ़लबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क्या तुम सुनते नहीं? बेशक पुराने कपड़े पहनना ईमान की निशानी है, बेशक पुराने कपड़े पहनना ईमान की निशानी है।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(13) कपड़े को पैवन्द लगानाः- ऐसे हज़रात जिन्हें ज़रूरत के वक़्त नया कपड़ा मयस्सर न आता हो जैसे एहले तक़्वा (परहेज़गार) हज़रात सूफ़िया और औलिया की आमदनी बहुत महदूद (सीमित) होती है। उनके लिये बअ़ज़ वक़्त नया कपड़ा ख़रीदना मुश्किल हो जाता है तो उन्हें चाहिये कि पुराने कपड़े में पैवन्द लगाकर गुज़ारा कर लें। बअ़ज़ वक़्त नया कपड़ा भी किसी वजह से अचानक फट जाता है तो उसे एक दम बरबाद नहीं कर देना चाहिये बल्कि पैवन्द लगाकर इस्तेमाल कर लेना चाहिये। एहले तक़्वा (नेक, परहेज़गार) ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस फ़रमान की ख़ूब पैरवी की। और चालीस-चालीस साल पैवन्द दर पैवन्द लगाकर एक ही लिबास में गुज़ारा किया।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया ऐ आ़यशा! अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो दुनिया से मुसाफ़िर सवार के बराबर ही सामान लेना और अमीरों के पास बैठने से बचना और कपड़े को पुराना न समझना जब तक उसमें पैवन्द न लगा लो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(14) लिबास में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का पसन्दीदा रंगः- लिबास के रंगों में नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग का कपड़ा पसन्द था और आपने अकसर सफ़ेद रंग का कपड़ा ही पहना इसलिये सफ़ेद कपड़ा पहनना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। सफ़ेद कपड़ा पहनने की हिकमत व राज़ ये है कि सफ़ेद कपड़ा हमें ये सबक़ देता है कि ऐ मुझे पहनने वाले! अपने ज़ाहिर और बातिन (अन्दर) को इसी तरह सफ़ेद यानी बेदाग़ रख। और अल्लाह के नूरे मअ़रिफ़त को हासिल कर क्योंकि वो भी सफ़ेद रंग का है गोया कि सफ़ेद लिबास हमें हर तरह की बुराई से बचने की याद दिलाता है। इसी लिये साहिबे शरीअ़त बुज़ुर्ग ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पहनते हैं। हज़रत जुनैद बग़दादी अकसर सफ़ेद लिबास पहना करते थे हज़रत दाता गंज बख़्श का लिबास भी सफ़ेद था। हज़रत सैय्यद अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी ने ज़िन्दगी के ज़्यादातर हिस्से में सफ़ेद लिबास इस्तेमाल किया। एक बुज़ुर्ग अपने मुरीदों को नसीहत किया करते थे कि सफ़ेद लिबास में हुज़ूर की पैरवी है इसलिये सफ़ेद लिबास पहना करो। क्योंकि यह तो मुफ़्त की नेकी है इसे ज़रूर हासिल करते रहना। यानी सफ़ेद लिबास ही ज़िन्दगी

भर पहनते रहना।

हदीस शरीफ़: हज़रत सुमरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा और उ़मदा हैं और अपने मुर्दों को इन्हीं का कफ़न दिया करो। (तिर्मिज़ी शरीफ़, नसई शरीफ़)

हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की मुलाक़ात के लिये मस्जिदों और क़ब्रों में तुम्हारे लिये सबसे बेहतरीन लिबास सफ़ेद लिबास है। (इब्ने माजा)

सफ़ेद रंग के अ़लावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सब्ज़ (हरे) रंग के कपड़ों को भी इस्तेमाल फ़रमाया है क्योंकि सब्ज़ कपड़े बुज़ुर्गी और रूहानियत की निशानी हैं। हज़रत अबू रमसा रुफ़ाआ़ तमीमी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेहतरीन लिबास जिससे तुम अपनी क़ब्रों और मस्जिदों में अल्लाह से मिलो, सफ़ेद है। (इब्ने माजा)

(15) लिबास में आ़जेज़ी:- तवाज़ोअ़ और आ़जेज़ी अल्लाह तआ़ला को बहुत पसन्द है। और जो शख़्स आ़जिज़ी का रास्ता इख़्तियार करता है वह अल्लाह का महबूब बन्दा बन जाता है और ये रास्ता हमेशा अल्लाह के नेक बंदों ने इख़्तियार किया और उन्होंने हमेशा लिबास के सिलसिले में भी तवाज़ोअ़ और आ़जिज़ी इख़्तियार की। हमेशा सादा लिबास पहना और उसे पाक-साफ़ रखने की कोशिश की। ज़्यादा रक़म होते हुए भी कम क़ीमत का आ़म कपड़ा लेकर पहना और वही रक़म जो क़ीमती लिबास पर ख़र्च करना थी, अल्लाह की राह में किसी नेक काम में ख़र्च कर दी लिहाज़ा जो शख़्स लिबास के इस्तेमाल में आ़जिज़ी इख़्तियार करेगा, अल्लाह उसे बहुत बेहतर अज्र अ़ता फ़रमाएगा।

हदीस शरीफ़: सुवैद बिन वहब, नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाब-ए किराम से किसी के साहबज़ादे ने अपने

वालिद से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो ताक़त रखने के बावजूद ख़ूबसूरत कपड़ा पहनना छोड़ दे, एक रिवायत में है कि आ़जेज़ी की वजह से, तो अल्लाह तआ़ला उसे बुज़ुर्गी का जोड़ा पहनाएगा और जो अल्लाह के लिये निकाह़ करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसे बादशाही ताज पहनाएगा। (अबू दाऊद शरीफ़)

हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने हज़रत उ़मर को उस दिन देखा जबकि वह मदीने के ह़ाकिम थे और आ़जेज़ी की वजह से उनके सादा लिबास में कंधों के दरमियान ऊपर-नीचे तीन पैवंद लगे हुए थे। (मुअत्ता इमाम मालिक)

ह़दीस शरीफ़: हज़रत मआ़ज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया : जो शख़्स ताक़त के बावजूद, मह़ज़ आ़जेज़ी के तौर पर उ़मदा लिबास छोड़ दे अल्लाह तअ़ला क़यामत के दिन उसे तमाम मख़्लूक़ात के सामने बुलाकर इख़्तियार देगा कि ईमान का जो जोड़ा चाहे पहन ले। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(16) सुर्ख़ और भड़कीले रंग के कपड़े की मुमानिअ़त:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मर्दों को भड़कीले और सुर्ख़ रंग के कपड़े पहनने से मना फ़रमाया है क्योंकि रंग की तेज़ी और शोख़ी, मिज़ाज में शोख़ी और ज़िद के असरात पैदा करती है जो मर्दों के लिये अ़मली ज़िन्दगी में बेहतर और अच्छी नहीं। इसलिये ऐसा कपड़ा जिसमें कहीं कहीं सुर्ख़ रंग मिला हो तो उसे पहने सकते हैं। साह़िबे शरीअ़त बुज़ुर्गों ने भी सुर्ख़ रंग को पसन्द नहीं किया है। मेरे बुज़ुर्ग भी सुर्ख़ रंग पहनने को पसन्द नहीं करते। लिहाज़ा पूरा सुर्ख़ लिबास मर्दों को नहीं पहनना चाहिये अगर सिर्फ़ सुर्ख़ रंग की धारियाँ बनी हुई हों तो पहन सकता है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि : एक आदमी गुज़रा और उसके कपड़े सुर्ख़ थे। उसने सलाम किया तो नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे जवाब न दिया। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सुर्ख़ कपड़े वाले को जवाब न देना इस पर दलालत करता है कि मर्दों के लिये सुर्ख़ कपड़े पहनने जाइज़ नहीं। इस ह़दीस से ये बात भी साबित होती है कि जो शख़्स

किसी नाजाइज़ चीज़ का करने वाला हो और वह सलाम करे तो वह सलाम का जवाब दिये जाने और इ़ज़्ज़त व ताज़ीम का ह़क़दार नहीं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुर्ख़ रंग के रेशमी गद्दी से मना फ़रमाया है। (शरहुस्सुन्नह)

इस ह़दीस से ये मसअला ज़हिर होता है कि बैठने के लिये सुर्ख़ रंग की गद्दियाँ बनाना भी ख़िलाफ़े सुन्नत हैं। क्योंकि ज़ीन पोश और गद्दी का मक़सद बैठने वाली चीज़ है। इसलिये सौफ़ों और कुर्सियों पर सुर्ख़ रंग की गद्दियाँ न डाला करें।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन अलआ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे ऊपर कुसुम का रंगा हुआ गुलाबी कपड़ा था फ़रमाया कि ये क्या है? मैं जान गया कि ना पसन्द है। मैं गया और उसे जला दिया, नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमने अपने कपड़े का क्या बनाया? मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि उसे जला दिया है। फ़रमया घर में किसी औ़रत को क्यों न पहनाया? क्यों कि औ़रतों के लिये उसे पहनने में कोई ह़रज नहीं है। (अबू दाऊद शरीफ़)

कुसुम एक तरह की रंग पैदा करने वाली चीज़ थी जो अ़रबों में कपड़ा रंगने में काम आती थी उससे रंगे हुए कपड़े सुर्ख़ माइल यानी गुलाबी होते थे। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुर्ख़ रंग से मना फ़रमाया था इसलिये कुसुम से रंगे हुए कपड़ों के इस्तेमाल की मज़म्मत फ़रमाई। इसकी एक वजह तो कुसुम की बू है क्योंकि कुसुम के रंगे हुए कपड़ों से बू आती है और दूसरे ये रंग काफ़िर इस्तेमाल करते थे इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुसुम से मना फ़रमा दिया ताकि काफ़िरों की मुशाबिहत न हो।

(17) लिबास को पाक-साफ़ रखने की ताकीद:- लिबास को साफ़ सुथरा रखना चाहिये लिहाज़ा जब कपड़े मैले हो जाएं तो उन्हें धो लेना चाहिये और लिबास को सलीक़े और तरीक़े से इस्तेमाल करना भी आदाबे लिबास का एक हिस्सा है। लिबास ख़्वाह सादा हो, साफ़ सुथरा हो तो अच्छा मालूम होता है। पहनने वाला बा वक़ार और बा अदब नज़र आता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिये तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक शख़्स के बाल बिखरे हुए हैं फ़रमाया कि क्या इसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने सर को दुरुस्त कर ले। फिर एक आदमी को देखा जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, फ़रमाया कि क्या इसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने कपड़े धोले। (अहमद, नसई)

साफ़ाई और पाकीज़गी इस्लामी ज़िन्दगी का बुनियादी हिस्सा है इसलिये जिस्म की दुरुस्ती और लिबास की सफ़ाई के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फ़रमाई है। लिहाज़ा लिबास को धोते वक़्त उस पर कल्म-ए-शहादत पढ़ें ताकि कपड़ा पाकीज़ा हो जाए।

(18) लिबास में दरमियानी रास्ता :- लिबास पहनने, ख़रीदने और बनाने में हमेशा दरमियानी और बीच की राह इख़्तियार करनी चाहिये यानी लिबास अपनी ताक़त और हैसियत के मुताबिक़ पहनें। ऐसा लिबास न पहनें जिससे फ़ख़्र और नुमाइश ज़ाहिर हो। अच्छा लिबास पहन कर दूसरों को हक़ीर न समझें और न इतराते फिरें। अपनी हैसियत से ज़्यादा क़ीमती लिबास ख़रीद कर पहनना भी दुरुस्त नहीं क्योंकि ये बात फ़ुज़ूल ख़र्ची में आ जाती है यानी ऐसा लिबास पहनें जिससे इन्सान अक़्लमन्द बा इज़्ज़त नज़र आए ज़रूरत के मुताबिक़ कपड़े को पैवन्द लगा लेने में कोई हरज नहीं। मगर अल्लाह का रिज़्क़ होते हुए साफ़ सुथरा लिबास न पहनना और बद हाली ज़ाहिर करना अच्छा नहीं। बल्कि अल्लाह की ना शुक्री होगी।

हदीस शरीफ़: सैय्यदना अबुल अहवस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने अपने वालिद गिरामी से सुना वह इरशाद फ़रमाते हैं कि: मैं सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मते अक़दस में हाज़िर हुआ और आपने मुझे मैले पुराने कपड़ों में देखा तो आपने दरयाफ़्त फ़रमाया कि तुम्हारे पास कुछ माल व सामान है? मैंने अर्ज़ किया हां! हर तरह का माल व दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फ़रमाया है तो सरवरे कौनेन ने इरशाद फ़रमाया जब तुम्हारे पास माल व दौलत है तो उसका असर तुम पर होना चाहिये। (नसई)

हज़रत अबुल हसन अली शाज़ली एक बार निहायत ही उमदा लिबास पहने हुए थे, किसी बदहाल सूफ़ी ने उनके इस ठाट बाट पर

ऐतिराज़ किया कि भला अल्लाह वालों को ऐसा क़ीमती लिबास पहनने की क्या ज़रूरत? हज़रत शाज़ली ने जवाब दिया भाई ये शान व शौकत अ़ज़मत व शान वाले ख़ुदा की ह़म्द व शुक्र का इज़्हार है और तुम्हारी ये बदह़ाली सवाल की सूरत है। तुम ज़बाने ह़ाल से बंदों से सवाल कर रहे हो दर अस्ल दीनदारी का दारोमदार न फटे पुराने पैवन्द लगे घटिया कपड़े पहनने पर है और न लिबासे उ़म्दा पहनने पर। दीनदारी का दारोमदार आदमी की नियत और सही़ सोच पर है। सही़ बात यह है कि आदमी हर मआ़मले में अपनी ताक़त और है़सियत का लिह़ाज़ करते हुए दरमियानी और बराबरी का रास्ता अपनाए न बदह़ाली सूरत बनाकर नफ़्स को मोटा होने का मौक़ा दे और न चमकीले भड़कीले लिबास पहन कर फ़ख़्र व गुरूर दिखाए।

ह़दीस शरीफ़: अ़मर बिन शुऐ़ब, उनके वालिद माजिद, उनके जद्दे अमजद (दादा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला इस बात को पसन्द फ़रमाता है कि उसके बंदे से उसकी नेअ़मत का असर ज़ाहिर हो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियललाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! क्या ये गुरूर और तकब्बुर है कि मैं बेहतरीन और उ़मदा कपड़े पहनूँ? आपने इरशाद फ़रमाया 'नहीं'।बल्कि ये तो ख़ूबसूरती है और ख़ुदा इस ख़ूबसूरती को पसन्द फ़रमाता है। (इब्ने माजा)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ही का बयान है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया नमाज़ में दोनों कपड़े पहन लिया करो (यानी पूरे लिबास से आरास्ता हो जाया करो) ख़ुदा ज़्यादा ह़क़दार है कि उसकी ख़ूबसूरती में आदमी अच्छी तरह बन संवर कर जाए। (मिश्कात)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके दिल में ज़र्रा भर भी गुरूर होगा वह जन्नत में न जाएगा। एक शख़्स ने कहा: हर शख़्स यह चाहता है कि उसके कपड़े उ़मदा हों, उसके जूते उ़मदा हों, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमाया ख़ुदा ख़ुद साहिबे जमाल (हुस्न) है और जमाल को पसन्द करता है। (यानी उ़मदा बेहतरीन पहनना ग़ुरूर नहीं) ग़ुरूर तो दर अस्ल ये है कि आदमी हक़ से बे नियाज़ी बरते और लोगों को हक़ीर व ज़लील समझे।

(मुस्लिम शरीफ़)

(19) एक कपड़ा पहनने की मुमानिअ़त:- इस्लाम ने लिबास के इस्तेमाल में एक बड़ा अहम उसूल और अदब ये सिखाया है कि लिबास को दो हिस्सों में पहनो। यानी जिस्म के ऊपर के हिस्से में एक कपड़ा और जिस्म के नीचे के हिस्से में दूसरा कपड़ा। इससे इन्सान को लिबास पहनने में एक तो आसानी रहती है दूसरे तहज़ीबदार और ख़ूबसूरत मालूम होता है। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस्म को सिर्फ़ एक कपड़े में ढाँकने से मना फ़रमाया हैं क्योंकि जिस्म को सिर्फ़ एक कपड़े में लपेट लेने से न ही काम काज में आसानी पैदा होती है और न ही ज़ाहिरी तौर पर लिबास की ख़ूबसूरती मालूम होती है। इसलिये मजबूरी की हालत में यानी कपड़ा न होने की सूरत में अपने सतर (जिस्म) को एक कपड़े में छुपाना भी दुरुस्त है। मगर आ़म हालत में लिबास होते हुए सिर्फ़ एक कपड़े में बदन को लपेटना मना है।

हदीस शरीफ़: सैय्यदना हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सारे बदन पर कपड़ा लपेट लेने से मना फ़रमाया और ये कि आदमी एक कपड़े में गोट लगाकर कुत्ते की तरह बैठे और उस कपड़े से उसकी शर्मगाह पर कुछ न हो। (नसई शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सारे जिस्म को कपड़े में लपेट लेने और एक कपड़े में गोट मारने से मना फ़रमाया। (नसई शरीफ़)

(20) लिबास में मुशाबहत की मुमानिअ़त:- मर्दों के लिये औ़रतों का सा लिबास और औ़रतों के लिये मर्दों जैसा लिबास पहनना मना है। क्योंकि इससे अख़्लाक़ी हदें ज़ख़्मी होती हैं और दोनों के मक़ाम में कमी आती है। क्योंकि मर्द और औ़रत के लिबास में वज़अ़ क़तअ़ (बनावट) और डिज़ाइन में बड़ा फ़र्क़ होता है इसलिये एक दूसरे के लिबास पहनने से मर्द औ़रत मालूम होने लगेगा। और औ़रत मर्द नज़र

आने लगेगी। इसलिये जिन्स (लिंग) की पहचान में धोके का ख़तरा होने लगेगा। जिससे मर्द और औरत की पहचान और वक़ार ख़राब हो जाएगा। इन वजहों की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को औरत से और औरत को मर्द से मुशाबहत इख़्तियार करने से मना फ़रमाया है इसके बारे में चन्द अहादीस हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया:रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फ़रमाई है जो औरतों जैसा लिबास पहने और उस औरत पर जो मर्दों जैसा लिबास पहने। (अबू दाऊद)

हदीस शरीफ़: इब्ने अबी मुलईका से रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा गया कि औरत मर्दों जैसे जूते पहनती है। फ़रमाया कि मर्दों से मुशाबिहत करने वाली औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फ़रमाई है।

(अबू दाऊद शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि एक औरत ने पर्दे के पीछे से इशारा किया जिसके हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये ख़त था नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और फ़रमाया मुझे नहीं मालूम कि ये मर्द का हाथ है या औरत का? अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह औरत का। फ़रमाया कि अगर तुम औरत हो तो अपने नाख़ूनों का रंग मेहंदी के साथ बदलो। (अबू दाऊद, नसई)

औरतों का लिबास

औरत का मतलब है छुपी हुई। यानी अस्ल में वही औरत है जो अपने आप को छुपाए। लिहाज़ा औरत को ऐसा लिबास पहनना चाहिये जिससे वह अपने आप को सिवाए चेहरे, हाथ और पाँव को छुपा ले। लिहाज़ा औरत को ऐसी क़मीस पहननी चाहिये जिसके बाजुओं की आस्तीन हाथों के पहुचों तक हो यानी सिर्फ़ हाथ नंगे रहें।ऐसे ही ऐसी शलवारें पहनें जो पाँव के टख़्नों के नीचे तक हों जिनसे पिण्डलियाँ नज़र न आ सकें लिहाज़ा जो औरत इस्लाम के इस उसूल के ख़िलाफ़ कोई कपड़ा पहनेगी वह गुनहगार होगी। औरतों को लिबास पहनते हुए हस्बे ज़ैल आदाब को मद्दे नज़र रखना चाहिये।

1. औरत को चाहिये कि इतना बारीक कपड़ा न पहने जिससे जिस्म के अंग नज़र आएं। क्योंकि बारीक लिबास पहनने से शरीअत के हिसाब से छुपाना क़ायम नहीं होगा लिहाज़ा ऐसा कपड़ा पहनने का क्या फ़ायदा इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बारीक लिबास पहनने से मना फ़रमाया।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हज़रत असमा बिन्त अबू बक्र हाज़िर हुई और उनके ऊपर बारीक कपड़ा था तो आपने उनसे मुँह फेर लिया। और फ़रमाया ऐ असमा जिस वक़्त औरत बालिग़ा हो जाए तो उसके लिये दुरुस्त नहीं है कि उनका कोई हिस्सा नज़र आए अलावा इसके और अपने चेहरे और हथेलियों की तरफ़ इशारा फ़रमाया। (अबू दाऊद शरीफ़)

मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो क़िस्म के लोग दोज़ख़ी होंगे जिनको अभी मैंने देखा नहीं। एक वह लोग हैं जिनके साथ गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे जिससे वह लोगों को मारेंगे यानी हाकिम बनकर ज़ुल्म करेंगे और दूसरे वह औरतें जो ज़ाहिर में ऐसे कपड़े पहने होंगी जिससे लोगों को अपनी ओर माइल (आकर्षित) करेंगी और फ़साने करने वाली होंगी और ख़ुद भी मर्दों की तरफ़ माइल होंगी और उनकी तरफ़ चाहत करेंगी और उनके सर ऊँट के कोहान की तरह एक जानिब झुके होंगे वह जन्नत में दाख़िल न होंगी और न उसकी ख़ुशबू पाएंगी हालांकि जन्नत की ख़ुशबू

बहुत दूर से पाई जाएगी।

बारीक लिबास आ़ज़ा (अंग) को पूरी तरह छुपाता नहीं जिससे लिबास पहनने का मक्सद हल नहीं होता बल्कि बारीक लिबास पहनने वाला एक तरह का नंगा ही होता है जिससे बेशर्मी और बे हयाई को बढ़ावा मिलता है इसलिये बारीक लिबास पहनने से मना फ़रमाया गया है।

2. बारीक क़मीस और शलवार की तरह औ़रत को बारीक दुपट्टा भी नहीं ओढ़ना चाहिये क्योंकि बारीक दुपट्टे से औ़रत के सर के बाल नज़र आएंगे, गर्दन नज़र आएगी जिससे दुपट्टा लेने का मक्सद पूरा न होगा इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने औ़रतों को ताकीद फ़रमाई कि बारीक दुपट्टा न लें बल्कि मोटा दुपट्टा लें जिससे सर नज़र न आए जो देखने वाले के लिये फ़ितने का ज़रिया न बने।

हदीस शरीफ़: अ़लक़मा बिन अबू अ़लक़मा से रिवायत है कि उनकी वालिदा माजिदा ने फ़रमाया कि हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की ख़िद्मत में हज़रत हफ़सा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान हाज़िर हुई जिनके ऊपर बारीक दुपट्टा था, तो हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने उसे फाड़ दिया और उन्हें मोटा दुपट्टा उढ़ा दिया। (मुसनद इमाम मालिक)

3. औ़रतों के लिये नंगा लिबास पहनना और बनाना भी मना है। फ़ैशन के तौर पर बअ़ज़ औ़रतें ऐसी क़मीसे पहनती हैं जिनके गले खुले होते हैं और जिस्म के सामने का ज़्यादातर हिस्सा नंगा होता है और बाज़ू पूरे नहीं होते। जिससे बाज़ुओं का ज़्यादा हिस्सा नंगा रहता है। ऐसे ही शलवार की जगह पर स्कर्ट जिससे पिण्डलियाँ नंगी रहती हैं ऐसा हर लिबास जिससे औ़रत के जिस्म का कोई हिस्सा जिसे छुपाना ज़रूरी है, नंगा रहे तो औ़रत के लिये उस लिबास का पहनना हराम है। ऐसे ही चुस्त और टाइट लिबास पहनना भी दुरुस्त नहीं जिससे जिस्म के अंग, उभार ज़ाहिर हों।

अलमबसूत में हज़रत उ़मर से रिवायत है कि अपनी औ़रतों को ऐसे कपड़े मत पहनाओ जो जिस्म पर इस तरह चुस्त हों कि सारे जिस्म की हेअत नुमायाँ हो जाए। मुसलमान औ़रत को इस्लाम ने शर्म व हया क़ायम करने का दर्स दिया है और चुस्त कपड़े पहनने से हया ख़त्म होती है।इसलिये टाइट लिबास पहनने से मना किया गया है।

4. मर्दों को टख़्नों से नीचे कपड़ा करना मना है मगर औ़रतों को इजाज़त है कि टख़्नों से नीचे तक अपनी शलवार को लटका सकती हैं। इससे मालूम

हुआ कि उनके लिये पिण्डलियों को नंगा रखना दुरुस्त नहीं। क्योंकि औ़रत के लिये ऐसा लिबास पहनना ज़रूरी है जिससे जिस्म के छुपाने वाला ह़िस्सा नंगा न रहे।

ह़दीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब इज़ार (पैजामा-शलवार) का ज़िक्र फ़रमाया तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने दरयाफ़्त किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! फिर औ़रतें क्या करें? हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया औ़रतें एक बालिश्त लटकाएं। उन्होंने अ़र्ज़ किया इस क़द्र लटकाने से तो उनके पाँव खुल जाएंगे, सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया तो वो एक हाथ बढ़ा लें इससे ज़्यादा न करें। (नसई श़रीफ़)

5. औ़रत के लिये रेशमी और ख़ूबसूरत लिबास पहनना जाइज़ है क्योंकि औ़रत को शरीअ़त के दायरे के अन्दर रहकर रौनक़ व ज़ीनत करने की इजाज़त है। रेशमी लिबास का इस्तेमाल औ़रत के लिये इसलिये जाइज़ क़रार दिया गया है कि उसे पहनकर उसकी ज़ीनत व ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा हो जिससे हर मर्द अपनी बीवी की तरफ़ माइल रहे ताकि किसी ग़ैर औ़रत को देखने से बच जाए।

ह़दीस शरीफ़: जुहरी का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उम्मे कुल्सूम बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि उनके ऊपर सुर्ख़ रेशमी चादर थी। (बुख़ारी शरीफ़)

ऐसी औ़रत जिसकी माली ह़ैसियत बहुत बेहतर हो और वो आसानी से बेहतर, उ़म्दा और ज़ीनत व सिंगार का लिबास पहन सकती हो मगर उसके बावजूद सादगी इख़्तियार करे तो अल्लाह तआ़ला ऐसी औ़रत को आख़िरत में बुलन्द मक़ाम अ़ता फ़रमाएगा।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सोना और रेशम मेरी उम्मत की औ़रतों पर ह़लाल फ़रमाया गया है। और उसके मर्दों पर ह़राम किया गया है। (तिर्मिज़ी शरीफ़, नसई शरीफ़)

सुर्ख़ और शोख़ रंग और ज़र्क़ बर्क़ पोशाक औ़रतों के ही लिये जाइज़ और दुरुस्त हैं।

नबी-ए-अकरम ﷺ का लिबास

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत मुबारक थी कि जो सीधा सादा कपड़ा मयस्सर आता, इस्तेमाल फ़रमा लेते और किसी ख़ास किस्म के कपड़े की तलाश में न रहते और किसी हाल में उ़मदा व बेहतर की ख़्वाहिश न फ़रमाते यानी जो लिबास ज़रूरत को पूरा कर देता उसी पर गुज़ारा फ़रमाते कभी-कभी आपने क़ीमत और उ़म्दा लिबास भी पहना मगर जल्द ही उसे उतारकर किसी को इनायत कर दिया ताकि उम्मत के लिये उ़मदा लिबास पहनने का जवाज़ व दलील रहे।

आप आ़मतौर से चादर, क़मीस और तहबंद पहनते थे जो कि सख़्त और मोटे कपड़े के होते। बयान है कि आपकी चादर में बहुत से पैवन्द लगे होते थे जिसे आप ओढ़ा करते थे। और फ़रमाते मैं बंदा ही हूँ और बंदों जैसा ही लिबास पहनता हूँ।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दत लिबास के सिलसिले में बे मिसाल थी जो मिल गया पहन लिया। यानी उ़मदा और घटिया दोनों तरह का लिबास इस्तेमाल किया।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिबास के बारे में हज़रत शाह अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन्नुबुव्वत में ज़िक्र फ़रमाया है कि लिबास के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तकल्लुफ़ के क़ाइल न थे जो मिल जाता इस्तेमाल फ़रमा लेते। और ये रास्ता इख़्तियार न करते कि फ़लां लिबास ज़रूर मिलना चाहिये और न ही लिबास के हुसूल के लिये ज़्यादा जुस्तजू फ़रमाते और किसी हाल में उ़मदा व अच्छा लिबास की ख़्वाहिश न फ़रमाते और न किसी लिबास को अदना और हक़ीर समझकर छोड़ते जो कुछ मयस्सर आ जाता उसे पहन लेते और जो लिबास ज़रूरत को पूरा कर देता उसी पर गुज़ारा कर लेते। अकसर हालतों में चादर, कुर्ता और तहबंद होता जो कि सख़्त और मोटे कपड़े के होते। रंग के ऐतिबार से ज़्यादातर आपने सफ़ेद रंग का लिबास इस्तेमाल फ़रमाया है। बनावट के लिहाज़ से सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े इस्तेमाल फ़रमाए हैं। आपने कपड़ा पहनने में हमेशा सादगी को नज़र में रखा और दाएं जानिब से पहना। तहबंद को हमेशा पाँव के टख़्नों से ऊपर रखा। कपड़ा पहनते वक़्त अकसर आप दुआ़ पढ़ा करते थे। पहले कुर्ता पहनते फिर तहबंद बाँधते। जब कपड़े उतारते तो पहले बिस्मिल्लाह

शरीफ़ पढ़ते और फिर उल्टी तरफ़ से उतारते। नया कपड़ा आ़मतौर से जुमे के रोज़ पहनते। यही वजह है कि जुमा के दिन नया कपड़ा पहनना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कपड़े उतारते तो उन्हें तय करके रख देते। गोया कि आपने लिबास को निहायत ही उ़मदा अन्दाज़ में इस्तेमाल फ़रमाया है जिसमें शाने क़नाअ़त (जो मिल गया उस पर राज़ी) और शाने पाकीज़गी क़ायम रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी ज़िन्दगी में जिस तरह का लिबास इस्तेमाल फ़रमाया उसकी तफ़सील हस्बे ज़ैल है:-

(1) क़मीसः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पहनने के लिबास में कुर्ते को ज़्यादा पसन्द फ़रमाया। और ज़िन्दगी भर कुर्ता ही इस्तेमाल किया। कुर्ते में जिस्म अच्छी तरह छुप जाता है और ज़ाहिरी तौर पर दिलकश महसूस होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का कुर्ता सूत का बना होता था जिसकी लम्बाई दरमियाना होती थी और उसकी आस्तीन भी ज़्यादा लम्बी न होती थी आपके कुर्ता इसतेमाल करने के बारे में अहादीस हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को क़मीस सब कपड़ों से ज़्यादा पसन्द थी। (अबू दाऊद शरीफ़)

हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क़मीस सूती और आस्तीन वाला था और क़मीस पर तुकमले (घुण्डी) लगे हुए थे। बेजोरी ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक ही क़मीस थी। चूँकि हज़रत आ़यशा से एक रिवायत में बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मअ़मूल सुबह के खाने से शाम के लिये बचाकर रखने का न था न शाम के खाने में से सुबह के लिये बचाकर रखने का था और कोई कपड़ा यानी चादर या लुंगी या जूता दो अ़दद न थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत असमा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़मीस मुबारक की आस्तीन पहुचों तक होती थी। (तिर्मिज़ी शरीफ़, अबू दाऊद शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़मीस बाजुओं की तरफ़ से हाथ के पहुचों तक हुआ करती थी और जिस्म पर लम्बाई में ज़्यादा तर

घुटनों से ऊपर और कभी घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक होती। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसी क़मीस पहनते थे जो लम्बाई में टख़्नों से काफ़ी ऊपर और आस्तीन हाथ के नीचे तक होती।

हदीस शरीफ़: मआ़विया बिन क़ुर्रह से रिवायत है कि उनके वालिद माजिद ने फ़रमाया मैं मुज़ैना के एक वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल) के साथ नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। पस उन्होंने आपसे बैत (वादा) की और आपकी क़मीस मुबारक के बटन खुले हुए थे मैंने अपना हाथ आपकी क़मीस के गिरेबान में दाख़िल किया और मुहरे नुबुव्वत को छू लिया। (अबू दाऊद शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगी हुई क़मीस ज़रीअ़ए बरकत बन जाती थी ख़साइसे कुबरा में इब्ने अ़दी मुहम्मद बिन जाफ़र से रिवायत है कि सनान बिन तलक़ ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझे अपनी क़मीस का एक टुकड़ा दे दीजिये मैं इसको बरकत के लिये संभाल कर अपने पास रखूँगा। मुहम्मद बिन जाफ़र कहते हैं कि मेरे बाप ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़मीस का वह टुकड़ा अजदाद (बाप-दादा) से मेरे हाथ आया तो हम क़मीस के उस टुकड़े को मरीज़ों को धोकर पिला देते हैं तो उसकी बरकत से शिफ़ा हासिल हो जाती है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़मीस की बरकत का एक और वाक़ेआ़ मुस्तदरक हाकिम और हुलियतुल औलिया में यूँ बयान हुआ है कि हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि: जब फ़ातिमा बिन्ते असद वालिद-ए-माजिदा हज़रत अ़ली का इन्तिक़ाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उनके कफ़न मुबारक में अपनी क़मीस मुबारक दे दी। इसी दौरान हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी, हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब और एक हब्शी ग़ुलाम को बुलाकर क़ब्र खोदने का हुक्म दिया। फिर आपने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और क़ब्र पर तशरीफ़ लाकर उसको बड़ा और बराबर करवाया और ख़ुद क़ब्र में लेटकर उसकी कुशादगी (लम्बाई-चौड़ाई)देखी और फ़रमाया कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जो ज़िन्दा करता और मारता और वो ख़ुद ब ख़ुद ज़िन्दा है कभी नहीं मरेगा। ऐ अल्लाह! मेरी अम्मी फ़ातिमा बिन्त असद को बख़्श दे और उसको उसकी हुज्जत (दलील) यानी

मुन्कर नकीर के सवालात के जवाबात ख़ूब समझा दे और उसकी क़ब्र को कुशादा (बड़ा) करदे और अपने नबी के तुफ़ैल और उन नबियों के तुफ़ैल जो मुझसे पहले हुए, बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जब आप क़ब्र से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपकी आँखें आँसुओं से तर थीं और दफ़न से फ़ारिग़ होकर जब वापस चले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! आज आपने जो इस औरत से सुलूक किया वो किसी और से कभी करते नहीं देखा। फ़रमाया ऐ उमर! ये मेरी माँ के बाद माँ थीं फिर फ़रमाया कि मैंने अपना क़मीस इसलिये इसे पहनाया है ताकि अल्लाह इसको जन्नत का जोड़ा पहनाए और क़ब्र में इसलिये लेटा कि इस पर नर्मी व आसानी हो और इसे सुकून हासिल हो।

इन अहादीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में क़मीस पहनना सुन्नत है जिसका बेहद सवाब मिलेगा। इसलिये बेशुमार बुज़ुर्गाने दीन और सूफ़िया-ए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अ़मल पैरा रहे हैं।

(2) तहबंदः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने जिस्मे पाक के छुपाने के लिये तहबंद इस्तेमाल किया करते थे। आप अकसर सफ़ेद चादर को बतौर तहबंद बाँधते और टख़्नों से ऊपर रखते। एक रिवायत के मुताबिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तहबंद चार हाथ लंबा और दो हाथ और एक बालिस्त चौड़ा होता था, कभी आपने सुर्ख़ धारी दार और सब्ज़ (हरा) धारीदार चादर भी बतौर तहबंद के इस्तेमाल फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़ः हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पैवंदों वाला कम्बल और एक मोटा तहबंद हमारे सामने निकाला और फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इन दोनों कपड़ों में विसाल हुआ था। (मुस्लिम शरीफ़)

इस हदीस से ये बात ज़ाहिर होती है कि तहबंद का इस्तेमाल पैरवीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम है और हुज़ूर की बहुत की जाने वाली सुन्नत है, ख़ुलफ़ाए राशिदीन, दीगर सहाब-ए किराम और औलिया-ए- इस्लाम और उलमा-ए-हक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर ख़ुद अ़मल किया और दूसरों को सुन्नत की पैरवी का सबक़ दिया। जो शख़्स ख़ुद अ़मल न करे तो उसकी दावत का असर नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पहले ख़ुद अ़मल

करते तो देखने वाले भी उसी पर अ़मल करना शुरु कर देते।

तहबंद के इस्तेमाल में एक चीज़ जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अ़मल किया और दूसरों को भी अ़मल पैरा होने की ख़ूब-ख़ूब नसीहत फ़रमाई, वो है तहबंद का टख़्नों से ऊपर तक होना इसलिये टख़्नों से ऊपर तक तहबंद बाँधना सुन्नत है। टख़्नों से नीचे तहबंद को लटकाना क़ाबिले मज़म्मत है बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बारे में इस बात की वज़ाहत फ़रमा दी है कि जो शख़्स टख़्नों से नीचे अपना तहबंद लटकाएगा वो आख़िरत में सज़ा पाएगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: तहबंद पिण्डलियों तक होना चाहिये जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त होता है वहाँ तक। अगर इससे ज़्यादा चाहो तो और नीचा सही और अगर इससे भी ज़्यादा नीचा करना चाहो, तो फिर नीचे पिण्डलियों के आख़िर तक। फिर भी टख़्नों को इज़ार (तहबंद, पैजामा) के अन्दर नहीं होना चाहिये।

उ़बैद बिन ख़ालिद से रिवायत है कि एक दिन मैं मदीना मुनव्वरा में जा रहा था कि एक शख़्स मुझे पीछे से कह रहा था कि अपने तहबंद को ऊँचा करो। इसे बचाओ ये बाक़ी रहने वाला है। जब मैंने उस आवाज़ देने वाले पर नज़र की तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे। तो मैंने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! ये तो सिर्फ़ धारी दार सफ़ेद चादर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा तरीक़ा तेरे लिये नमूना नहीं है? जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ देखा तो आपका तहबंद आधी पिण्डली तक था। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रा और मेरी इज़ार (पैजामा या तहबंद) में लम्बाई थी, फ़रमाया कि ऐ अ़ब्दुल्लाह! अपनी इज़ार उठा लो। पस मैंने उठा ली, फिर फ़रमाया कि और उठाओ, मैंने और उठाली, इसके बाद मैं हमेशा कोशिश करता रहा। बअ़ज़ लोगों ने कहा कि कहाँ तक ? कहा आधी पिण्डलियों तक। (मुस्लिम शरीफ़)

तहबंद को लटकाने की दो सूरतें हैं। पहली तो ग़ुरूर और तकब्बुर की बिना पर लटकाना है। जहाँ तक इसका तअ़ल्लुक़ है तो वह नाजाइज़ है।

दूसरी सूरत ज़रूरत और मजबूरी की बिना पर तहबंद या शलवार का टख़्नों से नीचे करना है इसमें कुछ हरज नहीं मगर नमाज़ टख़्नों को नंगा करके ही पढ़नी चाहिये यानी तहबंद का टख़्नों पर कोई हक़ नहीं इनका नमाज़ के वक़्त नंगा रहना ज़रूरी है। ज़रूरत और मजबूरी से नमाज़ की हालत के अ़लावा टख़्नों को ढाँक लेने से नाफ़रमानी नहीं। ज़ख़्म हो या कोई तकलीफ़ हो या सर्दी के सख़्त मौसम में पिण्डलियों और टख़्नों को नंगा तो नहीं रखा जा सकता इस सूरत में उन पर कपड़ा डाला जा सकता है।

तहबंद बाँधने के बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास का बयान है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नाफ़ के नीचे तहबंद बाँधे देखा। इन्हीं से तहबंद बाँधने के बारे में एक और रिवायत यह है:-

हदीस शरीफ़: इकरमा से रिवायत है कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा को देखा कि इज़ार (तहबंद या पैजामा) बाँधते तो सामने की जानिब से उसका किनारा अपनी क़दमों की पीठ पर रखते और पीछे से ऊँची रखते। मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि आप इस तरह इज़ार क्यों बाँधते हैं? फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी तरह इज़ार बाँधते हुए देखा है। (अबू दाऊद शरीफ़)

(3) शलवार:- रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुद शलवार पहनी है या नहीं इस बारे में मुहद्दिसीन का इख़्तिलाफ़ है बअ़ज़ का कहना है कि यक़ीनन पहनी है अ़ल्लामा शम्नी ने शरह शिफ़ा में लिखा है कि शलवार पहनी है।

अबू यअ़ला मूसली अपनी मुसनद में ब सनदे ज़ईफ़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत लाते हुए बयान करते हैं कि मैं हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हमराह एक दिन बाज़ार गया तो हुज़ूर कपड़े वाले की दुकान में तशरीफ़ फ़रमा हुए फिर एक पाजामा चार दिरहम में ख़रीदा और बाज़ार वालों का एक वज़्ज़ान यानी तौलने वाला था। उससे हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया वज़न कर और ख़ूब अच्छी तरह ठीक वज़न कर। इस पर उस वज़्ज़ान ने कहा मैंने ये बात किसी से नहीं सुनी। अबू हुरैरा ने वज़्ज़ान से फ़रमाया अफ़सोस है तुझ पर तू नहीं जानता आप हमारे नबी हैं। फिर तो वह तराज़ू छोड़कर हुज़ूर के हाथ मुबारक की तरफ़ झुका और चाहा कि हुज़ूर के हाथ मुबारक को बोसा दे। मगर हुज़ूर ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और फ़रमाया ऐ फलां! ऐसा अ़जमी (ग़ैर अ़रबी) लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं, मैं बादशाह नहीं हूँ। मैं

तुम्ही मैं से एक शख़्स हूँ और हुज़ूर ने पाजामा ले लिया। अबू हुरैरा फ़रमाते हैं कि मैंने चाहा कि मैं उठा लूँ फ़रमाया माल का मालिक ज़्यादा हक़दार है कि वह खुद अपने माल को उठाए मगर यह कि वह कमज़ोर या मजबूर हो और उठाने की ताक़त न रखता हो तो ऐसे मुसलमान भाई के ले जाने में मदद करनी चाहिये। अबू हुरैरा फ़रमाते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क्या पहनने के लिये पाजामा खरीदा है? फ़रमाया हां! मैं इसे सफ़र व घर और दिन-रात में पहनूँगा। इसलिये कि मुझे ख़ूब बदन छुपाने का हुक्म दिया गया है और इससे बेहतर जिस्म छुपाने वाला दूसरा लिबास नहीं देखा। इस ह़दीस को बकसरत मुह़द्दिसीन ने ब सनद ज़ईफ़ रिवायत किया है लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इसको ख़रीदना सह़ी सुबूत के साथ साबित है और हिदाया में है कि इसका ख़रीदना पहनने के लिये था। रिवायत किया गया है कि हुज़ूर ने उसे पहना और आपकी इजाज़त से सह़ाबा ने भी पहना। और अल्लाह ही बेहतर जानता है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मैदाने अ़रफ़ात में ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख़्स को तहबंद न मिले वह शलवार पहने और जिसको चप्पल न मिले वो मोज़े पहन ले। (नसई शरीफ़)

(4) कम्बल:- कम्बल का इस्तेमाल भी इस्लामी नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी-कभी कम्बल इस्तेमाल फ़रमाया है यानी मौसम के लिह़ाज़ से सर्दी में कम्बल लिया करते थे। ये कम्बल ऊन का बना होता था इसलिये कम्बल ओढ़ना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक बेल बूटों वाले कम्बल में नमाज़ अदा फ़रमाई। नमाज़ के दौरान बेल बूटों पर नज़र पड़ी तो आपने नमाज़ के फ़ौरन बाद फ़रमाया कम्बल अबू जुहम को दे आओ और उनका सादा कम्बल मेरे पास ले आओ क्योंकि ये कम्बल नमाज़ में अपनी तरफ़ दिल फेर सकता है और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (आ़जेज़ी) में रुकावट का सबब बन सकता है इसलिये आपने वह कम्बल अबू जुहम को देकर सादा कम्बलओढ़ लिया।

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि

महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आप ने ऊन से बना हुअ

की दलील है इसलिये बअ़ज़ सूफ़िया-ए किराम ने सब्ज़ कपड़े के इस्तेमाल को इख़्तियार फ़रमाया।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप एक चादर में लिपटे हुए थे और उसका फुंदना आपके मुबारक क़द्मों पर पड़ा हुआ था। (अबू दाऊद शरीफ़)

एक चादर में लिपटने से मुराद लिबास के ऊपर से चादर का ओढ़ना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत हिलाल बिन आ़मिर से रिवायत है कि उनके वालिद माजिद ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिना में खच्चर पर ख़ुत्बा देते हुए देखा जबकि आपके ऊपर सुर्ख़ चादर थी और हज़रत अ़ली आपके सामने इरशादाते आ़लिया का मतलब बयान कर रहे थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

बअ़ज़ इमाम हज़रात ने सुर्ख़ चादर से मुराद ऐसी सफ़ेद चादर को लिया है जिसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये काली चादर बनाई गई। आपने उसे इस्तेमाल किया, जब पसीना आता तो उसमें से ऊन की बू आती तो उसे फेंक दिया। (अबू दाऊद शरीफ़)

अलवफ़ा में एक रिवायत हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक मर्तबा काली चादर ओढ़े हुए थे तो मैंने अ़र्ज़ किया कि ये आपके जिस्म पर ख़ूब लग रही है आपकी रंगत मुबारक की सफ़ेदी इसकी स्याही में यूँ नज़र आती है जैसे काले बादलों के दरमियान सूरज चमक रहा हो।

इन अहादीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़ेद धारी दार, सब्ज़ और सियाह धारी दार चादरों को इस्तेमाल किया है लिहाज़ा सुर्ख़ रंग को छोड़कर बाक़ी तीनों रंगों की चादरों को इस्तेमाल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस में सुर्ख़ कपड़ा पहनने की मुमानिअत आई है चुनान्चे सुर्ख़ चादर के बारे में मुफ़्तियाने किराम व उलमाए इस्लाम का इख़्तिलाफ़ है इसकी वज़ाहत के बारे में शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन्नुबुव्वत में ज़िक्र फ़रमाया है कि बअज़ लोगों को इस हदीस से शुबह होता है कि सुर्ख़ लिबास जाइज़ होगा। ये ख़ता है सुर्ख़ से मुराद वही है कि सुर्ख़ धारियाँ थीं इसी तरह सब्ज़ रंग के बारे में हज़रत रमशा की हदीस वाक़ेअ है वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है आपके जिस्मे पाक पर दो सब्ज़ चादरें थीं। और अता बिन अबी यअला अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप तवाफ़ में सब्ज़ चादर से इज़्तिबाग़ किये हुए थे। इससे मुराद ऐसी चादर है जिसमें सब्ज़ धारियाँ थीं। अगरचे ये जगह ख़ालिस सब्ज़ होने का भी गुमान रखती है। लेकिन अरब में यही मअना मशहूर व मअरूफ़ हैं और ज़र्द रंग भी इसी मअना में है कि ज़र्द रंग की धारियाँ थीं क्योंकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख़ लिबास से मना फ़रमाया है। सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है वह बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म पर सुर्ख़ रंग का लिबास देखकर फ़रमाया ये काफ़िरों का लिबास है इसे न पहनो। अब्दुल्लाह बिन अमर व बिन अलआस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है वह फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ उस वक़्त मेरे जिस्म पर सुर्ख़ रंग का लिबास था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुमने इसे कहाँ से लिया है? मैंने अर्ज़ किया मेरी बीवी ने मेरे लिये बुना है, फ़रमाया इसे जला दो।

चादर के अता करने का एक वाक़ेआ:- हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया एक औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मत में एक चादर लेकर हाज़िर हुई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! मैंने अपने हाथ से ये बुनी है ताकि सरकार को पहनाऊँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर की ज़रूरत को समझते हुए ले लिया। थोड़ी देर में उसे पहने हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए इतने में फ़लां शख़्स जो फ़लां का बेटा था आया और अर्ज़ गुज़ार हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! ये कितनी

ख़ूबसूरत चादर है इसे तो मुझे दे दीजिये, हुज़ूर ने फ़रमाया अच्छा, जब अन्दर तशरीफ़ ले गए तो उस चादर को तय करके उसके पास भेज दिया लोगों ने उस शख़्स से कहा, ख़ुदा की क़सम! तू ने बहुत बुरा किया कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ये चादर माँग ली। हालांकि ताजदारे मदीना को इसकी बहुत सख़्त ज़रूरत थी। उस शख़्स ने जवाब दिया ख़ुदा की क़सम! मैंने ये चादर सरकारे मदीना से पहनने के लिये नहीं माँगी, मैंने तो इसलिये माँगी है कि मुझे इसमें कफ़न दिया जाए। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं जिस दिन उस शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ तो उसे उस चादर में दफ़नाया गया। (इब्ने माजा)

(7) अ़मामाः- अ़मामा (साफ़ा) बाँधना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुद अ़मामा बाँधा करते थे। सहाब-ए किराम और बुज़ुर्गाने दीन ने भी हुज़ूर के इस अ़मल की पैरवी की है। अ़मामा टोपी पर बाँधना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम टोपी पर अ़मामा बाँधा करते थे क्योंकि सर का तेल वग़ैरा उसे लग जाता है और अ़मामा साफ़ सुथरा रहता है। अ़मामा बाँध कर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़मामे की लम्बाई कभी छैः सात हाथ होती और कभी बारह हाथ होती इस पर इमाम नुव्वी ने कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दो अ़मामे थे एक की मिक़्दार सात हाथ और दूसरा बारह हाथ लम्बा था। अ़मामा बाँधने के बारे में शरीअ़त के अहकाम हस्बे ज़ैल हैं:-

(1) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अ़मामाः- नूरुल अबसार में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़ेद, सियाह (काला) और सब्ज़ रंग का अ़मामा इस्तेमाल फ़रमाया है बअ़ज़ सीरत की किताबों में सब्ज़ की बजाए ज़र्द (पीला) लिखा है मगर ज़्यादातर सफ़ेद अ़मामा ही पहना।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़मर बिन हुरैस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ख़ुत्बा दिया तो उस वक़्त आपने सर पर सियाह (काला) अ़मामा पहना हुआ था। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब फ़तह (विजय) मक्का के रोज़ शहर में दाख़िल हुए तो आप उस वक़्त अपने सर पर सियाह अ़मामा पहने हुए थे।

(2) अ़मामा बाँधने का हुक्म:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अ़मामा बाँधने की ताकीद भी फ़रमाई कि टोपी के ऊपर अ़मामा बाँधा करो क्योंकि मुशरिक (काफ़िर) बग़ैर टोपी के अ़मामा पहनते थे। इसलिये तुम टोपी पर पहनो इससे ये मसअला भी हल होता है कि टोपी पहनना भी दुरुस्त है।

हदीस शरीफ़: हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हमारे और मुश्रिकों के दरमियान टोपियों पर अ़मामे बाँधने का फ़र्क़ है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(3) शमले को कंधे के दरमियान रखना:- हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आ़दते शरीफ़ा शमले यानी कमर पर अ़मामे के लटकने वाले कपड़े के बारे में मुख़्तलिफ़ रही है। शमला छोड़ने का मअ़मूल ज़्यादातर था यहाँ तक कि बाज़ उ़लमा ने यहाँ तक लिख दिया कि बग़ैर शमला के बाँधना साबित ही नहीं लेकिन मुहक़्क़िक़ीन की राय ये है कि कभी शमला छोड़े भी अ़मामा बाँध लेते थे और शमला छोड़ने में भी मुख़्तलिफ़ मामूल रहा है और कभी आगे दाएं जानिब कभी पीछे दोनों मूँढों के दरमियान शमला छोड़ते थे कभी अ़मामे के दोनों सिरे शमले के तरीक़े पर छोड़ लेते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब अ़मामा बाँधते तो शमला दोनों कंधों के दरमियान रखते। (तिर्मिज़ी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अ़मामा बाँधा तो शमला मेरे आगे और पीछे रखा। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) शमला बाँधने का अदब:- बंधे हुए अ़मामे को खोल कर दोबारा बाँधना पड़े तो उसे खोल कर ज़मीन पर न रखें बल्कि उसे एहतराम से खोल कर रखें और पेच-पेच कर लें। जब घर में आकर या किसी मुक़ाम पर अ़मामा उतार कर रखना हो तो बिस्मिल्लाह कह कर उसे उतार लो और जब पहना जाए तो भी बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ी जाए।

सुन्नत दाढ़ी

दाढ़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की महबूब व प्यारी सुन्नत है लिहाज़ा हर मुसलमान को दाढ़ी रखना ज़रूरी है। दाढ़ी पहले अंबिया-ए किराम की भी सुन्नत है। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया था और आप तौबा के सिलसिले में कुछ शर्मिन्दगी के आ़लम में फिरते रहे उस अ़रसे के दौरान आपकी दाढ़ी मुबारक बढ़ गई जो अल्लाह को पसन्द आई तो उस वक़्त से लेकर औलादे आदम के लिये दाढ़ी को बढ़ाना महबूब (प्यारा) क़रार दिया गया। दाढ़ी रखने के आदाब और सुन्नतें हस्बे ज़ैल हैं:-

(1) दाढ़ी रखना सुन्नत है:- दाढ़ी मुसलमान का ख़ास निशान है। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वह दाढ़ी रखें क्योंकि दाढ़ी बढ़ाना फ़ितरत (तबीअ़त) में दाख़िल है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि दस चीज़ें फ़ितरत में से हैं। उनमें दाढ़ी का बढ़ाना भी शामिल है। दाढ़ी बढ़ाना तमाम अंबिया-ए किराम की भी सुन्नत है क्योंकि तमाम ने दाढ़ी रखी है और मूछें कम करवाई हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुशरिकों (काफ़िरों) की मुख़ालिफ़त करो यानी दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें कम करो। एक रिवायत में है कि मूछें नीची करो और दाढ़ियाँ बढ़ाओ। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और रिवायत में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यहूदियों का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि वह अपनी मूछें बढ़ाते हैं और दाढ़ियाँ मुँडाते हैं तुम उनके ख़िलाफ़ करो यानी दाढ़ियाँ रखो।

तबक़ात इब्ने सअ़द में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ख़त जब किसरा के दरबार में पढ़ा गया तो बाज़ान ने मीर मुन्शी बाबवया और और ख़रख़सा के हाथ आपके ख़त का जवाब लिखकर इन दोनों को सफ़ीर (राजदूत) बनाया और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा। बाबवया ने बाज़ान का ख़त पेश किया। आपने ख़त का मज़मून मालूम करके इरशाद फ़रमाया कि अभी तुम आराम करो, सोचकर जवाब दिया जाएगा। सफ़ीरों ने पन्द्रह

रोज़ मदीने में क़याम (निवास) किया बअ़ज़ सीरत लिखने वालों ने बयान किया है कि आपने जब बाबवया और ख़ुरख़ुसा के चेहरों को देखा तो तबीअ़त मुबारक ग़मगीन हो गई। बाबवया और उसका साथी ईरानी रस्मो रिवाज के मुताबिक़ दाढ़ी मुंडाए और मूँछों को तकब्बुर वाले अन्दाज़ से बल दिये हुए थे। आपने देखकर इरशाद फ़रमाया कि ये मुतकब्बिराना अन्दाज़ की तअ़लीम तुमने कहाँ से हासिल की? बाबवया ने अ़र्ज़ किया कि हुज़ूर! हमारे सुल्तान का यही तरीक़ा है और हम इसलिये इस तरीक़े को महबूब रखते हैं। आपने ये सुनकर फ़रमाया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि दाढ़ी को बढ़ाऊँ और मूछों को कटाऊँ।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह तआ़ला के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो हर वक़्त ये पढ़ते रहते हैं कि पाक है वह ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी से और औ़रत को बालों से ज़ीनत अ़ता फ़रमाई है। (कीमियाए सआ़दत)

एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी थी। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत उ़समान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की दाढ़ी मुबारक बड़ी और बारीक थी। ऐसे ही हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की दाढ़ी चौड़ी थी जिससे सीना भरा होता था। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दौर में और बाद में आने वाले क़रीबी दौर में तमाम मुसलमान दाढ़ी रखते थे और तमाम लोग दाढ़ी की सुन्नत को बहुत ही अच्छा समझते थे। क़ुदरती तौर पर अगर किसी की दाढ़ी न निकलती तो उस पर अफ़सोस करते हज़रत शुरैह़ बड़े ताबिईन से थे उनकी दाढ़ी पैदाइशी न थी वह अकसर फरमाया करते थे कि काश दस हज़ार दे कर मुझे दाढ़ी मिल जाए।

(2) सुन्नत के मुताबिक़ दाढ़ी की मिक़दार:- सुन्नत के मुताबिक़ दाढ़ी की मिक़दार एक मुश्त (मुट्ठी) है। इससे ज़ाइद को कतरवाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है लिहाज़ा जब दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो उसे मुट्ठी भर छोड़ कर बाक़ी काट दें ताकि हद से ज़्यादा न बढ़ जाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़मर बिन शुऐ़ब, उनके वालिद माजिद, उनके जद्दे अमजद (दादा) से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक की (लम्बाई व चौड़ाई)से कुछ

लिया करते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

किताबुल आसार में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़कर मुट्ठी से ज़ाइद हिस्से को काट दिया करते थे। सैय्यदना इमाम मुहम्मद फ़रमाते हैं कि हमारा अ़मल इसी हदीस पाक पर है और हज़रत इमामे आ़ज़म ने भी यही फ़रमाया है।

हज़रत अ़ल्लामा शामी का एक इरशाद है कि अगर कोई शख़्स दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़कर ज़ाइद काट डाले तो इसमें कोई हरज नहीं। बअ़ज़ लोग ख़शख़शी दाढ़ी यानी एक मुश्त से कम दाढ़ी रख लेते हैं और जाइज़ होने की वजह ये पेश करते हैं कि इस तरह करने से दाढ़ी बढ़ाने के हुक्म पर अ़मल हो जाता है। उनकी ये सोच इत्तिबाए़ (पैरवी) सुन्नत से दूर है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी इस बात में है कि दाढ़ी एक मुश्त तक रखी जाए क्योंकि इसी से सुन्नत पर अ़मल करने का मक़सद पूरा होगा इसलिये ख़शख़शी दाढ़ी न रखें बल्कि सुन्नत की मुक़र्रर मिक़दार तक दाढ़ी बढ़ाएं।

(3) मूछें कतरवाना सुन्नत है:- मूछें कतरवाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। बअ़ज़ बुज़ुर्गों का क़ौल (बयान) है कि मूछें इतनी कम करे कि भौं की मिस्ल हो जाएं यानी इतनी कम हों कि ऊपर वाले होंट के ऊपरी हिस्से न लटकें मूछों के किनारे पर बड़े बाल रख लेने में कोई हरज नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी मुबारक मूछों से कतरते या लेते और अल्लाह के ख़लील (दोस्त) हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम भी ऐसा ही किया करते। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

सही बुख़ारी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मूछें कतरवाओ और दाढ़ियाँ बढ़ने दो। आग पुजारियों के ख़िलाफ़ करो। ऐसे ही एक और रिवायत में है कि मूछें ख़ूब छोटी करो और दाढ़ियों को मआ़फ़ी दो और यहूदियों की सी शक्ल न बनाओ। (तहावी)

हदीस शरीफ़: हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो अपनी मूछों से ज़रा न कतरे वह हम में से नहीं है।

(अहमद, तिर्मिज़ी, नसई शरीफ़)

(4) दाढ़ी को साफ़-सुथरा रखना सुन्नत है:- दाढ़ी के बालों को साफ़ सुथरा रखना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दाढ़ी को धोया भी करते थे और तेल भी लगाते और कंघी भी किया करते थे और बअ़ज़ अवक़ात खुश्बू भी लगाते इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इताअ़त में गुस्ल करते वक़्त दाढ़ी के बालों को अच्छी तरह धोना चाहिये। ताकि अगर गर्द वग़ैरा लगा हो तो वह उतर जाएगा। कभी-कभार तेल भी लगाना चाहिये और जब सर में कंघा करें तो दाढ़ी के बालों में भी कंघी करें।

(5) दाढ़ी मुंडवाना ख़िलाफ़े सुन्नत है:- दाढ़ी मुंडवाना ख़िलाफ़े सुन्नत है और उ़लमा-ए किराम ने उसे मुस्ला (अंग बिगाड़ना) के हुक्म में शामिल करके दाढ़ी मूँडने और मुंडवाने को नाजाइज़ क़रार दिया है।

शरीअ़त में चेहरा बिगाड़ने को मुस्ला कहा जाता है। ये दो तरह का है एक तो अपना चेहरा खुद बिगाड़ना है और दूसरा जिहाद या लड़ाई वग़ैरा में किसी दूसरे का चेहरा बिगाड़ना है। मुफ़्तियाने किराम ने दाढ़ी मूँडने या सुन्नत से छोटी रखने को मुस्ला क़रार दिया है। साहिबे हिदाया ने लिखा है कि औ़रतों का सर के बाल कतरवाना और मर्दों का दाढ़ी मुंडवाना मुस्ला है। एक और अ़लिमे दीन का क़ौल है कि अपनी दाढ़ी के किसी बाल को न मुँडवाएं और न तरशवाए। क्योंकि मुस्ला है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो शख़्स बालों के साथ मुस्ला करे तो उसके लिये अल्लाह के यहाँ कुछ हिस्सा नहीं। (तिबरानी)

अकसर उ़लमा-ए किराम का कहना है कि ये ह़दीस बालों के मुस्ले के बारे में है और बालों का मुस्ला ये है कि औ़रत सर के बाल मुँडवाए या मर्द दाढ़ी मुँडवाए या मर्द और औ़रत यानी दोनों भौएं मुँडवाएं जैसा कि हिन्दु सोग के वक़्त करते हैं। मशले की ये सबस सूरतें नाजाइज़ हैं।

दाढ़ी मुँडाने की लानत सबसे पहले क़ौमे लूत में आई। कु़रआन गवाह है कि क़ौमे लूत नौजवान लड़कों के साथ बद फ़ेअ़ली (लौंडेबाज़ी) किया करते थे जिनके दाढ़ी नहीं निकली होती थी। मगर जब नौजवानों यानी ख़ूबसूरत लड़कों की दाढ़ियाँ निकल आती थीं तो वह नौजवान रहने की गरज़ से दाढ़ियाँ मुँडाने लगे इस तरह ये दाढ़ी मुँडाने का रिवाज पड़ गया। फिर अल्लाह तआ़ला ने क़ौमे लूत को इन बुराइयों की सज़ा

दी। उन बुराइयों में एक बुराई ये भी यानी दाढ़ी मुँडाना भी शुमार किया गया।

इब्ने अ़साकर की एक रिवायत में है कि हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम दाढ़ी रखते थे और आपकी उम्मत के लिये भी ज़रूरी था कि वह दाढ़ी रखे। मगर जब क़ौमे लूत ने दाढ़ियाँ मुँडाना शुरु कर दीं तो आपने उन्हें बहुत मना किया मगर वह बाज़ न आए तो उनकी बस्तियाँ उलट दी गयीं।

बअ़ज़ उ़लमा के नज़दीक दाढ़ी मुँडवाने को ख़िलाफ़े सुन्नत क़रार देने के लिये एक वजह दलील ये भी है कि दाढ़ी मुँडवाने से औ़रतों के साथ मुशाबहत होती है जो मर्दों के लिये जाइज़ नहीं। अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला उन मर्दों पर लानत करता है जो औ़रतों के साथ मुशाबहत करते हैं। और उन औ़रतों पर अल्लाह तआ़ला की लानत जो मर्दों के साथ मुशाबहत इख़्तियार करती हैं। बहर ह़ाल दाढ़ी मुँडवाना हर लिहाज़ से ख़िलाफ़े सुन्नत है इसलिये अल्लाह तआ़ला हर मुसलमान को तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए कि वह अपनी सूरत और सीरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में रंग ले।

(6) दाढ़ी के मुतअ़ल्लिक़ ग़लत कामों की मज़म्मत:- हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने फ़रमाया है कि दाढ़ी के मुतअ़ल्लिक़ हस्बे ज़ैल दस बातें मकरूह (नाजाइज़) हैं।

पहली काला ख़िज़ाब (ब्लैक डाई) का लगाना क्योंकि ह़दीस शरीफ़ में आया है कि ये दोज़ख़ियों और काफ़िरों का ख़िज़ाब है और सबसे पहले जिस शख़्स ने इसे लगाया वह फ़िरऔ़न था। और इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आख़िरी ज़माने में एक क़ौम ऐसी होगी कि काले ख़िज़ाब का इस्तेमाल करेगी और उन लोगों को जन्नत की बू तक नसीब न होगी। इसी तरह ह़दीस में है कि बदतरीन बूढ़े वह हैं जो अपने आप को जवानों की तरह बनाना चाहते हैं और बेहतरीन जवान वह हैं जो ख़ुद को बूढ़ों की तरह बनाते हैं और इसी लिये इसकी मुमानिअ़त की गयी है कि ये ग़लत मक़सद के लिए तबलीस यानी शैतानी मक्र व फ़रेब की तरह है।

दूसरी चीज़ सुर्ख़ और ज़र्द ख़िज़ाब है और इसका इस्तेमाल अगर ग़ाज़ी (इस्लामी सिपाही) करें ताकि काफ़िर उन पर बूढ़े समझकर दिलेर न हो बैठें और उन्हें कमज़ोरी और बुढ़ापे की गठरी ही न समझ बैठें तो ये सुन्नत है और इसी वजह से बअ़ज़ उ़लमा ने सियाह ख़िज़ाब भी इस्तेमाल

किया है लेकिन अगर ग़र्ज़ ये न हो (जो बयान की गयी है) तो महज़ मक्र व फ़रेब है और जाइज़ नहीं।

तीसरी बात यह है कि दाढ़ी को गन्धक से सफ़ेद कर लिया जाए ताकि लोग समझें कि ये बूढ़ा है और यूँ उसकी तअ़ज़ीम व एहतराम में इज़ाफ़ा हो जाएगा तो ये फ़क़त हिमाकत व बेवकूफ़ी है क्योंकि एहतराम व तअ़ज़ीम इल्म व अक़्ल से होती है न बुढ़ापे और जवानी से। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब फ़रमाने अजल पहुँचा (यानी जब आँ हज़रत की वफ़ात का वक़्त आया) तो आपके तमाम बालों में बीस बाल भी सफ़ेद न थे।

चौथे ये कि दाढ़ी से सफ़ेद बालों को नोच फेंकना और बुढ़ापे को शर्मिन्दगी का सबब तसव्वुर करना और ये महज़ जहालत है और ऐसा ही है कि अल्लाह तआ़ला के दिये हुए नूर को शर्मिन्दगी का सबब तसव्वुर किया जाए।

पाँचवीं चीज़ ये है कि शौक और लालच के तहत शुरु ही से बालों को इस ग़रज़ से नोच डालना कि सूरत से बग़ैर दाढ़ी दिखाई दे और ये भी जहालत के सबब होता है क्योंकि अल्लाह तआ़ला के कुछ फ़रिश्ते हैं और तस्बीह ही ये है कि "पाक है वह परवरदिगार जिसने मर्दों को दाढ़ी से और औ़रतों को गेसुओं से आरास्ता (सुसज्जित) फ़रमाया।"

छटी बात यह है कि दाढ़ी को नाख़ुनों से यूँ तराशते रहना कि वह कबूतर की दुम की तरह हो जाए ताकि देखने में औ़रतो को भली मालूम हो और वो उसकी तरफ़ ज़्यादा चाहत ज़ाहिर करें।

सातवीं ये कि सर के बालों को दाढ़ी से भी बढ़ा दिया जाए ताकि ज़ुल्फ़ें सी बनकर कानों की लोओं से भी नीचे लटकती रहें और इसे नेक लोगों की आ़दत क़रार दिया जाए।

आठवीं ये कि दाढ़ी की सफ़ेदी या सियाही को तअ़ज्जुब की निगाह से देखा करें। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स को कभी दोस्त नहीं रखता जो चाहत की नज़र से अपने आप को देखता है।

नवीं ये कि सुन्नत की पैरवी के बजाए महज़ लोगों को दिखाने के लिये दाढ़ी में कंघी की जाए।

दसवीं ये कि दाढ़ी को यूँही उलझा छोड़ दे ताकि लोग ये समझें कि इस मर्दे हक़ को कंघी करने की फ़ुरसत या परवा ही कब है। (यानी इसे यादे इलाही से फ़ुरसत ही कहाँ है?) (कीमियाए सआ़दत)

आदाबे ह़जामत

इन्सानी जिस्म के मुख़्तलिफ़ ह़िस्सों के बाल और हाथों पैरों के नाखून बढ़ते रहते हैं। इनकी शरीअ़त के मुताबिक़ तराश ख़राश करने (काटने-छाटने) के अह़काम ह़स्ब ज़ैल हैं:-

सर के बाल रखने और कटवाने की सुन्नतें

सर के बाल रखना और मुँडवा लेना दोनों तरह ही सुन्नत है। बाल रखने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि बालों को कानों की लौ के निचले ह़िस्से तक बढ़ाएं इससे ज़्यादा बालों की ह़जामत करवाएं और कटवा डालें।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इससे ज़्यादा बाल रखने को पसन्द नहीं किया इसलिये शरीअ़त की ह़द से ज़्यादा बालों की ह़जामत करवाना लाज़िम है इन्हें धोते रहना और इनमें कंघी करते रहना भी सुन्नत है। ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक ह़जामत करवा लेना बेहतर है। इससे देरी करना अच्छा नहीं। अगर कोई सर के बालों को शरीअ़त के आदाब के मुताबिक़ न रख सके तो फिर सारे सर को मुँडवाना भी जाइज़ है। थोड़े बालों को रखना और कुछ को मुँडवा लेना जाइज़ नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है। सर के बाल रखने और कटवाने के आदाब ह़स्ब ज़ैल हैं:-

(1) हुज़ूर के बाल बे मिसाल थे:- हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल मुबारक बेह़द ख़ूबसूरत और बे मिसाल थे।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत बराअ रज़ियल्लाहु अ़न्हु रवायत हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का क़द मुबारक दरमियाना था। आपके दोनों कंधों की दरमियानी जगह चौड़ी थी। दाढ़ी मुबारक ख़ूब घनी थी और उसके ऊपर कुछ सुर्ख़ी ज़ाहिर थी। आपके सर मुबारक के बाल कानों की लौ तक थे। मैंने सरवरे कौनेने को लाल जोड़ा पहने हुए देखा और मैंने आपसे बढ़कर किसी को ह़सीन व ख़ूबसूरत न देखा। (नसई शरीफ़)

(2) आधे कानों की लौ तक:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी बाल आधे कानों की लौ तक रखे इसके बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आधे कानों तक थे।

(नसई शरीफ़)

(3) कान की लौ से नीचे तक :- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बाल कानों की लौ से नीचे मगर कंधों से ऊपर तक रखे। इसके मुतअल्लिक़ रिवायत यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में ग़ुस्ल कर लिया करते थे। आपके गेसुए मुबारक कान की लौ से ज़्यादा और कंधों से कम थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(4) कानों तक बालों की तारीफ़:- एक शख़्स को कानों तक बाल रखने की तरग़ीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाई:-

हदीस शरीफ़: नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से हज़रत इब्ने हन्ज़लिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ुरैम असदी बहुत अच्छा आदमी है जबकि उसके बाल कानों से ज़्यादा न हों। और इज़ार नीची न रखे। ये बात हज़रत ख़ुरैम तक पहुँची तो उन्होंने सर के बालों को छुरी से काटकर कानों तक कर लिया और अपनी इज़ार को आधी पिण्डलियों तक ऊँचा कर लिया। (अबू दाऊद)

(5) कंधों तक बाल रखना:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बअज़ वक़्त कंधों से ऊपर तक बाल रखे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक पहुँचे थे। (नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने किसी बालों वाले शख़्स को जोड़ा पहने हुए हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन व ख़ूबसूरत नहीं देखा। आपके बाल मुबारक कंधों के क़रीब थे। (नसई शरीफ़)

(6) सर मुँडवाने की इजाज़त:- इस्लाम में पूरा सर मुँडवाने की

इजाज़त है। जो बाल न रखे वह सर मूँड ले।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी–ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा जिसके सर का कुछ हिस्सा मूँडा गया और कुछ छोड़ दिया गया था। आपने ऐसा करने से मना किया और फ़रमाया: सारा मूँडो या सारा छोड़ दो। (मुस्लिम शरीफ़)

ग़ुनियतुत्तालिबीन में लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक मरफ़ूअ़ (मशहूर) रिवायत के मुताबिक़ हज और उ़मरा और ज़रूरत के अ़लावा सर मुँडवाना मकरूह है। हज़रत अबू मूसा और उ़बैद बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया: जिसने सर मुँडाया वह हम में से नहीं। दार क़ुतनी ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत की है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि: हज और उ़मरा के सिवा बाल न मुँडवाए जाएं। इसी बिना पर हुज़ूर ने ख़ारजियों (बाग़ियों) की मज़म्मत फ़रमाई और उनकी पहचान सर मुँडवाना बताया। हज़रत उ़मर ने सबीग़ से फ़रमाया अगर मैंने देखा कि तुमने सर के बाल मुँडवाए हैं तो उसी सर को पीटूँगा। इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि अगर किसी का सर मुँडा हुआ देखो तो समझो इसमें शैतान की सिफ़त (विशेषता) है क्योंकि सर मुँडवाने वाला अपने को अ़जमियों का हम शक्ल बनाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रामाया है कि जो किसी क़ौम की शक्ल इख़्तियार करेगा वह उसी में से होगा।

जब सर मुँडाने की मुमानिअ़त ऊपर की रिवायतों से साबित है तो फिर बालों को कतरवाना चाहिये। इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसा ही किया करते थे। मर्ज़ी है कि बाल जड़ों से कतरवाए या ऊपर से यानी बालों की नोकें कटवा दे।

इमाम अहमद की दूसरी रिवायत है कि सर मुँडवाना मकरूह नहीं है क्योंकि अबू दाऊद ने अपनी सनद के साथ नक़्ल किया है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने फ़रमाया कि हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जाफ़र के घर वालों के पास हज़रत बिलाल को भेजा, फिर ख़ुद भी तशरीफ़ ले आए और इरशाद फ़रमाया कि आज के बाद मेरे भाई पर न रोना। फिर फ़रमाया मेरे भतीजों

(उसके लड़कों) को मेरे पास लाओ। हमको आपकी ख़िद्मत में ले जाया गया हुज़ूर ने फ़रमाया नाई को बुलाओ, नाई बुलाया गया हुक्म दिया कि इनके सर मूँडो, नाई ने हमारे सर मूँड दिये। ये भी रिवायत है कि हुज़ूर के बाल कंधों तक लटके थे। आपने ज़िन्दगी के आख़िर ज़माने में अपने सर मुबारक के बाल मुँडा दिये थे।

(7) कुछ बाल छोड़ने की मुमानिअ़त:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सर के कुछ बालों को मुँडवा लेने और कुछ को छोड़ देने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को क़ज़अ़ से मना फ़रमाते हुए सुना है, नाफ़ेअ़ से कहा गया कि क़ज़अ़ क्या है? फ़रमाया कि बच्चे का सर मूँडना और कुछ छोड़ देना। (मुत्तफ़क़ अ़लैहि)

(8) रखे हुए बालों की हजामत करवाना:- जिस शख़्स ने बाल रखे हों उसे चाहिये कि जब सुन्नत की हद से बढ़ जाएं तो उनकी हजामत करवाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरवी है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ और मेरे सर के बाल बढ़े हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया "ज़ुबाबुन" मैंने ख़्याल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझे इरशाद फ़रमा रहे हैं मैंने बाल कतरवा डाले और आपकी ख़िद्मते आ़लिया में दोबारा हाज़िर हुआ। हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैंने तुम्हें नहीं कहा था। और बालों की हजामत कराना अच्छा है। (नसई शरीफ़)

बदन की बढ़ी हुई चीज़ों के दूर करने के आदाब

इन्सानी जिस्म के बाल वक़्त गुज़रने के साथ-साथ बढ़ते रहते हैं। जिस्म के बअ़ज़ हिस्सों पर बाल तेज़ी से बढ़ते हैं जैसे: सर, दाढ़ी, बग़ल और शर्मगाह वग़ैरा। बाक़ी जिस्म के बाल तेज़ी से नहीं बढ़ते। जिन आ़ज़ा (अंगों) के बाल तेज़ी से बढ़ते हैं उन्हें ख़ूबसूरत अन्दाज़ में दुरुस्त रखने के लिए शरीअ़ते इस्लामिया ने चन्द आदाब मुक़र्रर फ़रमाए हैं और इन

आदाब के मुताबिक़ ज़ाइज़ बालों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया। जिस्म के दो पोशीदा हिस्सों से बाल उखाड़ना ज़रूरी हैं अगर चालीस दिन के अन्दर-अन्दर वहाँ से ज़ाइद बालों की सफ़ाई न की जाए तो इन्सान गुनहगार होगा। इन दोनों हिस्सों के अहकाम हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई:- मर्द हो या औरत उसके लिये नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई गाहे बगाहे ज़रूरी है। ख़्वाह ये सफ़ाई हफ़्ते के बाद कर लें या पन्द्रह-बीस दिन के बाद कर लें। लेकिन चालीस दिन से ज़्यादा देर करना मकरूह है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने फ़रमाया है शर्मगाह के बालों को उखेड़ना सुन्नत है और चालीस दिन से ज़ाइद न रहें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हमारे लिये वक़्त मुक़र्रर कर दिया गया है कि मूछें पस्त करने, नाख़ून काटने, बग़लों के बाल उखाड़ने और ज़ेरे नाफ़ बाल मूँडने को चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़े रखें। (मुस्लिम शरीफ़)

एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि अच्छा सूफ़ी और शेख़े तरीक़त वह है जो अपने बातिन (अन्दर)को पाकीज़ा रखने के साथ अपने जिस्म की ज़ाहिरी सफ़ाई पर भी कारबंद रहे। सर और दाढ़ी के बालों को दुरुस्त रखे और एक दो हफ़्ते के बाद बग़ल के बाल और नाफ़ के नीचे के बालों को भी साफ़ करता रहे।

गुनियतुत्तालिबीन में लिखा है कि नाफ़ के नीचे के बाल के सिलसिले में इख़्तियार है, चाहे नोरह (चूना और हड़ताल का बना पावडर) से साफ़ करे, चाहे चूने या उस्तुरे से साफ़ करे। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि वह नोरह इस्तेमाल करते थे। मन्सूर बिन हबीब बिन अबी साबित की रिवायत हुज़ूर पाक के बारे में यही है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये लेप तैयार किया और हुज़ूर ने अपने हाथ मुबारक से उसे अपने नाफ़ के नीचे लगाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से इसके ख़िलाफ़ रिवायत है। उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चूने का लेप इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि जब बाल बढ़ जाते तो हुज़ूर उन्हें मूँड दिया करते थे। नाफ़ के नीचे के बाल के सिवा दूसरी जगह के बाल दूसरे शख़्स से भी

साफ़ कराए जा सकते हैं। इसके सुबूत में हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह के बाल नाफ़ के नीचे तक पहुँचते तो हुज़ूर इस काम को खुद अन्जाम देते। अबुल अ़ब्बास नसई कहते हैं कि हमने अबू अ़ब्दुल्लाह के चूने का लेप किया लेकिन नाफ़ के नीचे की हद पर उन्होंने खुद चूना इस्तेमाल किया। ग़र्ज़ जब ज़ेरे नाफ़, रानों और पिण्डलियों की सफ़ाई का सुबूत चूने से साबित है तो उस्तुरे से भी मूँडना जाइज़ है। इस दलील की ताईद हज़रत अनस की ऊपर बयान की गई रिवायत से होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चूने का इस्तेमाल कभी नहीं किया, बाल ज़्यादा होते तो मूँड देते थे।

एक बुज़ुर्ग ने एक मर्तबा अपने एक मुरीद को नसीहत फ़रमाई कि इबादत की तौफ़ीक़ जिस्मानी सेहत से वाबस्ता है। और सेहत का राज़ तीन बातों में है। एक तो दिल पसन्द ग़िज़ा का मुनासिब मिक़दार में खाना, दूसरा रोज़ाना ग़ुस्ल करना और तीसरा अपने जिस्म को बालों की गन्दगी से साफ़ रखना।

(2) बग़ल के बालों को उखाड़ना:- बग़ल के बालों को भी साफ़ करना सुन्नत है। लिहाज़ा इसे भी चालीस दिन से ज़्यादा न रहने दें। बेहतर तरीक़ा तो ये है कि जुमे के दिन जब जुमा के लिये ग़ुस्ल किया जाए तो उसमें नाफ़ के नीचे और बग़ल के बालों की सफ़ाई कर ली जाए। बग़ल के बालों को उखेड़ने की बजाए मूँडें। बग़ल के बाल साफ़ करने से बदबू दूर हो जाती है।

एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बग़ल के बाल बढ़ने न दो क्योंकि बग़ल के बालों की झाड़ी में शैतान को आराम मिलता है। औरतों को भी चाहिये कि वह भी बग़लों के बालों की सफ़ाई रखें।

हालते जज़्ब (इश्क़) में फ़क़ीरों और सूफ़ियों के बाल बहुत बढ़ जाते हैं तो उस वक़्त साहिबे होश इन्सान को चाहिये कि उनकी इजाज़त से हज्जाम (नाई) से उनकी बग़लों के बाल साफ़ करा दें ताकि जिस्मानी सफ़ाई क़ायम रहे।

नाख़ून तराशने का सुन्नत तरीक़ा

नाख़ून कुदरती तौर पर धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। इस्लाम ने इन बढ़े

हुए नाख़ूनों को तराशने का हुक्म दिया है। नाख़ून हफ़्ते में एक बार ज़रूर तराशने चाहिये। अगर ऐसा न कर सकें तो फिर पन्द्रह दिन में ज़रूर तराशवाएं और इसकी आख़री मुद्दत चालीस दिन है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया दाइमी (हमेशा वाली) सुन्नतें पाँच हैं। ख़त्ना करना, नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना, मूछें पस्त करना, नाख़ून काटना और बग़लों के बाल उखाड़ना। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस में जिन पाँच सुन्नतों के अदा करने की ताकीद की गयी है उनमें बढ़े हुए नाख़ूनों को भी काटने की तरग़ीब दी है। इसी बात की ताकीद एक और हदीस में यूँ की गयी है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं (आपका नाम मुबारक जाफ़र बिन अयास है) आपने हज़रत तल्क़ बिन हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इरशाद फ़रमाते हुए सुना कि दस बातें सुन्नत हैं। मिसवाक करना, मूछें कतरवाना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी बढ़ाना, नाख़ून कतरवाना, बग़लके बाल उखेड़ना, ख़त्ना कराना, नाफ़ के नीचे के बाल मूँडना, शर्मगाह को धोना। (नसई शरीफ़)

जुमे के दिन नाख़ून तरशवाना मुस्तहब है। हां अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इन्तिज़ार न करे कि नाख़ून बड़ा होना अच्छा नहीं क्योंकि नाख़ून का बड़ा होना रिज़्क़ की तंगी का सबब है। एक हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नमाज़ के लिये जाने से पहले मूछें कतरवाते और नाख़ून तरशवाते। एक दूसरी हदीस में है कि जो जुमे के दिन नाख़ून तरशवाए अल्लाह तआला उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफ़ूज़ रखेगा। और तीन दिन से ज़्यादा यानी दस दिन तक। एक और हदीस में है कि जो हफ़्ते के दिन नाख़ून तरशवाए उससे बीमारी निकल जाएगी और शिफ़ा दाख़िल होगी। और जो इतवार के दिन तरशवए फ़ाक़ा निकलेगा और मालदारी आएगी, और जो पीर के दिन तरशवाए पागलपन जाएगा और सेहत आएगी, और जो मंगल के दिन तरशवाए मर्ज़ जाएगा और शिफ़ा आएगी, और जो बुध के दिन तरशवाए वसवसे व ख़ौफ़ निकलेगा और अमन व शिफ़ा आएगी, और जो जुमेरात के दिन तरशवाए कोढ़ जाए और सलामती आए, और जो जुमे के दिन तरशवाए रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे।

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से ये बयान है कि पहले दाहिने हाथ के नाख़ूनों को इस तरह तरशवाए कि सबसे पहले छुंगलिया, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंझली, फिर कल्मे की ऊँगली। और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर छुंगलिया, फिर कल्मे की ऊँगली, फिर मंझली यानी दाहिने हाथ में छुंगलिया से शुरु करे और बाएं हाथ में अंगूठे से। और एक ऊँगली छोड़कर और बअ़ज़ में दो छोड़कर कटवाए। एक रिवायत में आया है कि इस तरह करने से कभी आँख में तकलीफ़ नहीं होगी। नाख़ून तराशने की ये तरतीब (क्रम) जो ज़िक्र हुआ इसमें कुछ पेचीदगी है ख़ुसूसन अ़वाम को इसकी याददाश्त दुशवार है लिहाज़ा एक दूसरा तरीक़ा जो आसान है और वह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत है कि दाहिने हाथ की कल्मे की ऊँगली से शुरु करें और छुंगलिया पर ख़त्म करें। फिर बाएं की छुंगलिया से शुरु करके अंगूठे पर ख़त्म करें। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाख़ून तरशवाएं इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरु और दाहिने पर ख़त्म भी हुआ।

पाँव के नाख़ून तरशवाने में कोई तरतीब (क्रम) ज़िक्र नहीं। बेहतर ये है कि पाँव की उँगलियों में ख़िलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब से नाख़ून तरशवाए यानी दाहिने पाँव की छुंगलिया से शुरु करके छुंगलिया पर ख़त्म करे। (बहारे शरीअ़त)

दाँत से नाख़ून न काटना चाहिये कि मकरूह है और इसमें मर्ज़ बर्स (सफ़ेद दाग़) मआ़ज़ल्लाह पैदा हो जाने का अन्देशा है।

औ़रतों के बाल रखने के आदाब

औ़रतों के लिये बाल रखने का हुक्म है। वह उन्हें गाहे बगाहे धोएं, तेल लगाएं और कंघी करें। और उन्हें संवार कर रखें। औ़रतों के लिये बाल कटवाना हराम है जो औ़रत ऐसा करेगी वह आख़िरत में सज़ा पाएगी, न औ़रतों को मर्दों की तरह बाल रखने चाहिये। औ़रत के लिये साफ़ गुत (चोटी) बनाना जाइज़ है। इसके अ़लावा जितने भी अन्दाज़ हैं वह सब ख़िलाफ़े शरीअ़त हैं। इसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादात हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने औ़रतों की वज़अ़

(शक्ल) इख़्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों की तरह बनने वाली औ़रतों पर लानत फ़रमाई है और फ़रमाया कि इन्हें अपने घरों से निकाल दिया करो। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने औ़रत को सर मुँडवाने से मना फ़रमाया। (नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाल गूँदने और गुँदवाने, जोड़ने और जुड़वाने और उखेड़ने और उखड़वाने से मना फ़रमाया। (नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला ने मर्दों की मुशाबहत (रूप) करने वाली औ़रतों और औ़रतों की मुशाबहत करने वाले मर्दों पर लानत फ़रमाई है। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का हिसाब लिखने वाला, जब उन्हें मालूम हो कि सूद ह़राम है, ख़ूबसूरती के लिये बाल गूँदने वाली, और गुँदवाने वाली औ़रतें, सद्क़े को रोकने वाली, हिजरत के बाद इस्लाम से फिरने वाला इन सब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़बाने पाक से क़यामत तक लानत है।

(नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत मसरूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक ख़ातून हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िद्मते पाक में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया कि मेरे सर पर बाल बहुत थोड़े हैं, क्या में अपने बाल जोड़ दूँ तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया 'नहीं'। ख़ातून ने अ़र्ज़ किया: क्या आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है या अल्लाह की किताब में है? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने फ़रमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है और अल्लाह की किताब में भी है। फिर हदीस मुबारका को आख़िर तक बयान फ़रमाया। (नसई शरीफ़)

सुन्नते ख़ुश्बू और सुर्मा

खुश्बू लगाना नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। खुश्बू अच्छे असर पैदा करती है। इसलिये इसके इस्तेमाल को दुरुस्त क़रार दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुद खुश्बू लगाया करते थे इसलिये हमें चाहिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में खुश्बू लगाया करें। खुश्बू लगाने का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं, जब चाहें खुश्बू लगाएं। मगर हर वक़्त खुश्बू लगाने की तरफ़ माइल रहना अच्छा नहीं इस तरह इबादत और बन्दों के हक़ से ग़फ़लत पैदा हो सकती है लिहाज़ा मौक़े के मुताबिक़ इसको इस्तेमाल करना चाहिये।

जुमे के दिन नहा धोकर खुश्बू लगाकर मस्जिद जाना मुस्तहब है। ऐसे ही अगर कोई महफ़िले ज़िक्र हो या कोई ख़ास दावत का एहतमाम हो तो वहाँ खुश्बू लगाकर जाएं। लिबास तब्दील करते वक़्त भी खुश्बू लगाने में कोई हरज नहीं। औ़रतों के लिये खुश्बू लगाने में पाबंदी ये है कि वह घर में खुश्बू लगा सकती हैं मगर खुश्बू लगाकर मस्जिद में न जाएं और न वह बाज़ार वग़ैरा में जाएं। ताकि फ़ित्ना पैदा होने के असबाब पैदा न हों। अहादीस के मुताबिक़ खुश्बू लगाने के आदाब की तफ़सील हस्ब ज़ैल है:-

(1) खुश्बू का इस्तेमाल:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी-कभी खुश्बू का इस्तेमाल किया करते थे मगर बअ़ज़ सूफ़ियाए किराम का कहना है कि आपके जिस्मे पाक को अल्लाह तआ़ला ने खुश्बूदार बनाया था आपके जिस्म में क़ुदरती तौर पर खुश्बू रहती थी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से खुश्बू आती थी। क्योंकि आप जिस रास्ते से गुज़र जाते वहाँ खुश्बू ही खुश्बू फैल जाती मगर आपने सुन्नत जारी करने के लिये खुश्बू को इस्तेमाल भी किया।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक कुप्पी थी जिससे खुश्बू लगाया करते थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

(2) मुश्क व अ़म्बर की खुश्बू:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़्यादा तर मुश्क और अ़म्बर की खुश्बू का इस्तेमाल किया है लिहाज़ा मुश्क और अ़म्बर की खुश्बू को इस्तेमाल करना सुन्नत है। ये

खुशबूएं कुदरती तौर पर पैदा शुदा हैं। इन्हें सूँघने से दिमाग़ खुश्बूदार और ताज़ा होता है और दिमाग़ को खुशी और ताक़त पहुँचती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुहम्मद बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से दरयाफ़्त किया, क्या हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुश्बू लगाते थे ? आपने बताया हां आप मर्दाना मुश्क और अ़म्बर का इतर लगाते थे।

(नसई शरीफ़)

(3) बेहतरीन खुश्बू:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कस्तूरी को बेहतरीन खुश्बू क़रार दिया है एक बुजुर्ग का क़ौल है कि कस्तूरी की खुश्बू इस्तेमाल करना, रोज़ाना ग़ुस्ल करना और सब्ज़े (हरियाली) को देखना सुकून बख़्श हैं। कस्तूरी जिसे मुश्क भी कहा जाता है। हिरन का नाफ़ा है जो अकसर देसी दवाओं में ताक़त के लिये इस्तेमला होती है और ये बेहतरीन खुश्बुओं में शुमार की जाती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बनी इसराईल की एक ख़ातून ने अंगूठी बनाई और उसमें कस्तूरी भरी। हुज़ूर अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया ये उ़मदह तरीन खुश्बू है।

(नसई शरीफ़)

(4) हज़रत आ़यशा का हुज़ूर को खुश्बू लगाना:- हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खुश्बू लगाया करती थीं। इससे मालूम हुआ कि बीवी का अपने मर्द को खुश्बू लगाना सुन्नत है। खुश्बू चेहरा और क़मीस को लगाना ज़्यादा बेहतर है। ख़ासकर दाढ़ी में खुश्बू लगाना सुन्नत है। सर के बालों में भी खुश्बू लगा सकते हैं क्योंकि हुज़ूर सर पर खुश्बू लगाया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया मैं नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बेहतरीन खुश्बू लगाती जो मयस्सर आ जाती।। यहाँ तक कि मैं खुश्बू की चमक आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में पाती। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) मर्द और औ़रत की खुश्बू में फ़र्क़:- मर्द और औ़रत की

ख़ुशबू में ये फ़र्क़ है कि मर्द ख़ुश्बू इस्तेमाल करे उसका रंग हलका हो मगर ख़ुश्बू तेज़ हो जो दूसरों तक पहुँचे। इसके बर ख़िलाफ़ औ़रतों की ख़ुश्बू ऐसी होनी चाहिये जिसका रंग ज़ाहिर हो मगर ख़ुश्बू हलकी हो जो सिर्फ़ क़रीबी तौर पर महसूस हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया मर्दों की ख़ुश्बू वह है जिससे ख़ुशबू मालूम हो रंग दार न हो और औ़रतों की ख़ुश्बू वह है जिसका रंग मालूम हो लेकिन ख़ुश्बू न फैले।

(नसई शरीफ़)

(6) औ़रत का ख़ुश्बू लगाकर मस्जिद में जाना मना है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में बअ़ज़ औ़रतें नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिदे नबवी में आ जाया करती थीं और जमाअ़त में भी अलग मक़ाम पर खड़े होकर शामिल हो जातीं। एक मर्तबा आप को मालूम हुआ कि बअ़ज़ औ़रतें ख़ुश्बू लगाकर मस्जिद में आती हैं तो आपने ख़ुश्बू के साथ उनके आने को मना कर दिया क्योंकि मस्जिद में औ़रत का ख़ुश्बू लगाकर आने से फ़ित्ना बनने का अन्देशा है इसलिये औ़रत को चाहिये कि जब वह नमाज़ के लिये आए तो ख़ुश्बू न लगाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रावी हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो औ़रत ख़ुश्बू लगाए हुए हो वह हमारे साथ इशा की जमाअ़त में न आए।

(नसई शरीफ़)

(7) औ़रत के लिये ख़ुश्बू के इज़हार की मुमानिअ़त:- नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने औ़रत को ख़ुश्बू के इज़हार से मना फ़रमाया है। औ़रत अपने ख़ाविन्द की ख़ुशी के लिये तो ख़ुश्बू लगा सकती है मगर जो औ़रत ग़ैर मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करने के लिये और अपने आप को दूसरों की नज़र में पुर कशिश बनाने के लिये ख़ुश्बू लगाए तो उसका ये काम निहायत ही बुरा है। बल्कि हुज़ूर ने ऐसा करने को ज़िना (व्यभिचार) के बराबर क़रार दिया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो औरत खुश्बू लगाए फिर वह लोगों के पास इस ग़र्ज़ से जाए ताकि वह उसकी खुश्बू सूँघें तो वह ज़ानिया (तवायफ़)है।(नसई शरीफ़)

(8) औरत खुश्बू धोकर मस्जिद में जाएः- जब किसी औरत ने खुश्बू लगा रखी हो और वह नमाज़ के लिये मस्जिद में जाना चाहे तो उसे चाहिये कि वह खुश्बू को धोकर मस्जिद में जाए क्योंकि औरत जब खुश्बू लगाकर मस्जिद में जाएगी तो उसके जिस्म की खुश्बू फैलेगी जो मर्दों के ख़्यालात में ख़लल पैदा करेगी इसलिये औरत को हुक्म दिया गया है कि वह मस्जिद में खुश्बू के साथ न जाए तो ज़्यादा बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब औरत मस्जिद की तरफ़ जाने लगे और उसके खुश्बू लगी हुई हो तो वह खुश्बू धो डाले जैसे नापाकी का गुस्ल करती हैं। (नसई शरीफ़)

(9) खुश्बू का तोहफ़ा लेने की तालीमः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्बू का तोहफ़ा हमेशा क़ुबूल किया इसलिये दूसरों को खुश्बू का तोहफ़ा देना और लेना सुन्नत है। तोहफ़ा क़ुबूल करने से देने वाले की दिल जोई होती है। इसलिये खुश्बू के तोहफ़े को रद नहीं करना चाहिये। लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी-कभार कोई खुश्बू पसन्द न होती मगर तोहफ़े में मिल जाती तो आप उसमें से कुछ खुश्बू उँगली पर लगा लेते और फ़रमाते अल्लाह तआ़ला ने औरत और खुश्बू में कशिश रखी है और आँखों की ठण्डक नमाज़ और रोज़े में है।

हदीस शरीफः हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब कोई शख़्स सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमते पाक में खुश्बू पेश करता तो आप उसको वापस न लौटाते। (नसई शरीफ़)

(10) सुर्मा लगानाः- सुर्मा आँख की ख़ूबसूरती और नज़र के बढ़ाने का ज़रिया है। सुर्मा लगाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ताक़ बार लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़ बार सुर्मा लगाया करते थे। सुर्मा एक काला पत्थर है जिसमें अल्लाह तआ़ला ने आँखों के लिये उमदा और बेहतर तासीर पैदा

कर रखी है इसे अच्छी तरह पीसकर इस्तेमाल करना चाहिये। पीसते वक़्त इसमें कोई चीज़ मिलाना जो आँखों के लिये फ़ायदेमन्द हो दुरुस्त है। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोते वक़्त तीन-तीन सलाइयाँ दाएं और बाएं आँख में सुर्मे की लगाया करते थे। लिहाज़ा हर एक मुसलमान को चाहिये कि वह सोने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अ़मल करे।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसमिद का सुर्मा लगाया करो क्योंकि वह निगाह को तेज़ करता और बाल उगाता है उनका गुमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास सुर्मेदानी होती जिससे रात में रोज़ाना तीन सलाई इस आँख में और तीन दूसरी आँख में लगाया करते। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

इसमिद एक तरह का सुर्मा है जो फ़ायदे में दूसरे आ़म सुर्मों से बेहतर है जिसका फ़ायदा यह है कि वह नज़र को तेज़ करता है और आँखों के ऊपर पपोटों पर बाल उगाता है और जो बाल गिर जाते हों उन्हें गिरने से रोकता है। एक और हदीस में यही बात यूँ फ़रमाई गयी है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोने से पहले हर आँख में इसमिद सुर्मा तीन-तीन सलाई लगाते और फ़रमाया कि जो तुम इलाज करते हो उनमें बेहतरीन लेप करना, निसवार लेना, पछने लगवाना और जुल्लाब लेना है। और जो तुम सुर्मे लगाते हो उनमें बेहतर इसमिद है क्योंकि वह निगाह को रौशन करता और बाल उगाता है और जिनमें तुम पछने लगवाते हो उनमें सत्रहवाँ, उन्नीसवां और इक्कीसवां रोज़ बेहतर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब मेअ़राज हुई तो फ़रिश्तों की जिस जमाअ़त के पास से गुज़रे तो उन्होंने कहा कि पछने लगवाने को लाज़िमी इख़्तियार करो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत सैय्यद अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी ने फ़रमाया है कि ताक़ बार सुर्मा लगाना मुस्तहब (बेहतर)है अकसर मशाइख़ीने तरीक़त (बुज़ुर्गाने दीन) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अ़मल करते रहे हैं।

सुन्नत तेल और कंघी

सर में तेल लगाना और कंघी करना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। तेल लगाने का ज़ाहिरी फ़ायदा ये है कि तेल बालों की ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा करता है और मुलायम रखता है। हकीमी नुक़्त-ए-नज़र से इसका फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से बालों की जड़ें तर रहती हैं जिससे बाल देर से सफ़ेद होते हैं । जो लोग अपने सर में तेल नहीं लगाते, या कम लगाते हैं उनके बालों में वक़्त से पहले सफ़ेदी आ जाती है। तेल लगाने का बेहतर वक़्त तो सुबह का वक़्त है। नहाने से पहले तेल लगालें या नहाने के बाद तेल लगाएं। अगर ग़ुस्ल न किया हो तो फिर मुँह हाथ धोते वक़्त तेल इस्तेमाल करें। तेल रोज़ाना इस्तेमाल करें या एक दिन छोड़कर लगाएं। सर में लगाने के लिये आ़म तौर पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है जो हर लिहाज़ से बेहतर है। इसके अ़लावा दूसरे तेल जो बालों के लिये बेहतर हों वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद रोग़ने बनफ़शा (एक ख़ास जड़ी-बूटी का तेल) इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोग़न बनफ़शा को तमाम तेलों में ऐसी फ़ज़ीलत (महानता) हासिल है जैसा कि मुझे तमाम इन्सानों में है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सर मुबारक में अकसर तेल लगाते और दाढ़ी मुबारक में कंघी करते। ज़्यादातर सरे अक़दस पर कपड़ा रखते जो तेली के कपड़ों की तरह मालूम होता। (शरहुस्सुन्ना)

बालों में कंघी करना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। कंघी करने में माँग निकालना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाढ़ी में कंघा करना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़-ए अ़मल से साबित है। औ़रतों को चाहिये कि वह रोज़ाना कंघी करें और मर्दों को चाहिये कि एक दिन छोड़कर करें ताकि ज़्यादा वक़्त बनाव सिंगार में ख़र्च न हो। अलबत्ता बालों को साफ़ सुथरा रखने के लिये रोज़ाना कंघी करने में कोई हरज नहीं। कंघी करते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दरमियान में माँग निकाला करते थे

और इसी पर सहाब-ए किराम और बुज़ुर्गाने दीन अ़मल पैरा हुए। औरतों को भी सर के दरमियान माँग निकालनी चाहिये। कंघी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ़ हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने बाल रखे हुए हों तो उनका एह्तराम करो। (अबू दाऊद शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी कर देती हालांकि मैं माहवारी की हालत में होती। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाय कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अहले किबात (यहूदी-ईसाई) की मुताबक़त पसन्द फ़रमाते जिस काम के लिये हुक्म न फ़रमा दिया जाता। एहले किताब अपने बालों को छोड़ते थे जबकि मुशरिकीन अपने सरों में माँग निकालते थे। पस नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पेशानी (माथा) मुबारक के बाल छोड़े रखते फिर बाद में माँग निकालने लगे। (मुस्लिम शरीफ़)

हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का कोई हुक्म अल्लाह की वही (पैग़ाम) के बग़ैर नहीं होता था लिहाज़ा माँग निकालना सुन्नत ठहरा। हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत को छोड़कर जो यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबहत (रूप) इख़्तियार करे या टेढ़ी माँग निकाले सुन्नत की राह से दूर रहेगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप ने एक ऐसे शख़्स को मुलाहज़ा फ़रमाया जिसके सर के बाल बिखरे थे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: क्या ये इतना भी नहीं कर सकता कि अपने बालों को बराबर कर दे।

(नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपके सर पर बहुत ज़्यादा बाल थे। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त फ़रमाया तो आपने फ़रमाया, इन

बालों को अच्छी तरह सजाकर रखो और रोज़ाना कंघी करो।(नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वुज़ू करने, जूता पहनने और कंघी करने में दाएं तरफ़ से शुरु फ़रमाते।

(नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अ़र्ज़ किया जिनका नाम उ़बैद था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ऐ़श व आराम में पड़ जाने को मना फ़रमाते थे और इसी की एक क़िस्म कंघी करना भी है। (नसई शरीफ़)

इस हदीसे पाक से मालूम हुआ कि हर वक़्त कंघी करना, अपने आप को औ़रतों की तरह संवारना व सजाना मकरूह है। मर्दों का यह काम नहीं कि वह रात दिन अपने आपको बेकार कामों में मशग़ूल रखें और वक़्त बरबाद करें।

आदाबे अंगूठी व ज़ेवर

मर्दों के लिये सिर्फ़ चाँदी की अंगूठी पहनना जाइज़ है जिसका वज़न एक मिसक़ाल से कम हो। मिसक़ाल ग्राम के बराबर है। मर्दों के लिये सोने के ज़ेवरात का इस्तेमाल मना है क्योंकि मर्दों को मेहनत और मशक़्क़त का काम करना होता है इसलिये इनका अपने आप को ज़ेवर से सजाना ख़िलाफ़े शरीअ़त है क्योंकि ऐसा करने से काम में ख़लल पड़ेगा इसलिये मर्दों के लिये ज़ेवर का इस्तेमाल मना किया गया है। लिहाज़ा मर्दों के लिये सोने की अंगूठी पहनना भी ह़राम है।

औ़रतों के लिये किसी ह़द तक ज़ेवर का इस्तेमाल करना दुरुस्त है मगर ऐसा ज़ेवर जिससे झंकार पैदा होती हो मना है। ऐसे ही वो ज़ेवर जो घरेलु काम-काज और इ़बादते इलाही में रुकावट बने उसका इस्तेमाल भी जाइज़ नहीं। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि: एक मर्तबा ह़ब्श के बादशाह नजाशी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कुछ ज़ेवरात तोह़फ़े में भेजे उनमें एक अंगूठी सोने की थी जिसमें नगीना लगा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे छुआ मगर उसकी तरफ़ तवज्जोह न की। इसके बाद अमामा बिन्त अबिल आ़स जो आपकी नवासी भी थीं को बुलवाया और उसे वह सब ज़ेवरात दे दिये।

(अबू दाऊद शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने के ज़ेवरात की बजाए चाँदी के ज़ेवरात इस्तेमाल करने की तालीम दी है। अंगूठी और ज़ेवरात इस्तेमाल करने के आदाब ह़स्बे ज़ैल हैं।

(1) हुज़ूर की अंगूठी:- हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चाँदी की अंगूठी पहना करते थे जिस पर आपका नाम मुबारक खुदा हुआ था और उसे मुहर के तौर पर इस्तेमाल फ़रमाते यानी किसी को ख़त लिखते तो उस पर यह मुहर लगाते हुज़ूर की पैरवी में अंगूठी पर अपना नाम खुदवाना जाइज़ है। अगर अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरादा फ़रमाया कि

क़ैसर, किसरा और नजाशी के लिये ख़त लिखें। अ़र्ज़ की गई कि वह बग़ैर मुहर के ख़त को क़ुबूल नहीं करते। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चाँदी की अंगूठी बनवाई और उसमें मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह नक़्श करवाया। (मुस्लिम और बुखारी की रिवायत में है) कि अंगूठी का नक़्श तीन लाइनों में था। एक लाइन में लफ़्ज़ मुहम्मद दूसरी में रसूल तीसरी में लफ़्ज़े अल्लाह था। (मिश्कात शरीफ़)

(2) हुज़ूर की अंगूठी की ख़ुसूसियात:- नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अंगूठी चाँदी की थी, सोने की न थी बल्कि कहा जाता है कि आपने सोने की अंगूठी बनवाई और उसे दाएं हाथ में पहना, फिर उसे फ़ौरन उतारकर फेंक दिया। आप जो अंगूठी पहना करते थे उसके ऊपर आपका नाम लिखा था और हुज़ूर ने इस बात से मना फ़रमा दिया कि कोई शख़्स मुझ जैसा नाम नक़्श न करवाए यानी मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह न लिखवाए क्योंकि रसूलुल्लाह तो सिर्फ़ हुज़ूर ही थे इसलिये दूसरे सहाबा को ये अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त न थी।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। और एक रिवायत में है कि उसे दाएं हाथ मुबारक में पहना फिर उसे फेंक दिया और चाँदी की अंगूठी बनवाई जिसमें "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" नक़्श करवाया और फ़रमाया कि कोई मेरी अंगूठी जैसा नक़्श न करवाए और जब आप उसे पहनते तो उसके नगीने को हथेली की जानिब रखते। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) हुज़ूर की अंगूठी का नगीना:- हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अंगूठी का नगीना हब्शी था यानी हब्शा से आया था। इससे मालूम हुआ कि अंगूठी में पत्थर का नगीना लगाना दुरुस्त है और जाइज़ है इसलिये याक़ूत, नीलम, ज़मुरुद, अ़क़ीक़, वग़ैरा का नगीना लगाना जाइज़ है। इन पत्थरों को सुन्नत ख़्याल करते हुए डाला जाए। क़िस्मत की कमी ज़यादती अल्लाह के हाथ में है इसलिये पत्थर के नगीने को क़िस्मत बदलने का ज़रिया ख़्याल करना ग़लत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दाएं हाथ मुबारक में चाँदी की

अंगूठी पहनी और उसमें हब्शी नगीना था और नगीने को अपनी हथेली की जानिब रखा करते थे। (मिश्कात शरीफ़)

(4) एक से ज़ाइद अंगूठियाँ पहनना मना है:- नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक अंगूठी पहनी है इसलिये एक से ज़ाइद अंगूठियाँ पहनना ख़िलाफ़े शरीअ़त हैं। बअ़ज़ लोग अपनी फ़क़ीरी के इज़हार के लिये दोनों हाथों की उँगलियों में अंगूठियाँ पहने लेते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि ये कोई अल्लाह का बंदा है। ऐसा करना ख़िलाफ़े शरीअ़त है सिर्फ़ एक अंगूठी पहनना सुन्नत है। अंगूठी में नगीने की जगह पर अगर ठोस चाँदी ही लग जाए तो वो भी दुरुस्त है। हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसी भी अंगूठी इस्तेमाल की है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अंगूठी चाँदी की थी और उसी का नगीना था। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) अंगूठी दाएं या बाएं हाथ में पहनें:- बाएं हाथ में अंगूठियाँ पहनना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। फ़िक़्ह (शरीअ़त) की मशहूर किताब दुर्रे मुख़्तार में लिखा है कि दाएं या बाएं हाथ में जिसमें चाहें अंगूठी पहन सकते हैं लेकिन मेरे नज़दीक बाएं हाथ में अंगूठी पहनना ज़्यादा बेहतर है। अगरचे हज़रत अ़ली की रिवायत के मुताबिक़ दाएं हाथ में अंगूठी पहनना साबित है मगर बाएं हाथ में कसरत से पहनी इसलिये इसे अहमियत देना ज़्यादा अच्छा है लेकिन पेशाब पाख़ाने के वक़्त अंगूठी उतारना ज़रूरी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ मुबारक में अंगूठी पहना करते थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

(6) अंगूठी किस उँगली में पहनी जाए:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अंगूठी बाएं हाथ की छोटी उँगली में पहनते थे। मुफ़्तियाने किराम ने इससे मुराद छुँगलिया ली है यानी सबसे छोटी उँगली लिहाज़ा जो हज़रात अंगूठी पहनने की सुन्नत पर अ़मल करें तो उन्हें चाहिये कि सबसे छोटी उँगली में अंगूठी पहनें क्योंकि ऐसा करना सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल करने में बहुत दर्जा और सवाब है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी इसमें होती थी और अपने बाएं हाथ की छोटी उँगली की तरफ़ इशारा फ़रमाया। (मुस्लिम शरीफ़)

(7) शहादत और बड़ी उँगली में अंगूठी न पहनें:- नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शहादत और बड़ी उँगली में अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है क्योंकि ये दोनों उँगलियाँ काम काज में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर इनमें अंगूठी होगी तो काम-काज में फ़र्क़ पड़ेगा इस बिना पर इन दोनों उँगलियों में अंगूठी न पहनें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे मना फ़रमाया है कि अपनी इस उँगली और उस उँगली में अंगूठी पहनूँ। रावी का बयान है कि उन्होंने अपनी दरमियानी और उसके नज़दीक वाली उँगली की तरफ़ इशारा फ़रमाया।

(मुस्लिम शरीफ़)

(8) सोना मर्दों पर हराम है:- सोने का पहनना सिंगार का सबब और रौनक़ है इसलिये इस्लाम में मर्दों के लिये हराम है सोने की इस मुमानिअ़त के पेशे नज़र ये मसअला साफ़ हो जाता है कि मर्दों के लिये सोने की अंगूठी बनाकर बेचना और उसकी उजरत लेना नाजाइज़ और हराम है। लिहाज़ा वह सुनार जो मर्दों के लिये अंगूठियाँ बनाता है उसे चाहिये कि ऐसा करना छोड़ दे। वरना उसकी रोज़ी हराम होगी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रेशम को अपने दाहिने हाथ शरीफ़ में लिया और साने को अपने दूसरे दस्ते अकरम में लिया फिर फ़रमाया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। (नसई शरीफ़)

एक और हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सोने के इस्तेमाल से इस तरह मना फ़रमाया है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत मआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चीते की खाल पर सवार होने और सोना पहनने से मना फ़रमाया है मगर जबकि ये रेज़ा रेज़ा हो। (अबू दाऊद, नसई शरीफ़)

एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों से मना फ़रमाया है उनमें सोने का इस्तेमाल भी शामिल है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कसिय्य और कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया है और सोने की अंगूठी से और रुकूअ़ में कुरआन मजीद पढ़ने से। (मुस्लिम शरीफ़)

हालते मजबूरी में हिलते हुए दाँतों को सोने के तारों से बंधवाना जाइज़ है या गिरे हुए दाँत को सोने के खोल में महफ़ूज़ करके लगाना भी दुरुस्त है।

(9) चाँदी के अ़लावा हर धातु की अंगूठी हराम है:- अंगूठी सिर्फ़ चाँदी की जाइज़ है इसके अ़लावा हर क़िस्म की धातु यानी ताँबा, पीतल, लोहा,स्टील, जस्ता, वग़ैरा की अंगूठी हराम है। लिहाज़ा किसी मर्द और औ़रत के लिये ये दुरुस्त नहीं कि वह इन धातुओं की अंगूठियाँ इस्तेमाल में लाए। कुछ लोग लोहे के छल्ले पहनते हैं वह भी हराम हैं। इन धातुओं की अंगूठी नाजाइज़ होने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ये हदीस दलालत करती है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी से फ़रमाया जिसने ताँबे की अंगूठी पहन रखी थी, बात क्या है कि मुझे तुम से बुतों की बू आ रही है? उसने वह फेंक दी और लोहे की अंगूठी पहनकर हाज़िरे बारगाह हुआ। फ़रमाया क्या बात है मैं तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ? उसने वह भी फेंक दी और अ़र्ज़ गुज़ार हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! मैं किस चीज़ की पहनूँ? फ़रमाया कि चाँदी की और पूरे एक मिसक़ाल की न हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई)

(10) घुँघरुओं के इस्तेमाल की मुमानिअ़त:- इस्लाम में घुँघरुओं और घन्टियों का इस्तेमाल मना है इसलिये कोई औ़रत पाँव में न छाँजन पहन सकती है और न घुँघरू। क्योंकि ये शैतान और नहूसत की निशानी है। घुँघरू और छाँजन को पहन कर चलने से आवाज़ पैदा होती है जिससे शैतान को बद गुमानी और बुरे ख़्यालात पैदा करने में मदद मिलती है इसलिये बुराई के जन्म लेने की रोक थाम के तौर पर इस्लाम में घुँघरुओं

या आवाज़ पैदा करने वाले ज़ेवर से मना किया गया है।

हदीस शरीफ़: अ़ब्दुर्रहमान बिन हय्यान अन्सारी की बनाना नामी बाँदी (ख़ादिमा) से रिवायत है वह हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास थीं कि एक लड़की को उनकी ख़िदमत में लाया गया जिसने आवाज़ वाली छौंजन पहन रखी थी फ़रमाया इसे मेरे पास न लाएं मगर उसके घुंघरू काट कर। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें घण्टी हो। (अबू दाऊद शरीफ़)

आदाबे छींक व जमाही

छींक और जमाही बे इख़्तियारी व कुदरती चीज़ है। हर छोटे-बड़े को इससे वास्ता पड़ता है। शरीअ़ते इस्लामिया में छींक और जमाही के चन्द आदाब मुक़र्रर फ़रमाए हैं जिन्हें छींकते वक़्त नज़र में रखना कारे सवाब है। छींक अल्लाह तआ़ला की एक तरह की नेअ़मत है क्योंकि इससे दिमाग़ से ग़ैर ज़रूरी मवाद ख़ारिज होता है जिससे समझ-बूझ और अ़क़्ल की ताक़त की सफ़ाई हो जाती है और ये चीज़ बन्दगी व ख़ुशदिली का सबब व मददगार बनती है। इसलिये छींक का आना अल्लाह को पसन्द है। इसके बर ख़िलाफ़ जमाही का आना नफ़्स के भारीपन, और हवास (इन्द्रियों)के कदूरत (गदलेपन)की वजह से होता है। ये चीज़ ग़फ़लत और सुस्ती पैदा करती है जिसके सबब इताअ़त व इबादत में लज़्ज़त पैदा नहीं होती है। जिससे शैतान को ख़ुशी महसूस होती है इसलिये इसे शैतानी असर का नतीजा क़रार दिया जाता है इसी वजह से जमाही अल्लाह को ना पसन्द है। छींक और जमाही के आदाब और सुन्नतें हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) छींक के वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करना सुन्नत है:- इस्लाम का एक बुनियादी उसूल ये है कि हर काम में अल्लाह को याद किया जाए और काम के होने पर शुक्र अदा किया जाए लिहाज़ा जब छींक आए तो "अल हम्दु लिल्लाह" कहना चाहिये या "अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" कहना चाहिये। ये अलफ़ाज़ ज़्यादा बेहतर हैं। और इनका कहना ज़्यादा सवाब का सबब है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेशक अल्लाह तआ़ला छींक को पसन्द फ़रमाता है और जमाही को नापसन्द करता है। जब तुम में से किसी को छींक आए और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो हर सुनने वाले मुसलमान पर हक़ है कि उससे "यरहमुकल्लाह" कहे। अगर जमाही आए तो ये शैतान की तरफ़ से है। जब तुम में से किसी को जमाही आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोके क्योंकि जब तुम में से किसी को जमाही आती है तो शैतान उसे देखकर हँसता है। (बुख़ारी शरीफ़)

तिबरानी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि : जब तुम में से

किसी को छींक आए तो वह अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन कहे।

एक और ह़दीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: जब किसी को छींक आए और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो फ़रिश्ते कहते हैं "अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" और अगर वह "अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" कहता है तो फ़रिश्ते कहते हैं "यर ह़मुकल्लाह" यानी अल्लाह तुझ पर रह़म फ़रमाए। (तिबरानी)

हज़रत सालिम बिन उ़बैद फ़रमाते हैं कि वह चन्द लोगों के साथ सफ़र में थे। एक आदमी को छींक आई तो उसने कहा "अस्सलामु अ़लैकुम" हज़रत सालिम ने फ़रमाया "व अ़लै क व अ़ला उम्मिक" (तुझ पर और तेरी माँ पर भी) ये बात उस शख़्स पर दुश्वार गुज़री तो आपने फ़रमाया मैंने वही बात कही है जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाई है। आपके पास एक आदमी को छींक आई तो उसने कहा "अस्सलामु अ़लैकुम" नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "व अ़लै क व अ़ला उम्मि क" फिर फ़रमाया जब तुम में से किसी को छींक आए तो वह कहे "अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन" और जवाब देने वाला कहे "यरह़मुकल्लाह" (अल्लाह तुझ पर रह़म फ़रमाए) फिर छींकने वाला कहे "यग़फ़िरुल्लाहु ली वलकुम" (अल्लाह तआ़ला मुझे भी और तुम्हें भी बख़्श दे)। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(2) छींक का जवाब देना सुन्नत है:- छींक का जवाब देना वाजिब है जबकि छींकने वाला अलहम्दु लिल्लाह कहे, जवाब फ़ौरन दें और इतनी आवाज़ से दें कि छींकने वाला सुन ले। जवाब सिर्फ़ एक मर्तबा वाजिब है और इसके बाद मुस्तह़ब (बेहतर) है। अगर किसी शख़्स को कुछ फ़ासले पर या दूसरे कमरे में जहाँ बीच में दीवार बनी हो छींक आए और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे और आप सुन लें तो आपको उसके जवाब में यरह़मुकल्लाह कहना लाज़िम है। एक ह़दीस में ये भी है कि छींक सुनने वाला जब यरह़मुकल्लाह कहे तो फिर छींकने वाला यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम कहे।

ह़दीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो अलहम्दु लिल्लाह कहे और उसका भाई या साथी

उससे यरहमुकल्लाह कहे, जब वो उससे सुने तो कहे छींकने वाला कि "यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बा लकुम।" (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो "अलहम्दु लिल्लाह" कहे और उसका भाई या साथी उससे "यरहमुकल्लाह" कहे। जब वह उसे सुने तो छींकने वाला कहे "यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम" कहे। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सात बातों का हुक्म फ़रमाया है और सात कामों में हमें मना किया है। हमें बीमार की मिज़ाज पुर्सी करने, जनाज़े के साथ जाने, छींकने वाले का जवाब देने, दावत क़ुबूल करने, सलाम का जवाब देने, मज़लूम (सताए हुए) की मदद करने और क़सम पूरी करने का हुक्म फ़रमाया है। और सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला, और रेशम, दीबाज, सुन्दुस और म्यासिर के कपड़े पहनने से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) अलहम्दु लिल्लाह न कहने वाले का जवाब न दो:- जो शख़्स बुलन्द आवाज़ से छींकने के वक़्त अलहम्दु लिल्लाह न कहे उसका जवाब न दें क्योंकि उसने अल्लाह की हम्द (तारीफ़) नहीं की इसलिये जवाब ज़रूरी नहीं। इसलिये छींकने वाले को चाहिये कि बुलन्द आवाज़ से अलहम्दु लिल्लाह कहे ताकि उसे कोई सुने और उसका जवाब दे। अगर कोई महफ़िल बैठी हो और उसमें किसी को छींक आई और उसने अलहम्दु लिल्लाह कहा और महफ़िल में से चन्द ने जवाब दे दिया तो सबकी तरफ़ से काफ़ी होगा। और अगर हर कोई जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना जब तुम में से कोई छींके और जो अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उसे जवाब दो और जो अलहम्दु लिल्लाह न कहे उसे जवाब न दो। (मुस्लिम शरीफ़)

फ़तावा आ़लमगीरी में है कि छींक का जवाब एक मर्तबा वाजिब है। दोबारा छींक आए और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो दोबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब (बेहतर) है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास दो आदमी छींके तो एक को आपने उनमें से जवाब दिया और दूसरे को न दिया। वह शख़्स अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! आपने उसको जवाब दिया और मुझे जवाब नहीं दिया है। फ़रमाया कि इसने अलहम्दु लिल्लाह कहा था और तुमने अलहम्दु लिल्लाह नहीं कहा। (मुत्तफ़क़ अ़लैहि)

इस हदीस से साबित हुआ कि जवाब उस सूरत में वाजिब होगा जब छींकने वाला अलहम्दु लिल्लाह कहे, और हम्द न करे तो जवाब वाजिब नहीं।

(4) छींक के वक़्त हुज़ूर का तरीक़-ए-कार:- हुज़ूर नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपने चेहरे को हाथ या कपड़े से छुपा लेते और आवाज़ को नीचा रखने की कोशिश करते और साथ ही अल्लाह की हम्द बयान फ़रमाते लिहाज़ा हुज़ूर की सुन्नत पर चलने वालों को भी यही तरीक़ा इख़्तियार करना चाहिये। सुन्नत की पैरवी करने वालों ने हमेशा ऐसा ही किया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब छींकते तो अपने पुरनूर चेहरे को हाथ मुबारक या कपड़े से छुपा लेते और उसमें आवाज़ नीची रखते। (तिर्मिज़ी)

(5) छींक का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा तीन मर्तबा है:- एक महफ़िल में किसी को कई मर्तबा छींक आई तो सिर्फ़ तीन मर्तबा तक जवाब देना ज़रूरी है इसके बाद तसव्वुर किया जाएगा कि उसे ज़ुकाम या किसी बीमारी की वजह से बार-बार छींकें आ रही थीं इसलिये जवाब देना ज़रूरी नहीं। इसके बावजूद भी अगर कोई जवाब दे तो उसकी मर्ज़ी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अपने भाई को तीन बार छींकने पर जवाब दो। अगर इससे बढ़े तो वह ज़ुकाम है। (अबू दाऊद शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़बैद बिन रिफ़ाआ़ से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, छींकने वाले का

जवाब तीन बार तक है अगर इससे बढ़े तो उसे जवाब दे चाहे न दे।

(मिश्कात शरीफ़)

(6) ग़ैर मुस्लिम की छींक के जवाब का तरीक़ा:- अगर किसी ग़ैर मुस्लिम को छींक आए यानी आपकी महफ़िल में कोई ईसाई, यहूदी वग़ैरा बैठा हो और उसे छींक आए और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह न कहें बल्कि ये कहें कि अल्लाह तुझे हिदायत दे। इसके बारे में हुज़ूर की हदीस ये है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी छींकते ये उम्मीद रखते हुए कि आप उनके लिये "यरहमुकल्लाह" कहेंगे लेकिन आप "यहदीकुमुल्लाहु व युसलिहु बा लकुम" कहते।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(7) औरत के छींक का जवाब:- औरत को छींक आए और उसके पास कोई मर्द सुने तो उसे चाहिये कि अगर वह बूढ़ी है तो उसका जवाब बुलन्द आवाज़ से दे और अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने। ऐसे ही किसी मर्द को छींक आए और क़रीब कोई औरत हो तो उसे चाहिये कि हल्की आवाज़ से यरहमुकल्लाह कहे।

(8) बात सच्ची होने की दलील:- हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सच्ची बात वह है कि जिसके कहते वक़्त छींक आए। एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई बात की जाए और छींक आ जाए तो वह हक़ है। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि दुआ के वक़्त छींक का आना उसके क़ुबूल होने की दलील है।

(9) ज़ोर से न छींकें:- हज़रत उबादह बिन सामित व शद्दाद बिन औस और हज़रत वासला रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब किसी को डकार या छींक आए तो आवाज़ बुलन्द न करे कि शैतान को ये बात पसन्द है कि इनमें आवाज़ बुलन्द की जाए। (शुअबिुल ईमान)

छींकने वाला दीवार के पीछे हो जब भी जवाब दें।

ख़ुत्बे के वक़्त किसी को छींक आए तो उसका जवाब न दें अगर कई हज़रात मौजूद हों तो बअ़ज़ हाज़िरीन ने जवाब दे दिया तो सबकी तरफ़ से जवाब हो गया। मगर बेहतर यही है कि सारे जवाब दें।

नमाज़ के दौरान छींक आए तो अलहम्दु लिल्लाह न कहें। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और किसी को छींक आई और आपने जवाब दे दिया तो आपकी नमाज़ ख़राब हो गई।

हज़रत सैय्यदना अबू दाऊद एक बार दरिया के किनारे-किनारे तशरीफ़ लिये जा रहे थे क़रीब ही से एक कश्ती का गुज़र हुआ जिसमें काफ़ी लोग सवार थे अचानक किसी को छींक आई और उसने अलहम्दु लिल्लाह कहा कश्ती तेज़ी से गुज़र गई। हज़रत अबू दाऊद बेताब हो गए दरिया में इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो क़रीब ही एक ख़ाली कश्ती पर नज़र पड़ी आपने उसके मल्लाह से फ़रमाया मुझे उस कश्ती के पीछे जाना है क्या किराया लोगे ? उसने दो दीनार किराया बताया आपने मन्ज़ूर फ़रमा लिया और कश्ती में सवार हो गए अब कश्ती की तेज़ी के साथ उस कश्ती के तआ़क़ुब में आगे बढ़ने लगी जैसे ही आपकी कश्ती उस कश्ती के पास पहुँची आपने जवाबे छींक बुलन्द आवाज़ में फ़रमाया "यरहमुकल्लाह" कश्ती के अन्दर से जवाब दर जवाब आया "यहदीकुमुल्लाहु व युसलिहु बा लकुम" अब आपने अपनी कश्ती के मल्लाह से फ़रमाया मेरा काम हो चुका है मुझे वापस किनारे पर ले चलो। मल्लाह ने हैरान होकर अ़र्ज़ किया क्या आपने सिर्फ़ छींक का जवाब देने के लिये दो दीनार ख़र्च कर दिये ? आपने इरशाद फ़रमाया हाँ! बिलआख़िर किराया अदा करके आप जैसे ही किनारे पर तशरीफ़ लाए ग़ैब से आवाज़ आई ऐ अबू दाऊद तुमने दो दीनार के बदले जन्नत ख़रीद ली।

(10) छींक या जमाही में मुँह पर हाथ रखें:- छींक और जमाही का आ़म अख़्लाक़ी अदब ये है कि जब छींक या जमाही आए तो लोगों के सामने न मुँह खोले और न ज़्यादा आवाज़ करे बल्कि मुँह पर हाथ रखे और आवाज़ हलकी करे ताकि पास बैठने वाले छींक और जमाही से तबीअ़त पर बुरा असर न लें एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि छींक के वक़्त सर झुका लो और मुँह छुपालो और आवाज़ को नीचा कर लो यही अल्लाह को पसन्द है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जब तुम में से किसी को जमाही आए तो मुँह पर हाथ रखकर उसे रोके क्योंकि शैतान अन्दर दाख़िल होता है। (मुस्लिम शरीफ़)

जमाही शैतान की तरफ़ से है जब बंदा जमाही में मुँह खोलता है शैतान मुँह के अन्दर घुस जाता है। बन्दा "हा, हा" और "क़ाह, क़ाह" की आवाज़ निकालता है तो शैतान क़हक़हा मारकर हंसता है। जमाही को रोकना चाहिये। जब जमाही आने लगे तो ऊपर के दाँतों से निचले होंठ को दबाएं या उल्टे हाथ की पीठ मुँह पर रख दें। अगर नमाज़ में क़याम (खड़े होने) की हालत में जमाही आए तो सीधे हाथ की पीठ मुँह पर रखें और बाक़ी रुक्नों में उल्टे हाथ की पीठ। जमाही रोकने का एक तरीक़ा ये भी है कि जब कभी जमाही आना शुरु हो फ़ौरन दिल में ख़्याल करें कि अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम को जमाही कभी नहीं आई या यही तसव्वुर कर लें कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी जमाही नहीं आई क्योंकि जमाही शैतान की तरफ़ से होती है और अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम शैतान के असर से महफ़ूज़ हैं। इंशा अल्लाह जमाही फ़ौरन रुक जाएगी।

बैठने उठने के आदाब

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जहाँ अपनी उम्मत यानी मुसलमानों को ज़िन्दगी के बहुत से आदाब सिखलाए वहाँ उठने-बैठने के भी तरीक़े बतलाए। ये तरक़े आदाबे मजलिस या आदाबे महफ़िल कहलाते हैं। इन आदाब पर अ़मल करने से आपसी मुहब्बत बढ़ती है और एक दूसरे का एहतराम पैदा होता है। तहज़ीब व अख़्लाक़ की तारीख़ में बुलन्द मक़ाम पैदा होता है। बैठने-उठने के आदाब ज़िन्दगी के दूसरे शोअ़बों पर असर करते हैं वह क़ौम या लोग बड़े बा तहज़ीब कहलाते हैं जो उ़म्दा तरीक़े से बैठते या उठते हैं। और उठने-बैठने के जो आदाब इस्लाम ने मुक़र्रर फ़रमाए हैं उन पर अ़मल करने से इन्सानी सीरत की तअ़मीर होती है। इसके अ़लावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े पर उठना-बैठना दीनी व दुनियवी फ़ायदों का सबब बनता है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े को अपनाने से बे पनाह नेकियों में इज़ाफ़ा होता है। इसलिये हर मुसलमान को चाहिये कि ख़्वाह अकेला बैठे या किसी मजलिस में बैठे, उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े से बैठना चाहिये, क़ुरआन व सुन्नत के मुताबिक़ बैठने उठने के आदाब हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) बैठने का एक सुन्नत तरीक़ा:- यूँ तो जगह के हिसाब के साथ जिस तरह आसानी महसूस करें बैठ सकते हैं बैठने का एक सुन्नत तरीक़ा ये है कि सुरीन (चूतड़) ज़मीन पर रखें और दोनों घुटनों को खड़ा करके दोनों हाथों से घेर लें और एक हाथ को दूसरे से पकड़ लें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अकसर इस तरह बैठा करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर कहते हैं कि मैंने कअ़बे के सहन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपने हाथों के ज़रिये गोट मारकर बैठे हुए देखा। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बैठने के बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने बयान किया है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कअ़बे शरीफ़ के सहने पाक में अपनी दोनों मुबारक पिण्डलियों को पाक हाथों के दायरे में लेकर बैठे देखा। उस वक़्त एहले अ़रब में बैठने का ये तरीक़ा आ़म था। ज़्यादातर वह लोग इसी तरह बैठा करते थे। ये बैठने का एक ख़ास तरीक़ा था। जिसकी सूरत ये होती हे कि

दोनों ज़ानू (रान) को खड़े कर लिये जाते हैं, तलवे ज़मीन की तरफ़ होते हैं और दोनों हाथों से पिण्डलियों पर हलक़ा बाँध लेते हैं। बअ्ज़ वक़्त हाथों का हलक़ा बाँधने की बजाए कपड़ा बाँध लिया जाता है इसी बात की तसदीक़ एक और हदीस में यूँ है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठते तो अपने हाथों से हलक़ा बाँध लेते। (रज़ीन)

एक और हदीस में यही बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने के बारे में यूँ बयान हुई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत कैला बिन्त मख़रमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में क़ुरफ़सा के तरीक़े पर बैठे हुए देखा उनका बयान है कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ाकसारी देखी तो मैं ख़ौफ़े ख़ुदा से काँप उठी। (अबू दाऊद शरीफ़)

क़ुरफ़सा का मतलब है कि अपने जिस्म को ज़मीन पर लगा दें और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेर लें और एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लें। क्योंकि इस तरह बैठने से ख़ाकसारी और आजेज़ी ज़ाहिर होती है इसलिये हुज़ूर ने इसे पसन्द फ़रमाया है।

(2) चार ज़ानू बैठने का सुन्नत तरीक़ा:- चार ज़ानू (रान, घुटना) बैठना भी सुन्नत है यानी ज़ानुओं को ज़मीन पर बिछाकर उनके ऊपर जिस्म का बोझ डाल कर बैठना। ये तरीक़ा बहुत ही अदब वाला है इसलिये अकसर बुज़ुर्गाने दीन ने इसे पसन्द फ़रमाया और इख़्तियार किया क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि आप नमाज़ के बाद चार ज़ानू होकर बैठा करते थे। अलबत्ता अगर किसी वजह से या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से चार ज़ानू होकर न बैठ सकें तो फिर जिस तरह सुकून महसूस करें उसी तरह बैठ जाएं।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि, नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ फ़ज्र पढ़ लेते तो अपनी जगह पर चार ज़ानू बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह तुलूअ़ (उदय) हो जाता। (अबू दाऊद शरीफ़)

बअ्ज़ सूफ़िया-ए किराम का क़ौल है कि बुज़ुर्गों की जगह पर

बैठने से गुरेज़ करना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि उस बा अदब मक़ाम पर बैठने से कोई ख़िलाफ़े अदब बात हो जाए इस लिये बुज़ुर्गों की जगह पर बैठना ख़िलाफ़े अदब है।

(3) बैठे हुए तकिये पर टेक लगाना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तकिये को पसन्द फ़रमाया है इसलिये तकिये के साथ टेक लगाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि टेक लगाने से जिस्म को आसानी और राहत महसूस होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि बाएं पहलू पर तकिये से टेक लगाए हुए थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

अगर तकिया मौजूद न हो तो फिर चादर या किसी और चीज़ यानी बिस्तर वग़ैरा से भी टेक लगाना दुरुस्त है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चादर को भी तकिये की जगह पर इस्तेमाल फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत ख़ब्बाब का बयान है कि मैं हुज़ूर की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ तो आप चादर से टेक लगाए हुए थे मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि क्या आप दुआ़ नहीं करेंगे इस पर आप उठ बैठे। (बुख़ारी शरीफ़)

किसी को तकिया या चादर वग़ैरा पेश करना भी नेकी व सवाब है ताकि आने वाला साथी ख़ुशी महसूस करे, हज़रत सलमान फ़ारसी का क़ौल है कि एक मर्तबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मते अक़्दस में हाज़िर हुआ उस वक़्त आप एक तकिये से टेक लगाए बैठे थे। हुज़ूर ने वह तकिया अपने पास से निकालकर मुझे पेश किया और फ़रमाया कि ऐ सलमान! अगर कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलाम भाई से मिलने जाए और वह बराए तअ़ज़ीम अपना तकिया उसे पेश कर दे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। (मुस्तदरक हाकिम)

(4) चटाई पर बैठना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़्यादातर चटाई पर बैठते इसलिये चटाई पर बैठना भी सुन्नत है। उ़लमा-ए किराम का क़ौल है कि जब भी बैठें तो तहज़ीब के अन्दाज़ से बैठें ख़्वाह बैठने वाली कोई चीज़ हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की है कि नबी-ए करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात के वक़्त चटाई का हुजरा बना लिया करते और उसमें नमाज़ पढ़ते और दिन के वक़्त उसे इकट्ठा कर लेते और उस पर जलवा फ़रमा हुआ करते, लोग नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जमा होकर आपके साथ नमाज़ पढ़ने लगे यहाँ तक कि उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई। तो उनकी जानिब मुतवज्जेह होकर आपने फ़रमाया, वह आ़माल इख़्तियार करो जिनके करने की तुम्हारे अन्दर ताक़त हो क्योंकि अल्लाह तआ़ला नहीं उकताता जब तक तुम उकता न जाओ और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक प्यारे आ़माल (नेक काम) वह हैं जो हमेशा किये जाएं अगरचे वह थोड़े हों। (बुख़ारी शरीफ़)

अगर चटाई या कोई चीज़ बैठने के लिये न हो तो फिर साफ़ ज़मीन जिस पर बैठने से गर्द न लगे या साफ़ फ़र्श वग़ैरा पर बैठ जाना भी दुरुस्त है। एक ह़दीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये एक तकिया लगा दिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और आप ज़मीन पर बैठ गए।

(5) बुरे अन्दाज़ में बैठना ख़िलाफ़े सुन्नत है:- बैठने का ऐसा अन्दाज़ जिससे जिस्मानी बे पर्दगी होने का अन्देशा हो या बैठने का वह तरीक़ा जिस से बैठने में ग़ुरूर और तकब्बुर ज़ाहिर हो उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है जैसा कि टाँग पर टाँग चढ़ाकर बैठना ख़िलाफ़े अदब है इसके अ़लावा एक बैठने का बुरा अन्दाज़ ये भी है जिसकी इस ह़दीस में मज़म्मत फ़रमाई गई है।

ह़दीस शरीफ़: अ़मर बिन शरीद से रिवायत है कि उनके वालिद माजिद ने फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मैं इस तरह बैठा हुआ था कि मैंने अपना बायाँ हाथ पीछे पीठ पर रखा हुआ था और हाथ से सुरीन (चूतड़) को टेक लगाई हुई थी। फ़रमाया क्या तुम उनकी तरह बैठते हो जिन पर ग़ज़ब फ़रमाया गया है।(अबू दाऊद शरीफ़)

(6) जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना सुन्नत है:- पाक और साफ़ जगह बैठें और आसानी से बैठें किसी ऐसी जगह पर न बैठें जहाँ पर जिस्म को तकलीफ़ पहुँचे या गिरने का ख़तरा हो। घर में या बाहर जहाँ पर बैठें कोशिश करें कि कअ़बे की तरफ़ पीठ करके न बैठें। अगर किसी मजलिस में जाएं तो जहाँ जगह मिल जाए आराम से बैठें। मजलिस में

घुसने की कोशिश न करें।

हदीस शरीफ़:– हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते तो हम में से हर एक जहाँ जगह पाता बैठ जाता। (अबू दाऊद शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीक़ा ये था कि जहाँ मिल जाती बैठ जाया करते थे। हज़रत इमाम हसन से रिवायत है कि मैं ने अबी हाला से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बैठते थे? उन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते–बैठते अल्लाह तआला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। और कोई जगह अपने बैठने के लिये ख़ास न फ़रमाते और दूसरों को भी ऐसा करने से मना फ़रमाते। जब किसी क़ौम की मजलिस में तशरीफ़ ले जाते तो मजलिस के आख़िरी हिस्से में बैठ जाते और दूसरों को भी ऐसा करने की नसीहत फ़रमाया करते थे। अपने साथ बैठने वालों को आला क़द्रे मरातिब (यानी उनके मरतबे और क़ाबलियत के मुताबिक़) नवाज़ा करते थे जिससे हर एक यही गुमान करता था कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रे करम मेरे ही हाल पर है। जो शख़्स बारगाहे रिसालत में हाज़िर होता या किसी हाजत के सबब आता तो जब तक वह फ़ारिग़ हो कर चला न जाता इतनी देर आप उसके पास तशरीफ़ रखते। जिस ने भी आप की ख़िदमते पाक में अपनी हाजत पेश की, उसकी आपने हाजज रवाई फ़रमाई या उसे समझाकर मुतमइन (संतुष्ट) कर दिया।

(7) दूसरे को उठाने की मुमानिअत:– आम हालात में किसी शख़्स को मजलिस से उठाकर उसकी जगह पर ख़ुद नहीं बैठना चाहिये क्योंकि इसमें बरतरी और ख़ुद पसन्दी का इज़हार होता है। इसलिये ऐसा नहीं करना चाहिये। किसी को ज़बरदस्ती उसकी जगह से उठाने में उठने वाले के दिल में नफ़रत का जज़्बा पैदा होगा जो अख़्लाक़ी मुरव्वत के ख़िलाफ़ है अलबत्ता अगर किसी को इन्तिज़ामी नुकत–ए–नज़र से या किसी और ज़रूरी वजह से उठाना पड़े तो मअज़िरत के साथ उठाने में कोई हरज नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से कोई दूसरे को न उठाकर उसकी जगह पर बैठे, हां जगह निकाल दो और जगह दे दो। (अबू दाऊद)

इस हदीस से ख़ास कर उन लोगों को नसीहत हासिल करनी

चाहिये जो मजालिस या इज्तिमाअ़ (जलसे) में अपने लिये या किसी अमीर आदमी के लिये कम हैसियत वाले शख़्स को डाँट कर उठा देते हैं। और उनकी जगह या तो ख़ुद बैठ जात हैं या किसी अमीर आदमी को बैठा दिया जाता है। ये तरीक़ा क़ाबिले मज़म्मत है इसलिय ऐसी आ़दत को हमेशा के लिये छोड़ देना चाहिये।

(8) सरकना सुन्नत है:- बैठने का आठवाँ अदब ये है कि जब कोई बैठने वाला आए और आप उसे क़रीब में जगह देने के लिये थोड़ा सा सरक जाएं यानी ख़ुद को इकट्ठा कर लें और आने वाले के लिये जगह बना दें। ऐसा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुद भी इसी तरह किया करते थे।

हज़रत वासला बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ। आप मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। हुज़ूर रहमते दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसके लिये अपनी जगह से सरक गए। उसने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह! जगह काफ़ी मौजूद है आपको सरकने और तकलीफ़ फ़रमाने की ज़रूरत नहीं। आपने इरशाद फ़रमाया, मुसलमान का हक़ ये है कि जब उसका भाई उसे देखे तो उसके लिये सरक जाए।

(9) मुक़र्रर जगह का हक़दार:- अगर कोई शख़्स मजलिस में बैठकर किसी ज़रूरत से ख़ुद उठकर चला जाए तो वापस आने के बाद वही उसी जगह पर बैठने का हक़दार है दूसरे को उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिये क्योंकि वह पहले से क़ब्ज़ा कर चुका था और उसका ये हक़ आ़रिज़ी (अस्थाई) तौर पर उठने से ख़त्म नहीं होता हां अगर ये मालूम हो जाए कि वह शख़्स अब वापस नहीं आएगा तो फिर बे तकल्लुफ़ उसकी जगह पर बैठ सकते हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स किसी काम के लिये अपनी जगह छोड़ कर जाए और फिर वापस आए तो वही उसी जगह का ज़्यादा हक़दार है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि: हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बैठे होते तो हम लोग हुज़ूर के पास आकर बैठ जाते, अगर हुज़ूर किसी वजह से उठकर तशरीफ़ ले जाते तो

वहाँ पर कोई चीज़ छोड़ जाते इससे सहाबा को ये मालूम हो जाता कि हुज़ूर वापस तशरीफ़ लाएंगे और सब लोग वहीं ठहरे रहते। (अबू दाऊद शरीफ़)

(10) किसी को जुदा करने की मुमानिअ़त:- अगर मजलिस में दो शख़्स एक साथ मिलकर बैठे हों तो उनकी इजाज़त के बग़ैर उन्हें अलग न किया जाए और न उनमें तीसरा शख़्स आकर घुस कर बैठे कि उनमें जुदाई हो जाए क्योंकि जो शख़्स भी किसी के क़रीब बैठता है, वह आपस की बे तकल्लुफ़ी या मुहब्बत के सबब बैठता है और उन्हें अलग करने से उन्हें दिली तकलीफ़ होगी। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुदा करने से मना किया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो बैठे हुए आदमियों के बीच जुदाई डालना यानी उनके बीच घुस कर बैठना जाइज़ नहीं है मगर जब कि वह इजाज़त दे दें। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जहाँ चन्द लोग पहले ही मिलकर बैठे हों उनमें घुसने की कोशिश न करें बल्कि जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं। ऐसे ही अगर किसी मक़ाम पर क़तार बनी हो तो उसमें भी न घुसें क्योंकि घुसने से पीछे वालों की हक़ तलफ़ी होगी इसलिये क़तार में अपनी बारी पर खड़े हों।

(11) हलक़े के बीच में बैठने की मुमानिअ़त:- अगर कुछ लोग किसी महफ़िल में हलक़ा बाँध कर बैठे हों तो किसी शख़्स को उसके दरमियान में नहीं बैठना चाहिये क्योंकि दरमियान में बैठने की वजह से कुछ लोगों की तरफ़ उसका मुँह होगा और कुछ लोगों की तरफ़ उसकी पीठ हो जाएगी जो एक तरह की बदतमीज़ी है और आदाब के ख़िलाफ़ है। सूफ़िया-ए किराम का इस बारे में यही तरीक़ा है कि वह मजलिस के बीच में कभी न बैठते बल्कि एक तरफ़ होकर बैठने की कोशिश करते।

हदीस शरीफ़: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया, कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक़ वह शख़्स मलऊ़न है जो हलक़े के दरमियान में बैठे।(तिर्मिज़ी अबू दाऊद)

इस हदीस में इस बात की वज़ाहत की गई है कि हलक़े के दरमियान में बैठ जाने से मजलिस बद नुमा हो जाती है और हलक़ा बाँधने का मक़सद ख़त्म होने लगता है। इसलिये बाद में आकर हलक़े के

दरमियान बैठने की मज़म्मत की गई है बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे मलऊ़न क़रार दिया है।

(12) मजलिस में सरगोशी (काना-फूसी) की मुमानिअ़त:- मजलिस में बैठकर दो आदमी आपसे में चुपके-चुपके कानों में बातें न करें क्योंकि सरगोशी से बदगुमानी पैदा होती है इसलिये इसे मना फ़रमाया गया है। सरगोशी से दूसरों के दिलों में ये बद ख़्याली पैदा होती है कि शायद वह हमारे ख़िलाफ़ ही कोई बात कर रहे हैं और यह एहसास भी उठता है कि सरगोशी करने वालों ने हमें अपनी राज़ की बातों में शरीक करने के क़ाबिल न समझा। हज़रत जमाअ़त अ़ली शाह मुहद्दिस अ़लीपुरी अपने मुरीदों को मजलिस में बैठकर काना फूसी करने से मना फ़रमाया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम तीन हो तो, दो तीसरे को छोड़कर आपस में काना फूसी न करें ताकि तीसरा रंजीदा न हो अगर ज़्यादा हों तो कोई हरज नहीं। (मुस्लिम शरीफ़)

(13) मजलिस को फलाँगने की मुमानिअ़त:- मजलिस में फलाँगने से परहेज़ करना चाहिये क्योंकि फलाँगने से पहले से बैठे हुए हज़रात को तकलीफ़ और दुशवारी होगी। मसजिद में आ़मतौर से लोग बाद में आकर आगे पहुँचने की कोशिश करते हैं ख़ासकर ईदैन और जुमा की नमाज़ के वक़्त लोग फलाँगते हुए आगे चले जाते हैं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने जुमा के दिन लोगों की गर्दनों को फलाँगा वह जहन्नमियों के लिये पुल बना दिया गया।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(14) महफ़िल में साथ-साथ बैठने की ताकीद:- मजलिस में अलग-अलग होकर बैठना मना है बल्कि एक दूसरे के साथ-साथ बैठना चाहिये और ये कोशिश भी न करें कि बाद में आकर सबसे आगे बैठें बल्कि इस तरह बैठें कि आने वालों को आसानी से जगह मिल जाए और बैठने वालों को कोई ज़हमत न हो और जब महफ़िल में ज़्यादा लोग आ जाएं तो बैठे हुए लोगों को चाहिये कि वह सिमट जाएं ताकि आने वाले भी बा आसानी बैठ सकें।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि: सहाबा बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया क्या बात है मैं तुमको अलग-अलग व मुन्तशिर बैठा हुआ पाता हूँ। (अबू दाऊद शरीफ़)

(15) साए और धूप में बैठने का उसूल:- मौसम के लिहाज़ के मुताबिक़ धूप या साए में बैठें आधा जिस्म धूप में और आध साए में करके न बैठें क्योंकि इस तरह बैठने से तबीअ़त ख़राब होने का ख़तरा होता है। सर्दियों में धूप में बैठें और गर्मियों में साए में बैठना चाहिये। अगर दिन के वक़्त किसी ऐसे मक़ाम पर बैठे हों जहाँ धूप आनी शुरु हो जाए तो उस वक़्त वहाँ से हट कर साए में आ जाना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से जब कोई शख़्स साए में बैठा हो, फिर वह साया जाता रहे और उसके जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साए में हो तो उसको चाहिये कि वह उठ खड़ा हो।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(16) बाज़ार और रास्ते में बैठने की मुमानिअ़त:- अल्लाह के ख़ास बंदे बाज़ार या रास्ते में नहीं बैठते क्योंकि ये शरीअ़त और तरीक़त के वक़ार (मर्तबे) के ख़िलाफ़ है लिहाज़ा किसी बुज़ुर्ग आ़लिमे दीन, उस्ताद, सूफ़ी या शेख़े तरीक़त को बाज़ार और सरे राह रुकावट बनकर नहीं बैठना चाहिये अगर किसी ख़ास ज़रूरत के तहत बैठना ही पड़े तो निहायत ही शरीफ़ाना अन्दाज़ में बैठें किसी आने वाले का मज़ाक़ न उड़ाएं। बअ़ज़ लोगों की ये आ़दत बन जाती है कि गली या सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वालों को हैरत की नज़र से देखते हैं या औ़रतों पर नज़र बाज़ी करना, ये बिल्कुल इस्लामी और अख़्लाक़ी आदाब के ख़िलाफ़ है और ऐसा करना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बाज़ारों में बैठने से बचो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह! हमें तो वहाँ बैठे बग़ैर चारा नहीं वहाँ हम बातें करते हैं इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर तुम्हें बैठना ही है तो रास्ते का हक़ अदा करो। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ! रास्ते का हक़ क्या है? आपने फ़रमाया, नज़र नीची रखना, तकलीफ़ न देना, सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म और बुराई से

रोकना। (बुख़ारी शरीफ़)

(17) अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिये:- इन्सानी अख़्लाक़ व किरदार पर दूसरों की सोहबत का बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिये बैठते वक़्त अच्छे लोगों को नज़र में रखें ताकि उनके पास बैठने से अच्छाई पैदा हो।

इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फ़रमाया है कि, रूहें एक महफ़ूज़ फ़ौज हैं जिनमें आपस में मुलाक़ात होती है उनमें उलफ़त व मुहब्बत पैदा होती है और जिनमें जुदाई होती है उनमें फ़र्क व इख़्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। एक मशहूर मिस्ल है कि अगर किसी के अख़्लाक़ का पता लगाना चाहो तो उसके दोस्तों के अख़्लाक़ का पता लगाओ। इस नुकते को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन लफ़्ज़ों में ज़ाहिर किया है कि: आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है इसलिये हर शख़्स को देख लेना चाहिये कि वह किससे दोस्ती करता है। फिर फ़रमाया कि अच्छे साथी और बुरे साथी की मिसाल मुश्क बेचने वाले और लोहार की भट्टी की है। मुश्क बेचने वाले से तुमको कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा या उसको ख़रीदो गे या उसकी ख़ुशबू पाओगे लेकिन लोहार की भट्टी तुम्हारा घर या कपड़ा जलाएगी या तुम्हारे दिमाग़ में उसकी नागवार बू पहुँचेगी।

(18) मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करना:- अच्छी मजलिस वही होती है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया जाए , अच्छी बातें की जाएं, नसीहत व तालीम दी जाए, अल्लाह के सिफ़ाती (सगुण) नामों का ज़िक्र किया जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाए और किसी क़िस्म की ख़िलाफ़े अदब या बुरी बात न की जाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया: जब कुछ लोग मजलिस का इनइक़ाद (आयोजन) करते हैं और फिर अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और बारगाहे रिसालत में हदिया दुरूद भेजे बग़ैर उठ खड़े होते हैं तो वह उनके लिये ज़रियए नुक़सान है अगर चाहे तो उनको अ़ज़ाब दे और चाहे तो बख़्श दे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(19) मजलिस में कुशादगी करने का हुक्म:- मजलिस में किसी इम्तियाज़ी (ख़ास) जगह पर बैठने से परहेज़ कीजिये। किसी के यहाँ जाएं तो वहाँ भी उसकी अहम जगह पर बैठने की कोशिश न कीजिये,

हां अगर वह ख़ुद ही इसरार करे तो बैठने में कोई हरज नहीं और मजलिस में हमेशा अदब से बैठिये। पाँव फैलाकर या पिण्डलियाँ खोलकर न बैठिये।

अकसर ऐसा होता है कि लोग मजलिस में ये कोशिश करते है कि उस अहम जगह में नहीं तेा उससे जिस क़द्र क़रीब जगह हो उसी में बैठें। इसका नतीजा ये होता है कि मजलिस के सदर के पास जगह बहुत तंग हो जाती है और लोगों को वहाँ से ज़रा सरकने और दूसरों के लिये जगह बनाने के लिये कहा जाए तो वह बुरा मानते हैं। इसके बारे में इरशादे बारी तआ़ला है:

तर्जमा कु़रआन शरीफ़: मोमिनों! जब तुम से कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुल कर बैठा करो ख़ुदा तुमको कुशादगी (फैलाव) बख़्शेगा और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हुआ करो, जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अ़ता किया गया है ख़ुदा उनके दर्जे बुलन्द करेगा और ख़ुदा तुम्हारे सब कामों से वाक़िफ़ है।

(पारा 28, मुजादिला, 11)

हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है: जब कोई शख़्स किसी क़ौम के पास आए और उसकी ख़ुशनूदी के लिये वह लोग जगह ख़ाली कर दें तो अल्लाह पर हक़ है कि उनको राज़ी करे। (तिबरानी)

(20) मजलिस से उठने की दुआ़:- इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि मजलिस से उठते हुए अल्लाह का नाम लें और मजलिस में वह बात जो ख़िलाफ़े नेकी हो गई हो उसकी अल्लाह तआ़ला से माफ़ी तलब की जाए लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ये दुआ़ पढ़ने की तालीम फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख़्स किसी मजलिस में बैठा और उस मजलिस में शोर व गुल ज़्यादा हुआ तो उस आदमी ने उठने से पहले कहा "ऐ अल्लाह! तू पाक है मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ और गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मैं तुझसे बख़्शिश चाहता हूँ और तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ तो उससे मजलिस में सरज़द होने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (तिर्मिज़ी)

(21) मजलिस के ख़त्म होने पर ये दुआ़ पढ़ें: जब किसी मजलिस को ख़त्म करें तो ये दुआ़ पढ़ें क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर

रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी मजलिस से उठकर जाते तो ये दुआ़ पढ़ते: (**तर्जमा:** खुदाया तू हमें अपना ख़ौफ़ और अपना डर नसीब कर जो हमारे और गुनाह के दरमियान आड़ बन जाए और वह फ़रमांबरदादी दे जो हमें तेरी जन्नत में पहुँचा दे और हमें वह पुख़्ता यक़ीन अ़ता फ़रमा जिससे हमारे लिये दुनिया के नुक़सानात बेकार हो जाएं। ख़ुदाया तू जब तक हमें ज़िन्दा रखे हमें हमारे सुनने, देखने की ताक़तों और जिस्मानी ताक़तों से फ़ायदा उठाने का मौक़ा दे और इस ख़ैर को हमारे बाद भी बरक़रार रख और जो हम पर ज़ुल्म करे उससे हमारा बदला ले और जो हमसे दुश्मनी करे उस पर हमें जीत अ़ता फ़रमा। और हमें दीन की आज़माइश में गिरफ़्तार न कर और दुनिया को हमारा अहम मक़सद न बना और दुनिया को हमारे इ़ल्म व अ़क़लमन्दी की इन्तिहा ठहरा और न हम पर उस शख़्स को क़ाबू दे जो हम पर रहम न करे।) (तिर्मिज़ी)

हिकायत:- हज़रत हातिम असम की ख़िद्मत में एक मालदार शख़्स आया और उसने दावते तुआ़म की पेशकश की। आपने इन्कार किया बिल आख़िर आपने फ़रमाया मेरी तीन शर्ते हैं अगर क़ुबूल करो तो मैं तुम्हारी दावत क़ुबूल कर लेता हूँ, अर्ज़ किया फ़रमाइये, तो उन्होंने कहा पहली शर्त यह है कि जहाँ चाहूँगा वहीं बैठूँगा, दूसरी शर्त यह है कि जो चाहूँगा वही खाऊँगा, तीसरी शर्त यह है कि जो कहूँगा वह करना होगा। उसने सोचा कि जहाँ चाहूँगा वहीं बैठने का मतलब यह है कि आप क़ालीन पर नहीं बैठेंगे, चटाई पर या ज़मीन पर बैठ जाएंगे, दूसरी शर्त का मतलब यह होगा कि आप उ़मदा चीज़ नहीं खाएंगे सादा चीज़ खा लेंगे, जो कहूँगा वह करना होगा इससे मुराद यही होगी कि आप फ़रमाएंगे बेटा नमाज़ रोज़े की पाबन्दी किया करो, ज़िन्दगी सुन्नत के मुताबिक़ गुज़ारो वग़ैरा। तो मैं सर हिला दूँगा, लिहाज़ा उसने यह फ़ैसला कर लिया कुछ भी हो जाए अल्लाह के वली के क़दम हमारे घर ख़ैर से आएं तो।

चुनान्चे उसने अ़र्ज़ किया हुज़ूर! मुझे मन्ज़ूर है वक़्त तय हो गया उस शख़्स ने ख़ुशी के मारे बहुत बड़ी मेहमान नवाज़ी का एहतिमाम किया और लोगों को कहता फिरता था कि मेरे घर में फलां दिन अल्लाह के एक वली की आमद होने वाली है।

जब मुक़र्रर दिन आया तो हज़रत सैय्यदना हातिम असम रहमतुल्लाहि अ़लैहि उस दावत में तशरीफ़ ले गए निहायत ही बेहतर

इन्तेज़ाम के साथ दावते तुआ़म का एहतिमाम किया गया था और लोगों का कसीर मजमा था। आप आते ही जूतियों के ढेर पर बैठ गए, चूँकि शर्त थी कि आप जहाँ चाहेंगे वहीं बैठेंगे मेज़बान कुछ बोल न सका। जब तुआ़म का सिलसिला शुरु हुआ तो लोगों ने मुरग़न (घी वाले) खानों पर हाथ साफ़ करना शुरु किया और उस अल्लाह के वली को देखिये, अपनी झोली में हाथ डाला और एक सूखी रोटी निकाली उसको खाना शुरु कर दिया। जब तुआ़म का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आपने मेज़बान को तलब फ़रमाया उससे फ़रमाया एक बड़ी अंगीठी (चूल्हा)लाओ और उसमें आग जलाकर एक बड़ा सा तवा उस पर उलट दो। हुक्म की तकमील की गई जब तवा गर्म होकर सुर्ख़ अंगारा बन गया तो देखने वालों ने देखा कि हज़रत हातिम अस्म नंगे पावँ उस दहकते हुए तवे पर इतमीनान से खड़े हो गए और फ़रमाया ''मैंने आज के खाने में एक सूखी रोटी खाई है'' फिर तवे से उतर गए और हाज़िरीन से फ़रमाया कि अब सब बारी बारी इस तवे पर चढ़कर आज के खाने का हिसाब दो लोगों की तो चीखें निकल गईं और बयक ज़बान होकर कहा आ़ली जाह! आप तो वली हैं और नंगे पाँव दहकते हुए तवे पर खड़ा होना यह तो आपकी करामत है हम तो दुनियादार और गुनहगार लोग हैं हम भला कहाँ इस गर्म तवे पर खड़े हो सकते हैं ये सुनकर आपने निहायत बा असर अन्दाज़ में बयान फ़रमाया भाइयों! क़यामत के उस पचास हज़ार साला दिन पर ग़ौर करो जब सूरज बहुत ही क़रीब होगा और सूरज का अगला रुख़ हमारी तरफ़ होगा जबकि आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है और उसका पिछला रुख़ हमारी जानिब है, ज़मीन ताँबे की होगी अल्लाह के अ़र्श के सिवा कोई साया न होगा उस वक़्त तुम सबको ताँबे की दहकती हुई ज़मीन पर खड़ा होना पड़ेगा।

तो आज जब कि तुम एक वक़्त के खाने का हिसाब देना कि गर्म तवे पर खड़े होकर नहीं दे सकते तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे अन्दर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी जो तुम ताँबे की दहकती हुई ज़मीन पर खड़े होकर अल्लाह की तमाम नेअ़मतों का हिसाब दोगे?

ये रिक़्क़त अंगेज़ बयान सुनकर लोग धाड़ें मारकर रोने लगे और तौबा तौबा पुकारने लगे।

चलने फिरने के आदाब

इस्लाम में चलने फिरने के चन्द आदाब मुक़र्रर हैं जिन्हें चलते वक़्त याद रखना ज़रूरी है। इन आदाब का मक़सद यह है कि हर शख़्स अपने रास्ते पर इस तरह चले कि किसी दूसरे चलने वाले का हक़ ख़त्म न हो। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस तरह ज़िन्दगी के हर पहलू पर क़ायदे व ज़ाबते और उसूल बयान फ़रमाए हैं उसी तरह बाज़ार ,सड़क, गली, मुहल्ले, खेत गोया कि हर जगह पर चलने के लिय चन्द अख़्लाक़ी उसूल मुक़र्रर फ़रमाए हैं ताकि चलने में किसी शख़्स को दूसरे से कोई तकलीफ़ और दुःख न पहुँचे। और हर शख़्स अपनी राह पर आजेज़ी , संजीदगी और वक़ार के साथ चलता जाए ताकि किसी की शराफ़त और इन्सानियत ज़ख़्मी न हो। चलने-फिरने के आदाब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल फ़रमाया और फिर अपने सहाबा को उन पर अमल पैरा होने की तालीम फ़रमाई। लिहाज़ा जो शख़्स चलने फिरने के इस सुन्नत तरीक़े पर अमल करेगा उसे बे पनाह अज्र मिलेगा। क़ुरआन व सुन्नत के मुताबिक़ चलने के आदाब हस्बे ज़ैल हैं:-

(1) **संजीदगी और आजेज़ी से चलने का हुक्मः-** चलने का सबसे पहला और बुनियादी उसूल ये है कि ख़ाकसारी और आजिज़ी से दबे पाँव चलिये। न ज़्यादा तेज़ चलें और न ज़्यादा सुस्त चलें। बल्कि अपनी जिस्मानी ताक़त और क़ुव्वत के मुताबिक़ दरमियानी चाल से चलिये। बुज़ुर्गाने दीन और सूफ़िया ने हमेशा दरमियानी चाल को पसन्द फ़रमाया है। क्योंकि दबे पाँव चलने वालों को अल्लाह तआला ने अपने बंदे क़रार दिया है।

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: और ख़ुदा के बंदे तो वह हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहेलाना गुफ़्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अदब और वक़ार से चलते, अपनी निगाहों को रास्ते पर रखते। इधर-उधर बहुत कम देखते, आपके चलने के बारे में हज़रत अली से रिवायत है कि :हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो ज़रा आगे झुक कर चलते और ऐसा मालूम होता कि आप बुलन्दी से उतर रहे हैं। (शमाइले तिर्मिज़ी)

हज़रत अली हिजवेरी ने इस आयते करीमा की वज़ाहत करते हुए

फ़रमाया है कि अल्लाह के तलबगार पर लाज़िम है कि वह चलने में ये बात सोचे कि जो क़दम वह चलने में उठाता है क्या वह अपनी ताक़त से उठाता है या ख़ुदा की ताक़त से। अगर वह ये ख़्याल करे कि अपनी ताक़त से, तो फिर इस्तिग़फ़ार करे और अगर इस पर यक़ीन हो कि ख़ुदा की दी हुई ताक़त से चल रहा है तो उसे इस यक़ीन पर और पुख़्तगी हासिल करनी चाहिये। (कश्फ़ुल महजूब)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़्यादा ख़ूबसूरत और बेहतर किसी को नहीं देखा। गोया कि सूरज की सी शुआए सरकारे मदीना के चेहरए अनवर से फूट रही हैं और मैंने सरकारे मदीना से तेज़ रफ़्तार भी कभी नहीं देखी गोया कि ज़मीन आपके लिये समेटी जा रही है। हम अपनी तरफ़ से पूरी ताक़त ख़र्च कर डालते मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रफ़्तार में कोई तकलीफ़ न महसूस फ़रमाते थे।

(2) अकड़ कर चलने की मुमानिअ़त:- इस्लाम ने अकड़ कर चलने से मना फ़रमाया है क्योंकि अकड़ कर चलना ग़ुरूर और तकब्बुर की निशानी तसव्वुर की जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसन्द नहीं क्योंकि बड़ाई लायक़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है इसलिये अकड़ कर चलना दुरुस्त नहीं। अल्लाह तआ़ला ने अकड़कर चलने की यूँ मुमानिअ़त फ़रमाई है:-

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: और लोगों की तरफ़ से अपना रुख़ न फेर और ज़मीन में अकड़ कर न चल बेशक अल्लाह को शेख़ी मारना और फ़ख़्र करना पसन्द नहीं। (पारा 21, लुक़मान, 18)

ग़ुरूर और घमण्ड चाल में ढलकर ज़ाहिर होता है इसलिये ऐसी चाल चलने से मना कर दिया गया है कि जिसमें ख़ुद पसन्दी और फ़ख़्र का माद्दह हो। इसी बात की अल्लाह तआ़ला ने दूसरी जगह यूँ वज़ाहत फ़रमाई है:-

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: और ज़मीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू ज़मीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुँच जाएगा।

अल्लाह के इस फ़रमान की और वज़ाहत हदीस पाक में यूँ बयान की गई है:-

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जो अपने लिये बड़ा बनता हो और चाल में अकड़ने वाला हो, अल्लाह तआ़ला उससे उस ह़ाल में मिलेगा कि वह उस पर ग़ज़बनाक होगा।

(मुकाशिफ़तुल कुलूब)

मुहल्लब बिन अबी सफ़रा जो कि हिजाज बिन यूसुफ़ के लश्कर का सिपेहसालार था, एक बार उस ज़माने के एक बुज़ुर्ग हज़रत मुतर्रफ़ की तरफ़ अपने रेशमी लिबास में मग़रूराना चाल से अकड़ता हुआ निकला। हज़रत मुतर्रफ़ ने उससे फ़रमाया कि ऐ बन्द-ए-ख़ुदा! तू जिस तरह से चलता है इस क़िस्म की चाल से अल्लाह तआ़ला और उसका नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नफ़रत करते हैं। मुहल्लब ने जवाब दिया कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? हज़रत मुतर्रफ़ ने फ़रमाया कि मैं तुझे ख़ूब जानता हूँ कि शुरु में तू एक नापाक नुत्फ़ा था और आख़िर में एक सड़ा हुआ मुर्दार होगा और तेरे अन्दर जो कुछ गन्दगी भरी हुई है उसको सब जानते हैं, मुहल्लब ने शर्माकर वह चाल छोड़ दी।(मुकाशिफ़तुल कुलूब)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक आदमी दो चादरों में अकड़ कर चल रहा था और उसके नफ़्स को ये बात बड़ी पसन्द थी तो उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और वह उसमें क़यामत तक धंसता ही जाएगा। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत मुहम्मद बिन वासेअ़ ने अपने बेटे को देखा कि वह अकड़ता हुआ जा रहा है तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया तू जानता है कि तेरी माँ कौन है? मैंने उसे एक सौ दिरहम (मेहर) में ख़रीदा और तेरा बाप यानी मैं तो ऐसा हूँ कि अल्लाह तआ़ला मुसलमानों में ऐसों की ज्यादती न करे। (मुकाशिफ़तुल कुलूब)

(3) जमाअ़त के साथ चलने का तरीक़ा: किसी दोस्त या जमाअ़त के साथ जब चलें तो उससे आगे न बढ़ें बल्कि साथ-साथ चलें और न किसी तरह अपनी अलग शान बनाएं। जमाअ़त या दोस्त से ज़्यादा पीछे रहने की कोशिश न करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सहाब-ए किराम के साथ चलते तो आप अपनी इम्तियाज़ी (ख़ास) शान

ज़ाहिर न होने देते मगर इसके बावजूद अल्लाह की तरफ़ से आपके चेहर-ए-अनवर पर अनवाराते इलाहिया की ऐसी रौशनियाँ रहती थीं कि आप सहाबा में नुमायाँ मालूम होते। बअ़ज़ वक़्त आप बे तकल्लुफ़ी में किसी सहाबा का हाथ भी पकड़ लेते।

हज़रत अ़ली हिजवेरी ने फ़रमाया कि जब किसी जमाअ़त या किसी दरवेश के साथ जा रहे हों तो रास्ते में किसी और से बातों में मशगूल न हो जाएं कि साथी को आपका इन्तिज़ार करना पड़े। ग़र्ज़ ये कि हर हक़ के तलबगार की रफ़्तार ऐसी हो कि अगर कोई उससे पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो वह दिल जमई के साथ कह सके कि मैं ख़ुदा की तरफ़ जा रहा हूँ उसने मेरी रहनुमाई फ़रमाई है कि अगर इसका चलना ऐसा न हो तो इसके लिये वबाल बनने का सबब होगा। क्योंकि क़दमों की दुरुस्तगी ख़तरात से महफ़ूज़ रहने की निशानी है जो इस दुरुस्तगी की फ़िक्र में रहता है तो वह उसकी मदद फ़रमाता है। (कशफ़ुल महजूब)

(4) मर्दों और औ़रतों को अलग चलना चाहिये:- बाज़ार, सड़क या गली कूचे में औ़रतों का मर्दों के साथ मिलकर चलना दुरुस्त नहीं। औ़रतों को चाहिये कि रास्ते के एक तरफ़ होकर चलें। और मर्द एक रास्ते पर चलें और औ़रतों में घुसने की कोशिश न करें। औ़रतों को चाहिये कि बिला मक़सद बाज़ार वग़ैरा में न जाएं। अगर जाना पड़े तो फिर पर्दे में जाएं और अपने जिस्म को लिबास से अच्छी तरह छुपाकर चलें और न ही फैलने वाली ख़ुशबू लगाकर चलें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू उसैद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना जबकि आप मस्जिद से बाहर थे और रास्ते में मर्द व औ़रत एक जगह हो गए थे आपने औ़रतों से फ़रमाया, तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारे लिये रास्ते के दरमियान में चलना मुनासिब नहीं बल्कि रास्ते के एक जानिब चला करो पस औ़रतें दीवार से लिपट कर चलने लगीं यहाँ तक कि बअ़ज़ वक़्त उनका कपड़ा दीवार में अटक जाता। (अबू दाऊद, बेहक़ी)

(5) मर्द को दो औ़रतों के दरमियान चलने की मुमानिअ़त:- मर्द को दो औ़रतों के दरमियान नहीं चलना चाहिये क्योंकि इस तरह बुराई जन्म लेने का रास्ता खुलता है इसलिये इस्लाम में मना फ़रमाया गया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से

रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि कोई आदमी दो औ़रतों के दरमियान चले।

(अबू दाऊद शरीफ़)

किसी औ़रत से जान बूझ कर टकराना अच्छा नहीं। एक रिवायत में है कि गारे में गडमड हुए बदबूदार कीचड़ में लुथड़े हुए सुअर से टकराना तो गवारा किया जा सकता है लेकिन ये बरदाश्त करने की बात नहीं कि किसी मर्द के कंधे किसी अजनबी औ़रत से टकराएं।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब तुम्हारे सामने औ़रतें आ जाएं तो उनके दरमियान से न गुज़रो, दाएं या बाएं का रास्ता ले लो। (बेहक़ी)

(6) रास्ते का हक़:- रास्तों में बैठना-उठना मुनासिब नहीं आने जाने वालों के लिये बाइसे तकलीफ़ है। इसलिये रास्ते में रुक कर बैठ जाने से परहेज़ करना चाहये और अगर किसी वजह से रास्ते में रुकना भी पड़े तो फिर रास्ते का हक़ अदा करना चाहिये। रास्ते में अच्छे लोगों का साथ इख़्तियार करना चाहिये। बुरे लोगों के साथ चलने से परहेज़ कीजिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: रास्तों में बैठने से बचा करो। लोग अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हमें ऐसी जगहों पर बैठने के सिवा चारा नहीं क्योंकि वहाँ हम गुफ़्तगू करते हैं। फ़रमाया: जब तुम ने इन्कार कर दिया कि बैठना ज़रूरी है तो रास्ते का हक़ अदा किया करो। अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! रास्ते का हक़ क्या है? फ़रमाया कि : निगाह नीची रखना, हाथ रोक़ना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म फ़रमाना और बुराई से मना करना।

(7) तकलीफ़ दे चीज़ को साथ रखने की मुमानिअ़त:- बाज़ार, मस्जिद, मदरसा, गली, मुहल्ले यहाँ तक कि हर जगह पर चलते हुए इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कोई चीज़ ऐसी हाथ में या साथ में न हो जो दूसरों को दु:ख और तकलीफ़ पहुँचाए। ऐसे ही औ़रत कोई ऐसा ज़ेवर पहन कर न चले जिस में चलते वक़्त झंकार या आवाज़ पैदा हो कि उसकी

आवाज़ दूसरों के ख़्यालात को अपनी तरफ़ मुतवज्जेह और मुन्तशिर करेगी। अ़रब की औ़रतें मर्दों के सामने से जब गुज़रती थीं तो अपने पाज़ेब की आवाज़ सुनाने के लिये ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर पाँव रखती थीं इसलिये अल्लाह तआ़ला ने इसकी मुमानिअ़त कर दी।

तर्जमा कुरआन शरीफ़: और अपने पाँव ऐसे तौर से ज़मीन पर न मारें के झंकार कानों में पहुँचे और उनका पोशीदा ज़ेवर मालूम हो जाए और मोमिनों! सब ख़ुदा के आगे तौबा करो ताकि कामयाबी पाओ।

(पारा 18, सूरह नूर, आयत 31)

(8) घर से बाहर निकलने की दुआ़:- चलने का एक अदब ये है कि बाहर जाने के लिये जब घर से चलें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ़एं पढ़ें ताकि आपके घर से निकलने में रज़ाए इलाही शामिले हाल हो जाए।

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब घर से बाहर जाने के लिये चलते तो आप ये दुआ़ पढ़ते और रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर से निकलते तो आसमान की जानिब मुँह करके ये दुआ़ पढ़ते:-

بِسْمِ اللّٰہِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نُزَلَّ وَ اَنْ نَضِلَّ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ یُظْلَمَ عَلَیْنَا اَوْ نَجْھَلَ اَوْ یُجْھَلَ عَلَیْنَا

बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अ़लल्लाहि अल्लाहुम-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिन अन नज़िल-ल औ नुज़ल-ल व अन नद्विल-ल औ नुद्वल-ल औ नज़लि-म औ युज़ ल-न अ़लैना औ नज ह-ल औ युज ह-ल अ़लैना।

तर्जमा: ख़ुदा ही के नाम से मैंने बाहर क़दम रखा और उसी पर मेरा भरोसा है। ख़ुदाया मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि हम लग़ज़िश खा जाएं या कोई दूसरा हमें डगमगा दे। हम ख़ुद भटक जाएं या कोई और हमें भटका दे। हम ख़ुद किसी पर ज़ुल्म कर बैठें या कोई और हम पर ज़्यादती करे। हम ख़ुद नादानी पर उतर आएं या कोई दूसरा हमारे साथ जहालत का बर्ताव करे।

हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जब कोई घर से निकले तो ये अल्फ़ाज़ कहे:-

بِسْمِ اللّٰہِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ **"बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अ़लल्लाहि ला हौ–ल वला कुव्व–त इल्ला बिल्लाहि"**

तर्जमा: मैं अल्लाह का नाम लेकर उसके भरोसे निकला हूँ उसके सिवा कोई गुनाह से फेरने और न नेक अ़मल करने की किसी में ताक़त नहीं। (तिर्मिज़ी)

(9) बाज़ार की दुआ:- बाज़ार में चलने का अदब ये है कि बाज़ार में दाख़िल होते हुए दिल में बुराइयां से बचने का तसव्वुर लाएं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ें। हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स बाज़ार में दाख़िल होते हुए ये दुआ पढ़े तो अल्लाह तआ़ला उसके हिसाब में दस लाख नेकियाँ अ़ता फ़रमा देगा, दस लाख ख़ताएं माफ़ कर देगा, और दस लाख दरजात बुलन्द फ़रमा देगा।

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

"ला इला–ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी–क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हु–व हय्युल्ला यमूतु बि–य दिहिल ख़ैरु व हु–व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर"

तर्जमा: ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, राज उसी का है वह शुक्र व तारीफ़ का हक़दार है, वही ज़िन्दगी बख़्शता है और वही मौत देता है, वह ज़िन्दा जावेद है उसके लिये मौत नहीं। सारी भलाई उसी के क़ब्ज़-ए-क़ुदरत में है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है) (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(10) जूता पहन कर चलना चाहिये:- चलने का एक अदब यह भी है कि चलते वक़्त जूता पहनें क्योंकि जूता पहनने से पाँव कंकर, काँटे और दूसरी तकलीफ़ दे चीज़ों से महफूज़ रहता है और मूज़ी (ख़तरनाक) जानवरों से भी बचा रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जूता पहन कर चलने की ताकीद फ़रमाई है कि जूते पहना करो क्योंकि हुज़ूर ख़ुद भी जूता पहनते थे।

हज़रत क़तादह फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस तरह का जूता पहना

करते थे तो उन्होंने फ़रमाया कि हुज़ूर ऐसा जूता पहनते थे कि उसमें दो तस्मे लगे होते थे। जूते पहनकर चलने में इस बात का ख़्याल रखिये कि या तो दोनों जूते पहन कर चलिये या दोनों जूते उतार कर चलिये, एक पाँव नंगा और एक पाँव में जूता पहन कर चलना दुरुस्त नहीं। अगर सिर्फ़ एक जूता पहनने में मजबूरी हो तो फिर पहन सकते हैं।

हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाने और एक जूता पहनने से मना फ़रमाया है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि तुम में से कोई एक जूते में न चले या दोनों जूते पहने या दोनों उतार दे।

चलते वक़्त इस बात का ख़्याल रखना चाहिये कि जूते या पाँव को गन्दगी न लगे इसके बारे में हज़रत अ़ली हिजवेरी ने फ़रमाया है कि खड़ाऊँ और जूतियों को जहाँ तक हो सके ज़ाहिरी नापाकी से बचाएं ताकि अल्लाह तआ़ला उसकी बरकत से कपड़ों को पाकीज़ा रखे। चलते वक़्त जूतों से आवाज़ पैदा न करें क्योंकि हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जूतों की धमक पसन्द नहीं।

हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सख़्त गर्मी के दिन में बक़ीअ़ ग़र्क़द (क़ब्रिस्तान) की तरफ़ तशरीफ़ ले जाते और आपके पीछे दूसरे लोग आते जब आप उनके जूतों की आवाज़ सुनते तो ये बात आपको बहुत नागवार मालूम होती। आप बैठ जाते यहाँ तक कि वह लोग आगे निकल जाते और आप इसलिये ये अ़मल फ़रमाते ताकि दिल में फ़ख़्र पैदा न हो। (इब्ने माजा)

(11) फ़सल या खेत में चलने की मुमानिअ़त:- रास्ता छोड़कर किसी खेत या फ़सल में चलना अच्छी बात नहीं देहातों में अकसर वक़्त ऐसा होता है कि अगर रास्ते में थोड़ा सा चक्कर हो तो लोग उस रास्ते को छोड़ कर खेतों में से चलना शुरु कर देते हैं ऐसा करना इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है अलबत्ता अगर रास्ते में पानी है और उसके साथ किसी की ज़मीन है तो फिर उसमें चल सकता है, बोए हुए खेत में हरगिज़ न चलें क्योंकि इसमें चलना काश्तकार के लिये नुक़सान का सबब है।

आदाबे इजाज़त

किसी के मकान में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है बिला इजाज़त किसी के घर में दाख़िल होना अच्छा अख़्लाक़ नहीं क्योंकि हो सकता है कि घर में कोई बरहना (नंगा) हो या किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हो जिसे दूसरों से पोशीदा करना मक़सूद हो इसलिये इस्लाम ने ये अख़्लाक़ी उसूल बना दिया है कि किसी के घर इजाज़त के बग़ैर नहीं जाना चाहिये।

इजाज़त के मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:-

तर्जमा कुरआन पाकः मोमिनों! अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिये और उनको सलाम किये बग़ैर दाख़िल न हुआ करो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। (और हम ये नसीहत इसलिये करते हैं कि) शायद तुम याद रखो। अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाज़त न दी जाए उसमें मत दाख़िल हो। और अगर (ये) कहा जाए कि (इस वक़्त) लौट जाओ तो लौट जाया करो ये तुम्हारे लिये बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम तुम करते हो ख़ुदा सब जानता है। हां अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न रहता हो और उसमें तुम्हारा सामान रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और जो कुछ तुम ,ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो ख़ुदा को सब मालूम है।

(पारा 18, सूरह नूर, आयत 27-29)

इन आयतों में अल्लाह तआ़ला ने किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेने का हुक्म दिया है। इन आयतों के नुज़ूल की वजह ये बयान की जाती है कि अन्सार की एक ख़ातून हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी-कभी मे घर में ऐसी हालत में होती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे उस हालत में देखे कभी मेरे वालिद आ जाते हैं और कभी घर का कोई और फ़र्द आ जाता है मेरे लिये क्या हुक्म है तो उस वक़्त ऊपर ज़िक्र की गई आयतें नाज़िल हुई।

हर शख़्स का घर उसका ख़लवत ख़ाना (तनहाई की जगह) है जहाँ वह हर तरह बे तकल्लुफ़ होकर उठ-बैठ सकता है। अगर हर शख़्स इजाज़त के बग़ैर बे धड़क अन्दर आ जाए तो इस तरह घर में आराम करने का सुकून ख़त्म हो जाएगा जिस की तलाश में इन्सान घर बनाकर रहता है इसके अ़लावा घर में औ़रतें अपने कपड़ों को हर वक़्त संभाल कर नहीं रख

सकतीं कभी दुपट्टा सर पर नहीं होता और बअ़ज़ वक़्त औरतें काम में मसरूफ़ होती हैं और काम के लिये आस्तीन चढ़ा लेती हैं इन हालात में अगर इजाज़त का सिलसिला न हो तो इस तरह हक़ तलफ़ी होगी, इसके अ़लावा वैसे ही बड़ी सख़्त ज़्यादती की बात है कि कोई घर में बिला इजाज़त घुस आए इस तरह इजाज़त का सिलसिला न होने से समाजी ख़राबियाँ पैदा होने का अन्देशा है। इस बिना पर इस्लाम में इजाज़त को ज़रूरी क़रार दिया गया।

घर ख़्वाह अपना हो या किसी का, उसमें बे धड़क ला परवाई के साथ घुस जाना बहुत बुरी बांत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो। और जाओ तो सलाम करो यानी घर से आते जाते सलाम कह लेना ज़रूरी है। ये सलाम दर असल एक तरह की इजाज़त के बराबर है इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है इसके मुतअ़ल्लिक़ हज़रत सहल बिन सअ़द से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि: इजाज़त तलब करने का हुक्म आँख की वजह से है ताकि घर वालों की निजी ज़िन्दगी की छुपी बातें ज़ाहिर न हो सकें। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इत्तिबाअ़ व पैरवी में इजाज़त तलब करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि किसी के मकान के सामने जाएं तो उसका दरवाज़ा खटखटाऐं और फिर अन्दर आने की इजाज़त तलब करें और सलाम कहें। तीन बार सलाम कहने के बावजूद अगर इजाज़त न मिले तो अन्दर न जाएं। इजाज़त लेते वक़्त अपना नाम भी बताएं। इजाज़त तलब करने के इस्लामी आदाब हस्बे ज़ैल हैं।

(1) इजाज़त के लिये तीन मर्तबा सलाम कहना:- इजाज़त हासिल करने की ग़र्ज़ से तीन मर्तबा सलाम कहना चाहिये यानी तीन बार इजाज़त तलब करे। अगर तीसरी बार जवाब न आए तो वापस चला आए क्योंकि इससे ज़्यादा बार इजाज़त तलब करना साहिबे घर को तकलीफ़ देना और परेशान करना है। हो सकता है कि वह उस वक़्त किसी ऐसे काम में मशग़ूल हो कि वह उसे छोड़ न सकता हो। तीन बार इजाज़त इसलिये मुक़र्रर की गयी है कि पहली दफ़अ़ में घर वालों को पता चल जाए, दूसरी दफ़अ़ वह संभल जाएं और होशियार हो जाएं, तीसरी दफ़अ़ अगर वह चाहें तो इजाज़त दें या मना कर दें। जब इजाज़त न मिले तो बुरा न मानें

बल्कि वापस आ जाएं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि, हमारे पास हज़रत अबू मूसा तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि मुझे हज़रत उमर ने बुलाया था कि उनके पास जाऊँ, मैं उनके दरवाज़े पर हाज़िर हुआ और तीन मर्तबा सलाम किया, मुझे किसी ने जवाब न दिया तो मैं लौट आया। फ़रमाया कि तुम्हें मेरे पास आने से किस चीज़ ने रोका? मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं हाज़िर हुआ था और दरवाज़े पर तीन बार सलाम किया था लेकिन जवाब न मिला तो लौट आया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया था कि जब तुम में से कोई तीन बार इजाज़त माँगे और इजाज़त न मिले तो लौट आए, पस हज़रत उमर ने फ़रमाया कि इस पर गवाही पेश करो। हज़रत अबू सईद ने फ़रमाया कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ और जाकर हज़रत उमर के पास मैंने गवाही दी।

(मुस्लिम शरीफ़)

(2) पूछने पर नाम बताना चाहिये:- इजाज़त तलब करने पर अगर घर वाले पूछें कि तुम कौन हो? तो उसे नाम बताना चाहिये बअ़ज़ लोग "कौन है," के जवाब में कह देते हैं "मैं" इससे आने वाले का पता नहीं चलता इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फ़रमाई है कि इजाज़त तलब करते वक़्त जब कोई पूछे कि तुम कौन हो? तो उसके जवाब में नाम बताना चाहिये इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि: मैं अपने वालिद माजिद के क़र्ज़ के सिलसिले में नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो फ़रमाया कौन है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं, फ़रमाया कि मैं, मैं क्या? गोया इसे ना पसन्द फ़रमाया। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) इजाज़त तलब करने का तरीक़ा:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सहाब-ए किराम को इजाज़त लेने का तरीक़ा भी बतला देते थे। जिन्हें इजाज़त का सलीक़ा मालूम न होता इसलिये तलबा (छात्र) और सीखने वाले बच्चों को इजाज़त लेने का तरीक़ा सिखलाना भी सुन्नत है। अगर कोई बच्चा बिला इजाज़त अन्दर आ जाए तो उसे कह

कि बाहर जा और वहाँ से अस्सलामु अ़लैकुम कह। यानी क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ फिर जब वह ऐसा करे तो उसे इजाज़त दें। इस तरह बच्चे इजाज़त तलब करने का तरीक़ा सीख जाएंगे।

हदीस शरीफ़: कलदा बिन हम्बल से रिवायत है कि हज़रत सफ़वान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में दूध, हिरन का बच्चा और ककड़ियाँ भेजीं जबकि उस वक़्त नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घाटी के ऊपरी हिस्से में थे। रावी का बयान है कि मैं अन्दर दाख़िल हुआ तो न सलाम किया और न इजाज़त तलब की।रावी का बयान है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया लौट जाओ और कहो अस्सलामु अ़लैकुम! क्या मैं अन्दर आ जाऊँ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद शरीफ़)

(4) माँ, बहिन से भी इजाज़त तलब करना:- जब अपने घर में आएं तो फिर भी अपनी माँ बहिन से इजाज़त तलब करके आएं यानी कोई न कोई तरीक़ा ऐसा इख़्तियार करें कि जिससे आपके आने का पता चल जाए यानी दरवाज़ा खुला होने के बावजूद थोड़ा सा खटखटा दें या ऊँची आवाज़ से खाँसें या अपने पाँव के जूते को ज़रा आवाज़ से ज़मीन पर मार दें ताकि अन्दर पता चल जाए कि कोई आ गया है। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द का क़ौल है कि अपनी माँ के पास जाओ तो इजाज़त तलब करो। बल्कि आपने ये भी कहा है कि अपने घर में बीवी के पास जाते हुए भी आदमी को कम से कम खंकार देना चाहिये।

हदीस शरीफ़: अ़ता बिन यसार से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछते हुए अ़र्ज़ गुज़ार हुआ, क्या मैं अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त लिया करूँ? फ़रमाया हां, अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं घर में उनके साथ रहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उनसे इजाज़त लिया करो। वह आदमी अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं तो उनका ख़ादिम हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उनसे इजाज़त लिया करो। क्या तुम पसन्द करते हो कि उन्हें नंगी देखो? अ़र्ज़ की कि नहीं, फ़रमाया कि उनसे इजाज़त लिया करो। (रवाहु मालिक)

(5) इजाज़त तलब करना ज़रूरी है:- ज़मान-ए-जाहिलियत

में अ़रबों में रिवाज था कि जब किसी के यहाँ जाते तो इजाज़त न लेते और यूँही अन्दर जा घुसते तो इस तरह घर वालों के लिये ये बात नापसन्द गुज़रती ऐसा भी होता कि वह अपने घर में कभी ऐसे हाल में होता कि उसका आना बुरा लगता, इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब करने को ज़रूरी क़रार दिया।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि: मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अन्दर दाख़िल हुआ तो आप ने दूध का प्याला पाया। फ़रमाया ऐ अबू हुरैरा! एहले सुफ़्फ़ा के पास जाओ और उन्हें मेरे पास बुलाओ, मैं उनके पास गया और उन्हें बुलाया। वह हाज़िर हुए और इजाज़त तलब की, उन्हें इजाज़त मरहमत फ़रमा दी गई तो वह अन्दर दाख़िल हुए। (बुख़ारी शरीफ़)

(6) दरवाज़े के दाएं या बाएं खड़ा होना चाहिये:- इजाज़त के लिये दरवाज़े को जब खटखटाया जाए या घण्टी बजाई जाए तो फिर दरवाज़े के एक तरफ़ यानी दाएं या बाएं तरफ़ हो जाना चाहिये। ताकि अन्दर नज़र न पड़ सके। अगर मकान के दरवाज़े पर पर्दा वग़ैरा पड़ा हो और दाएं-बाएं खड़े होने की जगह न हो तो इस सूरत में दरवाज़े के सामने बहालते मजबूरी खड़े हो सकते हैं मगर अपनी निगाहों को नीचा रखें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि दरवाज़े के दाएं या बाएं खड़े होकर सलाम फ़रमाते ताकि घर में नज़र न पड़े लिहाज़ा हमें भी ऐसा ही करना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी क़ौम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाते तो अन्दर नज़र पड़ने के सबब दरवाज़े के सामने न रहते बल्कि दाएं या बाएं तशरीफ़ फ़रमा रहते और फ़रमाते "अस्सलामु अ़लैकुम, अस्सलामु अ़लैकुम" ये इसलिये था कि उन दिनों घरों के पर्दे नहीं होते थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

(7) किसी के साथ जाने में इजाज़त ज़रूरी नहीं:- इजाज़त साहिबे ख़ाना या घर के किसी फ़र्द की तरफ़ से होती है। अगर साहिबे ख़ाना जिसके घर आपको जाना है वह साथ है और उसके साथ घर में दाख़िल होते हैं तो फिर इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं बल्कि

इजाज़त देने वाले का साथ होना ही एक तरह की इजाज़त है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी को बुलाया जाए और वह बुलाने वाले के साथ आए तो यही उसकी इजाज़त है। (अबू दाऊद शरीफ़)

(8) इजाज़त से पहले सलाम कहना ज़रूरी है:- इजाज़त तलब करते हुए सलाम कहना ज़रूरी है। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो पहले सलाम न करे उसे इजाज़त न दो। (बेहक़ी)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास चार औरतें आई और उन्होंने इजाज़त चाही, क्या हम आ जाएं? हज़रत आयशा ने फ़रमाया: कि तुम में से जो इजाज़त का तरीक़ा जानती हो तो उससे कहो कि इजाज़त ले, तो एक औरत ने पहले सलाम किया, फिर इजाज़त माँगी हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी।

(9) इजाज़त की जुदागाना सूरत:- अगर किसी के घर में कोई फ़ौरन मुसीबत आ जाए या आग लग जाए या मकान की छत वग़ैरा गिर जाए या चोर आएं तो इस सूरत में बग़र्ज़ हमदर्दी एहले ख़ाना की मदद के लिये इजाज़त के बग़ैर मुसीबत ज़दा के घर में दाख़िल हो सकते हैं।

(10) किसी के घर में झाँकना ख़िलाफ़े सुन्नत है:- किसी के घर में झाँकना मना है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस हरकत से नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया है कि जब कोई शख़्स किसी के घर जाए और बाहर से झाँके। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर पर जलवा फ़रमा थे और किसी ने जब सूराख़ से देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया जैसा कि हज़रत सहल बिन साअ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक शख़्स ने हुजर-ए-मुबारका के सूराख से झांका आप लोहे की कंघी से सर मुबारक खुजा रहे थे, फ़रमाया कि अगर मेरी तवज्जोह इस तरफ़ होती कि तू देख रहा है तो इस लोहे की

कंघी को तेरी आँख में चुभो देता। नज़र से बचाव के लिये ही तो इजाज़त तलब करने का हुक्म है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक घर में तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक शख़्स ने आपको झांका तो आपने नेज़े (भाला) की नोक उसकी तरफ़ की चुनान्चे वह पीछे हट गया। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिसने इजाज़त मिलने से पहले ही पर्दा उठाकर किसी के घर में नज़र डाली और घर वालों के पोशीदा मामलात को देखा तो वह इस हद को पहुँचा जो उसके लिये जाइज़ नहीं और अगर अन्दर झांकते वक़्त सामने से कोई उसकी आँखें फोड़ देता तो मैं उस पर कुछ ग़ैरत न खाता और अगर कोई बग़ैर पर्दे के दरवाज़े के सामने से गुज़रे और घर की तरफ़ उसकी नज़र पड़ जाए तो उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह घर वालों का है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

इन अहादीस से हमें सबक़ हासिल होता है कि किसी के घर झांकना नहीं चाहिये। मगर देखा गया है कि लोग इसे ऐब नहीं समझते हालांकि ऐसा करना सरासर गुनाह है अल्लाह तआला हमें इस बुराई से बचाए।

(11) खंकारना सुन्नत है:- घर ख़्वाह अपना हो या किसी और का, दरवाज़े से गुज़रते वक़्त ज़रूरतन खंकारना चाहिये ताकि अन्दर वालों को ख़बर हो जाए कि कोई दाख़िल हो रहा है, ये एक तरह की ख़बर है और ऐसा करने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसन्द फ़रमाया है। लिहाज़ा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिये खंकारना सुन्नत है।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मते बा बरकत में एक मर्तबा रात के वक़्त और एक मर्तबा दिन के वक़्त हाज़िर होता था। जब मैं रात के वक़्त आपके पास हाज़िरी देता तो आप मेरे लिये खंकारते। (नसई शरीफ़)

(12) घर में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह का नाम लेना:- अपने घर या किसी के घर में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह का नाम लेना ज़रियए बरकत है और इसके साथ अल्लाह का नाम लेने से शैतान से हिफ़ाज़त का ज़रिया बन जाता है।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: जब आदमी घर में दाख़िल होते वक़्त और खाना खाते वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र करता है तो शैतान कहता है आज यहाँ न तुम्हारी रात गुज़र सकती है और न तुम्हें खाना मिल सकता है और जब इन्सान घर में बग़ैर अल्लाह तआला का ज़िक्र किए दाख़िल होता है तो शैतान कहता है आज की रात यहीं गुज़रेगी और जब खाने के वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वह कहता है तुम्हें बसेरा भी मिल गया और खाना भी मिल गया। (इब्ने माजा)

एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब आदमी अपने घर के दरवाज़े से बाहर निकलता है तो उसके साथ दो फ़रिश्ते मुक़र्रर होते हैं जब वह आदमी कहता है बिस्मिल्लाह तो वह फ़रिश्ते कहते हैं तूने सीधी राह इख़्तियार की और जब इन्सान कहता है (ला हौ ल वला क़ुव्व त इल्ला बिल्लाहि) तो फ़रिश्ते कहते हैं अब तू हर आफ़त से महफ़ूज़ है। जब बंदा कहता है: "तवक्कलतु अलल्लाह" तो फ़रिश्ते कहते हैं अब तुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं। इसके बाद उस शख़्स के दो शैतान जो उस पर मुसल्लत (सवार) होते हैं वह उससे मिलते हैं फ़रिश्ते कहते हैं अब तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? इसने तो सीधा रास्ता इख़्तियार किया, तमाम आफ़ात से महफ़ूज़ हो गया और ख़ुदा की इमदाद के अलावा दूसरे की इमदाद से बे परवाह हो गया। (इब्ने माजा)

आदाबे सफ़र

किसी दूर व नज़दीक मक़ाम पर जाने का नाम सफ़र है। लिहाज़ा जब कोई शख़्स अपने वतन को छोड़ कर किसी और जगह पर जाता है तो उसे मुसाफ़िर कहा जाता है। सफ़र ज़िन्दगी का एक लाज़मी हिस्सा है। हर एक को कभी न कभी ज़रूर सफ़र करना पड़ता है क्योंकि जब तक इन्सान में सांस होता है उसे किसी न किसी मक़सद के लिये एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। इससे मालूम हुआ कि इसके बग़ैर चारा नहीं। वैसे भी अगर सफ़र में कुछ परेशानी आती है तो उसके साथ ही नए मक़ामात (जगह) को देखने से ख़ुशी भी हासिल होती है अल्लाह तआला ने सफ़र के बारे में यूँ ताकीद फ़रमाई है:-

तर्जमा कुरआन शरीफ़: तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़ेआत गुज़र चुके हैं तो तुम ज़मीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ।) (पारा 4 सूरह आले इमरान, आयत 137)

इस आयत में अगरचे सैर व तफ़रीह के बारे में फ़रमाया गया है कि मेरी ज़मीन पर सैर करके देखो कि मेरे मुन्किरों (विरोधी) का क्या हाल हुआ। यही बात और जगह पर यूँ फ़रमाई है:-

तर्जमा कुरआन शरीफ़: कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुम से पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ है उनमें ज़्यादातर मुशिरक ही थे।) (पारा 21, सूरह रूम, आयत 42)

यहाँ भी यह ज़ाहिर किया गया है कि अल्लाह तआला की निशानियों को देखने के लिये सफ़र इख़्तियार करो। मक़सद ये हुआ कि सफ़र इख़्तियार करना इस्लामी तौर तरीक़े में से है। सफ़र से दीन और दुनिया में बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं और बहुत से मक़सद हासिल होते हैं। सफ़र आमतौर से इल्म के हासिल करने रोटी रोज़ी कमाने, हज का फ़र्ज़ अदा करने, सैर व तफ़रीह, जिहाद (धर्म युद्ध) तब्लीग़ (धर्म प्रचार) और हक़ (सत्य) की तलाश की ख़ातिर किया जाता है। सफ़र चाहे किसी मक़सद के लिये हो उसमें नियत का नेक होना ज़रूरी है। सफ़र की पहली सूरत इल्म हासिल करना है यानी इल्म हासिल करने के लिये एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया कि जो शख़्स इल्म की तलाश में घर से निकलता है उसके जाने आने का सफ़र यानी

दोनों तरफ़ का सफ़र अल्लाह तआ़ला की राह में होता है।

सफ़र की दूसरी सूरत इ़बादत की ग़र्ज़ है यानी इ़बादत के लिये सफ़र इख़्तियार करना। इसलिये ह़ज, उ़मरा, जिहाद, तबलीग़ वग़ैरा की ग़र्ज़ से सफ़र इख़्तियार करना इ़बादत के अन्दर शामिल है।

सफ़र की तीसरी सूरत हुसूले रोज़गार है यानी एक मक़ाम से दूसरे मक़ाम पर रोज़ी कमाने के लिये जाना और उसमें सबसे बड़ी ग़र्ज़ तिजारत और मुलाज़मत है इस सफ़र में अगर ये नियत हो कि अपने आप को और अपने अहलो अ़याल को लोगों की मुह़ताजी से मह़फ़ूज़ रखना है तो ऐसा सफ़र इ़बादत में शामिल होता है।

सफ़र की चौथी सूरत सैर व तफ़रीह है। बे मअना सैर व तफ़रीह का कोई मक़सद नहीं होता कि इन्सान ख़्वाहमख़्वाह शहर-शहर फिरने की आ़दत बना ले। अलबत्ता किसी मक़ाम को इस ग़र्ज़ से देखना कि वहाँ से कुछ इ़ल्म या सबक़ ह़ासिल होगा तो इसमें कुछ ह़रज नहीं।

ग़र्ज़ ये कि सफ़र की ख़्वाह कोई सूरत हो उसका मक़सद नेक होना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़र के कुछ आदाब मुक़र्रर फ़रमाए हैं लिहाज़ा उन्हें सफ़र में ज़हन में रखना नेकबख़्ती की दलील है। अह़ादीस शरीफ़ के मुताबिक़ सफ़र के आदाब और सुन्नतें हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) सफ़र का दिन:- यूँ तो जब ज़रूरत पेश हो उसी वक़्त सफ़र इख़्तियार किया जा सकता है अगर सफ़र में जल्दी न हो तो फिर सफ़र जुमेरात को इख़्तियार किया जाए क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि आप जुमेरात को सफ़र पर जाते और अगर किसी दूसरे को भी सफ़र पर भेजना होता तो जुमेरात को भेजते।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं, नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जंगे तबूक के लिये जुमेरात के दिन तशरीफ़ ले गए और आप जुमेरात के दिन सफ़र पर निकलना पसन्द फ़रमाते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(2) सफ़र शुरु करने का बेहतर वक़्त: - सफ़र शुरु करने का बेहतर वक़्त सुबह सवेरे का है क्योंकि सुबह चलना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि सुबह चलने से मुसाफ़िर को ख़ासा

फ़ायदा होता है। अगर मुसाफ़िर पैदल सफ़र कर रहा है तो धूप तेज़ होने तक उसका सफ़र काफ़ी ख़त्म हो चुका होगा। दोपहर को किसी मक़ाम पर पहुँच कर आराम भी कर सकता है। रेल, बस, या जहाज़ का सफ़र हो तो भी सवेरे चलने से इन्सान जल्दी किसी मक़ाम या मन्ज़िल पर पहुँच जाएगा जो उसके लिये आसानी का सबब होगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत सख़ बिन वदाअ़ ग़ामदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रवायत है, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दुआ़ माँगी या अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये शुरु दिन में बरकत अ़ता फ़रमा। आप जब भी छोटा या बड़ा लश्कर भेजत तो दिन के शुरु में भेजते। हज़रत सख़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ताजिर (व्यापारी) थे और अपना तिजारती सामान दिन के पहले हिस्से में भेजते थे। पस आपके माल में नफ़अ़ हुआ और आप मालदार हो गए।

(3) मिल जुल कर सफ़र करना:- तन्हा सफ़र करना बेहतर नहीं अगर किसी ख़तरनाक रास्ते से सफ़र कर रहे हों तो फिर तो बिल्कुल अकेले सफ़र नहीं करना चाहिये क्योंकि अकेले चलने में बहुत से ख़तरात होते हैं। मिलकर दूसरों के साथ सफ़र करने में बहुत सी बातों की सुहूलत और आसानी रहती है। सामान वग़ैरा की हिफ़ाज़त में एक दूसरे की मदद शामिले हाल रहती है। इस लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अकेले सफ़र करने से बचने की ताकीद फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रवायत है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: तन्हा सफ़र करने के नुक़सान का जैसे मुझे इ़ल्म है, अगर लोगों को भी मालूम होता तो कोई शख़्स रात को अकेला सफ़र न करता।

(बुख़ारी शरीफ़)

(4) सफ़र में अमीर (रहबर) बनाना:- अगर तीन आदमी मिलकर सफ़र करें तो उन्हें चाहिये कि अपने में से एक आदमी को अमीर बना लें। इससे सुहूलत ये होगी कि सफ़र जब अमीर की राय से किया जाएगा तो इख़्तिलाफ़ पैदा नहीं होगा। वरना एक की राय कुछ होगी दूसरे की कुछ। इस तरह सफ़र में बद मज़गी पैदा होगी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा

रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तीन आदमी सफ़र पर रवाना हों तो वह एक को अमीर बना लें।

अमीर को हम सफ़रों (साथियों) की ख़िदमत करनी चाहिये और कोई ऐसा काम इख़्तियार नहीं करना चाहिये जिससे हम सफ़रों को तकलीफ़ हो। इससे अमीर की नेकियों में बे पनाह इज़ाफ़ा होगा।

हज़रत सहल बिन सअ़द से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, सफ़र में क़ौम का अमीर वह है जो उनकी ख़िदमत करे और जो शख़्स ख़िदमत करने में आगे बढ़ जाए तो शहादत के सिवा कोई दूसरा अ़मल उससे बरतरी नहीं पा सकता।

(बेहक़ी, शअ़बुल ईमान)

अमीर को ख़ुश अख़्लाक़ और जज़्ब-ए कुरबानी से मालामाल होना चाहिये अगर किसी बात पर कोई साथी नाराज़ हो भी जाए तो उसे राज़ी करे और साथियों की देख भाल करे। और हम सफ़रों को भी चाहिये कि जहाँ तक सुन्नत के मुताबिक़ अमीर अहकामात जारी करे उन पर अ़मल करने में हरगिज़ कोताही न करें। सफ़र में हौसला बुलन्द रखना चाहिये। बअ़ज़ अवक़ात सफ़र की तकान के सबब या आपस में इख़्तिलाफ़े राए की वजह से कुछ तल्ख़ियाँ (नाराज़गी) भी पैदा हो जाती हैं, इन मौक़ों पर सब्र व बरदाश्त का दामन हाथ से न जाने दें। प्यार व मुहब्बत से सारे मुआ़मलात को सुलझाते चले जाएं।

हिकायत:- हज़रत अबू अ़ली रवाती रहमतुल्लाहि अ़लैहि बयान फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा जंगल में हज़रतअ़ब्दुल्लाह मरूज़ी रहमतुल्लाहि अ़लैहि मेरे हम सफ़र थे। सफ़र शुरु करने से पहले उन्होंने फ़रमाया कि सफ़र के दौराने हम में से एक को अमीर और दूसरे को पैरोकार रहना चाहिये। अब बताओ तुम मेरे अमीर हो या मैं तुम्हारा अमीर हूँ? मैंने कहा आप अमीर हैं। फ़रमाया तो सुनो. जो कुछ मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैंने कहा जो हुक्म सुनूँगा बजा लाऊँगा। फ़रमाया कि जाओ एक थैला ले आओ, मैंने हाज़िर कर दिया उन्होंने मेरे तमाम कपड़े लत्ते, रास्ते की चीज़ें और जो भी सामान था सब कुछ उस थैले में डाल दिया और फिर उसे अपनी पीठ पर रखकर चल खड़े हुए। मैंने कहा कि बोझ बहुत ज़्यादा है कम से कम मेरा सामान तो मुझे उठाने दीजिये क्योंकि इस तरह आप बहुत ही थक

जाएंगे लेकिन आप यही जवाब देते रहे कि देखो तुमने मुझे अमीर तस्लीम किया है और तुम्हें अमीर पर हुक्म चलाने का कोई इख़्तियार नहीं। तुम्हारा काम यह है कि हुक्म पालन करते रहो। एक रात बारिश ने आ घेरा सारी रात एक कम्बल मेरे ऊपर तान कर खड़े रहे और बारिश का एक क़तरा तक मुझ पर न गिरने देते थे। हालांकि ख़ुद बारिश से भीग रहे थे और मैं कुछ कहने की कोशिश करता तो वही बात दुहराते कि मैं अमीर हूँ तुम फ़रमांबरदार हो, मैं रह रह कर दिल ही दिल में कहता कि ऐ काश! मैंने इनसे अमीर बनने के लिये नहीं कहा होता। (इह्याउल उ़लूम)

(5) सवारी के जानवर के आराम का ख़्याल रखना:- एक वक़्त था कि बोझ उठाने वाले जानवर यानी घोड़ा, ऊँट, खच्चर, बैल वग़ैरा ही सफ़र का ज़रिया थे। बस गाड़ी, जहाज़ वग़ैरा के आने से पुराना ज़रिय-ए सफ़र कम हो चुका है मगर बे शुमार ऐसे इलाक़े होते हैं जहाँ सफ़र के लिये पुराना ज़रिया जानवर ही सफ़र के लिये इस्तेमाल होते हैं। जानवर पर सफ़र करने की सूरत में उनके आराम व सुकून का ख़्याल रखना चाहिये। यानी सफ़र की एक मिक़्दार तय करने के बाद जानवरों को पानी और चारा डाला जाए और उनकी थकावट ख़त्म करने के लिये किसी मक़ाम पर ठहरा दिया जाए। रात को रास्ते से थोड़ा हट कर आराम करना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम सर सब्ज़ (हरियाली) ज़मीन में सफ़र करो तो ऊँटों को ज़मीन से उनका हक़ दो और जब बंजर ज़मीन में सफ़र करो तो उनको तेज़ चलाओ ताकि उनकी ताक़त बरबाद न हो जाए। जब रात को आराम की ख़ातिर उतरो तो रास्तों से बचो क्योंकि वह चार पायों के चलने के रास्ते और रात के वक़्त कीड़े-मकोड़े ठहरने की जगह हैं।

(6) लंबे सफ़र से वापसी पर इस्तिक़बाल करना:- जब घर का कोई शख़्स लंबा सफ़र करके वापस आए या हज के सफ़र से वापस आए और उसके आने की ख़बर हो तो उसका इस्तिक़बाल करना चाहिये। ऐसे ही अगर कोई महबूब या इज़्ज़तदार शख़्सियत सफ़र से वापस आए तो उसका इस्तिक़बाल करना चाहिये। बुज़ुर्गाने दीन या सूफ़िया-ए किराम जब सफ़र से वापस आएं तो उनका इस्तिक़बाल करना हुज़ूर के फ़रमाने के मुताबिक़ मुस्तहब (बेहतर) है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो आपके एहले बैत के बच्चों के साथ आपका इस्तिक़बाल किया जाता इसी तरह आप एक सफ़र से लौटे तो इस्तिक़बाल करने में मुझे आगे रखा गया आपने मुझे अपने आगे बैठा लिया फिर हज़रत फ़ातिमा के एक साहबज़ादे को लाया गया तो उसे आपने पीछे बैठा लिया और हम तीनों एक सवारी पर मदीना मुनव्वरा में दाख़िल हुए। (मुस्लिम शरीफ़)

(7) औ़रत को तन्हा सफ़र करने की मुमानिअ़त:- औ़रत के लिये अकेले सफ़र करना अच्छा नहीं बल्कि समाजी तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ है इसलिये औ़रत को हमेशा किसी महरम (बाप-भाई, बेटा वग़ैरा) के साथ सफ़र करना चाहिये अलबत्ता अगर सफ़र शहर के अन्दर हो या आधे दिन का सफ़र हो तो इस सूरत में ब सूरते मजबूरी अकेले जाने में कोई हरज नहीं अलबत्ता लंबे सफ़र पर औ़रत को बिल्कुल अकेले नहीं जाना चाहिये बल्कि सफ़र में शौहर, भाई, बाप, या बेटे वग़ैरा का होना ज़रूरी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआ़ला और क़यामत पर ईमान रखने वाली किसी औ़रत के लिये जाइज़ नहीं कि वह महरम के बग़ैर एक दिन-रात का सफ़र पसन्द करे।(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रवायत है उन्होंने नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई शख़्स किसी औ़रत के साथ हरगिज़ तन्हाई पसन्द न करे जब तक कि उसके साथ उसका महरम न हो और महरम के बग़ैर कोई औ़रत सफ़र पर न निकले। एक आदमी ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मेरी बीवी हज के लिये जा रही है और मेरा नाम फ़लां जंग में लिखा जा चुका है। आपने फ़रमाया अपनी बीवी के साथ जाओ और हज करो। (मुस्लिम शरीफ़)

(8) सफ़र में दूसरों की मदद करना:- सफ़र में दूसरे साथियों की मदद करनी चाहिये यानी अगर किसी शख़्स के पास एक चीज़ ज़ाइद हो और दूसरे को उसकी ज़रूरत हो तो उसे दे देनी चाहिये। सफ़र में ज़ाती ज़रूरत के लिये पानी का बर्तन और जाए नमाज़ वग़ैरा ज़रूर साथ रखनी

चाहिये ताकि इस्तिंजा, वुज़ू, नमाज़ और पीने के पानी में तकलीफ़ न हो। सर्दियों के मौसम में अगर ज़रूरत के मुताबिक़ हल्का सा बिस्तर भी साथ रख लिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं।

रास्ते में दूसरों की सहूलत और आराम का भी ख़्याल रखें अगर अपनी गाड़ी पर सफ़र कर रहे हों तो जहाँ किसी ज़रूरत के लिये रुकें तो रास्ते से एक तरफ़ करके गाड़ी को खड़ा करें ताकि रास्ते के दूसरे मुसाफ़िरों को तकलीफ़ न हो। सफ़र के साथी के साथ उ़मदा गुफ़्तगू और अच्छे अख़्लाक़ का बर्ताव करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं: हम एक सफ़र में थे कि एक शख़्स सवारी पर आया वह दाएं बाएं नज़रें दौड़ाने लगा। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके पास ज़ाइद सवारी हो वह उसे दे जिसके पास सवारी नहीं। और जिसके पास ज़ाइद सामान हो वह उसके हवाले करे जिसके पास सामाने सफ़र नहीं! आपने माल की दीगर क़िस्में भी बयान फ़रमाई यहाँ तक कि हमने ख़्याल किया कि ज़ाइद माल में हमारा कोई हक़ नहीं।

(9) सफ़र शुरु करने की दुआ़:- सफ़र को रवाना होते वक़्त जब सवारी पर सवार हो जाएं और सवारी चल पड़े तो ये दुआ़ पढ़ें, क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र पर जाने के लिये सवारी पर जब तशरीफ़ फ़रमा होते तो तीन बार अल्लाहु अकबर कह कर ये दुआ़ पढ़ते इसलिये दुआ़ का पढ़ना सुन्नत है। लिहाज़ा हमें चाहिये कि ये दुआ़ याद कर लें और जब भी सफ़र करें तो ये दुआ़ पढ़ें:

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनी-न व इन्ना इला रब्बिना ल मुन्क़लिबून" यानी पाक व बुलन्द है वह ख़ुदा जिसने इसको हमारे बस में कर दिया हालांकि हम इसको क़ाबू में करने वाले न थे यक़ीनन हम अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट जाने वाले हैं।

ख़ुदाया हम तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और परहेज़गारी की तौफ़ीक़ चाहते हैं और ऐसे कामों की तौफ़ीक़ जो तेरी ख़ुशनूदी के हों।

खुदाया हम पर ये सफ़र आसान फ़रमा दे और इसका फ़ासला हमारे लिये छोटा कर दे खुदाया तूही इस सफ़र में मददगार है और तू ही घर वालों में हाकिम और निगराँ है। खुदाया मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, सफ़र की परेशानियों से, नागवार मन्ज़र से, और अपने माल में और अपने मुतअ़ल्लिक़ीन (संबन्धी) और अपनी औलाद में बुरी वापसी से। और अच्छाई के वाद बुराई से और मज़लूम (सताए हुए) की बद दुआ़ से।)(मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी शरीफ़)

(10) सफ़र से वापसी की दुआ़:- सफ़र से वापसी पर ये दुआ़ पढ़ना सुन्नत है इसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की हदीस यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं, हम नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र से वापस आए। जब हम मदीना तैय्यबा के सामने पहुँचे तो आपने फ़रमाया हम लौटने वाले हैं तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, और अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं। आप मुसलसल ये अलफ़ाज़ दोहराते रहे यहाँ तक कि हम मदीना तैय्यबा में पहुँच गए। (मुस्लिम)

(11) ऊँचे और नीचे मक़ाम (जगह) की दुआ़:- सफ़र के दौरान जब ऊँची जगह आए तो अल्लाहु अकबर कहना चाहिये और जब कोई नीचा मक़ाम आए तो सुब्हानल्लाह कहना चाहिये। क्योंकि पहाड़ी इलाक़े में ख़्वाह किसी जानवर पर सफ़र कर रहे हों या बस या गाड़ी पर, तो ऊँचे-नीचे इलाक़े में से गाड़ी गुज़रेगी इसलिये उस मक़ाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अ़मल करना चाहिये।

हज़रतअ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आपका लश्कर जब बुलन्दी पर चढ़ता तो अल्लाहु अकबर कहता और जब उतरता तो सुब्हानल्लाह कहता।

(अबू दाऊद शरीफ़)

एक और रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब हज या उ़मरा से लौटते वक़्त बुलन्द जगह पर चढ़ते तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते और इसके बाद ये दुआ़ पढ़ते:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔ اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर। आइबू-न ताइबू-न आ़बिदू-न साजिदू-न लि रब्बिना हामिदून।"

यानी अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई पूजा के लायक़ नहीं। वह एक है। उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाही है और वही लाइक़े तारीफ़ और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सज्दा करने वाले, और अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं।)

(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं, हम एक सफ़र में नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम किसी वादी (घाटी) के ऊपर चढ़ते तो निहायत बुलन्द आवाज़ से **"ला इला ह इल्लल्लाह"** और अल्लाहु अकबर कहते। नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ लोगों! अपने जिस्मों से नर्मी बरतो तुम किसी बहरे और ग़ाइब को नहीं पुकारते। वह तुम्हारे साथ है, बेशक वह सुनने वाला और क़रीब है।

(12) मन्ज़िल पर पहुँचते वक़्त की दुआ़:- सफ़र के दौरान जब किसी जगह पर ठहराओ किया जाए या किसी मुसाफ़िर ख़ाने में जाएं तो उस वक़्त इस दुआ़ को पढ़ना चाहिये। इस दुआ़ के पढ़ने से अल्लाह तआ़ला हर लिहाज़ से हिफ़ाज़त करेगा।

हज़रत ख़ौला बिन्त हकीम फ़रमाती हैं कि मैंने नबी अ़करम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि जो शख़्स किसी मन्ज़िल पर उतरे और ये दुआ़ पढ़े तो वह उस मन्ज़िल से कूच करने तक हर चीज़ के नुक़सान से महफ़ूज़ रहेगा। (मुस्लिम शरीफ़)

أَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"अऊ़ज़ु बि कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़" यानी मैं अल्लाह तआ़ला के मुकम्मल कलमों के साथ हर मख़्लूक़ की शरारत से पनाह चाहता हूँ।)

(13) ख़ौफ़ की दुआ़:- सफ़र में अगर एक दम कोई ख़ौफ़ तारी हो जाए तो उस वक़्त इस दुआ़ को पढ़ना चाहिये इंशा अल्लाह ख़ौफ़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर पैदल या किसी सवारी पर जंगल में सफ़र जारी

हो और उस वक़्त ख़ौफ़ तारी हो जाए तो इस दुआ़ को पढ़ना बहुत फ़ायदेमन्द और सुन्नत है। हज़रत अबू मूसा अशअ़री से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी क़ौम से ख़ौफ़ के वक़्त ये दुआ़ माँगते:- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"अल्लाहुम-म इन्ना नज अ़लु-क फ़ी नुहूरिहिम व नऊ़ज़ु बि-क मिन शुरूरिहिम" यानी या अल्लाह हम तुझे इनके मुक़ाबले में करते हैं और इनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं।) (अबू दाऊद शरीफ़)

(14) रात की दुआ़:- सफ़र के दौरान जब रात छा जाए तो ये दुआ़ पढ़ना सुन्नत है क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते और रात छा जाती तो ये दुआ़ पढ़ते:

يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيْكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَ شَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ. وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدٍ وَّمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ.

"या अरज़ु रब्बी व रब्बुकिल्लाह। अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिकि व शर्रि मा फ़ीकि व शर्रि मा ख़ुलि-क़ फ़ीकि व शर्रि मा यदुब्बु अ़लैक। व अऊ़ज़ु बि-क मिन शर्रि अ-स दिंव व असवदिंव व मिनल ह़य्याति वल अ़क़्रबि वमिन साकिनिल ब-ल दि वमिंव वालिदिंव वमा वलद।" यानी ऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह है। मैं तेरी शरारत से और जो कुछ तुझ में है और जो कुछ तुझ में पैदा किया गया और जो चीज़ें तुझ पर चलती हैं सबकी शरारत से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। और मैं तेरे सबब शेर, सांप, बिच्छू, शहर में रहने वालों, शैतान और उसकी औलाद से पनाह चाहता हूँ।)

(अबू दाऊद शरीफ़)

(15) सफ़र से जल्दी वापस आना:- सफ़र की ज़रूरत और मक़सद पूरा होने पर घर को जल्दी वापस आना बेहतर है क्योंकि बिला ज़रूरत आवारा गर्दी से क्या ह़ासिल ? क्योंकि सफ़र में बहर ह़ाल तकलीफ़ और बेचैनी होती है। इसलिये इससे जल्दी छुटकारा ह़ासिल करना ही सेह़त के लिये बेहतर है। और वापस घर वालों के लिये कुछ न कुछ चीज़ ज़रूर लाएं अगर कुछ न कर सके तो झोली में पत्थर ही डाल ले।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सफ़र अ़ज़ाब का एक टुकड़ा है। तुम्हें खाने पीने और नींद से दूर रखता है। पस जब तुम में से कोई अपने सफ़र के मक़सद को पूरा कर ले तो घर की तरफ़ जल्द वापस आ जाए। (बुख़ारी शरीफ़)

(16) सफ़र से वापसी का ग़लत वक़्त:- सफ़र की वापसी की ख़बर देना बेहतर है और कोशिश करें कि सफ़र से वापसी पर ऐसे वक़्त पर न आऐं जिससे घर वालों को तकलीफ़ हो। ख़ास तौर पर रात को देर से सफ़र से वापस आना घर वालों के लिये बहुत ही तकलीफ़ दे होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रात को सफ़र से वापस आने से मना फ़रमाया है अगर मजबूरी हो जाए, सवारी से देर हो जाए तो इस सूरत में ब़हर हाल आना ही है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई ज़्यादा देर घर से बाहर रहे तो रात के वक़्त घर वापस न लौटे। एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स सफ़र से रात के वक़्त घर वापस न आए।(मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है फ़रमाते हैं, नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को घर वापस नहीं लौटते थे बल्कि सुबह या शाम के वक़्त तशरीफ़ लाते। (बुख़ारी शरीफ़)

(17) वापसी पर नफ़िल पढ़ना सुन्नत है:- सफ़र से वापस वतन पहुँचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये कि जिसकी तौफ़ीक़ और मदद से मुसाफ़िर अपने घर वालों में दोबारा वापस आए। शुक्र अदा करने की सूरत सजदा करना होती है इसलिये सफ़र से वापस आने पर क़रीबी मस्जिद में जाना चाहिये और वहाँ दो रकअ़त नफ़िल शुक्राना अदा करना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद भी ऐसा ही किया करते थे। जब सफ़र से वापस आते तो मस्जिद में दो रकअ़त नफ़िल अदा करते।

हदीस शरीफ़: हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं, नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र से

वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते और दो रकअत नफ़्ल अदा फ़रमाते। (बुख़ारी शरीफ़)

(18) तिजारत के सफ़र में सुन्नत काम :- तिजारत की ग़र्ज़ से जब सफ़र इख़्तियार करें तो उसमें बरकत के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल पसन्द करें इससे सफ़र ख़ुशगवार रहेगा और फ़ायदा भी ख़ूब होगा।

हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे फ़रमाया कि ऐ जुबैर! क्या तुम चाहते हो कि जब तुम सफ़र में जाओ तो सूरत और हालत में बेहतर और सामाने सफ़र में बढ़कर रहो यानी सफ़र में ख़ुशहाली और सुकून नसीब हो? हज़रत जुबैर कहते हैं, मैंने अर्ज़ की जी हां! ज़रूर या रसूलुल्लाह! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान। आपने फ़रमाया ये पाँच सूरतें पढ़ लिया करो। "सूरए काफ़िरून, सूरए नस्र, सूरए इख़्लास, सूरए फ़लक़, सूरए नास" और हर सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरु करो और इसी पर ख़त्म करो इस तरह इन पाँच सूरतों के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ़ छः बार पढ़ी जाएगी।

हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: मैं काफ़ी मालदार और दौलतमंद था मगर जब सफ़र में जाता तो सबसे ज़्यादा बदहाल और तंगदस्त हो जाया करता था। जब से मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरतें पढ़ने के लिये बताई और मैंने इनको पढ़ना शुरु किया तो मैं पूरे सफ़र में वापसी तक अपने साथियों में सबसे ज़्यादा ख़ुशहाल और सफ़र के सामान में बे फ़िक्र रहने लगा।

जूता पहनने के आदाब

जूता पहनना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत हैं चूँकि आपने खुद जूते इस्तेमाल किये हैं और अपने सहाब-ए किराम को जूते पहनने की तअ़लीम फ़रमाई और आदाब भी बताए। जूता दर अस्ल इन्सानी जिस्म के एक हिस्से यानी पाँव को ढाँकने का और काँटा वग़ैरा चुभने से बचने का ज़रिया है। ताकि पाँव सर्दी गर्मी और बाहर की चीज़ों के बुरे असरात से महफ़ूज़ रहें। जूता पहनने की तारीख़ (इतेहास) उतनी ही पुरानी है जितनी इन्सान की अपनी तारीख़ पुरानी है। जूता इन्सान की बुनियादी ज़रूरत में से है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि लिबास पहनना ज़रूरी है। इसके अ़लावा बनाव और सिंगार में ज़्यादती का ज़रिया बनता है। अच्छे और साफ़ सुथरे लिबास के साथ अगर जूता न पहना हो तो लिबास ही ना मुकम्मल मालूम होगा। इस्लाम ने हमें जूते इस्तेमाल करने का भी तरीक़ा सिखलाया है कि इस तरीक़े के मुताबिक़ जूते पहनें और उतारेंगे तो हमारा ये काम भी सवाब का सबब बन जाएगा क्योंकि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की फ़रमांबरदारी आएगी और जिस काम में हुज़ूर की पैरवी होगी वही नेकी और ज़रियए सवाब है।

जूते पहनने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जूतों को पहनने से पहले झाड़ पोंछ लें और अगर जूता बंद क़िस्म का हो तो उसे उल्टा करके देखें कि उसमें कोई मूज़ी (तकलीफ़ देने वाला) जानवर न हो। इसके बाद बैठकर पहले दायाँ जूता पहनें और फिर बायाँ डालें। जब उतारें तो पहले बायाँ उतारें और फिर आख़िर में दायाँ जूता उतारें। अगर जूता तस्मे वाला हो तो बाँध लेना चाहिये। तस्मे को खुला रहने देना अच्छा नहीं। जूता इस्तेमाल करने के इस्लामी उसूल व आदाब हस्बे ज़ैल हैं:-

(1) जूता पहनने का हुक्म:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हुक्म है कि जूता पहना जाए। लिहाज़ा जूता ज़रूरत के मुताबिक़ पहनना बहुत बेहतर है। मर्द और औरत के पैर में ब लिहाज़ बनावट थोड़ा सा फ़र्क़ है। मर्द के पैर औरत के पैर के मुक़ाबले में मज़बूत और ताक़तवर होते हैं इसलिये मर्द और औरत के जूतों में भी पहचान के लिये थोड़ा फ़र्क़ है। मर्द का जूता मज़बूत होता है और औरत का जूता थोड़ा नर्म व नाज़ुक होता है ताकि पहनने में तकलीफ़ न हो। इससे मालूम हुआ कि मर्द व

औ़रत के जूते में बनावट के लिहाज़ से और डिज़ाइन के लिहाज़ से फ़र्क़ है लिहाज़ा मर्द को औ़रतों जैसा जूता नहीं पहनना चाहिये और ऐसे ही किसी औ़रत को मर्दों जैसा जूता पहनना नहीं चाहिये।

ऐसा जूता पहनना भी मना है जिससे ग़ुरूर और तकब्बुर पैदा होता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक जंग के दौरान फ़रमाते हुए सुना, जूते ज़्यादा पहना करो क्योंकि आदमी सवार की तरह होता है जब तक जूते पहने रहे। (मुस्लिम शरीफ़)

(2) जूता पहनने और उतारने का सुन्नत तरीक़ा:- जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि जूता पहनने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि पहले दायाँ जूता पहनें और फिर बायाँ और जब उतारें तो इसका उल्टा करें यानी पहले बायाँ जूता उतारें और फिर दायाँ जूता उतारें। अ़मली तौर पर हुज़ूर के इस तरीक़े में हिकमत और आसानी है। जूता ख़ुद डालें और ख़ुद ही उतारें अगर कोई मजबूरी हो तो फिर दूसरे से डलवा सकते हैं। अगर बच्चा जूता न पहन सकता हो तो कोई बड़ा डाल दे। बअ़ज़ मग़रूर और नवाब लोग ख़ुद जूता पहनने और उतारने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं और नौकरों से जूता डलवाते हैं ऐसा करने में दूसरे इन्सान का मर्तबा गिरता है और इसलिये इस्लाम में ऐसा करना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं जानिब से शुरु करे और जब उतारे तो बाएं तरफ़ से शुरु करे यानी पहनते वक़्त दाहिना पहले और उतारवे वक़्त आख़िर रहे।

(बुख़ारी शरीफ़)

(3) खड़े होकर जूता पहनना मना है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फ़रमाया है। उ़लमा-ए किराम का कहना है कि ये हुक्म उन जूतों के लिये है जिनको खड़े होकर पहनने में दिक्कत होती है। जिनमें तस्मे बाँधने की ज़रूरत होती है। जैसे बूट वग़ैरा अलबत्ता वह जूता जो एक दम पाँव में डाल लिया जाता है जैसे चप्पल वग़ैरा, ऐसे जूते को अगर खड़े होकर भी पाँव में डाल लिया जाए तो इसमें हरज नहीं। मक़सद ये है कि इस हुक्म में सहूलत को सामने रखते हुए खड़ा

न होने का हुक्म दिया गया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया हे कि आदमी खड़ा होकर जूते पहने। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) एक जूता पहन कर चलने की मुमानिअ़त:- अदब ये है कि दोनों जूते पहनकर चलें या दोनों जूते उतार दें। एक जूता पहन लेना और एक जूता उतार देना अदब के ख़िलाफ़ है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक जूते में न चलो या दोनों उतार दो या दोनों पहनो।

(बुख़ारी शरीफ़)

यही बात एक और हदीस में यूँ बयान हुई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब किसी के जूते का तस्मा टूट जाए तो एक जूता पहन कर न चले जब तक कि दूसरे जूते का तस्मा दुरुस्त न हो जाए। और एक मोज़ा पहन कर न चले और बाएं हाथ से न खाए और एक ही कपड़े में पोट न बन जाए। और कपड़ा इस तरह न लपेटे कि शर्मगाह खुली रहे। (मुस्लिम शरीफ़)

(5) मोज़े पहनने का सुबूत:- मोज़े जुराब की तरह हैं और पत्ले चमड़े के बनाए जाते हैं। एक ज़माना था कि ये इस्तेमाल किये जाते थे जब से इसका नेअ़मल बद्ल (अच्छा बदल) जुराबें बन गई इसका इस्तेमाल न होने के बराबर हो गया है इन पर वुज़ू के दौरान मसह कर लेना जाइज़ है चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसह किया।

हदीस शरीफ़: इब्ने बुरैदा ने अपने वालिद माजिद से रिवायत की है कि हज़रत नजाशी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये दो काले मोज़े तोहफ़े के तौर पर भेजे तो आप ने वह पहन लिये फिर आपने वुज़ू फ़रमाया और दोनों के ऊपर मसह किया।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(6) जूते उतारकर हिफ़ाज़त से रखना सुन्नत है:- ज़रूरत के

मुताबिक़ जब जूते उतारें तो उनकी हिफ़ाज़त करें। मस्जिद में या किसी महफ़िल में जाएं तो जूते उतार लें। अगर मस्जिद के बाहर या अन्दर कोई जगह जूते रखने के लिये बनी हो तो उनकी हिफ़ाज़त करें और वहाँ रखें। अगर मुनासिब हिफ़ाज़त की जगह न मिले तो फिर जूते को अपने पास किनारे में रख लें ताकि हिफ़ाज़त से रहें। बअ़ज़ मस्जिद में जूतों की हिफ़ाज़त के लिये उजरत लेते हैं अगर आपका दिल चाहे तो वहाँ रख लें और वापसी पर उजरत देकर जूता वापस ले लें।

ख़ान-ए काबा में जूतों की हिफ़ाज़त का मसअला ज़रा परेशान कुन है क्योंकि मस्जिद हराम के बहुत से दरवाज़े हैं अगर आप किसी दरवाज़े के बाहर जूता उतारकर रखें तो वापसी पर हो सकता है कि उस दरवाज़े से न निकलें। इस तरह दरवाज़ा भूल जाने से जूता गुम हो जाता है अगर जूता अन्दर ले जाएं और कहीं रख दें तो हरम की सफ़ाई के मौक़े पर जूतों को बाहर फेंक दिया जाता है इस तरह जूता ज़्यादातर गुम हो जाता है तो इस सूरत में वह जूते जो हरम के बाहर उठाकर फेंके हों उनमें से कोई जूता लेकर पहन लेने में कोई हरज नहीं और गुनाह नहीं। अलबत्ता अगर आपने क़सदन किसी का जूता अन्दर या बाहर से उठाया तो फिर चोरी के सबब में गुनहगार होंगे। मस्जिदे नबवी में भी हज के मौक़े पर ऐसी ही सूरते हाल होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया, सुन्नत ये है कि जब आदमी बैठे तो अपने जूते उतार ले और उन्हें अपने पहलू में रख ले। (अबू दाऊद शरीफ़)

बज़ाज़ की एक रिवायत के मुताबिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब बैठो तो जूते उतार लो तुम्हारे क़दम आराम पाएंगे।

इस्तेमाली जूते को बाएं हाथ के अंगूठे और बराबर वाली ऊँगली से उठाना चाहिये अगर किसी का जूता उल्टा पड़ा हो तो सीधा कर दें वरना कंगाल होने का अन्देशा है क्योंकि बुजुर्गो का कहना है कि उल्टे जूते तंग दस्ती की निशानी हैं।

(7) नंगे पाओं चलना फिरना:- नंगे पाओं चलना फिरना नाजाइज़ तो नहीं मगर बेहतर तो यही है कि जूता पहना जाए। बअ़ज़

हज़रात अदब के सबब मक्का शरीफ़ और मदीना तैय्यबा में नंगे पाँव फिरते हैं चूँकि वहाँ गर्म फ़ज़ा होने की वजह से ज़मीन ख़ासी गर्म होती है और इस ज़मीन पर नंगे पाओं ज़ख़्मी हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं जिससे ख़ासी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अगर मुहब्बत की बिना पर ऐसा करना नेक बख़्ती है तो फिर ये भी सोचना चाहिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में नेकी है।

हदीस शरीफ़: अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कहा एक आदमी ने फुज़ाला बिन उबैद से कहा कि, मैं तुमको बिखरे बाल देख रहा हूँ। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को बहुत ज़्यादा ऐश व आराम की बातों से मना किया है। कहा क्या है कि तेरे पाँव में जूता नहीं देख रहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फ़रमाया करते थे कि कभी कभी हम नंगे पाँव चलें।(अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई आजिज़ी के तौर पर नंगे पाँव रहे तो इसमें कोई हरज नहीं और बअज़ बुजुर्गों का नंगे पाँव रहना भी साबित है। हज़रत बिशर हाफ़ी अकसर नंगे पाँव रहते थे। पाक जगह पर नंगे पाँव जाने में कोई हरज नहीं बशर्ते कि ज़्यादा तकलीफ़ का सबब न हो। इसका सबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वह वाक़ेआ है जब वह मदायन से हज़रत सैय्यदना शुऐब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी माँ साहिबा से मिलने के लिये जानिबे मिस्र रवाना हुए। आपके घर वाले भी साथ थे शाम के बादशाहों के ख़ौफ़ के पेशे नज़र सड़क को छोड़कर आपने जंगल का रास्ता इख़्तियार फ़रमाया। आपकी बीवी मुहतरमा हामिला (गर्भवती) थीं चलते चलते जब कोहे तूर की पूर्वी जानिब पहुँचे यहाँ रात के वक़्त बीवी साहिबा को दर्द ज़ेह (पैदाइश) शुरु हुआ। सख़्त सर्दियों की अंधेरी रात थी। ख़ूब बर्फ़बारी भी हो रही थी। आपको दूर आग नज़र आई। उसकी तरफ़ आप बढ़े ताकि कोई चिंगारी वग़ैरा लाएं वहाँ एक दरख़्त सरसब्ज़ व हरा भरा देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत ही रौशन था जितना उसके क़रीब जाते वह दूर हो जाता आप जब ठहर जाते वह क़रीब हो जाता यहाँ तक कि जब वादिए (घाटी) तुवा में पहुँचे, तो अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया,

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: बेशक मैं तेरा रब हूँ तू तो अपने जूते उतार डाल बेशक तू पाक जंगल तुवा में है।

(8) किसी का जूता उठाना या इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं:- मस्जिद में अगर आपका जूता उठाकर ले जाए और उसी तरह के और जूते वहाँ रखे हुए हैं। गुमान भी यही ज़्यादा है कि कोई भूलकर तब्दील करके ले गया है। फिर भी आप दूसरे के जूते हरगिज़ न उठाएं गुनाह है। ऐसे ही अकसर वक़्त मस्जिद के बाहर ही दरवाज़े पर लोगों के जूते रखे होते हैं और हर कोई बिला तकल्लुफ़ वो जूते बग़ैर किसी की इजाज़त के पहन कर बैतुल ख़ला वग़ैरा में चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिये। हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिये किसी के जूते पहन कर गए हों और अस्ल मालिक भी उसी वक़्त बाहर जाना चाहे तो ज़ाहिर है कि अपना जूता न पाकर उसे सद्मा होगा। यह भी मुम्किन है कि यह समझकर कि "मेरे जूते चोरी हो गए" वो नंगे पाँव ही चला जाए। आप वापस आकर वो जूते दोबारा रख भी दें लेकिन अस्ल मालिक तो बेचारा जूते बरबाद कर चुका। लिहाज़ा इस तरह करना गुनाह के दायरे में आ जाएगा।

(9) हुज़ूर की नअ़लैन मुबारक:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जिस क़िस्म के जूते पहनते थे उनके मुतअ़ल्लिक़ अहादीस हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़:- हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि: मैंने रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ऐसे नअ़लैन मुबारक पहनते देखा जिनमें बाल नहीं थे। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि, नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नअ़लैन मुबारक के दो तस्मे होते थे।

(बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हर नअ़लैन (जूते) मुबारक के दो तस्मे होते और हर तस्मा दोहरा होता।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

इन अहादीस से साबित हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बिल्कुल सादा क़िस्म का जूता इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादा क़ीमत का न होता। लिहाज़ा हमें हुज़ूर की पैरवी में सादा जूता इस्तेमाल करना चाहिये।

सुन्नते निकाह

निकाह बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम बुनियादी ज़रूरत है जिस तरह खाए पिये बग़ैर कोई चारा नहीं ऐसे ही शादी किये बग़ैर कुछ चारा नहीं। निकाह का लफ़्ज़ी मतलब मर्द- औरत का मिलाप है मगर हक़ीक़त में निकाह से मुराद वो ख़ास अक़्द यानी मुआ़हिदा है जो मर्द और औ़रत के दरमियान होता है। जिससे दोंनो के दरमियान ज़ौजियत (मियाँ-बीवी) का तअ़ल्लुक़ जाइज़ हो जाता है।

निकाह सिर्फ़ मर्द और औ़रत का समाजी बंधन नहीं या जिस्मानी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिये सिर्फ़ ज़ाती मामला नहीं बल्कि ये समाज के वुजूद और बक़ा के लिये एक बुनियादी सुतून (खम्बा) है। इसलिये इस्लाम में इसकी बेपनाह एहमियत और फ़ज़ीलत है। इसकी एहमियत का अन्दाज़ा इस बात से बख़ूबी लगाया जा सकता है कि हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम के वक़्त से लेकर शरीअ़ते मुहम्मदी तक कोई शरीअ़त ऐसी नहीं गुज़री जो निकाह से खाली हो। इसकी अहमियत को क़ुरआने पाक में भी अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम में बड़ी तफ़सील से पेश किया है:-

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: और मोमिनो! मुशरिक औ़रतों से जब तक ईमान न लाएं निकाह न करना। क्योंकि मुशरिक औ़रत ख़्वाह तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी (बाँदी) बेह्तर है। और (इसी तरह) मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औ़रतों को उनके निकाह में न देना क्योंकि मुशरिक (मर्द) से ख़्वाह वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेह्तर है। (पारा 2, बक़रा, 221)

एक और मक़ाम पर अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि, अगर तुमको इस बात का ख़ौफ़ हो कि यतीम लड़कियों से इन्साफ़ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औ़रतें तुम्हें पसन्द हों दो-दो या तीन-तीन या चार-चार, उनसे निकाह कर लो और अगर इस बात का डर हो कि तुम इन्साफ़ न कर सकोगे तो फिर एक औ़रत ही काफ़ी है। (सूरए -निसा , 3)

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: और जिन औ़रतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर (जाहिलियत में) जो हो चुका (सो हो चुका) ये निहायत बे हयाई और (ख़ुदा की) नाराज़गी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। (पारा 4 सूरए निसा आयत 26)

और इरशादे बारी तआला है कि आज तुम्हारे लिये सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी हैं। एहले किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिये हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और एहले किताब की पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिये हलाल हैं।

(सूरए मायदा ,5)

तर्जमा कुरआन शरीफ़: और अपनी क़ौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफ़लिस (ग़रीब) होंगे तो ख़ुदा उनको अपने फ़ज़्ल से ख़ुशहाल कर देगा। और ख़ुदा बहुत अता करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। (पारा 18 सूरए नूर , 22)

सूरए रअद में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि, आपसे पहले बहुत से रसूलों को भेजा और उनको उनकी बीवियाँ दीं और उन्हें औलाद भी दी।

इन तमाम आयात से ये बात ज़ाहिर होती है कि मुस्लिम मुआशरे के लिये निकाह हर लिहाज़ से बड़ा अहम और ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एहमियत यूँ बयान फ़रमाई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तीन आदमियों की मदद करना अल्लाह तआला के ज़िम्म-ए-करम पर है। 1. मकातिब (गुलाम), जो किताबत (गुलामी का क़र्ज़) अदा करने का इरादा रखता है। 2. निकाह का ख़्वाहिश मंद, जो पाकदामनी को बचाना चाहे। 3. और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। (तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा)

एक और हदीस में हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जब किसी बन्दे ने निकाह कर लिया तो आधा दीन उसके लिये मुकम्मल हो गया और बाक़ी आधे दीन के लिये अल्लाह का तक़्वा (ख़ौफ़) इख़्तियार करो।

(बेहक़ी,शुअबुल ईमान)

निकाह के सिलसिले में इस्लाम ने चन्द उसूल मुक़र्रर फ़रमाए हैं जिन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अमल किया और दूसरों को अमल पैरा होने की ताकीद फ़रमाई। अहादीस शरीफ़ के मुताबिक़ ये आदाब और सुन्नतें हस्ब ज़ैल हैं।

(1) साहिबे कुदरत के लिये निकाह करना सुन्नत है:- जवान होकर साहिबे कुदरत होने की सूरत में निकाह करना सुन्नत है। साहिबे कुदरत का मतलब है कि मियाँ-बीवी के हक़ अदा करने पर क़ादिर हो। बीवी के ख़र्च बरदाश्त करने के क़ाबिल हो। मेहर की रक़म अदा करने की ताक़त रखता हो। निकाह के बाद जो औलाद हो उसका पालन पोषण कर सकता हो और अच्छी तअ़लीम व परवरिश का इन्तिज़ाम मुहय्या कर सकता हो। अगर ज़िना (हरामकारी) में मुब्तला होने का डर हो तो इस सूरत में ज़िना से बचने के लिये निकाह करना फ़र्ज़ है।

हदीस शरीफ़: हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ नौजवानों की जमाअ़त! जो तुम में से औ़रत रखने की ताक़त रखता है तो उसे निकाह करना चाहिये क्योंकि ये नज़र को झुकाता है और शर्मगाह को महफ़ूज़ रखता है। और जो इसकी ताक़त न रखता हो तो वह रोज़े रखे क्योंकि इससे शादी की ख़्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। (बुख़ारी शरीफ़)

जो शख़्स माली हैसियत से इस क़ाबिल न हो कि वो बीवी के ख़र्च पूरे न कर सकता हो तो उसे पहले ख़ुद में ख़र्च पूरे करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिये क्योंकि एहलियत के बग़ैर दूसरे फ़रीक़ को परेशानी में डालना होगा जो इस्लामी रावादारी के ख़िलाफ़ है। इसलिये निकाह करने वाले का साहिबे ताक़त होना ज़रूरी है।

एक और हदीस में अलक़मा का बयान है कि: मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ था कि मिना के मक़ाम पर उनकी मुलाक़ात हज़रत उ़समान से हुई और उन्होंने कहा ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मुझे आपसे एक काम है। चुनान्चे दोनों हज़रात तन्हाई में चले गए तो हज़रत उ़समान ने कहा ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! क्या आपकी शादी मैं एक कुंवारी लड़की से न कर दूँ कि गुज़री ज़िन्दगी भी ताज़ा हो जाए। जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने देखा कि इन्हें इस बात के सिवा मुझसे कोई और काम नहीं तो मेरी जानिब इशारा करते हुए फ़रमाया, ऐ अलक़मा! पस मैं उनकी ख़िद्मत में हाज़िर हो गया तो वह कह रहे थे जो कुछ आपने कहा इस सिलसिले में नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारे बारे में फ़रमाया है कि, ऐ नौजवानों! जो तुम में से औ़रत के हुकूक़ अदा करने की ताक़त रखता है तो उसे ज़रूर निकाह करना

चाहिये और जो ताक़त न रखे तो उसके लिये रोज़े हैं क्योंकि ये जिस्मानी ख़्वाहिश को कम करते हैं।

एक और ह़दीस में निकाह़ की यूँ तालीम दी है कि, निकाह़ करो क्योंकि निकाह़ करना मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत से मुँह फेरे वो मुझसे नहीं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि, तीन सह़ाबी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अज़्वाजे मुतह्हरात (पांक बीवियों) के हुजरों के नज़दीक आए ताकि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इ़बादत के बारे में दरयाफ़्त करें। जब उन्हें आगाह किया गया तो गोया उन्हें कम समझते हुए कहने लगे कि भला हम किस खेत की मूली हैं कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इ़बादत देखने लगे जब कि उनकी तो हर अगली पिछली लग़ज़िश व ख़ता (अगर उसका कोई वुजूद हो तो) माफ़ फ़रमा दी गयी है। उनमें से एक ने कहा कि मैं अब हमेशा सारी रात नमाज़ पढ़ा करूँगा, दूसरे ने कहा मैं उ़म्र भर रोज़े रखता रहूँगा और किसी एक दिन का रोज़ा भी नहीं छोड़ूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं औ़रतों से हमेशा दूर रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। पस आपने फ़रमाया कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि ख़ुदा की क़सम! मैं तुम्हारी निस्बत ख़ुदा से ज़्यादा डरता हूँ और उससे डरकर गुनाहों से ज़्यादा बचने वाला हूँ इसके बावजूद मैं रोज़े रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ। नमाज़ (रातों को) पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। और औ़रतों से निकाह़ भी करता हूँ। पस जो मेरी इस सुन्नत से मुँह फेरे वो मुझमें से नहीं। (बुख़ारी शरीफ़)

(2) नेक औ़रत से निकाह़ करना सुन्नत है:- शादी के सिलसिले में पहली बात यह सुन्नत है कि निकाह़ नेक और इ़बादत गुज़ार औ़रत से किया जाए क्योंकि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नेक औ़रत को बीवी बनाने की तालीम दी है। नेक औ़रत वो है जो अल्लाह से डरने वाली हो, शौहर को ख़ुश रखने वाली हो, अच्छे नसब से तअ़ल्लुक़ रखने वाली हो, ह़सीन व ख़ूबसूरत हो बन्दे के माल की ह़िफ़ाज़त करने वाली हो, मीठी ज़बान और ख़ुश कलाम हो यानी हर लिहाज़ से सीरत और सूरत में बेहतर हो। ऐसी औ़रत से शादी करना सुन्नत

है। जिन औ़रतों से निकाह़ करना सुन्नत है उनके मुतअ़ल्लिक़ चन्द अह़ादीस ह़स्ब ज़ैल हैं:-

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: औ़रतों के साथ चार वजह से निकाह़ किया जाता है। 1. उसके माल, 2. उसके ह़स्बो (ख़ानदान) नसब, 3. उसके हुस्न व जमाल, 4. उसके दीन के सबब। तेरे हाथ ख़ाक में हों तू दीन वाली को एहमियत दे। (बुख़ारी शरीफ़)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सारी दुनिया ही दौलत है और दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक बीवी है। (मुस्लिम शरीफ़)

ह़ज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, मुह़ब्बत करने वाली औ़रत से निकाह़ किया करो ताकि मैं तुम्हारी ज़्यादती के सबब दूसरी उम्मतों पर फख़्र करूँ। (अबू दाऊद, नसई शरीफ़)

अ़ब्दुर्रह़मान बिन सालिम बिन उ़त्बा बिन उ़वैम बिन साइदा अन्सारी के वालिद माजिद ने उनके जद्दे अमजद से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुँवारी लड़कियों से निकाह़ किया करो क्योंकि वो मुँह की मीठी ज़्यादा बच्चे जनने वाली और थोड़ी चीज़ पर राज़ी हो जाने वाली होती हैं। (इब्ने माजा)

ह़ज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो अल्लाह तआ़ला से पाक-साफ़ हालत में मिलना चाहे, उसे चाहिये कि आज़ाद कुँवारी औ़रतों से निकाह़ करे। (इब्ने माज)

ह़ज़रत अबु अ़मामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते, मोमिन ने अल्लाह के तक़्वा (ख़ौफ़) के बाद नेक बीवी से बेहतर कोई भलाई ह़ासिल नहीं की। अगर उसे हुक्म दे तो फ़रमांबरदारी करती है, उसकी तरफ़ देखे तो ख़ुश करती है, अगर उस पर क़सम डाले तो पूरा कर देती है और अगर वो ग़ायब हो तो जान व माल में उसकी ख़ैर ख़्वाही करती है।

(इब्ने माजा)

(3) बालिग़ होने पर फ़ौरन निकाह़ करना सुन्नत है:- लड़के या लड़की के बालिग़ होने पर जल्द निकाह़ कर देना सुन्नत है ताकि बालिग़ बच्चा या बच्ची किसी बुराई या बदकारी में शामिल न हो ख़ासकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि जब लड़की बालिग़ हो जाए तो उसकी फ़ौरन शादी कर देनी चाहिये।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत उ़मर और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तौरैत में लिखा हुआ है कि जिसकी बेटी बारह साल की हो गयी और वो उसका निकाह़ न करे अगर वो गुनाह में मुब्तला हुई तो गुनाह बाप का होगा। (बेहक़ी, शुअ़बुल ईमान)

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि जब लड़की बारह साल की हो जाए तो वह बालिग़ हो जाती है मगर बअ़ज़ ठण्डे इलाक़े ऐसे भी हैं जहाँ लड़की बारह साल की बालिग़ नहीं होती। बहर कैफ़ इसका मतलब यह है कि जब भी लड़की बालिग़ होने की उ़म्र को पहुँच जाए तो उसके वालिदैन को उसकी शादी करने में जल्दी करनी चाहिये। ऐसे ही लड़के के बालिग़ होने पर भी लड़के की शादी कर देना बेहतर है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद और हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके घर लड़का पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसे अदब सिखाए। जब बालिग़ हो जाए तो उसका निकाह़ कर दे। अगर बालिग़ होने पर उसका निकाह़ न करे और उसने गुनाह किया तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा। (बेहक़ी, शुअ़बुल ईमान)

अगर लड़के के बालिग़ होने पर उसकी शादी न की जाए तो उसका गुनाह माँ-बाप पर होता है मगर उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि लड़का अपनी बीवी का ख़र्चा बरदाश्त करने के क़ाबिल हो तो इसका मक़सद ये हुआ कि पहले वालिदैन (माँ-बाप) अपनी औलाद की तालीम व तरबियत की तरफ़ तवज्जोह दें। और उन्हें इस क़ाबिल बना दें कि वो निकाह़ की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के क़ाबिल हो जाऐं तो फिर फ़ौरन उनकी शादी का इन्तिज़ाम कर देना चाहिये। मगर देखने में आया है कि बहुत से लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान की परवाह नहीं करते हैं। लड़के और लड़कियाँ बूढ़े हो जाते हैं और वालिदैन उनकी शादी की

तरफ़ तवज्जोह नहीं देते हैं लिहाज़ा औलाद को खुद भी अपनी इस्लाह आप करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पेश किये गए फ़रमान पर अ़मल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिये।

(4) निकाह का पैग़ाम भेजना सुन्नत है:- रिश्ते की तलाश में लड़के वालों की तरफ़ से लड़की वालों को शादी का पैग़ाम देना सुन्नत है। पैग़ाम पर दोनों फ़रीक़ों (पक्ष) को इत्मीनान व तसल्ली करना चाहिये। लड़की वालों को चाहिये कि रिश्ते की हां करने से पहले लड़के की ताक़त का जाइज़ा लें। उसके किरदार की छानबीन करें। ऐसे ही लड़के वालों को चाहिये कि वो भी लड़की की सीरत (चरित्र) और सलीक़ा मन्दी का पूरी तरह जाइज़ा लें और फिर निकाह के पैग़ाम को पक्का करें यानी मंग्नी वग़ैरा करें यानी निकाह के पैग़ाम की हां करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम्हें कोई निकाह का पैग़ाम दे जिसके दीन और अख़्लाक़ से तुम खुश हो तो उससे निकाह करलो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़ित्ना बरपा होगा और लंबा चौड़ा फ़साद होगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत उ़मर को उनकी बेटी हज़रत हफ़सा से निकाह के लिये जिस तरह पैग़ाम भेजा उसका वाक़ेआ़ यूँ है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत हफ़सा बिन्त उ़मर बेवा हो गयीं यानी उनके शौहर हज़रत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमो का मदीना मुनव्वरा में इन्तिक़ाल हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। पस हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब फ़रमाते हैं कि मैं उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान के पास गया और उनसे हफ़सा के लिये कहा, उन्होंने जवाब दिया मैं अपने मामले में ग़ौर करूँगा मैं चन्द रोज़ इन्तिज़ार करता रहा। फिर एक रोज़ उनसे मेरी मुलाक़ात हुई तो कहने लगे कि मुझ पर अभी यही ज़ाहिर हुआ है कि फ़िलहाल निकाह न करूँ। हज़रत उ़मर ने फ़रमाया कि फिर मेरी मुलाक़ात हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ से हुई मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो हफ़सा का आपके साथ निकाह कर दूँ? हज़रत अबू बक्र ख़ामोश रहे और उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई जवाब न दिया मुझे इस तर्ज़े अ़मल के

सबब उन पर हज़रत उसमान से भी ज़्यादा गुस्सा आया। पस चन्द ही रोज़ गुज़रे होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैग़ाम भेजा, पस मैंने उसे आपके निकाह में दे दिया। फिर मेरी मुलाक़ात हज़रत अबू बक्र से हुई तो वह कहने लगे कि शायद आपको मुझ पर गुस्सा आया हो जब आपने मुझसे हफ़सा की बात की और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था। चुनान्चे हक़ीक़त यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते थे और इस बात का आपने ज़िक्र फ़रमाया था लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ को ज़ाहिर करना नहीं चाहता था। अगर बिल फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह ख़्याल ख़त्म फ़रमा देते तो मैं क़ुबूल कर लेता। (बुख़ारी शरीफ़)

(5) शव्वाल में निकाह करना सुन्नत है:- इस्लाम से पहले अरबों में ये रिवाज आम था कि वह शव्वाल में निकाह न करते क्योंकि वह शव्वाल में दुल्हन को घर लाने को बुरा तसव्वुर किया करते थे। तो उनके इस ख़्याल की मुख़ालेफ़त की गयी। कि शव्वाल में निकाह करना जाइज़ और दुरुस्त है बल्कि सुन्नत है। और इसकी दलील हज़रत आयशा की रिवायत करदा ये हदीस है जिसमें उन्होंने ये बात बयान फ़रमाई कि अगर शव्वाल में शादी बियाह करना बुरा या मनहूस होता तो फिर आख़िर मेरी शादी भी शव्वाल में हुई और मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत (क़ुरबत) नसीब हुई इससे बढ़कर और खुश क़िस्मती क्या होगी। मतलब ये हुआ कि जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के माह में किया वो हर लिहाज़ से जाइज़ और सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में मुझे अपने निकाह में लिया और शव्वाल के महीने ही में मेरे साथ ज़िफ़ाफ़ (मिलन) फ़रमाया। चुनान्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुतह्हरा (पाक बीवी) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे ज़्यादा महबूबा (पसन्द) हैं। (मुस्लिम)

(6) इजाज़ते निकाह सुन्नत है:- औरत के लिये शादी का मसअला बड़ा एहम है इसमें उसकी मर्ज़ी और राय का शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी पूरी ज़िन्दगी तल्ख़ (दुखदायी) हो जाती है। इसलिये शरीअत ने हर बालिग़ मुसलमान को

ख़्वाह वो मर्द हो या औ़रत ये हक़ दिया है कि इस मौके़ पर वो अपनी मर्ज़ी और ख़्वाहिश का पूरा पूरा इज़्हार करे। ख़ास तौर पर औ़रतों के बारे में उनके माँ बाप वली और सरपरस्त पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि इस मामले में ज़ाती पसन्द व ना पसन्द को तल्ख़ी (कड़वाहट) न दें बल्कि औ़रत को सोचने का मौक़ा भी दें। और उसके दिली इरादे का एहतेराम करें अगर वो कहीं शादी नहीं करनी चाहे तो वो वहाँ उसकी शादी न करें। लिहाज़ा इस्लाम ने इस बात की पाबन्दी लगाई है कि औ़रत की शादी से पहले उससे इजाज़त ली जाए अगर वो शर्मो ह़या की वजह से अपनी इजाज़त व मर्ज़ी का ज़बान से इज़्हार न करे तो फिर उसकी ख़ामोशी ही को उसकी इजाज़त तसव्वुर किया जाए।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी बेवा का निकाह़ न किया जाए जब तक कि उससे इजाज़त न ली जाए और न किसी कुँवारी का निकाह़ किया जाए यहाँ तक कि उससे इजाज़त ली जाए। लोग अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलुल्लाह ! इसकी इजाज़त कैसे ? फ़रमाया कि वो ख़ामोश हो जाए। (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

यतीम बच्ची को ख़ास कर ये ह़क़ दिया गया है कि निकाह़ से पहले उससे इजाज़त ली जाए अगर वो ख़ामोशी इख़्तियार करे तो समझ लें कि उसकी इजाज़त है अगर वो इन्कार कर दे तो फिर उस पर सख़्ती नहीं करना चाहिये। इसकी ताईद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस ह़दीस से होती है:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यतीम लड़की से उसकी ज़ाती मर्ज़ी दरयाफ़्त की जाए अगर वो ख़ामोश रहे तो ये उसकी इजाज़त है अगर वो इन्कार करे तो उस पर सख़्ती करना जाइज़ नहीं।

(तिर्मिज़ी, नसई)

जिस औ़रत का निकाह़ उसकी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ ऐसे मर्द से कर दिया जाए, जिसे वो नापसन्द करती हो तो फिर औ़रत को इख़्तियार ह़ासिल है ख़्वाह उस पर राज़ी रहे या अपनी अ़लैहदगी के इख़्तियार को इस्तेमाल में ले आए।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया, कि एक कुँवारी लड़की ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर ज़िक्र किया कि उसके वालिद माजिद (बाप) ने उसका निकाह कर दिया जिसको वो ना पसन्द करती है। पस नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इख़्तियार दिया। (अबू दाऊद शरीफ़)

(7) निकाह में वली (सरपरस्त) से इजाज़त लेना सुन्नत है:- जिस तरह निकाह से पहले उस औरत की रज़ामंदी और इजाज़त ज़रूरी है जिसका निकाह हो। ऐसे ही उस वली से भी निकाह की इजाज़त लेना ज़रूरी है जिसकी परवरिश में लड़की होती है। औरत का सबसे पहला वली उसका बाप है फिर उसके बाद उसका हक़ीक़ी भाई, फिर चचा और दादा वग़ैरा होता है। वली का अक़लमन्द और बालिग़ होना भी ज़रूरी है। बालिग़ औरत का निकाह उसके वली की इजाज़त के बग़ैर नहीं हो सकता इसलिये निकाह से पहले वली से इजाज़त लेना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस औरत ने अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया उसका निकाह बातिल (ग़लत) है। उसका निकाह बातिल है। उसका निकाह बातिल है। अगर मर्द ने उससे सोहबत (मिलाप) कर ली तो औरत को इतना मेहर मिलेगा कि जितना उसकी शर्मगाह से फ़ायदा उठाया। अगर लोग इख़्तिलाफ़ करें तो जिसका कोई वली न हो तो उसका वली सुल्तान है।

(अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

इस हदीस से एक मसअले की वज़ाहत होती है कि जिस औरत का कोई वली न हो उसका वली हुकूमत का सरबराह होगा।

(8) सुन्नत गवाही:- निकाह गवाहों के सामने करना ज़रूरी है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी है। इसलिये ईजाब व क़ुबूल के वक़्त गवाहों का होना सुन्नत है बल्कि ये निकाह की ज़रूरी शर्तों में से है। लिहाज़ा गवाहों का आक़िल बालिग़ होना ज़रूरी है। गवाही दो मर्दों या एक मर्द और दो औरतों की होती है। क्योंकि

निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक़ होता है इसलिये गवाही देने वाले को भी सवाब होता है। गवाही के बग़ैर निकाह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मज़म्मत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बदकार औ़रतें वह हैं जो अपना निकाह बग़ैर गवाहों के करें।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

अस्ल गवाह तो वही होते हैं जिनको मजलिसे निकाह में गवाही के लिये चुना जाता है मगर इसके अ़लावा वह तमाम हाज़िरीन भी गवाह ही होते हैं जो निकाह का ईजाब व क़ुबूल सुनते हैं। जब मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औ़रत के साथ हो तो गवाहों का मुसलमान होना ज़रूरी है लिहाज़ा मुसलमान मर्द और औ़रत का निकाह ग़ैर मुस्लिमों की गवाही से नहीं हो सकता अलबत्ता निकाह अगर किसी किताबिया (ईसाई या यहूदी औ़रत) से हो तो उस निकाह में एहले किताब को गवाह बनाया जा सकता है।

(9) मेहर मुक़र्रर करना सुन्नत है:- मेहर उस मुआ़वज़े (माल) को कहा जाता है जो निकाह के मौक़े पर शौहर की तरफ़ से औ़रत के लिये मियाँ-बीवी के हुक़ूक़ की बिना पर मुक़र्रर किया जाता है। मेहर निकाह की ज़रूरी शर्तों में से है यानी अगर कोई शख़्स निकाह के वक़्त ये नियत कर ले कि मेहर नहीं दिया जाएगा तो उसका निकाह सही ही न होगा क्योंकि इरशादे बारी तआ़ला है कि जिन औ़रतों से तुम निकाह करो उनके मुक़र्रर शुदा मेहर उनको अदा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की अपनी तमाम बीवियों का मेहर मुक़र्रर हुआ। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी में मेहर मुक़र्रर करना सुन्नत है। शरीअ़ते इस्लामिया ने मेहर की किसी ख़ास मिक़्दार को निश्चित करके वाजिब क़रार नहीं दिया। और न उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद मुक़र्रर की गयी है बल्कि उसे शौहर की हैसियत और ताक़त पर मौक़ूफ़ रखा है यानी जो शख़्स जिस क़द्र मेहर देने की ताक़त रखता हो उसी क़द्र मुक़र्रर करे अलबत्ता शरीअ़त में कम से कम मिक़्दार मुक़र्रर की गयी है ताकि उससे कम मुक़र्रर न किया जाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सलमा का बयान है कि मैंने हज़रत

आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मेहर दिया करते थे? फ़रमाया कि आपका अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात (बीवियों) के लिये मेहर बारह औदक़िया और नश होता था। फ़रमाया क्या आप जानते हैं कि नश क्या है? मैंने कहा नहीं। फ़रमाया कि निस्फ़ औदक़िया पस ये पाँच सौ दिरहम हो गए।

(मुस्लिम शरीफ़)

(10) ऐलाने निकाह सुन्नत है:- निकाह का ऐलान करना सुन्नत है। यही वजह है कि निकाह को ज़ाहिर करके करना चाहिये। लिहाज़ा छुपकर निकाह करना जाइज़ नहीं। चुनान्चे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, निकाह का ऐलान करो अगरचे दफ़ ही क्यों न बजाना पड़े। क्योंकि आपके ज़माने में शादी के मौक़े पर दफ़ बजाया जाता था इसलिये आपने इसे ऐलान का एक ज़रिया क़रार दिया है। आजकल चूँकि दफ़ का रिवाज नहीं रहा है इसलिये निकाह के ऐलान से मुराद ये है कि लोगों में बैठ कर निकाह पढ़ा जाए जो ऐलान करने की तरह होगा ताकि निकाह का दूसरों को पता चल जाए इसलिये चोरी छुपे निकाह करना दुरुस्त नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुहम्मद बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: हलाल निकाह और हराम की तमीज़ दफ़ और आवाज़ से होती है।(नसई शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत रबीअ बिन्त मुअव्विज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया कि : जब मेरी रुख़्सती हो गयी तो नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर जल्वा अफ़रोज़ हुए जैसे तुम मेरे पास बैठे हो। हमारी बच्चियाँ दफ़ बजाकर अपने आबाओ अजदाद के मरसिये बयान करने लगीं जो जंगे बद्र में शहीद हुए थे जब उनमें से एक ने कहा कि हम में ऐसा नबी जल्वा अफ़रोज़ है जो कल की बात जानता है तो आपने फ़रमाया इसे छोड़ दो और वही बात कहो जो तुम कह रही थीं। (बुख़ारी)

(11) मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है:- मस्जिद ख़ैर की जगह है। चूँकि मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है इसलिये जो काम भी मस्जिद में किया जाए उसमें ख़ैरो बरकत शामिल हो जाती है

इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में निकाह़ करने की ताकीद की है कि जब निकाह़ का वक़्त हो तो मस्जिद में बैठकर निकाह़ किया जाए। मस्जिद में निकाह़ करने में ह़िकमत ये है कि निकाह़ का फ़र्ज़ नेक मक़ाम पर अन्जाम पाए और मियाँ बीवी का बन्धन सही रास्ते पर क़ायम रहे और दोनों अल्लाह की इ़बादत और इ़ताअ़त में पाबन्द रहें।

एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि जिस शख़्स का निकाह़ मस्जिद में होगा वह निफ़ाक़ (कपटाचार) से मह़फ़ूज़ रहेगा और मियाँ बीवी में इत्तिफ़ाक़ रहेगा।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, निकाह़ का ऐ़लान किया करो और ये काम मस्जिदों में किया करो और इस मौक़े पर दफ़ बजाया करो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(12) निकाह़ के वक़्त ख़ुत्बा पढ़ना सुन्नत है:- निकाह़ के वक़्त शादी की मजलिस में सबके सामने ख़ुत्बा पढ़ें क्योंकि निकाह़ के वक़्त ख़ुत्बा पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बाद दुल्हन से इजाज़त ह़ासिल करके दूल्हा के सामने उससे मुख़ातिब होकर यूँ कहें कि "फ़लां औ़रत, फ़लां की बेटी तुम्हारी ज़ौजियत (निकाह़) में बऐ़वज़ इतने मेहर के दे दिया तुमने क़ुबूल किया?" दूल्हा इसके जवाब में कहे कि हां! मैंने इतने मेहर में अपनी ज़ौजियत में क़ुबूल कर लिया। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के लिये अच्छी ज़िन्दगी गुज़ारने की दुआ़ माँगें।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ और ह़ाजत के लिये तशह्हुद सिखाया। फ़रमाया कि नमाज़ का तशह्हुद ये है "तमाम ज़बानी जिस्मानी और माली इ़बादतें अल्लाह के लिये हैं ऐ नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रह़मतें और उसकी बरकतें। हम पर अल्लाह का सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूँ कि मुह़म्मद मुस्तफ़ा उसके बंदे और उसके रसूल हैं।" ह़ाजत का तशह्हुद ये है "तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये हैं। हम उससे मदद चाहते हैं और बख़्शिश तलब करते हैं और अपने नफ़्सों की बुराई से अल्लाह की पनाह

लेते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसको वह गुमराही में पड़ा रहने दे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद मुस्तफ़ा उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और ये तीन आयतें पढ़े: **तर्जमा:** ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और हरगिज़ न मरना मगर मुसलमानी की हालत में (12-3) ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द व औरत फैला दीं। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर माँगते हो और रिश्तों का लिहाज़ रखो बेशक अल्लाह तुम्हें हर वक़्त देख रहा है (1-4) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये सँवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और जो अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई।

(अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, दारमी)

(13) निकाह के आख़िर में दूल्हा दुल्हन के लिये दुआ करना सुन्नत है:- निकाह हो जाने के आख़िर में दूल्हा दुल्हन और दीगर हज़रात को उनकी ज़ौजियत (ज़िन्दगी) में इत्तिफ़ाक़ और बरकत की दुआ करनी चाहिये। इसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अ़क़ील बिन अबी तालिब ने किसी से निकाह किया, तो उन्हें लोगों ने बिर्रिफ़ाई वलबनीन कहकर दुआ दी। हज़रत अ़क़ील फ़रमाने लगे कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया था तुम भी उसी तरह कहो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस तरह फ़रमाया था

तर्जमा: अल्लाह तआ़ला तुम्हारी हर चीज़ में बरकत दे और तुम्हें बरकत वाला करे।

दुआ के बाद छुआरे तक़सीम करना भी सुन्नत है इसलिये छुआरे तक़सीम करें।

दावते वलीमा

वलीमा खाने पीने की एक दावत है जो निकाह के मौके पर मियाँ बीवी के निकाह इज्तिमाअ (सभा) और मुलाक़ात के बाद लड़के वालों की तरफ़ से की जाती है। वलीमा इल्तियाम से बना है जिसके मअ्ना इज्तिमाअ के हैं इसलिये ज़ौजैन (मियाँ-बीवी) के इज्तिमाअ की तक़रीब में जो खाना खिलाया जाता है वो वलीमा कहलाता है।

दावते वलीमा का सुन्नत तरीक़ा ये है कि निकाह के बाद पहली रात जब शौहर अपनी बीवी के पास गुज़ारे तो दूसरे रोज़ वलीमा करे। खाना सादा तरीक़े से पकाए और साफ़ सुथरी जगह पर खिलाने का एहतिमाम् करे, अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों को दावत पर बुलाकर हस्ब तौफ़ीक़ उनकी ख़िद्मत करे। दावत पर बुलाने में अमीर व ग़रीब का फ़र्क़ न करे बल्कि कोशिश करे कि अमीर ग़रीब सभी शामिल हों। अल्लाह के नेक बंदों को दावत में बुलाना नेकबख़्ती का सबब होता है। इसलिये अल्लाह के महबूब बंदों को बुलाने की कोशिश करनी चाहिये। खाना बैठाकर खिलाने का एहतिमाम करना चाहिये क्योंकि खड़े होकर खाना ख़िलाफ़े शरीअत है। दाएं तरफ़ से खाना तक़सीम करने का आग़ाज़ करे क्योंकि दाएं तरफ़ से किसी चीज़ का तक़सीम करना सुन्नत है और खाना खाते वक़्त इन तमाम आदाब को मद्दे नज़र रखे जिनका खाने के वक़्त करना सुन्नत है।

हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात (बीवियों) से निकाह के मौक़े पर दावते वलीमा का एहतिमाम फ़रमाया जिसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ रिवायात हस्ब ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब हज़रत ज़ैनब से ज़िफ़ाफ़ (मिलाप) फ़रमाया तो लोगों को रोटी और गोश्त से सैराब किया। (बुख़ारी शरीफ़)

हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से जब निकाह किया तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही सादा अन्दाज़ में अपने सहाबा और अज़ीज़ों की दावते वलीमा की और लोगों को बकरी का गोश्त और रोटी खिलाई, एक और हदीस में इस दावत का यूँ ज़िक्र हुआ है:

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा मुतहहरा (बीवी) का ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा हज़रत ज़ैनब का किया उनका वलीमा एक बकरी से किया। (मुस्लिम शरीफ़)

बअ़ज़ अज़्वाजे मुतह्हरात (बीवियों)के वलीमे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ भी खिलाए।

हदीस शरीफ़: हज़रत सफ़िया बिन्त शैबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाती हैं कि, नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बअ़ज़ अज़्वाजे मुतह्हरात का वलीमा दो मुद जौ के साथ किया।

(बुख़ारी शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से जब निकाह किया तो उस वक़्त भी आपने दावते वलीमा की। हज़रत सफ़िया ख़ैबर की एक बस्ती से जिहाद में क़ैद होकर आई और एक सहाबी के हिस्से में आई। आपने उस सहाबी को मुआवज़ा देकर उसे आज़ाद कर दिया और फिर उसकी दिल जोई के लिये उससे शादी कर ली और शादी के मौक़े पर हीस से दावते वलीमा की। हीस एक खाने का नाम है जो हल्वे की तरह होता है, जो खजूर, घी और पनीर से बनाया जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस से रिवायत है कि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को आज़ाद करके उनके साथ निकाह कर लिया और आज़ादी उनका मेहर क़रार पाया आपने हीस के साथ उनका वलीमा किया। (बुख़ारी शरीफ़)

इब्ने माजा की एक रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़िया का वलीमा सत्तू, खजूरों से किया।

हदीस शरीफ़ के मुताबिक़ दावते वलीमा की सुन्नतें और आदाब हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) वलीमा हैसियत के मुताबिक़ करना चाहिये:- वलीमे की दावत का एहतिमाम अपनी हैसियत के मुताबिक़ करना चाहिये अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। ज़्यादा

तकल्लुफ़ात में पड़ने से परेशानी ज़्यादा उठाना होगी। इसलिये सादा वलीमे को अहमियत दी जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यही ताकीद फ़रमाई है कि अपनी हैसियत के मुताबिक़ दावते वलीमा किया जाए मगर याद रहे कि वलीमे में फ़ुज़ूल खर्ची से काम न लिया जाए। जो शख़्स इस उसूल के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है वह हमेशा परेशान और तबाह होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम यूँ दी है:-

हदीस शरीफ़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन औ़फ़ के ऊपर ज़र्दी (पीले पन) का निशान देखा तो फ़रमाया ये क्या है? अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि मैंने एक औ़रत से गुठली के बराबर सोने पर निकाह कर लिया। फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला बरकत दे वलीमा भी कर लो ख़्वाह एक बकरी से हो। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि तकल्लुफ़ न करूँ और जो हाज़िर हो उससे परहेज़ न किया करूँ। और सहाब-ए किराम का मअ़मूल था कि रोटी के टुकड़े और ख़ुश्क खजूरें एक दूसरे के आगे रख देते थे और कहा करते थे कि उस शख़्स से बढ़कर गुनहगार कौन हो सकता है जो उस खाने की चीज़ को हक़ीर समझता है जो वक़्त पर हाज़िर व मौजूद हो और उसे दूसरों के सामने नहीं लाता। या फिर उस शख़्स से जो दूसरों के मौजूद खाने को हक़ीर तसव्वुर करता है (यानी जो कुछ बिला तकल्लुफ़ उसके सामने रखा जाए उसे हक़ारत से देखता है।)

(2) दावते वलीमा क़ुबूल करना सुन्नत है:- वलीमे की दावत क़ुबूल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। बअ़ज़ साहिबे हैसियत लोगों की आ़दत होती है कि अगर उन्हें दावत दी जाए तो वह अपने फ़ख़्र की बिना पर क़ुबूल नहीं करते और किसी न किसी बहाने से टाल देते हैं। ऐसा करना अच्छी आ़दत नहीं बल्कि फ़ख़्र और ग़ुरूर और अख़्लाक़ी तक़ाज़े के ख़िलाफ़ है। बअ़ज़ मुफ़्तियाने किराम का कहना है कि शादी के मौक़े पर वलीमे की दावत करना वाजिब है अगर कोई बिला वजह दावत क़ुबूल न करे, तो वह गुनहगार होगा क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है: कि जिस शख़्स ने दावत क़ुबूल न की

उसने ख़ुदा और उसके रसूल की नाफ़रमानी की। बअ़ज़ लोग दावते वलीमा को इस बिना पर रद कर देते हैं कि दावत करने वाले का घर बहुत दूर है बल्कि जहाँ तक मुम्किन हो, दूर वाले की दावत भी क़ुबूल करे।

हज़रत अबू मूसा अशअ़री से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, क़ैदी को छुड़ाया करो, दावत करने वाले की दावत क़ुबूल किया करो और बीमार की मिज़ाज पुर्सी किया करो। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से किसी को दावते वलीमा दी जाए तो उसमें हाज़िर हो जाएं। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने फ़रमाया है कि दावत क़ुबूल करना सिर्फ़ पेट भरने की ग़र्ज़ से नहीं होना चाहिये ये तो हैवानों (जानवरों) का काम है बल्कि दावत क़ुबूल करते वक़्त ये नियत होनी चाहिये कि दावत क़ुबूल करने से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर रहा हूँ तो इस नियत का बहुत अज्र है।

(3) दावत क़ुबूल करने का उसूल:- एक ही वक़्त पर अगर दो हज़रात की तरफ़ से वलीमे की दावत हो तो उसमें उस दावत को क़ुबूल करें जिसकी क़ुरबत (दोस्ती) का तअ़ल्लुक़ ज़्यादा हो, अगर दोनों के साथ एक जैसे तअ़ल्लुक़ात हैं या एक ही मुहल्ले में रहते हों तो इस सूरत में उस शख़्स की दावत क़ुबूल करने को तरजीह दी जाए जिसका दरवाज़ा आपने क़रीब हो और अगर पड़ोसियों के अ़लावा कहीं दूर से दो आदमी एक वक़्त दावत करें तो इस सूरत में उस शख़्स की दावत क़ुबूल करें जिससे ज़्यादा क़रीबी जान पहचान हो और जो ज़्यादा नेक और परहेज़गार हो या हुक़ूक़ के ऐतबार से दूसरे से ज़्यादा क़रीब हो। इस उसूल के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी ये है:-

हदीस शरीफ़: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब दो दावत करने वाले जमा हो जाएं तो उसकी क़ुबूल करो जिसका दरवाज़ा ज़्यादा नज़दीक है और अगर एक पहले आए तो उसकी

क़ुबूल करो जो पहले आया। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) ज़्यादा दिनों तक दावते वलीमा का तरीक़ा:- एक दिन से ज़्यादा दिनों तक दावते वलीमा करना चाहें तो कर सकते हैं मगर इसमें इस बात का ख़्याल रखा जाए कि ज़्यादा दिनों का इन्तेज़ाम करने में कहीं रियाकारी (दिखावा) शामिल न हो जाए क्योंकि दिखावे से दावत का मक़सद ख़त्म हो जाएगा इसके बारे में नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हस्ब ज़ैल तरीक़ा बयान फ़रमया है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: पहले दिन का खाना हक़ है, दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना दिखावा है, जो दिखावा करे तो अल्लाह तआ़ला उसका दिखावा कर देगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

इस हदीस से ज़ाहिर हुआ कि एक से ज़्यादा दिनों तक दावते वलीमा करने का मक़सद ये हुआ कि शादी में पहले दिन लोगों को बुलाना और लोगों का उस दावत को क़ुबूल कर लेना सुन्नते मुअक्किदा है। और दूसरे दिन लोगों को दावत देना सुन्नत व बेहतर है। दो दिन के बाद जब तीसरे दिन भी मेज़बान दावत दे तो समझना चाहिये कि अब इसकी दावत में नाम व नुमाइश का असर पैदा हो गया है। यानी उसने तीसरे दिन लोगों को इसलिये बुलाया कि लोग उसकी तारीफ़ करें और वह लोगों में शोहरत पाए तो ऐसे शख़्स के बारे में ये तम्बीह फ़रमाई गयी है कि आख़िरत में अल्लाह तआ़ला उसके बारे में ऐलान करेगा कि देखो उस शख़्स ने केवल दिखावे के लिये लोगों को खाना खिलाया था इस तरह उसकी ज़िल्लत होगी। लिहाज़ा ऐसे करने से बचना चहिये।

(5) दावते वलीमा में बग़ैर बुलाए जाना मना है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बग़ैर बुलाए दावत में शामिल होने से मना फ़रमाया है और ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। बअ़ज़ लालची लोगों की आ़दत होती है कि वह दावतों में बग़ैर बुलाए शामिल होने की आ़दत बना लेते हैं ऐसे लोगों की आ़दत क़ाबिले मज़म्मत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमाया जिस की दावत की जाए और वह क़ुबूल न करे तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की और जो बग़ैर दावत के अन्दर गया वह चोर की शक्ल में दाख़िल हुआ और डाकू की सूरत में बाहर निकला।

(अबू दाऊद शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बग़ैर बुलाए दावत में शामिल होने वाले को चोर से तशबीह (उपमा) दी है क्योंकि जिस तरह चोर छुपकर किसी के घर में दाख़िल हो जाता है उसी तरह बिन बुलाया मेहमान भी साहिबे ख़ाना की इजाज़त के बग़ैर दावत में चोर की तरह चुपके से आ जाता है जिस तरह चोर बिला इजाज़त किसी मकान में दाख़िल होने से गुनहगार होता है उसी तरह बिन बुलाया मेहमान भी अपने ग़ैर अख़्लाक़ी तरीक़े की वजह से गुनहगार होता है।

(6) दावते वलीमा में बच्चों और औ़रतों को साथ ले जाना:- दावते वलीमा में बच्चों और औ़रतों को साथ ले जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पसन्द फ़रमाया है इसलिये दावत देते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि ज़्यादा क़रीब वाले हज़रात के एहलो अ़याल को भी दावते वलीमा में बुलाएं।

हदीस शरीफ़: अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ औ़रतों और बच्चों को दावते वलीमा से वापस आते हुए देखा तो आप जोशे मसर्रत (ख़ुशी) में खड़े हो गए और फ़रमाया कि ख़ुदा गवाह है कि तुम मुझे लोगों में सबसे प्यारे हो। (बुख़ारी शरीफ़)

(7) ग़रीबों और मालदारों को दावत में बुलाने की ताकीद:- दावते वलीमा में सिर्फ़ मालदारों को बुलाना दुरुस्त नहीं। क्योंकि सिर्फ़ अमीर लोगों को बुलाने से ग़रीबों मिसकीनों और फ़क़ीरों का इक़ मारा जाएगा इसलिये वलीमे में अपने अ़ज़ीज़ व रिश्तेदार और यार दोस्तों के अ़लावा ग़रीबों को भी बुलाया जाए इससे अल्लाह का हक़ अदा होता है क्योंकि ग़रीबों और हक़दारों को जो कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है गोया वह अल्लाह की तरफ़ मन्सूब (संबन्धित) होता है और ऐसी दावत जिसमें से अल्लाह का हक़ न निकाला जाएगा वह बुरी दावत ख़्याल की जाएगी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सब खानों से बुरा वह वलीमे का खाना है जिसमें मालदार बुलाए जाएं और ग़रीबों को छोड़ दिया जाए जिसने दावत क़ुबूल न की उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की। (मुस्लिम शरीफ़)

इस्लाम से पहले अरबों में ये आदत आम थी कि वह अपने वलीमे में सिर्फ़ मालदारों को बुलाया करते थे ग़रीबों को बिल्कुल न पूछते बल्कि उन्हें हक़ारत और ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वलीमे को बुरा क़रार दे दिया कि जिसमें सिर्फ़ अमीर हों। इसका मक़सद ये था कि लोग जहाँ अमीरों को बुलाते हैं वहाँ ग़रीबों को भी बुलाएं ताकि आपस में प्यार का जज़्बा ज़्यादा हो।

एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन फ़क़ीरों की एक जमाअत के पास से गुज़र रहे थे तो देखा कि वह लोग रोटी के टुकड़े आगे रखे हुए हैं और मज़े से खा रहे हैं और कहने लगे कि ऐ फ़रज़न्दे रसूल! हमारे साथ शरीक हो जाओ। आप फ़ौरन सवारी के जानवर से नीचे उतर आए और उनके साथ खाने में मशग़ूल हो गए। और फ़रमाया कि अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता और खाने से फ़ारिग़ होकर कहा अब तुम कल के लिये मेरी दावत क़ुबूल करो। उन्होंने ख़ुशी के साथ क़ुबूल कर ली तो अगले दिन उन लोगों के लिये उमदा उमदा खाने पकवाए और उनके साथ मिलकर बैठे और सबने वह खाने खाए।

(8) वलीमे में इज़हारे फ़ख़्र की मज़म्मत:- इज़हारे फ़ख़्र और महज़ नाम व नुमाइश के लिये बड़े ज़ोर शोर से दावते वलीमा करना अच्छा नहीं। क्योंकि ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर और फ़ख़्र के खाने की मज़म्मत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: इकरमा ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख़्रया खिलाने वालों का खाना खाने से मना फ़रमाया है।

(अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस में मुतबारियीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो उन दो शख़्सों के लिये इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा खाना पकाने और

खिलाने में मुक़ाबला करें और उन दोनों में इस बात की खींच तान होती है कि अपनी बड़ाई और बरतरी ज़ाहिर करने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा खाना पकाया जाता है और खिलाया जाता है और दूसरा कम तर रहे। चुनान्चे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ने ऐसे लोगों के बारे में हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों की दावत कुबूल न की जाए पहले ज़माने के बअ़ज़ बुज़ुर्गाने दीन के बारे में सुना है कि अगर उन्हें किसी शख़्स की दावत के बारे में शुबा हो जाता कि इसकी दावत सिर्फ़ इज़्हारे फ़ख़्र और नुमाइश का ज़रिया है तो वह उसकी दावत में न जाते।

(9) सात बातों पर अ़मल की ताकीदः- सात बातों पर अ़मल करना ख़ास मुसलमानी है। इन बातों में से एक बात दावते वलीमा भी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया और सात चीज़ों से मना फ़रमाया है। चुनान्चे आपने हमें बीमार की मिज़ाज पुर्सी करने, जनाज़े के पीछे जाने, छींकने वाले को जवाब देने, क़समें पूरी करने, मज़लूम की मदद करने, सलाम को फैलाने और दावत करने वाले की दावत कुबूल करने का हुक्म फ़रमाया और सोने की अंगूठी, चाँदी के बर्तनों, रेश्मी गद्दों, रेश्मी झोल रेश्मी कपड़ों, इस्तबरक़ और दीबाज के कपड़ों से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी शरीफ़)

अक़ीक़ा

नए पैदा हुए बच्चे की तरफ़ से ख़ुदा के हुज़ूर शुकराने के तौर पर जो जानवर ज़िबह् किया जाता है उसे अक़ीक़ा कहा जाता है। शरई लिहाज़ से ज़्यादातर इमामों के नज़दीक अक़ीक़ा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मगर इमाम अबू हनीफ़ा ने इसे मुस्तहब (अच्छा) क़रार दिया है जो सुन्नत से साबित है। अक़ीक़ा "अक़्क़ुन" से बना है जिसका लफ़्ज़ी मतलब चीरना फाड़ना है मगर इस्तिलाहन (एहले इल्म की ज़बान में) अक़ीक़ा उस जानवर को कहा जाता है जो नौज़ाइद बच्चे के सर के बालों को मूँडने के वक़्त ज़िबह् किया जाता है। अक़ीक़े में लड़के की तरफ़ से दो जानवर और लड़की की तरफ़ से एक जानवर ज़िबह् करना सुन्नत है। अक़ीक़े के तफ़सीली अह्काम हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) अक़ीक़ा करने का हुक्मः- इस्लाम में बच्चे या बच्ची की पैदाइश पर ये तरीक़ा राइज है कि पैदाइश से सातवें रोज़ बच्चे के सर के बाल उतार दिये जाएं और उस वक़्त जानवर ज़िबह् करके उसका गोश्त तक़सीम कर दिया जाए। अक़ीक़े के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान यह हैः-

हदीस शरीफ़: हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमायाः हर पैदा होने वाला बच्चा अपने अक़ीक़े में गिरवी है उसकी तरफ़ से सातवें रोज़ क़ुरबानी की जाए उसका सर मुँडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। (सुनने नसई)

हज़रत इमाम अहमद का क़ौल है कि इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे का अक़ीक़ा नहीं होता और बचपन में मर जाता है तो उसको अपने माँ-बाप की शफ़ाअ़त से रोक दिया जाता है जब तक कि उसके माँ-बाप उसका अक़ीक़ा न कर दें। वह उनके हक़ में शफ़ाअ़त (सिफ़ारिश) करने का हक़दार नहीं होगा।

एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि जब तक वालिदैन बच्चे का अक़ीक़ा नहीं करते उसको सलामती और बेहतर फलने-फूलने से बाज़ रखा जाता है और फिर उसके जो बुरे नताइज पैदा होते हैं वह दर अस्ल वालिदैन की पकड़ का सबब बनते हैं कि उन्होंने अक़ीक़ा नहीं किया था।

(2) अक़ीक़े का मक़सद :- अक़ीक़े का मक़सद ये है कि अक़ीक़े से बच्चे की तकलीफ़ दूर हो जाए यानी जब तक बच्चे के सर के बाल उतारे नहीं जाते जो उसकी माँ के पेट के अन्दर पैदा हुए थे बच्चा तकलीफ़ और गन्दगी में मुब्तला रहता है और जब उसके सर के बाल साफ़ कर दिये जाते हैं तो उसकी तकलीफ़ और तकलीफ़ दूर हो जाती है इस परेशानी और तकलीफ़ की निशानदही हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस फ़रमान से होती है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत सलमान बिन आमिरिज़्ज़बी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना, लड़के के साथ अ़क़ीक़ा है। पस उसकी तरफ़ से ख़ून बहाओ और उसकी तकलीफ़ को दूर कर दो। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) अक़ीक़े के जानवरों की तादाद:- अक़ीक़े के जानवरों की तादाद लड़के की जानिब से दो और लड़की की जानिब से एक है।

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे कुर्ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, लड़के के अ़क़ीक़े के लिये दो बकरियाँ हैं जो एक जैसी हों और लड़की के लिये एक बकरी। (सुनने नसई)

एक और हदीस में हज़रत उम्मे कुर्ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मते बा बरकत में हुदैबिया में हदी (क़ुर्बानी) के गोश्त के बारे में पूछने के लिये हाज़िर हुई मैंने आपको इरशाद फरमाते सुना कि लड़के के अ़क़ीक़े की दो बकरियाँ हैं और लड़की के लिये एक बकरी ख़्वाह वह नर हो या मादा। (सुनने नसई)

अ़क़ीक़े में बकरी का होना ज़रूरी नहीं बल्कि बकरा, छतरा, दुम्बा, ऊँट, गाय, बैल, और भैंस वग़ैरा भी की जा सकती है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ऊँट गाय का अ़क़ीक़ा भी किया जा सकता है। बअ़ज़ उ़लमा-ए किराम का कहना है कि लड़के के लिये नर जानवर और लड़की के लिये मादा जानवर का ज़िबह करना ज़्यादा मुनासिब है। इसके बरअ़क्स अगर लड़के के अ़क़ीक़े में बकरियाँ और लड़की के अ़क़ीक़े में एक बकरा ज़िबह किया तो इसमें कोई हरज नहीं एक मसअला ये भी है कि लड़के के अ़क़ीक़े में एक जानवर ज़िबह किया तो

इससे भी सुन्नत अदा हो जाएगी मगर दो करना सुन्नत और बेहतर है।

(4) अक़ीके का दिनः- अक़ीके का दिन सातवां दिन है। यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसकी पैदाइश के सातवें रोज़ जानवर ज़िबह किया जाए और उसके सर के बाल उतारे जाएं और उसके सर पर ज़ाफ़रान (केसर) लगाया जाए और सातवें दिन उसका नाम रखा जाए। बालों के वज़न के बराबर सोना और चाँदी तौल कर ख़ैरात करना भी सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ज़मानए जाहिलियत में जब किसी के घर लड़का पैदा होता तो बकरी ज़िबह करके उसका ख़ून बच्चे के सर पर लगाता। जब दौरे इस्लाम आया तो हम सातवें रोज़ बकरी ज़िबह करते हैं। और उसका सर मूँडते हैं और उस पर ज़ाफ़रान लगाते हैं। (अबू दाऊद शरीफ़)

अगर सातवें दिन अक़ीक़ा न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं सुन्नत अदा हो जाएगी। बअ़ज़ ने ये कहा कि सातवें या चौधवें या इक्कीसवें दिन यानी सात दिन का लिहाज़ रखा जाए। ये बेहतर है और याद न रहे तो ये करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें उससे एक दिन पहले वाला दिन जब आए वह सातवां दिन होगा। मसलन जुमे को पैदा हुआ तो जुमेरात सातवां दिन है। और सनीचर को पैदा हुआ तो सातवां दिन जुमा होगा। पहली सूरत में जुमेरात को और दूसरी सूरत में जिस जुमे को अक़ीक़ा करेगा उसमें सातवें दिन का हिसाब ज़रूर आएगा इसके अ़लावा बचपन में अगर किसी का अक़ीक़ा न हुआ हो तो वह जवानी में या जब चाहे अपना अक़ीक़ा कर सकता है।

(5) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का नेक अ़मलः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन की पैदाइश के बाद उनके अक़ीके किये और दूसरों को अक़ीक़ा करने की तरग़ीब फ़रमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस हुस्ने अ़मल से ये वाज़ेह होता है कि औलाद का अक़ीक़ा करना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा का अक़ीक़ा दो-दो मेंढो से किया। (सुनने नसई शरीफ़)

(6) अक़ीक़े के गोश्त का इस्तेमालः- अक़ीक़े में वैसा जानवर ज़िबह किया जाए जिसका क़ुरबानी में ज़िबह करना जाइज़ है। अक़ीक़े का गोश्त रिश्तेदार व अक़ारिब, दोस्त अहबाब, वग़ैरा में तक़सीम कर दिया जाए या पकाकर खिलाया जाए हर तरह जाइज़ और दुरुस्त है। ज़रूरत के मुताबिक़ अपने घर में भी गोश्त इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

अक़ीक़े का गोश्त बनाते हुए ये एहतियात की जाए कि उसकी हड्डी न तोड़ी जाए। ये बच्चे की सलामती की नेक फ़ाल है। अलबत्ता जिस हड्डी का तोड़ना ज़रूरी हो इसमें हरज भी नहीं गोश्त को जिस तरह चाहें पका सकते हैं मगर मीठा पकाया जाए तो बच्चे के अख़्लाक़ अच्छे होने का शिगून होगा।

ख़त्ने का हुक्म

मर्द के ख़ास और पोशीदा हिस्से पर एक ज़ाइद खाल होती है जिसे हटाने का नाम ख़त्ना है। इस ज़ाइद खाल में चूंकि मैल कुचैल इकट्ठा हो जाता है और उसके रहने से पेशाब के क़तरों से पूरी तरह पाक भी नहीं होती। इसके अ़लावा औ़रत से मिलाप में मज़ा हासिल नहीं होता। इन वजहों की बिना पर इस्लाम में ख़त्ने को राइज किया गया है। इसकी शुरुआ़त मिल्लते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से हुई और इस्लाम में भी इसे वैसा ही अपना लिया गया जैसे कि इसका रिवाज था और इसे मुसलमानी की निशानी क़रार दिया गया है। ये दर अस्ल मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम में फ़र्क़ भी है। ये इस्लाम का तरीक़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मशहूर सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत इब्राहीम अ़लहिस्सलाम ने जब अपना ख़त्ना किया उस वक़्त उनकी उ़म्र 80 साल थी। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक और रिवायत में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि हमारी पाँच सुन्नतें दाइमी यानी हमेशा रहने वाली हैं। 1. ख़त्ना करना 2.नाफ़ के नीचे के बालों की सफ़ाई करना 3.मूछें छोटी करना 4. नाख़ून काटना 5. और बग़्लों के बाल उखाड़ना। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उम्मे अतिया अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि, एक औ़रत मदीना मुनव्वरा में ख़त्ना किया करती थी नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खाल ज़्यादा न काटा करो। ये औ़रत के लिये ज़रीअ़ए लज़्ज़त है। और मर्द को पसन्द है। (अबू दाऊद शरीफ़)

ख़त्ने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि बच्चा जब क़ाबिले बरदाश्त हो जाए तो ख़त्ना करने वाले को बुलाएं जो आसान तरीक़े से जिस्से बच्चे को तकलीफ़ कम हो, उ़ज़्व (अंग) की खाल का ऊपर का हिस्सा काट दे। ज़ख़्म अच्छा होने पर बच्चे को गुस्ल कराएं। इसके मुतअ़ल्लिक़ मुकम्मल

मसाइल हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) ख़त्ना हर सूरत में सात सल तक करवा देना चाहिये। इससे ज़्यादा देरी करना अच्छा नहीं। बअ़ज़ उ़लमा का कहना है कि पैदाइश के सातवें दिन से लेकर चालीस दिन तक ख़त्ना करवा देना बहुत बेहतर है। जैसे जैसे बच्चे की उ़म्र ज़्यादा होगी उसको ज़ख़्म अच्छा होने में तकलीफ़ होगी।

(2) ख़त्ने में अगर पूरी खाल न कटी हो तो इस सूरत में अगर आधी से ज़्यादा कटी हो तो ख़त्ना दुरुस्त है बाक़ी को काटना ज़रूरी नहीं। और अगर आधी या आधी से ज़्यादा बाक़ी रह गयी हो तो ख़त्ना दोबारा करवाना चाहिये।

(3) पैदाइशी तौर पर अगर बच्चा ख़त्ना शुदा हो तो उसके ख़त्ने की ज़रूरत नहीं।

(4) जब कोई शख़्स मुसलमान हो जाए और वो ख़त्ना शुदा न हो तो उसे जल्द अपना ख़त्ना करवाना चाहिये। अगर वो बूढ़ा और कमज़ोर हो कि उसमें ख़त्ना करवाने की ताक़त नहीं हो तो उसे वैसे ही रहने दें।

(5) ख़त्ने के बाद अगर उ़ज़्वे ख़ास (लिंग) की खाल दोबारा ख़ुद ब ख़ुद बढ़ जाए जिससे फिर ख़त्ने की ज़रूरत महसूस होने लगे तो दोबारा ख़त्ना करवाना चाहिये।

(6) ख़त्ना करवाना बाप का काम है अगर वो न हो तो जिसकी परवरिश में बच्चा ज़ेरे परवरिश है उसका ज़िम्मा है कि वो बच्चे का ख़त्ना करवाए।

(7) ख़त्ने के मौक़े पर नाच गाने वग़ैरा की महफ़िल क़ायम करना शरीअ़त के ख़िलाफ़ है क्योंकि जो काम आ़म हालात में ह़राम हैं वो ख़ास ह़ालात में भी ह़राम हैं।

(8) ख़त्ने के मौक़े पर अ़ज़ीज़ रिश्तेदारों और यार दोस्तों वग़ैरा को खाना खिलाने में कोई हरज नहीं।

इस्लामी नाम

नाम इन्सानी शख़्सियत का आइना (दर्पण) है। लिहाज़ा उसका बेहतर होना ज़रूरी है। इस्लाम ने जहाँ तहज़ीब व अख़्लाक़ के लिये अच्छी राह इख़्तियार की, वहाँ इस्लाम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अपना नाम भी ऐसा रखो जिसमें इस्लाम के अक़ाइद और उसूलों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी न हो बल्कि ऐसा नाम हो जिससे अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी की राह निकलती हो। लिहाज़ा हर वो नाम जिससे कोई बुरा पहलू निकलता है इस्लाम ने उसे नाजाइज़ क़रार दिया है और उसे रखने से मना फ़रमाया है। अल्लाह तआ़ला अच्छाई को पसन्द फ़रमाता है इसलिये वो चाहता है कि उसकी मख़्लूक़ भी हर काम में अच्छाई के इज़्हार को सामने रखे। अल्लाह तआ़ला ने अच्छे नाम का तसव्वुर अपने नामों से दिया है कि मुझे अच्छे नामों से पुकारो।

तर्जमा कुरआन शरीफ़: और ख़ुदा के सब नाम अच्छे ही हैं तो उसको उसके नामों से पुकारा करो और जो लोग उसके नामों में कजी यानी ग़लत राह (इख़्तियार) करते हैं उनको छोड़ दो वो जो कुछ कर रहे हैं अनक़रीब उसकी सज़ा पाएंगे। (पारा 9 , आ़राफ़, 180)

इस्लाम से पहले लोगों ने जो अल्लाह के नामों के इन्तिख़ाब (चुन्ने) के बारे में ग़लत सोच का रवैया इख़्तियार कर रखा था तो अल्लाह तआ़ला ने इसकी इस्लाह (सुधार) फ़रमाई कि सबसे पहले मेरे नाम के इन्तिख़ाब में सीधी राह इख़्तियार करो। मेरी ज़ात के साथ ग़लत नाम न जोड़ो बल्कि अच्छेनामों से पुकारो, अच्छेनामों से मुराद अल्लाह तआ़ला के वो नाम हैं जिनसे अल्लाह की अ़ज़्मत (बड़ाई), बरतरी, तक़द्दुस और पाकीज़गी का इज़्हार होता है। एक और मक़ाम पर इरशाद बारी तआ़ला है कि:-

तर्जमा कुरआन शरीफ़: कह दो कि तुम (ख़ुदा को) अल्लाह के (नाम) से पुकारो, या रहमान (के नाम से) जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं और नमाज़ न बुलन्द आवाज़ से पढ़ो और न आहिस्ता बल्कि उसके बीच का तरीक़ा इख़्तियार करो।) (पारा 15, बनी इसराईल, 110)

मालूम हुआ कि नाम की अच्छाई का सबक़ जो अल्लाह तआ़ला ने दिया है वो ख़ुद अपने नामों से ही दिया है और इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ज़िन्दगी के हर शोअ़बे (भाग) में ऐसे नाम इख़्तियार किये जाएं जो अच्छे ख़्यालात की वकालत करते हों। नाम दर अस्ल जो हम रखते हैं उस

तसव्वुर और सोच पर मब्नी (निर्भर) होता है जो हमारे ज़हन के अन्दर किसी के बारे में होता है इसलिये अपने ज़हन की सही सोच के इज़हार के लिये अच्छा नाम ही रखना बेहतर है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में जो हज़रात इस्लाम में आए आपने बहुत से नाम वैसे ही रहने दिये अलबत्ता ऐसे नामों को गाहे ब गाहे तब्दील कर दिया जिनसे कुफ़्र व शिर्क का इज़हार होता था। या बुतों के नाम पर जो नमा रखे जाते थे उन्हें नाजाइज़ क़रार दिया बल्कि अल्लाह तआ़ला के सिफ़ाती (सगुण) नामों के शुरु में लफ़्ज़ "अ़ब्द" बढ़ाकर नाम रखने को बहुत ही बेहतर क़रार दिया। इसके अ़लावा अ़रबों में कुन्नियत (वह नाम जो बाप-माँ या बेटा-बेटी की तरफ़ से मशहूर हों) के साथ नाम रखने का आ़म रिवाज था जैसे अबू उ़बैदा, अबू तल्हा, अबू दरदा, वग़ैरा, इसे वैसे ही बरक़रार रहने दिया मगर इसमें ग़लत कुन्नियत इख़्तियार करने की मुमानिअ़त कर दी गयी। ऐसे ही अ़रब कई ख़ानदानों और क़बीलों में बटे हुए थे और हर एक क़बीले वाला इस बात को पसन्द करता था कि उसके ख़ानदान व क़बीले के नामों में कोई ऐसी निशानी बरक़रार रहे जो दूसरे क़बीलों से फ़र्क़ रखती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम न इसे भी मना न फ़रमाया जैसे कुरैशी, हाशमी, वग़ैरा। ये सिलसिला ख़ानदान के किसी बड़े आदमी के नाम से शुरु होता था लिहाज़ा बुरा न था इसलिये इसे वैसे ही बरक़रार रहने दिया।

नाम का अख़्लाक़ व आ़दात पर गहरा असर पड़ता है इसलिये बच्चों का नाम रखते वक़्त बड़ी सोच बिचार के बाद अच्छा नाम रखें। ज़्यादातर बुरे नामों के असरात से बच्चों की आ़दतें बिगड़ जाती हैं इसलिये नाम रखते वक़्त हमेशा अच्छे नाम को पसन्द करें। नाम रखने के इस्लामी आदाब व ख़्यालात हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) अच्छा नाम रखना सुन्नत है:- नाम रखने के आदाब में से पहला अदब अच्छा नाम रखना है। वह नाम जिनसे अच्छाई और भलाई का इज़हार होता है वह अच्छे कहलाते हैं और वो चीज़ें जो बुराई का नमूना हैं अगर उनके नामों पर नाम रखेंगे तो वह बुरे नाम कहलाएंगे इसलिये इस्लाम में नाम रखते वक़्त इस बात को पेशे नज़र रखा जाए कि नाम ऐसा रखें जो अच्छाई को बयान करने वाला हो क्योंकि नाम के अच्छा या बुरा होने का असर अ़मूमन शख़्सियत पर पड़ता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत को ये ताकीद फ़रमाई है कि जब नाम रखो तो अच्छे नाम रखो।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम क़यामत के दिन रोज़ अपने अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे लिहाज़ा अपने अच्छे नाम रखा करो। (अबू दाऊद शरीफ़)

(2) अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रह़मान पसन्दीदा नाम है:- अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रह़मान अल्लाह तआ़ला को बहुत पसन्द है। क्योंकि इन नामों में अल्लाह तआ़ला की बन्दगी और इताअ़त का इज़हार होता है। इसलिये ये नाम बहुत अच्छे हैं। अ़ब्द के मअ़ना बंदा के हैं और जो सही मअ़नों में अल्लाह का बंदा हो वह अल्लाह को ज़रूर महबूब और पसन्द होगा। ऐसे ही अल्लाह तआ़ला के सिफ़ाती नामों के साथ अ़ब्द का इज़ाफ़ा करेंगे तो वह नाम भी बेहतर और दुरुस्त होगा। जैसे अ़ब्दुर्रह़ीम, अ़ब्दुल सलाम, अ़ब्दुल कुद्दूस, अ़ब्दुल अ़ज़ीज़, अ़ब्दुल ख़ालिक़, अ़ब्दुल वह्हाब, अ़ब्दुल लतीफ़, अ़ब्दुल अ़लीम, अ़ब्दुल बासित वग़ैरा। ये सब नाम अच्छे हैं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम्हारे नामों में से अल्लाह तआ़ला को अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रह़मान सबसे ज़्यादा पसन्द है। (मुस्लिम शरीफ़)

(3) हुज़ूर के नाम पर नाम रखना:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नाम पर नाम रखना भी सुन्नत है लिहाज़ा बच्चों का नाम रखते वक़्त मुहम्मद या अह़मद रख सकते हैं अगर ये किसी और नाम के साथ मिलाकर रखें तो फिर ख़्याल रखना चाहिये कि दूसरे अल्फ़ाज़ के साथ मिलने से मअ़ना दुरुस्त रहने चाहिये।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे नाम पर नाम रख लो। लेकिन मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखा करो। क्योंकि मुझे क़ासिम बनाया गया है कि तुममें तक़सीम मैं करता हूँ।(बुख़ारी शरीफ़)

एकऔर ह़दीस में हज़रत अमामा से रिवायत है कि हुज़ूर

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि जिसके घर लड़का पैदा हो और वह मेरी मुहब्बत की वजह से तबर्रुकन उसका नाम मुहम्मद रखे तो वह यानी नाम रखने वाला और उसका लड़का दोनों जन्नत में जाएंगे।

(इब्ने अ़साकर)

एक और ह़दीस में हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, क़यामत के रोज़ दो शख़्स अल्लाह के सामने खड़े किये जाएंगे हुक्म होगा कि इन्हें जन्नत में ले जाओ वह अ़र्ज़ करेंगे कि या इलाही हम किस बिना पर जन्नत के क़ाबिल हुए हमसे तो जन्नत में जाने वाला कोई काम ही न हुआ। अल्लाह तआ़ला कहेगा कि जिसका नाम अह़मद या मुह़म्मद हो वह दोज़ख़ में नहीं जा सकता इसलिये इन्हें जन्नत में ले जाओ। (इब्ने कसीर)

हज़रत नबीत बिन शुरैत से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे फ़रमाया कि मुझे अपनी इ़ज़्ज़त व जलाल की क़सम! जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे दोज़ख़ का अ़ज़ाब न होगा। (अबू नईम,)

हज़रत अबु राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जिस लड़के का नाम मुह़म्मद रखो तो उसे न मारो न मह़रूम करो। (मुसनद बज़ाज़)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जिसके तीन बेटे हों और वह उनमें से किसी का नाम मुह़म्मद न रखे ज़रूर जाहिल है।(तिबरानी कबीर)

(4) पैग़म्बरों के नाम पर नाम रखना दुरुस्त है:-तमाम पैग़म्बर अल्लाह तआ़ला के बरगुज़ीदा बन्दे हैं। अल्लाह तआ़ला ने इन्हें अपने अपने दौर में नुबुव्वत से सरफ़राज़ किया इनके नाम हर लिहाज़ से बा इ़ज़्ज़त और बा बरकत हैं इसलिये इनके नाम की मुनासिबत (संबन्ध) की वजह से अपने किसी बच्चे का नाम अंबिया के नामों में से रख लेना जाइज़ और दुरुस्त है बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा करने की इजाज़त दी है।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अबू वहब जशमी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

अंबिया ए किराम के नामों पर नाम रखा करो और अल्लाह तआ़ला को अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रहमान नाम बहुत पसन्द हैं। और बहुत सच्चे नाम हारिस और हम्माम हैं जबकि बहुत बुरे नाम हर्ब और मुर्रा हैं।

(अबू दाऊद शरीफ़)

मशहूर पैग़म्बरों के नाम हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत यूसुफ़, हज़रत यूनुस, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत हारून, हज़रत ईसा अ़लैहिमुस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम। इन नामों में जो नाम भी उसके साथ मुहम्मद का इज़ाफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं।

पेश की गई हदीस की रू से हारिस और हम्माम नाम रखना भी बेहतर है। हारिस का मतलब है कि कस्ब (मेहनत) करने वाला। जबकि हम्माम का मतलब कमाई का इरादा करने वाले का है। इसलिये इन दोनों नामों को पसन्द किया गया है। हर्ब के मअ़ना लड़ाई और मुर्रा के मअ़ना तल्ख़ी के हैं इसलिये इन नामों को न रखें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है।

(5) सबसे बुरा नामः- शहंशाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा नाम है क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी शहंशाह नहीं इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शहंशाह नाम रखने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़यामत के रोज़ अल्लाह तआ़ला के नज़दीक उस शख़्स का नाम सबसे बुरा होगा जिसका नाम शहंशाह रखा गया हो। बुख़ारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फ़रमाया क़यामत के रोज़ अल्लाह तअ़ला के नज़दीक सबसे ग़ज़बनाक और सबसे ख़बीस वह शख़्स होगा जिसका नाम शहंशाह रखा गया हो क्योंकि नहीं है बादशाह मगर अल्लाह।

(6) नाजाइज़ नामः- ऐसा नाम जिसका मअ़ना इन्सानी ख़ुसूसियात (विशेषता) से मुताबक़त न रखते हों उसे रखने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है ये नाम रबाह, अफ़लह, यसार, और नाफ़ेअ़ हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने लड़के का यसार, रबाह, नजीह और अफ़लह नाम न रखा करो। क्योंकि तुम पूछोगे कि फलां है? वह न हुआ तो जवाब देने वाला कहेगा कि नहीं है। (मुस्लिम शरीफ़)

रबाह का मतलब फ़ायदा है। अफ़लह का मतलब कामयाबी है। यसार का मतलब ख़ुशहाली और तवंगरी है। और नाफ़ेअ के मअना नफ़अ देने वाले के हैं। नजीह के मअना फ़तह मंदी (कामयाबी) के हैं। इन तमाम अल्फ़ाज़ के मअना अच्छे हैं मगर जब किसी का नाम रखा जाएगा और कभी दरयाफ़्त किया जाएगा कि फ़लां घर में है तो अगर वह घर में न हुआ तो इसका जवाब न में होगा बज़ाहिर तो जवाब बंदे के न होने का होगा मगर वहाँ अल्फ़ाज़ के असली मअना मुराद लिये जाएंगे। यानी घर में ख़ुशहाली नहीं, नफ़अ नहीं, कामयाबी नहीं तो इस तरह अच्छे असरात ज़ाहिर न होंगे। जिस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नामों का रखना मना क़रार दिया।

कुछ मुहद्दिसीन का कहना है कि बाद की एक हदीस के मुताबिक़ ऊपर बयान किये गए नाम रखने की मुमानिअत का हुक्म जारी नहीं हुआ जो हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फ़रमाया था कि यअला, बरकत, अफ़लह, यसार, नाफ़ेअ और इस तरह के नाम रखने से मना फ़रमा दें लेकिन फिर मैंने देखा कि इस इरादे के बाद आपने ख़ामोशी फ़रमाई यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए और इन नामों के रखने से मना न फ़रमाया। (मुस्लिम शरीफ़)

बज़ाहिर ये हदीस पहली हदीस से टकराती है और इसके पेशे नज़र मुहद्दिसीन ने ये कहा कि ऊपर ज़िक्र किये गए नामों का रखना मकरूह तन्ज़ीही है न कि मकरूह तहरीमी।

(7) मुन्ज़िर नाम रखना सुन्नत है:- मुन्ज़िर, इन्ज़ार से बना है जिसका मतलब तबलीग़ (धर्म प्रचार) और अज़ाबे ख़ुदावंदी से डरने वाले के हैं क्योंकि एक बच्चे का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुन्ज़िर रखा था इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए नाम की निस्बत की वजह से मुन्ज़िर नाम रखना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुन्ज़िर बिन अबी उसैद को नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। जबकि वह पैदा हुए, आपने उसे अपनी रान पर बैठा लिया और फ़रमाया कि इसका नाम क्या है? अ़र्ज़ की कि फ़लां। फ़रमाया बल्कि इसका नाम मुन्ज़िर है।

(8) मेरा बंदा या बंदी कहना ख़िलाफ़े सुन्नत है:- इस्लाम में किसी को मेरा बंदा या बंदी कह कर पुकारना जाइज़ नहीं। इस्लाम से पहले एहले अ़रब में ये रिवाज था कि वह अपने ग़ुलाम को या अ़ब्दी (यानी ऐ मेरे बन्दे) कह कर बुलाते ये अल्फ़ाज़ इस्लामी नुक़्त-ए-नज़र के ख़िलाफ़ है क्योंकि इस्लामी अ़क़ीदे के मुताबिक़ इन्सान सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का ही अ़ब्द है। इसलिये दूसरे इन्सानों का बंदा नहीं हो सकता। अ़ब्द इबादत करने वाले को कहा जाता है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही की हो सकती है किसी इन्सान की नहीं। इस ऐतबार से अगर कोई इन्सान किसी दूसरे इन्सान को अपना अ़ब्द यानी बंदा कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अल्लाह का बंदा नहीं बल्कि उस इन्सान का बंदा है और इस तरह वह शिर्क का सज़ावार होगा लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी बिना पर किसी को मेरा बंदा या बंदी कहकर पुकारने से मना फ़रमाया।

जिस तरह मालिक के लिये हिदायत की गयी है कि वह अपने ग़ुलाम या नौकर को ग़ैर मुनासिब अल्फ़ाज़ से न पुकारे। इसी तरह ग़ुलाम या नौकर को आगाह किया गया है कि वह अपने मालिक को ग़ैर मुनासिब अल्फ़ाज़ के साथ न बुलाया करें इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि कोई ग़ुलाम या नौकर अपने आक़ा को "रब्बी" न कहें अगरचे रब के मअ़ना तरबियत और परवरिश करने वाले के हैं और ज़ाहिरी तौर पर मअ़ना के ऐतबार से एक आक़ा को अपने ग़ुलाम या लौंडी का तरबियत व परवरिश करने वाला कहा जा सकता है लेकिन रबूबियत (पालनहार) का इस्तेमाल सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की ज़ात पर ही है लिहाज़ा किसी इन्सान को रब कहना शिर्क के दायरे में आ जाएगा इसलिये कोई शख़्स अपने से किसी भी बड़े शख़्स को रब कहकर नहीं पुकार सकता। क्योंकि ऐसा करना ख़िलाफ़े शरीअ़त है।

हदीस शरीफ़: हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई मेरा बंदा और मेरी बंदी न कहे क्योंकि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी सब औरतें अल्लाह की बंदियाँ हैं बल्कि कहा करो कि मेरा ग़ुलाम और मेरी लौंडी या ख़ादिमा। ग़ुलाम अपने अपने आक़ा को मेरा रब न कहे बल्कि मेरा आक़ा कहे। दूसरी रिवायत में है कि मेरा आक़ा और मेरा मौला कहे। एक और रिवायत में है कि ग़ुलाम अपने आक़ा को मेरा मौला न कहे क्योंकि तुम्हारा मौला तो अल्लाह तआ़ला है। (मुस्लिम शरीफ़)

(9) अजदअ़ नाम रखना ख़िलाफ़े सुन्नत है:- अजदअ़ एक शैतानी नाम है इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल दर अस्ल उस शख़्स पर होता है जिसके कान, नाक,होंठ, और हाथ कटे हुए हों। इशारतन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल उस शख़्स पर होगा जिसके काम इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे और वह हर बुराई को शैतान की तरह तरक़्क़ी देने में पेश पेश होगा। उसकी बात बे वज़न होगी यानी उसकी बात के हाथ पैर न होंगे। इस बिना पर शैतान सिफ़त इन्सान के लिये अजदअ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अजदअ़ का नाम रखने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: मसरूक़ का बयान है कि मेरी हज़रत उ़मर से मुलाक़ात हुई तो फ़रमाया तुम कौन हो? मैं अ़र्ज़ गुज़ार हुआ कि मसरूक़ बिन अजदअ़। हज़रत उ़मर ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि अजदअ़ शैतान है।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

(10) नफ़्स की तारीफ़ वाला नाम न रखो:- ऐसा नाम जिससे नफ़्स की तारीफ़ ज़ाहिर हो, रखने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है क्योंकि इस वजह से नफ़्स में बड़ाई पैदा हो जाती है जो नेक आ़माल और इ़बादत में रुकावट का सबब बनती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत ज़ैनब बिन्त अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मेरा नाम बर्रा रखा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपनी जानों को पाक न कहो। तुम में से पाकी वालों को अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है इसका नाम ज़ैनब रखो। (मुस्लिम शरीफ़)

इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा नाम तब्दील कर दिया क्योंकि बर्रा का मतलब पाकीज़ा है। अगर हम किसी शख़्स को नाम के लिहाज़ से पाकीज़ा कर देंगे तो फिर उसमें नेक आमाल करने की लगन कम हो जाएगी। क्योंकि वह ख़्याल करेगा कि मैं तो पैदाइशी तौर पर पाकीज़ा हूँ इसलिये मुझे ज़्यादा पाकीज़गी हासिल करने की क्या ज़रूरत है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दर अस्ल किसी शख़्स की अस्ल पाकीज़गी तो अल्लाह तआला ही जानता है इसलिये बर्रा नाम रख कर हम किसी के पाकीज़ा होने पर मुहर जारी कर दें। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा नाम को बदल कर ज़ैनब नाम रख दिया।

ऐसे ही एक और हदीस में है कि आपने एक औरत का नाम बर्रा तब्दील करके जुवैरिया रखा था।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया, कि हज़रत जुवैरिया का नाम बर्रा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तब्दील करके जुवैरिया रख दिया था। क्योंकि आप ये कहना ना पसन्द फ़रमाते थे कि मैं बर्रा के पास से निकल आया।

(मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में कोई ये न कहे कि मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया बल्कि कहे कि मेरा नफ़्स नापाक हो गया।

(11) बुरे नाम को अच्छे नाम से तब्दील करना सुन्नत है:- बअ़ज़ नादान लोग अपने बच्चों का नाम ऐसा रख देते हैं जिसका मतलब बुरा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नाम को बदल दिया करते थे। लिहाज़ा किसी भी बुरे नाम को अच्छे नाम से बदल देना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर की एक साहबज़ादी का नाम आसिया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम जमीला रख दिया।

(मुस्लिम शरीफ़)

इस्लाम से पहले अ़रब में ये रिवाज था कि वह अपने बच्चों के नाम आ़सी या आ़सिया वग़ैरा रख लेते थे इसके लफ़्ज़ी मअ़ना नाफ़रमान, सरकश, मुतकब्बिर, और ख़ुदा के दीन के मुख़ालिफ़ के हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे नामों को नापसन्द फ़रमाया और जिस किसी का नाम आ़सी या आ़सिया था उसे बदल दिया। मुन्दर्जा बाला हदीस में यही बात बयान हुई है कि हज़रत उ़मर की बेटी का नाम आ़सिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने उसका नया नाम जमीला रख दिया। लिहाज़ा आज भी अगर किसी का नाम खि़लाफ़े इस्लाम हो तो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक़ तब्दील कर देना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बुरे नाम को बदल दिया करते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

बशीर इब्ने मैमून ने कहा कि मेरे चचा उसामा बिन अहज़री से रिवायत है कि एक शख़्स का नाम असरम था जिसका मअ़ना काटने और कतरने वाला हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उससे मुख़ातिब होकर दरयाफ़्त किया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम असरम है। ये सुनकर आपने इरशाद फ़रमाया कि नहीं नहीं तुम ज़रआ़ हो यानी खेती लगाने वाला। (अबू दाऊद जिल्द 3)

मक़सद ये निकला कि बुरे नाम को बहर हाल बदल देना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आ़सी, अ़ज़लान, शैतान, शहाब, ग़ुराब और दीगर ऐसे कई नामों को तब्दील करने की ताकीद फ़रमाई है।

(12) अबुल हकम कुन्नियत की नापसन्दगी:- कुन्नियत अपने किसी वस्फ़ (विशेषता) की निस्बत से मुक़र्रर की जाती है यानी अपनी औलाद की निस्बत से रखी जाती है मगर ऐसी कुन्नियत जिसमें कोई ऐसा वस्फ़ (गुण) हो जिसका तअ़ल्लुक़ अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात (विशेषता) से हो तो उसे इख़्तियार करना दुरुस्त नहीं। इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबुल हकम कुन्नियत इख़्तियार करने से मना फ़रमाया। क्योंकि अस्ल हुक्म तो अल्लाह तआ़ला ही का है। हर हुक्म और फ़ैसले की इब्तिदा व इन्तिहा उसी के कब्ज़े व इख़्तियार में है इसलिये अबुल हकम कुन्नियत रख कर अल्लाह तआ़ला के उस वस्फ़ में

शरीक होने का गुमान पैदा होता है लिहाज़ा हुज़ूर ने अबुल हकम कुन्नियत को तब्दील कर दिया।

हदीस शरीफ़: शुरैह बिन हानी ने अपने वालिद माजिद (बाप) से रिवायत की है कि वह अपनी क़ौम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो आपने सुना कि लोग अबुल हकम कुन्नियत से पुकारते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और फ़रमाया, बेशक हुक्म तो अल्लाह तआ़ला का है और हुक्म भी उसी की तरफ़ से है। लिहाज़ा तुम्हारी कुन्नियत अबुल हकम किस वजह से है। अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि मेरी क़ौम में जब किसी बात पर इख़्तिलाफ़ होता है तो मेरे पास आ जाते हैं और मैं उनका फ़ैसला कर देता हूँ। तो मेरे फ़ैसले पर दोनों फ़रीक़ (पक्ष) ख़ुश हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लड़के कितने हैं? अ़र्ज़ की कि शुरैह, मुस्लिम और अ़ब्दुल्लाह हैं फ़रमाया कि इनमें बड़ा कौन है? अ़र्ज़ गुज़ार हुए कि शुरैह, फ़रमाया तो तुम अबू शुरैह हो। (अबू दाऊद, नसई)

आदाबे ख़ुशी

ख़ुशी एक क़ुदरती जज़्बा है जो हर इन्सान में कम व ज़्यादा मौजूद है। जब कोई काम उसकी उम्मीद या मर्ज़ी के मुताबिक़ होता है तो इस पर वह अपने क़ुदरती जज़्बे के तहत अच्छे असरात महसूस करता है जिसे मसर्रत या ख़ुशी कहा जाता है। बअ़ज़ चीज़ों के हासिल होने पर इन्सान को ख़ुद ब ख़ुद ख़ुशी हासिल होती है मसलन माल व दौलत, इल्म व फ़ज़्ल, मुलाज़िमत उहदा (पद), किसी इम्तिहान में कामयाबी वग़ैरा। ऐसे ही चन्द त्यौहार ऐसे हैं कि जिन पर इन्सान ख़ुशी महसूस करता है। मसलन शादी, ईद, और दीगर इस्लामी त्यौहार वग़ैरा। इसी तरह लम्बे सफ़र के बाद अपने वतन वापस आने पर और अ़ज़ीज़ व रिश्तेदार के मिलने पर मसर्रत हासिल होती है। ग़र्ज़ ये कि हर इन्सान की ज़िन्दगी में सैंकड़ों मौक़े ऐसे आते हैं कि जिन पर ख़ुद ब ख़ुद ख़ुशी का इज़हार होता है लेकिन बअ़ज़ हज़रात इस मसर्रत में हद से बढ़ जाते हैं जो दूसरों के लिये बाइसे तकलीफ़ और दिल दुखाने का सबब बनता है और जिसे मसर्रत हासिल होती है वह ग़ुरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। नफ़्स की अना बढ़ जाती है इन तमाम बातों को क़ाबू में रखने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मसर्रत के आदाब मुक़र्रर फ़रमाए हैं जिनके मुताबिक़ ख़ुशी का इज़हार ख़ास नेकी और सवाब है। शरीअ़त के मुताबिक़ आदाबे मसर्रत व ख़ुशी मुन्दर्जा ज़ैल हैं:-

(1) ख़ुशी हासिल होने पर अल्लाह का शुक्र करना:- इज़हारे ख़ुशी का सुन्नत तरीक़ा अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करना है क्योंकि ख़ुशी अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्लो करम से हासिल होती है इसलिये हर मुसलमान को चाहिये कि जब कोई ख़ुशी का मौक़ा आए तो सबसे पहले दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसके साथ अपने अ़मल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करे और ख़ुशी में अ़मल का शुक्र ये है कि इज़हारे ख़ुशी के लिये शरीअ़त की पैरवी की जाए। अगर कोई बड़ी ख़ुशी हासिल हो तो सज्दा शुक्र बजा लाना चाहिये ताकि मसर्रत व ख़ुशी की इन्तिहा में दुनियवी फ़ख़्र व ग़ुरूर की बजाए न्याज़मंदी का इज़हार हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि जब कोई मसर्रत वाला वाक़ेआ़ पेश आता तो आप सज्दा शुक्र बजा लाते। आ़जिज़ी और

न्याज़मंदी के जज़्बात का इज़हार फ़रमाते लिहाज़ा हमें चाहिये कि ऐसे मौक़े पर अपने अ़मल से ख़ुदा के फ़ज़्लो करम और अ़ज़मतो जलाल व बड़ाई का और ज़्यादा इज़हार करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत सअ़द बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना मुनव्वरा के लिये रवाना हुए और जब अज़्वज़ा नामी जगह पहुँचे तो वहाँ पड़ाव किया फिर सरकार ने हाथ मुबारक उठाकर दुआ़ फ़रमाई और सजदा किया ये सजदे लम्बे थे। सजदे से उठकर दुआ़ फ़रमाई फिर सजदे में चले गए सजदे से उठकर फिर दुआ़ फ़रमाई और फिर सजदे में चले गए। फिर दुआ़ फ़रमाई और लम्बा सजदा किया। आख़िरी सजदे से उठकर फ़रमाया मैंने अपने रबसे उम्मत की शफ़ाअ़त की तो मेरे रब ने तिहाई उम्मत की मग़फ़िरत की मैंने रब करीम की बारगाह में सजद-ए-शुक्र किया और उम्मत के लिये फिर दुआ़ की, तो रब्बे करीम ने उसकी तादाद दो तिहाई कर दी मैंने फिर सजद-ए-शुक्र करके दुआ़ की, तो रब करीम ने बक़िया तिहाई उम्मत की भी मग़फ़िरत फ़रमा दी। मैंने रब करीम की बारगाह में फिर लम्बा सजदा किया। (अबू दाऊद)

मैं कहता हूँ कि ख़ुशी हासिल होने पर ज़बान का शुक्र यह है कि ज़बान से अच्छे अल्फ़ाज़ के साथ अल्लाह तआ़ला की नेअ़मत का ऐतराफ़ करे। जिस्म से शुक्र का इज़हार इस तरह है कि इन्सान ख़ुशी अ़ता करने वाले का वफ़ादार बन जाए। और दिल का शुक्र इस तरह है कि ख़ुशी के असबाब पैदा करने वाले के एहसान को हर लम्हा अपनी आँखों के सामने रखा जाए।

(2) इस्लामी त्यौहारों पर ख़ुशी मनाना सुन्नत है:- शरई हद में रहते हुए इस्लामी त्यौहारों पर मसर्रत ख़ुशी जाइज़ है। ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा दो बड़े अहम इस्लामी त्यौहार हैं इन्हें ईदैन कहा जाता है। ये दोनों दिन मुसलमानों के लिये ख़ुशी के हैं। ये दिन हर साल लौट लौट कर आते रहते हैं इसलिये इन्हें ईद कहा जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और उनके दो दिन थे जिनमें वह खेलते थे। आपने फ़रमाया ये दो दिन कैसे हैं? उन्होंने कहा कि

जाहिलियत के ज़माने में इन दो दिनों में खेला करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआ़ला ने इन दोनों के बदले में तुम्हें दो दिन बेहतर अ़ता फ़रमाए हैं। ईद कुरबान का और ईद फ़ित्र का। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस्लाम में इन दो त्यौहारों का ख़ास होना दो अ़ज़ीमुश्शान वाक़ेओं की तरफ़ मन्सूब (संबन्धि)है। इदुल फ़ित्र इस्लाम की आमद और कुरआन पाक के उतरने की याद में ख़ुशी का दिन है। जबकि ईदल अज़्हा हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की कुरबानी की निस्बत (संबन्ध)के इज़्हार के लिये है। ईदल फ़ितर शव्वाल की पहली तारीख़ को होती है। मुसलमानों के लिये ये मसर्रत (ख़ुशी) का दिन है मगर दर अस्ल ये उस ख़ुशी का इज़्हार है जो इन्सान ख़ुदा की फ़रमांबरदारी में पूरा उतरने के बाद महसूस करता है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने माहे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फ़रमाए हैं जो क़दरे मेहनत तलब काम है। फिर रोज़ा रखने के साथ साथ बंदा फ़र्ज़ी नमाज़ें पढ़ता है। रात को तरावीह की सूरत में क़यामुल्लैल करता है। सद्क़ा, ख़ैरात की कोशिश करता है यानी बंदा हर तरह से अपने रब की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करता है तो इस तरह जब इन्सान पूरा माह रोज़े रख लेता है तो अल्लाह उससे ख़ुश होता है और इस ख़ुशी का इज़्हार ईदुल फ़ित्र की सूरत में है।

इन दोनों दिनों में इज़्हारे मसर्रत (ख़ुशी) के लिये ‍उ़मदा लिबास पहनना और ख़ुशबू लगाना सुन्नत है। तबीअ़त की तफ़रीह के लिये ऐसे खेल से लुत्फ़ उठाने की इजाज़त है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ न हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद जनाब अबू बक्र मेरे पास तशरीफ़ यानी कुरबानी के दिनों में तशरीफ़ लाए तो मेरे पास दो बाँदियाँ दफ़ बजा रही थीं और एक रिवायत के मुताबिक़ जंग बुआ़स में जो अन्सार ने अशआ़र पढ़े थे वह गा रही थीं। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए आराम फ़रमा रहे थे। जनाब अबू बक्र ने उन बाँदियों को डाँटा तो सरकार ने चादर से मुँह खोलकर फ़रमाया ऐ अबू बक्र इनसे कुछ न कहो क्योंकि ये ईद के दिन हैं और एक रिवायत के मुताबिक़ सरकार ने फ़रमाया: हर क़ौम का त्यौहार होता है और ये हमारी ईद है।

(मुस्लिम शरीफ़)

इस्लाम में खेल कूद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं और न ही खेल कूद खुशी का ज़रिया है बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खेल कूद को सरासर गुनाह क़रार दिया है। इसलिये आ़म हालात में या ईद के दिन खेल कूद में बिल्कुल न पड़ें। क्योंकि बअ़ज़ नादान लोग खेल कूद को खुशी समझते हैं बल्कि याद रखो कि गुनाह में मुलव्विस करने वाली खुशी दर हक़ीक़त खुशी नहीं होती बल्कि इसमें वह ग़म छुपा होता है जिसका इन्सान ख़ातमा नहीं कर सकता।

(3) शादी पर इज़्हारे खुशी:- इजतिमाई (सामूहिक) तौर पर इज़्हारे मसर्रत व खुशी का आ़म मौक़ा शादी है इस मौक़े पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाना सुन्नत है इस मौक़े पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दफ़ बजाने की भी इजाज़त दी है इससे खुशी के जज़्बात की तसल्ली और निकाह का ऐलान होता है।

हदीस शरीफ़: ख़ालिद बिन ज़कवान ने हज़रत रबीअ़ बिन्त मुअ़व्विज़ बिन अ़फ़रा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से रिवायत की है कि जब मेरी रुख़्सती हुई तो नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और इस तरह मेरे बिस्तर पर आकर जलवा अफ़रोज़ हुए जैसे आप बैठे हैं। पस कुछ लड़कियाँ दफ़ बजाकर अपने उन बुज़ुर्गों के कारनामे बयान कर रही थीं जो जंगे बद्र में जामे शहादत नौश फ़रमा गए थे। जब उनमें से एक लड़की ने कहा, और हम में ऐसे नबी भी हैं जो कल की बात जानते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये बात छोड़ दो और वही बातें कहो जो कह रही थीं।

एक और रिवायत में है कि एक बार क़रज़ा बिन कअ़ब और अबू मसऊ़द अन्सारी बैठे अशआ़र सुन रहे थे। इतने में आ़मिर बिन सअ़द एक ताबई आ गए, उन्होंने ये देखा तो ऐतराज़ किया और कहा कि आप तो बदरी सहाबी हैं आप शेअ़र सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी बैठ कर सुन लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें शादी के मौक़े पर इस की रिआ़यत दी है। (नसई)

हदीस शरीफ़: उ़रवा बिन ज़ुबैर ने अपने बाप से, उन्होंने हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत की है कि उन्होंने एक औ़रत का निकाह किसी अन्सारी मर्द के साथ करवा दिया। पस नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ आ़यशा! तुम्हारे पा..

तो बच्चियों के बजाने के लिये कोई चीज़ नहीं जबकि अन्सार सुरूद (राग) को पसन्द करते हैं।

इन अहादीस शरीफ़ का मतलब ये है कि शादी के मौक़े पर औ़रतें अगर दफ़ बजा लें या चन्द ऐसे अशआ़र पढ़ लें तो इसमें कुछ हरज नहीं लेकिन शादी के मौक़े पर गाना बजाना क़तअ़न ह़राम है। ऐसे ही शादी के मौक़े पर नाच भी ह़राम है। शादियों में दो क़िस्म के नाच कराए जाते हैं। एक तवाइफ़ों (रण्डियों) का नाच जो मर्दों की मह़फ़िल में होता है। दूसरा वह नाच जो जवान लड़कियाँ ख़ुद करती हैं, ये दोनों क़िस्म के नाच ह़राम व नाजाइज़ हैं। तवाइफ़ के नाच में जो गुनाह और ख़राबियाँ हैं उनको सब जानते हैं कि एक ना मह़रम (अजनबी) औ़रत को सब मर्द बे पर्दा देखते हैं ये आँखों का ज़िना है। उनकी शहवत अंगेज (हवस से भरपूर) आवाज़ को सुनते हैं ये कानों का ज़िना (व्यभिचार) है। उससे बातें करते हैं ये ज़बान का ज़िना है। बअ़ज़ उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाते हैं ये हाथों का ज़िना (व्यभिचार) है। बअ़ज़ उसकी तरफ़ चलकर दाद देते हैं और इनआ़म का रुपया देते हैं। ये पाँव का ज़िना है, बअ़ज़ ह़रामकारी भी कर लेते हैं ये अस्ल ज़िना है। ये तमाम बातें ख़िलाफ़े शरीअ़त हैं।

आतिश बाज़ी ख़्वाह शबे बराअत में हो या शादी बियाह में हर जगह हर ह़ाल में ह़राम है। और उसमें कई गुनाह हैं। ये अपने माल को फ़ुज़ूल बरबाद करना है। क़ुरआन मजीद में फ़ुज़ूल माल ख़र्च करने वाले को शैतान का भाई फ़रमाया गया है और उन लोगों से अल्लाह व रसूल बेज़ार हैं। फिर उसमें हाथ पाँव के जलने का अन्देशा या मकान में आग लग जाने का ख़ौफ़ है और बिला वजह जान या माल को हलाकत के ख़तरे में डालना शरीअ़त में ह़राम है।

इसी तरह शादी बियाह में दूल्हा को मकान के अन्दर बुलाना और औ़रतों के सामने आकर या ताक झाँक कर उसको देखना, उससे मज़ाक करना, उसके साथ चौथी खेलना ये सब रस्में ह़राम व नाजाइज़ हैं इन रस्मों से ख़ुशी ह़ासिल नहीं होती बल्कि गुनाह के काम हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। असली ख़ुशी तो वह है जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो।

(4) सफ़र से वापसी पर ख़ुशी का इज़्हार:- सफ़र से वापस आने के बाद इन्सान को अपने वतन, घर और अ़ज़ीज़ व रिश्तेदारों में बख़ैरियत पहुँचने की ख़ुशी होती है। घर वालों को भी मसर्रत ह़ासिल होती

है। ख़ासकर जब कोई लम्बा सफ़र या हज के सफ़र से वापस अपने अहलो अयाल में आता है तो बेहद ख़ुशी होती है ऐसे मौक़े पर ख़ुशी का इज़हार अज़ीज़ो अक़ारिब की दावत की सूरत में किया जा सकता है। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र से मदीना तैय्यबा वापस आए तो ऊँट ज़िबह करके लोगों की दावत का इन्तेज़ाम किया।

सफ़र से वापसी पर इज़हारे मसर्रत (ख़ुशी) का एक तरीक़ा इस्तिक़बाल है यानी आने वाले का इस्तिक़बाल किया जाए। इस तरह आने वाले की दिल जोई होगी और वो ख़ुशी महसूस करेगा। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब जंगे तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो लोगों ने मदीना से बाहर आकर एक मक़ाम पर आपका इस्तिक़बाल किया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। ऐसे ही हिजरत के मौक़े पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीने में दाख़िल हुए तो एहले मदीना ने आपका इस्तिक़बाल किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आने पर ख़ुशी का इज़हार किया और छोटी-छोटी बच्चियों ने दफ़ बजाया और अच्छे अशआ़र पढ़े।

(5) किसी काम के होन पर इज़हारे मसर्रतः- किसी शख़्स का कोई ऐसा काम जो बड़ा अहम हो उसके होने पर इन्सान को दिली मसर्रत होती है ऐसे मौक़े पर उसे मुबारकबाद देनी चाहिये। मसलन इम्तिहान में कामयाबी या औहदे (पद) में तरक़्क़ी वग़ैरा के मौक़े पर भी ख़ुशी का इज़हार किया जाए।

हज़तर कअ़ब बिन मालिक का बयान है कि जब ख़ुदा तआ़ला ने मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमा ली और मुझे ख़ुशख़बरी मिली तो मैं फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्मत में पहुँचा मैंने जाकर सलाम किया उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चेहरा ख़ुशी से जगमगा रहा था और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब भी कोई ख़ुशी हासिल होती तो आपका चेहरा इस तरह चमकता कि जैसे चाँद का कोई टुकड़ा है और हम आपके चेहरे की रौनक़ और चमक से समझ जाते कि आप इस वक़्त इन्तिहाई ख़ुश हैं।

हज़रत कअ़ब बिन मालिक की तौबा के मुतअ़ल्लिक़ जब मुसलमानों को मालूम हुआ तो लोग यके बाद दीगरे उनके पास मुबारकबाद देने के लिये पहुँचने लगे और इज़हारे मसर्रत करने लगे यहाँ

तक कि हज़रत तल्हा की मुबारकबाद और इज़हारे मसर्रत से तो हज़रत कअ़ब इतने मुतअस्सिर हुए कि ज़िन्दगी भर याद करते रहे। हज़रत कअ़ब ने जब बुढ़ापे के ज़माने में अपने बेटे अ़ब्दुल्लाह को अपनी आज़माइश और तौबा का वाक़ेआ़ सुनाया तो खुसूसियत के साथ हज़तर तल्हा के इज़हारे मसर्रत (खुशी) का ज़िक्र किया और फ़रमाया, मैं तल्हा की मुबारकबाद और जज़्बाते मसर्रत को कभी नहीं भूल सकता।

(सियरुस्सहाबा)

(6) इज़हारे खुशी बज़रिये तोहफ़ा:- खुशी व मसर्रत के इज़हार का एक ज़रिया अ़ज़ीज़ो अक़ारिब और दोस्तों को तोहफ़ा भेजना है। बच्चे की पैदाइश पर या ख़त्ने की रस्म पर दूसरों को तोहफ़ा भेजना जाइज़ है इससे आपस में हमदर्दी और मुहब्बत में इज़ाफ़ा होता है मगर इस्लाम ने खुशी के इज़हार में इस बात पर बहुत ताकीद फ़रमाई है कि इसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची न की जाए।

आदाबे तबस्सुम व मुस्कुराहट

खुशी के इज़हार के लिये बहुत ज़्यादा क़हक़हा लगाकर हँसने की बजाए सिर्फ़ तबस्सुम (मुस्कुराहट) फ़रमाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि क़हक़हा लगाकर हँसने का मौक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़िन्दगीए पाक में बहुत कम आया है। बअ़ज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हँसने को पसन्द नहीं फ़रमाया क्योंकि तिर्मिज़ी की एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, ज़्यादा हँसा न करो क्योंकि ज़्यादा हँसना दिल को मुर्दा कर देता है। इससे मालूम हुआ कि आ़म तरीक़े से हँसने यानी तबस्सुम फ़रमाने में कोई हरज नहीं अलबत्ता ज़ोर-ज़ोर से क़हक़हे लगाकर शोर के साथ हँसना खिलाफ़े सुन्नत है।

तबस्सुम या मअ़मूल के मुताबिक़ दरम्यानी अन्दाज़ से हँसना भी बे मौक़े नहीं होना चाहिये क्योंकि खुशी के मौक़े पर हँसना अच्छा लगता है और ग़म के मौक़े पर तबस्सुम भी किसी को अच्छा नहीं लगता। एक बुज़ुर्ग का कहना है कि बात बात पर बे मौक़े हँसते रहना बे वकूफ़ी की दलील है। इसके बर खिलाफ़ हमेशा अपने आप को तबस्सुम के ज़रिये खुश रखना तन्दरुस्त रहने के लिये बेहतर है। तबस्सुम के जो आदाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत से ज़ाहिर होते हैं वह हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मुस्कुराना

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़्अ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़्यादा तबस्सुम फ़रमाते हुए किसी को नहीं देखा।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(2) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अन्दाज़े तबस्सुम

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी खिलखिला कर हँसते हुए नहीं देखा कि आप के हलक़ का कौआ नज़र आने लगता बल्कि आप तबस्सुम फ़रमाया करते थे। (बुखारी शरीफ़)

(3) आ़दते तबस्सुम व मुस्कुराहट

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी भी मुझसे पर्दा नहीं फ़रमाया और मैंने नहीं देखा आपको मगर तबस्सुम फ़रमाते हुए। (मुस्लिम शरीफ़)

(4) बातें सुनने पर तबस्सुम फ़रमाना

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने नमाज़ पढ़ने की जगह से खड़े न होते जिस पर नमाज़ फ़ज्र पढ़ते यहाँ तक कि सूरज तुलूअ़ (उदय) हो जाता। जब सूरज तुलूअ़ हो जाता तो आप खड़े हो जाते और लोग बातें करते हुए दौरे जाहिलियत की बातों का ज़िक्र करके हँसने लगते लेकिन नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबस्सुम ही फ़रमाते। (मुस्लिम शरीफ़)

(5) सह़ाबए किराम का तबस्सुम

ह़दीस शरीफ़: क़तादह से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से पूंछा गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सह़ाबा हँसा करते थे? फ़रमाया हां! और उनके दिलों में ईमान पहाड़ से भी मज़बूत था। वह निशानात के दरमियान दौड़ते और एक दूसरे से हँसते जब रात होती तो वह इ़बादत गुज़ार फ़ना फ़िल्लाह बन जाते।

(शरहुस्सुन्ना)

आदाबे तहारत (पाकी)

ईमान के बाद हक़ व ईमानदारी के तलबगारों का सबसे पहला फ़र्ज़ इबादते इलाही है और इबादत के लिये तहारत व पाकी ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह तआ़ला दुनियावी नापाकी व गन्दगी से पाकीज़ा और बरी है लिहाज़ा वह चाहता है कि जब उसके बंदे उसकी इबादत करें तो वह भी पाक व साफ़ हों, उनका ज़ाहिर व बातिन (आत्मा) पाकीज़ा हो। यही वजह है कि नमाज़ की अदायगी के लिये हर शख़्स पर तहारत (पाकी) फ़र्ज़ है।

तहारत का मतलब अपने आप को नापाकी और गन्दगी से पाक साफ़ रखना है । हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक हद्स (बे वुज़ू होना)या ख़ुब्स (गन्दगी नापाकी) से पाक होना तहारत है। उनके नज़दीक हद्स उस हालत का नाम है जो किसी हिस्स-ए-बदन या तमाम जिस्म पर तारी हो और पाकी के अ़मल से दूर हो जाए और इसी हद्स को नापाकी व गन्दगी कहा जाता है।

कुरआने पाक में मुख़्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह तआ़ला ने इन्सान को पाक साफ़ रहने की ताकीद फ़रमाई है ताकि इन्सान गन्दगी से पाकीज़ा रहने में कोशिश करता रहे। अल्लाह तआ़ला ने असहाबे सुफ़्फ़ा की तारीफ़ में फ़रमाया:- **तर्जमा कुरआन शरीफ़:- इनमें ऐसे लोग हैं जो पाक होने को पसन्द करते हैं और अल्लाह तआ़ला भी पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। (पारा 11, तौबा, 108)**

जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहले कुबा से फ़रमाया कि तुम लोगों में वह कौनसी बात है? उन्होंने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह! हम पानी से इस्तिंजा करते हैं और पाकीज़गी को बरक़रार रखते हैं। **तर्जमा कुरआन शरीफ़:- बेशक अल्ला तआ़ला तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों से मुहब्बत रखता है।**

(सूरह बक़रा, आयत 222)

अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान से ज़ाहिर होता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह तआ़ला की उन्हें कुरबत हासिल हो और उन्हें अल्लाह की दोस्ती नसीब हो तो उन्हें चाहिये कि तौबा करके पाकीज़गी की राह इख़्तियार करें क्योंकि अल्लाह तआ़ला ताहिर (पाक)और कुद्दूस

है इसलिये पाक साफ़ रहने वालों से मुहब्बत करता है।

तर्जुमा कुरआन शरीफ़: यानी वह आसमान से तुम पर पानी उतारता है, कि तुम्हें उससे पाक करे और शैतान की पलीदी तुमसे दूर कर दे।

(पारा 9 सूरए अनफ़ाल)

यहाँ भी वही फ़रमाने ख़ुदावंदी है कि ऐ इन्सान जब तेरे जिस्म से गन्दा माद्दा (वीर्य) जिसकी तू पैदाइश है, ख़ारिज हो तो तू उस वक़्त तक उसके हुज़ूर में हाज़िर न हो जब तक कि तू अपने जिस्म को ख़ूब पाक साफ़ न कर ले क्योंकि वह ताहिर (पाक) है तू ताहिर नहीं। वह कुद्दूस है तू कुद्दूस नहीं और जब इन्सान पाक साफ़ हो जाए तो उस वक़्त नमाज़ और दूसरे दीनी फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिये। ऐसे ही एक और मक़ाम पर इरशादे बारी तआला है कि:- **तर्जमा: और अपने कपड़ों को पाक रख।**

(सूरए मुद्दस्सिर आयत 4)

इस्लाम ऐसे मुल्क यानी अरब में ज़ाहिर हुआ जहाँ पानी बहुत कम था फिर भी उसने बअ़ज़ हालात में ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ क़रार दिया। मियाँ बीवी मिलाप के बाद जब तक ग़ुस्ल न कर लें, नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसलिये अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया कि:- **तर्जमा:- अगर तुम जुनुब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ।**

औलिया-ए-कामिलीन ने भी यही रास्ता इख़्तियार किया पहले शरीअ़त तहारत (पाकी) की राह पर चले और इसी से रूह को तहारत (पाकी) नसीब हुई क्योंकि ज़ाहिरी तहारत अन्दरूनी तहारत की तसवीर है। इसलिये मेरे दोस्त तू भी पाकीज़गी की राह इख़्तियार कर ताकि तुझ पर ख़ुदा तआला की निगाहे रहम हो और तहारत क़ायम करने के लिये मुन्दर्जा ज़ैल सुन्नत तरीक़े और आदाब पर अ़मल कर। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए हैं।

(1) सोकर उठने की सुन्नत:- सोकर उठने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। और हाथ धोए बग़ैर पानी के किसी बर्तन में हाथ नहीं डालना चाहिये क्योंकि क्या मालूम सोते वक़्त हाथ पाक रहा है कि नहीं। लिहाज़ा सोते जागते अपने जिस्म के हर उ़ज़्व (अंग) की तहारत का ख़्याल रखें क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब कोई शख़्स सोकर उठे तो जब तक तीन बार हाथ न धोले उसको पानी के किसी बर्तन में हाथ नहीं डालना चाहिये क्योंकि सोने में क्या मालूम कि हाथ

कहाँ-कहाँ पड़ा है। (मुस्लिम शरीफ़)

सोने के बाद हाथ की तहारत (पाकी) इसलिये ज़रूरी है कि पहले हाथ साफ़ होगा तो उससे पाकी हासिल हो सकेगी।

(2) बा पर्दा हाजत से फ़ारिग़ होने का इन्तेज़ाम:- रफ़ए़ हाजत यानी पेशाब या पाख़ाना से फ़ारिग़ होने के लिये बा पर्दा इन्तेज़ाम का होना ज़रूरी है। इसलिये रफ़अ़ हाजत किसी चार दीवारी के अन्दर करें तो बहुत बेहतर है, घर, मसाजिद, दफ़्तर और दीगर मक़ामात पर इस मक़सद के लिये बैतुल ख़ला (शौचालय) बने होते हैं इसलिये रफ़अ़ हाजत व ज़रूरत के लिये इन्हें इस्तेमाल में लाना ज़्यादा अच्छा है। मगर बाहर किसी जगह पर रफ़अ़ हाजत के लिये जाएं तो वहाँ भी आड़ वग़ैरा तलाश कर लें इस मक़सद के लिये किसी फ़सल या किसी पौधे या किसी दीवार वग़ैरा की आड़ मिल जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब पाख़ाने के लिये आड़ की ओट में जाने की ताकीद फ़रमाई है इसलिये बा पर्दा मक़ाम पर रफ़अ़ हाजत से फ़ारिग़ होना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो सुर्मा लगाए उसको चाहिये कि ताक़ सलाइयाँ लगाए और जो ऐसा करे तो बेहतर है अगर न करे तो कोई मुज़ाइक़ा नहीं और जो इस्तिंजे के लिये जाए उसको चाहिये कि ताक़ तादाद में ढेले इस्तेमाल करे अगर ऐसा किया तो बेहतर है वरना कोई मुज़ाइक़ा नहीं और जिसने खाना खाने के बाद ख़िलाल से कुछ दाँतों से निकाला तो उसको फेंक दे लेकिन अगर उसने ज़बान से कुछ अलग किया है तो उसको निगल ले और जिसने ऐसा किया तो अच्छा किया और अगर ऐसा न किया तो कोई मुज़ाइक़ा नहीं और जो शख़्स अदाए हाजत के लिये बैठे उसको चाहिये कि वह जगह पर्दादार हो और ऐसी जगह न मिले तो उसको चाहिये कि रेत का एक छोटा टीला बनाकर उसकी तरफ़ पीठ करे क्योंकि शैतान इन्सानों की शर्मगाह से खेलता है और जिसने ऐसा किया तो अच्छा किया और न किया तो कोई मुज़ाइक़ा नहीं। (अबू दाऊद शरीफ़)

(3) जंगल में अदाए हाजत:- जंगल में रिफ़अ़ हाजत करने का अदब ये है कि अदाए हाजत करने के लिये ऐसी जगह पर जाएं जहाँ दूसरे

न देखते हों क्योंकि इस्लाम ने जिस्म छुपाना ज़रूरी क़रार दिया है इसलिये जंगल में भी अपने सतर को दूसरों पर ज़ाहिर न होने दें।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदाए हाजत का इरादा फ़रमाते तो इतनी दूर तशरीफ़ ले जाते जहाँ उनको कोई न देखता था। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) क़िब्ले की तरफ़ मुँह करने की मुमानिअत:- क़िब्ला हमारे लिये एक मुक़द्दस (पवित्र) मक़ाम है लिहाज़ा इसकी तअज़ीम व एहतराम के पेशे नज़र अदाए हाजत के वक़्त इसकी तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिये। हज़रत इमाम शाफ़ई के नज़दीक अदाए हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना जंगल में तो हराम है लेकिन आबादी में नहीं क्योंकि बीच में दीवार हाइल हो जाती है लेकिन हज़रत इमामे आज़म का यह कहना है कि क़िब्ले की तरफ़ मुँह और पीठ करने का हुक्म आम है। इसमें जंगल और आबादी की कोई क़ैद नहीं। इसलिये सुन्नत तरीक़ा यही है कि अदाए हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह न करें।

(5) क़िब्ला रुख़ पीठ करने की भी मुमनिअत:- अदाए हाजत के वक़्त जिस तरह क़िब्ला की तरफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है ऐसे ही अदाए हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ पुश्त (पीठ) करना भी मना है। मदीना शरीफ़ में क़िब्ला जुनूब (दक्षिण) की जानिब है इसलिये वहाँ जुनूब की जानिब अदाए हाजत के वक़्त न मुँह करे और न पीठ करे इसलिये अपने मकानों में जब बैतुल ख़ला बनाएं तो इस अम्र (बात) का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि बैतुल ख़ला के पाट का मुँह क़िब्ले की तरफ़ न रखें और इसके साथ ही छोटे बच्चों को अदाए हाजत के वक़्त ये तलक़ीन फ़रमाएं कि वो क़िब्ले की तरफ़ न मुँह करें और न पीठ।

(6) शर्मगाह को दाएं हाथ से छूने की मुमनिअत:- दायाँ हाथ अपने कामों के लिये है खाने पीने के लिये इस्तेमाल किया जाता है इसलिये अदाए हाजत और इस्तिंजा के वक़्त इससे अपनी शर्मगाह को छूना मना है। बल्कि इस्तिंजा और नाक साफ़ करने के लिये बाएं हाथ को इस्तेमाल करना चाहिये। दाएं हाथ से चूँकि खाना खाया जाता है और उसी हाथ से ऐसे अंग को छुआ जाए जिससे गन्दगी और नापाकी लगती हो। ये बात सफ़ाई और पाकीज़गी के उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसलिये हुज़ूर

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दाएं हाथ से शर्मगाह को छूने से मना फ़रमाया है। इस बारे में हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रवायत हदीस पाक ये है कि:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू क़तादह रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई पानी पिये तो बर्तन में सांस न ले इसी तरह जब बैतुल ख़ला जाए तो शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए। (बुख़ारी शरीफ़)

(7) पेशाब बैठकर करने की ताकीद:- बैठकर पेशाब करना सुन्नत है। बैठकर पेशाब न करने से छींटे पड़ते हैं जिससे कपड़े आ़मतौर पर नापाक हो जाते हैं। वैसे भी अख़्लाक़ी नुकत-ए-नज़र से खड़े होकर पेशाब करना तहज़ीब के ख़िलाफ़ है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि: अगर तुमसे कोई ये कहे कि सरकार खड़े होकर पेशाब करते थे तो उसको सच्चा न जानो। आप हमेशा बैठकर ही पेशाब करते थे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(8) सूराख़ में पेशाब करने की मुमानिअ़त:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूराख़ में पेशाब करने से मना फ़रमाया है क्योंकि सूराख़ में कोई न कोई जानवर होता है जिसे पेशाब की वजह से तकलीफ़ होगी हो सकता है कि वो सूराख़ से बाहर निकल आए। ख़ुदा न ख़्वास्ता अगर वो जहरीला जानवर हो और एक दम अचानक डस दे तो इस तरह ऐसी तकलीफ़ बरदाश्त करना पड़ेगी जिसका दूर करना ब मुश्किल होगा। इस तरह इन्सानी हिफ़ाज़त और जानवरों के हुक़ूक़ को मद्दे नज़र रखते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ये ताकीद फ़रमाई कि सूराख़ में कभी भूलकर भी पेशाब न करें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूराख़ में पेशाब करने की मुमानिअ़त फ़रमाई है। (नसई शरीफ़)

(9) नर्म जगह पर पेशाब करने का हुक्म:- नर्म जगह पर पेशाब करना सुन्नत है क्योंकि नर्म जगह से पेशाब के छींटे नहीं होते जिससे कपड़े नापाक नहीं होते इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नर्म जगह

पर पेशाब करने की ताकीद फ़रमाई। एक ज़माना था कि ज़मीन कच्ची होती थी अब जबकि शहरों में नर्म जगह नहीं रही बल्कि उसकी बजाए पुख़्ता बैतुल ख़ला हैं। जहाँ पेशाब करने की जगह पुख़्ता होती है लिहाज़ा वहाँ पेशाब इस तरह करें कि पेशाब के छींटे न पड़ें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था उस वक़्त आपको पेशाब की हाजत हुई, तो आपने दीवार की आड़ में नर्म जगह तलाश करके फ़रागत हासिल की इसके बाद फ़रमाया जब तुम में से किसी को पेशाब की हाजत हो तो उसके लिये नर्म जगह तलाश करे।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(10) इस्तिंजे के लिये लोटे का इस्तेमाल:- पेशाब और पाख़ाने की तहारत (पाकी) के लिये लोटे का इस्तेमाल करना सुन्नत है। लोटा एक ऐसा बर्तन है जिससे तहारत (पाकी) करने में आसानी और पाकीज़गी रहती है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फ़रमाई है कि लोटे से इस्तिंजा करें। लोटे को सफ़र में अपने साथ ले जाना भी सुन्नत है और ज़्यादातर सूफ़िया का मअमूल रहा है कि वो अपने साथ लोटा ज़रूर रखते। लोटा इस्तेमाल करने हुए लोटे की पाकीज़गी का भी ख़्याल रखें उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि उस पर पेशाब की छींटें न पड़ें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अदाए हाजत को जाते तो मैं और एक बच्चा साथ में पानी का एक छोटा डोल और एक कुदाल लिये होते थे। फ़रागत के बाद आप पानी से इस्तिंजा करते थे। (बुख़ारी)

(11) बैतुल ख़ला में दाख़िल होने की दुआ:- पेशाब और पाख़ाना करते वक़्त अल्लाह से पनाह हासिल करना सुन्नत है बैतुल ख़ला में शैतान बड़े अजीब क़िस्म के वसवसे डालता है और तरह तरह के गन्दे ख़्यालात पैदा करता है लिहाज़ा इनसे बचने के लिये बैतुल ख़ला में दाख़िल होकर अल्लाह की पनाह में आने के लिये ये दुआ पढ़ना ज़रूरी है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फ़रमाई है कि बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त ये दुआ पढ़ें, हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी यही दुआ

पढ़ा करते थे। (मुस्लिम शरीफ़)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ **"अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिल ख़ुबुसि वल ख़बाइस"**

तर्जमा: ऐ अल्लाह! मैं ख़बीस जिन्नियों और जिन्नात से पनाह माँगता हूँ।

(12) अदाए हाजत से फ़ारिग़ होने की दुआ:- बैतुल ख़ला से फ़ारिग़ होने के बाद जब बाहर आएं तो ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। क्योंकि हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यही दुआ पढ़ा करते थे।(इब्ने माजा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ **"अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़ ह-ब अ़न्निल अज़ा व आ़फ़ानी"**

तर्जमा: हम्द उस रब्बे करीम के लिये जिसने हमें तकलीफ़ से महफ़ूज़ करके सलामती अ़ता फ़रमाई ।

(13) ताक़ ढेलों से इस्तिंजा करना सुन्नत है:- इस्तिंजे में पानी इस्तेमाल करने से पहले पेशाब के क़तरों को मिट्टी के ढेलों से ख़ुश्क करना सुन्नत है और ख़ुसूसन ताक़ ढेले इस्तेमाल करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स वुज़ू करे उसको चाहिये कि नाक साफ़ करे और जो कोई बैतुल ख़ला जाए उसको चाहिये कि ताक़ ढेलों से इस्तिंजा करे।(मुत्तफ़क़ अ़लैह)

(14) बाएं हाथ से पाकी हासिल करें:- इस्तिंजा करते वक़्त अपने पोशीदा मक़ाम को बाएं हाथ से धोएं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद खाना खाने और कोई पाक काम करने के लिये दायाँ हाथ इस्तेमाल फ़रमाते अलबत्ता तहारत और घटिया काम के लिये बायाँ हाथ इस्तेमाल फ़रमाते। अगर कोई मअ़ज़ूरी या मजबूरी हो तो फिर दायाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उज़्र ख़त्म होने के साथ ही इसका जाइज़ होना ख़त्म हो जाएगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़िल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती

हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खाना और पाक कामों को दाहिने हाथ से करते अलबत्ता तहारत (पाकी) और घटिया काम बाएं हाथ से करते थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

(15) अंगूठी उतारने की ताकीद:- पेशाब या पाख़ाना करते हुए बात करना, कलमा कलाम पढ़ना, अंगूठी या कोई बा बरकत चीज़ अपने साथ रखना मना है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैतुल ख़ला तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अंगूठी उतार लिया करते थे। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस ह़दीस से ज़ाहिर होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अदाए ह़ाजत के वक़्त अंगूठी उतार दिया करते थे क्योंकि इस पर मुह़म्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लिखा था। इससे साबित हुआ कि बैतुल ख़ला में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का नाम, अल्लाह का नाम लिखा हुआ या क़ुरआन लेकर दाख़िल नहीं होना चाहिये।

(16) इकट्ठे अदाए ह़ाजत करने की मुमानिअ़त:- इस्लाम में एक दूसरे की शर्मगाह को देखना मना है इससे अदाए ह़ाजत के वक़्त दो या ज़्यादा मर्दों को इकट्ठे पाख़ाना करने से मना किया गया है। अ़मूमन देखा गया है कि देहाती औ़रतें पाख़ाने के लिये मिलकर इकट्ठी खेतों में बैठती हैं और बातें भी करती हैं ऐसा करना दुरुस्त नहीं।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दो आदमी इस ह़ालत में अदाए ह़ाजत के लिये न निकलें कि उनके सतर (बदन) खुले हों और बातें करते हों। बेशक अल्लाह तआ़ला इस अ़मल पर नाराज़ होता है। (अह़मद, अबू दाऊद, इब्ने माजा शरीफ़)

(17) रास्ते में पाख़ाना करने की मज़म्मत:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रास्ते में पाख़ाना करने से मना किया है क्योंकि इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होगी और कपड़े भी नापाक होंगे। नहर, नदी, दरिया, घाट,और पार्क के किनारे पर भी पाख़ाना न करें। मस्जिद में या मस्जिद की छत पर पाख़ाना करना ह़राम है बल्कि ऐसा करने वाला बहुत ही गुनहगार होगा। ऐसे ही क़ब्रिस्तान में पाख़ाना करना ह़राम है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लानत व नफ़रत की दो बातों से बचो, लोगों ने मालूम किया या रसूलुल्लाह! वह दो बातें कौनसी हैं तो आपने फ़रमाया कि रास्ते और साए दार पेड़ के नीचे पेशाब और पाख़ाना करना। (मुस्लिम शरीफ़)

(18) साए में पाख़ाना करने की मुमानिअत:- साए दार जगह चूँकि लोगों के आराम के लिये होती है। बसा अवक़ात साए में नारी (आग वाली) मख़्लूक़ भी डेरा जमाए होती है लिहाज़ा साए दार जगह पर पेशाब या पाख़ाना नहीं करना चाहिये। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मक़ामात पर पेशाब या पाख़ाना करने से मना फ़रमाया है उनमें सायादार जगह भी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तीन बुरी बातों से बचो क्योंकि ये लानत का सबब हैं, दरिया के घाट, रास्ते में, और सायदार जगह (जहाँ लोग बैठते हों) पर पाखाना करना।

(अबू दाऊद शरीफ़)

सुन्नते मिसवाक

मिसवाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की महबूब सुन्नतों में से एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है । और फ़िक़ह (शरीअ़त) के चारों इमाम का इस सुन्नत पर इत्तेफ़ाक़ है। हनफ़ी हज़रात ने ख़ासतौर पर वुज़ू और नमाज़ के वक़्त मिसवाक करना सुन्नत क़रार दिया है। ऐसे ही नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े जुहर से भी पहले मिसवाक करने की बहुत ताकीद की गयी है। मिसवाक में बड़ी ख़ैरो बरकत है मिसवाक करने से न सिर्फ़ सवाब ही मिलता है बल्कि इससे जिस्मानी तौर पर बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। मिसवाक से मुँह की बदबू दूर रहती है, बलग़म को दूर करती है, नज़र को तेज़ रखती है, मेअ़दे को दुरुस्त रखती है, अ़क़्ल को बढ़ाती है, दिल को पाक करती है। दाँत सफ़ेद और चमकदार रहते हैं, मसूड़ों में ताक़त पैदा करती है और दाँत मज़बूत हो जाते हैं । यूँ तो हर हाल में मिसवाक करना बेहतर है मगर बअ़ज़ हालतों में इसकी एहमियत बढ़ जाती है मसलन वुज़ू करने के वक़्त, कुरआन मजीद पढ़ने के लिये, जब दाँतों पर मैल जमी हो तो उसे साफ़ करने के लिये, चुप रहने, बदबूदार चीज़ खाने के वक़्त मिसवाक करना ज़्यादा बेहतर है।

(1) मिसवाक अंबिया-ए किराम की सुन्नत है:- मिसवाक करना अंबिया की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। यानी जो बातें पहले अंबिया-ए किराम किया करते थे उनमें से एक काम मिसवाक भी है। इसलिये इसे अंबिया-ए किराम की सुन्नत कहा जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, चार चीज़ें रसूलों की सुन्नत हैं, शर्म व हया करना, और रिवायत किया गया कि ख़त्ना करना। ख़ुशबू लगाना, मिसवाक करना, निकाह करना।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

एक और हदीस में यही बात हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से यूँ रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि, तीन चीज़ें रसूलों की सुन्नतों में से हैं। 1. जल्दी इफ़्तार करना 2. सहरी खाने में देर करना । 3. मिसवाक करना। (तिबरानी शरीफ़)

(2) मिसवाक करने से अल्लाह राज़ी होता है:- पाकीज़गी में रज़ाए इलाही का राज़ पोशीदा है। और मिसवाक पाकीज़गी का एक ज़रिया है यानी यह उस मुँह को पाक व साफ़ रखती है जिससे अल्लाह तआला की रज़ा के लिये ज़िक्र किया जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मिसवाक मुँह की पाकीज़गी और अल्लाह तआला की रज़ामंदी का सबब है। (नसई शरीफ़)

(3) दस बातें फ़ितरत तबीअत में शामिल हैं:- दस बातें फ़ितरत में शामिल हैं इनमें से एक मिसवाक भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दस चीज़ें फ़ितरत में शामिल हैं। 1. लबों (मूँछ) का कम करना। 2. दाढ़ी का बढ़ाना 3. मिसवाक करना 4. नाक में पानी देना 5. नाख़ून तरशवाना 6. जोड़ों की जगह धोना 7. बग़लों के बाल साफ़ करना 8. ज़ेरे नाफ़ बाल मूँडना 9. पानी एहतेयात से इस्तेमाल करना यानी इस्तिंजा करना।

रिवायत करने वाले कहते हैं कि दसवीं बात मुझे याद नहीं रही ग़ालिबन वह कुल्ली करना था। (मुस्लिम शरीफ)

हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल है कि मिसवाक को लाज़िम कर लो और इससे ग़फ़लत न करो क्योंकि इससे चौबीस क़िस्म के फ़ायदे हासिल होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि मिसवाक करने से अल्लाह राज़ी होता है। दौलत में बरकत हासिल होती है, मुँह में खुशबू आती है, मसूड़े मज़बूत हो जाते हैं ,अगर सर में दर्द हो तो उसे सुकून मिलता है अगर दाँत में दर्द हो तो वह भी दूर हो जाता है, चेहरे के नूर और दाँतों की चमक की वजह से फरिश्ते मुसाफ़ह करते हैं।

(4) जुमा के दिन मिसवाक करना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन जहाँ तहारत (पाकी), ग़ुस्ल और अच्छे कपड़े पहनने की ताकीद फ़रमाई वहाँ मिसवाक करने की भी तरग़ीब दी है क्योंकि इससे नेकियों में इज़ाफ़ा हो जाता है और गुनाहों की माफ़ी हो जाती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत उबैद बिन सब्बाक़ मुरसलन से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जुमा के ख़ुत्बे में फ़रमाया ऐ मुसलमानों ! अल्लाह तआ़ला ने इस जुमे के दिन को ईद मुक़र्रर किया है इस दिन गुस्ल करो और अगर किसी के पास ख़ुश्बू हो तो उसके लगाने में कोई हरज नहीं लेकिन तुम पर मिसवाक करना लाज़िम है। (मुसनद इमाम मालिक)

एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, कि जिस शख़्स ने जुमा के दिन गुस्ल किया और मिसवाक की, ख़ुशबू लगाई, उमदा कपड़े पहने फिर मस्जिद में आया और लोगों की गर्दनों को नहीं फलांगा बल्कि नमाज़ पढ़ी और इमाम के आने के बाद यानी ख़ुत्बे में ख़ामोश रहा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को जो उससे पूरे हफ़्ते में हुए थे माफ़ कर देता है। (शरह मआनिल आसार)

(5) जागने पर मिसवाक करना सुन्नत है:- सोकर उठने के बाद मिसवाक करना सुन्नत है। क्योंकि सोते वक़्त मुँह में बदबू पैदा होती है और इस सुन्नत की बरकत से मुँह साफ़ हो जाता है और बदबू दूर हो जाती है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठने के बाद सबसे पहले मिसवाक ही करते।

हदीस शरीफ़: जनाब हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ तहज्जुद के लिये खड़े होते तो पहले अपने मुँह को मिसवाक से साफ़ करते थे।

(मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात या दिन में सोकर बेदार होते तो वुज़ू से पहले मिसवाक करते। (अबू दाऊद शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से रिवायत है कि रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब वुज़ू का पानी और मिसवाक रख दी जाती तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त उठते तो पहले अदाए हाजत करते और फिर मिसवाक करते।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(6) मिसवाक की ताकीदः- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मिसवाक की बहुत ताकीद फ़रमाई है, हदीस पाक यह है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत 'अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने तुम्हें मिसवाक की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस पर अ़मल करने का एक अ़मली (हक़ीक़ी) वाक़ेआ़ हज़रत अबू बक्र शिबली का है और वह यूँ है कि एक बार हज़रत अबू बक्र शिबली को वुज़ू करते वक़्त मिसवाक की ज़रूरत हुई तो आपने मिसवाक तलाश की मगर न मिली। फिर आपने एक दीनार (सोने की अशरफ़ी) मे मिसवाक ख़रीद कर इस्तेमाल फ़रमाई। बअ़ज़ लोगों ने हज़रत शिब्ली अ़लैहिर्रहमा से कहा ये तो आपने बहुत ज़्यादा ख़र्च कर डाला, इतनी मेंहगी भी मिसवाक ली जाती है। फ़रामाया ये दुनियाऔर उसकी तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखतीं क़यामत के रोज़ क्या जवाब दूँगा जबकि अल्लाह तआ़ला मुझसे दरयाफ़्त फ़रमाएगा कि तूने मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत (मिसवाक) को क्यों तर्क किया? वो माल व दौलत मैंने तुझे दिया था जिसकी हक़ीक़त मेरे नज़दीक मच्छर के पर बराबर भी नहीं थी उसको इस सुन्नत (मिसवाक) के हासिल करने में क्यों ख़र्च नहीं किया? फिर उन्होंने फ़रमया: मेरे भाई! मेरा ख़्याल तो ये है कि अगर तुझसे कोई मिसवाक बेचने वाला आधा दीनार भी मिसवाक की क़ीमत माँगे तो तू हरगिज़ न देगा और मिसवाक छोड़ देगा सुन्नते से इस क़दर ग़फ़लत के बावजूद तू अपने आप को "औलिया अल्लाह" और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के "आ़शिक़ीन" में शुमार करता है। ख़ुदा की क़सम! ये एक ऐसा दावा है जिसकी कोई दलील नहीं।

(लवाक़ेउल अनवार)

(7) मिसवाक नमाज़ के सवाब में इज़ाफ़े का ज़रिया है:- अगर कोई शख़्स वुज़ू से पहले मिसवाक करे और फिर अच्छी तरह वुज़ू करे और इसके बाद नमाज़ पढ़े तो इस तरह करने से नमाज़ के सवाब में इज़ाफ़ा हो जाएगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि: जिस नमाज़ के लिये मिसवाक की जाती है वह उस नमाज़ से सत्तर दर्जा ज़्यादा अफ़ज़ल है जिसके लिये मिसवाक न की गई हो। (बेहक़ी)

इसी हदीस के सिलसिले में मराक़ियुल फ़लाह शरह नूरुल ईज़ाह में हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अली से रिवायत है कि मिसवाक के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज़ की फ़ज़ीलत बग़ैर मिसवाक वाली नमाज़ पर निन्यानवे गुना या चार सौ गुना तक बढ़ जाती है। उलमा-ए किराम ने इसकी वज़ाहत यूँ फ़रमाई है कि इस क़द्र सवाब और अज्र में इज़ाफ़ा होना नेक नियती के सबब होता है।

(8) मिसवाक के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम फ़रमान:- मिसवाक के चूँकि बहुत से फ़ायदे हैं इनके पेशे नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इज़हार फ़रमाया कि अगर मिसवाक करने में क़ौम की परेशानी पेशे नज़र न होती तो मिसवाक हर नमाज़ से क़ब्ल लाज़िम क़रार दी जाती।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर मुझे अपनी उम्मत की मुश्किल का ख़्याल न होता तो मैं इनको नमाज़ इशा देर से अदा करने का हुक्म देता और हर नमाज़ में मिसवाक करने को कहता। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत हस्सान बिन अतया का क़ौल है कि मिसवाक निस्फ़ (आधा) ईमान है और वुज़ू भी निस्फ़ ईमान है। (इब्ने अबी शैबा)

मिसवाक के फ़ायदे के बारे में एक मर्तबा हज़रत अली ने फ़रमाया कि मिसवाक किया करो क्योंकि ये क़ुव्वते हाफ़िज़ा (ज़हन) में इज़ाफ़ा करती है और बलग़म दूर करती है।

ऐसे ही एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मिसवाक इन्सानी फ़साहत (ख़ुश बयानी) में इज़ाफ़े का सबब बनती है।

(9) मिसवाक की फ़ज़ीलत के मुतअल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्वाब:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के मुतअल्लिक़ एक ख़्वाब देखा जिससे मिसवाक

की फ़ज़ीलत और एहमियत ज़ाहिर होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे ख़्वाब में ये दिखाया गया कि मैं मिसवाक करूँ, मेरे पास दो शख़्स आए उनमें एक बड़ा था दूसरा छोटा, मैंने छोटे को मिसवाक देनी चाही तो उस वक़्त मुझसे कहा गया कि मैं बड़े को मिसवाक दूँ लिहाज़ा मैंने उनमें से बड़े को मिसवाक दे दी। (बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से यही बात यूँ इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे और आपके पास दो आदमी थे जिनमें से एक बड़ा था। चुनान्चे मिसवाक की फ़ज़ीलत में आपकी तरफ़ वही की गई कि बड़े को अव्वल रखो और इन दोनों में से बड़े को मिसवाक दे दो। (अबू दाऊद शरीफ़)

इन अहादीस से मिसवाक की अहमियत का इज़्हार होता है इसीलिये तो मिसवाक बड़े को देने का हुक्म दिया गया कि बड़ा छोटे से अफ़ज़ल था।

(10) घर में दाख़िल होकर मिसवाक करना सुन्नत है:- घर में जब दुनियावी काम काज से फ़ारिग़ होकर आएं तो उस वक़्त सबसे पहले मिसवाक करनी चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर में आने पर सबसे पहले मिसवाक ही किया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत शुरैह बिन हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मालूम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर में दाख़िल होने के बाद सबसे पहले काम क्या करते थे? आपने फ़रमाया कि आप सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। (मुस्लिम शरीफ़)

(11) मिसवाक से सेहत बरक़रार रहती है:- हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि: मिसवाक में दस ख़सलतें (विशेषताऐं) हैं। दाँतों की ज़र्दी (पीलापन) दूर करती है, आँखों की बीनाई को तेज़ और मसूड़ों को मज़बूत बनाती है, मुँह को साफ़ करती है, फ़रिश्ते ख़ुश होते हैं, अल्लाह की रज़ा, सुन्नत की पैरवी, नमाज़ के सवाब में इज़ाफ़ा, जिस्म की तंदरुस्ती, ये सब फ़ायदे हासिल होते हैं।

(12) मिसवाक के बाद उसे धोना सुन्नत है:- मिसवाक करने के बाद उसे धोना सुन्नत है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसे धो डालते क्योंकि धोने से इसकी मैल कुचैल दूर हो जाती है और दोबारा करने के क़ाबिल हो जाती है इसलिये याद रखिये कि जिस मिसवाक को दोबारा इस्तेमाल करने का इरादा हो उसे हर हाल में पाक साफ़ रखना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिसवाक करने के बाद मुझे धोने के लिये देते तो मैं धोकर उसी मिसवाक को इस्तेमाल करती और धोकर सरकार को वापस कर देती। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस में ये बताया गया है कि हज़रत आयशा आपसे मिसवाक लेकर धोने से पहले अपने मुँह में इसलिये फेर लेती थीं कि सरकार सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लुआ़ब मुबारक की बरकत हासिल हो और फिर उसे धोकर साफ़ कर लेतीं। लुआ़बे दहन (थूक मुबारक) से बरकत हासिल करने का एक वाक़ेआ ये है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि मेरे लिये अल्लाह तआ़ला के इनआ़मात में से एक इनआ़म ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का विसाल मेरे घर में मेरी बारी के दिन हुआ और ये भी अल्लाह का इनआ़म है कि आपके मुबारक लुआ़बे दहन को थूक के साथ आपकी वफ़ात (इन्तेक़ाल) ज़ाहिरी से पहले इकट्ठा कर दिया और वह इस तरह कि मेरे पास अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र आए और उनके हाथ में एक मिसवाक थी। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सहारा दे रही थी मैंने देखा कि आप उनकी मिसवाक की तरफ़ देख रहे हैं मुझे मालूम था कि आप मिसवाक पसन्द फ़रमाते हैं इसलिये मैंने दरयाफ़्त किया कि आपके लिये मिसवाक लूँ, आपने सरे मुबारक के इशारे से फ़रमाया 'हां' चुनान्चे मैंने अ़ब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर आपको पेश की, आपने इस्तेमाल करना चाहा लेकिन मिसवाक सख़्त थी, इसलिये मैंने अ़र्ज़ किया कि नर्म कर दूँ? आपने सर मुबारक के इशारे से फ़रमाया 'हां' चुनान्चे मैंने दाँतों से चबाकर नर्म करके सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पेश कर दी। आपने उसको दाँतों पर फेरना शुरु किया, आपके सामने एक बर्तन रखा था जिसमें पानी था। आप अपने दोनों हाथ पानी में डालते और

चेहर-ए-अनवर पर फेर लेते और फ़रमाते **"ला इला-ह इल्लल्लाह"** बेशक मौत के लिये सख़्तियाँ हैं। फिर दुआ के लिये हाथ उठाए और फ़रमाया ऐ अल्लाह! मुझे रफ़ीक़े आला (अंबिया) में शामिल कर और इस तरह कहते रहे यहाँ तक कि आपकी रूहे मुबारक क़ब्ज़ कर ली गयी और आपके दोनों हाथ मुबारक नीचे तशरीफ़ लाए। (मदारिजुन्नुबुव्वत)

(13) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का कसरत से मिवाक करना:- हज़रत जिबाईल अ़लैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिसवाक करने को कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिसवाक की इतनी कसरत की कि आपने फ़रमाया कि मैं मिसवाक इतनी कसरत से करता हूँ कि मुझे ये डर है कि मिसवाक की ज़्यादती से कहीं मेरा मुँह न छिल जाए।

इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिसवाक के इस्तेमाल में ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब भी जिबरईल मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे मिसवाक करने को कहा और मुझे ये ख़्याल होने लगा कि कसरते मिसवाक से मुँह का ज़ाहिरी हिस्सा न छिल जाए।

(14) तरीक़ा मिसवाक और मसाइल:- मिसवाक करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि मिसवाक दाएं हाथ में लें और उसकी शुरुआत मुँह के अन्दर दाएं तरफ़ से करें। मिसवाक हाथ में पकड़ने का तरीक़ा ये है कि छुँगलिया मिसवाक के नीचे और बीच की तीन उँगलियाँ मिसवाक के ऊपर और अंगूठा सिरे पर हो। दाएं तरफ़ के दाँतों पर ऊपर-नीचे फिर बाएं तरफ़ के दाँतों पर ऊपर-नीचे मिसवाक करें। कम से कम तीन मर्तबा मिसवाक फेरें क्योंकि ऐसा करना मुस्तहब (अच्छा) है और हर बार मिसवाक धोना चाहिये। एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि मिसवाक करते वक़्त ये नियत होनी चाहिये कि मिसवाक करके ज़िक्रे इलाही की राह साफ़ कर रहा हूँ। मिसवाक के मुतअ़ल्लिक़ चन्द मसाइल और सुन्नत हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) मिसवाक किसी नर्म शाख़ की होनी चाहिये और सख़्त बिल्कुल न हो

उससे दाँतों और मसूड़ों को तकलीफ़ होगी।

(2) मिसवाक कड़वे दरख़्त मसलन नीम, पीलू या ज़ैतून वग़ैरा की हो तो ज़्यादा बेहतर है।

(3) मिसवाक मोटाई में ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिये बल्कि छुँगली यानी छोटी ऊँगली के बराबर हो तो ज़्यादा बेहतर है।

(4) मिसवाक ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लम्बी हो अगर इससे कम हो तो इसमें कोई हरज नहीं।

(5) मिसवाक दाँतों की चौड़ाई पर की जाए, लम्बाई पर न की जाए।

(6) चित लेटकर मिसवाक न करें इससे तिल्ली बढ़ने का ख़तरा है।

(7) बैतुल ख़ला में मिसवाक करना मकरूह है।

(8) मिसवाक के रेशे एक ही तरफ़ बनाएं, दोनों तरफ़ न बनाएं।

(9) नमाज़ के वुज़ू के लिये सुन्नत है।

(10) जब भी मुँह में बदबू पैदा हो जाए तो उसको दूर करने के लिये मिसवाक करना सुन्नत है।

(11) मिसवाक जब क़ाबिले इस्तेमाल न रहे तो फेंक न दें बल्कि उसे महफ़ूज़ जगह पर रख दें या किसी कुएं या चलते पानी में बहा दें।

आदाबे नमाज़

इस्लाम के निज़ामे इबादत में नमाज़ एक बुनियादी रुक्न (इबादत) है जो शाह व गदा, अमीर व ग़रीब, मर्द व औरत, बूढ़े और जवान पर फ़र्ज़ है। यही वह इबादत है जो किसी हाल में भी किसी शख़्स से माफ़ नहीं होती। दर हक़ीक़त इन्सान की पैदाइश का मक़सद ही इबादत है। नमाज़ सबसे अहम इबादत है क्योंकि इन्सान ख़ुदा का बंदा है और अल्लाह ही उसका ख़ालिक़ (पैदा करने वाला), रब और माबूद (पूज्य) है लिहाज़ा ख़ुदा को अपना माबूद मानने का तक़ाज़ा यही है कि उसकी बंदगी की जाए बल्कि बंदे को चाहिये कि अपनी तमाम ज़िन्दगी अल्लाह की बंदगी में गुज़ारे और बंदगी का मतलब ये है कि उसके आगे न किसी और के आगे सर झुकाए और न किसी और की पूजा की जाए इसलिये नमाज़ हक़ीक़त में ख़ुदा की इबादत और पूजा का कामिल तरीक़ा है। नमाज़ के चन्द आदाब और सुन्नतें हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) ख़ुशूअ़ और ख़ूज़ूअ़ से नमाज़ पढ़ना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बड़े ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ के साथ नमाज़ अदा किया करते थे। इसलिये ख़ुशूअ़ और ख़ूज़ूअ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। ख़ुशूअ़ का मतलब ख़ौफ़े ख़ुदा का तारी होना है यानी नमाज़ पढ़ते वक़्त अल्लाह की हैबत और बरतरी का एहसास दिल पर तारी होना चाहिये।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स नमाज़ों को अपने वक़्त में पढ़े, अच्छी तरह वुज़ू करे, ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ से नमाज़ अदा करे, पूरी तरह खड़ा होवे, अच्छी तरह रुकूअ़ करे, ग़र्ज़ ये कि हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे तो ऐसी नमाज़ निहायत ही रौशन और चमकदार बन जाती है और नमाज़ी के लिये पुर असर दुआ़ बन जाती है कि अल्लाह तआ़ला तेरी हिफ़ाज़त करे जैसी तूने मेरी हिफ़ाज़त की और जो शख़्स नमाज़ को बुरी तरह पढ़े वक़्त को भी टाले, वुज़ू भी अच्छी तरह न करे, रुकूअ़ सज्दा भी अच्छी तरह न करे तो ऐसी नमाज़ काले रंग में बद दुआ़ देती हुई ऊपर जाती है और कहती है कि अल्लाह तआ़ला तेरे साथ अच्छा न करे जैसा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इसके बाद वह नमाज़ पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाज़ी के मुँह पर मार दी जाती है। (तिब्रानी)

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज़ का हिसाब किया जाएगा। अगर वह अच्छी और पूरी निकल आई तो बाक़ी आ़माल (इबादतें) भी पूरे उतरेंगे और अगर वह ख़राब हो गई तो बाक़ी आ़माल भी ख़राब निकलेंगे।(तिबरानी)

हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना कि जो क़यामत के दिन पाँचों नमाज़ें इस सूरत में लेकर हाज़िर हो कि उनके वक़्तों की भी हिफ़ाज़त करता रहा हो और वुज़ू का भी इन्तेज़ाम करता रहा हो और उन नमाज़ों को ख़ुशू व ख़ुज़ूअ़ से पढ़ता रहा हो तो अल्लाह तआ़ला ने उसके लिये ये हुक्म दे रखा है कि उसको अ़ज़ाब नहीं किया जाएगा। और जो ऐसी नमाज़ें न लेकर हाज़िर हो उसके लिये कोई वादा नहीं। चाहे अपनी रहमत से माफ़ करे या अ़ज़ाब दे। (जामए सग़ीर)

ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ पैदा करने के लिये नमाज़ पढ़ते वक़्त ये ख़्याल दिल में लाना चाहिये कि अल्लाह मुझे देख रहा है इसलिये अपने दिल से हर क़िस्म के दूसरे ख़्यालात को निकाल देने से नमाज़ी का दिल अल्लाह की तरफ़ माइल होगा और ख़ालिस दिल के साथ नमाज़ के ज़िक्र अदा होंगे।

(2) अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ना सुन्नत है:- नमाज़ का वक़्त शुरु होने के बाद अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फ़रमाई है कि अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ लेना बहुत अच्छा है। अगर कोई जान बूझ कर नमाज़ में मुक़र्रर वक़्त से देर करता है तो उसका ये काम ख़िलाफ़े सुन्नत होगा। इसलिये नमाज़ को वक़्त पर अदा कर लेना ही बेहतर है क्योंकि दुनिया के काम काज में मसरूफ़ रहने से नमाज़ के क़ज़ा होने का ख़तरा होता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नमाज़ को शुरु वक़्त में अदा करने में अल्लाह की ख़ुशनूदी है और देर में माफ़ी की उम्मीद। (मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद

है कि, मेरे बाद ऐसे हाकिम और इमाम आएंगे जो नमाज़ के वक़्त में देर करेंगे।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वजहु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अ़ली! तीन कामों में देर न करो। 1. नमाज़ में जब उसका वक़्त शुरु हो। 2. जनाज़े में जब वह तैयार हो। 3. और बेवा औ़रत के निकाह में जब बेहतर जोड़ा मौजूद हो।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

(3) तकबीरे तहरीमा के वक़्त अंगूठों को कानों तक लगाना सुन्नत है:- नमाज़ पढ़ने के इरादे से खड़े होकर सबसे पहले जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसे तकबीरे तहरीमा कहा जाता है। तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाकर अंगूठों को कानों की लौ से लगाना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे।

हदीस शरीफ़: हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ अदा करते वक़्त देखा है, जब आप नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने हाथों को इतना ऊँचा उठाते कि वह दोनों कंधों के बराबर होते और हाथ के अंगूठे कानों से लग जाते फिर तकबीरे तहरीमा कहते। (अबू दाऊद शरीफ़)

(4) दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना सुन्नत है:- तकबीरे तहरीमा कहकर नाफ़ के नीचे हाथ बाँधना सुन्नत है क्योंकि हज़रत हुज्र का बयान है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज़ में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर नाफ़ के नीचे बाँधा और हाथ बाँधते वक़्त बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: इस हदीस से मालूम हुआ कि मर्द अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर नाफ़ के नीचे इस तरह बाँधे कि बाएं हाथ की कलाई को दाहिनी छुँगली और अंगूठे से पकड़े यानी छुँगली और अंगूठे का हलक़ा करके बाएं हाथ की कलाई को पकड़े और बाक़ी तीन ऊँगलियाँ इस पर फैला दे और औ़रत अपनी दाई हथेली को बाई हथेली पर रखकर सीने पर बाँधे।

(5) इतमीनान के साथ रुकूअ़ और सुजूद करना:- रुकूअ़

और सुजूद नमाज़ के फ़रज़ों में से हैं लेकिन इन्हें सुकून से अदा करना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने रुकूअ और सजदे मुकम्मल तौर पर अदा किया करो। खुदा की क़सम! मैं तुम्हें पीठ के पीछे से भी देखता हूँ।

(6) सजदा करने का सुन्नत तरीक़ा:- सजदा करते हुए हाथों को ज़मीन पर रखना और कोहनियों को उठाए रखना सुन्नत है। मर्द के लिये सजदे में सुन्नत है कि बाज़ू करवटों से जुदा हों और पेट रानों से। और कलाइयाँ ज़मीन पर न बिछाए मगर जब सफ़ में हो तो बाज़ू करवटों से जुदा न होंगे कि इससे दूसरे नमाज़ियों को तकलीफ़ पहुँचेगी। औरत सिमट कर सजदा करे यानी बाज़ू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिण्डलियों से और पिण्डलियाँ ज़मीन से मिला दे।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, मैं सात हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया हूँ। पेशानी और दोनों हाथों और घुटनों और पाँव के पंजों पर और ये कि हम अपने कपड़ों और बालों को इकट्ठा न करें। (बुख़ारी शरीफ़)

(7) सुन्नत क़िरअत:- हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ में **"क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद"** और इस जैसी सूरतों की तिलावत फ़रमाते थे। और आपकी नमाज़ ज़्यादा लम्बी न होती थी।

(मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े ज़ुहर में (वल्लैलि इज़ा यग़शा) तिलावत फ़रमाते और एक रिवायत के मुताबिक़ (सब्बिहिस म रब्बिकल अअ़ला) और नमाज़ अ़स्र में भी इतनी ही तिलावत फ़रमाते अलबत्ता नमाज़ फ़ज्र में इससे ज़्यादा ज़्यादा लम्बी क़िरअत फ़रमाते थे। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ मग़रिब में सूरए तूर की तिलावत फ़रमाते थे।

(बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़े इशा में "वत्तीनि वज़्ज़ैतून" पढ़ते सुना है और मैंने नहीं सुना कि कोई आपसे बेहतर पढ़ने वाला हो। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ़ रिवायत करते हैं कि जब मरवान ने जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मदीने का हकिम मुक़र्रर किया और ख़ुद मक्का चला गया। जनाब अबू हुरैरा ने जुमे के रोज़ नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई तो पहली रकअ़त में सूरए जुमा और दूसरी रकअ़त में सूरए मुनाफ़िक़ून पढ़ी और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जुमे के दिन इन्हीं सूरतों को पढ़ते सुना है। (मुस्लिम शरीफ़)

(8) नमाज़ के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ना सुन्नत है:- नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर ऐसे ही किया करते थे इसके बाद तीन मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है फिर हस्ब ज़ैल दुआ़ पढ़ें क्योंकि इसका पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो तीन बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते इसके बाद ये दुआ़ पढ़ते:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

"अल्लाहुम-म अन्तस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक-त या ज़ल जलालि वल इकराम"

(9) नमाज़ के बाद हाथ उठाकर दुआ़ माँगना सुन्नत है:- नमाज़ मुकम्मल करने के बाद हाथ उठाकर दुआ़ माँगना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। बअ़ज़ हज़रात का ख़्याल है कि हाथ उठाकर दुआ़ माँगना सुन्नत से साबित नहीं, ये बात

दुरुस्त नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मअ़मूल था कि आप हमेशा हाथ उठाकर दुआ़ माँगते और दुआ़ ख़त्म करने पर इन्हें मुँह पर फेर लेते।

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब भी दुआ़ के लिये हाथ उठाते तो उनको मुँह पर फेरने से पहले नीचे नहीं रखते। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(10) एक मसनून दुआ़:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आ़मतौर से ये दुआ़ पढ़ा करते थे इसलिये इस दुआ़ का पढ़ना सुन्नत है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर नमाज़ फ़र्ज़ के बाद ये दुआ़ पढ़ते:-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम-म ला मानि-अ़ लिमा अअ़्तै-त वला मुअ़्ति-य लिमा मनअ़्-त वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्दु"

तर्जमा: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसके लिये मुल्क है और वही हम्द और तारीफ़ के लायक़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। ख़ुदावंदा जिसे तू अ़ता फ़रमाए उसको कोई रोकने वाला नहीं और जिसके लिये तू मना फ़रमाए उसको कोई देने वाला नहीं और नफ़अ़ नहीं देती दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे अ़ज़ाब से बचने में।)

(11) नमाज़ बा जमाअ़त बेहतरीन सुन्नतों से है:- जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नतों से है अलबत्ता सुन्नतें वग़ैरा घर में पढ़ लेना भी सुन्नत है इसलिये बा जमाअ़त नमाज़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रिवायत करते हैं कि, बेशक हमने ये जान लिया कि नमाज़ बा जमाअ़त से सिवाए मुनाफ़िक़ के और कोई नहीं मुंह नहीं करता जिसका निफ़ाक़ (कपटाचार) ज़ाहिर हो गया हो या मर्ज़ की वजह से हालांकि हम में से बीमार भी दो आदमियों के सहारे नमाज़ के लिये आता था। रिवायत करने वाले फ़रमाते हैं रसूले ख़ुदा ने हमें हिदायत के तरीक़े तालीम फ़रमाए और उनमें से एक तरीक़ा उन मसाजिद में नमाज़ बा जमाअ़त है जहाँ अज़ान पढ़ी जाती है और एक रिवायत के मुताबिक़ जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने फ़रमाया कि जिसको ये बात पसन्द हो कि कल वह अल्लाह से इस तरह मुलाक़ात करे कि उसका ईमान कामिल हो तो वह पंच वक़्ता नमाज़ों की पाबन्दी करे जबकि उसको इस नमाज़ के लिये बुलाया जाए। क्योंकि अल्लाह ने नबी-ए करीम को हिदायत करने के लिये रास्ता मुतअ़य्यन फ़रमा दिया है और ये बा जमाअ़त नमाज़ें तुम्हारे लिये हिदायत का रास्ता हैं। अगर तुम अपने घरों में उस पीछे रहने वाले की तरह नमाज़ पढ़ोगे तो अपने नबी की सुन्नत को ख़त्म करोगे और नबी की सुन्नत के छोड़ने से गुमराही इख़्तियार करोगे। और नहीं कोई शख़्स जो अच्छी तरह तहारत (पाकी) हासिल करके मसाजिदों में से किसी मस्जिद का इरादा करे तो उसके हर क़दम पर अल्लाह एक नेकी लिखवाता है एक दर्जा बुलन्द फ़रमाता है और एक गुनाह उसके नाम-ए-आमाल से मिटाया जाता है और बेशक हमें ये मालूम हो गया कि नमाज़ बा जमाअ़त से सिवाए मुनाफ़िक़ के और कोई पीछे नहीं रहता है जिसका निफ़ाक़ ज़ाहिर होता है। और ऐसा शख़्स भी नमाज़ बा जमाअ़त के लिये हाज़िर होता है जो दो आदमियों के सहारे मस्जिद में आता है और सफ़ में खड़ा होता है। (मुस्लिम शरीफ़)

आदाबे मस्जिद

मस्जिद अल्लाह का घर है और मुसलमानों की इबादत गाह है इसे अल्लाह के यहाँ दूसरे मक़ामात की निस्बत बरतरी हासिल है जो आम जगहों को हासिल नहीं। इसलिये इस्लाम में मसाजिद को बहुत ज़्यादा एहमियत और अज़मत हासिल है। इस फ़ज़ीलत के बारे में इरशादे बारी तआला है कि:-

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: ख़ुदा की मस्जिदों को तो वह लोग आबाद करते हैं जो ख़ुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते हैं और ख़ुदा के सिवा किसी से नहीं डरते यही लोग उम्मीद है कि हिदायत पाए लोगों में दाख़िल हों। (पारा 10 सूरए तौबा 18)

एक और मक़ाम पर इरशाद फ़रमाया कि:-

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: ऐ औलादे आदम! अपने आप को अच्छा बनाओ जब मस्जिद में जाओ, खाओ और पियो मगर हद से न बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले को अल्लाह पसन्द नहीं करता। (पारा 8, सूरए अअ़राफ़, 31)

इन आयात से मालूम हुआ कि मसाजिद की इ़ज़्ज़त व तअ़ज़ीम करना एहले ईमान का शेवा है शरीअ़त की रू से आदाबे मस्जिद हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) मस्जिद में बा अदब होकर जाना :- बा अदब होकर मसाजिद में जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। घर से जब मस्जिद की तरफ़ जाएं तो निगाहों को नीचा रखें, किसी तरह की ग़ैर अख़्लाक़ी हरकत न करें और दिल में आ़जिज़ी और इन्केसारी के साथ अल्लाह के घर में जाएं ताकि अल्लाह राज़ी हो। अकसर बुज़ुर्गाने दीन का यही मअ़मूल रहा है कि वह बड़े अदब के साथ मसाजिद में जाया करते थे। मसाजिद में जाने का बहुत अज्र है। मस्जिद में दाख़िल होकर पहले से मौजूद लोगों को सलाम करना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मसाजिद में जाने की फ़ज़ीलत यूँ बयान फ़रमाई हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो सुबह को अव्वल दिन में या आख़िर दिन में मस्जिद में गया अल्लाह तआ़ला उसकी मेहमानी जन्नत में करेगा, सुबह के वक़्त या आख़िर दिन में (यानी जिस वक़्त भी मस्जिद में गया हो)। (बुख़ारी शरीफ़)

नापाक लिबास पहनकर या कोई नापाक चीज़ लेकर मस्जिद में जाना मना है। ऐसे ही नापाक जिस्म के साथ भी मस्जिद में जाना अच्छा नहीं। ज़रूरत के बग़ैर मस्जिद की छत पर नहीं चढ़ना चाहिये। मस्जिद में छोटे बच्चों को साथ न ले जाएं जो मस्जिद के एहतिराम का ख़्याल न रखते हों, जिनके पेशाब या पाख़ाना करने का डर हो।

(2) मस्जिद में दाख़िल होने का सुन्नत तरीक़ा:- मसाजिद में दाख़िल होने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि मस्जिद के दरवाज़े पर जूते उतारें और इसके बाद पहले दायाँ क़दम अन्दर रखें और फिर बायाँ क़दम रखें और दाख़िले के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ़ पढ़ें। ऐसे ही मस्जिद से निकलने के वक़्त निकलने की दुआ़ पढ़ें और पहले बायाँ क़दम बाहर रखें और फिर दायाँ क़दम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस तरीक़े से मस्जिद में दाख़िल होने और निकलने पर बेहद सवाब और अज्र मिलेगा। मस्जिद में दाख़िल होने और निकलने की सुन्नत दुआ़ ये है:-

हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस वक़्त तुम्हारा एक क़दम मस्जिद में दाख़िल हो पस चाहिये कि ये कहे:- اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ

"अल्लाहुम्मफ़ तह़ ली अबवा-ब रह़मतिक" **तर्जमा:** ऐ अल्लाह मेरे लिये अपनी रह़मत के दरवाज़े खोल दे। और जिस वक़्त क़दम निकले पस चाहिये कि कहे:- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ

"अल्लाहुम-म इन्नी असअलु-क मिन फ़द्लिक" **तर्जमा:** ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल माँगता हूँ। (मुस्लिम शरीफ़)

(3) मस्जिद का बुनियादी अदब:- मस्जिद का सबसे अहम और बुनियादी अदब ये है कि मस्जिद में दाख़िल होकर सवाब की नियत से दो रकअ़त नफ़िल "तहियतुल मस्जिद" पढ़े। हज़रत मियाँ शेर मुहम्मद शर्क़पुरी का अकसर मअ़मूल था कि आप मस्जिद में दाख़िल होते तो सबसे पहले "तहिय्यतुल मस्जिद" के दो नफ़िल अदा करते।

एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि तहिय्यतुल मस्जिद के नवाफ़िल की अदायगी दिल में ख़ुलूस और लगन पैदा करती है लिहाज़ा जो शख़्स तहिय्यतुल मस्जिद के नवाफ़िल को अपने मअ़मूल में शामिल करे उसका

दिल इबादत की तरफ़ माइल रहने लगेगा।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तरीक़-ए कार भी यही था कि आप जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले तहिय्यतुल मस्जिद के दो रकअ़त नवाफ़िल अदा फ़रमाते।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअ़त ''तहिय्यतुल मस्जिद'' अदा करे। (बुख़ारी शरीफ़)

(4) मस्जिद की सफ़ाई:- मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिये और उसमें अगर कोई कूड़ा करकट वग़ैरा हो तो झाड़ू देकर उसे बाहर निकाल देना चाहिये। सफ़ों के तिनकों से मस्जिद में गंद पड़ता है इसलिये मस्जिद में रोज़ाना या गाहे बगाहे झाड़ू देते रहना चाहिये और जो शख़्स मस्जिद का ख़ादिम हो तो उसका फ़र्ज़ है कि मस्जिद की सफ़ाई करे और हफ़्ते में एक बार धोए। वैसे भी अगर कोई शख़्स शौक़ से मस्जिद में झाड़ू दे तो उसे बहुत अज्र मिलेगा। मस्जिद की ज़ाहिरी सफ़ाई से इन्सान के दिल की सफ़ाई होना शुरु हो जाती है। सफ़ाई करने के बाद मस्जिद में ख़ुशबू फैलाना भी सुन्नत है।

हुज़ूर नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है: मस्जिद में झाड़ू देना, मस्जिद को पाक साफ़ रखना, मस्जिद का कूड़ा करकट बाहर फेंकना, मस्जिद में ख़ुश्बू सुलगाना, बिल ख़ुसूस जुमे के दिन मस्जिद को ख़ुश्बू में बसाना, जन्नत में ले जाने वाले काम हैं।

(इब्ने माजा शरीफ़)

एक और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया है कि मस्जिद का कूड़ा करकट साफ़ करना हसीन आँखों वाली हूर का मेहर है। (तिबरानी)

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरे सामने मेरी उम्मत के नेक अ़मल पेश किये जाएंगे यहाँ तक कि उसके बारे में भी जो कि कूड़ा या मिट्टी मस्जिद से कोई निकालता है और मेरे सामने मेरे उम्मतियों के गुनाह पेश किये गए लेकिन इससे बड़ा गुनाह मैंने नहीं देखा

कि किसी शख़्स ने एक सूरत या आयत को याद करके उसको भुला दिया हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद शरीफ़)

(5) हंसी मज़ाक और दुनियावी बातों की मुमानिअ़त:- मस्जिद में सिर्फ़ खुदा की इबादत की जाए लिहाज़ा वहाँ कोई बेकार बात न की जाए न किसी की बुराई बयान की जाए और न ही वहाँ दुनिया की बातें की जाएं क्योंकि दुनियावी बातों में हसद, बुग्ज़, ग़ीबत, वग़ैरा जैसी बातें आ जाती हैं जो आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे ही मस्जिद में शोर मचाना, मज़ाक़ करना, दुनिया के हालात वग़ैरा पर तब्सिरा करना सब मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत हसन से मुरसलन रिवायतहै कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनकी बातें मस्जिदों में होंगी दुनिया के मुतअ़ल्लिक़, उनके पास न बैठो उनमें अल्लाह को कुछ हाजत नहीं। (बेहक़ी शुअ़बुल ईमान)

(6) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त न करें:- मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख़्त न की जाए क्योंकि दुनियावी मुआ़मलात इन्सान को यादे इलाही और तवज्जो से हटाते हैं इसलिये मस्जिद में कारोबार करने से मना फ़रमाया गया है, मस्जिद के अन्दर लेन-देन करना, ख़रीद व फ़रोख़्त के मुआ़मलात तय करना मकरूह है लेकिन हदया मकरूह नहीं है अलबत्ता एतेकाफ़ वाले के लिये बहालते मजबूरी ऐसा करना जाइज़ है। नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में तिजारत को अच्छा नहीं तसव्वुर किया। बअ़ज़ लोग मस्जिद में टोपियाँ, तस्बीहां या किताबें वग़ैरा रखकर बेचते हैं अगर कोई ऐसा करता हो तो उसे मना कर दें और उसे समझाएं कि मस्जिद के दरवाज़े के बाहर फ़रोख़्त करे क्योंकि फ़रोख़्त करना मस्जिद में मना है। क्योंकि ख़रीदो फ़रोख़्त से मस्जिद का मर्तबा पामाल होता है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख़्त करने से मना किया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस वक़्त तुम देखो किसी शख़्स को कि वह बेचता है या ख़रीदता है मस्जिद में, कहो अल्लाह तेरी तिजारत में नफ़अ़ न दे और अगर तुम देखो कि कोई शख़्स अपनी गुमशुदा चीज़ मस्जिद में तलाश कर रहा है, कहो अल्लाह तुझ पर न लौटाए। (तिर्मिज़ी)

(7) मस्जिद में बुलन्द आवाज़े कसने की मुमानिअ़त: मस्जिद में ख़ामोशी से बैठा जाए, आहिस्ता बात की जाए, ज़्यादा वक़्त ज़िक्र व तस्बीह में गुज़ारा जाए। मस्जिद में किसी मजबूरी के बग़ैर गुफ़्तगू भी दुरुस्त नहीं। अगर कोई ज़रूरी बात करने की ज़रूरत हो तो वह कर लें। इसके अ़लावा मस्जिद में बुलन्द आवाज़े कसने की भी मुमानिअ़त है इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ह़दीस ये है:

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत साइब बिन यज़ीद से रिवायत है कि मैं मस्जिद में सोया हुआ था। मुझे एक शख़्स ने कंकरी मारी मैंने देखा कि अचानक वह उ़मर बिन ख़त्ताब थे। कहा जाओ उन दो शख़्सों को मेरे पास लाओ। मैं उन दोनों को लाया पस कहा तुम किन लोगों में से हो या फ़रमाया दोनों कहाँ के हो? उन दोनों ने कहा हम ताइफ़ के रहने वाले हैं,फ़रमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुमको सज़ा देता कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करते हो। (बुख़ारी शरीफ़)

(8) मस्जिद में थूकने की मुमानिअ़त:- मस्जिद में थूकना मकरूहे तह़रीमी (ह़राम के बराबर) है लिहाज़ा मस्जिद को थूक और रेंठ से पाक रखना वाजिब है। अगर थूक या बलग़म मस्जिद के फ़र्श, दीवार या चटाई के ऊपर या नीचे लग जाए तो उसे साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में थूकने से मना किया है बल्कि आपने फ़रमाया है कि मस्जिद में थूकना बुरे आ़माल में से है।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के नेक आ़माल और बुरे आ़माल पेश किये गए तो मैंने रास्ते से किसी तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना नेक अ़मलों में पाया है और ऐसे थूकने को बुरे आ़माल में पाया जिसे थूकने के बाद दफ़न नहीं किया जाता। (मुस्लिम शरीफ़)

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में थूकना इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है बल्कि बुरे आ़माल में से है। इसके बारे में एक और ह़दीस ये है:-

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।

(बुख़ारी शरीफ़)

दफ़न करने से मुराद ये है कि अगर मिट्टी या रेत वग़ैरा हो तो उसके नीचे छिपा दिया जाए।अबुल महासिन रूयानी ने अपनी किताब "अल-बहर" में फ़रमाया कि दफ़न करने से मुराद मस्जिद से निकाल देना है लेकिन मस्जिद के पुख़्ता होने की सूरत में झाड़ू वग़ैरा के साथ उसे वहीं मल देना जैसा कि बअ़ज़ जाहिल करते हैं, दफ़न करना नहीं है बल्कि ये ज़्यादा गुनाह है और मस्जिद में गन्दगी को और फैलाना है जो आदमी ऐसा करे उस पर लाज़िम है कि वह इसके बाद कपड़े या हाथ वग़ैरा से साफ़ कर दे या धो डाले।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद की क़िब्ले वाली दीवार पर रेंठ देखी तो ये बात आपको नागवार मालूम हुई जिसका असर चेहर-ए मुबारक से ज़ाहिर हुआ आप उठे और उसको अपने हाथ मुबारक से साफ़ करके फ़रमाया, जिस वक़्त तुम में से कोई नमाज़ के लिये खड़ा हो तो वह इस हाल से ख़ाली नहीं कि अपने रब से मुनाजात करता है और बिला शक उसका रब उसके और क़िब्ले की सम्त (दिशा) के दरम्यान होता है लिहाज़ा तुम में से कोई सम्त क़िब्ले को न थूके और ये काम सिर्फ़ बाएं जानिब या पैरों के नीचे करे इसके बाद आपने अपनी चादर में थूका और उसको मल कर फ़रमाया, या इस तरह करे। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस से ये मसअला भी ज़ाहिर होता है कि मस्जिद में अगर किसी ने थूक वग़ैरा लगा दिया हो तो उसे फ़ौरन साफ़ कर दिया जाए चूँकि ऐसा करना अच्छे कामों से है।

(9) प्याज़ और लहसुन खाकर मस्जिद में जाने की मुमानिअ़त:- कच्चा प्याज़ और लहसुन खाकर मस्जिद में आना मना है। ऐसे ही कोई बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिये इसी तरह हुक़्क़ा, सिगरेट वग़ैरा पी कर बग़ैर मुँह साफ़ किये मस्जिद में आना अच्छा नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुआविया बिन क़ुर्रह अपने बाप से

रिवायत करते हैं कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन दोनों पेड़ों के खाने से मना किया है यानी लहसुन और प्याज़। और फ़रमाया जो शख़्स इन दोनों को खाए हमारी मस्जिद के क़रीब न आए और फ़रमाया अगर तुमने ज़रूरी तौर पर इनको खाना है तो पकाकर खाओ।

(अबू दाऊद शरीफ़)

कच्चे लहसुन और प्याज़ की चूँकि बू होती है जो मस्जिद में आने वाले रहमत के फ़रिश्तों के लिये नापसन्द होती है इसलिये इसे खाकर मस्जिद में आने से रोका गया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख़्स इस बदबूदार पेड़ से खाए वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए क्योंकि फ़रिश्ते तकलीफ़ पाते हैं उस चीज़ से जिससे तकलीफ़ ईज़ा पाते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

प्याज़ और लहसुन जब किसी सालन के साथ पक जाता है तो उसकी बू ख़त्म हो जाती है लिहाज़ा ऐसा सालन जिसमें प्याज़ और लहसुन पड़ा हो और उसकी बू ज़ाहिर न हो तो खाकर मस्जिद में आने में कोई हरज नहीं।

(10) मस्जिद में हलक़े बनाना यानी गिरोहबंदी की मुमानिअ़त:- मसाजिद में गिरोहबंदी करने की इजाज़त नहीं क्योंकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गिरोहबंदी लड़ाई झगड़े का सबब बनती है इसलिये इससे बचना चाहिये। मस्जिद में झगड़ा बुरी बात है क्योंकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपस में इख़्तिलाफ़ न करो तुमसे पहले लोग आपसी इख़्तिलाफ़ की वजह से हलाक हुए। यही वजह है कि मस्जिद में हलक़ाबंदी करके बैठना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़मर बिन शुऐ़ब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में शेअ़र पढ़ने, ख़रीदो फ़रोख़्त करने और जुमा के दिन मस्जिद में नमाज़ से पहले हलक़ा बाँध कर बैठने से मना फ़रमाया है।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(11) शेअ़र कहने की मुमानिअ़त:- मस्जिद में दुनियावी क़िस्म के शेअ़र पढ़ना जिसमें महबूब मजाज़ी (आ़शिक़-माशूक़) के

हुस्न व जमाल का ज़िक्र हो, सख़्त मना है। ऐसे ही मस्जिद में गाना वग़ैरा बिल्कुल न गाया जाए, गाना तो वैसे ही ख़िलाफ़े इस्लाम है तो फिर इसे मस्जिद में गाने से ज़्यादा गुनाह होगा। लिहाज़ा रेडियो, टीवी मस्जिद में रखना आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता मस्जिद में ह़म्दो सना और नात ख़्वानी की इजाज़त है क्योंकि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ होती है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत ह़कीम बिन ह़िज़ाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि, मस्जिद में क़िसास (क़त्ल का बदला) लिया जाए और ये कि उसमें अशआ़र पढ़े जाएं और ये कि उसमें ह़दें (दण्ड) जारी की जाएं। (अबू दाऊद शरीफ़)

(12) मस्जिद में ग़ुस्ल और वुज़ू की मुमानिअ़त:- मस्जिद में ग़ुस्ल या वुज़ू करना दुरुस्त नहीं मस्जिद के साथ जो जगह वुज़ू या ग़ुस्ल के लिये बनाई गई हो वहाँ वुज़ू करना चाहिये। हज़रत इमामे आ़ज़म के नज़दीक मस्जिद के सह़न या मस्जिद के अन्दर किसी जगह पर वुज़ू करना मकरूह है।

एक दफ़अ़ में ह़रम शरीफ़ में बैठा हुआ था कि एक काले रंग का बद्दू आया और उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी और वह ह़रम शरीफ़ के अन्दर ही तैख़ाने के एक दरवाज़े के क़रीब वुज़ू करने लग गया, ये जहालत का नतीजा है कि लोग मसाइल नहीं सीखते और वह काम मस्जिद में कर लेते हैं जिसका करना जाइज़ नहीं।

(13) मस्जिद में खाना और सोना:- मस्जिद में खाने पीने से परहेज़ करना चाहिये क्योंकि मस्जिद में खाने पीने से गन्द पड़ता है इसलिये बेहतर है कि मस्जिद में कोई चीज़ न खाई जाए बल्कि उलमा ह़ज़रात ने मस्जिद में खाने को मकरूहे तन्ज़ीही कहा है और बदबूदार चीज़ जैसे प्याज़ वग़ैरा का खाना तो मकरूहे तह़रीमी है, ऐसे ही मस्जिद में सोना भी अच्छा नहीं लेकिन बवक़्ते ज़रूरत सोने में कोई ह़रज नहीं। ह़ालते ऐतिकाफ़ में मस्जिद में सोने और खाने पीने की इजाज़त है। ऐसे ही अगर कोई मुसाफ़िर हो तो उसके लिये मस्जिद में सोना जाइज़ है। आम लोगों के लिये भी क़ैलूले के तौर पर दिन में दोपहर के वक़्त थोड़ा आराम करने में कोई ह़रज नहीं अलबत्ता हमेशा के लिये मस्जिद को ठिकाना बना लेना जाइज़ नहीं।

(14) नमाज़ के अ़लावा दूसरे वक़्त में मस्जिद को बंद करना:- चूँकि मस्जिद ख़ुदा का घर है इसलिये इसका खुला रहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जब नमाज़ का वक़्त न भी हो तो उस वक़्त भी मस्जिद को बंद रखना मकरूह है। अगर सामान के चले जाने का अन्देशा हो तो मकरूह नहीं। अगर ऐसा इन्तिज़ाम हो जिससे मस्जिद खुली रखने में कोई रुकावट न हो तो फिर मस्जिद को खुला रखना बहुत बेहतर है।

(15) मस्जिद में फ़ख़्र करने की मुमानिअ़त:- मसाजिद में फ़ख़्र करना मना है। फ़ख़्र करने से इन्सान की आख़ेरत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमया कि क़यामत की अ़लामतों में से एक अ़लामत ये भी है कि लोग मस्जिदों में फ़ख़्र की बातें करेंगे इसलिये फ़ख़्र करने से हमेशा बचना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि लोग मस्जिदों में फ़ख़्र करेंगे। (नसई शरीफ़)

(16) मस्जिद में अपने लिये जगह मुक़र्रर करना:- मस्जिदों में किसी जगह को अपने लिये मख़्सूस कर लेना और वहाँ दूसरों के बैठने से नागवारी महसूस करना मना है क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है उसमें जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिये। बअ़ज़ लोग कपड़ा रखकर दूसरों के लिये जगह रख लेते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं। ऐसे ही मस्जिद में जगह के मुतअ़ल्लिक़ झगड़ा नहीं करना चाहिये बल्कि जहाँ खाली जगह मिल जाए नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये, अगर कुछ हज़रात सफ़ में पहले से बैठे हों तो बाद में आकर उनमें घुसकर न बैठें क्योंकि ऐसा करने से जगह तंग हो जाएगी और न किसी नमाज़ी के आगे से गुज़रें।

(17) मस्जिद को रास्ता बना लेना दुरुस्त नहीं:- बग़ैर किसी ग़र्ज़ के मस्जिद को रास्ता बना लेना मकरूह तहरीमी (हराम के बराबर) है। अगर कोई ख़ास मजबूरी हो तो मस्जिद से गुज़रने में कोई हरज नहीं। हज़रत इमाम मालिक का क़ौल है कि मस्जिद के अन्दर से गुज़रना ज़्यादा न हो तो जाइज़ है। मगर मस्जिद को रास्ता बनाना यानी इसमें से होकर गुज़रना जाइज़ नहीं। अगर कोई रोज़ाना इसे आ़दत बना ले तो वह अच्छा मुसलमान और इन्सान नहीं। अगर कोई गुज़रने की नियत से मस्जिद में

चला गया फिर शर्मिंदा हुआ तो उसको चाहिये कि जिस दरवाज़े से वह निकलने का इरादा करके आया था इसके अ़लावा किसी और दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले अगर वुज़ू न हो तो जिस दरवाज़े से आया था उसी दरवाज़े से वापस जाए। (दुर्रे मुख़्तार)

(18) मस्जिद में सवाल करना:- मसाजिद में सवाल करना हराम है अलबत्ता अपनी मर्ज़ी से किसी हक़दार को ख़ैरात या सद्क़ा देना जाइज़ है मगर बअ़ज़ लोग पेशा ही बना लेते हैं कि मसाजिद में ख़ैरात के लिये माँगते हैं। ऐसा करना मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। अगर सवाल करना ही हो तो मस्जिद के दरवाज़े के बाहर खड़े होकर या बैठकर करें। क्योंकि अगर मस्जिद को भीक माँगने का अड्डा बना लेंगे तो इससे मस्जिद का मर्तबा पामाल होगा और इसमें जो इन्सान इबादत की ग़र्ज़ से आएगा उसकी इबादत में ख़लल पड़ेगा।

(19) मस्जिद में दीनी उ़लूम पढ़ना और पढ़ाना:- मस्जिद के अन्दर इल्म की तअ़लीम देना, क़ुरआन पाक पढ़ना या पढ़ाना जाइज़ है। ऐसे ही वअ़ज़ व नसीहत करना और शरई अह्कामात का जारी करना दुरुस्त है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना कि जो शख़्स मेरी इस मस्जिद में ख़ैर (दीन) सीखने या सिखाने के लिये आए वह उस मुजाहिद (धर्म योद्धा) की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है और जो इसके अ़लावा किसी और काम के लिये आए उसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जो ग़ैर के असबाब (सामान) की तरफ़ देखता है।

(मिश्कात शरीफ़)

अच्छाई सीखने या सिखाने के लिये नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद में आने का बहुत अज्र है बल्कि नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरह क़रार दिया है। इससे मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी अल्लाह तआ़ला के महबूब पैग़म्बर की मस्जिद है इसलिये इस मस्जिद में जाना अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा रखता है और इससे साबित हुआ कि हर मस्जिद में दीन सीखने और सिखाने का इन्तेज़ाम करना बहुत बेहतर है।

(20) मस्जिद में बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करना:- मस्जिद में बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करना जिससे दूसरे नमाज़ी परेशान हों या सोने वालों की नींद उचाट हो जाए अच्छा नहीं। आम हालात में जब कि किसी दूसरे की इबादत में खलल न पड़ता हो तो ऊँची आवाज़ से ज़िक्र करना जाइज़ है। बल्कि बअ़ज़ वक़्त बुलन्द आवाज़ से इबादत करना अफ़ज़ल है जिससे ज़िक्र वालों का दिल बेदार हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक पेशाब और गन्दगी मसाजिद के मुनासिब नहीं मसाजिद तो अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और क़िराअते कुरआन के लिये हैं या जैसा कि आपने फ़रमाया।

(मुस्लिम शरीफ़)

(21) मस्जिदों के दरजे व मर्तबे:- बअ़ज़ मसाजिद को आम मसाजिद पर सवाब के लिहाज़ से अहमियत हासिल है और इन मसाजिद में नमाज़ अदा करने का सवाब आम मसाजिद से ज़्यादा सवाब है। सवाब के लिहाज़ से अव्वल नम्बर ख़ान-ए-कअ़बा यानी मस्जिदे हराम, फिर मस्जिदे नबवी, फिर मस्जिदे अक़सा, फिर मस्जिदे क़ुबा, फिर मस्जिदे इशा, फिर जामअ़ मस्जिद, फिर मुहल्ले की मस्जिद, इसके बाद आम रास्ते की मस्जिद जहाँ मुअज़्ज़िन और इमाम न हो और इन मसाजिद में हदीस के मुताबिक़ नमाज़ की जमाअ़त अदा करने का सवाब हस्बे ज़ैल मिलता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आदमी की नमाज़ घर में एक नमाज़ है और उसकी मस्जिद में जिसमें जुमा होता है पाँच सौ नमाज़ के बराबर है। और उसकी नमाज़ मस्जिदे अक़सा में पचास हज़ार नमाज़ों के बराबर है और उसकी नमाज़ मेरी मस्जिद में पचास हज़ार नमाज़ों के बराबर है और उसकी नमाज़ मस्जिदे हराम में एक लाख नमाज़ों के बराबर है। (इब्ने माजा)

मस्जिद वह है जो एक या चन्द आदमी अपनी कोई निजी ज़मीन या मकान मस्जिद के नाम से अपनी मिल्कियत से जुदा कर दें और उसका रास्ता आम रास्ते की तरफ़ खोलकर मुसलमानों को उसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। जब एक मर्तबा वहाँ अज़ान और जमाअ़त के साथ नमाज़

पढ़ ली जाए तो ये जगह मस्जिद हो जाए। अगर ज़मीन कई लोगों की हो तो किसी एक के वक़्फ़ करने और मस्जिद बना देने से ये जगह मस्जिद न होगी। जब तक तमाम शरीक बालिग़ होने के बाद अपनी रज़ामन्दी व ख़ुशी से मस्जिद बनाने की इजाज़त न दें।

(22) तीन मस्जिदों की तरफ़ सफ़र करने का हुक्मः- तीन मस्जिदों की तरफ़ सफ़र करना बहुत उ़मदा है क्योंकि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर सफ़र करना हो तो तीन मस्जिदों की तरफ़ करना चाहिये वह तीन मस्जिदें, मस्जिद ह़राम, मस्जिद अक़्सा और मस्जिद नबवी।

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कजावे न बाँधे जाएं मगर तीन मस्जिदों की तरफ़ मस्जिदे ह़राम और मस्जिदे अक़्सा और मेरी ये मस्जिद। (सह़ी बुख़ारी)

(23) मस्जिद तअ़मीर करना जन्नत में घर बनाना हैः- जो शख़्स रज़ाए इलाही के लिये मस्जिद तअ़मीर करता है अल्लाह तआ़ला उसका घर जन्नत में बना देता है यानी रज़ाए इलाही की ख़ातिर मस्जिद बनाना जन्नत में घर बनाने की तरह है इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ह़दीस ये हैः

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत उ़समान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अल्लाह के लिये मस्जिद बनाए अल्लाह तआ़ला उसका घर जन्नत में बनाता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

(24) मुह़ल्लों में मसाजिद तअ़मीर करनाः- ज़मीन में जहाँ भी मुसलमान आबाद हों उन्हें चाहिये कि वहाँ इ़बादते इलाही के लिये मस्जिद तअ़मीर करें। यही वजह है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपने मुह़ल्लों में मसाजिद तअ़मीर करो और उन्हें पाकीज़ा रखो।

ह़दीस शरीफ़ः हज़रत आ़यशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुह़ल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया,

उन्हें पाक रखा जाए और उनमें ख़ुशबू लगाई जाए।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

(25) सात जगहें मस्जिद नहीं:- आ़मतौर से जहाँ बा क़ायदा नमाज़ पढ़ी जाती है वह जगह मस्जिद का दर्जा रखती है लिहाज़ा उस जगह का पाकीज़ा होना और उ़मदा होना ज़रूरी है। इस मुनासिबत से नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। उनमें पहली जगह नापाकी वाली जगह है। दूसरी जगह जानवरों को ज़िबह़ करने की जगह है चूँकि ये जगह भी गन्दगी से भरपूर होती है। इसलिये इसमें नमाज़ पढ़ना मना है। तीसरी जगह क़ब्रिस्तान है। चौथी जगह गुज़र गाह (रास्ता) है। पाँचवीं जगह ह़माम (स्नान घर) है। छटी जगह ऊँटों के बाँधने की जगह है। सातवीं जगह बैतुल्लाह की छत है। इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ह़दीस ये है:-

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। नापाक जगह पर, जानवरों के ज़िबह़ होने की जगह पर और क़ब्रों पर और चौराहों में और ह़माम (गुस्लख़ाना) में और ऊँटों के बँधने की जगह में और बैतुल्लाह की छत के ऊपर।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा शरीफ़)

(26) घरों में नमाज़ पढ़ने का अदब:- यूँ तो मसाजिद में बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है अलबत्ता अगर कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रह जाए या सुन्नत और नवाफ़िल पढ़ने हों तो उसे चाहिये कि घर में पढ़ ले। और ख़ास कर औ़रतों को तो चाहिये कि वह घर में नमाज़ पढ़ें घर मे नमाज़ पढ़ने के मुतअ़ल्लिक़' नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद ह़स्ब ज़ैल है:

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत इब्ने उ़मर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने घरों में भी नमांज़ पढ़ा करो। और उनको क़ब्रें न बनाओ। (सह़ी बुख़ारी)

अपने घर में कोई ख़ास जगह नमाज़ के लिये बना ली जाए उसको पाक साफ़ रखा जाए ऐसी जगह पर औ़रतें नमाज़ पढ़ने के अ़लावा

ऐतिकाफ़ कर सकती हैं। और मर्द (मुअक्किदा व ग़ैर मुअक्किदा) सुन्नतें और नफ़िलें पढ़ सकते हैं।

ये थे चन्द वह आदाब जिन्हें मसाजिद के सिलसिले में मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिये और इन पर अ़मल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिये। अल्लाह तआ़ला हम सब को इन आदाब पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। आमीन।

आदाबे जुमा

जुमे का दिन बड़ा अफ़ज़ल (महान) और बा बरकत है अल्लाह तआ़ला ने इस दिन में कुछ ख़ूबियाँ ऐसी जमा कर दी हैं जो आ़म दिनों में नहीं और इन्हीं ख़ूबियों के जमा होने की वजह से इसे जुमा कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिये इबादत का दिन है और मुसलमानों के आपस में जमा होने का दिन है इस दिन नमाज़ जुमा का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन (हर एक पर) है। नमाज़ जुमा की फ़रज़ियत का इन्कार करने वाला इस्लाम के दायरे से ख़ारिज है नमाज़ जुमा दर अस्ल नमाज़े जुहर के क़ाइम मक़ाम है। जो शख़्स बग़ैर किसी शरई उ़ज्र के महज़ सुस्ती और ला परवाही की बिना पर नमाज़े जुमा अदा न करे वह गुनहगार है। क़ुरआन मजीद में इस नमाज़ के पढ़ने की सख़्ती से ताकीद फ़रमाई गई है।

तर्जमा क़ुरआन शरीफ़: ऐ ईमान वालों! जब जुमा के दिन अज़ान दी जाए (तुमको पुकारा जाए) तो नमाज़ की तरफ़ जल्दी चलो और ख़रीद व फ़रोख़्त को बन्द कर दो। ये तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो।

यानी ऐ ईमान वालो! ऐ वो लोगों जिन्होने अल्लाह के एक होने का इक़रार किया और उसके वाहिद यकता होने की तसदीक़ (पुष्टि) की। जब जुमा के दिन अज़ान के ज़रिये तुम को नमाज़ के लिये बुलाया जाए तो नमाज़ जुमा के लिये जल्द चलो और अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त बंद कर दो अगर तुम सच जानते हो तो कमाई और तिजारत से नमाज़ तुम्हारे लिये बेहतर है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमे के रोज़ ग़ुस्ल फ़रमाते कपड़े तब्दील फ़रमाते जिस्म के ज़ाइद बालों की काट-छाँट करते, नाख़ुन तराशते, ख़ुशबू लगाते, यानी हर लिहाज़ से अपने जिस्मे पाक को दुरुस्त फ़रमाते और नमाज़े जुमा का इन्तेज़ाम फ़रमाते। आपकी पैरवी में जुमे के रोज़ ग़ुस्ल करना, नाख़ुन तराशना, ख़ुशबू लगाना, और घर से वुज़ू करके मस्जिद में जाना सुन्नत है। जुमे के रोज़ हस्ब ज़ैल बातों का सर अन्जाम देना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

(1) नमाज़े जुमा की तैयारी:- नमाज़े जुमा के लिये वक़्त से पहले तैयारी करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है लिहाज़ा नमाज़े जुमा से पहले अपने लिबास को पाकीज़ा कर लें,

अगर धोने वाला हो तो दिन के पहले वक़्त में धो लें, सफ़ेद लिबास पहनें। हजामत बनवाने वाली हो तो वह बनवाएं, नाख़ुन तराशें, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, ख़ुशबू लगाएं, तेल लगाएं, मुख़्तसर यह कि पाकीज़गी के लिये हर वह काम करना चाहिये जो नमाज़ में शामिल होने के लिये सुन्नत और ज़रूरी है इसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की हदीस ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं ग़ुस्ल करता कोई शख़्स जुमे के दिन और ग़ुस्ल करके ह़स्बे ताक़त पाकीज़गी हासिल करता है और अपने पास मौजूद तेल में से तेल लगाता है या अपने पास मौजूद ख़ुश्बू से ख़ुश्बूदार होता है फिर नमाज़ के लिये निकलता है और दो नमाज़ियों के दरमियन घुसने की कोशिश नहीं करता, फिर फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता है, और दौराने ख़ुत्बा ख़ामोश रहता है तो इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुखारी शरीफ़)

(2) सुन्नते ग़ुस्ल:- जुमे के दिन ग़ुस्ल करना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमे के दिन ग़ुस्ल ज़रूर फ़रमाते इसलिये हर शख़्स को चाहिये कि जुमे के दिन ग़ुस्ल करें क्योंकि अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने के लिये अपने जिस्म को मैल कुचैल से पाक साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अल्लाह पाकीज़ा है और वह चाहता है कि जब उसके बंदे उसके हुज़ूर में आएं तो वह भी पाक साफ़ हों। दर अस्ल ज़ाहिरी पाकीज़गी बातिनी (रूहानी) पाकीज़गी का ज़रिया बनती है लिहाज़ा जब इन्सान जुमे के रोज़ ग़ुस्ल करे तो दिल में ये नियत करे कि ऐ अल्लाह! जिस तरह मैं अपने जिस्म पर पानी बहाकर गन्दगी को साफ़ करने लगा हूँ वैसे ही तू मेरे दिल से आलूदगियों (गन्दगी) को दूर कर दे और मेरा बातिन (रूह) नूर से सैराब कर दे। एक सूफ़ी का क़ौल है कि जो शख़्स हर जुमे को गुस्ल करता है और कभी नाग़ा न करे उसका दिल हमेशा पाकीज़ा रहेगा।

हदीस शरीफ़: हज़रत उ़बैद बिन सब्बाक़ मुरसलन रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी जुमे के ख़ुत्बे में फ़रमाया ऐ मुसलमानों! अल्लाह तआ़ला ने इस जुमे के दिन को ईद मुक़र्रर किया है। इस दिन ग़ुस्ल करो और अगर किसी के पास ख़ुश्बू हो तो उसके लगाने में कोई हरज नहीं लेकिन तुम पर मिसवाक करना

लाज़िम है। (मिश्कात शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत बराअ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमानों के लिये ज़रूरी है कि वह जुमे के दिन ग़ुस्ल करें और ख़ुशबू लगाऐं और अपने पास न हो तो किसी से माँग लें, अगर ख़ुशबू न मिले तो उसके लिये पानी ही ख़ुशबू की तरह है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(3) आदाबे जुमा की ख़ुशख़बरी:- जुमे का तीसरा अदब ये है कि जुमा पढ़ने की नियत बिल्कुल दुरुस्त हो यानी जब जुमा पढ़ने जाए तो सिर्फ़ अल्लाह की ख़ातिर जाए दिल में सिर्फ़ रज़ाए इलाही पेशे नज़र हो और कोई मक़सद सामने न रखे क्योंकि अ़मल का अस्ल दारोमदार ख़ालिस नियत पर ही है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, नमाज़ जुमा में तीन क़िस्म के लोग आते हैं, एक तो वह जो बेकार कामों के लिये आया है तो उसको उसके मुताबिक़ हिस्सा मिलेगा और एक वह जो दुआ़ के लिये आया उसने अल्लाह से दुआ़ की तो अल्लाह तआ़ला अगर चाहेगा तो उसे देगा। वरना नहीं। और एक वह शख़्स जो जुमे की नमाज़ के लिये आता है और ख़ामोशी से बैठ जाता है न तो किसी की गर्दन फलाँगता है और किसी को तकलीफ़ नहीं देता है। तो ये अ़मल उसके लिये आइन्दा जुमे तक के लिये ही नहीं बल्कि और तीन दिन तक के लिये कफ़्फ़ारा है। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि जो एक नेकी करे उसके लिये दस गुना अज्र है। (अबू दाऊद शरीफ़)

इस हदीस में ये बताया गया है कि नियत के ऐतिबार से जुमा पढ़ने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वह लोग हैं जिनके नज़दीक जुमा बेकार सा अ़मल है उनके हिस्से में जुमे के सवाब से ये बेकार अ़मल ही है। जुमे में आने वाले दूसरे वह लोग हैं जिनके पेशे नज़र अपनी दुआ़ को मक़बूल बनाना है। इन दोनों के अ़लावा तीसरे वह लोग हैं जो जुमे को रज़ाए इलाही का ज़रिया समझकर आते हैं और नेक दिल से नमाज़ जुमा अदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिये अल्लाह के यहाँ जुमा पढ़ने का अज्र दस गुना है और यही वह लोग हैं जो जुमे को सही अदब के साथ अदा करते हैं।

(4) किसी को उसकी जगह से उठाने की मुमानिअ़त:- अपने

बैठने के लिये किसी को उसकी जगह से उठाना इस्लामी ज़ाबत-ए अख़्लाक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे शख़्स को बिल्कुल पसन्द नहीं फ़रमाया जो बाद में आए और किसी शख़्स को उठाकर उसकी जगह पर ख़ुद बैठ जाए। क्योंकि ऐसा करनेसे दूसरे मुसलमान भाई की एक तौ हक़ तलफ़ी होती है और दूसरे तौहीन इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि मैंने इब्ने उ़मर को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस बात से मना फ़रमाते थे कि कोई शख़्स किसी को उठाकर उसकी जगह बैठे। जनाब नाफ़ेअ़ से सवाल किया गया कि सिर्फ़ जुमे के लिये है तो उन्होंने कहा कि नमाज़ जुमा में भी और इसके अ़लावा भी।

(मुस्लिम शरीफ़)

(5) गर्दनें फलाँगने की मुमानिअ़त:- पाँचवाँ अदब ये है कि अगर कोई जुमा पढ़ने के लिये देर से आए तो उसके लिये ज़रूरी है कि जहाँ उसे जगह मिले बैठ जाए और जो लोग पहले बैठे हुए हों उनके ऊपर से फाँद कर आगे जाने की कोशिश न करे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने गर्दन फलाँगने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुआ़ज़ बिन अनस जुहनी से रिवायत है, वह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुमे के दिन जो शख़्स लोगों की गर्दनों को फलाँगता है वह जहन्नम की तरफ़ पुल बनाएगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

बअ़ज़ लोगों की ये आ़दत होती है कि बाद में आकर सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ़ में आकर बैठने की कोशिश करते हैं और इस तरह दूसरों को बेचैन करते हैं तो ऐसा करने वालों को चाहिये कि अगर वह पहली सफ़ में जगह के उम्मीदवार हों तो वह पहले आ जाएं।

नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी को ऐसा करते हुए देखा तो नमाज़ के बाद उससे पूछा कि तुमने जुमे की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! मैं तो आपके बिल्कुल पास ही था तो नबी-ए पाक ने फ़रमाया कि मैंने तो यही देखा है कि तुम लोगों की गर्दनें फलाँग रहे थे। गोया जो ऐसा करता है वह

उस शख़्स की तरह है जिसने नमाज़ न पढ़ी हो। (कीमियाए सआ़दत)

(6) नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मुमानिअ़त:- नमाज़े जुमा का छटा अदब ये है कि उस शख़्स के आगे से न गुज़रा जाए जो नमाज़ पढ़ रहा हो. क्योंकि नमाज़ी के आगे से गुज़रना सख़्त गुनाह है। अकसर देखने में आता है कि जिन मसाजिद में जुमे का मजमअ़ बड़ा होता है वहाँ नमाज़े जुमा की दो रकअ़त पढ़ने के बाद जब लोग सुन्नत और नवाफ़िल पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते हैं तो कुछ लोग नमाज़ियों के आगे से गुज़रकर फ़ौरन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिये बल्कि कुछ देर इन्तिज़ार कर लेना चाहिये। जब दूसरे लोग फ़ारिग़ हो जाएं तो फिर गुज़रना चाहिये।

नेक और परहेज़गार हज़रात का यही शेवा है कि वह किसी नमाज़ी के आगे से बिल्कुल नहीं गुज़रते बल्कि वह किसी दीवार या सुतून की आड़ में बैठते हैं ताकि दूसरा भी उनके आगे से न गुज़रे और नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ़ न हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तुम में से किसी को ये मालूम हो जाए कि नमाज़ी भाई के आगे से गुज़रने में किस क़दर गुनाह है और नमाज़ पर किस तरह असर अन्दाज़ होता है तो वह एक क़दम उठाने से सौ साल खड़ा रहने को बेहतर शुमार करे।

(इब्ने माजा शरीफ़)

(7) मस्जिद में जल्दी जाना:- नमाज़े जुमा के लिये मस्जिद में अव्वल वक़्त में जाना बड़ा अफ़ज़ल है, अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा दर्जा है। क्योंकि जो शख़्स नेकी की तरफ़ ज़्यादा माइल होता है तो अल्लाह उस पर बहुत मेहरबान होता है बुज़ुर्गाने दीन का इस सिलसिले में ये तर्ज़े अ़मल था कि वह मस्जिद में जुमे के रोज़ अव्वल वक़्त में जाते थे। तहियतुल मस्जिद और फिर दो रकअ़त नफ़िल तहियतुल वुज़ू अदा करते, इसके बाद ख़ामोशी से ज़िक्र व तस्बीह में मशग़ूल होते। अज़ान होने पर सुन्नतें अदा करते, फिर ग़ौर से ख़ुत्बा सुनते इसके बाद नमाज़ जुमा अदा करते। अगर ऐसा न कर सकें तो बेहतर ये है कि घर बार के काम काज से फ़ारिग़ होकर पहली अज़ान पर मस्जिद में पहुँच जाएं। बहर कैफ़ पहली फ़ुरसत में नमाज़ जुमा के लिये जाने का बहुत सवाब है। इसके बारे में रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:-

हदीस शरीफ़:- हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं तो वह मस्जिद में पहले आने वालों की फ़ेहरिस्त (सूची) तैयार करते हैं और मस्जिद में पहले आने वाले की मिसाल ऐसी है जैसा कि कोई क़ुरबानी के लिये ऊँट रवाना करता है इसके बाद में आने वाले की मिसाल क़ुरबानी के लिये गाय भेजने वाले की है। और जो इसके बाद आता है उसकी मिसाल दुंबे की क़ुरबानी करने वाले की है। और इसके बाद में आने वाले की मिसाल मुर्ग़ी और फिर अण्डा सद्क़ा करने वाले की है और जब इमाम ख़ुत्बे के लिये आता है तो फ़रिश्ते अपना दफ़तर लपेट लेते हैं और ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल होते हैं। (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में पहले जाने का बहुत अज्र है लिहाज़ा मोमिन पर लाज़िम है कि जैसे ही जुमे के दिन मस्जिद की अज़ान सुने तो पहली अज़ान पर अपने तमाम कारोबार हर तरह की मसरूफ़ियतों से अलग होकर मस्जिद को चल दे।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने इहयाउल उ़लूम में लिखा है कि बअ़ज़ बुज़ुर्ग ज़्यादा एहतिमाम की ग़र्ज़ से जुमेरात को ही मस्जिद में जाकर ठहरते थे। दौरे अव्वल में सुबह के वक़्त और नमाज़ फ़ज्र के बाद सड़कें और गलियाँ भरी हुई नज़र आती थीं क्योंकि नमाज़ी बहुत सवेरे मस्जिद जामेअ़ का रुख़ करते थे और जुमे के दिन भी ईद के दिन की तरह ग़ैर मामूली अज़्दहाम होता था। फिर जब ये तरीक़ा जाता रहा तो नेक हज़रात ने ये कहना शुरु किया कि ये पहली बिदअ़त है जो इस्लाम में पैदा हुई है। इसके बाद इमाम साहिब फ़रमाते हैं कि मुसलमानों को इस बात पर क्यों शर्म नहीं आती कि ईसाई व यहूदी अपनी इबादत के दिन अपने इबादतख़ानों में कैसे सवेरे जाते हैं और दुनिया के तलबगार कितने सवेरे ख़रीदो फ़रोख़्त केलिये बाज़ारों में पहुँच जाने के आ़दी हैं। पस हक़ के तलबगारों को अव्वलियत से काम लेना चाहिये।

शेख़ अ़ब्दुल हक़ लिखते हैं कि मस्जिदे नब्वी में बअ़ज़ लोगों ने ये आ़दत इख़्तियार की है कि सवेरे आकर मुसल्ला बिछा देते हैं और जगह रोक कर चले जाते हैं। बअ़ज़ उ़लमा ने इस पर ऐतराज़ किया, क्योंकि

मुसल्ला बिछा जाने की बजाए बैठकर ज़िक्रो फ़िक्र में मश्गूल रहें तो बेहतर है। यूँही पहले से जगह रोक लेना मुनासिब नहीं।

(8) पैदल जाकर नमाज़ जुमा पढ़ने का सवाब:- आठवाँ अदब और सुन्नत ये है कि नमाज़ जुमा के लिये पैदल जाना ज़्यादा बेहतर है लेकिन अगर मस्जिद ज़्यादा दूर हो तो सवारी पे जाने में कोई हरज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़े जुमा के लिये पैदल जाने को तरजीह दी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जुमे के दिन दूसरों को ग़ुस्ल की तालीम दे कि ख़ुद भी ग़ुस्ल करे ख़ुत्बा व नमाज़ से पहले मस्जिद में हाज़िर हो। सवारी पर नहीं बल्कि पैदल मस्जिद में जाए और इमाम के क़रीब बैठकर ख़ुत्बा सुने और कोई बेकार काम न करे तो उसे एक साल के रोज़े रखने और क़याम करने का सवाब मिलेगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

इस हदीस में ये बताया गया है कि जुमे के रोज़ नहाना, ख़ुत्बा और नमाज़ खड़ी होने से पहले मस्जिद में पैदल जाना और इमाम के क़रीब बैठकर ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना और कोई फ़ुज़ूल बात न करना ऐसे आमाल हैं जो नमाज़ जुमा के सवाब में इज़ाफ़े का सबब बनते हैं।

(9) ख़ुत्बे के वक़्त ख़ामोशी इख़्तियार करना:- जुमे की नवीं सुन्नत और अदब ये है कि जब ख़तीब (इमाम) मिम्बर पर आकर ख़ुत्बा शुरू कर दे तो अदब के साथ दो ज़ानू होकर बैठ जाएं और बिल्कुल ख़ामोशी इख़्तियार करें। अगर कोई दूसरा बात करे तो उसे ख़ामोश कराने के लिये इशारे से काम लें क्योंकि ख़ुत्बे के दौरान ख़ामोशी ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ख़ुत्बा जामेअ़ (अहम) और मुख़्तसर हुआ करता था। आप ख़ुत्बे में क़ुरआने पाक की आयत पढ़ते और अल्लाह की तारीफ़ बयान करते और सहाब-ए किराम को नेक अ़मल की तालीम देते इसलिये जुमे का ख़ुत्बा मुख़्तसर और जामेअ़ (नसीहत से भरपूर) होना चाहिये। ख़ुत्बे के दौरान जिन बातों का लिहाज़ रखना चाहिये उनके मुतअ़ल्लिक़ चन्द अहादीस मुन्दर्जा ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि, जो ग़ुस्ल करके नमाज़ जुमा के लिये हाज़िर हो और जितनी नमाज़ (नफ़िल और सुन्नतें) उसके लिये मुक़र्रर हुई अदा कीं, फिर दौराने ख़ुत्बा ख़ामोश रहा इमाम के साथ नमाज़ अदा की तो उसके इस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियानी अ़रसे के अ़लावा और तीन दिन के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (मुस्लिम शरीफ़)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस इरशाद से मालूम हुआ कि दौराने ख़ुत्बा ख़ामोश रहना सुन्नत है और इस ख़ामोशी का अज्र इतना ज़्यादा है कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक बल्कि इससे तीन दिन ज़ाइद तक के दरमियानी गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। एक और ह़दीस में यही बात यूँ बयान हुई है:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जिसने वुज़ू किया और अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमे के लिये आकर ख़ामोशी के साथ ख़ुत्बा सुना तो उसके गुनाह एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियानी दिनों के अ़लावा और तीन दिन के माफ़ कर दिये जाते हैं। और जिसने कंकरियों को भी हाथ लगाया उसने बेकार काम किया। (मुस्लिम शरीफ़)

जो शख़्स जानते हुए भी दौराने ख़ुत्बा ख़ामोश न रहे उसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यूँ मज़म्मत की है कि वह उस गधे की तरह है जिस पर किताबें लदी हुई हों और वह पढ़कर अ़मल न करता हो।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस शख़्स ने उस वक़्त गुफ़्तगू की जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो वह उस गधे की तरह है जिस पर किताबें लदी हों, और जो उसको ख़ामोश रहने के लिये कहे उसके लिये जुमे का अज्र व सवाब नहीं। (मुसनद इमाम अह़मद)

(10) नमाज़ जुमा के बाद ज़िक्र व तस्बीह़ का पढ़ना:- नमाज़ जुमा से फ़ारिग़ होकर अल्लाह की ह़म्दो सना और तस्बीह़ पढ़ें और ये भी आदाबे जुमा में से है क्योंकि ज़िक्र से नेकियों में बे पनाह इज़ाफ़ा होता है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली का क़ौल है कि नमाज़ से फ़ारिग़ होकर "सात मर्तबा अलह़म्दु, सात मर्तबा क़ुल हुवल्लाह, सात मर्तबा सूरए फ़लक़ और नास

पढ़े'' कि हदीस में आया है कि ये एक तअ़वीज़ है जो एक जुमे से अगले जुमे तक शैतान से पनाह का काम देता है और ये दुआ़ पढ़े:-

اَللّٰهُمَّ يَاغَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَكْفِنِیْ بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَ اَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ

"अल्लाहुम-म या ग़निय्यु या हमीदु या मुब्दिउ या रहीमु या वदूदु अकफ़िनी बि हलालि-क अ़न हरामि-क व अग़नी बि फ़द्लि-क अ़म्मन सवा-क" और कहा गया है कि जो शख़्स इस दुआ़ को हमेशा पढ़ता रहेगा वह किसी रोज़ ऐसी जगह पर पहुँच जाएगा जिसका उसे पहले से कुछ इल्म न होगा और लोगों से एकदम बे नियाज़ हो रहेगा और छः रकअ़त नमाज़ सुन्नत अदा करे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे। (कीमियाए सआ़दत)

गुनियतुत्तालिबीन में है कि जुमे के दिन ये ज़िक्र करो:-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

"ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हु-व हय्युल ला यमूतु बि यदिहिल ख़ैरु व हु-व अ़ला कुल्ले शैइन कदीर"

इसके बाद सौ बार سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ "सुब्हानल्लाहिल अ़ज़ीमि व बि हम्दिही" सौ बार لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ "ला इला-ह इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन" सौ मर्तबा ये दुरूद शरीफ़:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كُلِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ "अल्लाहुम-म सल्ले अ़ला कुल्लि मुहम्मदिन अ़ब्दि-क व रसूलिकन्नबिय्यिल उम्मिय्यि"

इसके बाद सौ मर्तबा: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَیَّ الْقَيُّوْمَ وَ اَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ

"अस्तग़फ़िरुल्लाहल हय्युल कय्यू-म व अस अलुहुत्तौब-त"

फ़िर सौ मर्तबा: مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ "माशा अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि"

रिवायत है कि बअ़ज़ सहाब-ए किराम रोज़ाना बारह हज़ार मर्तबा तस्बीह पढ़ा करते थे। एक रिवायत में आया है कि बअ़ज़ ताबेईन (वह हज़रात जिन्होंने सहाबी को देखा हो और ईमान पर दुनिया से गया हो। नईमी) रोज़ाना तीस हज़ार बार तस्बीह पढ़ते थे इनमें से हर एक अपनी

नमाज़ और अपनी तस्बीह से वाक़िफ़ थे यानी पाबन्द थे। तुम इस बात से डरो कि कहीं तुम महरूम रहने वालों में शामिल न हो जाओ अगर तुम अल्लाह को याद न करोगे तो अल्लाह तआ़ला की बारगाह में तुम्हारा ज़िक्र भी नहीं होगा। पहले मोमिन ख़ुदा को याद करता है फिर उसकी याद बारगाहे इलाही में होती है।

(11) जुमे के दिन की सुन्नत क़िराअतें:- शेख़ अबू नस्र ने सनद (दलील) के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह का क़ौल नक़्ल किया है कि जुमे के दिन सुबह की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम "सूरए अलिफ़ लाम मीम सजदा और सूरए हल अता" तिलावत फ़रमाया करते थे। एक रिवायत में मग़रिब की नमाज़ के सिलसिले में आया है कि आप "सूरए क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और क़ुल हुवल्लाहु अहद" पढ़ा करते थे। इशा की नमाज़ में "सूरए जुमा और सूरए मुनाफ़िक़ून" की क़िराअत फ़रमाते थे। रिवायत है कि जुमे की नमाज़ में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यही दो सूरतें पढ़ा करते थे।

हज़रत हसन बसरी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, जुमे की रात में जिसने सूरए यासीन और सूरए दुख़ान पढ़ी तो जब वह सुबह को उठता है तो उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होती है। (उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।) रिवायत है कि जिसने जुमे के दिन सूरए कहफ़ पढ़ी वह उस शख़्स के बराबर हो गया जिसने दस हज़ार दीनार ख़ैरात किये। जुमे की रात और दिन में चार रकअ़त नमाज़ इस तरह पढ़ना मुस्तहब (बेहतर) है कि चार रकअ़तों में ये चार सूरतें पढ़े "सूरए अनआ़म, सूरए कहफ़, सूरए ताहा, और सूरए मुल्क" अगर तमाम सूरतों को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता तो जितना अच्छी तरह पढ़ सकता है उतना ही पढ़े क्योंकि कहा गया है कि ख़त्मे क़ुरआन, क़ुरआन के इल्म के हिसाब से है यानी अगर किसी को क़ुरआन पूरा अच्छी तरह याद न हो तो जितना याद हो उसका उतना ही पढ़ना ख़त्म क़ुरआन होगा। अगर किसी को पूरा क़ुरआन याद है तो उसके लिये मुस्तहब (बेहतर) है कि जुमे के दिन पूरा क़ुरआन ख़त्म करे अगर दिन में मुकम्मल न हो सके तो रात में भी पढ़े और ख़त्म करे। अगर फ़ज्र या मग़रिब की दो रकअ़तों में आख़िरी हिस्से को ख़त्म किया जाए तो इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। अगर दस बीस रकअ़तों में हज़ार मर्तबा "क़ुल हुवल्लाहु अहद (सूरए इख़्लास)" पढ़ेगा

तो ये भी फ़ज़ीलत में ख़त्म क़ुरआन से ज़्यादा होगा।

(12) जुमे के लिये अलग लिबास बनवाकर रखना:- जुमे के आदाब में से एक एहतियात ये भी है कि जुमे के लिये एक अ़लैदह साफ़ सुथरा लिबास बनवाकर रख लिया जाए जो आ़म कारोबार के दिनों में इस्तेमाल न किया जाए बल्कि सिर्फ़ नमाज़े जुमा के लिये इस्तेमाल किया जाए इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ह़दीस ये है:-

ह़दीस शरीफ़: हजरत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से किसी एक के लिये क्या बुराई है कि दो कपड़े बनवाले, जुमे के दिन के लिये अपने कारोबार के कपड़ों के अ़लावा। (इब्ने माजा)

(13) जुमे के रोज़ दुरूद शरीफ़ पढ़ना:- जुमे के बा बरकत दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ज़रूरी है क्योंकि इस दिन दुरूद भेजने का सवाब बहुत है क्योंकि जुमे का दिन बहुत अफ़ज़ल है और इसी दिन हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन क़यामत आएगी, यानी जितने भी अल्लाह तआ़ला के अहम काम हैं उनके लिये जुमे का दिन ख़ास है। इसलिये इस रोज़ नमाज़े फ़ज्र के बाद जितना भी कोई शख़्स दुरूद पढ़ सके पढ़ना चाहिये।

औलियाए इज़ाम और सूफ़िया-ए किराम का आ़मतौर से मअ़मूल होता है कि वह रोज़ाना बाद नमाज़े फ़ज्र मुक़र्रर तादाद में दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं लेकिन जुमे के रोज़ ख़ासकर अल्लाह के बंदे दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं क्योंकि ये वह वज़ीफ़ा है जिसे अल्लाह ख़ुद भी करता है इसके बारे में रिवायत हस्बे ज़ैल है:-

ह़दीस शरीफ़: औस बिन औस से रिवायत है कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफ़ज़ल जुमे का दिन है। इसमें आदम पैदा किये गए,इसमें क़ब्ज़ (इन्तेक़ाल) किये गए, इसी में सूर फूँकना होगा और इसी में क़यामत है। इस दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद भेजो इसलिये कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाता है जबकि आपकी हड्डियाँ पुरानी हो चुकी होंगी। सहाब-ए

किराम अरिम त से मुराद बली त लेते थे। आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना ह़राम कर दिया है।

(अबू दाऊद, इब्नेमाजा)

हज़रत अ़ली से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि, जुमे के दिन मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजा करो क्योंकि इस रोज़ आ़माल का सवाब दोगुना कर दिया जाता है। और मेरे लिये अल्लाह से दरजए वसीला की दुआ़ माँगा करो। किसी ने दरयाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह ! ये दरजए वसीला क्या है? हुज़ूर ने फ़रमाया कि जन्नत में ये एक ऐसा मर्तबा है जो सिर्फ़ एक नबी को अ़ता होगा और मुझे यक़ीन है कि मैं ही वह नबी हूँ जिसे वह मक़ाम अ़ता होगा।

हज़रत अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन ह़बीब से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक ने फ़रमाया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िद्‌मत में खड़ा था कि आपने फ़रमाया: जो शख़्स हर जुमे को 80 बार मुझ पर दुरूद पढ़े तो अल्लाह तआ़ला उसके 80 बरस के गुनाह माफ़ कर देगा। ये सुनकर मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! हुज़ूर पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए? हुज़ूर ने फ़रमाया कि यूँ पढ़ो:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كُلِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

अल्लाहुम-म सल्ले अ़ला कुल्लि मुहम्मदिन अ़ब्दि-क व रसूलिकन्नबिय्यिल उम्मिय्यि'' और ऊँगलियों पर तादाद शुमार करो।

जुमे के रोज़ दुरूद शरीफ़ पढ़ने के बारे में एक रिवायत है जो हज़रत अबू उमामा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि: हर जुमे के रोज़ मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा से दुरूद पढ़ो। क्योंकि मेरी उम्मत का दुरूद हर जुमे के दिन मेरे सामने लाया जाता है। पस जो ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा वह क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा क़रीब होगा। (गुनियतुत्तालिबीन)

ऐसे ही बुज़ुर्गाने दीन का कहना है कि जुमे के रोज़ हज़ार मर्तबा दुरूद शरीफ़ पढ़ना बहुत अच्छा है लिहाज़ा गिनकर पढ़ना बेहतर है। इसी तरह हज़ार बार तस्बीह पढ़ना भी मुस्तह़ब है। तस्बीह के चार कलिमात ये हैं:–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

''सुब्हानल्लाहि वलह़म्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर''

आदाबे तिलावत

क़ुरआन मजीद एक अ़ज़ीम (महान) किताब है। जो अल्लाह तआ़ला ने अपने महबूब पैग़म्बर को अ़ता फ़रमाई है। ये सरापा हिदायत है लिहाज़ा इसकी तिलावत अफ़ज़ल इबादत से है। क़ुरआन मजीद की तिलावत पर एक-एक हर्फ़ के बदले में दस-दस नेकियाँ मिलती हैं और इससे बढ़कर इसका ये फ़ायदा भी है कि आख़िरत में क़ुरआन मजीद की तिलावत पढ़ने वाले के हक़ में शफ़ाअ़त करेगी।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ में भी क़ुरआन पाक पढ़ते और इसके अ़लावा आ़म वक़्तों में भी तिलावत फ़रमाते। आपने आहिस्ता आवाज़ से भी तिलावत फ़रमाई है और बुलन्द आवाज़ से भी तिलावत की है। आपकी आवाज़ बड़ी पुर कशिश थी। आपकी तिलावत इन्तिहाई इतमीनान और सुकून से होती थी। हर तरफ़ अपने मख़रज से निहायत उ़मदगी और दुरुस्तगी से अदा फ़रमाते।

यअ़ला बिन मुम्लिक ने एक मर्तबा हज़रत उम्मे सलमा से नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िराअत के बारे में दरयाफ़्त किया तो उन्होंने नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीक़े से क़ुरआन पाक को पढ़ा और हुरूफ़ को अलग-अलग वाज़ेह तरीक़े से अदा किया। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

हज़रत अबी क़तादह फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़ुरआन पाक की तिलावत किस तरह फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया मद्द से।

(जामेए़ तिर्मिज़ी)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िराअत के बारे में पूछा कि वह आहिस्ता तिलावत फ़रमाते थे या ऊँची आवाज़ से तो उन्होंने फ़रमाया कि दोनों तरह से यानी कभी कभी आहिस्ता आवाज़ से और कभी बुलन्द आवाज़ से पढ़ा करते थे। मैंने कहा कि हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह तआ़ला के लिये है जिसने दीन के मुआ़मलात में कुशादगी अ़ता फ़रमाई है। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

हज़रत उम्मे हानी से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को कु़रआन मजीद की तिलावत फ़रमाते तो मैं बिस्तर पर सुनती थी। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

हज़रत क़तादह से रिवायत है कि अल्लाह तआ़ला ने हर एक नबी को ख़ूबसूरत और ख़ुश आवाज़ भेजा और हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ह़सीन सूरत और ह़सीन आवाज़ वाले थे और ख़ूबसूरत अन्दाज़ में आवाज़ निकाला करते थे। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कमरे के अन्दर तिलावत फ़रमाते तो उनकी आवाज़ बाहर सेह़न में सुनी जाती थी। (जामेए़ तिर्मिज़ी)

इन तमाम अह़दीस से ज़ाहिर हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तिलावते कु़रआन बड़े सलीके़ से फ़रमाते, कभी आहिस्ता आवाज़ से और कभी बुलन्द आवाज़ से। मगर इतनी ज़्यादा बुलन्दी से न पढ़ते जिससे तबीअ़त पर गिराँ गुज़रता। आपके अलफ़ाज़ की अदायगी बड़ी साफ़ होती थी और सुनने वाला बख़ूबी समझ लेता था।

तुफ़ैल बिन अ़मर दोसी अपने क़बीले का सरदार और शायर था। एक रोज़ मक्का आया तो कु़रैश के कुछ लोग उसके पास गए और उसे ख़बरदार किया कि देखिये मुह़म्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हरगिज़ न जाइये और न उसका कलाम सुनिये क्योंकि उसके कलाम में बला का जादू है उन्हें सुनकर आदमी अपने हवास क़ाबू में नहीं रख पाता। लेकिन तुफ़ैल ने एक रोज़ जब ख़ान-ए-काबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़बाने पाक से कु़रआने पाक की तिलावत सुनी तो फ़ौरन ईमान लाने का ऐ़लान कर दिया। (बुख़ारी शरीफ़)

किताब व सुन्नत की रू से कु़रआने पाक की तिलावत के आदाब मुन्दर्जा ज़ैल हैं:-

(1) बा वुज़ू पढ़ना:- कु़रआन पाक की तिलावत बा वुज़ू होकर की जाए। लिबास भी साफ़ सुथरा और पाकीज़ा होना चाहिये। तिलावत करते वक़्त क़िब्ला रुख़ होकर पढ़ना मुस्तह़ब (बेहतर) है। तिलावत शुरु करते वक़्त अऊ़ज़ु पढ़ना वाजिब है और सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। तिलावत करते हुए अगर कोई बात चीत करनी पड़े तो

अऊ़ज़ु और बिस्मिल्लाह फिर पढ़ लेनी चाहिये।

(2) उ़म्दा आवाज़ से तिलावत करना:- तिलावत अच्छी आवाज़ से करनी चाहिये क्योंकि अच्छा अन्दाज़ और खुश कुन आवाज़ अल्लाह तआ़ला को पसन्द है और सुनने वालों पर असर अन्दाज़ होती है। अल्लाह तआ़ला अपने अंबिया को अपनी रह़मत से उ़म्दा आवाज़ अ़ता फ़रमाता है जो आ़म लोगों के पास नहीं होती और जब वह उस बेहतरीन आवाज़ से उसका कलाम पढ़ते हैं तो वह उन्हें देखकर बहुत खुश होता है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना, आपने फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला किसी चीज़ को इस क़द्र तवज्जोह से नहीं सुनता जिस तरह अच्छे आवाज़ वाले नबी की तरफ़ मुतवज्जेह होता है कि वह बा आवाज़ बुलन्द खुश आवाज़ी से क़ुरआन पढ़ता है। (सह़ी मुस्लिम शरीफ़)

क़ुरआन पाक को खुश आवाज़ से पढ़ने के बारे में नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इसकी ताकीद यूँ फ़रमाई है:-

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो क़ुरआन को खुश कुन आवाज़ से तिलावत न करे वह हम में से नहीं। (बुख़ारी शरीफ़)

हर शख़्स की आवाज़ में कुछ न कुछ क़ुदरती तौर पर सुरीला पन होता है मगर जब तक उस सुरीले पन को मश्क़ के ज़रिये से उजागर न किया जाए ख़ुश आवाज़ी ज़ाहिर नहीं होती इसलिये क़ुरआने पाक को खुश आवाज़ी से पढ़ने का मतलब ये है कि क़ुरआन पढ़ते हुए एक तो अच्छी सुरीली आवाज़ पैदा करने की कोशिश करें और दूसरे अल्फ़ाज़ की अदायगी में उन्हें तजवीद व तरतील (क़िरअत) के तरीक़े से अदा करें इसी बात की ताकीद ह़दीस में यूँ आई है:-

ह़दीस शरीफ़: बराअ बिन आ़ज़िब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपनी आवाज़ों के साथ क़ुरआन को ख़ूबसूरत करो। (अबू दाऊद, इब्ने माजा शरीफ़)

ख़ूबसूरत का मतलब ये है कि क़ुरआन करीम को अच्छी सुरीली आवाज़ और तजवीद के मुताबिक़ पढ़ो। क्योंकि इस तरह पढ़ने से सुरूर और

असर में इज़ाफ़ा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते खुद भी कुरआने पाक की तिलावत बड़े खुश कुन अन्दाज़ में किया करते थे।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इशा की नमाज़ में सूरए वत्तीन पढ़ते हुए सुना तो मैंने आपसे अच्छी आवाज़ वाला किसी को नहीं सुना। (सह़ी मुस्लिम शरीफ़)

(3) तिलावत उस वक़्त तक करो जब तक दिल चाहे:- कुरआन पाक की तिलावत तवज्जोह से करनी चाहिये और उस वक़्त तक करनी चाहिये जब तक कि इन्सान की तबीअ़त बरदाश्त करे। अगर मजबूरी या तबीअ़त के ना चाहने की सूरत में तिलावत की जाए तो तवज्जोह और खुलूस में कमी पैद हो जाती है। लिहाज़ा फ़रमाया गया है कि तिलावत उस वक़्त तक की जाए जब तक तबीअ़त तिलावत की तरफ़ माइल रहे।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरआन उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल चाहें। जिस वक़्त आपस में मुख़्तलिफ़ हों तो उससे खड़े हो जाओ। (सह़ी बुख़ारी)

हज़रत इब्ने मालिक का क़ौल है कि कुरआन करीम की तिलावत व क़िराअत में उस वक़्त तक मशग़ूल रहना चाहिये कि जब तक दिल लगे। जब दिल की तवज्जोह कम हो जाए और न लगे तो इस सूरत में कुरआन करीम की तिलावत ख़त्म कर दें। मगर उनका कहना है कि ये ह़दीस इस बात पर ज़ोर देती है कि इन्सान को चाहिये कि वह तिलावते कुरआन का आ़दी बने। और अपने नफ़्स को रियाज़त (रूह़ानी मेह़नत) में डाले ताकि ज़्यादा देर तक तिलावत करने से तबीअ़त में मलाल न हो बल्कि ज़्यादा खुशी और मसर्रत मह़सूस हो क्योंकि काहिल और खुशहाल दिल जो रियाज़त का आ़दी न हो जल्द मलाल में आ जाता है इसलिये अपने नफ़्स को अपनी सेह़त के मुताबिक़ तिलावते कुरआन का आ़दी बनाना चाहिये।

(4) कुरआन पाक पढ़कर भुलाने की सज़ा:- जो शख़्स कुरआन पढ़कर उसकी तिलावत न करे तो यक़ीनन वह कुछ अ़रसे के बाद

भूल जाएगा तो इस तरह भुलाना अल्लाह तआ़ला को बिल्कुल ना पसन्द है लिहाज़ा नबी ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि: जो शख़्स कुरआन पाक को पढ़कर भुला दे उसे क़यामत के रोज़ कटे हुए हाथ से मुलाक़ात करना पड़ेगी।

हदीस शरीफ़: सअ़द बिन उ़बादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई ऐसा शख़्स नहीं जो कुरआन को पढ़ता हो फिर उसको भूल जाए मगर वह क़यामत के दिन कटे हुए हाथ से मुलाक़ात करेगा। (अबू दाऊद, दारमी)

इस हदीस से मालूम हुआ कि कुरआन पाक न पढ़ने से कुरआन पाक भूल जाता है इसलिये इसे पढ़ते रहना ज़रूरी है। एक और ह़दीस में आपने इसी बात की यूँ ताकीद फ़रमाई:-

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने मसऊ़द से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बुरी चीज़ है वास्ते एक उनके ये कि कहे मैं फ़लां आयत भूल गया बल्कि कहे भुलाया गया। कुरआन को याद करते रहा करो क्योंकि लोगों के सीने से ऊँटों के मुक़ाबले जल्दी चला जाता है। (बुख़ारी शरीफ़)

मुराद ये है कि अगर ऊँटों को बाँधा न जाए तो वह इधर उधर चले जाएंगे, ऐसे ही अगर कुरआन मजीद को पढ़ा न जाए तो वह भूल जाएगा। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुरआन पाक की तिलावत की ताकीद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: कि तुम कुरआन पढ़ा करो। तुमको हर ह़र्फ़ के बदले दस नेकियाँ मिलेंगी सुन लो मैं नहीं कहता कि "अलिफ़ लाम मीम" एक ह़र्फ़ है बल्कि अलिफ़ की दस नेकियाँ, लाम की दस नेकियाँ और मीम की दस नेकियाँ, ये तीस नेकियाँ हुई। हुज़ूर ने ये भी इरशाद फ़रमाया कि: कुरआन को सात ह़र्फ़ों (क़िराअतों) पर नाज़िल किया गया है जिनमें से हर एक शिफ़ा अ़ता करने वाला है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस कुरआन से तअ़ल्लुक़ क़ायम रखो। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़-ए-कुदरत में मेरी जान है ये कुरआन रस्सी से निकलकर भाग जाने

वाली ऊँटनी से भी ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है (यानी भूल जाता है।)

(सही बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस में भी पहले वाली बात को दोहराया गया है कि अगर ऊँट का मालिक अपने ऊँट की तरफ़ से ग़फ़लत बरते तो ऊँट उसके क़ब्ज़े से निकल भागता है तो ऐसे ही अगर क़ुरआन पाक को दोहराया न जाए तो वह भी भूल जाएगा। इसी बात को हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने यूँ बयान किया है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाफ़िज़े क़ुरआन की मिसाल बंधी हुई ऊँटनी जैसी है अगर उसकी हिफ़ाज़त रखे तो बंधी रहेगी, और अगर खोल दे तो चली जाएगी।

(सही मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत उबइ बिन कअ़ब की नेकबख़्ती:- हज़रत उबइ बिन कअ़ब दौरे रिसालत में सबसे उ़मदा और बड़े क़ारी तसलीम किये जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन्हें एक मर्तबा तिलावत के लिये कहा तो उन्होंने अपनी आ़जिज़ी का इज़्हार किया मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान था इसलिये इस पर अ़मल करते हुए उन्होंने तिलावत फ़रमाई तो उनके लिये एक बड़ा मर्तबा था। इस वाक़िए से ये मसअला ज़ाहिर होता है कि साहिबे इ़ल्म के सामने और अपने से ज़्यादा अच्छी क़िराअत करने वाले के सामने तिलावत करना जाइज़ है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत उबइ बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया, रब करीम ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने तिलावते क़ुरआन करूँ। हज़रत उबइ ने दरयाफ़्त किया कि अल्लाह तआ़ला के सामने मेरा ज़िक्र हुआ है। नबी अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया 'हाँ' उस वक़्त ख़ुशी से जनाब उबइ रोने लगे और एक रिवायत में इस तरह रिवायत है रसूलुल्लाह ने हज़रत उबइ से फ़रमाया हुक्मे रब्बी ये है कि मैं तुम्हारे सामने सूरए ''लम यकुनिल्लज़ी न क फ़ रू '' की तिलावत करूँ। जनाब उबइ ने कहा क्या रब्बुलआ़लमीन ने मेरा नाम लिया है, आपने फ़रमाया हाँ तो जनाब उबइ बिन कअ़ब रोने लगे। (सही मुस्लिम)

(5) तीन रात से कम में क़ुरआन पाक ख़त्म करने की मुमानिअ़त:- क़ुरआन पाक को मुनासिब वक़्त पर पढ़ना चाहिये अगर बहुत जल्द पढ़ेंगे तो सही तरह से हर्फ़ व ज़बर, ज़ेर, पेश अदा नहीं कर सकेंगे इसलिये नबी-ए पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, तीन रात से कम में क़ुरआन पाक नहीं पढ़ना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने तीन रात से कम में क़ुरआन पढ़ा वह उसको समझा नहीं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

बअ़ज़ बुज़ुर्गाने दीन ने इस हदीसे पाक पर अ़मल करते हुए तीन दिन में क़ुरआने पाक ख़त्म करने का मअ़मूल बनाया और तीन दिन से पहले क़ुरआने पाक को ख़त्म न करते। तीन दिन से कम में क़ुरआने पाक ख़त्म करने से क़ुरआने पाक के मअ़ना समझ में नहीं आ सकते। अगर ज़ाहिरी तर्जमा समझ में आ भी जाए तो उसके राज़ व हिकमतों और हक़ीक़तों तक रसाई हासिल नहीं हो सकती क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिये तीन दिन तो बहुत कम हैं बल्कि लम्बी से लम्बी उ़म्र भी ना काफ़ी है। बअ़ज़ लोग साल में एक क़ुरआन पाक पढ़ते हैं और बअ़ज़ हर महीने में एक क़ुरआने पाक पढ़ लेते हैं मगर बअ़ज़ लोग इससे कम यानी सात दिन में एक क़ुरआने पाक ख़त्म कर लेते हैं। सहाब-ए किराम का यही मअ़मूल था कि वह सात दिन में क़ुरआने पाक ख़त्म करते। क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ुरआन सात दिन में ख़त्म करो। (मुस्लिम शरीफ़)

(6) गाकर क़ुरआन पढ़ने की मुमानिअ़त:- गाकर क़ुरआन पढ़ना दुरुस्त नहीं अलबत्ता अच्छी आवाज़ और क़िराअत के साथ क़ुरआने पाक को ख़ूबसूरत अन्दाज़ में पढ़ना बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ुरआन करीम को अ़रबों के लहजे और अन्दाज़ में पढ़ो। गवय्यों और एहले किताब यानी तौरात व इंजील के मानने वालों के अन्दाज़ में न पढ़ो और मेरी ज़ाहिरी ज़िन्दगी के बाद एक ऐसी क़ौम आएगी जो तिलावते क़ुरआन गवय्यों और नौहा ख़्वानों के अन्दाज़ में पढ़ेगी और उनका ये हाल होगा कि

क़ुरआन करीम उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा और उनके दिल फ़ित्ने में मुब्तला होंगे इसके अ़लावा जो लोग इनकी तिलावत को पसन्द करेंगे उनके दिल भी फ़ित्ने में डूबे होंगे। (बेहक़ी, शुअ़बुल ईमान)

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि क़ुरआने पाक की तअ़ज़ीम व इ़ज़्ज़त के पेशे नज़र इसको गवय्यों की तरह गाकर पढ़ना मकरूह है इसकी कराहत की वजह ये है कि गाकर पढ़ने से कलाम अपनी असली ह़ालत से जुदा हो जाता है यानी मद और हमज़ा ख़त्म हो जाते हैं। जिन ह़ुरूफ़ को लम्बा करके पढ़ना होता है गाने की तर्ज़ में वह मुख़्तसर (छोटे) हो जाते हैं और जिन्हें मुख़्तसर करना होता है वह बड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर ह़ुरूफ़ गडमड हो जाते हैं इसलिये गाने की तर्ज़ पर तिलावत करना बिल्कुल ख़िलाफ़े शरीअ़त है।

गाकर तिलावत करने की कराहत की एक वजह ये भी है कि क़ुरआने पाक पढ़ने का अस्ल मक़सद तो ये है कि उससे ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा हो। नसीह़त की बातें सुनकर सुनने वाले को नाफ़रमानी से डर लगे। क़ुरआनी दलाइल व वाक़ेआ़त, क़िस्से और मिसालें सुनकर सबक़ ह़ासिल हो। अल्लाह तआ़ला के उन वादों का जो क़ुरआन में किये गए हैं उम्मीदवार बने। ये तमाम फ़ायदे गाकर पढ़ने में ख़त्म हो जाते हैं।

(7) बुलन्द या पस्त आवाज़ से क़ुरआन पढ़ने की इजाज़त:- तिलावत ख़्वाह ऊँची आवाज़ से करो या पस्त आवाज़ से करो इसके मुतअ़ल्लिक़ नबी-ए पाक का इरशाद ये है।

ह़दीस शरीफ़: उ़क़बा बिन आ़मिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ुरआन को बुलन्द आवाज़ से पढ़ने वाला दिखाकर सद्क़ा करने वाले की तरह है। और क़ुरआन को आहिस्ता पढ़ने वाला छुपाकर सद्क़ा करने वाले की तरह है।

(तिर्मिज़ी अबू दाऊद)

जब बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन पढ़ा जाए तो तमाम ह़ाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है। जबकि वह मजमा बग़र्ज़ सुनने के ह़ाज़िर हो। वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचे और अपने काम में लगे हुए हों। मजमे में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ें ये ह़राम है अगर चन्द शख़्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें

बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में मशगूल हों बुलन्द आवाज़ से पढ़ना नाजाइज़ है। लोग न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले को होगा। अगर काम में मशगूल होने से पहले उसने पढ़ना शुरु कर दिया हो और वह जगह काम करने के लिये मुक़र्रर भी न हो तो फिर न सुनने वालों पर गुनाह होगा।

मदरसे में सबक़ याद करने के लिये एक ही वक़्त में कई तलबा बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं ये जाइज़ है। जहाँ कोई शख़्स इल्मे दीन पढ़ रहा है या तालिबे इल्म इल्मे दीन की तकरार करते हों या मुतालअ़ करते हों तो वहाँ भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ना मना है। क़ुरआन मजीद सुनना तिलावते क़ुरआन करने और नफ़िल पढ़ने से अफ़ज़ल है।

आहिस्ता आवाज़ से तिलावत उस शख़्स के लिये बेहतर है जो रियाकारी से बचना चाहता हो और बुलन्द आवाज़ से पढ़ना उस शख़्स के लिये बेहतर है जो रिया में मुब्तला होने का ख़ौफ़ न रखता हो बशर्ते कि उसकी बुलन्द आवाज़ी से नमाज़ियों और सोने वालों को बे आरामी न हो। अलबत्ता बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन पढ़ना ऐसे मक़ाम पर बहुत ही फ़ायदेमंद है जहाँ दूसरे लोग सिर्फ़ क़ुरआने पाक सुनने के लिये जमा हुए हों। बुलन्द आवाज़ से क़ुरआने पाक का पढ़ना दीन की निशानी और अल्लाह के कलाम का बरमला इज़्हार है। पढ़ने वाले के दिल में बेदारी पैदा होती है, उसका ध्यान किसी और तरफ़ नहीं जाता, उसके दिल की ग़फ़लत दूर होती है, नींद का असर कम होता है, और इस तरह दूसरों में इबादत का शौक़ पैदा होता है। बहर कैफ़ इन फ़ायदों के पेशे नज़र माहौल की मुनासिबत के लिहाज़ से ब आवाज़े बुलन्द तिलावत अफ़ज़ल है।

(8) क़ुरआन मजीद को सही क़िराअत से पढ़ना:- क़ुरआन को सही क़िराअत (क़ुरआन के उसूल और क़ायदे) से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाब-ए किराम को अच्छी क़िराअत ही की ताकीद फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत क़तादा से रिवायत है कि हज़रत अनस से सवाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िराअत किस तरह की थी? उन्होंने कहा लम्बी क़िराअत थी। फिर ''बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'' पढ़ी। बिस्मिल्लाह के साथ आवाज़ लम्बी फ़रमाते और रहमान और रहीम के साथ आवाज़ लम्बी फ़रमाते।

(9) दारुल हरब में क़ुरआन न ले जाएं:- ऐसा इलाक़ा जहाँ काफ़िर रहते हों जो मुसलमानों से लड़ते रहते हों तो उस इलाक़े में क़ुरआन पाक लेकर न जाएं क्योंकि हो सकता है कि काफ़िर क़ुरआने पाक की बे हुरमती करें। इसलिये ख़तरे से बचने के लिये दारुल हरब में क़ुरआने पाक को ले जाने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुरआन करीम को साथ लेकर दुश्मनाने इस्लाम के इलाक़े में सफ़र से मना फ़रमाया है। (मुत्तफ़क़ अ़लैह) लेकिन इमाम मुस्लिम की रिवायत में इस तरह है कि हालते सफ़र में क़ुरआन करीम साथ न रखो क्योंकि मुझे ये इत्मीनान नहीं कि कहीं वह दुश्मन के हाथ लग जाए। (मिश्कात शरीफ़)

(10) ख़त्म क़ुरआन कब बेहतर है:- गर्मियों में सुबह को क़ुरआन मजीद ख़त्म करना बेहतर है। और जाड़ों में अव्वल रात को, कि हदीस में है जिसने शुरु दिन में क़ुरआन ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते उसके लिये मग़फ़िरत की दुआ़ करते हैं और जिसने शुरु रात में ख़त्म किया सुबह तक मग़फ़िरत की दुआ़ करते हैं। इस हदीस को दारमी ने सअ़द बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया । तो गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में फ़रिश्तों की मग़फ़िरत ज़्यादा होगी और जाड़ों में रातें बड़ी होती हैं तो शुरु रात में ख़त्म करने से मग़फ़िरत ज़्यादा होगी।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व ल्लम ने फ़रमाया, जब कुछ लोग अल्लाह तआ़ला के घरों में से किसी घर में जमा होकर क़ुरआने पाक की तिलावत करते और पढ़ने व पढ़ाने नें मसरूफ़ होते हैं-उन पर सुकून व इत्मीनान उतरता है, रहमत उन्हें ढाँप लेती है और फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह तआ़ला अपनी ख़ास मजलिस में उनका ज़िक्र फ़रमाता है।

(सही मुस्लिम शरीफ़)

(11) लेटकर क़ुरआन पढ़ने में कोई हरज नहीं:- लेटकर क़ुरआन पढ़ने में कोई हरज नहीं जबकि पाँव सिमटे हों और मुँह खुला हो। यूँहि चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जाइज़ है। जबकि

दिल न बटे। गुस्लख़ाने और नापाकी की जगह पर कु़रआन मजीद पढ़ना नाजाइज़ है।

(12) ग़लत पढ़ने वाले को सही बतलाना वाजिब है:- जो शख़्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व ह़सद पैदा न हो। इसी तरह अगर किसी का कु़रआन शरीफ़ अपने पास माँगा हुआ है। अगर इसमें किताबत (लिखाई) की ग़लती देखे तो बता देना वाजिब है।

(13) फटे पुराने कु़रआन को जलाना मना है:- कु़रआन शरीफ़ अगर बोसीदा होकर पढ़ने के क़ाबिल नहीं रह गया तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एह़तियात की जगह दफ़्न कर दें और उसके लिये लह़द (बग़ली क़ब्र) बनाई जाए ताकि मिट्टी उसके ऊपर न पड़े। कु़रआन शरीफ़ को जलाना नहीं चाहिये।

(14) कु़रआन पाक का अदब करना:- कु़रआन शरीफ़ की तरफ़ पीठ न की जाए और उसकी तरफ़ पाँव न फैलाएं, न उससे ऊँची जगह बैठें, न उस पर कोई किताब रखें अगरचे ह़दीस व फ़िक़्ह (शरीअ़त) की किताब हो, गुस्लख़ाने और नापाकी की जगहों में कु़रआन शरीफ़ पढ़ना नाजाइज़ है। (ग़ुनियतुत्तालिबीन)

आदाबे दुआ़

इन्सान को अपनी ज़िन्दगी बसर करने के लिये कुछ चीज़ों की ज़रूरी तौर पर हर वक़्त ज़रूरत है जिनके बग़ैर रात-दिन गुज़ारना मुश्किल है जैसे जैसे इन्सान दुनिया की तरफ़ मुतवज्जेह होता जा रहा है उतना ही वह ख़ुदा से दूर होता चला जा रहा है। इसमें भरोसा, सब्र और शुक्र की कमी हो गई है। हर इन्सान के लिये मसाइल का अम्बार है। किसी के सामने हुसूले रिज़्क़ (रोटी-रोज़ी) का मसअला है, कोई बीमारी में घिरा हुआ है, कोई बच्चों की किफ़ालत में फंसा हुआ है, किसी का रिहाइश, कारोबार और नौकरी का मसअला है, किसी की औलाद नाफ़रमान है। गोया जिस शख़्स को भी देखा जाए उसकी कुछ जाइज़ ख़्वाहिशात और मसाइल हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है तो पूरा करने के सबब पैदा करने वाली सिर्फ़ एक ही ज़ात है। वह है परवरदिगार जिसके दर पर हाज़िर होकर उससे कहा जाए और उस वक़्त दिल से जो पुकार और इल्तिजा निकलती है वह दर अस्ल दुआ़ है। फ़रयाद या दुआ़ जितनी इन्सान के दिल की गहराइयों से निकलेगी वह असर रखेगी। आपके ज़्यादातर तजर्बे में ये बात होगी कि जब कोई सवाली आपसे आकर किसी चीज़ का सवाल करता है तो आप उसके दिल के अन्दर झाँकने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाक़ेई ज़रूरत मंद है जिसका उसने सवाल किया है तो अगर वह ज़ाहिर में और बात-चीत से आपको मुतअस्सिर (प्रभावित) कर दे तो आप उसकी मदद के लिये तैयार हो जाते हैं अगर वह आपको मुतअस्सिर न कर सके तो आप उसे गर्ज़मंद न समझते हुए उसके सवाल को रद कर देते हैं। ऐसे ही अल्लाह तआ़ला हमारे दिलों की लगन और ख़ुलूस जानता है और जो इन्सान वाक़ेई हाजत का तलबगार होता है तो जब वह बारगाहे रब में हाज़िर होकर सदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ़ ज़रूर क़ुबूल करता है।

दुआ़ दर अस्ल इ़बादत का एक हिस्सा है क्योंकि इन्सानी ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद इ़बादत और इताअ़त (ख़ुदा की फ़रमांबरदारी) है और यही इ़बादत इन्सान को ख़ुदा की बन्दगी के बुलन्द मक़ाम तक पहुँचाती है और जितना कोई बन्दगी में अल्लाह के क़रीब हो जाता है उसकी दुआ़ बारगाहे रब्बुल इ़ज़्ज़त में फ़ौरन क़ुबूल होती है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बन्दगी की इन्तेहा हैं और जिन्हें इनका क़ुर्ब (निकटता)

और मक़ामे महबूबियत ह़ासिल हो जाता है वह भी अल्लाह के मन्ज़ूरे नज़र बन जाते हैं और ऐसे लोगों की दुआ़ भी अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर क़ुबूल है। इसलिये औलियाए कामिलीन की दुआ़एं दरजए क़ुबूलियत रखती हैं। क्योंकि उन्होंने बातिनी (रूहानी) तौर पर अपने आप को इस ह़द तक पाकीज़ा किया और ह़क़्क़े बन्दगी अदा किया कि अल्लाह ने अपने करम से पूछा कि बताओ क्या माँगते हो? तो उन्होंने अ़र्ज़ किया या इलाही! सिर्फ़ तेरी रज़ा चाहते हैं क्योंकि औलियाए कामिलीन सिर्फ़ रज़ाए इलाही के तलबगार होते हैं और यही रज़ाए इलाही उन्हें इताअ़त (बन्दगी) और शुक्र गुज़ारी के उस मक़ाम तक ले जाती है कि अगर वह किसी की तक़दीर बदलने के लिये अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ करें तो उनकी इल्तिजा पर अल्लाह दूसरों की तक़दीर तक बदल देता है और ये मक़ाम तब पैदा होता है जब इन्सान दिल से दुनिया को हर तरह छोड़कर यादे इलाही में मरने से पहले मर जाता है और फिर निगाहे मोमिन से तक़दीर बदलने का मर्तबा ह़ासिल होता है।

दुआ़ बहर ह़ाल क़ुबूल हो या न हो, अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ करते रहना चाहिये। बअ़ज़ वक़्त यूँ होता है कि इन्सान की एक दुआ़ तो क़ुबूल हो जाती है लेकिन पूरी होने में कुछ मुद्दत लग जाती है लेकिन इन्सान बे सबरा है। फ़ौरन अल्लाह से गिला शिकवा शुरु कर देता है। मसलन एक ग़रीब आदमी है वह अपने लिये अल्लाह के हुज़ूर मालदार होने की दुआ़ करता है और उसकी दुआ़ क़ुबूल हो जाती है तो उसके मालदार बनने में कुछ वक़्त लगेगा। अल्लाह पहले उसके सामान पैदा करेगा फिर जब चाहेगा उसके माल व दौलत में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि हो सकता कि वह संभाल न सके। लेकिन बअ़ज़ लोग यूँ करते हैं कि अल्लाह के हुज़ूर किसी चीज़ के लिये दुआ़ की लेकिन अगर वह पूरी होती हुई नज़र न आई तो फ़ौरन अल्लाह से मायूसी का इज़्हार शुरु कर दिया। अपनी क़िस्मत को बुरा भला कहने लगे। तो ऐसा करने से सिवाए अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने के और कुछ ह़ासिल न होगा। बल्कि हर सूरत में साबिर और शाकिर होकर अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ माँगते रहना चाहिये इंशा अल्लाह एक न एक दिन दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होगी। क्योंकि बअ़ज़ वक़्त दुआ़ क़ुबूल न होने में इन्सान ही की बेहतरी होती है इसलिये अल्लाह से मायूसी का इज़्हार न किया जाए।

या इलाही! तू मेरा शाह है मैं तेरा गदा (भिकारी) हूँ, तू मेरा आक़ा है मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, तू मेरा ख़ालिक़ है मैं तेरी मख़्लूक़ हूँ, तू मेरा मअ़बूद है मैं तेरा अ़ब्द (बन्दा) हूँ। तू शक्ल बनाने वाला है मैं तेरा बनाया हुआ इन्सान हूँ। तू क़ुद्दूस (पाक) है मैं सरापा गुनहगार हूँ। तू मेरा ह़ाकिम है मैं तेरा महकूम हूँ। तू मेरा करीम है मैं करम का सवाली हूँ। तू बे नियाज़ है मैं तेरा नियाज़मंद (ह़ाजतमन्द) हूँ। जब हर तरह से तू ही मेरा कारसाज़ है तो फिर मैं तेरी बारगाह ही में झुकूँगा, तुझ ही से माँगूँगा, ज़ख़्म जिगर तुझे ही दिखाऊँगा क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तो फिर मेरे दोस्त! जब हर तरह से ख़ुदा ही से माँगना ठहरा तो फिर शर्म कैसी? पर्दा कैसा और ग़ुरूर क्यों? मायूसी और ना उम्मीदी क्यों? वो तो तेरा और मेरा परवरदिगार है। आ उसी के हुज़ूर आ...बन्दगी की पेशानी को झुका दे, सर ब सुजूद होजा दिल से ग़ैरों को निकाल दे, अजनबी पन को तोड़ दे, लज़्ज़ते नफ़्स (ख़्वाहिशात) को छोड़ दे, हंगामा आराई से मुँह मोड़ ले, ज़ुलमत कदे को छोड़ दे, कूचए यार की राह पूछ। अपने जिगर की जलन को दीवाना वार कर, दिल व नज़र यादे इलाही में मस्त कर दे। मौजे नफ़्स को ख़्वाबे ग़फ़लत से बेदार कर। ख़ुदा के हुज़ूर भीगी पलकों से ह़ाज़िर होजा। फिर देख तेरी दुआ़ कैसे क़ुबूल होती है तेरे मुक़द्दर का सितारा कैसे जगमगाता है, तेरी आरज़ूऐं कैसे पूरी होती हैं, तेरे अरमानों की दुनिया कैसे मचलती है। लेकिन मेरे दोस्त! उसकी बारगाह में तेरी आवाज़े शौक़ का शोर उसी वक़्त पैदा होगा जबकि तू उसका बंदा बनेगा और जब तू उसका बंदा बन गया तो तेरी दुआ़ क़ुबूल है।

अदब बड़ी चीज़ है क्योंकि अल्लाह तआ़ला को अदब बहुत पसन्द है जितना कोई बा अदब होकर अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर ह़ाज़िर हो वह उसे उतना ही ज़्यादा पसन्द करता है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ करने के चन्द अदब हैं जिन्हें आदाबे दुआ़ कहा जाता है। ये आदाब दर अस्ल चन्द उसूल हैं जिन्हें दुआ़ करने से पहले और दुआ़ करते वक़्त ज़हन में ह़ाज़िर रखना ज़रूरी है। अगर इन आदाब पर अ़मल किया जाएगा तो दुआ़ जल्दी क़ुबूल होगी, लिहाज़ा आदाबे दुआ़ हस्ब ज़ैल हैं।

(1) दुआ़ के शुरु में अल्लाह की ह़म्द (तारीफ़) करना:- दुआ़ से पहले अल्लाह तआ़ला की ह़म्द कीजिये फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िये फिर अपना इल्तिजा अल्लाह के हुज़ूर पेश

कीजिये। अल्लाह हर शख़्स की दुआ़ को सुनता है लिहाज़ा उससे जो चाहो माँगो। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि मुझे असमाए हुस्ना (अच्छे नाम) के साथ पुकारो। दुआ़ अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क़ज़ा (तक़दीर) तक तब्दील करवा देती है बल्कि दुआ़ हर उस मुसीबत को दूर कर देती है जो आई हो या न आई हो। इसी लिये इसे इ़बादत का मग़ज़ (गूदा) क़रार दिया गया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत नोअ़मान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुआ़ इ़बादत है इस मौक़े पर आपने फ़रमाया तुम्हारा रब फ़रमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ।

(अह़मद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा शरीफ़)

(2) सच्ची नियत से दुआ़ माँगना:- ख़ुलूस नियत से दुआ़ माँगना सुन्नत है क्योंकि दुआ़ में जितना ख़ुलूस ज़्यादा हो दुआ़ उतनी जल्दी क़ुबूल होती है इसलिये दुआ़ हमेशा गहरे ख़ुलूस और पाकीज़ा नियत से माँगिये और इस यक़ीन के साथ माँगिये कि आप जो दुअ़ कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है और सुन रहा है क्योंकि ख़ुलूस के बग़ैर दुआ़, दुआ़ ही नहीं।

ख़ुलूस का मतलब ये है कि इन्सान के अन्दर यानी दिलो दिमाग़ से दुआ़ उठनी चाहिये ख़ुलूस नेक नियती से पैदा होता है और जितना कोई अल्लाह की तरफ़ माइल ज़्यादा हो उसमें उतना ही ज़्यादा ख़ुलूस होगा। ख़ुलूस की बुनियाद मुहब्बत और इ़श्क़ है। औलियाए कामिलीन और उ़लमाए हक़ में आ़म लोगों की निस्बत ख़ुलूस नियत ज़्यादा होती है क्योंकि वह मुहब्बते इलाही और इ़श्क़े हक़ीक़ी के बह़रे बे कराँ में डूबे होते हैं। यही वजह है कि उनकी दुआ़ फ़ौरन क़ुबूल होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक तुम्हारा रब ह़ई व करीम है। जब बंदा दुआ़ के लिये उसकी बारगाह में हाथ उठाता है तो उसको ह़या आती है कि वह बंदे के हाथों को ख़ाली वापस कर दे।

(अबू दाऊद शरीफ़)

(3) दिल की तवज्जोह से दुआ़ माँगना सुन्नत है:- ख़ुलूस के

साथ दुआ के लिये दिली तवज्जोह होना भी ज़रूरी है क्योंकि आदत के तौर पर अगर दुआ माँगी जाए तो कुछ असर नहीं होता क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वह असर रखती है और दिली तवज्जोह उसी वक़्त पैदा होती है जब इन्सान का अल्लाह पर यक़ीन कामिल और तवक्कुल (भरोसा) हो और उसे उम्मीद हो कि जो चीज़ वह अल्लाह से माँग रहा है उसकी उसे बहुत ज़रूरत है। इसलिये रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुदा से इस बात की उम्मीद रखते हुए माँगो कि वह ज़रूर क़ुबूल करेगा और इस बात को जान लो कि ख़ुदा ग़ाफ़िल दिल और खेलने वाले की दुआ को क़ुबूल नहीं करता। लिहाज़ा दुआ के वक़्त अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर पूरी तवज्जोह से हाज़िर होना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब अल्लाह से दुआ करो तो तुम्हें उसकी क़ुबूलियत का यक़ीन होना चाहिये और ये यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला ग़ाफ़िल दिलों की दुआ क़ुबूल नहीं करता। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(4) नफ़्लों के ज़रिये दुआ को बाअसर बनाना सुन्नत है:- ख़ास दुआ का तरीक़ा ये है कि दुआ से पहले वुज़ू करें फिर दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ें इसके बाद दुआ माँगें। इस तरह अल्लाह तआ़ला दुआ जल्दी क़ुबूल फ़रमाएगा।

तिबरानी की एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने अच्छी तरह वुज़ू करके दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी और फिर इसके बाद दुआ की तो उसकी दुआ जल्द या कुछ देर के बाद ज़रूर क़ुबूल होगी।

(5) दुआ के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना सुन्नत है:- दुआ के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। आपने जंगे बद्र के मौक़े पर और नमाज़े इस्तिसक़ा (बारिश) के मौक़े पर दुआ के वक़्त कअ़बे की तरफ़ मुँह किया। इसके साथ ही ये बात भी याद रखें कि किसी गुनाह वाले काम के बारे में दुआ न करें और न ही ये दुआ करें कि फ़लां से तअ़ल्लुक़ात ख़त्म हो जाए क्योंकि किसी के ख़िलाफ़ बुरी दुआ को अल्लाह तआ़ला क़ुबूल नहीं करता। ऐसे ही दुआ के बाद फ़ौरन इस बात

के इन्तेज़ार में नहीं रहना चाहिये कि फ़लां दुआ़ मैंने की है और वह क़ुबूल नहीं हुई।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बंदा जब तक गुनाह क़तए़ रहम (रिश्ता-नाता तोड़ना) और जल्दी नहीं करता तो उसकी दुआ़ क़ुबूल होती है। उस वक़्त नबी अ़लैहिस्सलाम से दरयाफ़्त किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जल्दी से क्या मतलब है तो आपने फ़रमाया दुआ़ करने वाला ये कहे मैंने दुआ़ की लेकिन उसकी क़ुबूलियत की कोई निशानी मैंने नहीं देखी और दुआ़ को क़ुबूल न होता देखकर थक कर बैठ जाए। (मुस्लिम शरीफ़)

(6) ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (आ़जेज़ी) से दुआ़ माँगनी चाहिये:- दुआ़ बहुत ही आ़जेज़ी और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ से माँगनी चाहिये बल्कि रोने जैसी सूरत बनाना बेहतर है क्योंकि वह आँख जो तनहाई में अल्लाह के हुज़ूर आँसू टपकाती है वह अल्लाह को बहुत पसन्द है। अल्लाह के हुज़ूर रोना अपने गुनाहों पर शर्मिन्दगी और ख़ौफ़े ख़ुदा की वजह से आता है लिहाज़ा जिस शख़्स के दिल में ख़ौफ़े ख़ुदा होगा तो जब वह अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ माँगेगा तो रोएगा। अल्लाह के नेक बंदों की यह ख़ासियत होती है कि जब वह दुआ़ माँगते हैं तो वह सर ब सुजूद होकर रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं तो अल्लाह तआ़ला उनकी दुआ़एं फ़ौरन क़ुबूल करता है और ख़ास कर जो शख़्स रूहानियत हासिल करने का तलबगार हो उसे रात के पिछले पहर रोना चाहिये। क़ुरआन पाक की बअ़ज़ दुआ़एं भी ऐसी हैं कि जिनके पढ़ने से इन्सान पर ख़ौफ़ तारी होता है।

अल्लाह के नेक बंदों के ऐसे बेशुमार वाक़ेआ़त हैं कि वह सारी रात अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते रहते हैं। इसलिये मेरे दोस्त! अल्लाह को आ़जिज़ी बहुत पसन्द है लिहाज़ा जब भी दुआ़ माँगो तो बड़े अदब, ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ से अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा करनी चाहिये इंशा अल्लाह ऐसी दुआ़ क़ुबूल होगी।

(7) दुआ़ के लिये हाथ उठाना सुन्नत है:- दुआ़ के लिये हाथ उठाना सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दुआ़ फ़रमाते तो हाथ उठाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहाँ तक हाथ उठाए इसकी हदीस हस्बे ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप दुआ़ के दौरान हाथों की ऊँगलियों को कंधों के बराबर कर लेते थे।

(दअ़वाते कबीर)

दुआ़ माँगते हुए बअ़ज़ वक़्त हुज़ूर अपने हाथों को कंधों के बराबर तक उठाते और बअ़ज़ वक़्त सिर्फ़ सीने के सामने तक रखते यानी ज़्यादा ऊँचा न उठाते और बअ़ज़ वक़्त इतना ऊँचा करते कि आप की बग़लों से ऊपर हाथ चले जाते। इससे मालूम हुआ कि तीनों तरह जाइज़ है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने ड़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा रिवायत करते हैं कि तुम्हारा अपने हाथों को उठाना बिदअ़त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक सीने से ऊँचे नहीं उठाए।

(8) दुआ़ ख़त्म करने पर मुँह पर हाथ फेरना सुन्नत है:- दुआ़ के बाद हाथों को मुँह पर फेरना सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर बज़ाते ख़ुद ऐसा ही किया करते थे। मुँह पर हाथ फेरने का एक मक़सद तो ख़ुदा को अपनी ज़ात पर मुतवज्जेह करना है और दुसरा दुआ़ को मुकम्मल करने का ऐलान है ताकि दूसरे शख़्स समझ जाएं कि अब दुआ़ आख़िरी मन्ज़िल तक पहुँच गयी है।

हदीस शरीफ़: हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दुआ़ के लिये हाथ उठाते तो अपने दोनों हाथों को बुलन्द फ़रमाते और बाद में उनको अपने चेहरे पर फेर लेते थे। (बेहक़ी)

एक और हदीस में हज़रत ड़मर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दुआ़ के लिये हाथ उठाते तो फिर उस वक़्त तक उन्हें नीचे न लाते जब तक कि दुआ़ के पूरा होने पर उन्हें मुँह पर फेर न लेते।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस शरीफ़: हज़रत मालिक बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ़ करो तो हथेलियों का रुख़ चेहरे की जानिब न हो और जब दुआ़ से फ़ारिग़ हो तो हाथों को अपने चेहरे पर फेर लो। एक और रिवायत जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास से रिवायत है इस तरह है कि अल्लाह से

दुआ हाथों के अन्दरूनी हिस्से की तरफ़ से माँगो। और हाथों के बाहरी रुख़ से तलब न करो और जब दुआ से फ़ारिग़ हो जाओ तो हाथों को चेहरे पर फेर लो। (अबू दाऊद शरीफ़)

मतलब ये है कि दुआ माँगते वक़्त जब हाथों को उठाओ तो उन्हें इस तरह रखो कि हाथों के अन्दर का रुख़ मुँह के सामने हो जैसा कि दुआ में मअ़मूल होता है। इस्तिस्क़ा (बारिश) के अ़लावा आ़म हालात में हाथों को उलट के दुआ न माँगे।

(9) दूसरों के लिये दुआ करना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिये उनकी ग़ैर मौजूदगी में दुआ करने की नसीहत फ़रमाई है क्योंकि किसी के लिये चुपके से दुआ करने में ख़ुलसू (नेक नियती) शामिल होता है और ऐसी दुआ आ़मतौर से असरदार और मक़बूल होती है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मोमिन की ग़ैर मौजूदगी में अगर उसका कोई भाई दुआ करता है तो वह मक़बूल होती है और दुआ करने वाले के साथ एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर दिया जाता है तो मुक़र्रर फ़रिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है और उसके लिये भी वैसी ही दुआ की मक़बूलियत की दुआ करता है। (मुस्लिम शरीफ़)

इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि अगर कोई शख़्स किसी मुसलमान के लिये अपने दिल में चुपके से दुआ करे तो उसकी दुआ मक़बूल होगी। दुआ मक़बूल होने के साथ जो फ़रिश्ता मुक़र्रर होता है वह बारगाहे इलाही में सिफ़ारिश करता है कि इलाही इसकी दुआ इसके भाई के हक़ में क़ुबूल फ़रमा और फिर वह दुआ करने वाले को ख़बरदार करके कहता है कि जिस तरह इस दुआ के नतीजे में तेरा भाई भलाई पाएगा उसी तरह अल्लाह तआ़ला तुझ पर भी अपनी भलाई अ़ता फ़रमाएगा।

(10) तवज्जोह और यक़ीन से दुआ माँगना सुन्नत है:- दुआ पूरे यक़ीन के साथ माँगिये कि वह अल्लाह के हुज़ूर ज़रूर क़ुबूल होगी और दिल में कभी ये वसवसा न लाएं कि मेरी दुआ क़ुबूल होगी कि नहीं। बराबर दुआ करते रहिये ख़ुदा के हुज़ूर अपनी आ़जिज़ी, हाजत और बन्दगी का इज़हार ख़ुद एक इबादत है ख़ुदा ने ख़ुद दुआ करने का हुक्म

दिया है और फ़रमाया है कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ़ सुनता हूँ। दुआ़ करने से कभी न उकताएं और इस चक्कर में कभी न पड़िये कि दुआ़ से तक़दीर बदलेगी या नहीं। बंदे का काम बहर ह़ाल ये है कि वह अपने फ़क़ीर और मुह़ताज की तरह बराबर उससे दुआ़ करता रहे और लम्ह़ा भर के लिये भी ख़ुद को बे नियाज़ न समझे।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई दुआ़ करे तो इस तरह न कहे कि ख़ुदा वंद अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। बल्कि यक़ीन और तवज्जोह के साथ दुआ़ करे क्योंकि अल्लाह तआ़ला को कुछ देने से कोई रोकने वाला नहीं।

(मुस्लिम शरीफ़)

(11) बद दुआ़ करने की मुमानिअ़त:- बद दुआ़ करना ख़िलाफ़े सुन्नत है ख़ासकर अपनी औलाद के लिये बद दुआ़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं। क्योंकि बअ़ज़ वक़्त ऐसे हाते हैं जिसमें अल्लाह तआ़ला दुआ़ को फ़ौरन क़ुबूल कर लेता है इसलिये कहीं ऐसा न हो कि जिस वक़्त तुम अपने लिये या अपनी औलाद के लिये बद दुआ़ कर रहे हो वही वक़्त क़ुबूलियते दुआ़ का हो। और फिर तुम्हारी बद दुआ़ क़ुबूल हो जाए जिसके नतीजे में तुम्हें नुक़सान और परेशानी हो। इससे मालूम हुआ कि जो नादान किसी मुसीबत या ग़ुस्से के वक़्त अपनी ही औलाद के लिये बद दुआ़ करे वह अच्छा नहीं। लिहाज़ा बद दुआ़ करने से हमेशा बचो क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद दुआ़ करने से मना फ़रमाया है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपनी जान व माल और औलाद के लिये बद दुआ़ न करो। क्योंकि ऐसा न हो कि वह क़ुबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारी दुआ़ मक़बूल हो जाए।

(मुस्लिम शरीफ़)

(12) ख़ास वक़्त जिनमें दुआ़एं क़ुबूल होती हैं:- साल भर में बअ़ज़ वक़्त ऐसे हैं जिस वक़्त अल्लाह की रह़मत पुकारती है कि है कोई पुकारने वाला कि उसकी पुकार सुनी जाए तो उन वक़्तों में फ़ौरन दुआ़

क़ुबूल होती है लेकिन वह लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके लिये हर वक़्त ही एक जैसा है उनकी दुआ हर वक़्त ही क़ुबूल है।

शबे क़द्र जो रमज़ान में आती है, ज़ो दुआ भी अल्लाह से माँगी जाए क़ुबूल होती है। रमज़ानुल मुबारक में जब भी दुआ माँगी जाए क़ुबूल होगी। ऐसे ही जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात बड़ी अहम है उस रात भी जो दुआ माँगी जाए क़ुबूल होगी। रात का पिछला पहर जिसे आमतौर से तहज्जुद का वक़्त कहा जाता है उस वक़्त भी दुआ क़ुबूल होती है और ये वक़्त क़ुबूले दुआ का ख़ास वक़्त होता है।

शबे बराअत बड़ी अहम रात होती है। सारी रात इबादत करने के बाद जो दुआ माँगी जाए वह बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में क़ुबूल होती है।

सबसे ज़्यादा दुआ क़ुबूल होने की उम्मीद जुमे की नेक घड़ी में है। इसी नेक घड़ी के बारे में उलमा का कहना है कि ये वक़्त इमाम के ख़ुत्बे के लिये मिम्बर पर बैठने से लेकर नमाज़े जुमा ख़त्म होने तक होता है। बअ़ज़ का कहना है कि ये वक़्त दो ख़ुत्बो के दरमियान का वक़्त है।

(13) नेक व मुक़द्दस जगहाओं की दुआः-दुनिया में बअ़ज़ मक़ामात (जगह) ऐसे हैं जिन्हें मक़ामाते मुक़द्दसा कहते हैं उन्हें तक़द्दुस (महानता) का मक़ाम इसलिये मिला है उन मक़ामात पर अल्लाह के महबूब बन्दों के साथ कुछ वाक़ेआत मन्सूब हैं जिनकी बिना पर अल्लाह तआ़ला ने उन जगहों को भी मुक़द्दस (महान) कर दिया। लिहाज़ा जो शख़्स भी मुक़द्दस जगह पर जो कोई दुआ माँगे वह अकसर क़ुबूल हो जाती है। वह मक़ामात जो मुक़द्दस हैं उनमें ख़ान-ए-कअ़बा को अव्वलियत हासिल है। ख़ान-ए-कअ़बा में जो भी दुआ माँगी जाए वह क़ुबूल है। मताफ़े कअ़बा (तवाफ़ की जगह)में की जाने वाली दुआ भी क़ुबूल है। मुल्तज़िम भी दुआ के लिये मुकद्दस जगह है। मुल्तज़िम से मुराद ख़ान-ए कअ़बा का वह हिस्सा है जिससे तवाफ़ करने वाले चिमटते हैं। ये हजरे असवद व ख़ान-ए-कअ़बा के दरमियान चार हाथ की जगह है। मीज़ाबे कअ़बा की जगह भी मुक़द्दस है,मीज़ाब ख़ान-ए कअ़बा की छत के परनाले के नीचे की जगह को कहते हैं। बैतुल्लाह के अन्दर दुआ करना भी क़ुबूल है। ज़मज़म कुऐं, सफ़ा मरवाह, मुज़दलफ़ा, मक़ामे इब्राहीम, मिना, जमरात (कंकरी मारने का मक़ाम), तमाम का शुमार मक़ामे मुक़द्दसा में होता है। ख़ान-ए-कअ़बा के अ़लावा दुआ क़ुबूल होने

का सबसे मुक़द्दस मक़ाम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का रौज़-ए अक़दस है और ख़ास कर आ़शिक़ हज़रात के लिये इससे बढ़कर और कोई जगह नहीं। जहाँ ख़ुदा की रहमत सबसे ज़्यादा क़रीब हो। लिहाज़ा रौज़-ए-रसूल के मक़ाम पर माँगी जाने वाली दुआ़ बारगाहे रब्बुल इ़ज़्ज़त में ज़्यादा क़ुबूलियत का दर्जा रखती है, अल्लाह के नेक बंदों के पास जाकर भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ़ करना सुन्नत है।

(14) दुआ़ को मक़बूल बनाने का बेहतरीन उसूलः- जो शख़्स यह चाहता हो कि उसकी दुआ़ क़ुबूल हो तो उसे चाहिये कि ख़ुशहाली के दौर में अल्लाह का एहसानमंद रहे और उसे याद करता रहे और उससे दुआ़ करता रहे।

हदीस शरीफ़ः हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस शख़्स को ये बात पसन्द हो कि सख़्ती के आ़लम में अल्लाह तआ़ला उसकी दुआ़ को क़बूल करे उसको चाहिये कि वह ख़ुशहाली और फ़राख़ी के आ़लम में अल्लाह से ख़ूब-ख़ूब तलब करे। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

आदाबे रोज़ा

इबादत ख़्वाह बदनी हो या माली, उसे अदब व एहतराम के साथ ही अंजाम देना बेहतर है। ये अदब दर अस्ल इन्सान में बेहतरीन इन्सानियत पैदा करने के लिये मुक़र्रर किया गया है। चुनान्चे रोज़ा रख कर रोज़ादार को चाहिये कि वह रोज़ा इन उसूलों के साथ पूरा करे जो बारगाहे रब्बुल इ़ज़्ज़त में शर्फ़े कु़बलियत का दर्जा रखते हैं।

रोज़े का अस्ल अदब ये है कि ज़ाहिरी और बातिनी (अन्दरूनी) ह़ालत को बस में रखा जाए। जिस्मानी आ़ज़ा (अंग) और नफ़्स को गुनाह वाले कामों से रोका जाए। रोज़े में अपने तमाम आ़ज़ा (अंग) को खाने पीने और हमबिस्तरी (संभोग) से रोकने के साथ हर क़िस्म की बुरी ह़रकात और बुरे कामों से बचाया जाए। अह़ादीस के मुताबिक़ रोज़े के आदाब और सुन्नतें ह़स्ब ज़ैल हैं:-

(1) ज़बान को बुरी बातों से बचाना:- रोज़े में ज़बान को बुरी बात करने से रोकना ज़रूरी है क्योंकि ज़बान से बहुत सी बुराइयाँ पैदा होती हैं इसलिये ज़बान को हर क़िस्म की ग़लत और बेहूदा बात कहने से बचाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

ह़दीस शरीफ़: ह़ज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख़्स झूट बोलना और उस पर अ़मल करना ख़त्म नहीं करता तो अल्लाह तआ़ला को कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपने खाने पीने को छोड़ दे। (बुख़ारी शरीफ़)

इस ह़दीस से साबित हुआ कि ज़बान को बुरी बातों से बचाना ज़रूरी है यानी ज़बान का रोज़ा ये है कि ज़बाँ से जो गुनाह हो सकते हैं उनसे बचे और बेहूदा बातें न करे बल्कि ज़बान को यादे इलाही और ज़िक्र में मश्ग़ूल रखे। ज़ँबा को झूठी और बेकार बातें करने से बचाए। बअ़ज़ मालिक अपने नौकरों को, ह़ाकिम अपनी रिआ़या को, अफ़सर अपने मा तह़तों (कर्मचारी) को, उस्ताद अपने शागिर्दों को, माँ बाप अपनी औलाद को, बे तकल्लुफ़ दोस्त अपने दोस्तों को ख़्वाहमख़्वाह गालियाँ देने के आ़दी होते हैं बल्कि उनकी बात की शुरुआ़त ही गाली से होती है, रोज़ादार होकर ऐसा करना दुरुस्त नहीं। फिर रोज़ा रखकर ग़ीबत से बचना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़साद की जड़ है लेकिन अकसर औ़रतों को ग़ीबत का मर्ज़

होता है और वह रोज़ा रखकर ग़ीबत करती हैं। बहर हाल ग़ीबत रोज़े के लिये निहायत ही नुक़सान दे है।

हदीस में ज़िक्र है कि दो औ़रतों ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में रोज़ा रखा और ऐसा हुआ कि उन्हें इस क़दर प्यास लगी कि जान का ख़तरा पैदा हो गया। आख़िर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रोज़ा खोलने की इजाज़त माँगी, आपने एक प्याला उनके पास भेजा और फ़रमाया कि इन्हें कहो कि जो कुछ खाया है उसे इसमें क़ै कर दें। लिहाज़ा उनकी क़ै में ख़ून और जमे हुए ख़ून के टुकड़े थे। लोगों को इस पर बेहद तअ़ज्जुब हुआ। तो आपने फ़रमाया इन दोनों औ़रतों ने उस चीज़ से रोज़ा रखा जिसे अल्लाह ने हलाल किया है और फिर उस चीज़ से तोड़ डाला जिसे अल्लाह ने हराम क़रार दिया है यानी ग़ीबत में मश्ग़ूल हो गयीं। इस वाक़िऐ से रोज़ादार औ़रतों को सबक़ हासिल करना चाहिये कि किसी हालत में भी ग़ीबत करना अच्छा नहीं।

हज़रत मुजाहिद का क़ौल है कि ग़ीबत और झूठ रोज़े को ख़राब कर देते हैं झूठ बोलना तो वैसे भी बहुत बड़ी लानत है फिर रोज़ा रखकर झूठ बोलना तो और भी ज़्यादा क़ाबिले अफ़सोस है। ये कहाँ का दस्तूर है कि बंदा हाकिम को हाकिम भी माने मगर उसके हुक्म पर अ़मल भी न करे। रोज़ा और झूठ दो एक दूसरे की ज़िद वाली चीज़ें हैं। झूठ का ख़ात्मा तो हमको रोज़े से हासिल करना होता है अगर रोज़ा रखकर ही झूठ बोला जाए तो फिर रोज़ा रखने से क्या हासिल। ज़बान में झूठ की बजाए सच्चाई पैदा करनी चाहिये, फिर देखिये रोज़े से इन्सान को कितना दिली सुकून मयस्सर आता है।

रोज़ा रख कर दिल दुखाने से बाज़ रहना चाहिये क्योंकि दिल आज़ारी से दिलों में बदगुमानी पैदा होती है। दिल आज़ारी बहुत तरह से होती है। दूसरों को उल्टे सीधे नामों से पुकारना उनका मज़ाक उड़ाना या तकलीफ़ देने वाला काम करना सब दिल दुखाने की सूरतें हैं। रोज़ा रख कर ऐसा करना अच्छा नहीं क्योंकि रोज़े का मक़सद अल्लाह के बंदों के दरमियान एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास, प्यार और मुहब्बत पैदा करना है और ख़ासकर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का क़ुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये दिल आज़ारी (दुख देने)को बहुत बड़ी रुकावट क़रार दिया है। कालिजों स्कूलों के तलबा (छात्र) और फ़ैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों में ये वबा आ़म होती है कि वह एक दूसरे का ख़ूब

मज़ाक उड़ाते हैं और ठट्ठा करते हैं और ऐसी हालत पैदा करते हैं कि हवाई क़लाबे कहाँ से कहाँ मिला जाते हैं और दूसरी तरफ़ वह रोज़ादार भी होते हैं और ऐसा करने से उनके सामने ये मक़सद होता है कि इस तरह हंसी मज़ाक़ से रोज़ा आसानी से निभ जाता है। हालाँकि उन्हें जानना चाहिये कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह साफ़-साफ़ रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा रोज़ा रखकर झूठ, ग़ीबत, गाली गलोच और दूसरों की दिल आज़ारी वग़ैरा से रोज़े का मक़सद ख़त्म हो जाता है लिहाज़ा रोज़ेदार को ऐसी बातों से बचना चाहिये। लिहाज़ा बुज़ुर्गाने दीन के नज़दीक ज़बान का रोज़ा यही है कि ज़बान को ऊपर बयान की गई आफ़तों से हर हाल में महफ़ूज़ रखा जाए तब रोज़े की बरकतें और नूर हासिल होंगे।

(2)कानों को बुरी बातें सुनने से बचाना:- यूँ तो कानों को हर हाल में बुरी बातें सुनने से बचाना सुन्नत है मगर रोज़े की हालत में इसकी तरफ़ ख़ास तवज्जोह देनी चाहिये। एक बुज़ुर्ग का क़ौल है कि कान का रोज़ा ये है कि काम को बुरी और फ़ुज़ूल बातों के सुनने से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रखा जाए क्योंकि बुरी बातें सुनने का दिल पर गहरा असर होता है जिससे इन्सानी ख़्यालात में गुनाहों की तरफ़ मैलान पैदा होता है। रोज़ादार के लिये ज़रूरी है कि ग़ीबत न सुने, झूठी बातें, लतीफ़े, गाने और गन्दी बातें न सुने क्योंकि शरीअ़त में जिन बातों का कहना जाइज़ नहीं उन्हें सुनना भी जाइज़ नहीं। चुनान्चे बुरी बातों के सुनने से भी उतना गुनाह होगा जितना कहने से होता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्सान के हर अ़मल का सिला (बदला) है मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिये है और मैं उसका बदला हूँ रोज़ा ढाल है जब तुम में से कोई रोज़ेदार हो तो न झगड़ा करे न ग़लत बके अगर कोई उसे गाली दे या मारे पीटे तो कह दे मैं रोज़े से हूँ और क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए-क़ुदर में मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की जान है रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुश्क की ख़ुशबू से बेहतर है रोज़ादार को दो ख़ुशियाँ नसीब होती हैं। एक इफ़तार के वक़्त ख़ुश होता है दूसरे ख़ुदा से मुलाक़ात के वक़्त ख़ुश होगा। (बुख़ारी शरीफ़)

(3) हालते रोज़ा में आँख को क़ाबू में रखना:- हमारे जिस्म के

हर उज़्व (अंग) से गुनाह सरज़द हो सकता है लिहाज़ा हर उज़्व (अंग) को रोज़े में गुनाह से बचाना ही अस्ल रोज़ा है। इन्सानी आँख का गुनाह ये है कि वह दुनियवी गुनाहों को देखकर उनकी चाहत पैदा करती है। बुरी नज़र से औरत या किसी और को देखना अच्छा नहीं और ख़ासकर रोज़ा रखकर औरतों को देखते फिरना बहुत ही बुरा है और इस तरह रोज़ा मकरूह हो जाता है। ऐसे ही रोज़ेदार को चाहिये कि फ़िल्म न देखे और न नंगी तस्वीरें देखे, नाच गाना और बुरी हरकात न देखे।

(4) दिल को गन्दे ख़्यालात से बचाना:- दिल का रोज़ा ये है कि दिल हर क़िस्म के बुरे और गन्दे ख़्यालात से पाक रहे क्योंकि दिल की हिफ़ाज़त बेहद ज़रूरी है क्योंकि रोज़े का ज़्यादा दख़ल तो दिल ही के साथ है अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि अल्लाह हरकत करने वाली आँखों और दिल के पोशीदा राज़ों को जानता है बल्कि मेरे ख़्याल के मुताबिक़ रोज़े का सारा तअ़ल्लुक़ ही इन्सानी दिल से वाबस्ता है लिहाज़ा दिल में हर तरह से ख़ुलूस होना चाहिये। बल्कि ख़ौफ़े ख़ुदा होना बहुत ज़रूरी है।

(5) जिस्म के हर उज़्व (अंग) को गुनाहों से बचाना अस्ल रोज़ा है:- रोज़ा रखने का एक अदब ये भी है कि जिस्म के हर उज़्व यानी हाथ पाँव वग़ैरा को हर ख़िलाफ़े शरअ़ काम से बचाया जाए। चुनान्चे रोज़ेदार का हर काम ईमानदारी और सच्चाई का नमूना होना चाहिये। ज़िन्दगी के मआ़मलात और लेन-देन को ईमानदारी से सर अंजाम देना चाहिये मगर देखने में आया है कि लोगों ने रोज़ा भी रखा होता है और बुराइयाँ भी करते जाते हैं। यानी रोज़ा रखकर भी सच्चाई और ईमानदारी के तक़ाज़ों को पूरा नहीं करते। तिजारती लोग और कारख़ाने दार नाप तौल में कमी कर लेते हैं या किसी ख़ालिस में ना ख़ालिस की मिलावट कर लेते हैं या क्वालिटी में फ़र्क़ डाल लेते हैं। ऐसे ही ग्वाले दूध में पानी डाल लेते हैं। तो ऐसा रोज़ा रखने से इन्सान को क्या हासिल क्योंकि उसने रोज़ा रखकर इस्लाम के मआ़मलाती अहकामात (आदेश) को सामने नहीं रखा और रोज़े में बदचलनी से काम लिया। अगर कोई ऐसे रोज़ेदार को समझाने की कोशिश भी करे तो वह जवाब देता है कि रोज़ा अपनी जगह है और कारोबार अपनी जगह। मैं अपनी रोटी न कमाऊँ। मगर वह नादान इस हक़ीक़त को जानते हुए भी कि अल्लाह तआ़ला ने हलाल और ईमानदारी से रिज़्क़ कमाने का हुक्म दिया है मगर फिर भी बेईमानी से काम

लेते हैं और अपने पेट को दोज़ख़ से भरते हैं। तो जब इस तरह से रोज़े रखने के साथ इसलाम के दूसरे तक़ाज़ों को पूरा नहीं किया जाता तो फिर रोज़े से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं।

रोज़े के तक़ाज़ों को पूरा करने के लिये एक मिसाल ज़हन में रखनी चाहिये कि कोई शख़्स किसी मालिक का नौकर हो या मुलाज़मत करता हो। वह रोज़ाना हाज़िर हो जाता हो लेकिन हाज़िर होने में वक़्त की पाबन्दी का ख़्याल न रखता हो। या हाज़िर होकर सारा दिन इधर उधर की बातों में अपने वक़्त को बरबाद करता हो या हाज़िर तो हो लेकिन वह काम सर अंजाम न दे जो मालिक ने मुक़र्रर किया हो और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करता फिरे या काम तो उसने कर दिया लेकिन उसका किया हुआ काम उस मेअ़यार पर न हो जिसका उसे कहा गया था। तो क्या ऐसे मुलाज़िम से मालिक ख़ुश हो जाएगा जिसने अपने फ़र्ज़ की अन्जाम दही में मेहनत मशक़्क़त, अमानत को पेशे नज़र न रखा हा। चुनान्चे मालिक ये सोचने पर मजबूर होगा कि जिस मक़सद के लिये में ने मुलाज़िम को रखा था वह उस मेअ़यार पर पूरा नहीं उतरता। चुनान्चे मालिक उसको मुलाज़िमत से बाहर कर देगा। ऐसे ही जो इन्सान रोज़ा रखकर रोज़े के तक़ाज़ों को पूरा नहीं करेगा अल्लाह तआ़ला उससे नाराज़ होगा और मौत के बाद अगले जहान में सज़ा यानी अ़ज़ाब पाएगा।

(6) रोज़े में रियाकारी से बचना:- रोज़े का एक अदब ये है कि रोज़े को रियाकारी (दिखावा) से बचाया जाए क्योंकि रोज़ा ही सिर्फ़ एक ऐसी इबादत है जिसे ज़ाहिर किये बग़ैर दूसरों को पता नहीं चल सकता। अगर लोगों को सिर्फ़ ये दिखाने के लिये ज़ाहिर करेंगे कि मैंने रोज़ा रखा है तो इसका अज्र (सवाब) ख़त्म हो जाएगा। इसलिये रोज़ा रखते हुए सिर्फ़ रज़ाए इलाही को पेशे नज़र रखें। दुनिया वालों से कोई ग़र्ज़ न रखें और अपने रोज़े को छुपाए रखें ताकि रोज़े का मक़सद बाक़ी रहे।

हज़रत मआ़ज़ बिन जबल से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, अल्लाह तआ़ला ने आसमानों की पैदाइश से पहले सात फ़रिश्ते पैदा किये। फिर आसमानों को पैदा करके उन फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते को एक एक आसमान का पहरेदार मुक़र्रर किया और उसके तअ़ल्लुक़ से आसमान की पहरेदारी उसके सुपुर्द की। और जब से अब तक ये होता आ रहा है। जब ज़मीन के फ़रिश्ते जो लोगों के आ़माल

(कर्म) लिखने पर मुकर्रर हैं और हफ़िज़ह कहलाते हैं रोज़ाना बंदे के वह आमाल जो उसने शाम से सुबह तक किये होते हैं पहले आसमान पर ले जाते हैं और उस बंदे की इताअत गुज़ारी व इबादत की बड़ी तारीफ़ करते हैं और वाक़ई उस शख़्स ने इबादत की भी कुछ इस तरह से होती है कि उसकी इबादत का नूर सूरज के नूर से किसी तरह कम नहीं होता। लेकिन अचानक पहरेदार फ़रिश्ते की आवाज़ आती है कि "ये बन्दगी व इबादत उसी बंदे के मुँह पर दे मारो कि मैं एहले ग़ीबत (चुग़लख़ोर) का निगेहबान हूँ और मुझे ये हुक्म है कि जो शख़्स ग़ीबत करने वाला हो उसके आमाल यहाँ से न गुज़रने दो" ख़्वाह वह कितने ही अच्छे क्यों न दिखाई दें। क्योंकि ग़ीबत के सबब वह उसके हक़ में बरबाद हो चुके होते हैं। फिर एक ऐसे शख़्स के आमाल जिसने ग़ीबत नहीं की होती आसमाने अव्वल से तो गुज़र जाते हैं लेकिन जब दूसरे आसमान पर ले जाए जाते हैं तो वहाँ का पहरेदार फ़रिश्ता कहता है कि "बस ले जाओ वापस और उसी के मुँह पर दे मारो कि ये अमल जो बज़ाहिर बड़े पाकीज़ा दिखाई दे रहे हैं दर अस्ल उसने दुनिया के लिये किये थे और मजलिसों में फ़ख़्र का इज़हार किया था और मुझे हुक्म है कि उसके आमाल आगे न जाने दूँ। फिर तीसरे शख़्स के आमाल पहले-दूसरे आसमान से गुज़रकर तीसरे आसमान पर ले जाते हैं और उनमें न ग़ीबत होती है न दिखावा बल्कि नमाज़ रोज़ा और सद्क़ा शामिल होता है और हिफ़ाज़त वाले उन पर हैरत ज़दा होते हैं कि (कितने उम्दा आमाल हैं) कि तीसरे आसमान का फ़रिश्ता कहता है "मुझे तकब्बुर पर निगहेबान मुक़र्रर किया गया है ताकि तकब्बुर वालों के आमाल यहाँ से न गुज़रने दूँ और ये आदमी मुतकब्बिर (घुमण्डी) और लोगों के साथ तकब्बुर से पेश आता था"। तब एक और शख़्स की बारी आती है कि जिसके आमाल तस्बीह व नमाज़ व हज की बदौलत सितारों की तरह रौशन व चमकदार होते हैं लेकिन चौथे आसमान पर पहुँच कर उनको रोक दिया जाता है और मुअक्किल (पहरेदार) फ़रिश्ता कहता है कि "मुझे ग़ुरूर और घमण्ड का निगेहबान मुक़र्रर किया गया है और हुक्म है कि मग़रूर और घमण्ड वाले के आमाल यहीं से आगे न जाने दूँ, पस उसके आमाल इसके मुँह पर दे मारो कि ये ऐसे ही लोगों में से है"। फिर एक और शख़्स के आमाल आते हैं और ऐसे प्यारे होते हैं जैसे कि हसीनो जमील दुल्हन जिसे दूल्हा के हवाले किया जा रहा हो लेकिन मुअक्किल (निगेहबान) फ़रिश्ते से कौनसी बात छुपी हुई होती है चुनान्चे जब पाँचवें आसमान तक ले जाते हैं तो फ़रिश्ता कहता है कि

ये अ़मल उसके मुँह पर दे मारो और उसकी गर्दन पर जा धरो कि मैं ह़सद वालों का निगहेबान हूँ और ह़ासिदों के आ़माल को आगे नहीं जाने देता और उस शख़्स का ये आ़लम है कि इ़ल्म व अ़मल में जो शख़्स भी उसके दर्जे तक पहुँचता है ये उससे ह़सद करने लगता है और उसके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने लगता है। फिर एक और शख़्स के आ़माल लाए जाते हैं जो नमाज़, रोज़ा, ह़ज और उ़मरा से माला माल होते हैं लेकिन छटे आसमान पर उन्हें भी रोक लिया जाता है और निगेह़बान फ़रिश्ता कहता है कि ये अ़मल उसी के मुँह पर दे मारो कि मैं फ़रिश्त-ए रह़मत हूँ और मुझे हुक्म है कि बे रह़मों के आ़माल यहाँ से न गुज़रने दूँ और ये शख़्स इस क़द्र बे रह़म है कि किसी को रंज पहुँचे तो बजाए तरस खाने के उस पर उल्टा हंसता है, किसी पर मुसीबत टूट पड़े तो ख़ुश होता है और बजाए इसके कि किसी पर रह़म खाकर उसकी मदद करे ये ख़ुशी मनाता है। तब एक ऐसे शख़्स के आ़माल छः आसमानों से गुज़रकर सातवीं आसमान तक पहुँच जाते हैं जो नमाज़, रोज़ा, सद्क़ा, जिहाद और परहेगज़गारी से रौशन होते हैं जैसे कि सूरज की रौशनी होती है और सारे आसमानों में एक शोर बुलन्द हो जाता है और बिजली की सी कड़क सारे माह़ौल पर तारी हो जाती है तीन हज़ार फ़रिश्ते उन आ़माल के साथ चल रहे होते हैं और किसी फ़रिश्ते को रोक टोक की जुरअत नहीं होती कि अचानक सातवें निगेहबान फ़रिश्ते की आवाज़ आती है कि "बस ले जाओ इन आ़माल को उसी शख़्स के मुँह पर दे मारो और उसके दिल पर ताला लगा दो कि इन तमाम आ़माल से उसका मक़सद ह़क़ तआ़ला न था बल्कि उसका मक़सद सिर्फ़ ये था कि उसे उ़लमा-ए किराम के नज़दीक इ़ज़्ज़तो मर्तबा ह़ासिल हो जाए और शहर शहर में उसके नाम का डंका बजने लगे और मुझे हुक्म है कि ऐसे शख़्स के आ़माल को रास्ता न दूँ, इसलिये कि हर वह अ़मल जो ख़ास ह़क़ तआ़ला के लिये न हो वह रियाकारी कहलाता है और रियाकार के आ़माल ह़क़ तआ़ला के नज़दीक क़ाबिले क़ुबूल नहीं होते। तब किसी ऐसे शख़्स के आ़माल लाए जाते हैं कि सातवें आसमान से गुज़रकर अ़र्श पे जा पहुँचते हैं और ये आ़माल सरासर अख़्लाक़े नेक, ज़िक्रो फ़िक्र, और तस्बीह़ व इ़बादात पर शामिल होते हैं और तमाम आसमानों के फ़रिश्ते उसकी शहदात व गवाही के लिये ह़ाज़िर होते हैं। यहाँ तक कि उन आ़माल को हुज़ूर बारी तआ़ला में पेश कर दिया जाता है और सब के सब फ़रिश्ते एक साथ गवाही देते हैं कि ये आ़माल पाकीज़ा होने के अ़लावा ख़ुलूस व नेक नियती से भी मालामाल हैं । तब

हक़ तआ़ला की तरफ़ से इरशाद होता है कि " ऐ फ़रिश्तों! तुम इसके आमाल व कामों के निगेहबान ज़रूर हो लेकिन दिल की निगेहबानी मैं खुद करता हूँ और मुझे मालूम है कि इसने ये आमाल मेरे लिये नहीं किये क्योंकि इनके करते वक़्त इसकी दिली और अन्दरूनी नियत किसी और ही के लिये होती थी। पस इस पर मेरी लानत हो।" और अल्लाह तआ़ला के ये अल्फ़ाज़ सुनते ही फ़रिश्ते भी कहने लगते हैं कि बारे खुदाया! इस पर तेरी लानत हो और हमारी तरफ़ से भी लानत ही हो तब सातों आसमानों और उनके दरमियान हर चीज़ से यही सदाएं बुलन्द होने लगती हैं कि लानत हो इस रियाकार पर। (कीमियाए सआ़दत)

(7) सेहरी और इफ़्तार की सुन्नतः- सेहरी का अदब और सुन्नत ये है कि सेहरी रोज़ा रखने के वक़्त से पहले आख़िरी वक़्त में खाई जाए। सेहरी खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है किः सेहरी खा लिया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। एक और ह़दीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फ़रमाया किः दोपहर को थोड़ी देर आराम करके क़्याम (नमाज़) में सहूलत ह़ासिल करो। और सेहरी खाकर दिन में रोज़े के लिये ताक़त ह़ासिल करो। (इब्ने माजा)

एक और ह़दीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि हमारे और एहले किताब (यहूदी-ईसाई) के रोज़ों में फ़र्क़ सिर्फ़ सेहरी खाने का है। (मुस्लिम शरीफ़)

इफ़्तारी में जल्दी करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है यानी जैसे ही रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त हो जाए तो बिला ताख़ीर रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिये। एक ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दीन उस वक़्त तक ताक़तवर रहेगा जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे क्योंकि यहूदी और ईसाई रोज़ा इफ़्तार करने में देर किया करते थे। (इब्ने माजा)

एक और ह़दीस में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया किः अल्लाह तआ़ला ये फ़रमाता है कि मुझे अपने बंदों में से सबसे ज़्यादा पसन्दीदा वह है जो इफ़्तार में जल्दी करने वाला हो। (तिर्मिज़ी) इफ़्तार में जल्दी का मतलब ये है कि जब रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त हो जाए तो रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाए।

मरीज़ की मिज़ाजपुर्सी

बीमार आदमी की मिज़ाज पुर्सी यानी उसका हाल और तबीअ़त की हालत दरयाफ़्त करने को इ़यादते मरीज़ कहा जाता है। ये बड़ा अहम अख़्लाक़ी फ़रीज़ा है लिहाज़ा जब कोई रिश्तेदार, अ़ज़ीज़ या दोस्त पड़ोसी कोई और तअ़ल्लुक़ दार बीमार हो जाए तो उसकी इ़यादत के लिये ज़रूर जाना चाहिये। इससे अल्लाह राज़ी होता है। और ख़ासकर ऐसे मरीज़ की तीमारदारी फ़र्ज़े किफ़ाया है जिसका कोई अ़ज़ीज़ या रिश्तेदार न हो। मरीज़ की बीमार पुर्सी करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। क्योंकि हुज़ूर नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद बीमारों की इ़यादत का एहतमाम फ़रमाते। अकसर वक़्त जब कोई सहाबी बीमार हो जाता तो आप उसकी इ़यादत (हाल-चाल) के लिये तशरीफ़ ले जाते और उसके लिये दुआ़एं फ़रमाते और उसे शिफ़ा याब होने की तसल्ली देते। बअ़ज़ वक़्त आप न सिर्फ़ मुसलमान भाइयों की बल्कि किसी दूसरे इन्सान की भी मिज़ाजपुर्सी के लिये तशरीफ़ ले जाते। यही वजह है कि बीमारों की इ़यादत और अहमियत की फ़ज़ीलत के पेशे नज़र इसकी बड़ी ताकीद फ़रमाई है। लिहाज़ा हमारा अख़्लाक़ इस बात का तक़ाज़ा करता है कि जब कोई अ़ज़ीज़ या पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी ख़बर गीरी के लिये जाना चाहिये। अकसर बुज़ुर्गाने दीन और औलियाए उम्मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस सुन्नत की पैरवी बड़े एहतमाम से करते रहे हैं।

इ़यादत का लफ़्ज़ औ़द से निकला है जिसका लफ़्ज़ी मतलब लौटना और वापसी करना है। चूँकि बीमार की इ़यादत करने वाला बीमार की तरफ़ कभी-कभी आता है और वापसी करता है इसलिये ये लफ़्ज़ उन्हीं मअ़नों में इस्तेमाल होता है। इ़यादत के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इरशादात हस्ब ज़ैल हैं:-

(1) बीमार की मिज़ाजपुर्सी हुज़ूर की सुन्नत है:- बीमार की इ़यादत पर आ़मतौर पर उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली होती है जिससे उसकी तबीअ़त को ताक़त हासिल होती है और इस ताक़त से उसके मर्ज़ का ख़ातिमा होता है। इसके अ़लावा आपसी इत्तेफ़ाक़ और हमदर्दी में इज़ाफ़ा होता है जो ख़ैरो बरकत का ज़रिया बनती है इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने बीमार की इ़यादत की ताकीद फ़रमाई है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, भूखों को खाना खिलाओ, मरीज़ की इ़यादत करो और क़ैदी को क़ैद से छुड़ाओ। (बुख़ारी)

इस ह़दीस में तीन बातों का जो हुक्म दिया गया है वह किफ़ाया के तौर पर वाजिब है। जिसका मतलब ये है कि एक शख़्स भी इन अह़काम को पूरा करे तो बाक़ी दूसरे लोगों के लिये इनका पूरा करना ज़रूरी नहीं। फिर भी सबके लिये इन अह़काम का पूरा करना सुन्नत है और बाइ़से सवाब है। हां अगर कोई शख़्स भी इन अह़काम को पूरा न करे तो फिर सब ही कोताही के ज़िम्मेदार होंगे। एक और ह़दीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ताकीद फ़रमाई है कि जब किसी बीमार की इ़यादत करें तो उसके लिये शिफ़ा की दुआ़ भी करें।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब कोई बीमार की इ़यादत के लिये जाए तो ये कहे ख़ुदा वंद अपने बंदे को शिफ़ा अ़ता फ़रमा ताकि ये तेरे दुश्मनों को सज़ा दे या तेरी ख़ुशी ह़ासिल करने के लिये जनाज़े की पैरवी कर ले।(अबू दाऊद शरीफ़)

(2) मिज़ाजपुर्सी का इनआ़म:- इ़यादते मरीज़ का जन्नत के मर्तबों में इज़ाफ़ा है यानी मरीज़ की इ़यादत करना उन नेक कामों में से है जो मुसलमान के लिये जन्नत में बुलन्द दरजात के हुसूल का ज़रिया हैं। अल्लाह के एक बंदे का क़ौल है कि इ़यादत में रज़ाए इलाही को बहर सूरत पेशे नज़र रखना चाहिये और मरीज़ के लिये दिली हमदर्दी भी रखना ज़रूरी है यानी इ़यादत में दुनियवी ग़र्ज़ को पेशे नज़र न रखें न सोचे कि कल को इससे फ़लां फ़ायदा ह़ासिल करूँगा इससे इ़यादत का अज्र (सवाब) बरबाद होने का डर है।

ह़दीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई शख़्स मरीज़ की इ़यादत को जाता है तो एक ग़ैबी आवाज़ देने वाला ऐ़लान करता है तुझे ख़ुशख़बरी हो तेरा चलना अच्छा है और तूने जन्नत में

एक बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। (इब्ने माजा)

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ की इयादत करने वाले के इनआम और मकाम की ख़बर दी है जबकि कोई मरीज़ की इयादत को जाता है तो उसे ग़ैब (परोक्ष) से नेक अमल के कुबूल होने की बशारत मिलती है कि उसका ये अमल बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में मक़बूल है और उसका यह नेक काम जन्नत में दरजात बुलन्द होने का ज़रिया बनेगा।

(3) इयादत का अज्र:- मरीज़ की इयादत के अज्र (इनाम) की एक सूरत ये है कि उसकी कामयाबी और भलाई के लिये फ़रिश्ते दुआ करते हैं और जन्नत में उसके लिये एक बाग़ मुकर्रर कर दिया जाता है। इसकी वज़ाहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आपने फ़रमाया: जो मुसलमान सुबह के वक़्त किसी मुसलमान की इयादत करता है, सत्तर हज़ार फ़रिश्ते शाम तक उसके लिये दुआ करते रहते हैं और अगर शाम के वक़्त इयादत करता है तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये दुआ करते हैं और उसके लिये जन्नत में एक बाग़ मुकर्रर किया जाता है।

(तिर्मिज़ी अबू दाऊद)

(4) इयादत की अहमियत:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत की अहमियत व फ़ज़ीलत के मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़ाहिर फ़रमाया है कि बीमार की इयादत को अल्लाह तआला ने एक तरह अपनी इयादत के बराबर क़रार दिया है इसलिये इयादत का दर्जा कितना बड़ा है। इसका मक़सद ये है कि इयादत उतना ही अहम और ज़रूरी काम है कि उसे दूसरे कामों की निसबत ज़्यादा तवज्जोह और शौक़ से किया जाए। वक़्ती तौर पर अगर किसी काम को पस पुश्त डालकर भी मरीज़ की ख़िदमत और अयादत करनी पड़े तो ज़रूर करनी चाहिये न जाने कि मरीज़ कितनी तकलीफ़ में गिरफ़्तार हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला क़यामत के दिन बंदों से फ़रमाएगा ऐ इब्ने आदम! मैं बीमार हुआ

तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा खुदावंद तू रब्बुल आलमीन है मैं तेरी किस तरह इयादत करता। अल्लाह तआला फ़रमाएगा क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझसे खाना तलब किया लेकिन तूने मुझे खाना न दिया। बंदा कहेगा खुदा वंद तू रब्बुल आलमीन है मैं तुझे किस तरह खाना देता, रब करीम फ़रमाएगा। तुझसे मेरे फ़लां बन्दे ने खाना तलब किया लेकिन तूने उसे खाना न खिलाया क्या तुझे ये मालूम न था अगर तू उसको खाना खिला देता तो उसका सवाब मुझसे पाता। इब्ने आदम मैंने तुझसे पानी तलब किया लेकिन तूने मुझे पानी न पिलाया। बंदा कहेगा या रब मैं तुझे कैसे पानी पिलाता तू रब्बुल आलमीन है रब करीम फ़रमाएगा तुझसे मेरे फ़लां बन्दे ने पानी माँगा था लेकिन तूने उसको पानी न पिलाया। क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसको पानी पिला देता तो मुझे उसके क़रीब पाता।

(सही मुस्लिम शरीफ़)

(5) इयादत करने वाले पर अल्लाह की रहमत:- अल्लाह की रहमत का उसूल बड़ी बात है बल्कि निहायत खुश क़िस्मती की दलील है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की इयादत करने वाले पर अल्लाह की रहमत के इज़हार की यूँ वज़ाहत फ़रमाई कि जब कोई शख़्स किसी मरीज़ की ख़बर गीरी के लिये जाता है तो उस पर अल्लाह की रहमत का इतना ज़्यादा नुज़ूल होता है कि वह अल्लाह की रहमत में डूब जाता है यानी इयादत करने वाले पर अल्लाह तआला हर लिहाज़ से मेहरबान हो जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख़्स मरीज़ की इयादत के लिये जाता है तो वह दरियाए रहमत में ग़ोता लगाता है और जिस वक़्त वह मरीज़ के पास बैठता है तो वह दरियाए रहमत में ग़ोते लगाता है।

(मुसनद इमाम अहमद)

(6) इयादत जहन्नम से दूरी का सबब बनती है:- इयादत का एक और फ़ायदा ये है कि इयादत करने वाले से जहन्नम साठ साल के सफ़र जितनी दूर कर दी जाती है ये भी एक तरह की फ़ज़ीलत है ताकि मुसलमान आपस में इयादत की तरफ़ माइल रहें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर अपने मुसलमान भाई की अज्रो सवाब की नियत से इयादत की तो उसको साठ साल के पैदल सफ़र के बराबर जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। (अबू दाऊद शरीफ़)

(7) इयादत जन्नत की नेअ़मतों की हक़दार बनाती है:- जब कोई मुसलमान अपने किसी बीमार भाई की इयादत के लिये जाता है तो जब तक कि वह बीमार की इयादत और मिज़ाज पुर्सी से फ़ारिग़ होकर न आ जाए, बराबर अल्लाह तआ़ला की रहमतों और बरकतों से फ़ैज़याब होता रहता है जिसक अज्र ये होता है कि वह इस इन्सानी अख़्लाक़ी हमदर्दी और मुरव्वत की बिना पर जन्नत और जहाँ की नेअ़मतों से मालामाल होने का हक़दार हो जाता है।

हदीस शरीफ़: हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक मुसलमान जब अपने भाई की इयादत करता है वह उतनी देर जन्नत के बाग़ों से फल चुना करता है जब तक इयादत में रहता है।(मुस्लिम शरीफ़)

एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि आज तुम में से कौन रोज़े से है? हज़रत अबू बक्र ने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मैं,हुज़ूर ने फ़रमाया, आज तुम में से किसने मिसकीन (फ़क़ीर) को खाना खिलाया है? अर्ज़ किया मैंने! हुज़ूर ने फ़रमाया, आज जनाज़े के साथ कौन गया है? हज़रत अबू बक्र ने फिर अ़र्ज़ की मैं! हुज़ूर ने फिर फ़रमाया कि, आज किसने मरीज़ की इयादत की? अ़र्ज़ की मैंने! तो आख़िर हुज़ूर ने फ़रमाया कि, ये ख़ूबियाँ जिस शख़्स में होंगी वह ज़रूर जन्नत में दाख़िल किया जाएगा। (इब्ने ख़ुज़ैमा)

हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि जो शख़्स एक दिन में पाँच चीज़ें करेगा अल्लाह तआ़ला उसे जन्नितयों में से कर देगा।

(1) मरीज़ की इयादत करे। (2) जनाज़े के साथ जाए। (3) रोज़ा रखे। (4) जुमा पढ़ने जाए। (5) गुलाम आज़ाद करे।

(8) किसी को मरीज़ का हाल बताने का सुन्नत तरीक़ा:- इयादत करने वाले से अगर कोई दूसरा शख़्स मरीज़ की हालत दरयाफ़्त करे तो उसे अच्छे अल्फ़ाज़ से जवाब देना चाहिये। इसके बारे में हज़रत अली का तरीक़ा इस तरह था।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आख़िरी बीमारी के दौरान सरकार के दौलतकदे से आए तो लोगों ने दरयाफ़्त किया ऐ अबुल हसन! सरकार ने किस हालत में सुबह की है तो आपने फ़रमाया: बिहम्दिही तआला अच्छी तरह सुबह की है और बीमारी से शिफ़ा पाने वाले हैं। (बुख़ारी शरीफ़)

(9) बीमार को अल्लाह की तरफ़ शौक़ दिलाना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मअमूल था कि जब आप किसी की इयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो अल्लाह की तरफ़ शौक़ दिलाने की कोशिश करते यादे इलाही की तालीम फ़रमाते और अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करने की ताकीद फ़रमाते। लिहाज़ा बीमार को नेक आमाल की तरफ़ मुहब्बत दिलानी चाहिये। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख़्स की इयादत फ़रमाई जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान होने की नसीहत फ़रमाई तो उसने कलमा पढ़ लिया तो आपने उसे आग से निजात की ख़ुशख़बरी दी। इस हदीस के अल्फ़ाज़ यूँ हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक यहूदी के साहबज़ादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िद्मत करते थे जब वह बीमार हुए तो सरकार उनकी इयादत के लिये तशरीफ़ ले गए और उनके सरहाने बैठकर फ़रमाया तुम मुसलमान हो जाओ तो उन्होंने वहाँ मौजूद अपने वालिद की तरफ़ देखा तो वालिद ने कहा कि जनाब अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रमांबरदारी करो और मुसलमान हो जाओ जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से बाहर आए तो आपने फ़रमाया तारीफ़ें उस रब करीम के लिये हैं जिसने इस शख़्स को आग से बचा लिया। (बुख़ारी शरीफ़)

सरकार ने फ़रमाया जिसके घर गेहूँ की गेटी पकी हो वह अपने भाई के लिये भेज दे। इसी मौके पर सरकार ने फ़रमाया, जब तुम्हारा कोई मरीज़ कुछ खाने की ख़्वाहिश करे तो खिलाना चाहिये। (इब्ने माजा शरीफ़)

(12) मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक़:- नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है कि, मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हुकूक़ हैं यानी सलाम का जवाब देना। मरीज़ की इयादत करना। जनाज़ों के साथ जाना। दावत कुबूल करना। छींकने वाले का जवाब देना। इससे मालूम हुआ कि मरीज़ की इयादत भी उन्हीं में से है जिसका अदा करना हमारे लिये ज़रूरी है। उ़लमा-ए किराम का क़ौल है कि ये पाँचों चीज़ें फ़र्ज़े किफ़ाया हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, बीमर की इयादत करना, जनाज़ों के साथ जाना, दावत को कुबूल करना, छींकने वाले की छींक का जवाब देना। (बुख़ारी शरीफ़)

एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात बातें करने की तअ़लीम दी है और सात बातों से मना फ़रमाया है। करने की बातों में इयादते मरीज़ की भी ताकीद फ़रमाई है वह बातें हस्ब ज़ैल हैं:-

हदीस शरीफ़: हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सात बातों के करने का हुक्म दिया है। मरीज़ की इयादत करना, जनाज़ों के साथ जाएं, छींकने वाले की छींक का जवाब दें, दावत देने वाले की दावत को कुबूल करें, क़सम खाने वाले को सच्चा कर दें और मज़लूम की मदद करें। और सात बातों से मना फ़रमाया, मर्द सोने की अंगूठी न पहने, सुर्ख़ रंग के फ़र्श पर न बैठें, ख़ास रेशम के बने हुए कपड़े क़तई न पहनें, चाँदी के बर्तन से कुछ न पियें और जिसने चाँदी के बर्तन में कुछ पिया वह आख़िरत में चाँदी के बर्तन से कुछ न पियेगा। (मुस्लिम शरीफ़)

(13) इयादत का सुन्नत तरीक़ा:- इयादत के लिये जब किसी के घर या हस्पताल में जाएं तो इधर उधर न देखें। दिल में दुरूद शरीफ़ पढ़कर बातचीत शुरु करें। मरीज़ और उसके रिश्तेदारों को हर तरह से

तसल्ली दें कि इंशा अल्लाह जल्द शिफ़ा होगी और इस बीमारी की तकलीफ़ से गुनाहों का ख़ातिमा होगा और दरजात में तरक़्क़ी होगी और अल्लाह तआ़ला हर तरह रहम फ़रमाएगा। बीमार या उसके घर वालों के सामने ऐसी बात बिल्कुल न करें जिससे ज़िन्दगी की उम्मीद जाती रहे और उनका दिल टूट जाए बलिक हर लिहाज़ से तसल्ली दें ताकि उनकी परेशानी में कमी हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम मरीज़ की इयादत के लिये जाओ तो उसकी ज़िन्दगी से ग़मों को दूर करने की कोशिश करो इससे तक़दीर तो नहीं बदलेगी (यानी मौत तो उसको वक़्त पर ही आएगी) लेकिन बीमार को ख़ुशी होगी।(इब्ने माजा शरीफ़)

अगर इयादत करने वाले के तअ़ल्लुक़ात बीमार से अच्छे न भी हों तो फिर भी ऐसे वक़्त में हर लिहाज़ से जज़्बए हमदर्दी से काम लेना चाहिये। अगर इयादत के वक़्त मरीज़ जवाबन बुरी बात कह दे तो दिल पर उसका मलाल नहीं लाना चाहिये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ की इयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो मुन्दर्जा ज़ैल तरीक़ा इख़्तियार फ़रमाते।

हदीस शरीफ: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक देहाती की इयादत के लिये तशरीफ़ ले गए सरकार का मअ़मूल ये था जब आप किसी मरीज़ की इयादत के लिये जाते तो मरीज़ से फ़रमाते कोई हरज नहीं बीमारी इंशा अल्लाह गुनाहों से पाक करने वाली है, देहाती ने कहा हरगिज़ नहीं बल्कि एक बूढ़े पर बुख़ार की सख़्ती है तो उसको क़ब्र से मिला देगी सरकार ने फ़रमाया हां ऐसा तो होगा। (बुख़ारी शरीफ़)

(14) इयादत के वक़्त मरीज़ के लिये दुआ़ करना सुन्नत है:- मरीज़ के पास जाकर उसकी तबीअ़त का हाल पूछना और उसके लिये सेहत की दुआ़ करना सुन्नत है। इयादत के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मअ़मूल था कि जब आप किसी मरीज़ के पास जाते तो उससे पूछते तबीअ़त कैसी है? फ़िर तसल्ली देते और फ़रमाते घबराने की कोई बात नहीं ख़ुदा ने चाहा तो ये मर्ज़ जाता रहेगा क्योंकि ये मर्ज़ गुनाहों से

पाक होने का ज़रिया है। सब्र से काम लेने की तलक़ीन फ़रमाते। दर्द और तकलीफ़ की जगह पर हाथ फेरते और दुआ फ़रमाते कि अल्लाह तआ़ला ! इसे शिफ़ा अ़ता फ़रमा।

हदीस शरीफ़: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि जब हम में कोई मर्ज़ की शिकायत करता तो सरकार उसकी पेशानी पर दाहिना हाथ मुबारक रख कर ये दुआ़ देते:-

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآءُ كَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

"अज़्हिबिल बअ-स रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ा-अ इल्ला शिफ़ाउ-क शिफ़ाअल ला युग़ादिरु स-क़मा"

(15) सात मर्तबा दुआ़ए शिफ़ा पढ़ने की नसीहत:- मरीज़ के क़रीब इयादत के वक़्त सात मर्तबा ये दुआ़ पढ़ना सुन्नत है इस दुआ़ के पढ़ने से अल्लाह तआ़ला मरीज़ की सेहत याबी का कोई न कोई ज़रिया बना देता है बशर्ते कि उसका वक़्त न आ गया हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो अपने मुसलमान भाई की इयादत के वक़्त सात मर्तबा ये दुआ़ पढ़े "मैं अल्लाह रब्बुल आ़लमीन से जो अ़र्शे अ़ज़ीम का भी रब है दुआ़ करता हूँ कि वह अल्लाह तआ़ला तुझे शिफ़ा अ़ता करे।" मगर अल्लाह तआ़ला उसको शिफ़ा अ़ता कर देता है सिवाए उसके कि उसकी मौत का वक़्त ही आ गया हो। (अबू दाऊद शरीफ़)

(16) मरीज़ के क़रीब शोर करने की मुमानिअ़त:- इयादत के वक़्त मरीज़ के पास शोर करना ख़िलाफ़े सुन्नत है अगर मरीज़ अपने पास बैठने में तकलीफ़ महसूस करे। या उसके ज़हन पर परेशानी का सबब बनता हुआ नज़र आए तो फिर बैठने में कमी कर देनी चाहिये ताकि मरीज़ की परेशानी में इज़ाफ़ा न हो। लिहाज़ा ख़्वामख़्वाह ज़्यादा देर बैठकर बीमार और घरवालों के मिज़ाज पर बोझ न बनना चाहिये। हां अलबत्ता अगर कोई मरीज़ आपका बे तकल्लुफ़ दोस्त या अ़ज़ीज़ है और वह ख़ुद आपको देर तक बैठाए रखने का ख़्वाहिशमंद है तो उसके जज़्बात की क़द्र करें और उस वक़्त तक बैठें जब तक उसका दिल चाहे।

अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जनाज़े को जल्दी तैयार करके उसे दफ़न करने की ताकीद फ़रमाई है। इसलिये मय्यत को ज़्यादा देरे रोके रखना अच्छा नहीं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मय्यत को ज्लद दफ़न करो अगर वह नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ़ जल्दी पहुँचा रहे हो। और अगर इसके अ़लावा है यानी बुरा है तो उस बोझ को जल्द अपने कंधों से उतार रहे हो। (मुस्लिम शरीफ़)

एक और ह़दीस में हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि जिस वक़्त जनाज़ा तैयार किया जाता है और लोग उसे अपनी गर्दनों पर उठा लेते हैं तो कहता है कि मुझे जल्दी लेकर चलो बशर्ते कि नेक हो। अगर नेक न हो तो कहता है कि हाए अफ़सोस तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो उसकी आवाज़ इन्सान के अ़लावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाए।

(बुख़ारी शरीफ़)

(2) जनाज़े को कंधा देना सुन्नत है:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जनाज़े को कंधा देने की ताकीद फ़रमाई है और बारी बारी तीन मर्तबा कंधा देना चाहिये। हुज़ूर सैय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुद सअ़द इब्ने मआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के जनाज़े को कंधा दिया। जनाज़े को कंधा देने से एक तो इन्सान को मौत याद आती है और ख़ौफ़े इलाही तारी होता है जिससे दिल दुनिया से मोड़ कर यादे इलाही की तरफ़ माइल होता है और दूसरे एहतेरामे मय्यत मक़सूद होता है और नसीहत हासिल होती है कि वही इन्सान जो हम में खाता पीता, चलता फिरता था आज अपने अंजाम ब ख़ैर के लिये दूसरों का मुहताज है। इसलिये हर इन्सान को अपने बेहतर अन्जाम का तलबगार रहना चाहिये।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने जनाज़े की पैरवी की और तीन मर्तबा कंधा दिया तो उसने अपने ऊपर जनाज़े का जो हक़ था उसकोअदा किया। तिर्मिज़ी ने इस ह़दीस को ग़रीब बताया। शरहुस्सुन्ना में इस तरह ज़िक्र है कि तहक़ीक़ रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत सअ़द बिन मआ़ज़ के जनाज़े को दो लकड़ियों पर उठाया। (मिश्कात)

जनाज़े का सर आगे की तरफ़ होना चाहिये और जब ज़मीन पर रखें तो चेहरा क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिये।

(3) जनाज़े के साथ चलने का सुन्नत तरीक़ा:- जनाज़े के साथ चलने का अदब ये है कि जनाज़े के दाएं बाएं और पीछे रहकर चलें। पैदल चलना अफ़ज़ल है। अगर जनाज़ा बहुत दूर ले जाना हो तो इस सूरत में जनाज़े को किसी सवारी पर रखें और उसके साथ दाएं बाए चन्द लोगों का जाना ज़रूरी है। जनाज़े को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं। जनाज़े को दरम्यानी रफ़तार से ले जाएं। क़दम फुर्ती से उठाने चाहिये मगर इतनी तेज़ी से न जाएं कि ज़्यादा तेज़ चलने वाले बिल्कुल पीछे रह जाएं अगर कोई न चलने की मजबूरी से या वापस सवारी पर आने की ग़र्ज़ से सवारी पर हो तो उसे चाहिये कि जनाज़े के बिल्कुल पीछे चले और आगे न चले। जनाज़े के साथ चलते वक़्त आ़जिज़ाना तरीक़े से दिल में अल्लाह को याद करते जाएं। हंसी मज़ाक और बेहूदा बात करना मना है।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं तहक़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सवारी पर चलने वाला जनाज़े के पीछे चले और पैदल चलने वाला जनाज़े के आगे-पीछे, दाएं-बाएं चल सकता है। ना मुकम्मल (कच्चा) बच्चे पर नमाज़ पढ़ी जाए और उसके वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ़ की जाए। (अबू दाऊद, अहमद, तिर्मिज़ी शरीफ़)

औ़रतों का जनाज़े के साथ जाना मम्नूअ़ और ख़िलाफ़े शरअ़ है अगर कोई औ़रत जनाज़े में शिरकत करेगी तो वह गुनहगार होगी।

(4) जनाज़े से आगे चलने की मुमानिअ़त:- हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जनाज़े से आगे चलने को पसन्द नहीं फ़रमाया क्योंकि जनाज़े के आगे-आगे चलने से जनाज़े के एहतेराम पर चोट पड़ती है और वैसे भी अख़्लाक़ी नुक़्त-ए-नज़र से जनाज़े के आगे चलना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर रास्ते में दूसरों को एक तरफ़ करने के लिये आगे चलना पड़े तो इसमें कुछ हरज नहीं क्योंकि वह जनाज़े जिनमें मख़्लूक़ बहुत होती है और रास्ते भीड़ की वजह से रुक जाते हैं तो इस सूरत में आगे से लोगों

को हटाने और इन्तिज़ाम करने की ग़र्ज़ से अगर चन्द हज़रात को जनाज़े के आगे आगे भी चलना पड़े तो वह जाइज़ होगा। फ़तावा आ़लमगीरी में है कि अगर कोई जनाज़े से आगे चले तो उसे चाहिये कि इतनी दूर आगे चले कि जनाज़े के साथियों में शुमार न हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जनाज़े को अव्वल किया गया है यानी उसके पीछे जाए और जनाज़ा पैरवी नहीं करता यानी किसी के पीछे नहीं चलता और जो शख़्स जनाज़े से आगे चले वह उसके साथ शुमार नहीं होता। (अबू दाऊद शरीफ़)

(5) दफ़्न में शामिल होने का अज्र:- मुसलमान के जनाज़े में हुसूले सवाब की ग़र्ज़ से शामिल होने का अज्र बहुत ज़्यादा है यानी जनाज़े में शामिल होने की नियत में इख़्लास और रज़ाए इलाही पेशे नज़र हो और दूसरों को दिखावा या मरने वाले के वारिसों की ख़ुश आमद मक़सूद न हो और न कोई दुनियावी ग़र्ज़ छुपी हो तो उसे उहद पहाड़ जितनी नेकियों का अज्र मिलेगा। जनाज़ा पढ़कर दफ़्न क़ब्रिस्तान में रहने का सवाब सिर्फ़ जनाज़े में शामिल होने से बहुत ज़्यादा है इसलिये अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो फिर दफ़्न तक जनाज़े वालों के साथ शामिल रहें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स मुसलमान के जनाज़े के साथ हालते ईमान में हुसूले सवाब के लिये जाता है और नमाज़ जनाज़ा के बाद दफ़्न तक साथ रहता है तो वह दो क़ीरात लेकर वापस होता है और हर क़ीरात का सवाब उहद (पहाड़) के बराबर है। जो शख़्स नमाज़ जनाज़ा के बाद दफ़्न से पहले वापस आ जाता है तो वह एक क़ीरात लेकर वापस होता है। (बुख़ारी शरीफ़)

(6) नेक और बद मय्यत की हालत:- उ़लमा-ए किराम का कहना है कि मुर्दा दूसरों की आवाज़ सुनता है अगरचे उसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी होती है। इन्सान के अ़लावा दूसरे जानदार उसकी आवाज़ सुनते हैं। नेक बख़्त मुर्दे की रूह कहती है कि मुझे अपने असली मक़ाम तक जल्दी ले जाओ क्योंकि वह अल्लाह की रहमत और जन्नत की नेअ़मतें देख रहा होता है इसके बरअ़क्स बद बख़्त इन्सान अ़ज़ाबे इलाही को

देखकर वावैला करता है और कहता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, यानी कि जनाज़े की हालत में भी उसकी रूह इस जिस्मानी दुनिया से आख़िरत की तरफ़ नहीं जाना चाहती।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब मय्यत को चारपाई पर रख कर उठाया जाता है तो अगर वह मरने वाला नेक होता है तो कहता है मुझे जल्द ले चलो और अगर नेक नहीं होता तो अपने रिश्तेदारों से कहता है मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ इन्सानों के अलावा सब मख़्लूक़ (जानदार) सुनती हैं अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाए। (बुख़ारी शरीफ़)

(7) जनाज़ा रखने से पहले बैठने की मुमानिअत:- जनाज़ा जब तक न रखा जाए, सेहतमंद हज़रात के लिये बैठना दुरुस्त नहीं अलबत्ता जब जनाज़ा रख दिया जाए तो बैठने में कोई हरज नहीं। क़ब्रिस्तान में जब मय्यत की चारपाई को कंधों से उतार कर ज़मीन पर रखा जाता है तो उसे आराम से रखना चाहिये। एहतेरामन दफ़न करने तक खड़े रहकर अल्लाह का ज़िक्र करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जिस्मानी तकलीफ़ या कमज़ोरी के सबब बैठना चाहें तो बैठ जाएं मगर किसी क़ब्र पर न बैठें।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम जनाज़े को देखो तो खड़े हो जाओ और जो शख़्स जनाज़े के साथ जाए वह उस वक़्त तक न बैठे जब तक कि उसको क़ब्र में न रख दिया जाए। (मुसिलम शरीफ़)

(8) जनाज़े से वापसी की सुन्नत:- जनाज़े से वापसी का सुन्नत तरीक़ा ये है कि दफ़न के बाद आराम से दोस्तों के साथ मिल जुल कर वापस आएं। अगर क़ब्रिस्तान नज़दीक हो तो पैदल आ जाएं अगर वापसी के फ़ासले में दूरी हो तो सवारी पर आ जाएं क्योंकि वापसी पर सवारी पर आने में कुछ मुमानिअत नहीं बल्कि हुज़ूर एक मर्तबा एक जनाज़े में शामिल होने के बाद वापस सवारी पर आए।

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने दहदाह

के जनाज़े से घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर वापस हुए उस वक़्त हम लोग आपके साथ पैदल चल रहे थे। (मुस्लिम शरीफ़)

(9) जनाज़े में सवारी पर जाने का मसअला:-हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में एक मर्तबा एक जनाज़े में शामिल होने वाले बहुत से लोग सवारियों पर सवार थे और सिर्फ़ चन्द लोग पैदल थे फ़ासला भी ज़्यादा न था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जनाज़े में शामिल हज़रात को जो बिला ज़रूरत सवारी इस्तेमाल कर रहे थे मना फ़रमाया कि जनाज़े के साथ पैदल चलो मक़सद ये है कि जहाँ सवारी की ज़रूरत नहीं तो फिर सवारी पर सवार होकर जनाज़े में न जाएं अगर जनाज़ा ले जाने की राह लम्बी हो तो फिर सवारी इस्तेमाल में ला सकते हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत सोअ़बान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक जनाज़े में शरीक चन्द सवारों को देखकर फ़रमाया, क्या तुम फ़रिश्तों से हया नहीं करते कि वो पैदल चल रहे हैं और तुम जानवरों की पीठ पर सवार हो। (इब्ने माजा अबू दाऊद)

(10) जनाज़ा देखने पर खड़े होने का मसअला:- जनाज़े का एहतेराम और अदब करने के लिये जनाज़े को देखकर खड़े हो जाना चाहिये। अगर सवारी पर हो तो उसे सवारी खड़ी कर लेनी चाहिये। मगर उ़लमा-ए किराम का इस बारे में इख़्तिलाफ़ है बअ़ज़ उ़लमा का कहना है कि अगर कोई जनाज़े में जाने का इरादा न रखता हो तो उसके लिये जनाज़ा देखकर खड़े होना ज़रूरी नहीं अलबत्ता बअ़ज़ उ़लमा-ए किराम का कहना है कि उसे इख़्तियार है कि ख़्वाह खड़ा रहे या बैठा रहे। इसी तरह बअ़ज़ उ़लमा का ये क़ौल भी है कि खड़े हो जाना या बैठे रहना दोनों तरह ही बेहतर है। जनाज़ा देखकर एहतेरामन खड़े होने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस ये है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम्हारे सामने से यहूदी, ईसाई या मुसलमान का जनाज़ा गुज़रे तो तुम उसके लिये खड़े हो जाओ और तुम्हारा खड़ा होना जनाज़े की वजह से नहीं

बल्कि उसके साथ जो फ़रिश्ते होते हैं उनकी वजह से है।

(मुसनद इमाम अहमद)

एक और हदीस में खड़े होने की तअ़लीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाई है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक जनाज़ा गुज़रा तो उसको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हो गए तब हम भी सरकार के साथ खड़े हुए और बाद में हमने सरकार से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ! वो जनाज़ा यहूदिया का था उस वक़्त सरकार ने फ़रमाया, मौत घबराहट वाली चीज़ है जब तुम जनाज़े को देखो तो खड़े हो जाओ। (बुख़ारी शरीफ़)

जनाज़े को देखकर खड़े होना बहर हाल बेहतर है क्योंकि ज़्यादा अहादीस से यही बात ज़ाहिर होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जनाज़े के लिये एहतेरामन खड़े होने को पसन्द फ़रमाया है।

(11) छोटे बच्चे का जनाज़ा:- छोटा बच्चा दूध पीने वाला या अभी दूध छोड़ा है या उससे कुछ बड़ा उसको अगर एक शख़्स हाथ पर उठाकर ले चले तो हर्ज नहीं और एक दूसरे के बाद लोग हाथों हाथ लेते रहें और अगर कोई शख़्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाज़े को हाथ पर लिये हो जब भी हर्ज नहीं और इससे बड़ा मुर्दा हो तो चारपाई पर ले जाएं।

आदाबे क़ब्रिस्तान

क़ब्रिस्तान नसीहत व सबक़ लेने की जगह है जो हमें मौत और आख़िरत की याद दिलाता है क्योंकि मरने के बाद हर शख़्स का मक़ाम क़ब्र है। मुसलमान इज्तिमाई (सामूहिक) तौर पर जहाँ अपने मुर्दे दफ़न करते हैं उसे क़ब्रिस्तान कहा जाता है। क़ब्रिस्तान मुसलमान आबादी की बहुत ही अहम जगह है इसलिये इसकी हिफ़ाज़त करना और इसमें आने जाने के लिये इस्लामी आदाब को ज़हन में रखना हमारा अख़्लाक़ी और बुनियादी फ़रीज़ा है। आ़मतौर से जनाज़ा दफ़न करने के लिये क़ब्रिस्तान जाने का मौक़ा हर एक को कभी न कभी पेश आता रहता है इसके अ़लावा आ़म हालात में भी जब किसी का दिल चाहे तो वह ज़ियारते क़ब्र की ग़र्ज़ से क़ब्रिस्तान जा सकता है। बहर कैफ़ क़ब्रिस्तान में कभी कभी जाते रहना चाहिये ताकि मौत याद रहे।

हुज़ूर नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मय्यत दफ़न करने के वक़्त क़ब्रिस्तान में जाते और बअ़ज़ वक़्त ज़ियारते क़ब्र की ग़र्ज़ से भी क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते इससे मालूम हुआ कि क़ब्रिस्तान में जाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ियारते क़ब्र की ताकीद भी फ़रमाई है। क़ब्रिस्तान में जाकर हस्ब ज़ैल आदाब को शरीअ़त और सुन्नत के मुताबिक़ अंजाम देना चाहिये।

(1) क़ब्रिस्तान में दाख़िले का तरीक़ा:- क़ब्रिस्तान में बड़े अदब और ख़ामोशी से दाख़िल होना चाहिये और दिल में ख़ौफ़े इलाही को नज़र में रखना चाहिये और इस बात को ताज़ा करना चाहिये कि ऐ बन्दे एक दिन तू भी इनके साथ आकर मिल जाएगा इसलिये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यादे इलाही में मश्ग़ूल रखे और नेक आ़माल करने की तरफ़ माइल करे क्योंकि क़ब्रिस्तान में जाने से मौत याद आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब क़ब्रिस्तान में जाते तो क़ब्र वालों को सलाम कहते इसलिये क़ब्रिस्तान में दाख़िले के वक़्त हस्ब ज़ैल अहादीस के अल्फ़ाज़ के मुताबिक़ क़ब्र वालों को सलाम कहना हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

(1) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के क़ब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए तो क़ब्रों की तरफ़ मुतवज्जेह होकर फ़रमाया:-

तर्जमा: ऐ क़ब्र वालों! तुम पर सलामती हो अल्लाह तआ़ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए तुम हमसे पहले गुज़र गए हम बाद में आने वालों में से हैं। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

(2) हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सहाबा को क़ब्रिस्तान की हाज़िरी के आदाब की तालीम देते और ये फ़रमाते जब तुम क़ब्रिस्तान जाओ तो ये कलिमात कहो।

तर्जमा: इस बस्ती के मोमिन और मुसलमान रहने वालों! तुम पर सलामती हो बेशक अल्लाह ने चाहा तो हम भी अ़नक़रीब तुमसे मुलाक़ात करते हैं। हम अल्लाह तआ़ला से अपने लिये और तुम्हारे लिये रहम के तलबगार हैं। (मुस्लिम शरीफ़)

(3) हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं किस तरह किस बात को अदा करूँ मुझे आप ज़ियारते क़ब्र के बारे में रहनुमाई फ़रमाएं, तब सरकार ने फ़रमाया तुम ज़ियारते क़ब्र के वक़्त ये कलिमात कहो:-

तर्जमा: ऐ बस्ती को मोमिन और मुसलमान रहने वालों खुदावंद हम में से पहले गुज़रने वालों और पीछे रहने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए और बेशक अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अ़कनक़रीब तुमसे मिलने वाले हैं। (मुस्लिम शरीफ़)

(2) **क़ब्रों की ज़्यारत की तअ़लीम:-** शुरु शुरु में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सहाबा को क़ब्रिस्तान में ज़ियारते क़ब्र की ग़र्ज़ से जाने के लिये मना फ़रमाया करते थे क्योंकि इब्तिदाई दौर में क़ब्रों पर जाने से पूजा का ख़तरा था लेकिन जब मुसलमानों के ईमान अल्लाह की तौहीद पर हद दर्जे के मज़बूत हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को चन्द बातों की इजाज़त इनायत फ़रमाई जिनमें क़ब्रों की ज़ियारत भी थी।

हदीस शरीफ़: हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने तुम्हें ज़ियारते कुबूर से मना फ़रमाया था लेकिन अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, मैंने कुरबानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने से मना किया था अब जब तक और जितना चाहो ज़ख़ीरा कर सकते हो। मैंने तुम्हें नबीज़ (खजूर का अर्क़) मश्कीज़ा के अ़लावा हर किसी चीज़ से पीने से मना फ़रमाया था अब तुम सब बर्तनों से पी सकते हो बशर्ते कि वो नशा लाने वाला न हो। (मुस्लिम शरीफ़)

एक अल्लाह के बंदे का क़ौल है कि क़ब्रिस्तान में जाना बेहतर है क्योंकि क़ब्रिस्तान में जाकर क़ब्रों को देखने से दिल में नर्मी पैदा होती है मौत याद आती है और दिलो दिमाग़ में ये अ़क़ीदा मज़बूत हो जाता है कि दुनिया फ़ना होने वाली है।

हज़रत इब्ने मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मैंने पहले तुम्हें क़ब्रों पर जाने से मना फ़रमाया था मगर अब तुम क़ब्रों पर जाया करो क्योंकि क़ब्रों पर जाना दुनिया से दूरी पैदा करता है और आख़ेरत की याद दिलाता है। (इब्ने माजा शरीफ़)

(3) वालिदैन की क़ब्रों पर जाने का हुक्मः- वालिदैन (माँ-बाप) की क़ब्रों पर जाकर उनके लिये दुआ़ए मग़फ़िरत करना उनके लिये ईसाले सवाब करना फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर कोई अ़ज़ाब में मुब्तला हो तो औलाद जब क़ब्र पर जाकर ईसाले सवाब करती है तो उसके अ़ज़ाब में कमी कर दी जाती है और अगर कोई राहत में हो तो उसे और राहत मयस्सर आती है। वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने में ये बात भी शामिल है कि जब वह दुनिया से रुख़्सत हो जाएं तो फिर उनकी क़ब्रों पर जाकर कुरआन ख़्वानी करके उनकी रूहों को बख़्शा जाए। ये बात उनके लिये फ़ायदेमन्द साबित होगी। लिहाज़ा नेक औलाद के लिये ज़रूरी है कि वह हफ़्ते में एक बार ज़रूर अपने वालिद और वालिदा की क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाए और उनके लिये मग़फ़िरत की दुआ़ करे।

हदीस शरीफ़: हज़रत मुहम्मद बिन नोअ़मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक अल्फ़ाज़ हदीस को पहुँचाते हुए रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स जुमे के दिन वालिदैन की या उनमें से एक की क़ब्र की

ज़ियारत करे तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसका नाम नेक लोगों में लिखा जाता है। (बेहक़ी)

तिबरानी की एक रिवायत में है कि खुदा जन्नत में एक नेक बंदे का मर्तबा बुलन्द फ़रमाता है तो वह बंदा पूछता है, परवरदिगार मुझे ये मर्तबा कहाँ से मिला? खुदा फ़रमाता है तेरे लड़के की वजह से कि वह तेरे लिये मग़फ़िरत करता रहा।

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो उसके सब अ़मल ख़त्म हो जाते हैं सिवाए तीन आ़माल के, सद्क़-ए जारिया, फ़ायदा देने वाला इ़ल्म, और नेक औलाद जो वालिदैन के लिये दुआ़ करती रहती है। (शरहुस्सुदूर)

(4) ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा:- ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा ये है कि क़ब्रिस्तान में अदब के साथ दाख़िल होकर जिस क़ब्र पर आप जाना चाहें जाएं रास्ते के ज़रिये जाएं, क़ब्रों पर से गुज़रने से परहेज़ करें और न किसी क़ब्र पर पाँव आने दें और जब क़ब्र पर पहुँच जाएं तो उसके पायंती जानिब से होकर मुँह की तरफ़ हो जाएं और उससे इतने फ़ासले पर बैठ जाएं जितना कि ज़िन्दगी में बैठा करते थे,बुजुर्गों का कहना है कि सरहाने की तरफ़ से न आएं कि मय्यत के लिये तकलीफ़ का सबब बनता है यानी मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा कि कौन आया है। इसके बाद सलाम कहें इसके बाद क़ुरआन पाक की जितनी तिलावत करनी चाहें इसके बाद उसका सवाब साहिबे क़ब्र की रूह को बख़्शें।

आ़म दिनों की निस्बत जुमे के दिन जाना ज़्यादा बेहतर है। फ़तावा आ़लमगीरी में लिखा है कि चार दिन यानी पीर, जुमेरात, जुमा और हफ़ता ज़ियारत के लिये बेहतर हैं। जुमे के दिन बाद नमाज़े जुमा अफ़ज़ल है। हफ़ते के दिन सूरज निकलने तक और जुमेरात को दिन के अव्वल वक़्त में पिछले वक़्त में, पीर के रोज़ रात के पिछले पहर में, बरकत वाली रातों में यानी शबे बराअत, शबे क़द्र, ईदैन के दिन और बक़रा ईद की दस तारीख़ में ज़ियारते क़ब्र बेहतर है।

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मेरे यहाँ तशरीफ़ आवुरी की बारी होती है तो सरकार रात के आख़िरी हिस्से में क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते और वहाँ ये कलिमात फ़रमाते: "इस बस्ती

की ईमानदार क़ौम! तुम पर सलामती हो, तुम्हें वह चीज़ मिल गयी जिसका तुमसे कल तक का वादा किया गया था और तुम्हें मोहलत दी गयी थी , और हम भी इंशा अल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। ख़ुदावंद बक़ीअ़ ग़रक़द (क़ब्रिस्तान) के मोमिनीन की मग़फ़िरत फ़रमा।''

(मुस्लिम शरीफ़)

(5) क़ब्रों पर बैठने की मज़म्मत:- क़ब्रिस्तान में बहुत एहतियात करनी चाहिये कि किसी क़ब्र पर न बैठे क्योंकि क़ब्र पर बैठने से गुनाह होगा अगर बैठना पड़े तो ऐसी ज़मीन पर बैठ जाएं जहाँ क़ब्र न हो अगर किसी क़ब्र के साथ कोई चबूतरा वग़ैरा बना हो तो उस पर बैठने में हरज नहीं। मैंने कई मर्तबा देखा है कि क़ब्रिस्तान में जब लोग किसी मय्यत को दफ़न करने जाते हैं तो लोग क़ब्र पर बैठने से गुरेज़ नहीं करते और अगर किसी से न बैठने के लिये कहा जाए तो बड़े आराम से कह देते हैं कि हमने भी मर कर मिट्टी में ही जाना है। ये कोई दलील नहीं बल्कि क़ब्रिस्तान में अदब को बरक़रार रखना अंजाम बख़ैर की दलील है।

बअ़ज़ लोग क़ब्रिस्तानों में जाकर नशा करते हैं या जुआ वग़ैरा खेलते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुरे हैं उन्हें मौत के पास जाकर भी बुराई नहीं भूलती। ऐसे ही बअ़ज़ लोगों की आ़दत होती है कि वह क़ब्रिस्तान में जाकर दुनिया की अच्छी बुरी बातें करना शुरु कर देते हैं। किसी की ग़ीबत करने से भी बाज़ नहीं आते तो इस तरह के ख़िलाफ़े शरअ़ काम क़ब्रिस्तान में मना हैं।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि, अगर तुम में से कोई शख़्स आग की चिंगारी पर बैठे हत्ता कि उसके कपड़े जल जाएं तो ये क़ब्रों पर बैठने से बेहतर है। (नसई शरीफ़)

ऐसे ही क़ब्र के साथ तकिया लगाने से मना फ़रमाया गया है ताकि रूह को तकलीफ़ न हो।

हदीस शरीफ़: हज़रत अ़मर बिन जज़्म रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मर्तबा क़ब्र पर तकिया लगाए देखकर फ़रमाया कि साहिबे क़ब्र को तकलीफ़ न दो। (अहमद)

बयान में कमी करती हैं। (मिश्कात शरीफ़)

(7) साहिबे क़ब्र के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखने की ताकीदः- क़ब्र पर जाकर साहिबे क़ब्र की इ़ज़्ज़त और अदब को उसी तरह नज़र में रखो जिस तरह उसकी ज़िन्दगी में रखते थे लिहाज़ा वहाँ कोई हँसी या मज़ाक़ वाली बात नहीं करनी चाहिये यानी संजीदगी इख़्तियार करनी चाहिये, और न ही कोई तौहीन वाला काम करना चाहिये जो मोमिन की तअ़ज़ीम के ख़िलाफ़ हो, इस अदब की सनद हज़रत आ़यशा की ये रिवायत है:-

हदीस शरीफ़: हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं कि जब मैं हुजरे में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आराम फ़रमा हैं, आती तो अपनी ओढ़नी उतारकर रख देती थी और ये कहती थी कि यहाँ मेरे शौहर और मेरे वालिद आराम फ़रमा हैं लेकिन जब वहाँ हज़रत उ़मर दफ़न किये गए तो ख़ुदा की क़सम! मैं अपने कपड़ों को समेट कर चादर से ख़ूब ढक कर हज़रत उ़मर से हया करते हुए हुजरे में आती हूँ।

बअ़ज़ लोग बज़ाहिर दुनिया से दूर होकर क़ब्रिस्तानों में डेरा लगा लेते हैं और वहाँ रिहाइश इख़्तियार कर लेते हैं, उ़लमा ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है क्योंकि क़ब्रिस्तान की ज़मीन को ज़ाती इस्तेमाल में लाना दुरुस्त नहीं क्योंकि क़ब्रिस्तानों में रिहाइश इख़्तियार करने से क़ब्रों का अदब बरक़रार नहीं रहता।

(8) क़ब्र की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने की मुमानिअ़तः- क़ब्रिस्तान में या किसी और मक़ाम पर क़ब्र की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना मना है। यानी अगर क़ब्रिस्तान में कोई जगह खाली हो और आप उस पर नमाज़ पढ़ना चाहें तो देख लें कि उसके आगे क़ब्र तो नहीं। क्योंकि अगर आगे क़ब्र होगी तो नमाज़ नहीं होगी। इससे मालूम हुआ कि क़ब्रिस्तान के बीच में जहाँ क़ब्रें हों नमाज़ न पढ़ें अलबत्ता क़ब्रिस्तान के साथ अगर कोई अ़लैदह जगह सिर्फ़ नमाज़ के लिये बनाई गयी हो जिसके आस पास इतनी ऊँची चार दीवारी हो जिससे आगे, दाएं और बाएं की क़ब्रें नज़र न आती हों तो वहाँ नमाज़ पढ़ लेना दुरुस्त है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू मरसद बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु

फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थे, न क़ब्रों की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ो और न उन पर बैठो।

(मुस्लिम शरीफ़)

(9) क़ब्रिस्तान को मिटाकर मस्जिद बनाने की मुमानिअ़त:- क़ब्रों के ऊपर या उनको मिटाकर उनके ऊपर मस्जिद बनाना मना है। अगर कोई क़ब्रिस्तान या क़ब्र ख़ुद ब ख़ुद ज़माने के उतार-चढ़ाव की वजह से मिट गई और वहाँ क़ब्र मालूम न हो तो उस पर मस्जिद बना सकते हैं क्योंकि इसका हुक्म आ़म ज़मीन के हुक्म में आ जाएगा। ख़ुद क़ब्रों को तबाह करके या उनके ऊपर छत डालकर मस्जिद बनाना ख़िलाफ़े शरअ़ है और ऐसा करना बाइसे सवाब नहीं बल्कि गुनाह है क्योंकि हुज़ूर सल्ल़ल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र के ऊपर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

हदीस शरीफ़: हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सारी दुनिया सज्दा गाह है सिवाए क़ब्रिस्तान और ग़ुस्लख़ाने के।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, दारमी)

इस हदीस से ये बात ज़ाहिर है कि क़ब्र के ऊपर सज्दा गाह नहीं बनाई जा सकती, ऐसे ही अबू दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्रों को मस्जिद बना लेने पर लानत फ़रमाई है।

हदीस शरीफ़: हज़रत इब्ने उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है:- कूड़ा घर, क़ुरबान गाह, मक़बरा, चौराहे, ग़ुस्ल ख़ाने, ऊँटों के बाँधने की जगह, और ख़ान-ए-कअ़बा की छत पर। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

(10) क़ब्रिस्तान के चन्द आदाब:- जिस तरह शरीअ़त की रू से क़ब्रों पर बैठना मना है। ऐसे ही इन पर सोना और उनके साथ टेक लगाना भी आदाब के ख़िलाफ़ है। क़ब्रों के ऊपर फलाँगना भी नाजाइज़ है क्योंकि बअ़ज़ लोगों का ये तरीक़ा होता है कि वह क़ब्रिस्तान में अपने किसी अ़ज़ीज़ या रिश्तेदार की क़ब्र तक पहुँचने के लिये दरमियान की

क़ब्रों को बिला तकल्लुफ़ रोंदते हुए चलते हैं बल्कि क़ब्रों को फलाँगते हैं ये बात इन्तिहाई ग़लत है। लिहाज़ा क़ब्रों पर पाँव रखने से हर मुम्किन बचना चाहिये।

क़ब्रिस्तान में इस्तिंजा करना बहुत ही क़ाबिले मज़म्मत काम है। बअ़ज़ क़ब्रिस्तानों में पेड़ वग़ैरा लगे होते हैं तो उन्हें काटना नहीं चाहिये। गिरी हुई क़ब्र को दुरुस्त करना बेहतर है ताकि क़ब्र का निशान बाक़ी रहे। क़ब्र के तअ़वीज़ को ज़मीन से एक बालिश्त ऊँचा बनाना सुन्नत है किसी क़ब्र को पाँव से ठोकर नहीं लगानी चाहिये। क़ब्र पर खोदने से गुरेज़ करना चाहिये। अगर क़ब्र खोदते वक़्त किसी पहले मुर्दे की हड्डियाँ निकल आएं तो उन्हें किसी मक़ाम पर दफ़्न कर देना चाहिये। क़ब्रिस्तान को चरागाह नहीं बनाना चाहिये। क़ब्र को मुर्दा ख़ोर जानवरों और कुत्तों से महफ़ूज़ करना चाहिये यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हर लिहाज़ से मुर्दे की तौहीन की मुमानिअ़त फ़रमाई।

हदीस शरीफ़ः हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा रिवायत करती हैं, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुर्दे की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही है जैसा कि ज़िन्दा शख़्स की हड्डी को तोड़ना।

(मालिक, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम

मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम
शमअे बज़मे हिदायत पे लाखों सलाम।

शहरेयारे इरम ताजदारे हरम
नौ बहारे श्फ़ाअत पे लाखों सलाम।

अ़र्श ता फ़र्श है जिसके ज़ेरे नगीं
उसकी क़ाहिर रियासत पे लाखों सलाम।

हम ग़रीबों के आक़ा पे बेहद दुरुद
हम फक़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम।

दूरो नज़दीक के सुनने वाले वह कान
काने लअ़ले करामत पे लाखों सलाम।

जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा
उस जबीने सआ़दत पे लाखों सलाम।

जिसके आगे सरे सरवरां ख़म रहे
उस सरेताजे रिफ़अ़त पे लाखों सलाम।

जिस त़रफ़ उठ गई दम में दम आ गया
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।

जिस से तारीक दिल जगमगाने लगे
उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम।

पतली पतली गुले क़ुद्स की पत्तियाँ
उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम।

कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा
उस शिकम की क़नाअ़त पे लाखों सलाम।

जिस सुहानी घड़ी चमका तै़बा का चाँद
उस दिल अफ़रोज़ साअ़त पे लाखों सलाम।

एक मेरा ही रह़मत में दअ़्वा नहीं
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।

काश महशर मे जब उनकी आमद हों और
भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।

मुझ से ख़िदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा
मुस्त़फ़ा जाने रह़मत पे लाखों सलाम।

दुआ

या इलाही हर जगह तेरी अ़ता का साथ हो
[illegible]ड़े मुश्किलशहेमुश्किलकुशाकासाथहो।

या इलाही भूल जाऊं नज़अ़ की तकलीफ़ को
शादीऐ दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो।

या इलाही गोरे तीरह की जब आऐ सख़्त रात
उनके प्यारे मुँह की सुबह जाँफ़ज़ा का साथ हो।

या इलाही जब पड़े महशर में शोरें दारो गीर
अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो।

या इलाही जब ज़बानें बाहर आऐं प्यास से
साहिबे कौसर शहे जूद व अ़ता का साथ हो।

या इलाही गर्मी-ए-महशर से जब भड़कें बदन
दामने महबूब की ठन्डी हवा का साथ हो।

या इलाही जब बहें आँखें हिसाबे जुर्म में
उन तबस्सुम रेज़ होंटों की दुआ़ का साथ हो।

या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात
आफ़ताबे हाश्मी नूरूलहुदा का साथ हो।

या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े
रब्बे सल्लिम कहने वाले ग़मज़ुदा का साथ हो।

या इलाही जो दुआ़एं ने मैं तुझसे करूं
क़ुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो।

या इलाही जब रज़ा ख़्वाबे गिरां से सर उठाऐ
दौलते बेदार इश्के मुस्तफ़ा का साथ हो।

बच्चों और बड़ों को

ज़िन्दगी के आदाब व उसूल सिखाने वाली किताब

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी-प्यारी सुन्नतें यानी खाने, सोने, चलने, बैठने, उठने ग़र्ज़ ये कि ज़िन्दगी के हर पहलू पर अमल करने के आदाब और सुन्नत तरीक़ा, जिसकी पैरवी करने से ज़िन्दगी का हर लम्हा सवाब का हक़दार बन जाता है।

2001